राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] नवम् विधान सभा के सातवें सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या 10

बुधवार,

30 सितम्बर, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

नसीराबाद बाईपास निर्माण

279. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर से चित्तौड़गढ़ तक वर्तमान राजपथ को चौड़ा करने, मजबूत करने तथा उस पर पुलियाओं के निर्माण करने हेतु क्या विश्व बैंक द्वारा कोई योजना स्वीकृत हुई है ?

(2) यदि हां, तो इस योजना का कार्य कब से चालू होना था, कब चालू किया गया व उसकी भौतिक उपलब्धि अब तक क्या है ? योजना की स्वीकृति व कार्य आरम्भ में विलम्ब के क्या कारण हैं व उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या इस योजना के तहत नसीराबाद बाई-पास निर्माण भी कराने की योजना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई व इस बाई-पास को कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) अजमेर से चित्तौड़गढ़ तक वर्तमान राजपथ को मजबूत करने तथा पुलियाओं के पुनः निर्माण हेतु विश्व बैंक की सहायता से एक योजना स्वीकृत हुई है।

(2) इस कार्य को कराने का ठेकेदार से अनुबंध दिनांक 13-11-1991 को हुआ था व चालू करने की तारीख 22-12-1991 थी। कार्य दिसम्बर, 1991 में ही चालू कर दिया गया था। इसकी भौतिक उपलब्धि प्रपत्र "क" में संलग्न है। इस कार्य के सम्पादन में अभी कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(3) जी हां। इस कार्य हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर, सड़क व

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पुलियाओं का कार्य चालू कर दिया गया है। अनुबंध के अनुसार यह कार्य 21-12 1994 तक पूर्ण किया जाना है, परन्तु बाई-पास का कार्य इस तिथि से पहले पूर्ण होने की संभावना है।

(प्रपत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस कार्य की प्रो-रोटा प्रोग्रेस, जो प्रति माह आपने निश्चित की है, वह क्या थी और वास्तव में प्रति माह क्या है? बताने की कृपा करें। दूसरा मेरा प्रश्न है कि इस ठेकेदार को मोबिलाइजेशन के लिए और मशीनरी के लिए कितना पैसा एडवांस दिया गया है? उस पैसे की वसूली अभी यह जो काम के बिल आ रहे हैं, इनमें की जा रही है या नहीं की जा रही है? अगर नहीं की जा रही है तो उसके कारण क्या हैं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुबंध इनसे हुआ है उसमें जैसा मैंने निवेदन किया कि 3 वर्ष में इस काम को पूरा करना है। प्रारम्भ के समय में इनको मशीनरी से मोबिलाइजेशन करना पड़ता है इसलिए उसकी तिथि भी इनके यहां निश्चित है और उसी के अनुसार इनका काम चल रहा है। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि अनुबंध में यह भी क्लाज है कि 225 दिन के बाद अगर इन्होंने काम नहीं किया, उतना काम नहीं किया जितना इनको करना था तो इन पर उसकी पैनल्टी लगेगी। अभी वह अवधि पूरी नहीं हुई है इसलिए पैनल्टी लगने का सवाल नहीं है। यह काम माननीय सदस्य भी वहां गए हैं, मुझे भी पिछली बार ढाई किलोमीटर क्षेत्र में जाने का मौका मिला और मुझे लगा कि क्वालिटी की दृष्टि से भी वह काम इतना अच्छा है कि इस सारी बरसात के बाद भी उसमें किसी प्रकार की बात नहीं हुई।

जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, मोबिलाइजेशन अलाउन्स का, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 4,42,13,033 रुपये मोबिलाइजेशन एडवान्स इनको दिया गया है, जो अनुबंध के अनुसार है। उसी प्रकार का मशीनरी एडवांस 2,19,99,550 रुपये का दिया गया है। उसी प्रकार का एसकैलेशन चार्जेज 24,17,121 रुपए दिए गए हैं, कार्य का भुगतान जो अभी किया गया है 2,20,62,229 रुपये का किया गया है। उसी प्रकार सिक्योर्ड एडवांस 23,02,683 रुपये, सब अनुबंध के अनुसार इनको किए गए हैं। और इनकी फिर बैंक गारन्टी ली ली गई है और बैंक गारन्टी के अगेन्स्ट ही इनको किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने बताया कि इसका भुगतान, अनुबंध में यह नियम है कि यह जब 11 करोड़ रुपये का काम कर देंगे, उस काम के पश्चात् इसकी वसूली शुरू होगी और ब्याज उसी प्रकार इनसे लिया जाएगा, उसी अनुसार लेने की व्यवस्था की बात है। अभी उतना काम नहीं हुआ है, समय व्यतीत नहीं हुआ है इसलिए वसूली का प्रश्न नहीं होता है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से जो मैंने प्रश्न पूछा मोबिलाइजेशन वाला, इसके पूछने के पीछे बहुत बड़ा कारण है और आपको भी ज्ञात होगा कि सांसद श्री जार्ज फर्नान्डीस ने प्रधान मंत्रीजी को एक शिकायत प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन के बारे में जो करीब 60 करोड़ रुपये का इससे पहले के ठेकों में घपला किया है और एक एक मशीनरी को चार चार जगह स्ट्रेच करके पैसा ले रहे हैं, वह जांच अभी चल रही है। मुझे आशंका है कि यह जो आपने पैसा दे दिया है, 7-8 करोड़ रुपये, उसकी वसूली भी इस तरह से बट्टे-खाते में जाने वाली है।

जहां तक काम का सवाल है, मैंने दूसरी एक पूरक प्रश्नों की सूची आपको दी है उसमें कुछ टैक्नीकल क्वेश्चंश हैं और दूसरी बातें ऐसी हैं जो अवैध और अनियमित रूप से वह ठेकेदार कर रहा है। उसके बारे में तो इतना ही चाहूंगा कि आप इसकी सक्षम अधिकारी से जांच करवा लें जो बात मैंने आपको मोबिलाइजेशन वाली बताई है, सरकार का पैसा वापस मिल जाए इसको सुनिश्चित करने के लिए आप कोई कार्यवाही कर सकते हैं, अपने स्तर पर, उसे करें।

अन्त में मेरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि अभी जो प्रोग्रेस है वह ठीक चल रही है। यह हर विभाग में, आप भी 3 महीने में या 6 महीने में रीव्यू करते रहते हैं डिपार्टमेंट का, उसका निश्चित रहता है कि इतनी प्रोग्रेस या इतनी बुकिंग एक्सपेंडीचर इस काम के लिए होना चाहिए था। मैं यह पूछना चाह रहा था कि इस पर प्रति माह क्या कोई तय किया हुआ है कि इतना पैसा, 4 लाख, 10 लाख रुपये में आपका बुक होना चाहिए। यह तीन बातें हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुबंध के अनुसार सारी कार्यवाही हो रही है। इसी प्रकार 3-3 महीने में फिजिकल फाइनेंशियल टार्गेट्स क्या एचीव विभाग करे, इसकी मानिटरिंग मैं अपने स्तर पर करता हूं। उस स्तर के अनुसार इनका काम चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस कांट्रेक्टर ने कम्प्यूटरयुक्त हाट-मिक्स-प्लांट एवं पेवर साइड पर लगा दिए हैं, जिस मशीनरी के एडवांस की चर्चा कर रहे हैं। 186 किलोमीटर लम्बाई में 3 साल में पूरा करने के लिए इनको 3 स्थानों पर बीड़, रायसिंहपुरा और गंगरार में ये प्लांट लगाने थे। उसमें से बीड़ में मशीनें 18–6–1992 से प्रारम्भ कर दी गई है, गंगरार में 17–7–1992 को हाट मिक्स प्लांट लग कर काम शुरू हो गया है, रायसिंहपुरा में 15–11–1992 को इसको शुरू किये जाने का प्रावधान है। अभी जिस प्रकार की स्थिति है उसके अनुसार वह पूरा हो जाएगा। डामरीकरण कार्य इन्होंने 70 लाख रुपये का 7 किलोमीटर में करवा दिया है। अब जो स्थिति है, तीसरा प्लांट लगने के पश्चात 5 लाख रुपये का काम प्रतिदिन के हिसाब से इनके होने शुरु हो जाएंगे। अकार्डिंग टू शिड्यूल चल रहा है।

जैसा माननीय सदस्य महोदय ने बताया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

डिपार्टमेंट बहुत जागरूक है, क्योंकि सारे के अगेन्स्ट बैंक गारंटी ली हुई है। इसलिए कहीं भी लेप्स होने का सवाल नहीं होता है। सवाल आएगा तो इन पर और पैनल्टी लगाकर उसकी वसूली अगेन्स्ट परफारमेंस एडवांसेज हम कर लेंगे। यह मैं कहना चाहता हूं।

एक रात्रि को जैसी कि आपने चर्चा की कुछ सप्लीमैंटरी सूचनाएं मुझे दी हैं, आपने बताया अभी। उनकी भी जांच मैं निश्चित रूप से करवा लूंगा, जैसा आपने कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान। स्थगित प्रश्न है, उसी नम्बर पर आया है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25 सितम्बर, 1992)

बायलर्स ट्यूब्स की जांच

189. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी बायलर्स की ट्यूब्स भौतिक तथा रासायनिक जांच के लिये मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स के कार्यालय में आई ?

(2) क्या इनकी जांच किसी प्रमाणीकृत प्रयोगशाला से करवाई जाती है या निजी प्रयोगशालाओं से ? उसकी जांच शुल्क क्या निश्चित की हुई है ?

(3) क्या बायलर्स की ट्यूब्स की जांच निजी प्रयोगशालाओं में करवाई जाती है ? यदि हां, तो किससे तथा क्यों ?

(4) भारत सरकार की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या राज्य के इंजीनियरिंग कालेज से जांच क्यों नहीं करवाई जाती ?

(5) इस प्रकार से प्राप्त लोहे का बेचान जांच करने के पश्चात् विभाग करता है या जांच करने वाली प्रयोगशाला ? स्टील की ट्यूब्स को बेचने से जो राशि गत तीन वर्षों में प्राप्त हुई, उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) इसी प्रकार वैल्डर टैस्ट से जो लोहे का स्क्रेप बचता है, उसको बेचने से इस अवधि में कितनी आय विभाग को हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री श्रम, (श्री बाबूलाल खाण्डा) : (1) केवल बायलर ट्यूब्स के 2 इन्च के टुकड़े (रिंग्स) जांच के लिये प्राप्त होते हैं। गत तीन वर्षों में प्राप्त टुकड़ों (रिंग्स) का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	टुकड़ों की संख्या
1989	389
1990	473
1991	1062

(2) बायलर ट्यूब सैम्पल्स के टुकड़ों (रिंग्स) की भौतिक जांच मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स कार्यालयों में की जाती है, जिसका अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। विभाग में रसायनिक जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

कारण जांच निजी प्रयोगशाला में करवाई जाती है। विभाग द्वारा रसायनिक जांच के लिये कोई शुल्क निश्चित नहीं किया जाता है। कारखाना प्रबन्धक रसायनिक जांच शुल्क प्रयोगशाला को सीधे ही भुगतान करते हैं।

(3) पिछले तीन वर्षों में रसायनिक जांच निम्न निजी प्रयोग शालाओं में करवाई गई :—

1. राजलक्ष्मी टेस्ट हाऊस, भोटवाड़ा, जयपुर।

2. रतन इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि., भिवाड़ी, जिला अलवर।

उक्त स्थानों पर रसायनिक जांच की सुविधा उपलब्ध थी और जांच करने को तैयार थे इसलिये करवाई गई।

(4) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी प्रयोगशाला राजस्थान में स्थापित नहीं है। इंजीनियरिंग कालेज जयपुर में जांच कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) भौतिक जांच के पश्चात् आवश्यकता अनुसार कुछ टुकड़ों (रिंग्स) को प्रयोगशाला में रसायनिक जांच हेतु भिजवाया जाता है। प्रयोगशाला से जांच के बाद नतीजे प्राप्त होते हैं। जांच शुदा टुकड़े (रिंग्स) वापस मंगाने की प्रथा नहीं है। शेष टुकड़े (रिंग्स) विभाग में रखे हुये हैं। विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में इन्हें बेचने की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

(6) स्क्रेप विभाग में नहीं आता है। अतः बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मन्त्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन सारी स्थितियों का प्रावधान फैक्ट्री एक्ट, 1948' के अन्तर्गत केवल मात्र इसलिये रखा गया है। ताकि श्रमिक सुरक्षित रहें, कल-कारखानों में काम करने के लिये घर से जिस विश्वास के साथ वह चलता है उसी विश्वास को लेकर वह वापस घर पर जाये लेकिन सम्भवतया माननीय मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि क्या यह श्रमिक जब भी कल कारखानों में काम करते हैं, उसकी सेफ्टी.........

श्री अध्यक्ष : सदस्य महोदय, आप सीधे प्रश्न करें। मैं खुद उलझ जाता हूं आपके भाषण में। सीधा सवाल पूछिये आप।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं निवेदन कर रहा हूं कि बायलर्स का जो प्रश्न किया है, इसके पीछे मूल प्रश्न केवल मात्र श्रमिकों की सुरक्षा का है। मान्यवर, मैं एक ही निवेदन करता हूं कि आप मानेंगे.....

श्री अध्यक्ष : आपका सप्लीमेन्ट्री क्या है, पूछिये ना।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं, पूछ रहा हूं। मान्यवर मेरा इतना निवेदन है कि यह जो आपने कहा कि हमारे यहां पर केवल मात्र बायलर्स की ट्यूब्स ही आती है, यह गलत है। मान्यवर, ट्यूब्स नहीं आती है। जितने भी बायलर्स के अन्दर पाइप लगते हैं चाहे वह 10 इन्च का हो, 8 इन्च

(श्री अर्जुनदास मदान)

का हो, 6 इन्च का हो, 4 इन्च का हो, या 2 इन्च का हो, किसी भी साइज के क्यों ना हो, नियमानुसार सेफ्टी पाइन्ट आफ व्यू से हर एक के टुकड़े कट कर आते हैं और उसका टेस्टिंग होता हैं। टेस्टिंग करने के बाद, इन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां उसको रखने की कोई व्यवस्था नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस चीज की टेस्टिंग करते हैं, जिस चीज की आप गारन्टी देते हैं, आज बड़े-बड़े कल–कारखानों से बन कर तैयार हो जाती है, उनका टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के अगर आप रिजल्ट अपने पास नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे ? क्या गारन्टी है कि मिल मालिक वही पाइप लगाये जो उसने इन्स्पेक्शन के लिये भेजा था ? पहला निवेदन तो मेरा यही है। दूसरा निवेदन आपके माध्यम से, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब अलग-अलग किस्म के टुकड़े कट करके आते हैं और उनका टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के उपरान्त वह टुकड़े फैंक क्यों दिये जाते हैं ? उनको बेचा क्यों नहीं जाता ? यह भी लिखा है कि हमारा टेस्टिंग का टुकड़ा आज तक नहीं टूटा, कल्पना कीजिये, मान्यवर, 1980 से यह प्रावधान है हर व्यक्ति, मैं आज कितना निवेदन करूं आप........

श्री अध्यक्ष : आप निवेदन करते जाइये, सवाल नहीं आयेगा।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि वहां........

श्री अध्यक्ष : पहला सवाल तो यह है कि केवल ट्यूब्स नहीं है, और पाइप भी आते हैं। एक तो यह हो गया। दूसरा, जो टुकड़े फैंक दिये वह बेचे क्यों नहीं जाते ? दूसरा सवाल यह है। और तीसरा....?

श्री अर्जुनदास मदान : तीसरा सवाल यह है कि टेस्टिंग इंजीनियरिंग कालेज में क्यों नहीं कराई जाती है ? यह प्राइवेट फैक्ट्री से क्यों कराई जाती है ? क्या गारन्टी है इसकी कि जो प्राइवेट फैक्ट्री के पास, मेरे पास पैसा ना हो तो........

श्री अध्यक्ष : ठीक है। हो गया ना आपका, तीसरा सवाल।

श्री बाबूलाल खाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के ज्ञान की प्रशंसा करता हूं। शायद इन्होंने यह समझ लिया कि बहुत सारा लोहा विभाग में जमा होता रहता होगा ; हकीकत यह है कि दो इन्च के टुकड़े आते हैं वह भी इण्डियन बायलर्स रेगुलेशन एक्ट जो हमारा 1950 में बना है, उसमें प्रावधान क्या हुआ है, वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"A ring not less than 2 inches in length cut from the annealed portions removed from the ends of the selected tubes shall be flattened between two parallel flat surfaces, the width of which shall not be less than 1/2 times the outside diameter of the tube."

इसमें मेरा निवेदन है कि दो इन्च के जो टुकड़े आते हैं उनके अन्दर का व्यास दो या तीन के बीच में होता है। केवल टुकड़े आते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह टुकड़े विभाग की प्रोपर्टी

(श्री बाबूलाल खांडा)

नहीं है। टैस्टिंग के लिये हमारे पास भेजते हैं, जो टैस्ट में असफल होते हैं उनको तो ले जाते हैं, जो सही पाये जाते हैं उनको छोड़ जाते हैं। वही टुकड़ों का हमारे पास कलेक्शन होता है। मैंने मेरे जवाब में दे दिया है कि पिछले तीन साल में कितने टुकड़े इकट्ठे हुये, उनका जो उसमें टोटल वेट है वह 370 किलो है। स्क्रेप या जो लोहा बिकता है पांच रुपये किलो के हिसाब से, 1850 रुपये यह बनता है। तीन साल में उसमें हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कमेटी के माध्यम से उनको बिकवा दूंगा। इसलिये उसमें कोई विशेष बात नहीं है। इनको पता नहीं क्या भय हो गया.......

श्री अध्यक्ष : तीसरा जो जांच कराने का है।

श्री बाबूलाल खांडा : जांच का तो यह है कि कोई भारत सरकार की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला यहां नहीं है। रही इंजीनियरिंग कालेज की बात, हमारे लेबर कमिश्नर उनसे बात कर रहे हैं। वह तैयार हो जायेंगे तो आगे से प्राइवेट की बजाय वहीं जांच करवा लिया करेंगे।

श्री अर्जुनदास मदान : इसका अर्थ, मान्यवर, मैं यह मान लूं कि मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर इतने वर्षों से स्थित है तो क्या अब तक तो कोई प्रयास नहीं किया ? केवल मात्र प्राइवेट फैक्ट्रियों में ही यह हुआ है। पहला प्रश्न तो मेरा यह है। इन्होंने कहा है कि पांच रुपये किलो बेचा जाता है। पांच रुपये किलो तो मान्यवर, आज पीपा बेचा जाता है, कढ़ाई की छलनी के ढक्कन बेचे जाते हैं। यह तो........

श्री अध्यक्ष : यह उन्होंने मान लिया है। जो भी होगा बेच देंगे।

श्री अर्जुनदास मदान : इन्होंने यह कहा कि दो इन्च के पाइप आते हैं, मैं कहता हूं गलत है। सौ प्रतिशत गलत है। पाइप का टुकड़ा कट कर आता है, अगर वह कट कर नहीं आये तो उसकी सेफ्टी की तो कोई गारन्टी नहीं हो सकती। मान्यवर, स्टील के पाइप, दो इन्च के पाइप, यह कहते हैं, मैं कैसे मान लूं ? स्टील के पाइप आप देखियेगा, स्टील के जितनी साइज के पाइप आते हैं दो इन्ची पाइप नहीं होते हैं। मैं निवेदन करता हूं आप अगर चाहें तो इसके लिये मुझे बैठा दें आपके पास इतना समय नहीं है तो, मैं सदन का टाइम नहीं लेना चाहता। मैं तो निवेदन करता हूं कि पिछली बार मैंने कन्विंस किया था, इस बार भी मैं कन्विंस करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे समझा देना। नेक्स्ट। श्री गुलाम मुस्तुफा खां।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 सितम्बर, 1992)

तृतीय भाषा के विषय

74. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 1991–92 एवं 1992–93

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

में किस-किस स्त्रोत से उर्दू, पंजाबी और गुजराती विषय खोलने के आवेदन प्राप्त हुये हैं ?

(2) उक्त अवधि में किस-किस शाला में उक्त में से तृतीय भाषा की शिक्षा प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1988 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तृतीय भाषा की शिक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशालय के उक्त दिशा निर्देश के अनुसार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी उक्त विषय खोलने में सक्षम है ? यदि हां, तो उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. रतनलाल जाट) : (1) जिला शिक्षा अधिकारियों/कतिपय विद्यालयों तथा विभिन्न समुदायों से विषय खोलने के आवेदन प्राप्त हुये।

(2) उक्त अवधि में जिन विद्यालयों में तृतीय भाषा विषय खोले गये हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी हां, प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री गुलाम मुस्तफा खान : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष करीब पच्चीस पत्र मैंने बायोडेटाज समेत कि फलाने स्कूल में इतने बच्चे हैं, फलाने स्कूल में इतने बच्चे हैं, शिक्षा निदेशक को भेजे लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया। इसके अन्दर जो इन्होंने लिखा है कि परिशिष्ट (क) के मुताबिक स्कूलों के अन्दर यह विषय खोल दिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि नं. 20 को आप देखें-1990–91 में कथनी और लाडनूं के जो दिये हुये हैं उनके पत्र मेरे पास हैं। निदेशालय से आदेश जारी किये गये हैं विषय उर्दू तो खोला गया है लेकिन अध्यापक की व्यवस्था हम नहीं करेंगे। जब वह विषय खोल दिया गया, अध्यापक आप नहीं लगायेंगे तो परपज सर्व कैसे होगा ? पत्र को पढ़ियेगा। उसमें जो बासनी का विद्यालय है, उसके प्रधानाध्यापक ने मुझे पत्र लिखा कि आप अध्यापक की व्यवस्था करावें। यह जो आदेश दिये, इनका जो कहना है बिल्कुल असत्य है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मैं पाइन्टेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुरूप राजस्थान के जिन विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में 10 व पूरे विद्यालय में चालीस छात्र है और उर्दू की मांग कर रहे हैं या गुजराती और पंजाबी की मांग कर रहे हैं, उन विद्यालयों में कब तक उर्दू, गुजराती, पंजाबी व अन्य भाषाओं के पद सृजित कर दिये जायेंगे ?

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

दूसरा, उर्दू विषय के अध्यापक के रिटायर होने पर, मौत होने पर, स्थानान्तरण होने पर रिक्त स्थानों को पुनः उर्दू अध्यापक, पंजाबी अध्यापक या जो भी अध्यापक हो, क्या उसी को लगाया जायेगा ? नम्बर तीन, उर्दू मोअल्लिम की डिग्री बी. एड. के समकक्ष है जिसको मान्यता राज्य सरकार ने नहीं दी है, बाकी पूरे देश के अन्दर जितने भी राज्य हैं, उन सबने मान्यता दे रखी है। इसलिए राजस्थान सरकार कब इसको मान्यता दे देगी ? क्यों यह समस्या आ रही है इनके सामने कि हमारे पास टीचर्स मिलते नहीं है ? आज राजस्थान के अन्दर ही मान्यता नहीं है, बाकी पूरे देश के अन्दर मान्यता प्राप्त है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, कृपया इन प्रश्नों का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

डा. रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने तृतीय भाषा के स्कूलों में अध्यापकों की कमी के बारे में कहा है कि स्वीकृति जारी हो गई। पद सृजित नहीं किये गये हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उर्दू भाषा की योग्यता रखने वाले सामान्य अध्यापक उनके स्थान पर लगा दिये जायेंगे और उनके अध्यापन की व्यवस्था कर दी जायेगी। जहां तक नये पद सृजित का सवाल है, नये पद बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत कर दिये जायेंगे....(व्यवधान) माननीय सदस्य ने उर्दू विषय में या दूसरी तृतीय भाषा के विषय में किसी टीचर के स्थानान्तरण हो जाने के बारे में, उसके रिटायर हो जाने से जो पद रिक्त हो जायेंगे, उसको भरने का जहां तक सवाल है, उनको उसी उर्दू भाषा के या सम्बन्धित भाषा के अध्यापक से ही उनको भरा जायेगा।

माननीय सदस्य ने एक सवाल और उठाया है। उर्दू मोअल्लिम की डिग्री जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिलती है, उसको बी. एड. के समकक्ष मान्यता देने का जहां तक सवाल है, राजस्थान सरकार ने अदील काबिल की डिग्री को इक्वल बी. ए. के बराबर मान्यता दे रखी है और आदिम माहिर की डिग्री को इक्वल टू मेट्रिक के बराबर मान्यता, उन्हीं विश्वविद्यालयों से जो डिग्री मिली है, उनको दे रखी है। जहां तक उर्दू मोअल्लिम डिग्री को बी. एड. के समकक्ष मान्यता का सवाल है, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। न केवल यह, बल्कि पूरे प्रदेश में जिन-जिन विश्वविद्यालयों द्वारा इस प्रकार की डिग्री दी जाती है, उन डिग्रीज् को मान्यता दी जाय या नहीं दी जाय, उसके बारे में यूनिवर्सिटी की इक्विवलेंस कमेटी अलग बनी हुई है और इक्विवलेंस कमेटी में मान्यता देने से पहले राज्य सरकार उस पर विचार कर स्वीकृत करती है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न। जो पद रिक्त पड़े हैं, जो आपने विषय खोला नहीं है, वह कब तक भर दिये जायेंगे ? इस सत्र के कम से कम तीन महीने तो निकल गये। जब सत्र के तीन महीने निकल गये बच्चे क्या पढ़ेंगे ? तो कम से कम आप

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

अक्टूबर-नवम्बर, कुछ तो डेट दें, वे कब तक आप भर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। कब तक भर जायेंगे ? (व्यवधान)

डा. रतनलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि इस साल के बजट में नये पद सृजित करने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया है, जहां कहीं भी उर्दू के अध्यापक उपलब्ध हैं, उनको इसी प्रकार की तृतीय भाषा....

श्री अध्यक्ष : वे कब तक लग जायेंगे, यह पूछ रहे हैं ?

डा. रतन लाल जाट : वे शीघ्र ही लग जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझनूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मेरा प्रश्न पहला यह है कि क्या अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रसार के लिए राजस्थान सरकार ने यह नियम बना रखा है कि जहां कहीं भी 10 छात्र, तृतीय भाषा उर्दू का अध्ययन करना चाहें, उनके अभिभावक या ये छात्र यदि यह लिखकर दें कि हम उर्दू भाषा पढ़ना चाहते हैं, वहां उर्दू की व्यवस्था कर दी जायेगी ? नम्बर एक। नम्बर दो, जयपुर सहित सीकर, झुंझनूं, चूरू, नागौर, बीकानेर, कोटा, टौंक और सवाई माधोपुर, इन स्थानों पर विगत तीन वर्षों में जो उर्दू के अध्यापकों के 9 पद सृजित किये हैं या जिन उर्दू अध्यापकों का स्थानान्तरण हो गया· कोई मौत हो गई या उसमें 2-4 लोग जो सर्विस छोड़कर दूसरे विभागों में चले गये, उनके पद आज तक भी खाली चल रहे हैं। अनेकों बार मैंने भी आपको लिखा है। आज मैं फाइल ढूंढ करके उन सबकी आफिस कापियां लाया हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इनको सदन के पटल पर रखता हूं और आप कहें तो मंत्रीजी को दे देता हूं....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को दे दीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इन पदों पर आप कब तक चयन करके उर्दू के अध्यापक लगा देंगे ? इन दोनों प्रश्नों के जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, जैसा आपने पहले भी कहा कि हमारे यहां उर्दू के अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और आपने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया। वहां इतने ज्यादा पास आउट नहीं करते हैं कि अपने यहां राजस्थान तक आयें, वहां दिल्ली या यू.पी. में या बिहार में एब्जार्ब हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि वहां पर जो छात्र उर्दू विषय लेकर एस.टी.सी. करना चाहे या बी.एड. करना चाहे, उनके लिए राज्य सरकार की ओर से और शिक्षण संस्थानों की ओर से क्या प्रावधान करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : मांगी लाल जी।

श्री मांगी लाल मेघवाल (केशोराय-पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे विद्यालय जहां अध्यापक उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, अभिभावक मांग कर रहे हैं, छात्रों की संख्या पर्याप्त है तो क्या राज्य सरकार ऐसे विद्यालयों में उर्दू खोलने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय दयाराम परमार।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तृतीय भाषा में गुजराती भी सम्मिलित है। हम लोग गुजरात की बोर्डर पर रहने वाले लोग हैं। गुजराती को हमारे बच्चे आसानी से समझते हैं लेकिन वहां पर गुजराती के अध्यापक की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा मजबूरी में पढ़नी पड़ती है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वहां गुजराती अध्यापक लगाने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

डा. रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने उर्दू विषय के बारे में जो सवाल उठाया है तथा अन्य सदस्यों ने भी तृतीय भाषा के बारे में, अध्यापकों के बारे में और इन विषयों को शुरू करने के बारे में सवाल उठाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की धारा 350 (अ) में भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्शन देने के बारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। उनकी अनुपालना में राज्य सरकार भी जो हमारे नोर्म्स हैं कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी उपलब्ध हो और पूरे स्कूल में अगर 40 विद्यार्थी उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार के समय-समय पर जो प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर कार्यवाही करके हमने उर्दू विषय खोला है। उसको खोलने की प्रक्रिया है, उसमें कक्षा एक से आठ तक जिला शिक्षा अधिकारी इनके आधार पर इनकी स्वीकृति प्रदान करता है, कक्षा 9 से 10 तक डाइरेक्टर एजुकेशन, बीकानेर इनकी स्वीकृति प्रदान करता है और 11 व 12 कक्षा तक इन तृतीय भाषा के खोलने वाले विषयों के बारे में राज्य सरकार फैसला करती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, ये तो इन्होंने स्वीकार किया है कि जहां 10 बच्चे हों वहां खोल देंगे लेकिन इसके जो प्रस्ताव पहले प्राप्त हुए है, वहां कब तक खोल देंगे ? 2 साल से उर्दू एकेडमी के हमने प्रस्ताव दिये हैं। 1990 से दे रहे हैं ' कब तक खोल देंगे, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : वे केसेज आप इन्हें दे दें, वह बता देंगे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव।

चौमूं में आई. टी. आई. की स्थापना

280. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्रदेश में कुल कितने कहां-कहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

(2) क्या चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 में प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और खोले जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चौमूं में आई. टी. आई. खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा (डा. रतन लाल जाट) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वित्तीय साधनों के अभाव में कोई नया आई. टी. आई. खोलने का अभी विचार नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार का किसी ट्रेड में, इस प्रान्त में आई. टी. आई. खोलने का प्रावधान है ? अगर है तो उनको कहां-कहां खोलने का सरकार इरादा रखती है ?

दूसरा, मेरा प्रश्न है कि क्या चौमूं में आई.टी.आई. खोलने में लिए वहां के दानदाताओं ने राज्य सरकार के पास भवन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव पूर्व में भेजा है ? और यदि भेजा है तो उस पर सरकार ने क्या विचार किया ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा प्रश्न है कि मेरे क्षेत्र में जैतपुरा पहले से इण्डस्ट्रियल एरिया है। कालाडेरा में हमने 600 बीघा चरागार की भूमि रीको को उपलब्ध करवा दी है जहां निकट भविष्य में इण्डस्ट्रियल एरिया और बनेगा। जयपुर के चारों तरफ से जो दबाव है, उसमें मुख्य चौमूं का और चौमूं के आसपास का है। तो क्या सरकार इस चौमूं के अन्दर आई. टी. आई. स्कूल खोलने का कोई जल्दी निर्णय करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले इनका उत्तर हो जाय।

श्री फूलचन्द गुर्जर : ये आई. टी .आई खोलने का क्या मापदण्ड है और किन आधार पर ये आई.टी.आई. खोली जाती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हां, बोलिये माननीय मंत्रीजी।

डा. रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने चौमूं में आई. टी. आई. खोलने के बारे में जो प्रश्न किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में वर्तमान में 58 गवर्नमेंट आई. टी. आई. कार्यरत है, 71 प्राइवेट आई. टी. आई. चल रही है और टाडा-माडा योजनाओं के अन्तर्गत मिनी आई. टी. आई. को मिलाकर 22 कार्यरत हैं। कुल मिलाकर 151 आई. टी. आई. संचालित हैं। जहां तक नई आई. टी. आई.

(डा. रतन लाल जाट)

खोलने का प्रश्न है, डाइरेक्टर जनरल आफ एम्प्लायमेंट एण्ड ट्रेनिंग (डीजीईटी) के नोर्म्स के हिसाब से कोई एक नया आई. टी. आई. जो 4 ट्रेड के साथ खोला जाय उसमें कम से कम एक करोड़ रुपया चाहिये और वर्ष 1992 से 1997 तक इस योजना में राज्य सरकार के पास जो बजट उपलब्ध है वह मात्र 22 करोड़ रुपये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारी जो आई. टी. आई. चल रही है, 6 करोड़ रुपये तो उनके लिए संयन्त्र उपलब्ध कराने के लिए चाहिये और हमें उनके भवनों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 18 करोड़ रुपये भवनों को ठीक करने के लिए चाहिये तथा 24 करोड़ रुपया वर्तमान में जो आई. टी. आई. कार्यरत हैं, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए चाहिए। इसलिए नई आई. टी. आई. खोलने का कोई विचार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की लगभग 20 आई. टी. आई. किराये के भवन में चल रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिना सोचे-समझे आई. टी. आई. खोली गई हैं। मैं संख्या निवेदन करूं। जो आई. टी. आई. खोली गई हैं, उनमें 1956 तक केवल 2 आई. टी. आई. खोली गई थी। 5वीं योजना में 18 आई. टी. आई. खोली गई थी, छठी योजना में 13 आई. टी. आई. खोली गई थीं लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में इनकी संख्या को एकदम बढ़ाकर 22 कर दिया गया। तो वर्तमान में जो एस. सी. वी. टी. और एन. सी. वी. टी. के तहत इनके संचालन को देखा जा रहा है उस हिसाब से इनके सुदृढ़ीकरण को पहले देखना है बनिस्पत नई आई. टी. आई. खोलने के।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जहां मुख्य मन्त्रीजी बार-बार यह कहते हैं कि हम शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहन देंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जयपुर जिले में जो आई. टी. आई. आलरेडी चल रही हैं वे या तो जयपुर शहर में दो हैं, या कोटपूतली सब-डिवीज़न में दो हैं। चौमूं जयपुर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है जहां से जयपुर के लिए हर चीज मुहैया कराई जाती है। चौमूं के अन्दर आई. टी. आई. के भवन के लिए हमने बहुत निवेदन किया। हम घीया धर्मशाला देने को तैयार हैं। हमारे रामदासजी शर्मा साहब ने अपने पौत्र जिनका देहान्त हो गया था, की यादगार में एक ट्रस्ट बनाया है। उन्होंने अपने सारे भवन को राज्य सरकार को देने के लिए निवेदन किया है। जब हम भवन व्यवस्था करने को तैयार हैं, माननीय मन्त्रीजी ने कहा है कि इतने भवन तो किराये पर ले रखे हैं, जब हम आपको भवन उपलब्ध करा रहे हैं तो भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना में आप चौमूं में आई. टी. आई. खोलने का विचार क्यों नहीं रखते ? क्या आप ग्रामीण क्षेत्र को हमेशा ही नेगलेक्ट करते रहेंगे, जैसा पहले होता आया है ? और यह सरकार भी उसी तरह नेगलेक्ट रखना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रो. केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, 157 आई. टी. आईज. में कितनी ऐसी आई. टी. आईज. हैं जिनका नेशनल कौंसिल फोर वोकेशनल ट्रेनिंग का एफिलिएशन है ? और क्या यह सही है कि गंगानगर और अनूपगढ़ के छात्र पिछले 3 माह से हड़ताल पर हैं ? सेन्ट्रल की टीम ने इंस्पेक्शन कर लिया और मौजूदा एग्जामिनेशन का उन्होंने बायकाट कर दिया इसलिए कि वे पिछले 2 साल से मांग कर रहे हैं कि सैन्ट्रल से उनका एफिलिएशन हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्षजी, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां पर आई. टी. आई. खोलने के बारे में निवेदन किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जयपुर जिले में वर्तमान में 3 सामान्य आई. टी. आई. लड़कों के लिए और एक महिलाओं के लिए कार्यरत है। जयपुर में 19 ट्रेड्स कार्यरत हैं। एक आई. टी. आई. शाहपुरा में कार्यरत हैं जिसमें 4 ट्रेड्स हैं और एक आई. टी. आई. कोटपूतली में है जहां 3 ट्रेड्स खोले गये हैं। इस आधार पर जयपुर जिले की आवश्यकता के अनुरूप आई. टी. आई. पूरे हैं।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो वर्तमान में एन, सी. बी. टी. के जो छात्र हैं उनका एस. सी. बी. टी. से एफिलिएशन के बारे में कहा है। काफी लम्बे समय से झालावाड़ में, अनूपगढ़ व लाखेरी में कई छात्र इसके लिए हड़ताल पर हैं, आंदोलनरत हैं और उनकी 28 सितम्बर से जो एग्जामिनेशन होने वाली थी वह भी उन्होंने बायकाट कर रखी है। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के तहत चलने वाले आई. टी. आई. में दो तरह के ट्रेड्स हैं। एक तो एस. सी. बी. टी. के तहत चलने वाला ट्रेड और एक एन. सी. बी. टी. के तहत चलने वाला ट्रेड। एक ही आई. टी. आई. में दोनों तरह के ट्रेड्स हो सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि किसी आई. टी. आई. में 4 ट्रेड्स चल रहे हैं तो उनमें से एस. सी. बी. टी. के तहत जो प्रारम्भिक अवस्था में कोर्स को शुरू किया जाता है इसके बाद नेशनल कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग उनका इंस्पेक्शन करती है और उपलब्ध सयंत्र पूरे हों, भवन या दूसरी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी होती है तो उस इंस्पेक्शन के बाद उस ट्रेड को एन. सी. बी. टी. के तहत मान्यता दे दी जाती है। जिस ट्रेड को एन. सी. बी. टी. के तहत मान्यता दे दी जाती है उसके बाद उसका जो एस. सी. बी. टी. से फर्क है वह एक तो उनकी अप्रेंटिसशिप में रिलेक्सेशन मिल जाता है। यहां की एस. सी. बी. टी. से जो पास लड़का है उसको तीन साल का अप्रेंटिसशिप का कोर्स करना पड़ता है लेकिन एन. सी. बी. टी. को उसमें रिलेक्सेशन मिल जाता है। दूसरा फायदा है एन. सी. बी. टी. के तहत प्रमाण-पत्र या सर्टिफिकेट मिलने का है तो स्टूडेण्ड को स्टाईफेण्ड मिलता है। तीसरा एन. सी. बी. टी. के तहत जिस लड़के को प्रमाण-पत्र मिलेगा उसकी थ्रू-आउट कन्ट्री में मान्यता मिलेगी। उसी आधार पर काफी लड़के यह चाह रहे हैं कि एस. सी. बी. टी. में ही हमें एन. सी. बी. टी. का प्रमाण-पत्र

(डा. रतन लाल जाट)

दे दिया जाय। जहां-जहां ये छात्र आन्दोलनरत हैं, छात्रों ने जब प्रवेश लिया था चाहे वे लाखेरी हो, चाहे गंगानगर हो चाहे वह झालावाड़ हो, उन लड़कों को पहले ही यह क्लीयर था कि हम एस. सी. बी. टी. के प्रमाण-पत्र के लिए एडमिशन ले रहे हैं और उनको किसी प्रकार का यह आश्वासन नहीं दिया था कि उनको एन. सी. बी. टी. का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

इसलिए माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो एस. सी. बी. टी. के कोर्सेज चला रखे हैं, हमारा पूरा प्रयत्न है और बराबर हम एन. सी. बी. टी. से प्रयत्नशील हैं कि वे आकर समय-समय पर हमारा इंस्पेक्शन करें और उनके नोर्म्स पूरे होते हों तो उसके आधार पर वे हमें एन. सी. बी. टी. का एफिलिएशन प्रदान करें। उसी नाते हमने जुलाई, 1992 में आई. टी. आईज. के इंस्पेक्शन कराये हैं और हाल ही में जिन-जिन संस्थाओं में आन्दोलन चल रहा है, उन संस्थाओं के लिए भी हमने एन. सी. बी. टी. को लिखा है। उन्होंने अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में फिर इनके इंस्पेक्शन के लिए अपना प्रोग्राम भेजा है। हमें उम्मीद है कि हम एन. सी. बी. टी. के तहत कई संस्थाओं को मान्यता दिला सकेंगे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार यह कहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को महत्व देना चाहते हैं। जयपुर में हजारों रुपए प्रति गज की जमीन उपलब्ध नहीं है और सारे ट्रेड्स जयपुर में खोल रहे हैं एवं लड़के बाहर से आते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य उन्होंने बता दिया कि इनके पास रुपए 22 करोड़ है और 24 करोड़ सुदृढ़ीकरण के लिए चाहिए ? कहां से खोलेंगे ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हम जमीन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं और जयपुर में जमीन नहीं है व लड़के भी बाहर से आते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप दे रहे हैं मगर इनके पास रुपया ही नहीं है। गवर्नमेंट के प्लॉन में रुपया ही 22 करोड़ है और 24 करोड़ का खर्चा बता रहे हैं तो कहां से खुलेगा ? नेक्स्ट, श्री कल्लाजी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राज्य सरकार को तो 20 पर्सेन्ट देना पड़ता है बाकी का 80 पर्सेन्ट तो भारत सरकार को वहन करना होता है।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राजस्थान सरकार को तो मात्र 20 पर्सेन्ट देना पड़ता है बाकी तो भारत सरकार को देना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : मेरे यहां खोलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या करें, पैसा नहीं होगा तो नहीं खुलेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मेरे यहां बारां में जिला हैडक्वार्टर पर ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री कल्लाजी।

नई विद्युत परियोजनाएं

281. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में राज्य में कौन-कौन सी नई विद्युत योजनाएं शुरू की गयीं और उससे कितनी-कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की गई ?

(2) राज्य की धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सूरतगढ़, मांडलगढ़, तथा बरसिंगसर पलाना थर्मल पावर परियोजना में क्या प्रगति गत दो वर्षों में हुई है ? उसका सार-संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

(3) आगामी ढ़ाई वर्षों में राज्य सरकार किन-किन विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता से प्रारम्भ करने का विचार रखती है तथा उससे राज्य को कितनी-कितनी बिजली कब से मिलनी शुरू हो जावेगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री रामनारायण विश्नोई) : (1) गत दो वर्षों में राज्य में निम्नलिखित नई विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। इनसे उत्पादित की गयी विद्युत का ब्यौरा निम्न प्रकार है : –

परियोजना का नाम	क्षमता (मे. वा. में)	उत्पादित बिजली (लाख यूनिट में)	
		91–92	92–93 (अगस्त, 92 तक)
सूरतगढ़ लघु पन विद्युत परियोजना	4.0	4.06	24.36
आर.एम.सी. (माही–II) परियोजना	8.165	1.16	— विद्युत उत्पादन नहर में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धि पर निर्भर।
पूंगल विद्युत गृह नं.–11	0.65	—	इसे जुलाई, 92 में ही चालू किया गया है।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

(2) गत दो वर्षों में राज्य की धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सूरतगढ़, मांडलगढ़, बरसिंगसर तथा पलाना परियोजनाओं की प्रगति संक्षेप में परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) आगामी ढ़ाई वर्षों में राज्य सरकार निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है :—

(क) स्वीकृत योजनाएं

1. सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना (12×250 मे. वा.)

इस विद्युत परियोजना की 250 मेगा-वाट क्षमता की प्रथम इकाई पर प्रारंभिक कार्य शुरू किया जा चुका है तथा इससे 1996–97 में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

2. बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत परियोजना 12×120 मेगावाट।

3. पलाना लिग्नाइट तापीय परियोजना (12×60 मेगावाट) राज्य सरकार इन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में देने का विचार कर रही है। अतः इसका उत्पादन लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) अन्य नई विद्युत परियोजनाएं

उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा निम्नलिखित परियोजनाओं पर भी भारत सरकार से स्वीकृति मिलने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा : —

1.	रामगढ़ गैस आधारित (विस्तार) तापीय विद्युत परियोजना	160 मेगावाट 13×35.5 (1×53.5)
2.	धौलपुर तापीय विद्युत परियोजना	3×250 मे.वा.
3.	जाखम पन विद्युत परियोजना	5 मेगावाट (12×2.5)
4.	×चित्तौड़गढ़ तापीय विद्युत परियोजना	1×50 मे.वा.

×इस परियोजना हेतु मै. सैन्चुरी टैक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज बम्बई को लाइसेंस दे दिया गया है।

उपरोक्त परियोजनाओं के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् ही उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये जा सकेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में विद्युत और सिंचाई पर योजनाओं का लगभग 60 प्रतिशत पैसा व्यय होता है। गत दो-ढाई वर्षों में राज्य की विद्युत परियोजनाओं पर माननीय मंत्रीजी, आपने कितना पैसा खर्च किया ? राजस्थान में पिछले ढ़ाई वर्षों में हमारी जानकारी के अनुसार, अभी जो आपने जानकारी दी है उसके अनुसार, नगण्य नया विद्युत जनरेशन हुआ है। इससे उत्पादन और उपभोग में बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पढ़ने के लिए भी विद्युत मिलेगी या नहीं, उद्योगों की और इनकी बात तो छोड़िये। ऐसी स्थिति में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सूरतगढ़ लघु विद्युत परियोजना का उत्पादन आपने कब शुरू किया और यह योजना कब शुरू हुई ? पलाना तापीय विद्युत परियोजना 2 × 60 मेगावाट की स्वीकृति क्या आपको भारत सरकार ने सितम्बर, 1991 में दे दी थी और देने के बाद राज्य सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की ? आप वरसिंगसर पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट और पलाना तापीय विद्युत परियोजना को क्या राजस्थान विद्युत मण्डल के माध्यम से शुरू करने का विचार रखते हैं ? इसी के साथ ही क्या यह भी सही है कि माण्डलगढ़ विद्युत परियोजना 210 मेगावाट का आपने प्रोजेक्ट बनाकर भेजा था, राज्य सरकार ने, जिसके लिए 1989 में भारत सरकार के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह राज्य सरकार को लिख कर भेजा था कि आप इसकी चार-पांच इकाइयों की योजना बनाकर इकोनोमिकली-वायेबल प्रोजेक्ट बनाकर, इसका बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर भेजिये। आपने 1989 के बाद अब तक इन ढ़ाई वर्षों में, तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की ? और क्या आप माण्डलगढ़ विद्युत परियोजना को चार-पांच यूनिट का बनाकर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करेंगे ? इन प्रश्नों का उत्तर आ जाये, इसके बाद मैं दूसरे प्रश्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रथम तो सूरतगढ़ पन विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में पूछा है। यह परियोजना गंगानगर जिले में लखवाली गांव के पास इंदिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ शाखा पर स्थित है। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता चार मेगावाट है और इसे फरवरी, 1992 में चालू कर दिया गया है। अन्य प्रश्न माननीय सदस्य का सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना से संबंधित है और सूरतगढ़ तापीय विद्युत....

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी, अब बन रही है क्या बिजली, या बंद हो गई ? चार मेगावाट अब बनती है या एक बार शुरू होकर बंद हो गई ?

श्री रामनारायण विश्नोई : जुलाई, 92 से चालू हुई है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अब चल रही है क्या, बिजली ?

श्री रामनारायण विश्नोई : अब चल रही है, लखवाली में चल रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, यह सूरतगढ़ लघु पन व विद्युत परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ था ?

श्री रामनारायण विश्नोई : निर्माण शुरू हुए तो काफी अरसा हो गया, बीच में खराब भी हो गई थी, टूट भी गई थी, जो आपका प्रश्न नहीं है। अभी जुलाई, 1992 में इसका उत्पादन शुरू हो गया है, चार मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया है, चार मेगावाट का उत्पादन। जहां तक सूरतगढ़ तापीय परियोजना 2×250 मेगावाट का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को इसके बारे में तमाम सूचना प्रस्तुत कर दी है और इस सम्बन्ध में अभी पिछले साल बीस करोड़ रुपये राज्य सरकार की तरफ से सैंक्शन किये गये हैं। पन्द्रह करोड़ रुपये की धनराशि बी.एच.ई.एल. को टरबाइन और जनरेटर की आपूर्ति हेतु दे दी गई है और पांच करोड़ रुपये अन्य कार्यों में खर्च किये गये हैं। इस परियोजना के लिए आवश्यक उपकरण एवं कोयला पहुंचाने हेतु बिरदवाल रेल्वे स्टेशन से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी की बड़ी लाइन हेतु अग्रिम धनराशि का आंशिक रूप से भुगतान किया जा चुका है। परियोजना की जल आपूर्ति हेतु इंदिरा गांधी नहर से साठ क्यूसेक्स पानी पूर्व में भी आरक्षित कर लिया गया है। परियोजना के प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष वित्तीय सहायता हेतु विचाराधीन है। वित्तीय सहायता की स्वीकृति में समय लगने से परियोजना के क्रियान्वयन में देरी की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत मण्डल....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न ही नहीं पूछा है। मैंने केवल लघु पन विद्युतगृह के बारे में पूछा है और उसके बाद में पलाना और माण्डलगढ़ का पूछा है। यह सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह के बारे में बता रहे हैं, वह मैंने पूछा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पूछ रहे हैं, पलाना की स्वीकृति आपको 1991 में मिल गई थी? यह पूछ रहे हैं, 1991 में मिल गई थी स्वीकृति ?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सूरतगढ़ लघु पन विद्युत योजना के बारे में पूछा है जिसका मैंने जवाब दे दिया है, जुलाई, 1992 में....

श्री अध्यक्ष : हां, दे दिया। वह पलाना का पूछ रहे हैं कि स्वीकृति 1991 में मिल गई थी आपको ?

श्री रामनारायण विश्नोई : अन्य प्रश्न माननीय सदस्य का एक तो माण्डलगढ़ तापीय विद्युत परियोजना के संबंध में है। माण्डलगढ़ परियोजना का प्रतिवेदन 210 मेगावाट का तीन इकाइयों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 1984 में स्वीकृति हेतु भेजा गया था किन्तु उन्होंने मार्च, 1989 में इसको वापस लौटा दिया और यह सुझाव दिया कि इस परियोजना को तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए 210 मेगावाट की चार-पांच फाईव इकाइयों वाले बड़े विद्युत गृह का प्रतिवेदन बनाकर भेजें। चूंकि चित्तौड़गढ़ में 1,500 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु मैसर्स सेंचुरी टैक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं, अतः उक्त परियोजना के अनुमोदन व टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् ही माण्डलगढ़ विद्युत परियोजना के प्रस्ताव पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणी के अनुरूप आगे कार्यवाही की जायेगी। माननीय अध्यक्षजी,

(श्री रामनारायण विश्नोई)

जहां तक पलाना तापीय विद्युत परियोजना 2×60 मेगावाट का प्रश्न है, इस परियोजना का कार्य भी 2.11.87 के एम.ओ.यू. के तहत मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन को सौंपा गया था किन्तु इस परियोजना के कार्य में कोई प्रगति नहीं है अतः भारत सरकार ने राज्य सरकार को सितम्बर, 1991 में इस कार्य को राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र से कराने की स्वीकृति दी है। इसके तहत परियोजना प्रतिवेदन के पुनर्मूल्यांकन का कार्य मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कारर्पोरेशन से कराया जा रहा है। अब इस परियोजना को भी निजी क्षेत्र में दिये जाने का विचार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्षजी, सूरतगढ़, पलाना और माण्डलगढ़ में भी....

श्री अध्यक्ष : हो गया, मैं यही पूछ रहा था। हां-हां, पहले वह सैकण्ड सप्लीमैंट्री आ जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने जो जानकारी दी है उसमें आप देखिये, कितनी लचर दलील दी है कि चित्तौड़गढ़ विद्युत गृह को बनाने के लिए मैसर्स सैंचुरी प्राइवेट लिमिटेड, किसी कम्पनी को देने का विचार चल रहा है इसलिए माण्डलगढ़ के बारे में योजना ही भारत सरकार को नहीं भेजी। एक तरफ राजस्थान में विद्युत का भयंकर संकट है, कुओं को कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, ग्राम उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं और ढ़ाई वर्षों में एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए बहुत बड़ी घातक चीज है।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न यह करना चाहता हूं कि पलाना. बरसिंगसर तापीय विद्युत परियोजना को और साथ-साथ इस माण्डलगढ़ तापीय विद्युत गृह को कब तक अपने बोर्ड के माध्यम से आप शुरू करने जा रहे हैं ? आप सारे विद्युत गृहों को निजी क्षेत्र में देने का विचार करके, न तो निजी क्षेत्र आगे आ रहा है, न बोर्ड के माध्यम से आप राजस्थान में बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए आपके निर्णय नहीं करने की स्थिति से ढ़ाई वर्ष में विद्युत परियोजनाएं बहुत पीछे चली गई है। क्या आप बोर्ड के माध्यम से इनको शुरू करने का विचार रखते हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है–लघु पन विद्युत परियोजनाएं मांगरोल....

श्री अध्यक्ष : तीसरा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आर.एम.सी., माही फर्स्ट, पूंगल फर्स्ट, चारणवाला, बिसलपुर और इटावा, इन परियोजनाओं को आप कब शुरू कर देंगे और कब तक राजस्थान को इनसे बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री पारीक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सन् 1989 के अन्त तक आपकी सरकार ने कोई योजना ऐसी नहीं छोड़ी थी जिस योजना पर आपने काम चालू किया हो और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस काम को हमें पूरा करना है। यह सारी योजनाएं नये सिरे से ली जा रही हैं। आपने पलाना का जिक्र किया कि पलाना को मंजूरी मिल गई थी और सब कुछ हुआ, यह सही है कि नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन से एक एम.ओ.यू. हुआ था उसमें, लेकिन होने के बाद बरसिंगसर में उन्होंने अपना प्लांट लगाने की योजना बनाई। आपकी ही सरकार ने पहले एक एम.ओ.यू. उनसे, ड्राफ्ट तैयार किया। हमारी सरकार ने रेट कम करके, आपकी सरकार ने फैसला किया था, मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन, एक रुपये चौरानवें पैसे बिजली प्रति यूनिट के हिसाब से आपने एग्रीमेंट किया था। उस एक रुपये चौरानवें पैसे के एग्रीमेंट के आधार पर राजस्थान में कौन बिजली खरीदेगा, यह मेरे सामने समस्या खड़ी हुई तो हम उस बिजली की रेट घटाकर एक रुपये चालीस या पैंतालीस पैसे पर लाये, छियालीस पैसे पर और फिर हमने नया एम.ओ.यू. किया। उसके लिए जमीन हमने ले ली, जमीने लेने के बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने, नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन कितना इनवेस्टमेंट करेगा, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं की और उसके कारण से एन.एल.सी. विदड्रा कर ली गई गई।

उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरी कम्पनी से, अभी एक कोलमैन कं. आस्ट्रेलिया की आई है। भारत सरकार ने उसके लिए कहा है कि इसके लिए बातचीत की जाये और बातचीत चल रही है और बातचीत चलने में ज्योंहि नतीजा कुछ दिनों में निकल जायेगा, वह लोग काम करेंगे। अगर वह काम नहीं करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर से भी, कुछ लोगों से हमने बातचीत कर रखी है। दोनों को हमने अपनी कन्डीशन्स दी हुई हैं और जो भी हमारी कंडीशन्स को स्वीकार करेगा, उसको बरसिंगसर के प्लान्ट की योजना दे दी जायेगी।

आपने दूसरा धौलपुर के मामले में कहा। चित्तौड़गढ़ का क्वेश्चन और धौलपुर का क्वेश्चन है। कई बार इस संबंध में जितनी भी उन्होंने स्टेडीज करानी थी, लाखों रुपया हमने खर्च करके स्टेडीज करवाई है और दोनों एन्वायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास पड़ी हैं। यह स्टेडीज हमने भारत सरकार को दी है और प्रधान मंत्री जी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है और अभी उन्होंने एश्योरेन्स दिया है, आज के एक महीने पहले कि तीन महिने के अन्दर-अन्दर हिन्दुस्तान में एन्वायरनमेंट के मामले को लेकर ऐसी जो योजनायें विचाराधीन हैं, उन सब पर निर्णय करवा दिया जायेगा। हमने भी कुछ जानकारियां चाही गयी हैं, वह जानकारियां भेज दी गयी हैं। वह एक मामूली जानकारी, एक छोटी जानकारी है वह जिस समय भी चाहेंगे वह जानकारी उनको दे दी जायेगी। मैं तो आपसे चाहूंगा कि आप भी एक प्रतिनिधि मण्डल ले जाकर भारत सरकार से कम से कम....(व्यवधान)....मुझे तो बोलने दो। बीच में सारा ही प्रतिनिधि मण्डल यहां खड़ा हो गया, उससे काम थोड़े ही चलेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एन्वायरनमेंट के कारण से कुछ योजनायें पड़ी हैं और सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि अपने ही राज्य की नहीं, हिन्दुस्तान के लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के ऐसे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जिनसे फोरेन एड हमने प्राप्त कर ली और एन्वायरनमेंट क्लीयरेन्स नहीं हुआ। तो यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दुर्भाग्य कोई हमारे राजस्थान के साथ नहीं है। केन्द्र सरकार वह निर्णय नहीं करती है तो उसका भुगतान हमें भी करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ में गैस के मामले के अन्दर माननीय सदस्य बड़े चिन्तित हैं। यह सही है कि गैस के भण्डार हमें मिले हैं और मिलने के बाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि 125 मेगवावाट का पावर प्लान्ट वहां लगाये। उसके लिए भी आज तक इतने वर्षों में भारत सरकार ने गैस की कीमत क्या हो उसको तय नहीं किया है। अब जो कीमत तय कर रहे हैं उस कीमत से कोई भी राज्य सरकार नहीं ले सकती। जब से ओ.एन.जी.सी. ने ड्रिलिंग का काम शुरू किया है, सारा खर्चा इस गैस के ऊपर डालकर उससे वसूली करना चाहें, यह किसी भी राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है। यहां भी आप ताज्जुब करेंगे कि धौलपुर के मामले में मैंने कहा कि आप कोटा थर्मल प्लान्ट नहीं लगायें लेकिन कोयला ट्रान्सपोर्ट करने के कारण से यदि कोई एन्वायरनमेंट की खराबी होती है तो हमें गैस उपलब्ध करा दो। हिन्दुस्तान में 12 हजार करोड़ रुपये की गैस हर साल फ्लेयर-अप होती है, वह जलती है। उसकी तो चिन्ता नहीं है। बिजली उत्पादन के लिए गैस नहीं मिल रही है, इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से यह परियोजना जल्द स्वीकार हो जायेगी।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको चालू किया जाये, मैं आज आपको कह सकता हूं 15 पैसे यूनिट की दर बढ़ा कर उसको रिजर्व कर दो कि आज राजस्थान में जितने भी नये प्लान्ट्स लगेंगे यह पैसा सारा उसमें लगेगा, तो न तो वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा और न किसी प्राइवेट पार्टी के पास जाना पड़ेगा। उसी पूंजी को रिजर्व रख कर राजस्थान में इन प्लान्ट्स के निर्माण का काम शुरू किया जा सकता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं धौलपुर के बारे में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धौलपुर की मत बोलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो मैं कहां की बोलूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माण्डलगढ़ की बात करो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप ऐसा करिये, आप अपना कोई नया निर्वाचन क्षेत्र बता दीजिए उसके बारे में पूछ लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप माण्डलगढ़ की बात करो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप ही बतायें मैं क्या करूं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी का दिल्ली के हवाले से राजस्थान पत्रिका में एक वक्तव्य निकला था। दिल्ली के संवाददाता ने खबर दी थी कि धौलपुर तापीय बिजली परियोजना स्वीकृत हो गयी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्लानिंग कमीशन से।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब बड़ी कन्फ्यूजिंग स्थिति थी। आपने कहा प्लानिंग कमीशन से हो गयी। बड़ी खुशी की बात है। चलो एक हर्डल तो पार हुई प्लानिंग कमीशन से मन्जूर हुई। मेरा आपसे निवेदन यह है कि इसके अन्दर आपने जो हमें सूचना दी है तो एक लेखनऊ का मामला आ गया है इसके अन्दर प्रधान मंत्री जी ने लिखा है "वांछित सुरक्षात्मक उपाय सहित स्वीकृति करने का एक आश्वासन दिया है।" वांछित सुरक्षात्मक उपाय सहित स्वीकृत करने का आदेश दिया प्रधान मंत्रीजी ने, ऐसा लिखा है। इसको अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो वह चीज सामने आ जाये। हमारा निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर आपको सहयोग करना चाहते हैं, राजस्थान के अन्दर हम दोनों ने मिलकर अगर प्रयत्न नहीं किया तो जनरेशन और डिमाण्ड का इतना बड़ा गैप होने वाला है कि राजस्थान के लोगों को अगले साल से ही कठिनाई का भयंकर अनुभव हो जायेगा। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आपकी मार्फत सरकार से कि इस मामले में आपको अभी से शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा राजस्थान के अंधकार में डूबने की पूरी सम्भावना आपके राज्य में है। ऐसा मेरा कहना है आपसे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर तापीय परियोजना को 1984 दिसम्बर से....

श्री अध्यक्ष : आगे सवाल नहीं लेने हैं तो सबसे बुला लूंगा। 5 मिनट शेष हैं। एक सवाल लेना हो तो लेता हूं वरना आप सब पूछिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इसमें सारी स्थिति माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी है। यह डिबेट का पाइन्ट नहीं है....

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा की विद्युत परियोजनाएं नहीं छोड़ी। कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो थर्ड फेज है....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री मदनलाल सैनी।

लोक अभियोजकों हेतु कार्यालय व्यवस्था

282. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढा) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सहायक लोक अभियोजकों के लिए न्यायालय परिसर में ही कार्यालय व चेम्बर हेतु भवन उपलब्ध है? यदि हां, तो कितने भवन न्यायालय के अनुपात में उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? अब उक्त भवन कब तक निर्मित कर दिये जाने का सरकार का विचार है?

राज्य मंत्री, न्याय (श्री शांतिलाल चपलोत) : न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन विभाग के

(श्री शांतिलाल चपलोत)

सहायक लोक अभियोजकगण के कार्यालय के लिए न्यायालय जिला कलेक्टर परिसर में केवल जिला मुख्यालय जयपुर, झुंझुनूं, नागौर पाली, सीकर में अभियोजन विभाग के स्वयं के निर्मित अभियोजन भवन उपलब्ध हैं।

राजस्थान में कुल 416 न्यायालय हैं जिनमें अभियोजन विभाग के सहायक लोक अभियोजक पैरवी करते हैं जो 173 स्थान पर स्थापित हैं। जैसे जैसे भूमि एवं बजट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तदनुसार ही विभाग की स्वयं के भवन निर्माण कराने की योजना है।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष जी, एक दो बातें मैं पूछना चाहता हूं। 416 न्यायालय में से 173 न्यायालय ऐसे हैं जहां लोक अभियोजक जो गरीब लोगों की ओर से पैरवी करते है, उनके लिए स्थान उपलब्ध है और बाकी के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है। जरा समयबद्ध कुछ स्थिति बता सकेंगे कि कब तक या एक साल में कितना हम इस पर बजट स्वीकृत करते हैं लोक अभियोजकों के लिए राजस्थान के उन क्षेत्रों में जहां कार्यालय उनके लिए नहीं हैं बनाने के लिए और क्या हमारे पास ऐसी भूमि उपलब्ध है जहां हम नये लोक अभियोजकों के कार्यालय बना सकेंगे ? क्या यह कार्यालय नहीं होने से उनके काम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो रहा है ?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, 416 जो न्यायालय हैं उनमें से कहीं-कहीं पर तो सात-सात और आठ-आठ भी हैं। केवल 173 स्थानों पर, न्यायालय ऐसे स्थानों पर हैं जहां कि उनके भवन उपलब्ध है। इसका अर्थ यह है कि 173 स्थानों पर उनके भवन उपलब्ध हैं। जैसे जयपुर है, यहां 40 न्यायालय हैं तो उनका भवन एक है. अब इस प्रकार से तय किया जा रहा है कि जब भी न्यायालय नया खोला जायेगा उसके साथ ही ए.पी.पी. का भवन भी बनाया जाये। इस प्रकार का प्रयास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, पांच सैकिण्ड बाकी हैं। प्रश्न संख्या 283

श्री अध्यक्ष : समाप्त हो गया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

(12.00 मध्यान्ह)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 383

(स्थगित)

खण्डार से बालेर सड़क निर्माण कार्य की जांच

384. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खण्डार से बालेर तक बनास नदी के पास अकाल राहत के तहत सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उसमें क्वारी

(श्री चुन्नीलाल)

रविश 6" के बजाय 3" ही डाली गई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर से खण्डार तक वर्षात में खराब हुई सड़कों को बचाने के लिए कम्पाउण्ड वाल बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका ठेका किस-किस ठेकेदार को दिया गया ? कम्पाउण्ड वाल की निर्धारित माप क्या है इस पर कितनी धनराशि खर्च किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या उपरोक्त कार्यों में ए. ई. एन. सवाई माधोपुर उपखण्ड III सा. नि. वि. द्वारा ठेकेदारों से मिली भगत कर करवाई जा रही अनियमितताओं के संबंध में जांच करवाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, खण्डार से बालेर तक बनास नदी के पास अकाल राहत कार्यों के तहत वर्ष 1991–92 में सड़क निर्माण कार्य किया गया था। दिनांक 31.7.92 को अकाल राहत कार्यों के बंद हो जाने पर यह कार्य भी बंद कर दिया गया। उक्त सड़क की लम्बाई 900 मीटर है, जिस पर 360 मीटर की लम्बाई व 4.75 मीटर चौड़ाई में 8" मोटी (औसत) क्वारी रविश बिछाई गई तथा 525 मीटर लम्बाई व 5.50 मीटर चौड़ाई में 3" मोटाई में ही क्वारी रविश बिछाना सम्भव हो सका। क्योंकि अकाल राहत कार्य बंद होने के स्तर पर थे अतः उपरोक्तानुसार कार्य करवाया गया।

(2) जी नहीं। वर्षा से सड़क को होने वाली क्षति से भविष्य में बचाव हेतु सवाई माधोपुर से खण्डार तक वर्षा में सड़क के किमी 12,13 व 14 में हुई क्षति के कारण प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कार्य का ठेका श्री हमीद खां संवेदक को दिनांक 23.5.92 को 96130/–रुपये का आवंटित किया गया जिसमें एक पुलिया का निर्माण भी सम्मिलित हैं। प्रोटेक्शन वाल मौके की स्थिति के अनुसार लगभग 90 मीटर लम्बाई में बनाई जा रही है। इस कार्य की अनुमानित लागत रुपये 1.00 लाख है।

(3) जी नहीं। उक्त कार्य स्वीकृति के अनुसार कराया जा रहा है। अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

सामान्य चिकित्सालय, प्रतापगढ़ का भवन निर्माण

385. **श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़, सामान्य चिकित्सालय का जो नया भवन बन रहा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा कब तक बन कर तैयार होना प्रस्तावित है ?

(2) इस भवन में निर्माण की किस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है ? क्या निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी (जे. ई. एन.) के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नया अस्पताल भवन प्रतापगढ़ की पूर्व स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है। यह निर्णय लिया गया है कि एक वार्ड (17 बिस्तर) एवं किच ब्लॉक के साथ एक टायलेट ब्लॉक का निर्माण होने पर ही यहां पर चिकित्सालय स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस कार्य की लागत रुपये 6.40 लाख के एवज में जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्बन्ध योजना के तहत रुपये 4.50 लाख की स्वीकृति दी है तथा रुपये 2 25 लाख जमा करवाये गये है। इस वार्ड का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिसको पूरा करने की तिथि 31-3-93 निश्चित की गई है।

(2) इस भवन के निर्माण की जिम्मेदारी अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. खण्ड प्रथम चित्तौड़गढ़ के अधीन सहायक अभियन्ता उपखण्ड प्रतापगढ़ की है। जमाशुदा एवं स्वीकृति राशि के तहत प्रथम चरण पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य के निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही की कोई शिकायत नहीं है।

कुशलगढ़ क्षेत्र की सड़कें

386. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुशलगढ़ से भोयन घाटी रोड़ स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ भोयन घाटी सड़क (रोड़) पर पूर्व में लाखों रुपया खर्च किया गया है ? क्या राज्य सरकार उक्त सड़क स्वीकृत करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क को गत वर्ष जे. आर. वाई. II में चालू की थी क्या राज्य सरकार अधूरी सड़क को इस वर्ष पूर्ण कराये जाने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र की निम्न सड़कों को स्वीकृत कर पूर्ण कराने का विचार रखती है ? 1. रामगढ़ से वसुनि, 2. बावलीया पाडा से बस्सी, 3. सानसेरा से बोरकुण्ड, 4. मस्का मुदडी से टाडी 5. भैंर से जालिमपुरा 6. उकाला से वसुनी, 7. बावलीया पाडा से माहेश्मपुरा, 8. कसारबाडी से गुन्दी, 9. इटाला से कलींजरा 10. हिम्मतगढ़ से उकाला। यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सड़क कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुशलगढ़ से भोयनघाटी 25 कि. मी. लम्बी है तथा वर्तमान में 5 कि. मी. डामर, 1.5 कि. मी. मेटल तथा 10.5 कि. मी. ग्रेवल सड़क बनी हुई है।

(2) इस सड़क पर पूर्व में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1987 में मैं रुपया 6.37 लाख, वर्ष 1991-92 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत रुपया 10.50 लाख तथा वर्ष 1992-93 में जवाहर योजना द्वितीय के अन्तर्गत रुपये 6.86 लाख खर्च किये गये। यह सड़क पूर्व

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

में ही बनी हुई है, फिलहाल डामर सड़क बनाने की स्वीकृति सम्भव नहीं है। इसको पूर्ण डामर युक्त सड़क बनाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(3) जी हां। सड़क को क्रमोन्नत करना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(4) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में।

1. रामगढ़ (364) से वसुनी (893)
2. बावलिया पाड़ा (731) से बस्सी (1406)
3. सानसेरा (198) से वोरकुण्डा (347)
4. मस्का महुडी (910) से टाण्डी (1134)
5. भेर (342) से जालीमपुरा (635)
6. उकाला (321) से वसुनी (893)
7. बावलिया पाडा (731) से मोहकमपुरा (593)
8. कसारवाड़ी (1271) से मुन्दी (398)
9. इटाला (1849) से कलिजरा (1851)

10. हिम्मतगढ़ (134) से उकाला (321) सड़कों को पूर्ण डामरयुक्त सड़क बनाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1000 (1971) तथा ऊपर की आबादी वाले गांवों की योजना अवधि में डामर की सड़क से जोड़ने की योजना विचाराधीन है।

जिला सवाई माधोपुर की स्वीकृत सड़कें

387. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1991 एवं 1992 में सड़कों एवं पुलियाओं के लिए कितना पैसा दिया गया ? स्वीकृत राशि में से किस पद में कितनी राशि खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से अब तक कितनी सड़कें एवं पुलिया बनाई गई और कहां व किसके द्वारा बनाई गई ? इनमें से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भविष्य में उक्त क्षेत्र में कौन–कौन सी सड़क एवं पुलिया निर्माण का सरकार विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मेंहदीपुर के बालाजी का बाईपास कहां होकर बनेगा और कब तक बनेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 90-91 एवं 91–92 में सड़कों एवं पुलियाओं के लिए आवंटित बजट तथा खर्च की गई राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से जून 1992 तक जो सड़कें व पुलियां बनाई गई हैं उसका विवरण "ख" में संलग्न है।

सड़कों व पुलियाओं का निर्माण सा. नि. वि. द्वारा संवेदकों एवं विभागीय तौरपर कराया गया है, अपूर्ण कार्यों का विवरण भी परिशिष्ट "ख" में दर्शाया गया है।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1000 वर्ष 1971 की जनगणना के ऊपर के गांवों को जोड़ने की योजना है। उसका विवरण तैयार किया जा रहा है।

(4) मेहंदीपुर के बालाजी के बाईपास रोड़ का निर्माण योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं निर्धारित मापदण्डों एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

सवाई माधोपुर के ग्रामों को सम्पर्क सड़क से जोड़ना

388. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विश्व बैंक की सहायता से एक हजार की आबादी वाले गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ? यदि हां तो राज्य सरकार को कितना रुपया उक्त सड़कों को जोड़ने के लिए विश्व बैंक से मिला ?

(2) क्या राज्य सरकार के पास सवाई माधोपुर जिले के अन्तर्गत आने वाले गांव भी विचाराधीन हैं ? यदि हां तो वे कौन-कौन से गांव हैं जो कि विश्व बैंक की सहायता से जोड़े जाने प्रस्तावित है ? और स्वीकृति जारी होनी हैं ?

(3) क्या सरकार के पास तहसील हिण्डौन के अन्तर्गत आने वाले गांवों रोंजवास व पाली भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति कब तक जारी होनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि विस्तार योजनान्तर्गत एक योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है जिसका वित्तीयन विश्व बैंक द्वारा किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों में 1971 की जनगणनानुसार 1000 या अधिक जनसंख्या वाले उन गांवों को सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है जो अभी तक किसी भी तरफ प्रकार से की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। इस योजनान्तर्गत सड़कों के कार्य करने हेतु विश्व बैंक से अनुबन्ध होना बाकी है अतः कोई धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। इस योजनान्तर्गत प्रथम फेज में सवाई माधोपुर जिले के जिन गांवों को सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है उनकी सूची प्रपत्र "क" में सलंग्न है।

(3) जी नहीं। इन गांवों की आबादी 1971 की जनगणनानुसार 1000 या उससे अधिक नहीं हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

सेवर से कुम्हेर सड़क की मरम्मत

389. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेवर से चितोकरी, पपरेरा होते हुए कुम्हेर जाने वाली सड़क का चितोकरी के पास का टुकड़ा, जहां से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क शुरू होती है, बहुत ही खराब है, जिसके कारण चितोकरी से आगे इस सड़क पर वाहन आ-जा ही नहीं सकते ? यदि हां, तो यह टुकड़ा कितने दिन से खराब पड़ा है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले दिनों सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खराब पड़ी सड़कों की मरम्मत का अभियान चलाया गया था और यह दावा किया गया था कि जिले की सभी सड़कों की मरम्मत कर दी गई है ? यदि हां, तो इस सड़क के इस छोटे से टुकड़े की मरम्मत क्यों नहीं की गई जिसकी खराबी की वजह से पूरी सड़क ही अनुपयोगी हो गई है ?

(3) क्या अब निकट भविष्य में उक्त सड़क की मरम्मत कराने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चित्तोकरी गांव जहां से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क शुरू होती है, उस स्थान पर 250 मीटर लम्बाई में सड़क निर्मित नहीं है। न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 22-9-86 एवं निर्णयन दिनांक 10-4-89 के कारण सड़क निर्माण रुका हुआ है। सड़क के शेष भाग की स्थिति संतोषप्रद है।

(2) जी हां। यह सही है कि पिछले दिनों खराब सड़कों की मरम्मत का अभियान चलाया गया था। उपरोक्त वर्णित सड़क भाग पर न्यायालय के निर्णयन के अनुसार कथित भू-भाग पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार।

जिले नागौर की निर्माणाधीन सड़कें

390. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कितनी किलोमीटर लम्बाई की डामर सड़कें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले में कितनी किलोमीटर ग्रेवल (मुरड़िया) सड़कें हैं ?

(3) जिले में कौन कौन सी सड़कें कहां से कहां तक की डामरीकरण व ग्रेवलिंग है व करने हेतु स्वीकृत हैं जिनका टेण्डर हो चुका है व कार्य शुरू नहीं किया है ? यदि हां, तो अब कार्य कब तक शुरू हो जायेगा व इस वर्ष डामरीकरण व ग्रेवलिंग कहां से कहां तक करना प्रस्तावित है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में पी.डब्लू.डी. के अन्तर्गत 2044 कि.मी. लम्बाई की डामर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की सड़कें है। जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) नागौर जिले में कुल 1042 कि. मी. लम्बाई की ग्रेवल की सड़कें है। जो सा. नि. वि. की मरम्मत सूची में हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) नागौर जिले में वर्ष 1992–93 में डामरीकरण की जाने वाली सड़कों की सूची परिशिष्ट "ब" में व शेष सूचना परिशिष्ट "स" में अंकित है।

वर्ष 1992–93 में ग्रेवलीकरण करने के प्रस्ताव की सूची परिशिष्ट "ड" में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम सम्पर्क सड़क निर्माण के मानदण्ड

391. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी ग्राम के लिए सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु क्या मानदण्ड अपनाया जा रहा है ?

(2) सरकार प्रदेश के पंचायत मुख्यालयों को कब तक एवं किस योजना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों से जोड़ देने का विचार रखती है ?

(3) क्या पंचायत मुख्यालयों को जनसंख्या के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी या दूरी के आधार पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी ग्राम के लिए सम्पर्क सड़क हेतु योजना आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड को अपनाया जा रहा है। इस मापदण्डानुसार जिन गांवों की आबादी 1971 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक है उन ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पर्क सड़कों से जोड़ा जा रहा है।

(2) सरकार प्रदेश के पंचायत मुख्यालयों को आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अन्त तक राज्य योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है।

(3) जिन पंचायत मुख्यालयों की आबादी 1971 की जनगणनानुसार 1000 से अधिक है उन पंचायत मुख्यालयों को जनसंख्या के आधार पर व जिनकी आबादी 1000 से कम है उन पंचायत मुख्यालयों को दूरी के आधार पर सम्पर्क सड़कों से जोड़ा जाने की योजना है।

जिला झालावाड़ की साकरिया पुलिया का निर्माण

392. **श्री बाल चन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले की साकरिया की पुलिया का निर्माण कार्य कब से चल रहा है, तथा उसमें अब तक कितनी धन-

(श्री बाल चन्द आर्यवीर)

राशि व्यय हो चुकी है ? उक्त पुलिया हेतु कितना बजट स्वीकृत हुआ था ?

(2) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार के सारे बिलों का पेमेन्ट हो चुका है और पुलिया का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों की लापरवाही से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की सांकरिया पुलिया का निर्माण कार्य 21.1.90 से चल रहा है, तथा अब तक इस पुलिया के निर्माण पर 31.52 लाख रुपये की राशि व्यय हो चुकी है। इस पुलिया के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति 50.00 लाख रुपये तथा तकनीकी स्वीकृति 49.05 लाख रुपये की थी।

(2) ठेकेदार को उसके द्वारा किये गये गत कार्यों का भुगतान ही किया गया है। कार्य अभी अधूरा है। ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न कर सकने के कारण अनुबन्ध के अनुसार क्लॉज 2 व 3 (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु मुख्य अभियंता द्वारा अंतिम शो कॉज नोटिस दिया जा चुका है एवं अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही कर इस कार्य को ठेकेदार से अथवा दूसरी एजेन्सी से पूरा कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

नागौर से अजमेर सड़क मार्ग का डामरीकरण

393. **श्री मोहन लाल बारुपाल** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर से अजमेर के बीच रेढ़-चम्पाखेड़ी-अरनियाला लाम्पोलाई कोई सड़क निर्मित है ?

(2) यदि हां तो क्या इस सड़क से अजमेर-नागौर की दूरी कितने किलोमीटर कम होती है ?

(3) यदि दूरी कम होती है, तो इस सड़क का डामरीकरण क्यों नहीं किया गया ? क्या इस सड़क पर डामरीकरण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, नागौर से अजमेर के बीच रेन से चम्पाखेड़ी-अरनियाला-लाम्पोलाई तक 23 किमी. सड़क निर्मित है, जिसमें से 4 किमी. डामर, 13 किमी. मैटल व 6 किमी. ग्रेवल हैं।

(2) अजमेर से नागौर वाया मेड़ता-सिटी 162 किमी. है व वाया चम्पाखेड़ी, अरनियाला लाम्पोलाई 152 किमी. है इस मार्ग से अजमेर से नागौर की दूरी 10 किमी. कम होती है।

(3) वर्तमान में इस सड़क पर डामरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः यह सड़क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों में नहीं आती। इस सड़क पर डामरीकरण भविष्य में योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

काली सिंध नदी पर सड़क मार्ग का विस्तार

394. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्षाकाल में काली सिंध नदी के कारण कोटा-बारां मार्ग अवरुद्ध होने से एकमात्र सड़क मार्ग नहर पर होकर ही है ? यदि हां, तो क्या नहर से पलायता तक की सड़क ट्रकों के आवागमन योग्य है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्षाकाल में इस मार्ग पर आमने-सामने की विपरीत दिशाओं से आने वाले ट्रक नहीं निकल सकते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तीन किलोमीटर सड़क को चौड़ा करके आवागमन सुगम बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि वर्षाकाल में काली सिंध नदी के कारण कोटा बारां मार्ग अवरुद्ध होने से एक मात्र सड़क नहर पर होकर ही है। नहर से पलायता तक की सड़क हल्के वाहनों के आवागमन योग्य है।

(2) जी हां, वर्तमान में इस सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। काली सिंध नदी पर पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुल के निर्माण के पश्चात इस सड़क मार्ग की सार्थकता नहीं रहेगी।

बीकानेर में डाक बंगले का भवन निर्माण

395. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजपूत छात्रावास बीकानेर भवन के आगे की ओर नगर विकास न्यास, बीकानेर की भूमि पर डाक बंगले के निर्माण कार्य को स्वीकार किया गया ? यदि हां, तो क्या इस कार्य के ऊपर मिलिट्री कोर्ट द्वारा कोई स्थगन आदेश दिया गया है ? गत ढाई वर्षों में उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ? उक्त डाक बंगले का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(2) क्या विभाग मिलिट्री के उच्चाधिकारी के साथ विचार करने का प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजपूत छात्रावास भवन बीकानेर के आगे नगर विकास न्यास बीकानेर की भूमि पर डाक बंगले का निर्माण कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की थी। बाद में निर्माण समय मिलिट्री कोर्ट द्वारा दि. 27-4-89 को स्थगन आदेश दिया। स्थगन आदेश निरस्त करवाने के लिए दि. 10-5-89, 1-6-89, 6-6-89, 23-10-89, 9-3-90, 6-4-90, 18-4-90, 4-5-90, 11-5-90, 23-7-90, 7-9-90, 16-1-91 व 30-10-91 को उपस्थिति दी और भूमि सम्बन्धित रिकार्ड प्रस्तुत किये। इसके बाद मिलिट्री कोर्ट द्वारा अभी तक तारीख निश्चित नहीं

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की है। स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधीश बीकानेर द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जिलाधीश बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 21-4-92 द्वारा कमिश्नर गृह विभाग राज्य सरकार से निवेदन किया है कि वे अपने स्तर पर रक्षा विभाग, भारत सरकार से निवेदन कर सरकारी भूमि पर मिलिट्री द्वारा अनाधिकृत कब्जे को हटवाने हेतु कार्यवाही करवावें। सा. नि. वि. द्वारा दिनांक 6-7-92 के पत्र द्वारा शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान को कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।

जिला नागौर की नगरपालिकाओं में सड़क निर्माण

396. **श्री हरिश्चन्द्र कुमावत (नावां) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले की नगरपालिकाओं की सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत सम्बन्धित नगरपालिकाओं की सलाह/योजना के अनुसार निर्माण करने का प्रावधान/आदेश था ? यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों में समस्त सड़क निर्माण कार्य नगरपालिकाओं की योजना/सलाह के आधार पर किया गया ? यदि नहीं, तो क्या बगैर नगरपालिकाओं की सहमति/योजना प्राप्त सीधा मनमर्जी से सड़कें निर्माण करने का अधिकार पी. डब्ल्यू. डी./जिलाधीश, नागौर को था ?

(2) उक्त सड़क निर्माण करने की स्वीकृति की प्रतिलिपियां नगरपालिकाओं के अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सड़क निर्माण कार्य जिलाधीश, नागौर के निर्देशों के अनुसार किया गया ? यदि हां, तो जिलाधीश, नागौर द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले की नगरपालिका की सड़कों का निर्माण एवं विशेष मरम्मत के कार्यों की जो प्रशासनिक स्वीकृतियां प्राप्त हुई उनमें सम्बन्धित नगरपालिकाओं की सलाह योजना के अनुसार निर्माण कराने के आदेश थे। निर्देशानुसार ही गत 2 वर्षों में सा. नि. वि. खण्ड नागौर द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक की सलाह के अनुसार कार्य करवाये गये। डीडवाना में नगरपालिका क्षेत्र कुचामन सिटी एवं नावां के क्षेत्र में बनाई जाने वाली सड़कों के लिये भी ऐसी सलाह दी गई। नगरपालिका लाडनूं परबतसर एवं डीडवाना के क्षेत्र में बनाई जाने वाली सड़कों के लिये सम्बन्धित नगरपालिका अध्यक्ष/प्रशासक से सहमति ली गई।

(2) उक्त सड़क निर्माण की स्वीकृतियां नगरपालिकाओं के अनुसार परिशिष्ट "अ" एवं "ब" के अनुसार संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सड़क निर्माण

397. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विश्व बैंक की सहायता से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में कितनी सड़कें इस वर्ष स्वीकृत की गई हैं ?

उत्तर

1 विश्व बैंक की सहायता से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में कोई भी सड़क अभी स्वीकृत नहीं की गई है।

शिवगंज (सिरोही) क्षेत्र के उपकेन्द्र

398. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही शिवगंज विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने गांव हैं, जहां चिकित्सा सेवाओं हेतु उपकेन्द्र (सब सेन्टर) तो स्वीकृत हैं, किन्तु भवन नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही हैं कि उपकेन्द्रों के भवन के अभाव में गांवों में ए.एन.एम. नहीं रहती ?

(3) ऐसे गांव जहां भवन के अभाव में सब सेन्टर बन्द रहते हैं, वहां भवन बनवाने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, उपकेन्द्रों के भवनों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ताकि उन गांवों में ए.एन.एम. रह सकें।

(3) सिरोही, शिवगंज विधान सभा क्षेत्र में ऐसा कोई ग्राम नहीं है। जहां भवन के अभाव में सब सेन्टर बंद रहते है। जहां राजकीय भवन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहां वैकल्पिक भवन व्यवस्था की हुई है।

योजना मद में अमुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ भी इन स्थानों के बारे में विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

कोटा महारावल भीमसिंह अस्पताल के शिशु वार्ड

399. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा के महारावल भीमसिंह अस्पताल के शिशु वोर्ड में विगत 5 साल में कितने बच्चों की मौतें हुई ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा इन असामान्य संख्या में हुई मौतों के संबंध में कोई जांच करवाइ गई हैं ? यदि हां, तो मौत के क्या कारण सामने आये ? यदि नहीं, तो क्या अब राज्य सरकार जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कोटा के महाराव भीमसिंह

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सालय के शिशु वार्ड में विगत 5 वर्षों में हुई मौतों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	मौतें	कुल भर्ती
1. 1987	216	4217
2. 1988	263	5246
3. 1989	278	4806
4. 1990	305	5355
5. 1991	398	5892
6. 1092 अगस्त 92 तक	204	4024

(2) जी नहीं। शिशु वार्ड में भर्ती बच्चें की संख्या के अनुपात में मृत बच्चों की संख्या असामान्य नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला टौंक में कार्यरत चिकित्सा स्टाफ के विरुद्ध शिकायतें

400. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि उच्च अधिकारियों तथा राज्य सरकार को टौंक जिले में कार्यरत डाक्टर, कम्पाउन्डर्स के विरुद्ध रिश्वत लेने, भ्रष्टाचार तथा पद का दुरुपयोग, सरकारी राशि का भवन करने आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतकर्ताओं के नाम व दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो इसके क्या कारण रहे? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिकायतकर्ताओं के नाम व दिनांक सहित विवरणिका सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) शिकायत पर जांच की गई एवं जांच के निष्कर्ष के आधार पर कुछ में कार्यवाही की गई तथा कुछ जांच विचाराधीन है। विवरण अंश एक में अंकित विवरणिका में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, सुजानगढ़

401. **श्री भंवर लाल** (सुजानगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ शहर के मध्य राजकीय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र चल रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि इस केन्द्र के लिए भवन, दानदाता द्वारा राज्य सरकार को दान में दिया था, जिसमें आज भी यह संस्था चल रही है? दानदाता तथा राज्य सरकार के बीच उक्त भवन को दान में देने सम्बन्धी कागजात व अनुबन्ध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को एक बार दान में दी गई कोई भी वस्तु

(श्री भंवरलाल)

भवन, जमीन आदि वापिस दानदाता नहीं ले सकता है ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ दिनों पूर्व चिकित्सा मंत्री महोदय के कर कमलों से ही एक नये अस्पताल भवन का सुजानगढ़ में शिलान्यास किया गया था जो कि किसी दानदाता द्वारा बनाया जा रहा है तथा बनने के बाद उसमें इस मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को स्थानान्तरित कर दिये जाने का अनुबन्ध या आश्वासन राज्य सरकार ने दिया है ? यदि हां, तो क्या ? अनुबन्ध की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या राज्य सरकार सुजानगढ़ के मध्य संचालित इस मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को नये भवन में स्थानान्तरित करेगी या भवन में नया सरकारी अस्पताल खोला जायेगा ? यदि स्थानान्तरित किया जायेगा, तो पुराने भवन का क्या उपयोग किया जावेगा ?

(6) क्या अभी चल रहे भवन में कोई नयी इकाई संचालित होगी जैसे ब्लड-बैंक, सब-सेंटर/एडपोस्ट या अन्य कोई भी कार्यालय ताकि लाखों की सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके ?

(7) क्या सरकार ने उक्त भवन को वापिस दानदाता को दिये जाने हेतु कोई आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो क्यों तथा किन नियमों के तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, 17-5-1954 से

(2) जी हां, दानदाता के प्रस्ताव के अनुसार दानदाता द्वारा 20 हजार रु. चालान दिनांक 3-5-53 द्वारा राज्यकोष में जमा करा कर दिया गया तथा प्रस्तावित भवन विभाग को सौंप दिया गया। चालान की फोटो प्रति संलग्न हैं । दानदाता एवं सरकार के बीच उक्त भवन को दान में देने सम्बन्धित कागजात उपलब्ध नहीं हैं । दान पत्र की प्रतिलिपि दानदाता से मंगवाई जा रही हैं ।

(3) दानदाता के साथ हुए समझौते के अनुसरण में कार्यवाही करनी होती है ।

(4) जी हां, प्रति संलग्न है ।

(5) वर्तमान में संचालित मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को नव निर्मित भवन में स्थानान्तरण किया जावेगा तथा पुराने भवन के विषय में दानपत्र के निर्णीत शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(6) जी नहीं ।

(7) दानपत्र की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(सूची अस्पष्ट होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला गंगानगर के क्षय रोगियों का सर्वेक्षण

402. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में क्षय रोग की चिकित्सा के लिए कितने स्थानों पर व्यवस्था है ? जिले में 1985 से क्षय रोग

(श्री हेतराम बेनीवाल)

के रोगियों की संख्या कितनी थी और 1992 में कितनी है ?

(2) जिले में क्या कभी क्षय रोगियों और जहां रोग का प्रकोप ज्यादा है, उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप है तथा सरकार ने उसके लिए क्या कार्यक्रम बनाये हैं ?

(3) पिछले दो वर्षों में कितनी दवाइयां क्षय अस्पतालों को सप्लाई की गई तथा उनका कुल मूल्य कितना था ? प्रति वर्ष पिछले 5 वर्षों में एक्सरे रोल कितने दिये गये ?

(4) एक्सरे मशीनें क्षय विभाग के लिए कितनी हैं, उस पर कितने टेक्नीशियन काम करते हैं ? पिछले दो वर्षों में कितनी बार मशीनें खराब रही हैं तथा मरीजों के एक्सरे कहां से करवाये गये ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में क्षय रोग की चिकित्सा के लिये 25 स्थानों पर व्यवस्था है। वर्ष 1985 में खोले गये कुल क्षय रोगियों की संख्या 2910 तथा वर्ष 1992 में माह अगस्त तक 1024 क्षय रोगी खोजे गये।

(2) जी नहीं।

(3) पिछले दो वर्षों में क्षय अस्पतालों को सप्लाई की गई दवाओं का मूल्य 12,11,500 रु. है। सूची संलग्न हैं। प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये गये एक्स–रे रोल का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	एक्सरे रोल की संख्या
1987–88	150
1988–89	356
1989–90	70
1990–91	105
1991–92	100

(4) क्षय विभाग के लिये श्रीगंगानगर में एक एक्सरे मशीन तथा एक टैक्नीशियन कार्यरत हैं। एक्सरे मशीन 16–5–90 से 19–6–90 तक खराब रही है, इस अवधि में रोगियों का एक्सरे जनरल अस्पताल, श्रीगंगानगर में ही कराया गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

भीलवाड़ा जिले में "जीवनधारा" योजनान्तर्गत कार्य

403. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में पिछले 3 वर्षों में जीवन धारा के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों व कृषकों के लिये कुए व अन्य निर्माण कार्य कराये गये तथा इन पर कितना-कितना भुगतान किस-किस को किया गया ?

(2) किन किन कृषकों ने भुगतान के

(श्री बंशीलाल पटवा)

पश्चात् कुएं खुदवाये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाडा जिले में पिछले तीन वर्षों में जीवन धारा योजना के अन्तर्गत जिन जिन कृषकों व व्यक्तियों को कुआ एवं जो अन्य निर्माण कार्य कराया गया है, उन पर जो भुगतान जिस-जिस को किया गया है, की सूचना परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

(2) जीवन धारा योजना में कृषक को योजना के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कुआ खुदवाने पर नियमानुसार भुगतान किया गया है। उनकी सूचना परिशिष्ट–अ पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्रामीण विकास अभिकरण चूरू की विभिन्न योजनाएं

404. **श्री भंवर लाल** (सुजानगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू द्वारा विभिन्न योजनाओं में पंचायत-समिति सुजानगढ़ में मिनिमिशन, शिल्पी व बुनकर शाला में सब-सेंटर, भवन निर्माण व्यक्तिगत कुंड, इन्द्रा आवास योजना आदि में वर्ष 1989 से अब तक कौन-कौन से कार्य कहां-कहां व कब-कब स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कार्य पूर्ण हो जाने पर भी आज पूर्ण भुगतान पंचायत-समिति सुजानगढ़ द्वारा संबंधितों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक पूर्ण भुगतान करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू द्वारा वर्ष 1989 से अब तक मिनी मिशन, शिल्पी शाला व बुनकर शाला सब सेंटर भवन निर्माण, व्यक्तिगत कुण्ड इन्दिरा आवास योजना में पंचायत समिति सुजानगढ़ में स्वीकृत किये गये कार्यों का योजनावार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जो कार्य योजना के निर्धारित माप-दण्डों के अनुसार पूर्ण कराये गये हैं, उनका पंचायत समिति सुजानगढ द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, केवल उन्हीं कार्यों का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है जो अपूर्ण हैं अथवा निर्धारित माप-दण्डानुसार पूर्ण नहीं कराये गये है। ज्यों-ज्यों निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य पूर्ण कराये जा रहे हैं, त्यों-त्यों पूर्ण हुए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है, एक कार्य मिनीमिशन योजना में जांच विचाराधीन होने के कारण बकाया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मेवात विकास बोर्ड के अन्तर्गत कार्य

405. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या

(श्री जुबेर खान)

विशिष्ट योजना-संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों 1990-91, 1991-92, 1992-93 में मेवात विकास-बोर्ड के माध्यम से किन किन ग्रामों में कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितनों पर कार्य चल रहा एवं कितनों पर कार्य अभी तक भी शुरू नहीं हो पाया है ? कार्य शुरू नहीं होने का क्या कारण है ?

(3) जिन ग्रामों में कार्य स्वीकृत हुये हैं, उन ग्रामों की जनसंख्या कितनी-कितनी है एवं इन ग्रामों में मेव जाति के लोगों की कितनी जनसंख्या है ?

(4) मेवात विकास बोर्ड के कार्यों की स्वीकृति देते समय क्या यह ध्यान में रखा जाता है कि उस ग्राम में मेव जाति के लोग निवास करते हैं या नहीं ?

(5) क्या सरकार का यह विचार है कि मेवात विकास बोर्ड का पैसा मुख्यत: उन्हीं ग्रामों में खर्च होना चाहिए जिनमें कि मेव जाति के व्यक्ति निवास करते हैं ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों 1990-91, 1991-92, 1992-93 में मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से अलवर जिले के 49 एवं भरतपुर जिले के 26 ग्रामों में कार्य स्वीकृत किये गये। ग्रामों की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 90-91, 91-92 एवं 92-93 में स्वीकृत कार्यों में सड़क निर्माण के 9 कार्य 22.4 कि.मी. के पूर्ण हुए, एक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 63 कार्य तकनीक एवं वित्तीय स्वीकृति के अभाव में प्रारम्भ नहीं हुये।

(3) जिन ग्रामों में कार्य स्वीकृत हुये हैं उनकी ग्राम जनसंख्या परिशिष्ट "क" के अनुसार है। जनगणना विभाग द्वारा वर्ग-वार गणना नहीं करायी गयी है।

(4) मेवात क्षेत्रीय विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र का विकास करना है। इस योजना के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यों का उद्देश्य जाति अथवा वर्ग विशेष का विकास नहीं, वरन् उस क्षेत्र का विकास है जिसे मेवात नाम से जाना जाता है। अत: कार्य स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि उक्त ग्राम में मेव है अथवा नहीं।

(5) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला नागौर में निर्मित जी.एल.आर.

406. श्री गुलाम मुस्तुफा खीन (नागौर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में विशिष्ट योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिला विकास अभि-करण के माध्यम से तथा अन्य विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

कितने जी.एल.आर. गत पांच वर्षों में कहां-कहां बनाये गये ?

(2) जी.एल.आर. किन-किन ग्रामों में निर्मित कराये गये और उनमें से कितने जी. एल. आर. पानी की पाइप लाइनों से जुड़ चुके हैं व कितने जुड़ना शेष हैं ?

(3) पाइप लाइन से नहीं जोड़े जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक इन्हें पाइप लाइन से जोड़ दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में विशिष्ट योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला विकास अभिकरण के माध्यम से प्राप्त राशि से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा 335 जी.एल.आर. गत पांच वर्षों में (87-88 से 91–92) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत बनाये गये। जी.एल.आर. बनाने के स्थानों की सूची (परिशिष्ट-1) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिन ग्रामों में जी.एल.आर. निर्मित कराये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट-1 में दी गयी है। 335 जी.एल.आर. में से 301 जी.एल.आर. जल-स्रोतों से जुड़े हुए है। शेष 34 जी.एल.आर, पाइप लाइन से जुड़ने शेष हैं।

(3) उक्त 34 जी.एल.आर. को पाइप लाइन से इसलिये नहीं जोड़ा जा सका कि वर्ष 1991-92 तक पाइप लाइन डालने की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त नहीं थी। अब उक्त अनुमति भारत सरकार से विशेष तौर पर प्रदान कर दी गई है जिसके फलस्वरूप चालू वर्ष के दौरान इन जी एल.आर. को पाइप लाइन से जोड़ने के लिये प्रावधान कर दिया गया है एवं इस वर्ष कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

(सूची विस्तुत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पावटा (कोटपूतली) में निर्माण कार्य की शिकायतें

407. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील-कोटपूतली के पावटा ग्राम पंचायत क्षेत्र में दिनांक 1-2-1990 से 10-2-1990 तक वार्ड नं 9 और 10 में कुम्हारों की बस्ती से लेकर हरिजनों की बस्ती तक नाली निर्माण का कार्य और दिनांक 1-2-1990 से 4-2-1990 तक वार्ड नं. 8 में दयाराम के मकान से लेकर सुगनचन्द शर्मा के मकान तक एक ही दिन में दो जगह एक ही मजदूरों, अर्थात् बालुराम पुत्र श्री श्योराम, मातादीन पुत्र सोहन, नानुराम पुत्र भगवान सहाय, राजेश पुत्र मोहन हरिजन तथा लीलाराम पुत्र कौशल हरिजन से कार्य करवाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मजदूरों से उपरोक्त दोनों जगह फर्जी कार्य का रिकार्ड बनाकर डबल-काम दिखाया और डबल भुगतान उठाया ?

(श्री रामकरण सिंह)

(3) इस बारे में गबन करने वालों पर कब केस रजिस्टर करके चालान किया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम पंचायत पावटा तहसील कोटपूतली में 1.2.90 से 10.2.90 तक वार्ड नं. 9 व 10 में कुम्हारों की बस्ती से हरिजन बस्ती तक नाली निर्माण का कार्य कराया गया था। इस कार्य पर 1. बालूराम पुत्र श्योसहाय कुम्हार नि. पावटा, 2. मातादीन पुत्र सोहन कुम्हार नि. पावटा, 3. राजेश पुत्र मोहन भंगी नि. भोनावास, 4. लीलाराम पुत्र कौशल भंगी नि. भोनावास, 5. नानूराम पुत्र भगवान सहाय धोबी, नि. टसकोला ने कार्य किया है। यह भी सही है कि वार्ड नं. 8 में दयाराम के मकान से लेकर सुगनचन्द शर्मा के मकान तक भी नाली का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है, परन्तु यह कार्य 17.2.90 से 4.3.90 तक कराया गया है न कि 1.2.90 से 4.2.90 तक। इस कार्य पर भी उक्त मजदूरों ने ही कार्य किया है।

(2) यह सही है कि उपरोक्त दोनों कार्यों पर उपरोक्त मजदूरों द्वारा ही कार्य किया गया है, जिसका कि भुगतान मजदूरों को दिया गया, परन्तु यह सही नहीं है कि फर्जी कार्य का रिकार्ड बनाकर डबल कार्य दिखाकर डबल भुगतान उठाया गया हो, क्योंकि उक्त दोनों कार्य अलग–अलग दिवसों में सम्पादित कराये गये हैं।

(3) उपरोक्त दोनों कार्यों पर कोई गबन नहीं हुआ है। अतः केस रजिस्टर करके चालान करने का प्रश्न नहीं है।

बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास

408. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990–91 में कितने बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया ? सूची पूर्ण विवरण के साथ सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1-4-92 से जुलाई, 92 तक कितने बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया ? जिन लोगों ने मजदूरों को बन्धक बना रखा था उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1990 से जुलाई, 1992 तक मजदूरों को बन्धक रखने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990–91 में 57 बंधक मजदूरों का पुनर्वास किया गया जिनमें 53 बालिग बंधक मजदूरों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) 1.4.92 से जुलाई, 92 तक 33 बंधक मजदूरों को मुक्त कराया गया है। जिन लोगों ने बंधक मजदूरों को बंधक बना रखा था उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) बंधक श्रम उन्मूलन अधिनियम

(विशिष्ट योजना मंत्री)

1976 के अन्तर्गत बधककर्ताओं के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये हैं जो केस विचाराधीन है उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला चित्तौड़गढ़ में "जवाहर रोजगार" योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

409. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत ढ़ाई वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में जवाहर रोजगार योजना के तहत किन-किन कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनमें से काफी कार्य अधूरे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(3) क्या सरकार अधूरे कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में गत ढ़ाई वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यों पर निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है :—

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	ज. रो. यो. ग्राम पंचायत	417.485
2.	ज. रो. यो. पंचायत समिति	12.300
3.	अपना गांव-अपना काम	92.998
4.	आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना	80.120
5.	इन्दिरा आवास योजना	120.848
6.	जीवनधारा योजना	200.911
	योग :—	924.662

(2) कार्यवार विवरण संलग्न है। हां, कार्यवार विवरण संलग्न है।

(3) हां, कल 4042 स्वीकृत कार्यों में से 989 अधूरे कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का प्रयास जारी है।

अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
चित्तौड़गढ़

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति बाली में गोबर गैस प्लान्ट की स्वीकृति

410. **श्री अमृत लाल** (बाली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत-समिति बाली में दिनांक 1-6-1992 को सम्पन्न शिविर में गोबर गैस प्लान्ट की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो क्या इसकी क्रियान्विति हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या कैम्पों में गोबर गैस के लिए चयनितों को प्लान्ट शीघ्र लगाने के लिए कहा गया था पर अभी तक उनकी कार्यवाही नहीं हुई तथा अभी तक उनको लोन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) समाधान शिविर दिनांक 1-6-92 में बायोगैस प्लान्ट हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गई।

(2) शिविर में केवल सात व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र भरे गये, जिन पर अनुदान की स्वीकृति डी. आर. डी. ए., पाली के पत्र क्रमांक 1026-62, दिनांक 17-6-92 से जारी की गई। सामान्यतः डोमटाइप बायोगैस संयंत्र के लिये कृषक बैंक से ऋण नहीं लेता है, परन्तु अनुदान एवं स्वयं के साधनों से निर्माण कार्य पूरा कर लेता है। अतः ऋण के लिये कृषक के कहने पर ही कार्यवाही की जाती है। सम्बन्धित कृषकों ने बायो गैस संयन्त्र निर्माण के लिये ऋण उपलब्ध कराने के लिये नहीं कहा। अतः उन्हें ऋण दिलाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। क्योंकि इस प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का कोई दोष नहीं है अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

जिला पाली में स्कूल भवन एवं कमरे निर्माण हेतु स्वीकृति

411. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जवाहर रोजगार (सामान्य) में, जिला पाली में वर्ष 1990-91 में स्कूल भवन एवं कमरे निर्माण हेतु स्वीकृति क्रमांक 6823-6957 दिनांक 6-2-90 को जारी की गई थी ? यदि हां, तो जिले में किस-किस विद्यालय के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति जैतारण में उपरोक्त योजना में स्वीकृत कार्यों के निर्माण में घटिया सामग्री काम में लेने एवं घोटाला करने के आरोप में अभिकरण को किस-किस के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अभिकरण को प्राप्त शिकायतों की जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? शिकायत एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जवाहर रोजगार योजना (सामान्य) में जिला पाली में वर्ष 1990-91 में स्कूल भवन व कमरे निर्माण हेतु स्वीकृति क्रमांक 6823-6957 दिनांक 6-2-92 से कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई। वर्ष 89-90 में स्वीकृति क्रमांक 6873-6957 दिनांक 6-2-90 से पाली जिले में स्कूल भवन व कमरे निर्माण की स्वीकृति पंचायत समिति-वार जारी की गई। सूची पंचायत समिति-वार स्वीकृत राशि के परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति जैतारण में उपरोक्त में स्वीकृत निर्माण में घटिया सामग्री काम में लेने एवं घोटाला करने के आरोप में अभिकरण को ग्राम गरनिया के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध एक मात्र शिकायत प्राप्त हुई है।

(3) अभिकरण को प्राप्त शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के अधीन विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट पश्चात् ही पता लग पायेगा कि कोई दोषी है अथवा नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

पंचायत समिति जमवारामगढ़ में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवन्टित भू-खण्ड

412. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति जमवारामगढ़ में पिछले पांच वर्षों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने भू-खण्ड आवंटित किये ?

(2) इन्दिरा आवास योजना में बनाये गये कितने आवासों की शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति जमवारामगढ़ में कोई भू-खण्ड आवंटित नहीं किये गये हैं क्योंकि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवास बनाने हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सिर्फ अनुदान राशि ही दी जाती है भू-खण्ड आवंटित नहीं किये जाते हैं।

(2) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति जमवारामगढ़ में अब तक बनाये गये आवासों में से 32 आवासों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

(i) ग्राम पंचायत राहोरी में दो इन्दिरा आवास भवन आवंटन एवं कब्जा

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

देने के बाद गिर जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन सरपंच से दो धराशाही आवासों की राशि वसूल करने हेतु पंचायत समिति जमवा-रामगढ़ को निर्देशित किया गया है।

(ii) ग्राम पंचायत माथासूला में निर्मित 20 आवासों के आवंटन में धांधली की शिकायत प्राप्त होने पर जांच पं. स. कार्यालय में विचाराधीन है। जांच प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही की जावेगी।

(iii) ग्राम पंचायत मानोता में स्वीकृत 10 इन्दिरा आवास भवनों की स्वीकृति में धांधली की शिकायत प्राप्त होने पर पंचायत समिति द्वारा जांच करने पर 4 आवास भवनों के लिए सूचना निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं पायी जाने के कारण स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है।

रबी की फसल हेतु खाद एवं बीज

413. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष रबी की फसल के बीज एवं खाद की क्या व्यवस्था की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि हाड़ोती अंचल कोटा, बारां, जिलों को छोड़ कर राजस्थान में अच्छी बरसात हुई है, उसके हिसाब से कृषि विभाग ने क्या तैयारी की है ?

(3) क्या बीज खाद समय पर उपलब्ध करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

1-राज्य में बीज एवं खाद की निम्न व्यवस्था करली गई है।

बीज-राज्य में बीज वितरण का कार्य राजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध फसलवार निम्नलिखित उपलब्धता संभावित है :—

संभावित उपलब्धता (मात्रा क्विंटल में)

क्र. सं. फसल	लक्ष्य	राज्य बीज निगम	राष्ट्रीय बीज निगम	एसएफसी आई.	निजी विक्रेता	योग
1-गेहूं	1,20,000	75,384	8,700	27,800	30,000	1,41,884
2-जौ	2,500	2,636	-	-	-	2,636
3-चना	15,000	5,485	100	1,800	400	7,785
4-सरसों	18,000	16,985	2,525	1,400	10,000	30,910

(कृषि मंत्री),

चने के बीज की कमी की पूर्ति के लिए राज्य बीज निगम द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

खाद की व्यवस्था :—

इस वर्ष रबी की फसल हेतु राज्य की मांग के अनुसार विभिन्न उर्वरकों का प्रबन्ध किया जा चुका है एवं इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निम्न उर्वरकों का प्रस्तावित आवंटन प्राप्त हो चुका है :

1–यूरिया	4,07,000 टन	5–एन. पी. के.	
2–डी. ए. पी.	1,92,500 टन	(12 : 32 : 16)	14,950 टन
3–सुपरफास्फेट	71,500 टन	6–ए. एन पी.	
4–म्यूरेट ऑफ पोटाश	6,600 टन	(23 : 32 : 0)	13,550 टन

इसके अतिरिक्त दिनांक 25-8-92 को नियन्त्रण में लिए गए कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट एवं अमोनियम सल्फेट के लिए भी क्रमशः 10,000 टन एवं 3,000 टन की मांग आवंटन के लिए भारत सरकार को की जा चुकी हैं। जिन उर्वरकों को नियन्त्रण से मुक्त किया गया है उसकी आपूर्ति के लिए सम्बन्धित निर्माताओं एवं पूल हैंडलिंग एजेन्सी को राज्य में आवश्यकता अनुसार आपूर्ति के निर्देश दिए जा चुके हैं।

(2) जी हां, विभिन्न जिलों में मांग के अनुसार बीज एवं खाद आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर ली गई है।

(3) जी हां।

कुचामन कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत विकास कार्य

414. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुचामन कृषि उपज मण्डी समिति ने माह मार्च, 1991 से माह अगस्त 1992 तक कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत किये तथा क्या-क्या कार्य पूर्ण किये गये कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(2) क्या कुचामन कृषि मण्डी समिति ने ग्राम कुचामन से आसपुरा, बोरावड़, मनाना से धानणवा सड़कें स्वीकृत की थीं और धनाभाव का कारण बताकर निरस्त की व उसके बाद दूसरी सड़कें स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो कौन-कौनसी व किस कारण से ?

(3) वर्ष 1992–93 में समिति के नये प्रस्तावित विकास कार्य क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मार्च, 91 से अगस्त, 92 तक कोई नवीन विकास कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। पूर्व में स्वीकृत कार्यो का विवरण एवं व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय की राशि मार्च, 91 से अगस्त, 92 तक	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	14 नं. गोदाम मय प्लेट फार्म के पीछे (पुराना)	20156/–	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2.	चतुर्थ टाइप क्वार्टर	372941/– पर है।	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है।
3.	पंचम टाइप क्वाटर	331829/–	,, ,,
4.	बैंक भवन	448937/–	,, ,,
5.	दुकान मय गोदाम अ, ब, स के चबूतरे को ढकने का कार्य	145737/–	कार्य पूर्ण हो चुका हैं।
6.	दुकान मय प्लेट फार्म के पीछे 14 नं. गोदाम का निर्माण (नया)	1451724/–	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है।
7.	10 नं. दुकान मय गोदाम	1596344/–	,, ,,
8.	चारदीवारी को ऊंचा उठाने का कार्य	348423/–	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है।
9.	पूर्व साइड के गेट के पास चैक पोस्ट का कार्य	90230/–	,, ,,
10.	सं. सड़क कुचामनसिटी रेल्वे स्टेशन से पलाड़ा	300827/-	कार्य पर्ण हो चुका है।
11.	सं. सड़क मिठडिया रेल्वे स्टेशन से उलाना गांव	103388/–	,, ,,
12.	स. स. खोरण्डी से नौकों की बालाजी	9491/–	,, ,,

(कृषि मंत्री)

13.	सं.स. राठौड फार्म से खारडिया	278464/–	डामर कार्य प्रगति पर है।
14.	सं.स. सुजानपुरा प्याउ से गुवानी की ढाणी	113674/–	ठेकेदार ने आगे कार्य न करने से उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। धनाभाव के कारण राज्य सरकार द्वारा सड़कें निरस्त की गई थीं, लेकिन उसके बाद, कोई भी नवीन सड़क स्वीकृत नहीं की गई।

(3) वर्ष 1992–93 के लिये कोई भी नये कार्य प्रस्तावित नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर की सड़कों का निर्माण

415. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर क्षेत्र में स्वीकृत अभौरी से अजान एवं अजान से ताखा को जोड़ने के लिए स्वीकृत सड़कें अधूरी पड़ी हैं? ना तो अभौरी से अजान जुड़ी है और न अजान से ताखा?

(2) क्या यह सही है कि ये दोनों सड़कें अधूरी रह जाने से पूर्णतः अनुपयोगी हैं? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही इन सड़कों को पूर्ण निर्मित कराया जायेगा ताकि अभौरी से अजान होते हुए ताखा तक के सड़क मार्ग को जोड़ा जा सके? यदि हां, हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। स्थिति निम्न प्रकार है :—

	स्वीकृत लं.	स्वीकृत राशि	कार्य हुआ	शेष कार्य (कि. मी.)	शेष कार्य रहने का कारण
अभौरी से आजान	2 कि.मी.	4.00 लाख	1.35 किमी	0.650	मण्डी के पास धन अभाव
अजान से ताखा	2 किमी.	4.00 लाख	1.10 किमी. (डामरीकरण शेष)	0.90	धन अभाव

(2) जी नहीं। सड़क पर आवगमन जारी है। मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ एवं धनराशि उपलब्ध होने पर शेषकार्य पूर्ण करवाया जा सकेगा।

(कृषि मन्त्री)

कृषि कुओं हेतु विद्युत् कनेक्शन के नियम

416. किशनाराम (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि कुओं के विद्युत कनेक्शन हेतु नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो लेटेस्ट नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या इन नियमों में परिवर्तन कर भूतपूर्व सैनिकों को विशेष सुविधा देने का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियमों में भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता के आधार पर कृषि कुओं में विद्युत् कनेक्शन देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो ग्राम नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू के अधीन आज तक किन आवेदकों के आवेदन-पत्र बकाया हैं ? उक्त सामान्य तथा भूतपूर्व सैनिक व सैनिकों की पूरी सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक भूतपूर्व सैनिक नियमानुसार अपने आरक्षित कोटे से अलग-अलग दो विद्युत कनेक्शन ले सकता है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में किन-किन सैनिकों ने यह फायदा लिया है और किन सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन-पत्र बकाया है ? इस सम्बन्ध में यदि कोई नियम हो तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या एक भूतपूर्व अथवा वर्तमान सैनिक जिसने उक्त कोटे से सुविधा ली हो और वह उसी विद्युतीकृत कुए में दूसरी मोटर रखकर दूसरी सुविधा लेना चाहता है, तो ले सकता है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में किन-किन ने सुविधा ली है और किन-किन सैनिकों के आवेदन-पत्र बकाया हैं ?

(5) उक्त भूतपूर्व अथवा वर्तमान सैनिकों को कब तक कनेक्शन दिये जाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मण्डल द्वारा वर्ष 1992–93 में कृषि कनेक्शन दिये जाने के लिये नीति जारी की जा चुकी है जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है। मण्डल द्वारा घोषित नीति के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों एवं युद्ध में शहीद हुये सैनिकों की विधवाओं को जिनके कृषि आवेदन पत्र 31.3.1992 तक पंजीकृत हो चुके हैं कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। ग्राम नरहड में 78 कृषि आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिनमें एक आवेदन पत्र भूतपूर्व सैनिक का भी सम्मिलित है। बकाया आवेदन पत्रों की सूची परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) एक भूतपूर्व सैनिक मण्डल के नियमानुसार अपने आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अपने नाम से केवल एक ही कृषि विद्युत कनेक्शन ले सकता है। ग्राम नरहड़ में किसी भी सैनिक को उक्त नीति के विपरीत कनेक्शन नहीं दिया गया है तथा ना हो कोई इस प्रकार का आवेदन पत्र लम्बित है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जी नहीं। भूतपूर्व सैनिक उक्त घोषित नीति के अनुसार अपने स्वयं के नाम से एक ही कृषि कनेक्शन ले सकता है। यदि भूतपूर्व सैनिक अपने दिये गये पूर्व के कृषि कनेक्शन की मोटर की क्षमता बढ़ाना चाहता है तो मण्डल नियमानुसार उस पर कार्यवाही की जा सकेगी। ग्राम नरहड में भूतपूर्व तथा वर्तमान सैनिक का किसी भी प्रकार से सम्बद्ध भार बढ़ाने का कोई आवेदन पत्र वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(5) भूतपूर्व सैनिकों के बकाया कृषि कनेक्शनों का निस्तारण पंचायत समितिवार आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आवेदकों द्वारा औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने के पश्चात् इसी वर्ष किये जाने का प्रावधान है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कपासन (चित्तौड़गढ़) में 132 के. वी. विद्युत लाइन

417. **श्री मोहनलाल चित्तौड़िया** (कपासन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत सत्र में दिये गये आश्वासन की क्रियान्विति हेतु सरकार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में 132 के. वी. लाइन कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का प्रस्ताव है।

राज्य में विद्युत मण्डल के कार्यालय

418. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में विद्युत मण्डल के कुल कितने वृत्त, खण्ड व उपखण्ड कार्यालय स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कुल कितने उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत मण्डल सेवायें उपलब्ध करवा रहा है ?

(3) क्या वृत्त खण्ड व उपखण्ड कार्यालयों की वर्तमान संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो नये कार्यालय कहां-कहां खोले जाने का प्रस्ताव है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में परि. एवं संधारण विंग में 18 वृत्त, 70 खण्ड तथा 315 उपखण्ड कार्यालय स्थित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) 31-3-1992 तक प्रदेश में अनुमानित 32,70,000 उपभोक्ता थे जिनको विद्युत सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(3) जी नहीं, ऐसे कोई एक मुश्त तो प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर निर्धारित माप दण्डों के साथ-साथ प्रशा-

(ऊर्जा मन्त्री)

सनिक सुविधा, भविष्य में कार्य भार का विस्तार, संभावित राजस्व में वृद्धि, वित्तीय भार एवं मण्डल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये विचार कर निर्णय लिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला टौंक में पद स्थापित कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण

419. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक जिले में विद्युत मण्डल में पदस्थापित वर्तमान अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या अनियमितताओं की शिकायतें हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों से उक्त जिले से स्थानान्तरण पर गये किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें थीं और उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टौंक जिले में विद्युत मण्डल में पदस्थापित वर्तमान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर जो कार्यवाही की गई है/की जा रही है उसका विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) विद्युत मण्डल में टौंक जिले के स्थानान्तरण पर गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनियमितताओं की जो शिकायतें प्राप्त हुई, उन पर जो कार्यवाही की गई/की जा रही है उसका विवरण परिशिष्ठ "ब" में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला नागौर में कृषि कनेक्शन

420. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में 31 मार्च, 1992 के पूर्व कुल कितने कृषकों से कृषि कनेक्शन हेतु प्रतिभूति राशि जमा की गई थी ? उप खण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने कृषकों को कनेक्शन रिलीज कर दिये गये हैं तथा कितने शेष हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष कृषि कनेक्शन्स अब कब तक कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में 31 मार्च, 1992 से पूर्व के 1347 कृषि आवेदकों की प्रतिभूति राशि जमा थी जिन्हें कनेक्शन नहीं

(ऊर्जा मन्त्री)

दिये जा सके। उपखण्ड वार संख्या सूची परिशिष्ठ "अ" में संलग्न है।

(2) इस वित्तीय वर्ष (1992-93 में 31-8-1992 तक उपरोक्त में से 518 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा 829 कृषि आवेदकों को कनेक्शन दिया जाना शेष है। उप खण्डवार दिये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण उपरोक्त परिशिष्ठ "अ" में दर्शा दिया गया है।

(3) इस वित्तीय वर्ष में आवेदकों द्वारा औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात् कृषि कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्वीकृत विद्युत कार्य

421. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी (बाड़मेर) में वर्ष 1989 से अब तक विद्युत सम्बन्धी क्या-क्या कार्य करवायें गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितनी अनुसूचित जाति/जन जति की बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी (बाड़मेर) में वर्ष 1989 से अब तक विद्युत सम्बन्धित जो कार्य किये गये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	खेंची गई लाइन का विवरण			विद्युतीकरण किये गये			लगाये गये ट्रांसफार्मर	
		33 के. वी.	11 के. वी.	एल. टी.	गांव	कुये	अ. जा. बस्ती	पावर	डिस्ट्रीब्यूशन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	सिणधरी	–	12 कि. मी.	83·5 किमी.	19	224	7	–	31
2.	सिवाना	32 कि. मी.	69·8 कि. मी.	150 1 कि. मी.	4	419	11	4	197

(2) उक्त अवधि में सिवाना में 11 एवं सिणधरी में 7 अनुसूचित जाति व जन जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के गांवों का विद्युतीकरण

422. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार शेष गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि बागीदोरा से सज्जनगढ़ क्षेत्र की 11 के. वी. विद्युत लाइन पर आये दिन दबाव रहने के कारण बन्द व खराब रहती है ? क्या राज्य सरकार सज्जनगढ़ में 33 के. वी. सब स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मार्च, 1992 के अन्त में 100 ग्राम विद्युतीकरण से वंचित हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ के 36 ग्राम एवं पंचायत समिति सज्जनगढ़ के 64 ग्राम मार्च, 1992 के अन्त में अविद्युतीकृत हैं। पंचायत समिति कुशलगढ़ में अविद्युतीकृत रहे ग्रामों में से 30 ग्राम किसी भी ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत नहीं है। पंचायत समिति कुशलगढ़ के शेष रहे 6 व पंचायत समिति सज्जनगढ़ के 64 ग्राम विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत हैं। इनका विद्युतीकरण योजना मद में आवंटित वित्तीय प्रावधानों एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जाना संभव हो सकेगा। निश्चित समयावधि बता पाना फिलाहाल संभव नहीं है।

(3) पंचायत समिति सज्जनगढ़ के विद्युतीकृत ग्रामों की विद्युत आपूर्ति 33 के. वी. सब स्टेशन से 11 के. वी. फीडर (बागीदोरा से सज्जनगढ़) द्वारा की जाती है। इस लाइन पर अधिक भार एवं लम्बी होने के कारण कुछ वोल्टेज कम मिल सकते हैं लेकिन आये दिन बन्द रहती है, यह सही नहीं है। इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु एक नया 33 के. वी. सब स्टेशन सज्जनगढ़ में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत है जिसका निर्माण कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप 33 के. वी. सब ट्रान्समीशन प्रोग्राम में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् किया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें।)

लूणी (जोधपुर) के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था

423. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाम को 6.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक बिजली बन्द रखी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि आर. इ. सी. लूणी जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों से पूरी रात बिजली बन्द रही है ? यदि हां, तो भविष्य

(श्री रामसिंह विश्नोई)

में बिजली बन्द नहीं हो, इसके लिये सरकार क्या निर्देश देने का विचार रखती है ?

(2) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जोधपुर जिले में किसानों के कुओं के ट्रान्सफार्मर्स जल जाने व उपलब्ध न होने के के कारण व पूरे वोल्टेज के अभाव में बन्द रहते हैं ? यदि हां, तो वहां कितने ट्रान्सफार्मर्स की आवश्यकता है और इसकी पूर्ति कराने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में ट्रान्सफार्मर्स की रिपेयरिंग की एक मात्र जयपुर में ही व्यवस्था है ? जिससे अलग-अलग जिलों की मरम्मत की भारी अव्यवस्था बनी हुई है और दूसरी तरफ इन्हें रिपेयरिंग में करोड़ों रुपये ठेकेदारों को दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो दिनांक 1-1-88 से 31-8-92 तक पांच वर्षों में कितने ट्रान्सफार्मर्स किन-किन स्थानों पर रिपेयरिंग कराये गये व बोर्ड द्वारा इन्हें रिपेयरिंग कराने हेतु अलग-अलग ठेकेदारों को दी गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के सभी ग्रामीण फीडरों पर सांय 6 बजे से रात्रि में 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति सिंगल फेजिंग के द्वारा की जाती है। शेष समय में दो ब्लाक्स में बारी-बारी से दिन व रात्रि को बिजली दिये जाने का प्रावधान है। उक्तानुसार ही आर. ई. सी. लूणी के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की गई है। यह कहना सही प्रतीत नहीं होता है कि गत तीन वर्षों में विद्युत आपूर्ति रात्रि भर नहीं की गई।

(2) कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना प्राप्त होते ही वहां उपलब्धि अनुसार उसे शीघ्र बदलने की कार्यवाही की जाती है। ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वहां वैकल्पिक व्यवस्था से विद्युत आपूर्ति के यथा संभव प्रयास किये जाते हैं। जोधपुर जिला वृत के अन्तर्गत वितरण के ट्रांसफार्मर वर्तमान में जले हुए हैं इनको शीघ्र बदलने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है। प्रदेश में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग की व्यवस्था जयपुर के अतिरिक्त दूसरे जिलों में भी है। रिपेयरिंग का कार्य कई फर्मों से प्रदेश के कई स्थानों पर कराया जाता है। दिनांक 1-1-1988 से 31 8-1992 तक गत पांच वर्षों में रिपेयर कराये गये ट्रांसफार्मर्स की सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है तथा उक्त अवधि में जिन-जिन फर्मस से ट्रांसफार्मर्स रिपेयर कराये गये उनके नाम तथा भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

दलोट (चित्तौड़गढ़) के विद्युत ट्रांसफार्मर का विक्रय

424. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ जिले के दलोट में 33 के. वी. सब स्टेशन पर नया ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगाया गया है ?

(श्री रखबचन्द मीणा)

(2) क्या आज से तीन वर्ष पूर्व राजस्थान पत्रिका की न्यूज के अनुसार, सहायक अभियन्ता अरनोद एवं अधिशाषी अभियन्ता निम्बाहेडा द्वारा दलोट का टांसफार्मर निजी पार्टी को बेच दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991–92 में दलोट 33 के. वी. सब स्टेशन पर एक 1.6 एम. वी. ए. क्षमता का ट्रान्सफार्मर लगाना प्रस्तावित था। किन्तु 1.6 एम. वी. ए. क्षमता का ट्रान्सफार्मर उस समय उपलब्ध न होने के कारण वहां 0.63 एम. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर अगस्त, 1992 में लगाकर इस सब स्टेशन को चालू कर दिया गया था। 1.6 एम. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर उपलब्ध हो जाने से अब वहां पर इसे लगा दिया गया है किन्तु सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे अभी तक चार्ज नहीं किया जा सका है। अब इसे शीघ्र ही चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। अरनोद 33 के. वी. सब स्टेशन पर ट्रान्सफार्मर जल जाने के कारण उसे कोई मरम्मत के लिये मण्डल द्वारा अधिकृत फर्म को भेजा गया था, जिसके लिये कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही का कोई प्रश्न ही नहीं है।

अजमेर में नये उपखण्ड कार्यालय

425. श्री किशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विद्युत विभाग अजमेर में बढ़ते हुए उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए नोर्म्स के अनुसार अजमेर में नये उपखण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

अजमेर में नये उपखण्ड कार्यालय खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में मण्डल कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के ग्रामों में घरेलू एवं कृषि कनेक्शन

426. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिमर, अमरवाड, थूमा व खेड़ा को कौन-कौन से सन् में विद्युतीकृत किया गया था ? अब तक कितने-कितने घरेलू एवं कृषि कनेक्शन दिये गये हैं।

(2) क्या सरकार इन ग्रामों में कनेक्शन पहुंचाने में बरती गई मनमानी के जिम्मेदार अधिकारियों को दण्ड देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार इन ग्रामों की कनेक्शन की देरी से हुए नुकसान के लिए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के

(ऊर्जा मंत्री)

ग्राम खेडा, थूमा, अमरवाड व सिमर को क्रमश: वर्ष 75, 79, 77 एवं 86 में विद्युतीकृत घोषित किये गये थे। उक्त ग्रामों में दिये गये कृषि एवं घरेलू कनेक्शनों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं	ग्राम का नाम	विद्युतीकरण की तारीख	कृषि कनेक्शन एवं घरेलू कनेक्शनों की सं.	
			कृषि	घरेलू
1.	खेडा	31.12.75	3	–
2.	थूमा	30.1.79	3	–
3.	अमरवाड	31.3.77	92	20
4.	सिमर	31.3.86	–	–

(2) कृषि व घरेलू कनेक्शन मण्डल नियमानुसार दिये जाते हैं। इनमें अनियमितताऐं आदि की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन पर जांच कर मण्डल नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कर मण्डल नियमानुसार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण

427. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निम्बाहेडा विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कौन-कौन से ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये तथा कितने गांव विद्युतीकृत किये गये ?

(2) क्या स्वीकृत सभी ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार शेष ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गत तीन वर्षों (1989–90 से 1991–92) में 13 ग्राम निम्बाहेड़ा तहसील क्षेत्र के तथा 15 ग्राम छोटी सादडी तहसील क्षेत्र के कुल 28 ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये। इनमें से 27 ग्राम मार्च, 1992 के अन्त तक विद्युतीकृत कर दिये गये हैं। गांवों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं, उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा के सभी विद्युतीकरण

(ऊर्जा मंत्री)

हेतु प्रस्तावित ग्रामों में से एक ग्राम पानगढ़ का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

(3) जी हां, पानगढ का विद्युतीकरण करना इस वर्ष 1992-93 में प्रस्तावित है। सम्भवत: इस वर्ष के अन्त तक इस ग्राम का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें।)

ग्राम बाबरा (जैतारण) में विद्युत् ट्रांसफार्मर

428. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधानसभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम बाबरा में बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर तकनीकी खराबी के कारण व्यर्थ बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों व कितने समय से ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में भारी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम बाबरा में 33 के. वी. सब-स्टेशन पर लगा हुआ 500 के. वी. ए. क्षमता का एक ट्रांसफार्मर दिनांक 16·4·1990 को खराब हो गया था, जिसका कारण अर्थिंग में खराबी होना पाया गया। इस खराब हुये ट्रांसफार्मर से प्रभावित क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति वैकल्पिक व्यवस्था कर ब्यावर 11 के. वी. फीडर द्वारा सुचारू रूप से की जा रही है। वर्तमान में यहां पर कोई पावर ट्रांसफार्मर व्यर्थ नहीं रखा हुआ है।

(2) जी हां। उक्त सब स्टेशन पर आवश्यक अर्थिंग का कार्य पूर्ण कर इसी वर्ष ट्रांसफार्मर लगाने के प्रयास किये जावेंगे।

न्यायिक प्रक्रिया का सरलीकरण

429. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर के विभिन्न न्यायालयों में गत 3 वर्षों से अधिक समय से कितने वाद लम्बित है और यह कुल विचाराधीन वादों का कितना प्रतिशत हैं ?

(2) न्यायिक प्रक्रिया को सरल कर जनता को शीघ्र न्याय मिले इस दृष्टिकोण से क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) समय-समय पर लोक अदालते लगाई जाकर जनता को शीघ्र न्याय दिलाया जाता है। इसके अलावा समय–समय पर अत्यावश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर नये न्यायालय स्थापित किये

(विधि एवं न्याय राज्य मंत्री)

जाकर जनता को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जाता है। नये न्यायालय खोलने के बारे में कोई निश्चित योजना निर्धारित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें।)

भिनाय में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना

430. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भिनाय में सरकार मुन्सिफ कोर्ट खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या भिनाय में कोर्ट खोलने पर दो थाने एवं पूरा क्षेत्र कोर्ट चलाने के लिए पर्याप्त होगा?

(3) क्या भिनाय कोर्ट खोलने पर जनता को सस्ता न्याय मिलेगा? यदि हां, तो अविलम्ब कोर्ट क्यों नहीं खोली जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं धनाभाव के कारण भिनाय में अभी मुन्सिफ कोर्ट खोलना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। धनाभाव के कारण भिनाय में मुन्सिफ कोर्ट अभी खोलना सम्भव नहीं है।

विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

431. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में कितने न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार की क्या कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 10 पद एवं जिला न्यायालयों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 5 पद रिक्त हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यथा समय भारत सरकार द्वारा स्वतः ही की जाती है। जिला एवं अपर जिला न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्ति शीघ्र किया जाना अपेक्षित है।

दिवाकरी एवं धोलीधूप (अलवर) आंगनबाडी केन्द्रों का स्थानान्तरण

432. **श्री जीत मल जैन** (अलवर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाल विकास परियोजना, अलवर क्षेत्र के दिवाकरी एवं धोलीधूप आंगनबाड़ी केन्द्रों को मय स्टाफ बाल विकास परियोजना क्षेत्र उमरैण में स्थानान्तरित कर दिया गया था? यदि हां, तो किन कारणों एवं किन नियमों के

(श्री जीत मल जैन)

अन्तर्गत ? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध परियोजना स्टाफ ने श्रम न्यायालय में वाद दायर किया एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर के विरुद्ध डिक्री प्राप्त की ? यदि हां, तो डिक्री की कितनी राशि की अदायगी, कब किस मद से एवं किस अधिकारी द्वारा की गई ? डिक्री के आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में सरकार को किसी अधिकारी के गलत आदेशों के कारण वित्तीय हानि हुई है ? यदि हां, तो अधिकारी का नाम, पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार द्वारा इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 59160, दिनांक 27-11-90 के द्वारा नई बाल विकास परियोजना उमरैन खोलने की स्वीकृति जारी की गई थी जिसमें ओलीबूप एवं दिवाकरी केन्द्रों को भी शामिल किया गया था। उक्त आदेशों के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर के आदेश क्रमांक 2195, दिनांक 27-3-91 के द्वारा उक्त केन्द्रों को हस्तान्तरित किया गया। प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से श्रम न्यायालय में वाद नहीं किया गया। आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में प्राधिकारी अन्तर्गत वेतन भुगतान अधिनियम अधिकारी वास्ते अलवर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें निर्णय दिनांक 23-10-91 द्वारा प्रार्थी को मानदेय के भुगतान करने के आदेश दिये गये, न्यायालय निर्णय दिनांक 23-10-91 के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से जिला न्यायालय अलवर में 14-11-91 को अपील प्रस्तुत की गई। अपील स्वीकृति के लिये निर्णय दिनांक 23-10-91 द्वारा निर्देशित राशि 9000/–दिनांक 14-9-92 को मानदेय मद से बाल विकास परियोजना अधिकारी, उमरैन द्वारा अमानत तौर पर (अन्डर प्रोटेस्ट) जमा कराई गई जब कि अपील अभी विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। किसी अधिकारी के गलत आदेशों से कोई वित्तीय हानि नहीं हुई। प्राधिकारी अन्तर्गत वेतन अदायगी अधिनियम वास्ते अलवर के आदेश दिनांक 23-10-91 के विरुद्ध जिला न्यायालय अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष लम्बित है। प्राधिकारी अन्तर्गत वेतन अदायगी अधिनियम के आदेशानुसार राशि अण्डर प्रोटेस्ट जमा कराई गई है जिसकी अपील प्रस्तुत करने के लिये जमा कराया जाना आवश्यक था।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें।)

राज्य में संचालित योजनाओं की अनुदान राशि

433. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या भेड़ एवं ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के अन्तर्गत विश्व बैंक के सहयोग से राजस्थान राज्य में संचालित कौन कौनसी योजनायें कहां-कहां पर चल रही हैं ? उक्त योजनाओं हेतु विश्व बैंक, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा कितनी कितनी सहायता दी जा रही है ?

(2) क्या उक्त योजनाओं के अन्तर्गत सूखा संभावित क्षेत्र में 100 हैक्टेयर में चरागाह फार्म बनाये गये थे ? क्या उक्त योजनाऐं भेड़ पालकों की सहकारी समिति के माध्यम से चलायी गई थी ? यदि हां, तो सहकारी समितियों के सम्बन्ध में क्या नियम रखा गया था ? नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश/नियमों के अनुसार कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) विभाग के अन्तर्गत विश्व बैंक के सहयोग से राजस्थान राज्य में वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है।

(2) जी हां, पूर्व में सूखा सम्भावित क्षेत्र में विश्व बैंक के सहयोग से 100 हैक्टेयर के 158 भू-खण्ड बनाए गए थे। यह भी सही है कि उक्त योजनायें भेड़पालक सहकारी समिति के माध्यम से चलायी गयी थी। सहकारी समितियों से सम्बन्धित नियम उपाबन्ध VIII सदन की पटल पर रख दिये गये हैं।

(3) जी हां, राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश/नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की गई थी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्थगित–प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 1992)

बंजर भूमि विकास

75. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बंजर भूमि विकास के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की 1985 में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापना की जाने के पश्चात् क्या इस योजना के तहत राजस्थान में किसी कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना के तहत राज्य सरकार को क्या साधन यथा कार, स्टाफ इत्यादि मुहैया कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा राज्य में कितनो योजनायें स्वीकृत की गयी व उनकी क्रियान्विति राज्य में किस प्रकार की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, । राजस्थान बंजर भूमि विकास योजनान्तर्गत कार्यक्रम क्रियान्विति एवं पर्यवेक्षण कमेटी का गठन दिनांक 1-4-86 को किया गया है। आदेश की प्रति "परिशिष्ठ–क" पर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1991–92 तक 12 परियोजाऐं स्वीकृत की गई थी जिनकी क्रियान्विति वन विभाग द्वारा कराई जा रही है। उक्त बोर्ड द्वारा वर्ष 1991–92 में भी झालावाड़ की दो, उदयपुर एवं जोधपुर की एक-एक परियोजनाए स्वीकृत की गई थी उसकी क्रियान्विति जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री प्रेमसिंह दहिया और दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर जिले की भीनमाल पंचायत समिति के गांवों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ कस्बे में मिलिट्री के लिए रिजर्व लगभग 15 करोड़ रुपये की भूमि को हथियाने के प्रयास से सम्भावित राजस्व हानि के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टौंक जिले के उनियारा कस्बे में श्री जमना लाल मीणा की हत्या की जांच सी. आई. डी. (सी. बी.) से करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्राप्ति क्रम में निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) दिनांक 26-9-92 को दिन के 10 बजे ग्राम मूसलपुर थाना कोलारी जिला धौलपुर में बाजदेव नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(2) शुक्रवार, दिनांक 25-9-92 को मण्डोर एक्सप्रेस में एक छात्रा यात्री के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। नियमानुसार एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। अतः इसको अग्राह्य

(श्री अध्यक्ष)

किया जाता है। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि मण्डी समिति के सब यार्ड रायपुर (जिला पाली) को कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर में मिलाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग की अनुदानित संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन-भत्ते व अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर जल प्रदाय योजना एवं जलाशयों का निर्माण कार्य समाप्त न होने तथा जोधपुर में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम-दईपुर, तहसील रानी वाड़ा में गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ ज़िले में गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से वन विभाग में कार्यरत् अभियान्त्रिकी कर्मचारी एवं अधिकारियों की पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति की बैठक अविलम्ब बुलवाने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित कोटे के बैकलॉग को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में।

(8) श्री चम्पालाल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर में वर्तमान में कार्यरत् सहायक अभियन्ता (वितरण विभाग), राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का स्थानान्तरण जन शिकायतों के आधार पर करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रिछपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति रियाबड़ी, नागौर के अध्यापकों को 14 माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री लक्ष्मीचन्द मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांचौर पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पद भरने के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रकाशचन्द बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामदेवरा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को ट्रस्ट बनाकर वहां पीने के पानी व सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) प्रो. सांवरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नई शिक्षा नीति में वाणिज्य विषय की उपेक्षा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अग्रवाल शिक्षा समिति, जयपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था व अनियमितताएं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री टीकमचन्द कान्त, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में अवैध सुरा विक्रय तथा आबकारी विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री चुन्नीलाल सदस्य, विधान सभा की ओर से अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, सवाई माधोपुर के एक कर्मचारी (मेट) द्वारा कथित अनियमितताएं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदिवासी छात्रावास, घाटोल, जिला–बांसवाड़ा के भवन की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री श्रीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गैम सेन्चूरी, राजगढ़ में मवेशियों को चराने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्रीमती सुचित्रा आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले की तहसील नोहर के गांव गोरखाना में जोहड़ पायतन पर कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना (सीकर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में।

(20) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर परिषद, सीकर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने और आय के साधन सीमित होने के कारण वहां के कतिपय पदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(21) श्री गुलाब सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से क्रय–विक्रय सहकारी समिति, रायपुर, जिला–पाली के चुनावों में कथित अनियमितताएं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये विशेष उल्लेख सूचनाओं को पढ़ने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के सम्बन्ध में निम्नांकित और सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा ओर से अजमेर शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में।

(2) श्री किशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम में बजट, 1990–91 में

(श्री अध्यक्ष)

किये संशोधन धारा 5 (2) के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण एवम् विभाग को उचित निर्देश देने के सन्दर्भ में।

(3) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के बांध, नहर, एनीकट एवम् तालाबों की मरम्मत करने हेतु जो राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी, उसका उचित ढंग से उपयोग न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीसलपुर परियोजना के तहत नहरों का गलत तरीके से सर्वे कर के देवली तहसील के कतिपय गांवों को सिंचाई से वंचित रखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाली विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व कतिपय सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहायक खनिज अभियन्ता, मकराना की कथित मनमानी के कारण खनन कार्य में हो रहे अवरोध से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी, कोटा में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से मनोहर थाना कस्बे में दो वर्ष से एक डॉक्टर द्वारा फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर चिकित्सा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री हजारीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दयालबाग एजूकेशन इंस्टीट्यूट, आगरा द्वारा प्रदत्त उपाधियों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनुसूचित जाति के प्रार्थी परसादीलाल पुत्र श्री सगनीराम को आवंटित भू-खण्ड संख्या बी–4, बलाई बस्ती, नाहरी का नाका, जयपुर का कब्जा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री मदन लाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैतारण के ग्राम दागला (जिला-पाली) में पोकरराम पुत्र मानाराम माली की कब्जा काश्तशुदा भूमि को हड़पने की नीयत से उस पर सशस्त्र हमला करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री मदन लाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर के प्राचार्य द्वारा कथित फर्जी अंकतालिका एवम् फर्जी डिग्री के आधार पर पदोन्नतियां प्रदान करने की जांच समुचित रूप से शिक्षा ग्रुप-3 विभाग द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से सीकर जिले के खण्डेला पंचायत समिति अजीतगढ़ कांवट रोड पर स्थित ग्राम झाडल में एक जाति विशेष के लोगों की थड़ियों को हटाने तथा मारपीट की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर विश्व-विद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. मेहता द्वारा आरक्षण नियमों का खुला उल्लंघन कर आरक्षित पदों पर साधारण श्रेणी के व्यक्तियों की नियुक्ति देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री बुलाकी दास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और अन्य स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानों में राशन का समुचित वितरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री हजारीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा के दौरान एक छात्र राजीव तलवार की माह जुलाई, 1991 में उत्तर पुस्तिका गायब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) प्रो. सांवरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले में भू-संशोधन लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री कन्हैयाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी, जयपुर में अध्यापकों के रिक्त पद व अन्य सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना कस्बे में पुलिस कण्ट्रोल रूम, बोरावड़ में पुलिस चौकी स्थापित करवाने के संबंध में।

(20) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की कथित राजस्व हानि पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से आबकारी विभाग में कतिपय अधिकारियों का कथित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होने तथा राजस्व की हानि पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा के मूक बधिर विद्यालय के शिक्षकों एवम् कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करवाने तथा पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(23) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा कृषि उपज मण्डी के सचिव व अन्य कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से अनियमितताएं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(24) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के कतिपय विद्यालयों में प्रधाना-ध्यापकों व अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(25) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में शिक्षा का अन्धकारमय भविष्य होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(26) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अपनाये जा रहे तरीकों से विश्वविद्यालय का माहौल कथित रूप से खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(27) श्री प्रभूलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के काली-सीज बांध की नहरों को ठीक करवाने व अधूरे बांधों को पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(28) श्री कन्हैयालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के विभिन्न थानों में महिलाओं के हाथ काटकर गहने चुराने की जांच काफी समय से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(29) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना को अलग जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(30) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती कीर्ति पत्नी श्री सत्येन्द्र शर्मा, निवासी—बरकत नगर, जयपुर की दहेज न मिलने से कथित हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(31) श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीनमाल पंचायत समिति के दूर के गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पंचायत मुख्यालय मोरसिम में सब-सेन्टर को क्रमोन्नत कर मिनी पी.एच.सी. को स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव पढ़े हुए माने जायेंगे।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के लिये कृपया परिशिष्ट देखें।)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नत्थी सिंह : पढ़े हुए माने जायेंगे, पढ़ेंगे नहीं ?

श्री अध्यक्ष : 21 लोग बोल रहे हैं, 30 लोगों के पढ़े हुए माने जायेंगे। 15 लोगों की मेरे पास और है। डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राजनैतिक दलों और छात्रों द्वारा जो भी आन्दोलन चलाये गये हैं उनके तहत विभिन्न राजनैतिक मुकदमें बने। अब वह मुकदमें राजनैतिक हैं या गैर राजनैतिक हैं, यह राजस्थान सरकार निश्चित नहीं कर पा रही है। यही एक वजह है कि लम्बे समय से राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं और छात्रों के खिलाफ मुकदमें लम्बित हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय गृह मंत्रीजी पिछले सत्र और उससे पहले भी कई बार सदन को आश्वासन दे चुके हैं कि जिन लोगों के खिलाफ राजनैतिक मुकदमें है उन्हें सरकार वापस ले लेगी। राज्य के विभिन्न जिलों में जहां-जहां इन्होंने दौरे किये उस दरम्यान भी सभी राजनैतिक दलों के लोगों ने, चाहे विरोध पक्ष में हैं, अभी कांग्रेस के लोग, जनता दल के लोग भी और भारतीय

(डा. चन्द्रभान)

जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य संगठन के लोगों ने यह मांग की कि यह मुकदमें वापस लिये जाने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में पूर्व गृह सचिव थे रस्तोगी साहब, उनसे एक रोज मैने व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की क्योंकि यह मुकदमें मेरे खिलाफ भी हैं, मेरे खिलाफ 1978 में जो स्वर्गीय कुलपति थे, वेदपालजी त्यागी, उस समय छात्रों का आन्दोलन चला था, उस समय का मुकदमा लम्बित है और गिरफ्तारी वारंट है, माननीय सदस्य जो नदबई से आते हैं, हमारे खिलाफ घना गोलीकांड के वारंट अभी तक आते हैं, अन्य सदस्य जो छात्रों से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी मुकदमें लम्बित हैं, मैंने जब उनसे कहा कि 14 साल बाद भी हमारे यहां वारंट आते हैं तो उन्होंने यह कहा कि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह मुकदमें राजनैतिक हैं या नहीं हैं। इसके लिये इण्डिविजुअल केपीसिटी में आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। तो अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया, मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी आश्वासन देते हैं, या तो सरकार इसको अखबार में साया करे जिससे कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं को यह पता चल सके कि गृह सचिव के यहां व्यक्तिगत स्तर पर उनको प्रार्थना पत्र देना है। उनको जानकारी होती नहीं, वह प्रार्थना पत्र दे नहीं पाते हैं। सरकार मुकदमें वापस लेती नहीं है, कोर्ट में चालान हो गये हैं। आज प्रदेश में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में किसान आन्दोलन या मजदूर आन्दोलन से जुड़े हुए लोग हैं या विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें। छात्रों के खिलाफ और राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो भी मुकदमें लम्बे समय से लम्बित हैं उन्हें तत्काल वापस लेने का काम करें, इस प्रक्रिया को शुरू करें।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं, माननीय मंत्रीजी। आप बैठो तो सही।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक राज्य सरकार ने छोटे और बड़े सब मुकदमें मिला करके 7124 मुकदमें वापस लिये हैं जिसके अन्दर आदिवासी क्षेत्र के ऊपर जो मुकदमें बने हुए थे वह भी हैं और राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमें बने हैं वह भी शामिल हैं। ज्यों-ज्यों हमारे सामने राजनैतिक आन्दोलन के फलस्वरूप कोई मुकदमें बने हैं उनकी फाइलें आती जा रही हैं, हम उनको वापस कर रहे हैं। आपके पास भी कोई आपका मामला हो, किसी का भी जिसका हो, आप बतला दो, निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्यवाही करेंगे। नीति यह स्पष्ट है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा भी हैं और सदन में भी इस बात को कहा हैं कि राजनैतिक दलों के ऊपर राजनैतिक आन्दोलन के कारण से जो मुकदमें बने हैं, उनको हम वापस लेंगे। हम गुण–दोष के आधार पर जांच करके उनको वापस ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वरलाल सैनी। मैं नाम बोल रहा हूं एक का। आप बैठिये। मेरे पास जो आये हैं, एक-एक का नाम

(श्री ग्रध्यक्ष)

बोल रहा हूं। एक व्यवस्था है। ग्रापने लिखकर भेजा हैं क्या ? ग्रापने लिखकर भेजा है क्या ?

एक माननीय सदस्य : ना, ना।

श्री ग्रध्यक्ष : तो लिखकर भेजिये। ग्राप बोलिये।

श्री सम्पत सिंह : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब व्यवस्था में क्या ग्रव्यवस्था कर रहे हैं। जब एक व्यवस्था हो गयी तो यह बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : ग्राज ग्रापने क्रम बदल दिया। फर्स्ट इन फर्स्ट ग्राउट नहीं किया। जिसने पहले सूचना दी, उसका क्रमांक बदल दिया।

श्री ग्रध्यक्ष : बिल्कुल वही है मेरे पास।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : नहीं, ग्राप समय देख लें डा. साहब का ग्रौर मेरा दोनों पर्चा पर।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, नहीं। ग्रापका तो लास्ट में है, यह ग्रौर बताता हूं। ग्रापका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री ईश्वर लाल सैनी : ग्रध्यक्ष महोदय, तारीख 25.6.92 को....

श्री ग्रध्यक्ष : एक मिनट, इनका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री सम्पत सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से क्षमा चाहते हुए कि वह ग्रपना 295 पढ़ें इसके पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री ग्रध्यक्ष : यह 295 नहीं पढ़ रहे हैं ग्रभी।

श्री सम्पत सिंह : जो भी ग्रपनी बात कह रहे हैं, उनसे मैं क्षमा चाह रहा हूं कि उनके बीच में विघ्न डाल रहा हूं। मैंने 19 तारीख को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था ग्रौर जहां तक मेरी जानकारी हैं, राज्य सरकार से उसमें जवाब भी ग्रा गया हैं। बीसलपुर पानी की योजना के हिसाब से जहां सात करोड़ रुपये की योजना बननी थी, ग्राठ करोड़ रुपये का ग्राफर था वह राज्य सरकार ने नहीं माना ग्रौर उसके बाद 12 करोड़ 26 लाख रुपये में वह योजना मंजूर की। उसमें सीधे–सीधे पी. एच. ई. डी. के जो सचिव हैं, परमेश चन्द्र, उन्होंने पांच करोड़ रुपये का राजस्थान की सरकार को नुकसान किया है ग्रौर स्वयं का फायदा किया है। ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर मैं चाहता था, ग्राप मेरी बात सुनें ग्रौर ग्रगर उसमें कोई सच्चाई हो, मेरी बात में, तो जो सदन की पब्लिक ग्रकाउण्ट्स कमेटी है उससे ग्राप जांच करा लें। ग्रगर उसमें तथ्य सही निकलते हों तो मुझे पांच मिनट का बोलने का मौका ग्राप दे दें।

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजिये। श्री ईश्वर-लाल सैनी। ग्रापका क्या है।

श्री प्रभुलाल पटेल : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने 17 तारीख को 131 में मेरे क्षेत्र की बिजली समस्या के बारे में दिया था। मैं कल ग्रापसे वहां भी मिला। ग्राज लास्ट दिन है सत्र का, ग्राज तक उसका कोई जवाब नहीं ग्राया। मेरे सपोटरा क्षेत्र में

(श्री प्रभुलाल पटेल)

बिजली व्यवस्था भंग हो रही है। ना सरकार ध्यान दे रही है और ना आप ध्यान दे रहे हैं। अब मैं किससे निवेदन करूं ?

श्री अध्यक्ष : मैं तो आउट आफ वे जाकर तीन-तीन लगा रहा हूं, दो से ज्यादा लगाने नहीं चाहिये। अब दस दिन में जितने लगा सकता था, लगा दिये।

श्री प्रभुलाल पटेल : मेरा तो सिर्फ एक ही था।

श्री अध्यक्ष : आपका एक नहीं, मेरे पास 150 नोटिस 131 के मिले हैं। 150 में से 30 मैंने लगा दिये। मैं अब ज्यादा क्या कर सकता हूं ?

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मेरे यहां 6–6 साल से पेंडिंग जो गांव पड़े हैं....

श्री अध्यक्ष : अच्छा ठीक है, आप बिराजिये।

श्री प्रभुलाल पटेल : और आप उनका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीन दफा मैंने क्वेश्चन लगाया।

श्री अध्यक्ष : अच्छा मैं आपको उसमें जवाब दिलवाऊंगा।

श्री प्रभुलाल पटेल : मेरा निवेदन तो सुन लो।

श्री अध्यक्ष : मैं जवाब दिलवाऊंगा आपका। सैनी जी, बोलिये आप।

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनो।

श्री अध्यक्ष : अब आप पहले इनको बोलने दीजिये। शून्यकाल में जिन्होंने नोटिस दिये हैं, पहले उनको बुला लूं।....(व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठिये। आप बैठिये पहले। आपका भी आ आ रहा है नाम।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दी थी कि हर जो एडजोर्नमेंट मोशन देंगे उसका सरकार जवाब देगी। सरकार जवाब देगी, आप चाहे परमिशन न दें। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था आज से चार दिन पहले बस्सी तहसील में....

श्री अध्यक्ष : जवाब नहीं आया अभी।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसका जवाब नहीं आया। तो आप उसकी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। श्री सैनी। सैनीजी।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप छोटीसी बात नहीं कर सकते ? जब यह व्यवस्था एक नयी इण्ट्रोड्यूस कर दी तो लिखकर देने में आपको क्या आपत्ति है ? आप लिख कर क्यों नहीं देते ? अब आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हो ? जब मैं लिखित में एक-एक का नाम ले रहा हूं, आप व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रहे हो।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरी पीड़ा दूसरी है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी सुनता मैं। मैं कह तो रहा हूं, आपको लिखित में देने से किसी ने मना किया है क्या ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, 295 में सबके ले लिये मेरा एक रह गया पीछे, यह कह रहा हूं। पढ़ा हुआ समझा जाय, आपने व्यवस्था दे दी।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आ गया ना। जवाब आ गया। सबके कहां ले लिये ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : मैंने रात को दिया महोदय।

श्री अध्यक्ष : आज 21 बोल रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : जब आप पढ़े हुए मान रहे हैं, कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, तो....

श्री अध्यक्ष : जवाब आयेगा आपका, जवाब आयेगा, वही बात होगी। हां बोलिये।

श्री सम्पतसिंह : अब 6 महीने के बाद सदन लगेगा फिर कभी। मेरा तो इतना सा निवेदन है कि इतने बड़े घोटाले में जहां पांच करोड़ रुपये का नुकसान दिया है और एक व्यक्ति ने फायदा किया है, जो आई.ए.एस. अफसर है, आप पी. ए. सी. को वह देने की व्यवस्था कर दें वरना 6 महीने बाद तो सदन मिलेगा, इसके पहले तो हम कुछ कर नहीं पायेंगे। इसलिये आप व्यवस्था दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पी. ए. सी. के अधिकार से पी. ए. सी. चाहे तो जांच कर सकती है।

श्री सम्पत सिंह : चाहे तो जांच कर सकती है या तो आप कह दें या माननीय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप पी. ए. सी. के मैम्बर हैं, आप चाहें तो जांच करवा सकते हैं।

श्री सम्पत सिंह : नहीं, मैं पी.ए.सी. का मैम्बर नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और दूसरे से करवा दें।

श्री सम्पत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन के नेता महोदय फरमा रहे हैं तो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : तो यह सदन फैसला कर दे, वह जांच होती रहे, अगर हमारी बात सच होगी, गलत होगी उसमें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, तो और जांच कैसे होगी ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आर. पी. एस. कैडर के अधिकारियों ने भारी फूट बड़े अधिकारियों में डाल दी है, इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 25.6.92 को सरेआम एडीशनल एस. पी. रैंक के अफसर ने एक दूसरे एडीशनल एस.पी. के यहां डाका डाल दिया। यानी उसकी आलमारी तोड़कर ले गये। सुरेश व्यास की आलमारी तोड़ कर ले गये। उसकी अदम मौजूदगी में। उनके जो अधिकारी वहां मौजूद थे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की अपने इमीजियेट बोस का। जब वह आये एडीशनल एस. पी. सुरेश व्यास तो उन्होंने भी डीजी को रिपोर्ट की। डी. जी. ने कहा,

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

मुझ को इसकी रिपोर्ट आप लिखकर दीजिये.... उन्होंने रिपोर्ट लिखकर भी दे दी, उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को भी दरख्वास्त दे दी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी दरख्वास्त दे दी, उन्होंने टेलीग्राम भी दे दिया लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि उस अलमारी को उन्होंने सीज होती है, वह दफा 25 में होती है और उसकी तुरन्त रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है, वह रिपोर्ट नहीं की गई हैं। या तो मुकदमा दर्ज हो, या वह लावारिस प्रोपर्टी हो, तभी अलमारी सीज की जाती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया।

मैं इस संबंध में, श्रीमन्, आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि छोटे अधिकारी, जैसे अभी अभी यहां चौमू में तेल के मामले में एक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था तो उसके खिलाफ 217 की कार्यवाही कर दी, सस्पैण्ड कर दिया। अगर मुकदमा असत्य कोई दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ 182 चलायी जाये अन्यथा 217 की कार्यवाही में डायरेक्टर जनरल पुलिस के खिलाफ भी कार्यवाही की जाये। इसी तरह से जो बीलवाडी काण्ड में थी, उसमें भी देरी की वजह से एस.पी. को सस्पैण्ड किया गया है।

मैं इस संबंध में यह भी निवेदन करना करना चाहता हूं कि यह डी.जी.पी. महोदय जब से आये हैं, × × ×. यही नहीं, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि जब यह 6 तारीख को घटना घटी तो अशोक भण्डारी कम से कम 20–25, 30–40 आर.पी. एसों. की मीटिंग बुलाकर वहां फूटपरस्ती करा रहे थे। दूसरी तरफ उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। तीसरी तरफ, जब से यह डी.जी. आये हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको तो मुख्यमंत्रीजी ने बिल्कुल यह घोषित कर दिया कि यह बहुत ईमानदार और ऐसा व्यक्ति है, ऐसा डी.जी. आ ही नहीं सकता। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह सी.बी.आई. में थे तो ×××। वहां पर एक ओ.पी. शर्मा थे जो इनके डी.आई.जी. थे। जब तक यह डी.आई.जी. रहे इनसे वहां के अधिकारी बहुत चिढ़ते थे। उनको वहां से, ज्योंहि इनका ट्रांसफर हुआ तो ××× यही नहीं, जब से यह राजस्थान में आये हैं, इन्होंने आर.पी.एस. के दो भाग कर दिये हैं। इसकी खास वजह यह हैं कि आर.पी.एस.....(व्यवधान) मुझे खत्म करने दीजिए फिर आप बोल लेना। नहीं, मुझे थोड़ा सा और कहना है, फिर समय नहीं रहेगा....

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं यह कह रहा हूं कि आप प्रजेण्ट डी.जी. के खिलाफ यह आरोप लगा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वहां पंजाब का केस बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रजेण्ट डी.जी. के खिलाफ बोल रहे हैं क्या आप ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : डी. आई. जी. जो इनके अण्डर में थे, उनकी मेहरबानी

× × × अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

थी । उनके + + + थे यह । मैं यह कहता हूं कि यह डी जी. जो प्रजेण्ट हैं, इनके × × × थे, इनकी मार्फत इनसे + + + ली है । जब उसको रैड हैण्डेड पकड़ा गया, + + + ।

(समय–समाप्ति-सूचक–घण्टी)

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यहां जब यह आये हैं, जब से इनकी बोलती बंद । मिस्टर गरणपतलाल भण्डारी जो इन्होंने + + + बनाया । मैं इस संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि गणपतलाल भण्डारी की मार्फत....(व्यवधान) यह आर.पी.एस. अधिकारियों के....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : चार्ज हटा दीजिए । चार्ज एक्सपंज कर देंगे । (व्यवधान) आप बिराजिये । श्री शिवकिशोर सनाढ्य का ही लिखें ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एम.बी.बी.एस. के जो लड़के हैं, जिनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, वह लड़के....

श्री ईश्वरलाल सैनी : + + +

श्री अध्यक्ष : आपको इस शर्त पर इजाजत दी थी कि और आप मेरी बात मानकर बैठ जाओगे, मगर आप जिद कर रहे हो । यह मैं जानता था कि आप जिद करोगे, आप बैठोगे नहीं । बार बार घण्टी बजाने के बाद भी आपने कहा, नहीं, आपके कहते ही बैठ जाऊंगा इसलिए इजाजत दी मगर आप माने नहीं । कृपया बैठ जाइये ।

श्री ईश्वर लाल सैनी - + + +

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये । केवल श्री शिवकिशोर सनाढ्य का ही अंकित होगा ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उन लड़कों का एम.बी.बी एस. ने जो फाइनल एग्जामिनेशन है, वह दिसम्बर में होने की वजह से....

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये । अब मैं यह सारी चीज पर किसी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा.... (व्यवधान) तो क्या बात है ? आप रोकिये ना उनको । बैठाइये इनको । एक आदमी 10 मिनट लेगा (व्यवधान) बैठाइये इनको ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपका अंकित नहीं हो रहा है, रेकार्ड नहीं हो रहा है । कुछ भी रेकार्ड नहीं हो रहा है । यह रेकार्ड नहीं होगा, न प्रेस में छपेगा । बिराजिये ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यहां पर वाइस-चांसलर महोदय को और (व्यवधान) इसके संदर्भ में लिखकर भेजा है कि यह एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड कर दिये जायें, जो दिसम्बर से प्रारम्भ होने वाले हैं। एम. बी. बी. एस. फाइनल एग्जामिनेशन इनको आगे बढ़ाने के लिए चार मेडिकल कालेज के जो प्रिंसीपल्स हैं, उन्होंने भी लिखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन लड़कों को जो नुकसान होने वाला है, पिछली बार भी इन लड़कों के एग्जामिनेशन 7 फरवरी से प्रारम्भ किये गये थे और 7 फरवरी से प्रारम्भ करके अप्रेल तक इन एग्जामिनेशंस को निपटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की जो बात उन्होंने कही है, वह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 1986 के जो स्टूडेण्टस थे, जो सीनियर बैंच के लोग थे उनके ऊपर थी। यह बाद के बैंच के जो लोग हैं, उनके ऊपर वह रूलिंग नहीं है और इनका जो आर्डिनेन्स है एग्जामिनेशन का, मैं आपको निवेदन करूं 272 (1) और 267 के अन्तर्गत एग्जामिनेशन के अन्दर इतना गेप रहना चाहिए। इसलिए माननीय चिकित्सा मंत्री जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उन लड़कों के भविष्य को देखते हुए इन डीन साहब और वाइस-चांसलर, राजस्थान यूनिवर्सिटी से चर्चा करके इन एग्जामिनेशंस को फरवरी से कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इसका सम्बन्ध सीधा-सीधा विश्वविद्यालय से है और विश्वविद्यालय ही परीक्षा लेने का काम करता है और जो डीन आफ दी फैकल्टी हैं, he happens to be the Principal of the college.

इसलिए इनके ध्यान में मैं आपकी सारी बात ले आऊंगा, यही आपसे कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा केवल एक मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष : हां, एक ही मिनट बोलना, ज्यादा मत बोलना।

श्री परसादी लाल मीणा : मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि तुरन्त प्राथमिकता योजना में जिन्होंने आवेदन किया है और जिन्होंने पैसे निर्धारित अवधि में जमा करा दिये हैं, उन सब किसानों को, लोगों को कृषि कनेक्शन मिलेंगे। आज इसके विपरीत बात हो रही है। बिजली बोर्ड ने जो अपनी नीति निर्धारित की है इस वर्ष के लिए, उसमें कहीं भी राजस्थान में कोई भी नया डिमाण्ड नोटिस एग्रीकल्चर का नहीं निकलेगा। जिनके 31 मार्च, 92 तक के पैसे जमा हैं, केवल उनको ही कनेक्शन देंगे और मुख्य मन्त्री जी मैं आपकी जानकारी के लिए यह जो सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट में एक किसान को, जो नोटिस निकाला है, उसकी आपको जानकारी देना चाहता हूं, आपका तुरन्त प्राथमिकता योजना में कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 1-1-91 को रद्द करने के क्रम में। उपरोक्त विषय के संदर्भ

(श्री परसादी लाल मीणा)

में आपको सूचित किया जाता है कि विद्युत मण्डल द्वारा तुरन्त प्राथमिकता योजना बंद कर दी गई है। अतः आपको अब इस योजना के तहत कनेक्शन देना संभव नहीं है। इसलिए आपका उपरोक्त प्रार्थना पत्र रद्द किया जाता है और निवेदन किया जाता है कि आप अपनी जमा राशि निकलवाने की कार्यवाही करें।" मुख्य मन्त्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि किसान को आज दो-दो साल पैसे जमा कराये हुए गये और आज उनको अपने पैसा वापस देंगे, किसी ने जेवर गिरवी रखा, किसी ने अपना क्या माल बेचा, आज उनको वापस पैसे देना उनके साथ सरासर अन्याय है। आपके मण्डल ने अपनी नीति में यह कहा था कि निर्धारित अवधि में जो भी आवेदन आयेगा, उसको हम कनेक्शन देंगे। यही बात आपने गत सत्र में बिजली की जब यहां बहस हुई थी, उसमें कहीं थी।

मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जो बोर्ड ने नीति बनायी है कि इस राजस्थान में एक भी नया डिमाण्ड नोटिस नहीं निकालेंगे, इस तरह की बोर्ड की पालिसी किसानों के विरुद्ध है। आपकी कही हुई बात का पालन करें बोर्ड, हमारा तो यही आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल। संक्षेप में बिना कोई आरोप-प्रत्यारोप के।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया, जो कहा....

श्री परसादी लाल मीणा : मुख्य मंत्री जी कुछ कह दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं जानकारी करके बता देऊंगा।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आपने पिछले सत्र में....

श्री परसादी लाल मीणा : आपने जो घोषणा की उसकी पालना हो जाय, हम तो यही चाहते हैं।

डा. हरिसिंह : आपने यह कहा था कि तुरन्त योजना में किसानों को...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा था, वह उन्होंने याद दिला दिया है....

डा. हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने छह महीने तक, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा कि क्यों नहीं हुआ, इसकी जानकारी कर लूं।

डा. हरिसिंह : अभी तक छह महीने तक कोई जानकारी नहीं हुयी।

श्री परसादी लाल मीणा : आज बता देंगे क्या, मुख्य मंत्री जी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह याद रहेगा, यह सम्भव नहीं है। इसमें कोई छिपाया नहीं है। मैंने अगर कहा है तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ, इसकी जानकारी तो कर लूं मैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा। मेरा निवेदन यह है, यह मामला इतना गम्भीर है कि दो-चार

(श्री हेतराम बेनीवाल)

महीने में ही वह जमीन जाने वाली है। गंगानगर में हनुमानगढ़ के पास मिलिटरी के एरिया के नाम से रिजर्व जमीन है, 1700 बीघा, जो राजस्थान सरकार की है तथा उसका अभी तक मिलिटरी ने पैसा पे नहीं किया। 1984 में कुछ 15 लोगों की अटार्नी पावर लेकर एक आदमी रतीश मोहन ने एक एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन जमींदारी बिस्वदारी एक्ट के तहत यह कोशिश की कि उसको जमीन अलाट हो जाय उसके बदले में और 1959 का कानून था जिसमें सिक्स मंथस् के अन्दर एप्लीकेशन देनी थी, उसमें यह हलफनामा दिया कि मेरी एप्लीकेशन गायब कर दी और जानबूझकर गायब की है कि मुझे जमीन दी जाय। गंगानगर के कलक्टर ने इसको कैन्सिल कर दी, खारिज कर दी उसके बाद उसने अपीलेट अथोरिटी को अपील की। वहां से यह आर्डर हो गया कि इसको जमीन दी जाय। रेवेन्यू बोर्ड में सरकार ने अपील की और रेवेन्यू बोर्ड में सरकार की अपील कैन्सिल हो गयी। इस मामले में जमीन का यह आर्डर हो गया कि उसको 2–2 मुरब्बा जमीन प्रति परिवार के हिसाब से 15 परिवारों को दे दी जाय। यह 30 मुरब्बे जमीन के लिये राजस्थान सरकार के कलक्टर ने जमीन प्रपोज कर दी रेवेन्यू बोर्ड के आदेश के मुताबिक। गंगानगर जिले में 2–2, 3–3 बीघा के टुकड़े प्रपोज कर दिये। उस पार्टी ने एक स्पेशल एप्लीकेशन दी कि मेरे को टू एण्ड डब्ल्यू एल जो हनुमानगढ़ के पास जमीन है वह मिलनी चाहिये और इसकी एक अपील हाई कोर्ट में कर दी। हाई कोर्ट के सिंगल बैंच ने यह आर्डर किया कि इसको एक साल के अन्दर वह जमीन अलाट कर दी जाय। कलक्टर गंगानगर ने अपनी तरफ से पेश किया कि जमीन उनको दी जा सकती तो टुकड़े या जमीन दी0जा सकती है राजस्थान कैनाल पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कोर्ट से यह आर्डर ले लिया गया कि स्पेशल जमीन टू एण्ड डब्ल्यू एल 50 बीघा प्रति परिवार के नाम से दे दी जाय। राजस्थान सरकार इसमें डबल बैंच में गयी और डबल बैंच में उसे स्टे दे दिया पुराने आर्डर के खिलाफ और कार्यवाही शुरू कर दी। यह पार्टी दूसरी एप्लीकेशन लेकर और सिंगल बैंच में गयी और सिंगल बैंच ने यह आर्डर कर दिया कि हम कलक्टर की एप्लीकेशन कन्सीडर कर रहे हैं। उसी पार्टी ने डबल बैंच में फिर एप्लीकेशन देकर वहां से केस खारिज करवा दिया सरकार का कि क्योंकि कोर्ट ने आर्डर दे दिया है इसलिये इस केस को चलाने की जरूरत नहीं है। स्टे आर्डर वहां से वेकेट हो गया। अब टू एण्ड डब्ल्यू. एल. इस स्थिति में यह केस है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक वह जमीन 50 बीघा के हिसाब से हैं एक परिवार को मिलनी है और इस परिवार का जो मुखिया बना हुआ है, वह रतीश मोहन और बाल किशन, दो हैं :—

श्री अध्यक्ष : कहां का है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह रतीश मोहन सरफे का है। खजांची परिवार का सदस्य है।

श्री अध्यक्ष : यह रहने वाला कहां का है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : रहने वाला सरफे का, हरियाणा का है । उनकी राजस्थान में कोई जायदाद नहीं है पिछले 30 सालों से, 1969 में कभी उनकी जायदाद थी उनके परिवार की । तो 15 उन्होंने नाम ले लिये और उन 15 नाम से जमीन बेच दी । माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जमीन टीबी की उन्होंने बेच दी । उस बेची हुई जमीन का एक फर्जी क्लेम तैयार करके 15 परिवार के नाम से 30 मुरब्बा जमीन, मतलब यह दो लाख बीघा की जमीन है और उस जमीन को लेना चाहते हैं । कलक्टर के खिलाफ और ए. डी. एम. के खिलाफ कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं और इस मुकदमे में उन्होंने पैरवी की । सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि राजस्थान का एडीशनल एडवोकेट जनरल ने लिख कर दे दिया कि इसमें पैरवी की कोई जरूरत नहीं है, आगे स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाय और इस जमीन को दे दी जाय ।

इस मामले में मेरा निवेदन यह है, मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, राजस्थान का एक बड़ा असरदार जो राजसत्ता में बैठा है वह इसके पक्ष में है उसके साथ है । यह दोनों, यह जो लड़का है रतीश मोहन, मैं हमेशा उनके साथ उनको देखता हूं और मुझे इस बात की शंका है वह अपने असर से इस जमीन को ले जायेंगे, जो बहुत बड़ी बात होगी और मैं आज हाउस में कहना चाहता हूं कि इस मामले में....

श्री अध्यक्ष : अब यह हाउस में तो आ गयी, बाद में आप मुख्य मंत्रीजी....

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा एक निवेदन सुन लीजिये । यह भूमि, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के किसानों की है ।....

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने बता दिया, बात आ गयी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : राजस्थान सरकार ने अवाप्त की है ।

श्री अध्यक्ष : अब आप मुख्य मंत्रीजी को सारी बात बता देना । नैक्स्ट । श्री जुबेर खां ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं इस मुद्दे पर....

श्री अध्यक्ष : आप सारी बात बता देना । हां, जुबेर खां बोलिये ।

श्री जुबेर खान (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पेयजल योजना मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्थान पत्रिका में भी छपा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र राजगढ (अलवर) में राजगढ़ कस्बे में गोविन्दगढ़ में वाटर सप्लाई की मशीनें खराब होने के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है । वहां पर लोग धरना दे रहे हैं । अनेक बार में भी आपसे मिला हूं ।

अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि मंत्री महोदय ने 8 अप्रेल को मीटिंग ली थी । इस विधान सभा में सभी जिलों की, हम लोगों की भी ली थी और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो माननीय सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों की पेयजल योजना पड़ी है उनको बना कर

(श्री जुबेर खान)

भेजें। आज तक, बड़े दुख की बात है, एक भी योजना आपके यहां नहीं भेजी गयी। हमारे राजगढ़ में तो ढाई साल में छह जे. ई. एन. बदल गये। माननीय मंत्रीजी, हमारा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि रामगढ़ और गोविन्दगढ में, क्योंकि कस्बे में पानी दूर से आता है, ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को रेगुलर पानी की सप्लाई हो जाय वरना आज पत्रिका में आप देख लीजिये, धरना लोगों ने दे रखा है और वहां त्राहि त्राहि मच रही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें कोई कदम उठाये और कोई स्कीम ऐसी हो, बोरिंग हुये पड़े हैं, बिजली की मोटरें लग गयीं, पानी चल रहा है लेकिन गढ्ढों में जा रहा है, उसमें पाइप लाइन नहीं बिछायी, गयी है। आपसे मैं अनेक बार व्यक्तिगत भी मिला हूं। आगरा की जैसे पेयजल योजना है, खानपुर की है, न श्योपुर की है जिनके बोरिंग हो गये, मोटरें लग गयी, बिजली लग गयी और पानी चलता है सिर्फ एक गढ्ढे में जमा हो जाता है। अगर आप पाइप लाइन की व्यवस्था करवा दें ...अनिवार्य स्वीकृति जारी कर दें तो मेरा मानना है कि लोगों को पर्याप्त पानी मिल जायेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आप व्यवस्था करिये।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 सितम्बर, 92 को राजस्थान महिला विकास कार्यक्रम की श्रीमती भंवरी देवी जिसके साथ ग्राम भटेरी तहसील बस्सी जिला जयपुर में दो व्यक्तियों ने बलात्कार किया, इस जघन्य अपराध के संबंध में महिला विकास एवं संघर्ष मार्चे की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मधु रानी जैन के नेतृत्व में महिलायें गृह मंत्री जी और बाल विकास मंत्रीजी से मिली। अध्यक्ष महोदय, भंवरी देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने विगत आखातीज पर रामकरण नामक व्यक्ति के यहां एक बाल विवाह को जिलाधीश, जयपुर और राज्य सरकार की सहायता से रुकवाया था। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग देने के कारण उन व्यक्तियों ने अपना प्रेस्टीज पाइंट बना लिया और जब 22 सितम्बर को उक्त महिला उस गांव में गयी तो दो व्यक्तियों ने जबरन उसे पकड़ कर उसके साथ बलात्कार किया।....जब 23.9.92 को पुलिस थाना बस्सी में यह अपने पति के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। काफी जद्दोजहद के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। जब इसने मेडिकल मुआयना कराने के लिए कहा तो इसको 23.9.92 को सायंकाल 5 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लेकर आये। वहां के डाक्टरों ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश लाइये, उसके बाद मैं जांच करूंगा। शाम को मजिस्ट्रेट के यहां चक्कर लगाते रहे। कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 48 घण्टे का समय निकाल दिया, ताकि उसके सबूत नहीं मिल पाये और जांच में वह चीज नहीं आ पाये।

अध्यक्ष महोदय, जो यह भटेरी गांव में एक महिला कार्यकर्ता के साथ ड्यूटी अंजाम देते हुए यह स्थिति हुई, इससे महिलाओं में रोष है। आज भी अपराधी खुले घूम रहे

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनको नहीं पकड़ा गया। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के जो मामले हैं, चाहे विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हो, चाहे कहीं भी हमारी मां, बहन, बेटियों की इज्जत लूटी जाये, मगर आपने इसको गम्भीरता से नहीं लिया और आपने तत्पर कार्यवाही नहीं की तो यह जो आपके अकाल पड़ता है, यह जो विभीषिकाएं आती हैं, यह तो प्राकृतिक प्रकोप खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से होते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह सही कह रहा हूं, यह महिलाओं का मामला है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए बैठ जाइये, श्रीमती तारा भण्डारी इस पर बोल रही हैं श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इस पर आश्वासन दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : हां देंगे। श्रीमती तारा-भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारी राष्ट्रीय सरकार यह चाहती है कि प्रत्येक राष्ट्रीय प्रोग्राम में महिलाओं की भागीदारी हो, महिलाओं में जागरूकता आये जब इस महिला ने बाल विवाह को रोकने का प्रयत्न किया तो बदले के रूप में उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। अध्यक्ष महोदय, इस कांड की जितनी निन्दा की जाये उतनी थोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, और तो और पुलिस ने उसके साथ भयंकर दुर्व्यवहार किया, उसके जो प्राइवेट कपड़े थे, वे पुलिस ने खोलकर के ले लिये और उसको बिना कपड़ों के जाने के लिए मजबूर किया। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और तो नहीं हो सकती। आज रोज महिलाओं के मामले में हम बोलते भी हैं, कहते भी है और हमारे गृह मंत्रीजी आश्वासन भी देते हैं। अध्यक्ष महोदय, सीता देवी हत्याकांड के मामले में, जो सूरसागर जोधपुर में हुआ था, हमारे गृह मंत्रीजी ने कहा था कि भविष्य में इसकी जांच नहीं बदली जायेगी, अध्यक्ष महोदय, उसकी 5 बार जांच बदलने के बाद छठी बार और बदल दी। एक निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार वर्षों तक जांच बदलते–बदलते क्या, उस प्रकार कभी चालान पेश होगा, न्याय मिलेगा ? जिस प्रकार से 48 घण्टे तक इस भौंरीदेवी की जांच नहीं हुई, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और बलात्कार के मामले के सारे सबूत नष्ट करने का पुलिस ने मौका दिया, यह महिलाओं पर बहुत भयंकर अत्याचार है, मैं चाहूंगी कि इस विषय में गृहमंत्रीजी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी (महुआ) : आप विराजिये।

श्री हरिसिंह : मैं दूसरा विषय बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : देखो, हरिसिंह जी दूसरे विषय पर बोल रहे हैं, दूसरे विषय में बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, इस पर क्या कह रहे हैं ? इस पर तो कहें। मुख्य मंत्रीजी, क्यों बिठा रहे हैं आप इनको।

श्री अध्यक्ष : बोल रहे हैं, इसी पर बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कोई नहीं बोल रहा है।

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा सिंहजी, आप बैठिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ गई।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : महिलाओं का मामला है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि महिलाओं का मामला है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद आ गया, पिछली बार सदन में जब सूरसागर की सीतादेवी का मामला उठा था और 4 बार जांच बदली गई थी....

श्रीमती तारा भण्डारी : चार बार नहीं पांच बार।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उस समय 4 बार बदली गई थी तो माननीय गृहमंत्रीजी ने सदन को आश्वस्त किया था कि अब इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही होगी। पांचवी बार फिर जांच बदली। इस विधान सभा की कोई सैंक्टिटी रह गई है या नहीं ? यहां सदन में जो सरकार के मंत्री हैं, वह कुछ कहते हैं और उसकी पालना नहीं हो, उसके बारे में वह चिन्ता नहीं करें तो मैं समझती हूं कि यह लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोगों में यह विश्वास है कि यह सबसे ऊंचा फोरम है लोकतंत्र का और यहां पर भी यदि कहने के बाद में, सरकार के आश्वासन देने के बाद में कुछ नहीं होता है तो जनता में घोर निराशा व्याप्त होती है। लोकतंत्र से आस्था और निष्ठा उठ जायेगी।

इसके साथ ही साथ में एक निवेदन करना चाहूंगी, चूंकि यह मामला इस तरह का उठ गया, मैं इसे उठाना नहीं चाहती थी लेकिन जब इस तरह की बात आ गई है तो मैं मेरी अपनी पायस ड्यूटी समझती हूं कि मुझे यह बात भी कहनी चाहिए। 3-4 दिन पहले अखबारों में जोगेश्वर गर्ग के बारे में एक समाचार छपा था, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ रात में छेड़छाड़ की। हालांकि दूसरे दिन उनकी रिबटल भी आया इस सम्बन्ध में, लेकिन उनका जो रिबटल आया था उससे हमें संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि इसलिए नहीं हुई कि जिस आदमी में कोई कसूर नहीं हो वह थाने में कभी दो घंटे बैठा नहीं रहेगा, वह उसी वक्त आ जाते। तो जिस तरह लचर दलील उन्होंने दी कि दाढ़ी वाला व्यक्ति समझकर मुझे बुला लिया गया, मैं समझती हूं कि सत्तारूढ़ दल के वे विधायक हैं, वे पूर्व मंत्री भी हैं, मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को इस बारे में स्वयं यहां इस सदन में आकर क्योंकि हमारी शंकाएं, संदेह की सुई उनकी ओर है, या स्वयं या वे मुख्य मंत्रीजी या गृहमंत्रीजी इस बारे में सदन को स्पष्ट करें कि स्थिति क्या है और यदि यह बात

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सही है तो मैं समझती हूं आपको इस बारे में निश्चित तौर से कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, बोल रहे हैं ?

श्री सुमित्रा सिंह : जांच का विषय क्या है ? क्या जांच का विषय है ? बोलिये। यह ही बोल दें, गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी बोल दें। आप इस तरह की गम्भीर बातों को पार्टी के आभारी होकर के बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री कन्हैयालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला है, यह मेरे क्षेत्र का मामला है, अतः मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो 22.9.92 की घटना है वह शाम को 5 और 6 बजे के बीच की घटना है। मैं कल मौके पर गया था। महिलाओं की तरफ से यह जो प्रदर्शन हुआ इसमें और पूरे गांव के सातों बिरादरी के लोग एक साथ इसको बिल्कुल असत्य, एकदम बिल्कुल असत्य मानते हैं कि यह मामला मनगढ़न्त है। 22 तारीख को 5–6 बजे के करीब यह जिस व्यक्ति का बलात्कार का नाम लगाया गया है, एक 65 वर्ष का व्यक्ति है। एक 60 वर्ष का व्यक्ति है। यह जो ग्यारसा गूजर है यह 60 वर्ष का व्यक्ति है और कानाराम जो व्यक्ति दूसरा है वह वहां पर पास में बैठा है। वहां तो वह कह रहा है कि मैं 45 फुट के करीब दूर हूं, कल आकर के सब महिलाओं के सामने, मेरे सामने उसने खड़े होकर के बताया।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, एक मिनट बैठिये। ऐसा है कि ऐसे मामले जिसमें पूरी जानकारी हमने व्यक्तिगत रूप से नहीं की है और अखबारों में छप गया....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ज्ञापन है।

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज listen to me, सुन तो लीजिये आप। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ? जिसमें सदन में दो मत हैं, एक माननीय सदस्य कुछ कहते हैं, दूसरे माननीय सदस्य कुछ कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह सदन जो है, इसका प्रांगण गन्दगी धोने के लिए नहीं है। जिस मामले में आप सब लोगों की भावना हो कि इसमें जांच होनी चाहिए, वहां तक तो ठीक है लेकिन जब माननीय सदस्य एक–दूसरे के विपरीत बोलेंगे और फिर केवल अखबार में बात आ गई, सामने वाले को सुने नहीं और हमने वह बात उठा दी, देखिये किसी का चरित्र हनन अखबार वाले करें या हम करें, हम उसके भागीदार हो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमको ऐसे मामले बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में चर्चा मैं समाप्त करता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह महिला मोर्चे का ज्ञापन है।

श्री अध्यक्ष : I am not going to allow any debate. आपने अपनी बात कह दी ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह महिला मोर्चे का ज्ञापन है ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मैं डिबेट अलाऊ नहीं कर रहा हूं, आप बोलिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरी (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विदेश जा रहे हैं, दिमाग को ठण्डा रखिये । इतना आवेश में क्यों आ जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह आवेश का सवाल नहीं है, this House is not meant to wash dirty linen. Let the investigation be completed. इसलिये नहीं बनाया गया है यह हाऊस कि कौन आदमी क्या करता है, डाउटफुल है । आप उसको लेकर के हाऊस में प्रश्न बना देते हैं । जब किसी चीज की जांच हो रही है, सारे तथ्य आ जाएंगे सामने, बीच में ही हम उसमें शंका पैदाकर के अपने ही मैम्बरों के खिलाफ चाहे जो बोले जाएं, यह मैं समझता हूं, उचित नहीं है । पूरी जानकारी करिये । मुझे खुद को जानकारी है । मैंने खुद जानकारी की है, मैं बताना नहीं चाहूंगा लेकिन आप बिना जानकारी के बिना व्यक्तिगत जानकारी के इस तरह के जो आरोप एक दूसरे के खिलाफ लगाते हों, अच्छा नहीं है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी जानकारी में है तो आप दे दें । गृह मंत्रीजी दे दें, मुख्य मंत्रीजी दे दें या वह स्वयं दे दें । मैंने कहा शक की सुई जाती है ।

श्री अध्यक्ष : इसका इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, इन्वेस्टीगेशन कम्प्लीट होने दीजिए सारे तथ्य आ जायेंगे ।....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : .... आप क्यों आवेश में आते हैं ?....(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम आ रहा है ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : नहीं इस मामले में ।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप । इस मामले में कुछ नही बोलना हैं । इस मामले में कुछ नहीं बोलना है । माननीय सदस्य बैठिए.... (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आप एक तरफ असत्य मानते हैं... (व्यवधान) ...यह गलत है ।

श्री अध्यक्ष : गलत हों या सही, आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य, बैठ जाइये अब आप बैठ जाइये । माननीय हरिसिंह महुआ । सदन का समय यों ही जाया करते हो आप और लोग बोलने वाले हैं 15,

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के सर्वोच्च सदन में आपके माध्यम से पिछले दो वर्ष में महुआ में विद्युत के सम्बन्ध में जो अव्यवस्था चली आ रही थी, उसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता रहा हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की असीम कृपा से महुआ में जो विद्युत सहकारी समिति थी उसको समाप्त कर दिया गया और राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत आपूर्ति करने की घोषणा कर दी लेकिन न आज तक चार्ज दिया है न लिया है। विद्युत मण्डल का एक ए.ई.एन. बैठा हुआ है और सहकारी समिति का चार्ज देने के लिए जो एक्स.ई.एन. वहां एम.डी. बनाकर बैठाया गया है ? अध्यक्ष महोदय, वह पिछले दो महीने से वहां गये ही नहीं है और आज बिजली के मामले में महुआ में यह स्थिति पैदा हो गयी है कि नो गवर्नमेण्ट लेण्ड बन गयी है। यहां पर अगर किसी का एक ट्रान्सफारमर फुंक जाये तो उसको सही करने वाला नहीं है। विद्युत मण्डल कहता है कि हमने चार्ज लिया नहीं। सहकारी समिति कहती है हमारा लाइसेंस खत्म हो गया। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि इस स्थिति को समाप्त किया जाय जो सहकारी समिति समाप्त कर दी है उसके बदले विद्युत मण्डल को तुरन्त चार्ज दिलाकर उस कार्य को आरम्भ कराया जाय। आपने जो स्पेशल मेन्शन का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह। 25 नवम्बर है। पढ़ा नहीं जा रहा है। अंग्रेजी में लिखा है दस्तखत मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप अरूण सिंहजी हैं।

श्री नत्थी सिंह : आपको कब से अंग्रेजी नहीं आती ?

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी के हस्ताक्षर समझ में नहीं आता है और जो लिखा है वह तो मैंने पढ़ लिया। यह हस्ताक्षर कैसे करते हैं मेरी समझ में नहीं आये।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा का ध्यान आकृष्ट करने जा रहा हूं कि डीग कस्बा जिसकी आबादी कम से कम 40 हजार है वहां 44 साल में सरकार ने वहां मीठे पानी का कोई प्रबन्ध नहीं किया। कम से कम 4 हजार से 10 हजार का टी.डी.एस. का पानी, जहरीला पानी वहां का इन्सान पी रहा है और मर रहा है। न वहां दाल गलती है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : आपकी तो गल गयी।

श्री अरुण सिंह : मेरी तो गल गयी। रंगीन कपड़ा कोई धोये तो वह ब्लीच हो जाता है। तो मुझे मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना है कि उत्तरप्रदेश से जो मीठा पानी लाने की योजना है, उसका काम शीघ्र शुरू करें।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलाल चौपड़ा।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडा रायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2.9.92 को ग्राम कूकस तहसील टोडारायसिंह में दीपक स्वामी अपने मकान में मृत

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

पाया गया। उसकी लाश मकान में सड़ने लगी तब पड़ौस को जानकारी हुई। ग्रड़ौसी-पड़ौसी ने वहां के पूर्व सरपच जीवन सिंह, जो टोडा रायसिंह में रहता है, जाकर कहा कि उक्त मकान में किसी की लाश पड़ी है। वह थाने में गये ग्रौर पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे। लाश वहां से ली गयी, पुलिस ले गयी। पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह ग्राया कि गला दबाकर मारा गया है। पुलिस ने भी 302 में केस दर्ज किया है लेकिन वहां के एस. एच. ग्रो. ने बाद में कहानी दूसरी बना दी। मृतक के मकान में दो रोज बाद जाकर के सेल्फोस की गोलियां, फर्जी चिट्ठी ले जाकर डलवा दी ग्रौर बरामद की। डैड बोडी को ले जाया गया तो यह सामग्री नहीं मिली थी। यह षडयंत्र पूर्वक डलवायी गयी। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जांच उस एस.एच.ग्रो. के पास रही तो हत्यारा नहीं पकड़ा जायेगा। इसलिए ग्रापके माध्यम से निवेदन करता हूं कि किसी उच्च ग्रधिकारी से जांच करायें।

श्री ग्रध्यक्ष : धन्यवाद। श्री बुलाकीदास कल्ला। देखिए 1 बजे से ग्रागे नहीं चलेगा। इसलिए जल्दी समाप्त करिये। जो बच जायेंगे, वह बच जायेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रभी हाल में डायरेक्टरेट ग्राफ इकोनोमिक एण्ड स्टेटिसटिक्स के ग्रन्दर चीफ क्रण्ट्रोलर ग्राफ एग्जामिनेशन ने जो परीक्षायें ग्रायोजित करायी संगणकों की, उसमें मास कॉपिंग हुई, कापी फोटो स्टेट होकर ग्रायी। मेरे पास है मैं किसी कारण से भूल गया लाना। मैं ग्रापको सब्मिट कर दूंगा। प्रश्न पत्र शुरू नहीं हुग्रा उससे पहले ही फोटो स्टेट कॉपियों में उत्तर ग्रा गये। मैं ग्रापके माध्यम से माननीय ग्रार्थिक एवं सांख्यिकी राज्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रापके पास भी इस परीक्षा की शिकायतें ग्रायी हैं। इस परीक्षा को जिसमें 14–15 हजार बेरोजगार बैठे हैं ग्रौर जिस परीक्षा में मास कॉपिंग ग्रौर प्रश्न पत्र ग्राउट होने ग्रौर बाहर ग्राने की शिकायतें मिली है, ग्राप इस परीक्षा को निरस्त करें दुबारा फ्रेश कराने का विचार रखते हैं? इस सम्बन्ध में डायरेक्टर ने भी, जिसको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, ग्रच्छा भला ग्रादमी है, यह कहा है कि परीक्षा को निरस्त कराया जाय क्योंकि इस सम्बन्ध में उनके मातहत एक व्यक्ति ने गड़बड़ की। उसके खिलाफ कार्यवाही क्या करने जा रहे हैं? इसको निरस्त करायें।

श्री ग्रध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामस्वरूप मीणा। दो मिनट में।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान ग्राकृष्ट करना चाहूंगा कि राजस्थान में बीहड़ परियोजना है उसके ग्रन्तर्गत 20 लाख का घोटाला हुग्रा है। उसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गुढ़ा चन्द्राजी जो सबसे बड़ा कस्बा है, उसके पास जो जंगल है उसको ठीक करने के लिए बजट सरकार की तरफ से ग्राया था। उसके ग्रन्दर जो कार्य हुग्रा है, ग्रध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी मंत्री महोदय से निवेदन किया था, मंत्री महोदय ने ग्रादेश दिया कि इसका पेमेण्ट तुरन्त रोक दिया जाय तथा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

पहले इसकी जांच करायी जाय । लेकिन आदेश के बावजूद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 लाख का घोटाले में पेमेण्ट किया गया और आज कार्य पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन कार्य पूर्ण दिखा रखा है । फर्जी मस्टर-रोल बने हैं । जिन लोगों ने कार्य नहीं किया उनके नाम उसमें है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा कि जो 20 लाख का घोटाला मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुढ़ाचन्द्रजी में हुआ उसकी जांच करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में माणिक लाल वर्मा महाविद्यालय में पिछले वर्ष कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स की चार-चार संकाय, सैक्शन थी । सैक्शन कम किये गये । कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेण्ट तो बराबर एडजेस्ट हो गये । पर साइंस की दृष्टि से चार सैक्शन थे । चार में से तीन रखे गये । बीच में दो ही रखे गये फिर एक और बढ़ाया गया । अब जो स्टूडेण्ट भर्ती किये गये उसमें 45% के विद्यार्थियों को ले लिया और 46 प्रतिशत के थे वह छूट गये । उसके पीछे कारण यह है कि 8–9 एस.सी., एस.टी. की सीटें थीं उसके लिए एक दिन पहले नोटिस लगाया दूसरे दिन बुलाया लेकिन रूरल एरिया के जो स्टूडेण्ड पहुंच नहीं सके, जानकारी के अभाव में तो 45 प्रतिशत को ले लिया । 46 प्रतिशत को नहीं लिया । यह डिसक्रिमिनेशन है । राजस्थान के दूसरे कालेजेज में साइंस के स्टूडेण्ट को 45 प्रतिशत अंक वाले को भर्ती किया है जैसे शाहपुरा और दूसरे कॉलेज में हुए हैं । इसलिए यह बहुत बड़ा नीति के आधार पर डिसक्रिमिनेशन है । सरकार को जांच करनी चाहिए कि 10–12 स्टूडेण्ट हैं जो 46–46, 50 प्रतिशत के रह गये हैं ।

(1.00 म. प.)

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं बढ़ाये तो कम से कम उनको एकोमोडेट करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाश चन्द बैरवा एक मिनट में समाप्त करिये ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के सारे डिपार्टमेंट्स के अन्दर, एजुकेशन में और सर्विसेज में एस.सी. और एस.टी. का रिजर्वेशन का जो पर्सेण्टेज है, 17.2 और 12.20 प्रतिशत है । केवल मात्र मेडिकल कालेज के अन्दर स्टूडेंट्स का प्रवेश का जो आरक्षण है, वह राजस्थान के अन्दर एस.सी. का 8 पर्सेंट है और एस.टी. का 6 पर्सेंट है, केवल 14 पर्सेण्ट है । जब कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया के आपके पास क्लीयरकट आदेश हैं । 16 जून, 1990 के जिसके अन्दर क्लीयर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है, वह जितनी पापुलेशन राजस्थान की है, उस जनसंख्या के अनुपात के बाद एडमिशन देंगे । इसके बावजूद भी राजस्थान के अन्दर मात्र 8 पर्सेण्ट और 6 पर्सेण्ट का आरक्षण है ।

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

इसलिये मेरा सदन से ग्रौर ग्रापसे निवेदन है कि ग्राप (समय समाप्ति सूचक घंटी) सदन में घोषणा करें कि जनसंख्या के ग्रनुपात में मेडिकल कालेज के ग्रन्दर ग्रारक्षण देंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजिये। ग्रब मेरे पास 3 नोटिस ग्राये हैं। श्रीमती उजला ग्ररोड़ा के दो, जिसमें यह लिखा है कि 131 का मामला है जो ग्रापने उठाया है....(व्यवधान) सुनिये, मैं ग्रलाऊ नहीं करता हूं। इसी तरह से मदन दिलावर का 119 ग्रौर 127 का जवाब ग्रा गया, उसमें बोलने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह से श्रीमती उजला ग्ररोड़ा का 131 का है, वह नहीं होगा।

श्री हरिसिंहजी ।....(व्यवधान) नहीं, वह हाउस में जवाब ग्रा गया ग्रौर ग्राप कह रही हैं कि गलत जवाब ग्राया है। उसकी प्रक्रिया यहां नहीं होगी, उसकी ग्रलग प्रक्रिया है।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : हाउस में उसका जवाब ग्राया ही नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, जवाब ग्रा गया, ग्रापने लिखा है।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : वह प्रश्न के माध्यम से बात हुई है।

श्री ग्रध्यक्ष : हां, बात क्या हुई, जवाब ग्रा गया। ग्राप छोड़िये, उसकी ग्रलग से...। ग्राप बैठिये। पहले इनको सुनूंगा, पहले इनको पुकार लिया मैंने।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : एक मिनट सुन लीजिये। बेरोजगार पुस्तकालयाध्यक्ष का ग्रान्दोलन चला है 2–3 महीने से।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बोलिये। डा. हरिसिंहजी, बोलिये। ग्राप बैठिये।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्राप इनको बुलवा लीजिये लेकिन मुझे ग्राप एक मिनट का मौका दें। मुझे बोलने दें।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, मैं किसी को हक नहीं देना चाहता।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय ग्रध्यक्षजी, मैं ग्रापके माध्यम से इस सदन का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में जो एनार्की फैली हुई है ग्रौर जो हालत हैं, ग्राज ग्रापने ग्रखबारों में भी पढ़ा होगा कि गवर्नर ने गवर्निंग बॉडी की मीटिंग पर रोक लगाई थी ग्रौर हाई कोर्ट से स्टे लेकर गवर्निंग बॉडी की मीटिंग कर ली।

श्री ग्रध्यक्ष : हाई कोर्ट ने दे दिया तो क्या करेंगे ?

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : ग्रापको हालत से ग्रवगत कराना चाहता हूं कि हालत क्या हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : वह तो हाई कोर्ट ने दिया है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : ग्रध्यक्षजी, मैं चार्ज नहीं लगाना चाहता, हाई कोर्ट ने गवर्नर....। What is happening ?

श्री अध्यक्ष : वह तो हरेक को अधिकार है कोर्ट में जाने का ।

डा. हरिसिंह : अब क्या है कि राष्ट्रपति के नाम से कुछ टीचर्स ने एक पत्र लिखा ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप एडजोर्नमेंट मोशन की बात कर रहे हैं क्या ?

डा. हरिसिंह : हां ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये । उसमें मेरे पास सरकार का यह जबाव आया है कि इसका हमको पता नहीं है, हमें कोई नोलेज नहीं है इस बारे में क्योंकि यह आटोनोमस बॉडी है, हमारे पास कुछ है नहीं रिकार्ड, इसके बारे में कि राष्ट्रपति को भेजा और वह फट गया । कुछ पता नहीं है । गवर्नमेंट ने अपनी इग्नोरेंस बताई है कि हमको मालूम नहीं है । इसलिये वह लगाने का सवाल नहीं है ।

डा. हरिसिंह : दस्तख्तों के फोटोज कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप यहां वे सवाल उठायें जिन सवालों का जवाब हम सरकार से ले सकते हैं । जिस बात का सरकार को पता नहीं है, जो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आटोनोमस बॉडी है, अपने आप कर रहे हैं उसमें ऐसे सवालों को उठाने से क्या फायदा ?

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक अर्ज है । सरकार है हमारी यहां । इस सरकार में इनका हैड है, इनकी बात होती रही है । राज्यपाल महोदय इनके हैड हैं । तो क्या सरकार ने राज्यपाल महोदय से भी पूछा ? उनके पास ज्ञापन की प्रति मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह इंटरनल है । अब आप राज्यपाल महोदय को लायेंगे, हाई कोर्ट को लायेंगे । श्री प्रद्युम्न सिंहजी । ....(व्यवधान) देखिये, इसमें महामहिम राज्यपाल और उच्च न्यायालय दोनों का नाम आ रहा है तो मैं इसमें डिबेट अलाऊ नहीं करता । और फिर ओटोनोमस बॉडी है ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : नहीं, हम तो गवर्नर के पक्ष में बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप पक्ष में बोलें या विपक्ष में बोलें, आप पक्ष में बोलेंगे, कोई विपक्ष में बोल जायेगा । यह हाउस आपके अकेले के हाथ है क्या ? आपको पता है कि यहां पर हाई कोर्ट और गवर्नर के बारे में चर्चा नहीं हो सकती । एक आदमी पक्ष में बोलेगा, दूसरा विपक्ष में बोल सकता है ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : बी. सी. के बारे में बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या बात कर रहे हो ? प्रद्युम्न सिंहजी, बोलिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक....(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं । मैं इस बारे में नहीं कहता हूं मैं गवर्नर साहब और बी. सी. साहब और हाई कोर्ट के बारे में नहीं कहूंगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की अनार्की है एक इन्स्टी-

(डा. हरिसिंह)

ट्यूशन या विश्वविद्यालय में और सारे राजस्थान....

श्री अध्यक्ष : मेरा एक निवेदन है, आप बैठिये। Please, hear me.

कृपया आप उसका एक्ट पढ़ लीजिये। उस वक्त में गवर्नमेंट को क्या अधिकार है, वह देख लीजिये। उसमें वाइस-चांसलर को क्या अधिकार है, वह देख लीजिये। वाइस चांसलर को आप हटा सकते हैं, वह देख लीजिये। सारी चीज क्लीयर हो जायेगी। आप एक्ट पढ़कर के आइये, फिर पूरा उठाइये। पहले आप एक्ट पढ़ लीजिये। मैंने वह एक्ट पढ़ा है। आप उस एक्ट को पढ़ लीजिये, वाइस-चांसलर के खिलाफ क्या कर सकते हैं उसको हटा सकते हैं क्या पांच साल के पहले, आप सारी बातें देख लीजिये। आप देख कर करिये। तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती।....(व्यवधान)

प्रद्युमन सिंहजी का और किसी का नोट नहीं। प्रद्युम्न सिंहजी बोलेंगे। प्रद्युम्नसिंहजी, आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजा खेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। धौलपुर जिले के थाना कोलारी के अन्तर्गत गांव मूसलपुर के अंदर एक हरिजन की हत्या की गई, वासुदेव उसका नाम था। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी कुछ दिन पूर्व पुलिस की कस्टडी के अंदर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बुरी तरह से पिटाई की गई और मार पीट करके उसे छोड़ दिया गया। थोड़े दिन बाद वह टिटेनिस की बीमारी से मर गया जिसका स्थगन प्रस्ताव कल यहां पर करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की हालत हो गई है वहां पर। धौलपुर, भरतपुर जिले का हिस्सा रहा है और भरतपुर जिले से लगा हुआ है। जाटव जाति के लोगों में वहां पर असुरक्षा की भावना फैल रही है। गांव खाली हो गया है। गांव के जाटव जाति के लोग, जो अनुसूचित जाति के हैं, वे गांव छोड़कर चले गये हैं। जब गांव छोड़ कर चले गये तो पीछे से उनके घरों से सामान लूट कर ले गये। मुल्जिम अभी भी नहीं पकड़े गये।

हालांकि मैं इसको यहां उठाना नहीं चाहता था, लेकिन मामला गम्भीर हो रहा है, इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वहां के पुलिस प्रशासन को इस बात के लिये ताकीद करें कि मुल्जिमों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाये, वर्ना दो हादसों के होने के बाद डर है कि लोग गांव से पलायन करना न शुरू कर दें। पूर्व में भी बारातों के मामले को लेकर एक एक दो किस्से हो गये और लोग चले गये, क्योंकि वहां पर आबादी ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से घर हैं, पांच पांच, दस दस घर हैं, तो लोगों में भय की भावना बहुत जल्द ही उत्पन्न होती है। इसके बारे में आप कोई कदम उठाकर वहां के प्रशासन को कह दें....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि स्थगन प्रस्ताव का जवाब आपसे मांगा नहीं, आज ही आया है,

(श्री अध्यक्ष)

रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस का जबाब आप दे दें, आप इसके बारे में जांच करें....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे कल ही जानकारी दी थी और मैंने तुरन्त वहां के एस.पी. को मेसेज दे दिया था इसकी रिपोर्ट के लिये, और वहां पर जो असुरक्षा और आतंक का वातावरण फैला हुआ है, वह रुके, इसके लिये प्रबन्ध कर दिया जायेगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे। 295..

श्री गोपाल सिंह खंडेला : पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, सर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज ही 295 लगाया है....

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह खंडेला।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसके बारे में मैं....

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह जी। ये कभी कभी ही बोलते हैं, इनके तो बोलने दीजिये। पहली बार खड़े हुए हैं बोलने के लिये इस सत्र में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात बोलने की है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ना। उजला जी, आपको जल्दी क्या है ?

श्री गोपाल सिंह खंडेला : माननीय अध्यक्ष महोदय, में अभी अभी श्रीमाधोपुर से आया हूं। श्री माधोपुर और खंडेला के बीच आज सुबह नौ बजे एक ट्रक और स्कूटर के बीच एक्सीडन्ट हो गया जिसमें स्कूटर का सवार तो घटनास्थल पर ही मर गया। भीड़ ने ट्रक को वहां रोक छोड़ा है।....डेड बाडी वहां पड़ी है और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी वहां नहीं पहुंचे हैं। उनकी मांग है कि जब तक सीनियर आफिसर पुलिस का वहां नहीं जाएगा तब तक डेड बाडी को वहां से नहीं उठाने देंगे। अब तक वहां पर 4-5 हजार आदमी इकट्ठे हो चुके हैं। मैं उधर से आया हूं, अध्यक्ष महोदय, वहां पर रास्ता जाम हो चुका है और मामला कुछ बढ़ता जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, वह ऐसी कोई तुरत-फुरत व्यवस्था करें, उच्चाधिकारी वहां पहुंचें और रास्ता साफ करवाएं।

श्री अध्यक्ष : अभी करवा देते हैं। श्री लक्ष्मीनारायण दवे।....(व्यवधान)....अब श्री लक्ष्मीनारायण दवे बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसके बारे में थोड़ा सा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप फिर बोलना, पहले इनको बोलने दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो वह 295 शुरू कर देंगे इससे कंफ्यूजन होगा।

श्री अध्यक्ष : पहले लक्ष्मीनारायण दवे को बोलने दीजिए। आपका 295 आएगा अभी। लक्ष्मीनारायण दवे।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सोजत के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोजत में विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, निवेदन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत सिटी में गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नत किया था मगर अध्यापकों का पदस्थापन नहीं करने में छात्राओं की पढ़ाई पर प्रतिकूल....

(1.12 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रभाव पड़ रहा है। इस वर्ष छात्राओं की बोर्ड की परीक्षा निकट है—अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में पद सृजित होने के पश्चात् भी अभी तक पदस्थापन नहीं हुआ है तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, घोगड़वास, शिवपुरा, घुरासनी, गमासनी बाला, सबराड़ तथा राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय कुण्टालिया में अध्यापकों के काफी समय से पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः इस गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु अविलम्ब कार्यवाही कर मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपरोक्त विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करें ताकि विद्यार्थियों को हो रही जटिल समस्या का निराकरण हो सके। उपरोक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं कक्षाओं की संख्या अधिक होने पर भी मात्र दो या तीन अध्यापक पदस्थापित होने से अभिभावकों के भी चिन्ता का विषय बना हुआ है तथा नाम मात्र के अध्यापक रहने से सभी कक्षाओं की व्यवस्थित रूप से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तथा विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

अतः, मान्यवर मैं सदन के माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं कि मेरे क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरने की कार्यवाही करें तथा यह कार्य कब तक कर दिया जाएगा इसकी माननीय शिक्षा मंत्रीजी घोषणा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 5 रोज पूर्व ही राजकीय बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत सिटी के अन्दर बालिकाओं ने हड़ताल की थी। सोजत सिटी के तमाम उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल (छात्र एवं छात्राएं), सोजत सिटी के अन्दर हैं, सभी के अन्दर हड़ताल रखी थी और सोजत बन्द का आह्वान किया था। छात्रों की प्रमुख मांग हैं कि उनकी परीक्षाएं बहुत निकट हैं और वहां पर अंग्रेजी, हिन्दी, हिस्ट्री, पालिटिकल साइंस के एक भी व्याख्याता नहीं लगे हुए हैं कि जिसके कारण से छात्रों को बहुत ही कठिन समस्या से निकलना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान और पाली जिले के अधिकांश विद्यालयों के अन्दर चाहे वह उच्च प्राथ-

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

मिक विद्यालय हो, चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे सैकण्डरी स्कूल हो, इन सब में गम्भीर संकट बना हुआ है विद्यार्थियों के लिए। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पाली जिले में जो अध्यापकों के रिक्त पद हैं उन्हें अविलम्ब भरा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमृतलाल परमार। (अनुपस्थित) श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

अनुदानित शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्ते

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा में की गई शिक्षा विभाग की घोषणाओं पर मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के गत सत्र में अतारांकित प्रश्न संख्या 13/शिक्षा के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने सूचित किया था कि सत्र 1987-88 व 1988-89 में अनुदानित संस्थाओं के स्वीकृत पदों पर मितव्ययता की दृष्टि में अस्थाई रोक लगाई थी और यह प्रकरण सरकार के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की सम्भावना है। सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के अनुदान पर रोक लगाए 3 वर्ष से अधिक हो गया तथा माननीय शिक्षा मंत्रीजी द्वारा शीघ्र निर्णय का आश्वासन दिए 7 माह का समय हो गया, परन्तु सरकार द्वारा इन पदों का अनुदान स्वीकृत नहीं किए जाने से इन पदों पर कार्यरत 150 से अधिक अध्यापकों को तीन वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा है। कुछ संस्थाओं ने तो इस स्वीकृति के निर्णय के अभाव में अध्यापकों की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं। संस्थाओं और सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा बार बार लिखने पर भी सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने विधान सभा के गत सत्र में 17 मार्च, 1992 को यह घोषणा भी की थी कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को ये सभी सुविधाएं, वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जायेंगे जो राज्य सेवा के समकक्ष पदों को दिए हैं। लेकिन बार बार आश्वासन देने के उपरान्त इन्हें लागू न करना खेदजनक है। और इससे विश्वसनीयता संदिग्ध हुई है।

इसी तरह राज्य में शिक्षा के प्रचार प्रसार में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 6 वर्ष पूर्व जब राज्य सरकार ने राज्य में 10+2 योजना लागू की तो इन संस्थाओं ने आगे आकर इसकी क्रियान्विति में सरकार को सहयोग प्रदान किया, परन्तु अब तक सरकार ने इन संस्थाओं को 10+2 स्तर पर अनुदान देना प्रारम्भ नहीं किया है। इससे संस्थाओं के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट हैं। इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों का भविष्य भी अस्पष्ट है न तो इनकी सेवाओं का स्थायित्व है, न इन्हें पूरा वेतन मिल रहा है। यदि संस्थाएं आज इस स्तर की कक्षाएं चलाना बंद कर दें तो सरकार के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है।

अन्त में मैं मुख्य मंत्रीजी एवं शिक्षा

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इन अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते आदि सुविधाएं देने, संस्थाओं के स्वीकृत पदों के समकक्ष अनुदान देने व 10+2 के स्तर पर अनुदान स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करें व संस्थाओं की तकलीफों को समझें। संस्थाओं व कर्मचारियों के असंतोष को देखते हुए यह विषय प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के महाविद्यालयों में कार्यरत अस्थाई व्याख्याताओं, जो कि विभिन्न विषयों के अनेक वर्षों से कार्यरत हैं, विभाग ने आर.पी.एस.सी. नहीं कार्यवाई उसके कारण से इनका सलेक्शन नहीं हो सका। मुख्य मंत्रीजी, आप द्वारा 1977–78 के अध्यादेश द्वारा उस समय अस्थाई व्याख्याताओं को स्थाई किया था। अभी-अभी उत्तर प्रदेश और मध्य-प्रदेश की सरकारों ने ऐसे अस्थाई व्याख्याताओं को अध्यादेश द्वारा स्थाई किया है। कृपा कर आप भी उदार हृदय रखकर इन व्याख्याताओं को राहत देने की कृपा करें। क्योंकि इनमें से अनेक व्याख्याता ऐसे हैं जो ओवरऐज हो चुके हैं और आर.पी.एस.सी. फेल नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर की जल प्रदाय योजनाएं एवं पेयजल समस्या

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर जल प्रदाय योजना एवं जलाशय के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर में जल आपूर्ति एवं प्रदाय योजना के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर में रियासती काल से पुरानी पाइप लाइन डाली हुई है। उस समय कम व्यास की लाइन कम आबादी के लिए बनाई गई थी। पानी की मात्रा बढ़ने की स्थिति में भी पाइप लाइन की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की गई है। नगर में पेय-जल आपूर्ति के लिए जल स्रोतों के संवर्द्धन में नगर में कितनी धन-राशि व्यय हुई तथा पाइप लाइन सुधार के लिए कितना खर्चा हुआ है?

जोधपुर शहर के कम दबाव वाले क्षेत्रों एवं समस्याग्रस्त इलाकों में कारगर पेयजल आपूर्ति के लिए उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य भी स्वीकृत किए गए थे। इन जलाशयों का निर्माण कार्य अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था। इस महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्य को अब तक लम्बित क्यों रखा है? इन जलाशयों से जोड़े जाने वाली वितरण शाखाओं में बढ़ोतरी का कार्य भी इसके साथ करवाया जाना चाहिए।

मैं आपका ध्यान पानी के रिसाव को रोकने सम्बन्धी कार्य पर दिलाना चाहूंगी कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पानी के रिसाव को रोकने के लिए लाखों रुपये व्यय करके यन्त्रों की खरीद की है। इसके साथ ही विभाग के दो इंजीनियर्स को तत्सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण भी दिलवाया गया है इन यंत्रों का पानी का

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

लीकेज रोकने में क्या उपयोग किया गया ? जोधपुर शहर में भी पानी के लीकेज की जबरदस्त समस्या है और जवाई बांध की नहर से जोधपुर पहुंचते पानी सैकड़ों क्यूसेक रिसाव में नष्ट हो जाता है। इसकी रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

जोधपुर शहर के समस्याग्रस्त अंतिम छोर वाले इलाकों एवं कम दबाव वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए बूस्टर लगाने की योजना भी बनाई गई थी। ऐसे कितने क्षेत्रों में बूस्टर लगाए गए ? और जहां यह लगने थे वहां अब तक क्यों नहीं लगे ? इसके अलावा नई पाइप लाइन को लगाने के कार्य की प्रगति क्यों नहीं हुई ? इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। जोधपुर नगर के परम्परागत पेयजल स्रोत रानीसर एवं पदमसर तथा कामलाना झील के रखरखाव की दिशा में विभाग ने अब तक क्या कार्य किया और इसके संधारण के लिये कितनी राशि व्यय की है। सूखा राहत में कितना अनुदान दिया गया एवं कितनी राशि खर्च हुई है ? क्या कार्य पूरा किया गया ? यदि नहीं तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी से एक और भी निवेदन करना चाहूंगी। जोधपुर शहर में पानी की अब कोई कमी नहीं रही है। फिर भी जोधपुर के अन्दर एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन पानी दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर रोज पानी दिया जाना अति आवश्यक है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके इन मामलों पर आवश्यक कार्यवाही करवा कर मुझे भी अवगत करावें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : दो मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके और मेरे क्या मालूम क्या योग है कि आप आते हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री राजेन्द्र पारीक : महिलाओं का मामला है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : महिलाओं का है लेकिन व्यवस्था तो है, सभी कहेंगे घंटे-घंटे बोलेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक का रिकार्ड रहा है कि जब कभी भी बी.जे.पी. की सरकार आई है और माननीय भैरोंसिंहजी मुख्यमंत्री रहे हैं तो हड़ताल का तो नाम ही नही रहा है और इन्द्र भगवान ने उनके ऊपर भारी वर्षा की है और पानी की कोई दिक्कत नहीं रही है। मगर पानी की समस्या का समाधान कौन करेगा ? यह मंत्री लोग है और मुख्य मंत्रीजी करेंगे। मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से, जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जोधपुर की समस्या का समाधान करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर इतनी भारी वर्षा होने के कारण

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर की सड़कें अवरूद्ध हो गई है मैं यह समझती हूं कि जो गर्भवती महिला है उनको तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पानी पर बोल रही थीं, अब सड़कों पर आ गयीं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जो हमारे जलदाय मंत्री हैं वही स्वायत्त शासन मंत्री भी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर नगर परिषद की स्थिति दयनीय है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि कुछ अनुदान अवश्य दें जिससे जोधपुर की सड़कें पानी और लाइट की व्यवस्था हो सके। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने घोषणा की की थी कि सड़कें जल्दी से जल्दी ठीक करवा देंगे लेकिन मेरा जो क्षेत्र है उसके अन्दर भंवरलालजी शर्मा जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं उनका क्षेत्र है। हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री के पास तो चार ही सड़कें हैं उन्होंने वायदा किया है कि चार सड़कें मैं जल्दी ठीक करवा दूंगा मगर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी हमारे मंत्रीजी को कि शहर की सड़कों के ऊपर विशेष अनुदान की राशि देकर जोधपुर की समस्या का समाधान करें क्योंकि यह जोधपुर का.... (व्यवधान) मैं कभी-कभी ही बोलती हूं और मैं ज्यादा बोलती भी नहीं हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। आपकी बात सुन ली।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं मंत्रीजी से जबाब लूंगी। यह क्या बात हो गई ? मंत्री महोदय जवाब देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो मेरी रक्षा करनी चाहिये, आप मेरे को ही डांट रहे हो। आप जवाब दिलवाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्या, आपने जिन समस्याओं की ओर ध्यान दिलवाया है मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप या तो विधान सभा के समाप्त होने के बाद या जब आपको समय मिल जाये तो आप मुझसे बात करिये, बैठ कर चर्चा कर लेंगे, कोई निवारण होगा तो कर देंगे।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

दइपुर ग्राम, रानीवाड़ा तहसील में गोचर भूमि पर अतिक्रमण

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में ग्राम दईपुर, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालौर की गोचर भूमि में अतिक्रमियों द्वारा मकान, बाड़े एवं काश्त करने बाबत मेरा निवेदन है।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम दईपुर में गोचर की जो जमीन है उसमें काफी लोगों ने अनधिकृत बाड़े, मकान एवं काश्त कर रखी है ? जिससे पशु चराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस हालत में ग्रामवासियों में बड़ी भारी चिन्ता व्याप्त है।

अतः शीघ्र कार्यवाही कर गोचर भूमि पर जिन जिन व्यक्तियों ने अनाधिकृत कब्जा किया है उनको कानूनी कार्यवाही कर सजा दिलाई जाये और तुरन्त प्रभाव से

(श्री रतनाराम चौधरी)

अतिक्रमियों को हटवाया जाये। हल्का पटवारी एवं तहसीलदार को कार्यवाही नहीं करने पर जिम्मेदार ठहराया जाय।

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है, अतः इसे प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो राजस्थान सरकार गोचर भूमि को आबाद करना चाहती है और दूसरी तरफ गोचर भूमियों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। उन पर राजस्थान सरकार और रेवेन्यू विभाग ध्यान नहीं दे रहा है जिससे पशुओं को चराने की जो भूमि गोचर है वह दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिये कृपा करके इस मामले में तुरन्त प्रभाव से आदेश देकर अपराधियों को सजा दिलवाई जाये और अतिक्रमण को हटाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में हरिजनों, अनुसूचित जाति एवं जन जाति पर हो रहे अत्याचार एवं जनजाति के रिक्त पदों को नहीं भरने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जाति, जन जाति के सभी विभागों में पड़े रिक्त पदों को तीन माह में भर दिया जायेगा लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभी विभागों में पद रिक्त पड़े हुये हैं? और अनुसूचित जाति, जन जाति के शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं जिससे समाज में भारी रोष है। अतः माननीय मुख्य मंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि रिक्त पदों को भरने के लिये आदेश फरमाये ताकि समाज का भला हो सके।

राज्य में हरिजनों अनु. जाति, जन जाति पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाई जावे। झालावाड़ में कई केस इस प्रकार के हुये परन्तु गरीब लोगों की थानों में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती और न ही अपराधियों पर कोई कड़ी कार्यवाही होती है। दिनांक 18.9.92 को खेड़ा घघुपुरा में अनु. जाति के व्यक्ति बगदू चर्मकार के घर पर नारायण सिंह निवासी घघुपुरा ने पत्थर फेंके और सारा घर तहस-नहस कर दिया। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील में विधवा भूलीबाई पत्नी गब्बा जाति मेहर निवासी मगसपुर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। थाने में रिपोर्ट करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों की पदोन्नति

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग में बड़ी संख्या में अभियांत्रिकी कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत हैं लेकिन विभाग की उदासीनता, लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के कारण

(श्री हीरालाल आर्य)

यहां पर कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है तथा उनको, खास तौर से छोटे कर्मचारियों एवं फील्ड-मेन को चयनित वेतनमान नहीं मिल पा रहा है। विभाग में कार्यरत इन कर्मचारियों की पदोन्नति इसलिये नहीं हो पा रही है क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति की लम्बे समय से एक भी बैठक नहीं हुई है। लेकिन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, आपाधापी तथा नियमों को ताक में रखकर मनमाने तरीके से बिना वरिष्ठता का ध्यान रखे तथा अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु निर्धारित आरक्षण कोटे की अवहेलना एवं खुल्लम-खुल्ला धज्जियां उड़ाते हुए मनमाने तरीके से एडहाक पदोन्नतियां की जा रही हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि आज तक भी अनुसूचित जाति व जनजाति के एक भी व्यक्ति को एडहाक पदोन्नति नहीं दी गई है। यहां तक भी अति हो रही है कि विभाग में कई पद रिक्त पड़े हैं जिन पर अब अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कर्मचारियों को ही एडहाक पदोन्नतियां देना चाहिये लेकिन विभाग में होड़ लगी रहती है तथा बोलियां लग रही हैं तथा अधिक धनराशि विभाग के उच्चाधिकारियों को देकर पदोन्नतियां प्राप्त करने के लिए छटपटा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि विभाग में जिस प्रकार की आपाधापी तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे देखते हुए ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति एवं धन खर्च करने वाले व्यक्ति सफल हो सकते हैं।

अतः मैं माननीय वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग में कार्यरत अभियांत्रिकी कर्मचारियों को पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर ही दी जाय तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों हेतु आरक्षित कोटे के बैकलाग की पूर्ति करते हेतु इस वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाय तथा बड़े लम्बे समय से पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अविलम्ब बुलाकर ही पदोन्नतियां दी जायं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री चम्पालाल जैन (अनुपस्थित)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

पंचायत समिति रियांबड़ी (नागौर) के अध्यापकों को वेतन

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत पंचायत समिति रियांबड़ी (नागौर) के अध्यापकों को 14 माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। (व्यवधान) महोदय, पंचायत समिति रियांबड़ी (नागौर) में सन् 1984-85 में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां धारा 23 (साक्षात्कार विज्ञप्ति) के अनुसार हुई थी। इन्हीं अध्यापकों को सन् 1991 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश द्वारा पुनः नियुक्त किया गया। पंचायत समिति रियांबड़ी में "श्याम पट्ट" योजना के तहत रिक्त पदों पर इन्हें नियुक्तियां दीं। इनके साथ 11 अध्यापकों को भी उच्च न्यायालय के आदेश से नियुक्तियां दीं। इन व्यक्तियों को तो वेतन मिल रहा है। इन ग्यारह व्यक्तियों की नियुक्तियां तो रिक्त पदों पर

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

बताकर वेतन दे रहे हैं जबकि बाकी 45 "श्याम पट्ट" के तहत की गई नियुक्तियां भी रिक्त पदों पर दी गई हैं परन्तु इन 45 अध्यापकों को नियुक्ति से आज तक 14 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। अधिकांश अध्यापक ओवर-एज भी हो रहे हैं। अतः इनकी सेवाओं को नियमित भी किया जाना जरूरी है। इस सम्बन्ध में मैंने कई बार निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग से सम्पर्क किया परन्तु अभी तक न तो इन अध्यापकों को वेतन मिला है और न इनकी सेवाओं को नियमित किया है। अतः पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन है कि तुरन्त इन अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करावें व वेतन दिलावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन अध्यापकों को तुरन्त वेतन दिलवाया जाये। 14 महीने से वेतन नहीं मिलने से इनके परिवार की क्या हालत हो रही होगी ? अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनको जल्दी वेतन दिलवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में आज ही दिखवा दूंगा कि क्या स्थिति है और नियमानुसार तुरन्त उनका पेमेन्ट कराने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीचंद मेहता। (अनुपस्थित)

माननीय प्रकाश बैरवा। (अनुपस्थित)

प्रोफेसर सांवर लाल।

नयी शिक्षा नीति में वाणिज्य विषय की उपेक्षा

श्री सांवर लाल : महोदय, वाणिज्य एक महत्वपूर्ण विषय है जो व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। सरकार आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाये बिना बेरोजगारी की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

हम एक ओर विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, वहीं नई शिक्षा नीति में वाणिज्य जैसे व्यावहारिक एवं उपयोगी विषय की उपेक्षा की गई है।

पिछले कई वर्षों से पाठ्यक्रम में कक्षा 6 में वाणिज्य ज्ञान विषय हुआ करता था। कक्षा 6, 7 व 8 में वाणिज्य विषय के बारे में साधारण जानकारी विद्यार्थी को कराई जाती थी जिससे उसे बैंक, पोस्ट आफिस तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की प्रक्रिया तथा व्यापार व व्यापार की सहायक क्रियाओं से सम्बन्धित उपयोगी जानकारी होती थी। कक्षा 9 में वाणिज्य विषय ऐच्छिक विषय के रूप में चलता था। नई शिक्षा नीति में ऐच्छिक विषय कक्षा 9 में लेकर कक्षा 11 में लेने का प्रावधान कर दिया। इसके पीछे धारणा यह थी कि 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी विषयों का साधारण ज्ञान हो जाये किन्तु नये पाठ्यक्रम में कक्षा 10 तक वाणिज्य विषय को शामिल नहीं किया गया जिससे विद्यार्थी व्यापार व आर्थिक क्रियाओं

(श्री सांवर लाल)

सम्बन्धी उपयोगी ज्ञान से वंचित रह जाता है।

10वीं कक्षा तक वाणिज्य विषय पाठ्यक्रम में नहीं होने से विद्यार्थी इस विषय के ज्ञान से तो वंचित रह ही जाता है; साथ ही सैकण्ड ग्रेड के वाणिज्य अध्यापक बेकार हो गये हैं। भविष्य के लिए वाणिज्य अध्यापकों की मांग कम हो गई है तथा बी. एड. हेतु वाणिज्य विषय के अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यता बी. काम. के बजाय एम. काम. कर दी है तथा इस विषय के विद्यार्थियों के लिए अध्यापक बनना काफी कठिन हो गया है। इससे वाणिज्य स्नातकों एवं स्नातकोत्तर में रोष है। वाणिज्य शिक्षकों का रोष भी स्वाभाविक है।

वर्तमान आर्थिक युग में वाणिज्य जैसे उपयोगी विषय को नकारना उचित नहीं है अतः इस विषय का ज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर से ही विद्यार्थियों को कराना चाहिये। कक्षा 9 व 10 में वाणिज्य विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिये।

वाणिज्य विषय कक्षा 10 तक पाठ्यक्रम में नहीं होने से इस विषय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वाणिज्य शिक्षकों का वर्क लोड घटता जा रहा है जबकि सरकार के पास स्कूल व्याख्याता व कालेज व्याख्याता चयनित हैं। वे बेकार बैठे हैं तथा विद्यार्थी विषय के ज्ञान से वंचित हैं।

लगभग सभी महाविद्यालयों मे वाणिज्य की सीटें खाली पड़ी हैं तथा अधिकांश कालेजों में स्टाफ खाली बैठा है तथा सरकार 48 प्रतिशत से कम प्रतिशत वालों को प्रवेश नहीं दे रही है। अतः वाणिज्य विषय में प्रवेश की न्यूनतम सीमा 48 प्रतिशत को घटाकर सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु आदेश प्रसारित करने चाहिये।

मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से विशेष आग्रह करता हूं कि वाणिज्य शिक्षा को प्राथमिक स्तर से लागू किया जाय जिससे विद्यार्थियों के अपने व्यावहारिक जीवन में इस ज्ञान का उपयोग हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप मीणा।

अग्रवाल शिक्षा समिति, जयपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अनियमितता

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रक्रिया के माध्यम से कहना चाहता हूं....(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मसले के ऊपर मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप इसको मजाक में नहीं ले जायं। राजस्थान में जो अग्रवाल शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें भारी अनियमितताओं के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में जितनी भी अग्रवाल शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें भारी अनियमितताए हुई हैं। वह मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्रीजी यहां

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बिराजमान नहीं हैं। ठीक है, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्रीजी दोनों का ध्यान इन अग्रवाल शिक्षण संस्थाओं की ओर दिलाना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : प्रारम्भ कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, भयंकर अनियमितताएं उनमें चल रही हैं।

निवेदन है कि अग्रवाल शिक्षा समिति, जयपुर द्वारा जयपुर में अनेक शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है और लाखों रुपये छात्रों से फीस के नाम पर प्राप्त किये जाते हैं परन्तु आज स्थिति यह है कि ये शिक्षण संस्थाएं अग्रवाल समिति के विभिन्न पदाधिकारियों के हित रक्षण का केन्द्र बनकर रह गई हैं और इसके पदाधिकारियों का एक मात्र काम इसके जरिये अपनी राजनीति करना रह गया है जिसके चलते इन शिक्षण संस्थाओं में भारी अव्यवस्था व अनियमितता व्याप्त हो गई है। इससे कार्यरत योग्य प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं व अध्यापक/अध्यापिकाओं में भारी रोष व्याप्त हो गया है जिसने कुल मिलाकर इन संस्थाओं में शिक्षण कार्य को ठप्प कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है। इसके लिए आप सरकार पर विशेष दबाव डालेंगे। यह पवित्र कार्य है। शिक्षण संस्थाओं का मामला है इसलिए विशेष ध्यान दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : चलिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। जब हम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करते हैं तो कम से कम मन्त्रीजी को यहां सदन में रहकर उसका कोग्नीजेंस तो लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अन्य काबीना मन्त्री बिराजे हुए हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मन्त्रीगण का पता ही नहीं है। पूरे मन्त्रिमण्डल के 4 आदमी यहां बैठे हुए हैं। ये हाउस को नॉन-सीरियसली लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, आपको अच्छी तरह से मालूम है। वह सही है लेकिन आप यह भी मानते हैं कि उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। और माननीय मन्त्री जी बैठे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, जरूरी नहीं है तो इन 4 आदमियों को कह दो चले जाओ, सदन हम ऐसे ही चला लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हर बात का कोग्नीजेंस लिया जा रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम आप तो यह न कहें। इन मन्त्रियों को यहां सदन में रहना चाहिए। 4 मन्त्रियों के अलावा सब सदन से गायब हैं। किसे सुनायें यहां राजस्थान की व्यथा ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, 8–9 तो मैं गिन रहा हूं। कल्ला साहब ने 4 कैसे गिने ? वो देखो, शांतिलालजी चपलोत बैठे हैं, मिश्रीलालजी चौधरी बैठे हैं, खर्राजी बैठे हैं और आपको 4 दिख रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो अपने स्थान पर नहीं हैं उनको हम नहीं गिनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य यहां खुद मन्त्रिमण्डल में रहे हुए हैं और यह कह रहे हैं कि "4 आदमी बैठे हुए हैं।" यहां कोई आदमी नहीं बैठे हैं। यहां माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और मन्त्री बैठे हुए हैं। कह दिया 4 आदमी बैठे हैं यहां।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 4 मन्त्रिमण्डल के सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष : सुधार कीजिए। माननीय मीणाजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य बात है, आप इसका स्वयं मुझे जवाब दिलायेंगे, यह मुझे विश्वास है।

एक तरफ जहां वर्ष 1991 में आयी प्रबन्ध समिति योग्य प्राचार्य को त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर रही है वहीं अपनी इच्छा से सारी वरीयता और नियम कायदों को ताक में रखकर इच्छित व्यक्ति को प्राचार्य बनाया जा रहा है।....(व्यवधान).... यह शिक्षा का मामला है। यह बहुत ही पवित्र कार्य है। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इसको सुनें। आपके भाई भी वहां परेशान हो रहे हैं उनको भी वहां एडमिशन नहीं मिल रहा है।..(व्यवधान).. नियम कायदों को ताक में रखकर इच्छित व्यक्ति को प्राचार्य बनाया जा रहा है जिससे कि इन शिक्षण संस्थाओं को अपनी शुद्ध राजनीति का अखाड़ा बनाया जा सके। इसके चलते अब तक अग्रवाल सीनियर हायर सैकण्डरी, अग्रसेन पब्लिक स्कूल, एक अन्य प्राचार्य श्री एस. पी. सिंह, शिशु मन्दिर की प्राचार्य को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया जा चुका है। इसके अलावा अनेक अध्यापक-अध्यापिकाओं को त्यागपत्र के लिए मजबूर किया जा चुका है। श्रीमती नूतन गुप्ता, प्राचार्या शिशु मन्दिर ने तो कुछ पदाधिकारियों पर चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दिया है। सदन में जहां अभी महिलाओं की चर्चा हो रही थी लेकिन इनको चरित्र हनन के कारण इस्तीफा देना पड़ रहा है।

यही नहीं, वित्तीय अनियमितताएं भी की जा रही हैं। नकल रोकने के लिए बुलाये अध्यापकों को 50000/–रुपए का टी. ए./डी. ए. देकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैसे से बना छात्रावास है उसमें पब्लिक स्कूल चलाया जा रहा है। कमरों का अभाव होने पर कमरे न बनाकर क्रिकेट के मैदान में चारदीवारी पर लाखों रुपया खर्च कर गोलमाल किया है। हजारों रुपये का फर्नीचर मात्र 1500 रुपए में नीलाम कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आज आप जोर से बोल रहे हैं, पिछले दिन तो ढंग से पढ़ रहे थे आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह बहुत ही गम्भीर मसला है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से लें। सारे सदस्य इसे मखौल बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप, मीणा साहब, थोड़ा-सा ध्यान रखें, ये सारे ही सदस्य विद्वान् हैं। आपके मुंह से बोलते ही सब समझ जाते हैं। आप एक्सप्लेन करके अपनी बुद्धि का ज्यादा परिचय न दें तो ठीक रहेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बुद्धि का परिचय देने के लिए तो कई हैं यहां पर और आप कहते हो बुद्धि का परिचय मत दो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैंने सारे विद्वान् सदस्यों को सम्मान प्रकट करने के लिए कहा है कि थोड़ा-सा बोलने से सब समझ जाते हैं। आप बोलिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक तरफ तो 60 विद्यार्थियों को एक सेक्शन में पढ़ाने का नियम है, दूसरी तरफ विज्ञान में 100 तथा कला में 120 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है और सेक्शंस को नये बनाकर कुछ को तोड़ दिया है जिससे अनेक शिक्षकों को सरप्लस होना पड़ रहा है।

प्रवेश में भी 48 अंक से कम प्रतिशत वालों को प्रवेश देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। विज्ञान में 70 और 60 प्रतिशत वाले छात्रों को प्रवेश नहीं देकर 33 प्रतिशत वालों को प्रवेश दिया गया है। इस प्रकार प्रवेश नियमों की खुली अवहेलना की गई है।

अतः आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन है कि कृपया इस प्रबन्ध समिति को भंग कर प्रशासक मनोनीत किया जाय और इस समिति के द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराई जाय। छात्रों के भविष्य को अंधकारमय बनाया जा रहा है, शिक्षा को ताक पर रख दिया गया है और अग्रवाल शिक्षण संस्थाओं को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। इसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन शिक्षण संस्थाओं में होने वाली अनियमितताओं और घोटालों के लिए आप माननीय मन्त्री महोदय से सदन में घोषणा करायेंगे कि वे जांच करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, निष्पक्ष होकर चाहे अग्रवाल समिति का कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी इसमें लिप्त हो, आप खुले आम इसकी निष्पक्ष जांच करायें। मैं शिक्षा के बारे में इस पवित्र सदन में पवित्र काम के लिए मांग कर रहा हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मन्त्री महोदय से इसका अवश्य जवाब दिलायेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, मैं दिलाऊंगा। माननीय श्री टीकमचन्द कांत। (अनुपस्थित)।

माननीय श्री चुन्नीलाल। (अनुपस्थित)

माननीय श्री नवनीतलाल नीनामा।.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री की तरफ से कोई

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दूसरे मन्त्री महोदय जबाब दे दें तो क्या बुराई है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने दिया है, आपको सारा जवाब मिलेगा। नीनामाजी, प्रारम्भ कीजिए।

घाटोल के आदिवासी छात्रावास की मरम्मत

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी छात्रावास घाटोल जिला बांसवाड़ा के भवन की मरम्मत करने बाबत नियम 295 के तहत मेरा प्रस्ताव है।

निवेदन है कि जिला बांसवाड़ा के समाज कल्याण विभाग से संबंधित तहसील घाटोल में आदिवासी छात्रावास का भवन बना हुआ है। छात्रावास में 11 कमरे हैं जिन कमरों में खिड़कियों के किवाड़ टूट गये हैं व कमरों की छत से वर्षा के मौसम में पानी टपकता है। आदिवासी छात्रावास में कक्षा 6 से 12 वीं तक के 125 लड़के उन्हीं कमरों में रहते हैं। लड़के अपना सामान पुस्तकें आदि भगवान के भरोसे खुले कमरों में रखते हैं अतः इन कमरों की मरम्मत अत्यन्त आवश्यक है।

मान्यवर, 125 लड़के छात्रावास घाटोल में रहते हैं जिनमें से 60 लड़कों को ही तख्ते सोने के लिए मिले हैं व बाकी 65 लड़के कमरों में जमीन पर, नीचे ही सोते हैं व बिस्तर फटी हालत में हैं। नहाने व बाथरूम आदि की सुविधा नहीं है जिससे छात्रों की पढ़ाई में बाधायें उत्पन्न हो रही हैं। अतः मैं नियम 295 के प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार को निवेदन करता हूं कि आदिवासी छात्रावास, घाटोल के कमरों की तत्काल मरम्मत कर छात्रावास में पढ़ने वाले लड़कों को सुविधा दी जाये। इसी आशा एवं विश्वास के साथ सुझाव दे रहा हूं कि माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय आदिवासी छात्रावासों की तरफ अपना ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्री श्रीराम मीणा। (अनुपस्थित)

श्री श्रीराम मीणा : उपस्थित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सारी। आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो मंत्री अनुपस्थित हैं उनको तो आप अनुपस्थित नहीं कहते और जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनको अनुपस्थित मानते हो। यह तो नहीं होना चाहिए कम से कम।

गेम्स सेंक्चुरी, राजगढ़ में पशु चराने की अनुमति

श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत गेम्स सेंक्चुरी में जो बसे हैं और जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनकी क्या हालत है, इस बारे में निवेदन करते हुए मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) में वन विभाग की गेम्स सेंक्चुरी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां के नागरिक गेम्स सेंक्चुरी में पुश्तैनी तौर पर बसे हुए हैं। यहां पर बसे हुए नागरिकों का मुख्य धन्धा पशुपालन है, भैंस, गाय, बकरी आदि से दूध निकालते हैं और बेचकर उपयोगी सामान आदि खरीद कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनकी मवेशी इस

(श्री श्रीराम मीणा)

गेम सैंक्चुअरी में सैकड़ों वर्षों से चरती आ रही है। वर्ष 1990-91 में भी चरती रही है। आपसे निवेदन है कि इस गेम सैंक्चुअरी में जो बसे हुए हैं, या तो उनको दूसरे स्थान पर भूमि आवंटन की जाय ताकि वह नागरिक अपनी मवेशियों को दूर ले जाय या फिर गांव वालों को मवेशी चरने की पूर्व की भांति स्वीकृति दी जाये। गेम सैंक्चुअरी में मवेशियों की चराई बंद होने से क्षेत्र में व्यापक हिंसा की वारदातें होने की संभावना है और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नया गांव प्रतापपुरा, उमरी, देवरी, राजौरगढ़ और नीलकंठ के नागरिक घातक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्या राज्य सरकार इनकी मुश्किलों का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? यह लोग पशुओं को तब से चराते रहे हैं जब से यहां बसे हैं। वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भोले-भाले लोगों को परेशान करते रहते हैं और उनके साथ अत्याचार, दुराचार हो रहा है। राज्य सरकार इन अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करें। सैकड़ों-हजारों साल से गांव वाले रहते आ रहे हैं और मवेशी चराते रहे हैं और 1990 से बंद किया गया है। या तो गांव वालों को वहां से हटाकर दूसरी जगह भूमि आवंटित की जाये ताकि वह मवेशी वहां से दूर चली जाय या जब तक उनको भूमि आवंटित नहीं की जाती हैं तब तक उनको चराई की परमीशन दी जाय और जो वह शुल्क देते आ रहे हैं गांव वाले चराई का पट्टा और शुल्क दे रहे हैं और आपने 1990 से जबसे उनकी चराई बंद कर दी है तो सरकारी अधिकारी-कर्मचारी उनसे गैर कानूनी तौर पर वसूली करते हैं। जहां उनको एक भैंस का पांच रुपये सरकार की तरफ से था वहां पचास-साठ रुपये एक-एक भैंस के कर्मचारी ले रहे हैं। लोगों पर यह क्या अत्याचार किया है? सैकड़ों सालों से यह आदिवासी लोग यहां के गांवों में रहते आ रहे हैं और इनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप, कह दिया काफी।

श्री श्रीराम मीणा : न तो उनकी कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ग्राम पंचायत मुख्यालय राजौरगढ़ पर एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, नीलकंठ, देवरी वगैरह का मुख्यालय 25-25 किलोमीटर पर है। सरकार या तो इन गांवों को यहां से हटा दे और हटाकर गेम सैंक्चुअरी विदेशियों की ऐश-अय्याशियों के लिए उपलब्ध रखें....

श्री उपाध्यक्ष : श्रीराम जी, बैठिये आप, काफी कह चुके हैं।

श्री श्रीराम मीणा : नहीं श्रीमन्, मेरे तो और दो पाइंट इसी में लिखे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आपने पहले भाषण कहां से देना शुरू कर दिया? मैंने तो यह सोचकर कि पहली बात बोल रहे हैं, ज्यादा समय दिया और अब कह रहे हो कि और पढ़ना रह गया।

श्री श्रीराम मीणा : थोड़ी-बहुत कृषि भूमि है इनके पास, जो उपयुक्त नहीं है और इनका गुजारा ही मवेशियों के द्वारा होता

(श्री श्रीराम मीणा)

है। सरिस्का गेम सैंक्चुअरी में जानवरों की सुरक्षा ज्यादा है और उनकी योजना बनती रहती है लेकिन सैंक्चुअरी में रहने वालों के लिए न तो कोई विकास है और न उनकी कोई सुरक्षा ही है।

इसलिए राज्य सरकार कोई विकास करने का या फोरेस्ट वाले उनके बारे में कोई सोच रखते हों तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि गेम सैंक्चुअरी के अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानान्तरण करते रहें। दस-दस, बीस-बीस साल से सरिस्का गेम सैंक्चुअरी में जो कर्मचारी हैं, सहायक डाइरेक्टर वगैरह हैं, वह बसे हुए हैं और अपनी दादालाई समझ कर ग्रामवासियों को परेशान करते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप।

श्री श्रीराम मीणा : मेरा आपसे एक निवेदन है कि यह जो वाइल्ड लाइफ गेम सैंक्चुअरी है सरिस्का, रणथम्भौर, इनमें एक बोर्ड बना दिया जाय और उनमें जन-प्रतिनिधियों को रखा जाये और उनकी समस्याओं पर, जो यह गांवों में बसे हुए हैं, विचार करे। साल में एक बार या दो बार और अगर इसी तरह से चलता रहा तो वहां पर उनके जीवन यापन का साधन खत्म हो जायेगा, वह लोग बेकार हो जायेंगे और उनको भुखमरी का सामना करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए।

श्री श्रीराम मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्रीजी से कोई आश्वासन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो प्रश्न रखा है, इसका उत्तर मिल जायेगा। बिराजिए।

श्री श्रीराम मीणा : मिल तो जायेगा, मुझे बार-बार लोग आग्रह कर रहे हैं और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि या तो सरकार हमारी चराई की व्यवस्था करे, नहीं तो....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप। श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप हमेशा गलत नाम बोलते हैं यह सुचित्रा आर्य है, सुमित्रा नहीं है। इसलिए आप सुचित्रा आर्य बोलिये।

श्री श्रीराम मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका आश्वासन चाहता हूं आपसे, चेयर के मार्फत....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुचित्राजी कहा है मैंने। वह तो सुन लेते हैं और आप गलत समझ लेती हो। अब बिराजिए आप।

श्री श्रीराम मीणा : नहीं, मैं इस पर आश्वासन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो प्रश्न उठाया है उसका मंत्रीजी निस्सदेह समय पर उत्तर देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे।

श्री श्रीराम मीणा : समय पर उत्तर देंगे इतने तक वह मवेशियों को कहां लेकर बैठे रहें?

श्री उपाध्यक्ष : अब भी नहीं समझ पा रहे हैं आप।

श्री श्रीराम मीणा : एक–एक आदमी के पास मवेशी है, उनका साधन है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए।

श्री श्रीराम मीणा : या फिर आप उनको छूट दे दो और फिर लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने की स्थिति रहेगी....

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्रीजी आपको निश्चित तौर से इसका उत्तर देंगे।

श्री श्रीराम मीणा : नहीं, मैं आज इस पर आश्वासन चाहता हूं। मैं जब तक नहीं बैठूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आश्वासन दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं ? यह क्या भाषा है ?

श्री श्रीराम मीणा : दो माह से लगातार वह लोग जयपुर में, अलवर में बार-बार सरकार की कमजोर नीति से भागते रहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए। हां, सुचित्राजी, पढ़िये आप।

गोरखाना ग्राम, नोहर तहसील में जोहड़ पायतन पर कब्जा

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये गोरखाना जोहड़ पायतन पर कब्जे के बारे में निवेदन है कि गोरखाना प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :

1. गोरखाना गांव नोहर (श्रीगंगानगर) तहसील में स्थित है।

2. गांव में 75 बीघा भूमि जोहड़ पायतन है। इसका खसरा नम्बर 376 व 383 है।

3. सन् 1970 में यह भूमि वन विभाग में दी गई, खातेदारी भी विभाग के नाम दर्ज हो गई।

4. वन विभाग ने भूमि का कब्जा लेकर उसमें वृक्षारोपण किया और लाखों रुपये खर्च किये।

5. भू माफिया गिरोह ने इस भूमि को हड़पने के लिये सहायक जिलाधीश से सांठ-गांठ की और अन्य किसी भूमि की रजिस्ट्री के आधार पर खसरा नम्बर 376 व 383 में दर्ज 75 बीघा भूमि का फैसला अपने पक्ष में करा लिया।

6. सहायक जिलाधीश ने अपना निर्णय माह अक्टूबर, 1991 में दिया था कि जोहड़ पायतन की भूमि वन विभाग को आवंटित है और विभाग का भूमि पर कब्जा है।

7. यह कि माफिया गिरोह दिनांक 29 जून, 1992 को ट्रैक्टरों व ट्रकों में कई गुंडई तत्वों को लेकर गोरखाना गया और जोहड़ पायतन की भूमि पर बने तीस हरिजनों के मकानों को वाहनों से तोड़ दिया। हरिजन परिवारों के साथ मारपीट की। गिरोह के लोगों के पास हथियार थे। हरिजन बेघर हो गये।

8. भूमि माफिया गिरोह ने जिस भूमि पर कब्जा किया वह भूमि खसरा नम्बर

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

376 व 363 व 383 की है भी कि नहीं, उसको मालूम ही नहीं कि तथाकथित फैसले की मांग कौनसी है।

9. पीड़ित परिवारों में एक हरिजन हनुमान ने बड़ी मुश्किल से भाग-दौड़ कर श्रीगंगानगर के एस.पी. के आदेश से एफ. आई.आर. दिनांक 2.7.92 को नोहर थाना में दर्ज कराई।

10. पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही एक माह तक नहीं की और उनको हाई कोर्ट से स्टे लाने का समय दे दिया।

11. गोरखाना के हरिजनों ने नोहर तहसील परिसर में एक पखवाड़े तक धरना दिया तो पुलिस ने अभियुक्तों को बिना गिरफ्तार किये चालान अदालत में पेश कर दिया। अभियुक्तों के ट्रेक्टर, ट्रक व हथियार बरामद नहीं किये।

12. हरिजनों के तोड़े गये मकान वादग्रस्त भूमि से बाहर थे। बेघर हुए परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया।

13. उप जिलाधीश द्वारा कुर्क की गई 75 बीघा भूमि को अभी तक सार्वजनिक जोहड़ पायतन की भूमि घोषित नहीं की गई है।

14. दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्यवाही की जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्री फूलचन्दजी गुर्जर।

(2.00 म.प.)

नीम का थाना (सीकर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त जिला कलक्टर का कार्यालय

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना सब डिवीजन सीकर जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र की जनता को 200 किलोमीटर से अधिक चलकर जिला कार्यालय जाना पड़ता है। इसके अलावा उक्त दोनों कार्यालय निम्न कारणों से होना आवश्यक है।

उक्त सब डिवीजन में तीन विधान सभा क्षेत्र श्री माधोपुर, खण्डेला व नीम का थाना है तथा दो पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय हैं तथा इसमें आठ पुलिस थाने आते हैं। यह क्षेत्र हरियाणा राज्य की सीमा से लगता है जहां से चोरी व डकैती की वारदातें लगातार होती हैं जिससे उक्त थानों में दो हजार से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति वर्ष दर्ज होती है। इसी क्षेत्र में कई बड़े मेले भी लगते हैं तथा दिवराला भी इसी क्षेत्र में आता है। इसके अलावा पुलिस को कई गम्भीर मामलों का भी सामना करना पड़ता है। इन सबके लिए अगर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हो तो कानून व्यवस्था की अच्छी हालत बन सकती है तथा जनता अपनी सुरक्षा की समस्या की शिकायत भी उच्च अधिकारी को आसानी से कर सकती है।

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

इसके अलावा यह क्षेत्र कृषि प्रधान है जिले का सबसे बड़ा उपाजाऊ क्षेत्र है। इस सब डिवीजन में तीन तहसील व एक उप-तहसील तथा तीन पंचायत समिति हैं। किसानों को अपनी जमीन व राजस्व संबंधित समस्याओं के लिए बहुत दूर चलकर जाना पड़ता है। काफी समय से जनता इसकी मांग कर रही है, काफी आक्रोश है तथा कई बार ज्ञापन भी दिये हैं तथा जनता इस समस्या को लेकर आन्दोलित है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त गहन समस्या को देखते हुए उक्त तहसील नीमकाथाना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने की कार्यवाही करावें जिससे गरीब जनता को आसानी से न्याय मिल सके और अपनी मांग को समय पर वह पहुंचा सकें। यह मेरा सरकार से अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

नगर परिषद सीकर में अनुपयुक्त पद

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर नगर परिषद की कमजोर आर्थिक स्थिति व आय के सीमित साधनों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न पदों को समाप्त किया जाना या उन्हें खाली रखा जाना आवश्यक है :

(1) प्रशासक का पद : वर्तमान में नगर परिषद में पार्ट टाइम प्रशासक अतिरिक्त जिलाधीश है। इस पद पर फुल टाइम प्रशासक लगाया जाना परिषद के हित में नहीं है। यदि फुल टाइम प्रशासक लगाया जाता है तो 6000 रुपये तनख्वाह व अन्य खर्च 4,000 टोटल 10,000 रुपये मासिक नगर परिषद पर व्यय भार पड़ेगा। वार्षिक व्यय एक लाख तीस हजार होगा और अतिरिक्त जिलाधीश का पार्ट टाइम खर्चा केवल 1800 रुपये ही होगा।

(2) सचिव : यह पद अभी हाल ही में क्रियेट किया जाकर भरा गया है जिस पर लगभग 60,000 रुपये कर्तव्यों के निर्वाह में व्यय होते हैं। इस पद का कोई महत्व नहीं है तथा वर्तमान स्थिति तो यह है कि सचिव के पास कोई काम ही नहीं है।

(3) स्वास्थ्य अधिकारी : यह पद नगर परिषद में अत्यन्त महत्वहीन है। सफाई कार्य की देखरेख के लिए इस टाइम एक मुख्य सफाई निरीक्षक व चार सहायक निरीक्षक कार्यरत हैं, इन पांच कर्मचारियों के होते हुए स्वास्थ्य अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी के वेतन भत्तों पर लगभग 70,000 रुपये या 80,000 रुपये वार्षिक खर्च नगर परिषद पर पड़ता है जिसका कोई औचित्य नहीं है।

(4) गार्डन अधीक्षक : नगर परिषद में नेहरू पार्क व मारू पार्क है इनकी देखरेख के लिए बागवान तो रहते ही हैं। गार्डन अधीक्षक के पद का कोई महत्व न होते हुए भी यहां गार्डन अधीक्षक लगाया हुआ है जिनका वेतन भत्तों आदि पर 50,000 रुपये सालाना खर्च नगर परिषद पर पड़ता है।

(5) ए.ए.ओ : नगर परिषद में फर्स्ट

(श्री राजेन्द्र पारीक)

ग्रेड का अकाउन्टेन्ट कार्यरत है उसके अतिरिक्त सहायक लेखा अधिकारी ए.ए.ओ. लगाया हुआ है जबकि नगर परिषद का कार्य अकाउन्टेट से भी चल सकता है क्योंकि परिषद में राज्य सरकार की ओर से निदेशक व एक जूनियर अकाउन्टेन्ट पूर्ण जांच दल के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनका भी व्यय भार भी नगर परिषद को भरना पड़ता है। यदि ए.ए.ओ. का पद समाप्त या खाली रखा जाता है तो नगर परिषद को लगभग 60 या 70 हजार की बचत हो सकती है।

(6) पेशकार : नगर परिषद में मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त है। पेरोकार नगरपरिषद में कोई कार्य नहीं है। न तो मुकदमात की पैरवी कर सकते हैं न कोई अन्य कार्य ही। यदि यह पद समाप्त कर दिया जाता है तो नगर परिषद को लगभग 50,000 रुपये वार्षिक बचत हो सकती है।

(7) गृहकर निर्धारक : नगर परिषद में गृह कर की वसूली नगण्य स्थिति में है और न इन दिनों में गृह कर का निर्धारण कार्य सुचारू रूप से किया जाता है। इस पद को समाप्त किया जाकर यह कार्य राजस्व अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षकों से ही करवाया जा सकता है। वर्तमान में नगर परिषद में राजस्व अधिकारी एक पद व राजस्व निरीक्षकों के 5 पद हैं जो इस कोर्स को सुचारू ढंग से कर सकते हैं। इस पद को समाप्त किये जाने से नगर परिषद को 50,000 रुपये की बचत हो सकती है।

इस प्रकार अनावश्यक व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) प्रशासक फुल टाइम	1,30,000 लगभग
(2) सचिव	60,000 लगभग
(3) स्वास्थ्य अधिकारी	80,000 लगभग
(4) गार्डन अधीक्षक	50,000 लगभग
(5) ए.ए.ओ.	70,000 लगभग
(6) पेरोकार	50,000 लगभग
(7) गृह कर निर्धारक	50,000 लगभग
कुल	4,80,000 लगभग

इस प्रकार नगर परिषद 4,80,000 रुपयों की बचत कर सकती है व इस राशि को विकास कार्यों पर खर्च किया जाकर जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है। उक्त पदों को खाली रखने से नगर परिषद के दैनिक कार्यों में कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा और न जनहित में बाधा आयेगी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

साथ ही सीकर की जनसंख्या के आधार पर यदि 100 हरिजनों (सफाई कर्मचारियों) की नवीन नियुक्ति की जाती है तो यह अधिक उपयोगी रहेगा। एक ओर इन गरीब परिवारों को रोजगार मिलेगा वहीं सीकर जो इस वक्त सफाई न होने से जिस नारकीय पीड़ा को भुगत रहा है उससे भी मुक्ति मिल सकेगी। सरकार से आपके माध्यम से यह अपील की जाती है कि वे इस तरह के खर्चों से नगर परिषद सीकर पर होने वाले आर्थिक भार को कम करने में सहयोग करें एवं सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर वहां पर हरिजनों के उद्धार के लिए कुछ मेहरबानी फरमावें।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं इसको इस परिपेक्ष में विचार करना पड़ेगा कि नगरपालिकाओं के कर्मचारी कितने रखे जायेंगे, कौन से अधिकारी रखे जायेंगे, इसका एक स्टाफिक पैटर्न है। अब आपका सुझाव यह है कि कुछ कर्मचारियों को हटा दिया जाये और हटाने के बाद वह नौकरी से तो निकाले नहीं जा सकते तो या तो किसी अन्य नगरपालिका में स्थानान्तरण करना होगा जहां स्थान नहीं होंगे तो वहां ओवरवर्डन हो सकता है। बजट में स्वीकृति नहीं होगी। कई ऐसी समस्याएं जिनका आप तुरन्त हल चाहते हैं वह नहीं हो सकता लेकिन फिर भी मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जैसे हम चर्चा कर रहे थे वह चर्चा समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद फिर चर्चा कर लेंगे और जो भी हल होगा उसको देख लेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : सफाई कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा फर्मा दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : सबके लिए कह दिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक तरफ तो आप कहते हैं पैसे नहीं हैं नयी नियुक्तियों के लिए....

श्री राजेन्द्र पारीक : पैसा नहीं है लेकिन यह 5 लाख रुपये बेकार में खर्च हो रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब तक नहीं निकालेंगे तब तक दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक हरिजन कर्मचारी की भी आप यदि नियुक्ति की घोषणा कर देंगे....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आपकी समस्याओं का समाधान यह नहीं हो सकता कि कुछ कर्मचारियों को हटाकर उनकी बची हुई जो तनख्वाह है उससे हरिजन रख दिये जायें। यह सम्भव कैसे है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मैं तो आपसे केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर यदि आप 50 हरिजन कर्मचारियों को भी नियुक्ति दे दें तो एक ओर तो आपके हरिजन कर्मचारियों का भला होगा और

(श्री राजेन्द्र पारीक)

साथ ही सीकर इस समय जिस तीव्र गति से बढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक भी है।

श्री उपाध्यक्ष : विचार करेंगे आपने कहा है।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित।

रायपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में अनियमितता

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त संबंध में निवेदन है कि राजस्थान के सहकारी विभाग के आदेशों की अनुपालनानुसार उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली द्वारा पाली जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न होने के बाद श्री भंवरलाल चौधरी निरीक्षक (आडिट) को रायपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिए के चुनाव सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन अधिकारी लगाया था, जिसकी अनुपालना में श्री चौधरी द्वारा आदेश क्रमांक 422 दिनांक 18-7-92 जारी कर उक्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी जिसके अनुसार दिनांक 18-7-92 को प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन, 26-7-92 तक अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन, 31-7-92 को मनोनयन पत्रों की प्राप्ति, 1-8-92 को यदि मतदान आवश्यक हो तो मतदान की तिथि के कार्यक्रम की समय व स्थान के साथ घोषित कर आवश्यक स्थानों पर चस्पा किया गया था।

उक्त कार्यक्रम के अनुसार क्रय-विक्रय सहकारी समिति-रायपुर क्षेत्र की सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों द्वारा उक्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति के चुनावों के मनोनयन पत्र दिनांक 31-7-92 को भरे गये। दिनांक 1-8-92 को मनोनयन पत्रों की जांच के दिन उक्त निर्वाचन अधिकारी ने जानबूझ कर अवैधानिक तरीके से व मनमाने ढंग से, सारे कानून-कायदों को ताक में रखते हुए, प्रजातन्त्रीय प्रणाली की धज्जियां उड़ाते हुए, भारी प्रलोभन व दबाव में आते हुए एवं पूर्ण रूप से बदनीयती करते हुए श्री अमर सिंह चौहान, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, काणूजा, श्री मांगी लाल गुर्जर, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, हाजिवास, श्री डूंगाराम सिरवी, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, भूंठा, श्री भंवर लाल माली, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, रायपुर के मनोनयन पत्रों को यह बताते हुए रद्द कर दिया कि उक्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों में क्रय-विक्रय सहकारी समिति, रायपुर के खाद, बीज, केरोसीन व खाद्यान्न के लेन-देन के रुपये बाकी हैं। उक्त चारों ही प्रत्याशी इन चुनावों में जिला उपाध्यक्ष-भाजपा (पाली) श्री अमर सिंह चौहान के ग्रुप के थे तथा चुनावों में उनकी विजय निश्चित थी।

उपाध्यक्ष महोदय, उक्त चुनावों में दूसरा ग्रुप राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारी श्री सी. डी. देवल के स्वयं का था, जो अपने पुत्र श्री अशोक देवल को उक्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति, रायपुर के संचालक मण्डल के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ाना चाहते थे। श्री देवल द्वारा

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

उनके पक्ष में 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 11 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों के मनोनयन पत्र जानबूझ कर भरवाये गये और उनमें से सैंदड़ा, कोटकिराना व सबलपुर के अध्यक्षों के फार्म भी उपरोक्त कारणों के साथ खारिज करना बताया। लेकिन उक्त फार्मों को अवैधानिक रूप से गलत तरीके से खारिज करने के पीछे श्री सी. डी. देवल व उनके अन्य शुभ चिन्तक सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा श्री भंवर लाल चौधरी, चुनाव अधिकारी को सभी प्रकार के भारी प्रलोभनों से प्रभावित कर दिया था जिस कारण से उसने अवैधानिक तरीके से यह कृत्य किया जिसके द्वारा यह लोग अमरसिंह ग्रुप के चारों प्रत्याशियों के फार्म रद्द करने के बाद इस चुनाव को एक तरफा तथा निर्विरोध कराने का पूर्व नियोजित षड़यंत्र था क्योंकि श्री देवल को अच्छी तरह मालूम था कि उनके पक्ष में बहुमत नहीं हैं तथा उनके पुत्र की हार निश्चित है।

जिस समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त फार्म रद्द किये जा रहे थे उसी समय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति पाली चुनाव व्यवस्थाओं को देखते हुए रायपुर आये। उप रजिस्ट्रार की सलाह लेने पर उक्त प्रकार के रद्द किये गये। मनोनयन पत्रों को गलत बताया तब श्री भंवर लाल चौधरी ने उक्त रद्द किये गये फार्मों को पुनः वैध मानते हुए उक्त सातों प्रत्याशियों की लिस्ट प्रकाशित करवा दी। इस प्रकार का आचरण राज्य सरकार के चुनाव सम्बन्धी प्रजातन्त्रीय मूल्यों के साथ भयंकर खिलवाड़ करना है। उपरोक्त घटना क्रम में श्री भंवर लाल चौधरी डी. आर. की राय से असन्तुष्ट होते हुए उक्त रद्द मनोनयन पत्रों को पुनः वैध मानने के सम्पूर्ण रिकार्ड की फोटोस्टेट प्रतियां श्री देवल को दे दी जो चुनाव प्रणाली पर एक प्रश्न चिह्न लगाती है क्योंकि चुनाव चाहे सहकारी समिति के हों या ग्राम पंचायतों के या लोकसभा के या विधान सभाओं के हों, निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार फोटोस्टेट प्रतियां देकर स्वयं चुनाव प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करते हैं लेकिन श्री भंवर लाल चौधरी ने जानबूझ कर सम्पूर्ण चुनाव सम्बन्धी रिकार्ड श्री देवल को व उनके आदमियों को दे दी जिसे श्री देवल द्वारा श्री बाबूलाल पटेल, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति मोहराकलां से दिनांक 2-8-92 को ही हाई कोर्ट में रिट याचिका तैयार कर दिनांक 5-8-92 को एस. बी. सिविल रिट सख्या 4041 सन् 1992 बाबूलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान उक्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति के चुनाव घोषणा पर रोक लगा दी, इस चुनाव की घोषणा पर आज दिन तक भी रोक लगी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त सारे कारणों की शिकायत दिनांक 9-8-92 को श्री अमरसिंह चौहान, श्री मांगीलाल गुर्जर, श्री भंवर लाल चौधरी क्रमशः ग्राम सेवा सहकारी समिति काणूजा, हाजिवास व रायपुर द्वारा लिखित में माननीय सहकारी मन्त्रीजी, रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग को दी गई लेकिन आज दिन तक उक्त चुनाव में भयंकर पक्षपात कर राजकीय अधिकारी/कर्मचारी के कर्त्तव्यों का निर्वहन न कर प्रलोभन व लोभवश क्रय-विक्रय सहकारी

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

समिति, रायपुर के चुनावों में भारी अनियमितताएं की गई तथा घोर अपराध व भ्रष्ट तथा बदनीयति करने वाले निर्वाचन अधिकारी श्री भंवर लाल चौधरी को प्रथम दृष्टया ही सेवाओं से निलम्बित किया जाना आवश्यक है, जो आज तक नहीं किया गया।

उक्त भ्रष्ट निर्वाचन अधिकारी के कारण ही पाली सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जो चुनाव दिनांक 14-9-92 को सम्पन्न होने थे, वह भी आज दिन तक सम्पन्न नहीं हो रहे हैं।

अतः मैं निम्नांकित प्रश्न राज्य सरकार से करना चाहता हूं :—

1. क्या यह सही है, उन चुनावों से बहुत पहले राज्य सरकार ने सूचना जारी कर यह निर्देशित किया था कि कोई ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय-विक्रय सहकारी समिति के पैसे बकाया हैं तो ऐसे प्रत्याशियों के फार्म रद्द नहीं किये जाये, तो क्या उक्त निर्वाचन अधिकारी ने इन नियमों की अवहेलना नहीं की ?

2. क्या चुनावों की अवधि में कोई भी निर्वाचन अधिकारी अपने रिकार्ड की फोटोस्टेट प्रतियां देने का अधिकारी है ? यदि नहीं, तो श्री भंवर लाल चौधरी ने अपने सारे रिकार्ड की फोटो स्टेट प्रतियां श्री सी. डी. देवल को व उनके चहेतों को क्यों करवा कर दी ?

3. क्या निर्वाचन नियमों के साथ खुली मजाक उड़ाने वाले व मनचाहे तरीके से किसी एक का पक्ष लेकर किसी को लाभांवित करने के लिए सहकारी विभाग में दण्डित करने का प्रावधान नहीं हैं ? यदि है, तो अब तक उक्त निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? और नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

अतः इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार से दोषी निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

माननीय मन्त्रीजी, आप बिराजमान हैं, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप यहां पर इस बात का स्पष्टीकरण दें। यह अकेले रायपुर का नहीं, पूरे पाली जिले में जिस तरह से सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न हुए हैं, उन्हें एक तरह से जंगल के चुनाव ही कहे जायं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहां पर इस काकस ने पूरा का पूरा अपना जाल बिछा कर हर चुनाव अधिकारी को अपने प्रभाव या प्रलोभन से अपने पक्ष में उनको लेकर और दूसरे जितने भी कर्मचारी/अधिकारी हैं, उनको खुले चुनाव प्रचार में लगाया....(व्यवधान)....यह पढ़ रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं। यह पढ़ रहा हूं मैं, आप देख लो....(व्यवधान)....पढ़ रहा हूं। मेरी आई क्यू. बहुत तेज है, पढ़ रहा हूं। इसलिए आप इसकी जांच करवायें और दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को दण्डित करायें। यही मेरी मांग है।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।.... (व्यवधान)... हां, ठीक है। बोलिये आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला : एकदम इनकी पार्टी धराशायी हो गयी है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : कई बार कह चुके हो.... (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : बीकानेर का मालूम तो करो आप, कल्ला साहब, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : आप तो कल 38 में ही आ गये । कल मतदान में आप तो 38 में ही थे । आप तो और भी धराशायी हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये । माननीय सहकारिता मंत्रीजी क्या कह रहे थे ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर के.बी.एच. का मामला है, वहां निर्वाचन अधिकारी ने अनियमितता की या नियमितता की, यह मामला रजिस्ट्रार के पास है और जांच उसकी करवा रहे हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सस्पैण्ड करो न उसे....(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : यह डिपार्टमेण्ट स्तर पर करके आ जाय वरना इनको वाद के अन्दर जाना चाहिए....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा । (व्यवधान)...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहे-कहे उल्टा काम मत कर देना ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : जिसको ग्रिवेन्सेज हैं वह वाद के अन्दर जायेगा ।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां प्रारम्भ कीजिए, उजलाजी ।

श्रीमती कीर्ति शर्मा, बरकत नगर, जयपुर की दहेज–हत्या

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से कीर्ति की, जो जयपुर की निवासी है, हत्या के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के बारे में मेरा प्रस्ताव रखती हूं ।

मान्यवर, कीर्ति का विवाह इसी वर्ष 4 मई, 1992 को बरकत नगर में रहने वाले सत्येन्द्र शर्मा पुत्र श्री श्यामसुन्दर ड्राफ्टमैन के साथ हुआ था । यह 583 नम्बर के मकान में बरकत नगर में रहते हैं तथा कीर्ति के पिता मकान नं. 65 में बरकत नगर में ही रहते हैं । मान्यवर, यह दोनों मकान पास-पास ही हैं । निवेदन यह है कि 30.5.92 को इन्होंने 51 हजार रुपये सगाई में दिये, ढेर सारा सामान और पैसा सम्मान में लगाया । मान्यवर, शादी में इन्होंने काफी खर्च किया, आधुनिक सामान दिया, विदा में जेवरों के साथ 50 हजार रुपये दिये, मिलनी की रकम अलग दी । चार महीने में कितनी ही बार कीर्ति की मां को बुलाया गया, जो मांगा वह उन्होंने दिया । कीर्ति को उक्त चार महीने में मां के घर नहीं भेजा, अकेले में बात नहीं करने दी, उसका कष्ट नहीं पूछने दिया और दबाव बनाये रखा । लेने देने की बात पर थोड़े सम्बन्ध भी बिगड़े । मान्यवर, अभी इसी 1.9.92 को, कुल चार माह पूर्व हुई शादी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाह रही

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हूं, कहा गया, कीर्ति को आप ले जायं, उसके पिता को फोन किया। कीर्ति के पिता उस समय दफ्तर में थे, जनगणना विभाग में वह उप निदेशक हैं, मान्यवर, उन्होंने कहा कि भाई, मैं तो यहां दफ्तर में हूं और लड़का मेरा बाहर गया हुआ है, उन्होंने कहा, आप घर छोड़ जायं। वह घर छोड़ कर नहीं गये। फिर शमशेर सिंहजी शाम को दफ्तर से जाने के बाद उनके घर पहुंचे। शमशेरसिंहजी जब उसके ससुराल में गये तो उन्होंने कहा, भाई, आपने भेजा नहीं, आप भेज देते, चलो, मैं ले जाता हूं, अभी भेज दो। मान्यवर, कीर्ति ने कहा, मैं बाद में किसी दिन आऊंगी। उसको ससुराल से नहीं भेजा। 8.15 बजे के करीब उसके पिता अपने घर वापस आ गये। मान्यवर, 15 मिनट के अन्दर उसके पति सत्येन्द्र, ननदोई समीर, उसके ससुर उसको मारुति में डाल कर लाये। जब वह घर में घुसी तो उसको भयंकर घबराहट थी। उसने बार-बार पानी मांगा। पानी देने लगे तो उसकी जीभ बाहर निकल आयी। तब उसको उसी स्थिति में अस्पताल ले जाया गया। सन्तोकबा दुर्लभजी में उसको वाश किया लेकिन उसको चैन नहीं पड़ा तो उन्होंने एस.एम.एस. में उसको रैफर कर दिया। मान्यवर, थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गयी।

मेरा निवेदन है कि 15 मिनट के अन्दर, 8.15 पर लड़की ठीक थी, 8.30 पर उसको पीहर लाया गया, ऐसी सुन्दर, सुशील, पढ़ी लिखी, सुगंध लड़की को मार दिया गया। यह उसके चित्र मेरे सामने हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, इसके बाद भी, जब रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी एक तारीख को, उसकी सास, ससुर, ननद और पति खुले घूम रहे हैं। पति ने एक नाटक किया, उसने हेयर ड्रायर मुंह पर लगाया कि नहीं, पता नहीं किस बहाने से अस्पताल में भर्ती हो गया, सवाई मानसिंह अस्पताल में वह खुला घूम रहा है। डाक्टरों से, माननीय चिकित्सा मंत्री कहीं हों तो सुन लें, किस प्रकार से उसने सांठगांठ बैठाई हुई है, 15 दिन में उसको छुट्टी नहीं दी है और वह बराबर वहां बीमार की हैसियत से भर्ती है, बीमार नहीं है।

मान्यवर, यह दहेज हत्या का मामला है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, 1.9.92 को थाना बजाज नगर में रिपोर्ट दर्ज की गयी है, पोस्टमार्टम हुआ है, सामने तथ्य हैं, फिर भी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है। तत्काल कार्यवाही की जाय। मेरा यह आपसे निवेदन है कि इन्हें दंड मिल सके जिससे कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार लड़की को न मार सके।

मान्यवर, मैंने सबीना के बारे में रखा था, मैं निवेदन करना चाहूंगी, हाथ बांध कर उसको मारा गया है, पंखे से लटका दिया गया....

श्री उपाध्यक्ष : कोई जनरल बोल रहे हैं आप ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी, यह मामले तब तक समाप्त नहीं होंगे, कीर्ति, सबीना, शीला, नीलू, यह जो मामले हैं, हर बार हम लोग यहां पर रखते है। मान्यवर, इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जाय और जो अन्य मामले हैं, मैं कहना चाहूंगी, सजा ऐसी दी जाय

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जिससे कि भविष्य में कोई व्यक्ति पैसे के लोभ से लड़कियों को न मार सके ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हरेक के दिल में दर्द है, मैं समझती हूं, मैं लड़की वाली हूं तो मैं भी सोचती हूं कि कभी ऐसी घटना कहीं और नहीं घट जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप । 295 के माननीय श्री टीकमचन्दजी कांत, प्रकाश जी बैरवा, प्रेमसिंहजी दहिया और अमृत परमार के पढ़े हुए माने जायें ।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के लिए कृपया परिशिष्ट–21 देखें ।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, माननीय श्री देवेन्द सिंह, माननीय श्री लक्ष्मीलालजी, माननीय श्री भंवरलाल जोशी स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे । माननीय श्री देवेन्द्र सिंहजी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी आज्ञा से मैं यह फोटो और यह पत्र आपको देती हूं ।

(फोटो और पत्र सदन की मेज पर रखे गये ।)

श्री उपाध्यक्ष : हां, रख दीजिये ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गुलाबपुरा नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा अपव्यय एवं धन का दुरुपयोग

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का गुलाबपुरा नगरपालिका की अव्यवस्था की ओर नियम 131 में ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री देवेन्द्रसिंहजी, श्री लक्ष्मीलालजी, श्री भंवरलालजी जोशी द्वारा पूछे गये प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत नगरपालिका गुलाबपुरा के अध्यक्ष द्वारा धन के दुरूपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मेरे द्वारा 21.9.92 को सम्बन्धित जानकारी सदन को दी गयी थी । मैंने निवेदन किया था कि माननीय सदस्यों का यह कहना सही नहीं है कि गुलाबपुरा नगरपालिका का चुनाव जब से हुआ है वहां का कार्य ठप्प हो गया है । सच तो यह है कि वर्ष 1990 में पालिका मंडल के चुनाव होने के पश्चात् करीब 65 लाख रुपये के निर्माण के कोई 81 काम हाथ में लिये गये और आज भी अनेक कार्य निर्माणाधीन हैं । यह सही है कि वहां के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं तथा वहां के पार्षदों का आपस में मतभेद है । यह भी सही है कि अध्यक्ष के विरुद्ध दो बार अविश्वास प्रस्ताव आया है– दिनांक 4.6.91 एवं 28.3.92, किन्तु दोनों ही बार अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है । यह सही है कि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है पर यह सही नहीं है कि अध्यक्ष के विरुद्ध लाखों के दुरुपयोग व अपव्यय का आरोप हो । इस प्रकार की

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कोई शिकायत भी विचाराधीन नहीं है। पालिका बजट राज्य सरकार द्वारा पास किया गया था किन्तु न्यायालय मुंसिफ द्वारा पालिका के खर्च पर दिनांक 16.7.92 को रोक लगायी गयी है एवं तभी से निर्माण व विकास कार्य में व्यवधान आया है। मुंसिफ के इस आदेश के विरुद्ध अपील अतिरिक्त जिला जज न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई आज दिनांक 30.9.92 को निर्धारित है। जिला कलक्टर के आदेश से पालिका की आवश्यक सेवाएं यथा स्थायी कर्मचारियों का वेतन, सफाई, रोशनी व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय का भुगतान कर दिया गया है तथा नगरपालिका की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और आवश्यक मूलभूत सेवाएं सुचारू रूप से जारी हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुलाबपुरा का यह सौभाग्य है कि राजस्थान में छोटी नगरपालिकाओं में वह सबसे बढ़िया और सुदृढ़ म्युनिसिपैलिटी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि वहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। प्रजातंत्र में जिसका भी बोर्ड आये उसको हम स्वीकार करते हैं और उसके बाद हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि उस क्षेत्र का विकास हो, तरक्की हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस अविश्वास की चर्चा इन्होंने की और जिस बजट की चर्चा इन्होंने की कोर्ट में जाने की, वह हम नहीं गये, इन्हीं की पार्टी के पार्षद गये हैं। वहां स्थिति यह है कि दो दफा अविश्वास आया तो भी बी.जे.पी. के पार्षद लाये और जो बजट के ऊपर स्टे लाये हैं कोर्ट से, वह भी बी.जे.पी. के पार्षद लाये।

अभी माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने कहा है कि कलक्टर महोदय के आदेश से वहां बिजली की, पानी की या सफाई की व्यवस्था चल रही है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं, कलक्टर के आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी ? कलक्टर के आदेश की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि वहां पर बिजली के कनेक्शन नान पेमेन्ट में वहां के बिजली विभाग ने काट दिये। वहां पर हड़ताल हुई। हड़ताल होने के बाद कलक्टर साहब ने इन्टरवीन किया और कलक्टर साहब ने यह अण्डरटेकिंग दी बिजली विभाग को, चूंकि यहां के बजट के सम्बन्ध में कोर्ट में गये हुए हैं, कोर्ट का स्टे है लेकिन इस नगरपालिका की स्थिति अच्छी है तो जब भी स्टे उठेगा, मेरी जिम्मेदारी हैं कि यहां का पेमेन्ट होगा। यह स्थिति वहां की नगरपालिका की है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि अव्यवस्था नहीं हुई, अव्यवस्था हुई है।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं....कि आप कृपा करके उसका स्पेशल आडिट करवा दीजिए, उससे आपको सारी स्थिति का जायजा हो जायेगा। आप अभी यहां पर कितने ही लाखों के काम की बात कर रहे हैं, वह काम कितने उपयोगी हैं कि नहीं, इसकी जांच करवाइये। आप ताज्जुब करेंगे कि नदी के ऊपर लाखों रुपये की इन्होंने मिट्टी डाल दी। उनसे पूछा कि यह मिट्टी क्यों डाल दी, तो कहते हैं कि हम नदी का पानी रोक रहे हैं। नदी का पानी यदि मिट्टी से रुकता तो मैं समझता

(श्री देवेन्द्र सिंह)

हूं यहां पर सैंकड़ों लोग नदी के पानी को, बांध से रोक देते। इस तरह की अव्यवस्था वहां पर चल रही है।

आप ताज्जुब करेंगे कि वहां की नगरपालिका का, म्युनिसपैलिटी का एरिया कुल 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर के रेडियस में वह नगरपालिका है परन्तु उनकी गाड़ी रोज डेढ़ सौ, दो सौ किलोमीटर चलती है। 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर नगर–पालिका है तो उस गाड़ी को सौ, डेढ़ सौ किलोमीटर जाने की कहां जरूरत पड़ती है? आप उस गाड़ी की लॉग बुक की जांच करवा लीजिए, उसकी आडिट करवाइये और अगर स्पेशल आडिट से आप संतुष्ट हो जावें कि इस नगरपालिका में कोई अनियमितता नहीं तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि उस नगर पालिका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उस नगरपालिका से लोगों को अपेक्षाएं हैं कि वहां पर विकास होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसमें हमारा सहयोग कीजिए। हम चाहते हैं कि नगरपालिका के माध्यम से विकास हो। आप स्वयं वहां आये हैं, आपने देखा है कि नगरपालिका की अवस्था अच्छी है। वहां पर 10-15 लाख रुपये पानी की व्यवस्था के लिए वहां की नगरपालिका देने को तैयार है। यह अवस्था वहां की नगरपालिका की है लेकिन इनके पार्षदों में झगड़ा होने की वजह से आज यह स्थिति है कि वहां के सारे कार्य, आप माने या नहीं, वहां सारा काम बंद है। आपके पार्षदों को आप समझाइये। आपका वह अध्यक्ष पसन्द नहीं आ रहा है, दूसरा चुनिये। यह आपका काम है। हम तो एक बात चाहते हैं कि नगरपालिका के माध्यम से वहां का विकास हो। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या स्पेशल आडिट करवाने की आपकी तैयारी है? और यदि आपकी स्पेशल आडिट करवाने की तैयारी है तो जब तक वह स्पेशल आडिट न हो जाये, तब तक वहां के सारे पेमेण्ट, जो ठेकेदारों को नाजायज तरीके से किये जा रहे हैं, उनको रुकवा कर...और उनको आप रुकवायेंगे। आप संतुष्ट हो जायें कि यह सारा काम ठीक है और उसके बाद पेमेण्ट करा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वहां की हालत यह है कि एस.सी. के लोगों के मकान तोड़ते हैं, शिड्यूल कास्ट के लोगों के मकान तोड़े, वहां पर भीड़, हुजूम इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा-मेरे से गलती हो गई। म्युनिसिपैलिटी के माध्यम से वापस उन मकानों को बनवा दिया। कोई आदेश नहीं, कोई बोर्ड की मीटिंग नहीं। बोर्ड की मीटिंग आज तक होती नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे कि वहां कोई विकास का काम नहीं हो रहा है और यह नगरपालिका के माध्यम से शाहपुरा को लोन देना चाहते हैं, माहीगढ़ को पैसा भेजना चाहते हैं। हम कहते हैं आप माहीगढ़ को, शाहपुरा को पैसा क्यों भेजते हो? गुलाबपुरा का पैसा गुलाबपुरा में खर्च करो। लेकिन वह तो चूंकि इनकी म्युनिसिपैलिटी है वहां दिलवाना है, यह उनकी मदद करना चाहते हैं।

अन्त में, मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं कि यहां मथुरादास कमेटी बैठी थी। उसमें यह तय हुआ था कि नगर पालिकाएं जो छोटी हैं, उनको भंग कर देंगे और तोड़कर पंचायत कर देंगे। उसमें

(श्री देवेन्द्र सिंह)

गुलाबपुरा भी शामिल है लेकिन गुलाबपुरा को तो भंग नहीं किया, इसलिए कि आपका बोर्ड है और आपने माही को भंग कर दिया इसलिए कि वहां कांग्रेस का बोर्ड था। इसका क्या कारण है ? यदि आप एक समान तरीके से चलना चाहते हैं तो जो मथुरादास कमेटी की रिपोर्ट है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेण्ट करके आप उसको भी पंचायत बना दीजिए। इसके चुनाव करा दीजिए। वहां भी चुनाव हो जायेंगे, चुनाव आ रहे हैं। लेकिन इस सारी व्यवस्था को आप सुचारू रूप से चला सकें, इसकी आप कृपा करके व्यवस्था करिये, वरना वहां पर बार-बार कभी गुलाबपुरा बन्द होता है, कभी चेयरमैन का घेराव होता है, कभी आपके ई. ओ. का घेराव होता है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति एटलीस्ट हमारे क्षेत्र में तो हम नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप बोर्ड बनायें। आज आपकी सरकार है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विकास कीजिए। हम बोर्ड के माध्यम से चाहते हैं कि वहां पर विकास हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीलाल जी।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, गुलाबपुरा नगर पालिका के संबंध में माननीय देवेन्द्र सिंह जी ने बात बतायी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुलाबपुरा नगरपालिका एक जनतान्त्रिक स्वशासी संस्था है और उसका कार्य उनके पार्षद, अध्यक्ष सब मिलकर ठीक ढंग से संचालित करें, इससे माननीय मन्त्री महोदय भी सहमत होंगे। जब से चुनाव हुआ है वहां 13 पार्षद हैं अध्यक्ष सहित और उनमें से 9 पार्षद लगातार इस म्युनिसिपैलिटी के कार्य से सन्तुष्ट नहीं हैं और वहां जो अध्यक्ष हैं, वह अपनी मनमानी से सारा खर्चा करते हैं, मनमानी से सारा अपना कार्यक्रम जिस तरह से वह चाहते हैं उसी तरह से चलाते हैं। इसी वजह से वहां पार्षदों और अध्यक्ष के बीच में, यह जब से चुनाव हुआ है तभी से इसी तरह से धींगामुश्ती चल रही है। आप यह यकीन करेंगे कि 90 से लगातार दो बार अविश्वास प्रस्ताव आ गये, तीसरी बार वापस आने वाला है और वहां पर बजट पारित नहीं हुआ। सारा काम अध्यक्ष अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह अप्रेल से लेकर अब तक जो खर्च हुआ है, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि 64 लाख का काम हो गया, यह 83 काम कुल हुए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब बजट पारित नहीं हुआ, वहां के पार्षदों को विश्वास में लेकर के जब अध्यक्ष नहीं चलते हैं तो क्या उस नगरपालिका के कार्य सचालन को हम ठीक मान सकते हैं ? जनतान्त्रिक तरीके से अगर वहां के पार्षद चाहते हैं, अगर वह काम नहीं होता है तो फिर आप उसके अन्दर क्या करेंगे ? उनके बजट पारित नहीं होने पर भी जो खर्च किये जा रहे हैं, वह खर्च जायज हैं क्या ? हमारे स्वायत्तशासी संस्थाओं के कानून में इस तरह का क्या कोई प्रोवीजन है कि यहां से निदेशालय से कोई उनके बजट पारित किये जाये, या इस तरह से उनको डायरेक्शन देवें और यह सारी बात हो ? मैं यहां तक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे के सारे काम जो हुए हैं, वह काम उनकी मनमर्जी से हो रहे हैं। मैं उदारहण

(श्री लक्ष्मीलाल)

देना चाहता हूं कि सजनावाद स्कूल के लिए फंडमन्जूर किया और उसको आपने दूसरा जो स्कूल है जोरावरपुरा, उसमें लगा दिया। बताइये, मन्जूरी तो सजनावाद की है और अध्यक्ष जी वह सारा खर्च जोरावरपुरा पर कर रहे थे। क्या यह सही काम था ?

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप, मन्त्री महोदय, यह जांच करवा लीजिए कि न्यायालय के स्टे के बाद कितने पेमेण्ट उन्होंने कर दिये ? उनकी कैश बुक और उनके बैंक के खातों का आप अगर मिलान करें तो न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भी वह कंटेप्ट किये जा रहे हैं और वह अपना काम मनमर्जी से किये जा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था तो कम से कम हमारी इन संस्थाओं में नहीं होनी चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कमेटियां बननी चाहिए नगर-पालिका के अन्दर, आज दिन तक एक भी कमेटी उन्होंने नहीं बनायी। नगरपालिका के बायलॉज में कमेटियां बनाकर कार्य संचालन करने का काम तो अध्यक्ष को कम से कम करना चाहिए। वह पार्षदों को विश्वास में लेकर काम करे, यह तो उसको चाहिए लेकिन जनतान्त्रिक प्रणाली को ही एक तरफ ताक में रखकर अगर कोई आदमी इस तरह से काम करता है तो वह काम कम से कम प्रशंसनीय नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह कमेटियां कब तक बना देंगे ? यह बजट कैसे पास होगा ? वह 9 सदस्य कभी बजट पास करने वाले नहीं हैं क्योंकि उनके अनुसार प्रस्ताव नहीं है। वह उनकी मनमर्जी से प्रस्ताव लिये हुए हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इसकी जांच करवा लीजिए कि 1990 में जो चुनाव हुआ उससे पहले नगर पालिका की टैक्सेज की इनकम क्या थी ? यहां पर 3,4 बड़ी मिल हैं। यहां पर 40–45 लाख के करीब उनकी आक्ट्राय की आमदनी है लेकिन उस आक्ट्राय की आमदनी का इस पीरियड में भयंकर लीकेज हुआ है और आज आप उसकी आमदनी को देख लीजिए कि यह जो लीकेज है इसका क्या कारण है। यह मिले हुए हैं उनसे और सीधे-सीधे मिल से जितना भी पैसा टैक्स का आता है, उसका इवेजन हो रहा है। इस तरह से अगर नगरपालिका काम करेगी, अध्यक्ष अपनी मनमर्जी से काम करेगा तो यह जनता की सुविधाओं के लिए और वहां पर लोगों के लिए हितकर नहीं है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी-ऐसी संस्था जिसके इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, गुलाबपुरा में मिल है, सुपर सिमको मिल है, कोपरेटिव मिल है, इन मिलों से इनकी सारी इनकम होती है लेकिन वह इनकम, क्योंकि इनकी आपसी बात से उसका सारा लीकेज हो रहा है, उसका इवेजन हो रहा है और वह मिलीभगत से हो रहा है।

उन सब में आपने अभी फरमाया कि इनके ऊपर किसी तरह के घोटाले का नहीं है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इसके ऊपर कई तरह के घोटालों की शिका-यतें वहां पर उन्होंने की हैं। वह आज तक अगर नहीं भी पहुंची हो तो जैसा देवेन्द्र सिंह जी ने फरमाया है आप इसका विशेष अंकेक्षण तो करवाइये लेकिन साथ ही साथ

(श्री लक्ष्मीलाल)

यह भी आप निश्चित कीजिए कि इन कमेटियों का चुनाव हो, जनतान्त्रिक प्रणाली से इस संस्था का काम चले, पार्षदों को विश्वास में लेकर वह चलें। आपने वहां किसी पार्षद को तो छोटे से दुरुपयोग के लिए सस्पैण्ड कर दिया लेकिन जहां इन पर ग्रेट नेग्लीजेंसी और मनमानी के, कई दुरुपयोग के आरोप हैं, लेकिन अध्यक्ष को तो आप कुछ नहीं कहते हैं। सीधी सी बात है। आदमी जहां हैं एक तरफ और उपाध्यक्ष आपका है, अध्यक्ष आपका है, आप थोड़े दिन अध्यक्ष को सस्पैण्ड करके देख लीजिए फिर काम कैसे ठीक चलता है। बोर्ड तो आपका ही है ना। उसके ऊपर भी तो कई काम हैं। आपने वहां एक पार्षद को मामूली आरोप में सस्पैण्ड कर दिया लेकिन दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष को आप कुछ नहीं कहना चाहते। जनतान्त्रिक प्रणाली से यह संस्था चले, इसका आप मुझे आश्वासन दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वर्तमान अध्यक्ष के कार्य का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1989–90 में इस नगरपालिका की आय 27 लाख 33 हजार थी और इनके आने के बाद यह इन्कम बढ़ कर 41 लाख 19 हजार हुई 1990–91 में जो इनका पहला वर्ष था, फिर और काम किये उसके बाद यह इन्कम हुई 59 लाख। 27 लाख से 59 लाख आमदनी हो गयी। तो जहां आप कह रहे थे कि इन्कम घटी है, देखिये, यह ज्यादा है। इन्कम के जो आंकड़े हैं उससे तो यह बात साबित होती नहीं, इससे तो यही साबित होता है कि इसकी इन्कम 27 लाख से 59 लाख हुई है और यह इस आदमी ने किया है।

एक माननीय सदस्य : हमने आंकड़े थोड़े ही पूछे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, जिसने जितना किया है अच्छा किया है तो उसकी अच्छी तारीफ करनी चाहिये, अच्छा नहीं किया है तो उसको भी देखना चाहिये। आपने कहा कि उसकी इन्कम घटी है इसलिये मैंने यह निवेदन किया है।

श्री लक्ष्मीलाल (आसींद) : माननीय मन्त्री महोदय, इनके कार्यकाल में....

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : मैंने नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने नहीं कहा, लक्ष्मीलालजी ने कहा था।

श्री लक्ष्मीलाल : मैंने कहा, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इनके कार्यकाल में जो टैक्स नगरपालिका का हैं, उसको घटाया कि नहीं घटाया। यह जो इन्कम ज्यादा आयी है यह तो बैंक सिक्योरिटी थी जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। यह तो बैंक सिक्योरिटी का पैसा है उस वजह से हो गया। उन्होंने तो अपने काल में टैक्स की रेट कम की है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले कम हुआ था, 1989–90 में यही स्थिति थी। परिस्थितियां तो 1989–90 में वही थीं,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सोर्सेज वही थे नगरपालिका का क्षेत्र नही था।

श्री लक्ष्मीलाल : वह तो उनका जमा था।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : कीमतें कितनी बढ़ गयी इन दो साल में। आप तो यह बता दीजिये। कीमतें बढ़ी उसके कारण से आमदनी बढ़ गयी।

श्री उपाध्यक्ष : रेट ज्यादा आ गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रद्युम्नसिंहजी, न्याय करिये। 27 लाख को 59 लाख कर दिया अगर किसी एक कार्यकर्ता ने, उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये, मत करिये लेकिन यह न्याय नहीं है।

श्री देवेन्द्र सिंह : हम कह रहे हैं, मुझे कहने दीजिये, व्यवस्थित ढंग से उसका उपयोग करिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं उस पर भी आऊंगा। माननीय देवेन्द्रसिंहजी, इस नगरपालिका के संबंध में और अध्यक्ष के संबंध में आपकी मेरी चर्चा कई बार हुई है और आपने सन्तोष व्यक्त किया है आज के अलावा कि काम ठीक चल रहा है और आदमी ठीक काम कर रहा है।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं न तो आदमी के खिलाफ हूं और न मैं नगरपालिका की आमदनी को चेलेंज कर रहा हूं। मैं तो जो अव्यवस्था कर रखी है, सारा काम ठप्प हो रहा है उसके लिये अर्ज कर रहा हूं। आप बात को समझने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं कि नगरपालिका बहुत अच्छी है, मैं कहां मना कर रहा हूं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं आपके मन की भावना को समझ रहा हूं लेकिन एक प्रश्न जो आपने उठाया है उस संबंध में जानकारी दूंगा कि नहीं ? मैं उसका भी उत्तर दूंगा जो आपने मुझे आदेश दिया है। इन्होंने 81 काम किये हैं। तो किसी एक छोटी नगरपालिका में 81 काम होंगे तो क्षेत्र में ही। तो विकास का अन्दाजा इसी से हो जाता हैं। उसके बाद जितने काम किये हैं, उनमें मैंने देखा है, एक आध की मैं नहीं कह सकता, प्रस्ताव दिये हैं नगरपालिका में और प्रस्ताव के आधार पर काम किये हैं। तो सब माननीय सदस्यों का सहयोग नहीं है फिर प्रस्ताव पास कैसे हो सकता है ? और जो बड़े काम किये हैं, एक बस स्टेण्ड बनाया है, यह बस स्टेण्ड क्या मनमानी है ?....

श्री रामसिंह विश्नोई : हमने यह कहा था कि नदी वाले प्रोग्राम के अन्दर एक लाख रुपये खर्च किये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : I am coming to that. Please keep patience.

श्री उपाध्यक्ष : आ रहे हैं, वहां भी पहुंच रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यदि इसको राजनीति से देखें तो....

श्री देवेन्द्र सिंह : कितने प्रस्ताव पास हो गये इस नगरपालिका से, यह बता दीजिये, यह जो आप प्रस्ताव बता रहे हैं। यह नगरपालिका किस साल बनी थी ?

(श्री देवेन्द्र सिंह)

नैक्स्ट फाइनेन्शियल ईयर में एक भी प्रस्ताव, एक भी बोर्ड की मीटिंग, एक भी सब-कमेटी की मीटिंग नहीं हुई ?

श्री लक्ष्मीलाल : एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे पास जो सूची है, उसमें एक नहीं, अनेक प्रस्ताव पास हुये हैं । मैं दे दूंगा आपको यह सूची ।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं कह रहा हूं कि पहले साल में हुआ है, इस साल में एक भी प्रस्ताव पास हो गया, आपकी सब-कमेटी बन गयी, आपने कोई बोर्ड की मीटिंग बुला ली हो तो आप बता दीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : 1991 की बात बता रहा हूं मैं आपको । जो दिक्कत आप समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं लेकिन जो काम हो रहे हैं उसकी तो.... (व्यवधान)....यह तो कोई जरूरी नहीं कि आप बीच बीच में बोलते जाओ और मैं बोलता रहूं, आप सुनिये मुझे दो मिनट, क्या दिक्कत है ? बस स्टेण्ड का निर्माण किया । अब बस स्टेण्ड की मनमानी नहीं हो सकती थी और बस स्टेण्ड कोई दस थोड़े ही बन जाते होंगे, एक साल में एक छोटे से गांव में एक बनता है और वह उन्होंने बना दिया । वह कहां मनमानी हो गयी ? तीन सामुदायिक भवन बनाये । यह कहां मनमानी हो गयी ? यह सब के काम आयेगा ।

श्री देवेन्द्र सिंह : कम्युनिटी हाल क्या बनाया, एक 10 फीट का कमरा बनाया है । कम्युनिटी हाल कहते हैं क्या उसको ? इसीलिये तो कह रहा हूं कि पैसा यूं ही जाया हो रहा है । आप मेहरबानी करके बोर्ड के माध्यम से सब-कमेटी का निर्माण कर देते, हम तो यही कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : देवेन्द्रजी, उत्तर देने दीजिये, फिर बोल जाइये आप ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बार मुझे पूरा करने दीजिये ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पूछा ही नहीं कि कौन कौन से काम कराये ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले लक्ष्मीलालजी ने सारे सवाल उठाये थे । आपको दो पाइंटेड सवाल पूछने थे ।

श्री देवेन्द्र सिंह : हम तो आपसे एक बात कह रहे हैं कि क्वालिटी की ऑडिट करवा लो, जांच करवा लो । उसके बाद आप ठीक समझें, वह कर लें । बात खत्म हो जाती है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, आपने यह चार्ज लगाये कि मनमाने ढंग से काम किया, इसका मैं जवाब दे रहा हूं । यह मनमाने ढंग से नहीं हो सकते काम । बस स्टैण्ड का निर्माण मनमाने ढंग से नहीं हो सकता, तीन स्कूल भवनों का निर्माण किया है, बड़े नालों का निर्माण किया है । इन कामों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी अध्यक्ष ने मनमाने ढंग से काम किये हैं । कामों की कमी आप नहीं मानते, भ्रष्टाचार के आरोप आप भी नहीं लगाते । एक ईमानदार आदमी कई वर्षों से काम कर रहा है ठीक है, आज राजनैतिक स्थिति

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह बन गयी कि वोट के आधार पर निर्णय होते हैं, वह वोटों की कमी जरूर इनके साथ इन दिनों में आ गयी है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि नगरपालिका के यह जो माननीय सदस्य हैं, इनका कोई सामंजस्य ऐसा बिठा दीजिये। ऐसा सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : आपकी पार्टी का मैं कैसे....

श्री भंवरलाल शर्मा : पार्टी क्या होती है इसमें ?

श्री देवेन्द्र सिंह : बी.जे.पी. के लोग हैं, अविश्वास ला रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं और आप कह रहे हो सामंजस्य बिठाये। यह काम तो आपका है, हम तो आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ज्यादा मेम्बर आपके प्रभाव के हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : बी.जे.पी. के, मेरे प्रभाव में ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, क्यों नहीं होगा ?

श्री देवेन्द्र सिंह : तो सौंपों मुझे म्युनिसिपैलिटी।

श्री भंवरलाल शर्मा : ले लो, कौन मना करता है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : मेरे प्रभाव में है तो मुझे छोड़ दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही भूख है ना, यही झगड़ा है। बस झगड़ा यही है कि आपको मिल जाय। तो वह तो वोटों से मिलेगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन भावनाओं से आप शुरू से चल रहे थे, उसी प्रकार से देखिये कि नगर का विकास हो। भगवान की कृपा से आपके यहां बजट का भी नहीं है यानी नगरपालिका में पैसा भी खूब है, काम करने वाले अध्यक्ष भी मिल गये, काम भी खूब हो रहे हैं। थोड़ा सहयोग आपका मिल जाय, तो मैं समझता हूं जो आपकी पीड़ा है वह दूर हो सकती है। बाकी लेना चाहें तो...

श्री देवेन्द्र सिंह : आप तो एक काम करवा दो, वहां की कमेटी का निर्माण करवा दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जरा सहयोग करिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : सहयोग करेंगे परन्तु आप कमेटी का निर्माण करवा दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मेरा सहयोग करो, आप कहेंगे....

श्री देवेन्द्र सिंह : कैसे सहयोग करें ?

श्री लक्ष्मीलाल : आपसे मैंने निवेदन किया था कि बजट पारित नहीं हुआ है और बिना बजट के आज दिन तक यानी अप्रैल से लेकर ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : कानून–सविधान में व्यवस्था है, नियम है। अगर किसी नगरपालिका का बजट पास नहीं होता तो राज्य सरकार को अधिकार है, वह बजट पास कर देती है।

श्री देवेन्द्र सिंह : बजट पास करके भेज दिया जाय। उसी हिसाब से काम करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : लेकिन जैसा आप फरमा रहे....

श्री देवेन्द्र सिंह : बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई, बजट किसका पास होता ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार ने किया है।

श्री देवेन्द्र सिंह : बगैर बोर्ड की मीटिंग के बजट आपको कैसे भेज दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर कोई नगरपालिका अपना बजट पास करने में असफल हो जाती तो....

श्री देवेन्द्र सिंह : आपको अधिकार दे.... बोर्ड से कम से कम प्रस्ताव तो पास होना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : जरूरत नहीं है। कानून की मन्शा के अनुसार राज्य सरकार....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : बोर्ड की मर्जी के बजट....

श्री देवेन्द्र सिंह : आप विधान सभा में बजट क्यों रखते हो ? इसकी जरूरत नहीं है। सरकार पास कर ले अपनी मन्शा से।

श्री भंवरलाल शर्मा : मान लीजिये आपका बजट पास नहीं हो तो केन्द्र कर देती है। अगर किसी सरकार का बजट पास नहीं हो तो केन्द्र....

श्री नत्थी सिंह : वह तो 356 लागू हो जाय तो।

श्री परसादीलाल मीणा : बोर्ड नहीं हो, विधान सभा नहीं हो, तब केन्द्र करता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, तो पावर है ना।

श्री परसादीलाल मीणा : वहां तो बोर्ड मौजूद है नगरपालिका का....

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाय.... (व्यवधान)... अब आप सुनो तो सही। कानून में व्यवस्था है (व्यवधान)....मेरी बात तो सुनो, यह कानूनी व्यवस्था है।

श्री लक्ष्मीलाल : मेरा निवेदन है कि जब उस नगरपालिका में 13 सदस्य हैं और 13 सदस्यों में से....

श्री भंवरलाल शर्मा : मान लीजिये, उनमें आपस में विवाद हो और बजट पास नहीं होता है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विवाद तो तब होगा, जब मीटिंग ही नहीं बुलाएंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहस यह है, सरकार बजट पास कर सकती है या नहीं कर सकती है, यह पूछ रहे हैं ? सरकार को यह अधिकार है कि नहीं ? ऐसी स्थिति में जब नगरपालिका अपना बजट पास न कर सके....

श्री देवेन्द्र सिंह : हम यह पूछ रहे हैं कि बिना बोर्ड में प्रस्ताव किये हुए सरकार को बजट पास कराने का अधिकार है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : है।

श्री देवेन्द्र सिंह : बिना बोर्ड के।

श्री भंवरलाल शर्मा : है, अब है तो है, क्या करें।

श्री लक्ष्मीलाल : मेरा निवेदन यह है माननीय मंत्री महोदय से""

श्री उपाध्यक्ष : वह तो प्रोवीजन है, तभी तो बोल रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि वह कौनसी परिस्थितियां हैं जब बोर्ड के होते हुए, नगरपालिका के होते हुए आप कर सकते हैं ? एक तो वह है कि मीटिंग बुलाई जाय और पास न करे। मीटिंग आपके अफसर ही नहीं बुलाए, फिर कैसे करोगे आप ? बिना नगरपालिका को आहूत किये, बिना उनका प्रस्ताव लिये कैसे करोगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको कानून के साथ संतुष्ट कर रहे हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : गलत जबाब दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करे, राज्य सरकार बोर्ड के होते हुए बजट पास करे। फिर ऐसे बोर्ड का काम क्या है ? खत्म करिये, भंग करिये बोर्ड को। इसे भंग करें (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : आप डिजोल्व करके बजट पास करा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उसके बाद में आप पास करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसादी लाल जी, बैठिये।

श्री परसादी लाल मीणा : आप करें या नहीं करें, कौनसे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप परसादीलाल जी, बैठिये। Hon'ble Member has raised a point of order. He has raised point of order. First we should hear him. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ डिसआर्डर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अगर पास नहीं करें तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, क्या कह रहे हैं आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाईण्ट आफ आर्डर यह हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नियम के अन्तर्गत बनती है और उसमें जब 2/3 मेजोरिटी नहीं हो तब तक अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, बहुमत मान लो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि यह कह रहे हैं कि उस नगरपालिका को भंग करो। कानून के अन्तर्गत नियमों के विरुद्ध जाकर (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : चुने हुए अध्यक्षों को इस सरकार ने हटा दिया। दौसा के अध्यक्ष को हटा दिया। जहां-जहां कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको इन्होंने जान-बूझकर हटा दिया और हाई कोर्ट ने स्टे किया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अविश्वास लाईये। कौन मना कर रहा है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर किसी को कोई नहीं हटा सकता (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो सरकार हटा रही है, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गये हैं उनको हटा रही है और दूसरी तरफ जो काम करने वाले नहीं, उनको जमाये बैठी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। माननीय श्री बुलाकी दास कल्ला, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री प्रकाश बैरवा, श्री चम्पालाल जैन, श्री श्रीराम मीणा, श्री ईश्वर लाल सैनी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। (व्यवधान) परसादी लाल जी, आप बैठिये। आप भी बैठिये। आप एक मिनट बैठिये। आप बिराजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैंने दो पाइण्टेड प्रश्न पूछे, उनका जवाब चाहता हूं। एक तो यह कि क्या स्पेशल आडिट करवाकर उसके बाद जांच करवायेंगे उसकी क्वालिटी की, उसके एकाउण्ट्स की और दूसरा यह कि आप कह रहे हैं कि बोर्ड के बगैर आप बजट पास कर सकते हैं। फिर आप पास कर दीजिये, कोर्ट में क्यों गये हैं सदस्य ? कोर्ट में किस बात के लिए गये हैं। अगर गवर्नमेण्ट यह बजट पास कर सकती है तो कर दे। किस नियम के तहत आप बोर्ड का बजट पास कर सकते हैं Without the meeting of the Board यह हमको बता दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तेजना की बात नहीं है। सवाल यह है कि (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने दीजिये माननीय सचेतक जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप लीपा-पोती कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्यों लीपा-पोती हो रही थी, भाई ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप लीपा-पोती कर रहे हैं। बोर्ड के रहते हुए सरकार बजट पास करे। बोर्ड अक्षम है बिल्कुल। आप डिसमिस कीजिये बोर्ड को पहले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप एक बार सुन तो लीजिये। आप पहले बात तो सुन लीजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : आप नियम बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : तो बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब सुनिये प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस विषय में ज्यादा चर्चा करना इसलिए उपयोगी नहीं है कि हमने जो यहां बजट पास किया है वह कोर्ट में चेलेन्ज किया, So the matter is pending in the court.

श्री हेतराम बेनीवाल : इसके फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : कैसे नहीं पड़ेगा फर्क ?

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, यह सवाल नियम का है।

श्री परसादी लाल मीणा : बोर्ड के रहते हुए बजट को मंजूर किया, किन नियमों के अन्तर्गत किया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नियम रहते हुए पास किया है ?

श्री परसादी लाल मीणा : आपने किन नियमों के तहत यह किया है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : हम एक ही चीज पूछ रहे हैं कि सरकार ने जो पावर इस्तेमाल किये हैं, कौन से नियम के तहत किये हैं ? वह नियम बतायें।

श्री लक्ष्मीलाल : इस पर बोर्ड के रहते हुए भी....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : हां बोर्ड के रहते हुए ही होगा। आप सुनना भी नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप सुनिये। क्या कह रहे हैं ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप तो कोर्ट का हवाला लेकर के बच रहे हैं।

श्री लक्ष्मीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं ?

श्री लक्ष्मीलाल : मेरी बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया कि यह मनमाना काम नहीं कर रहे हैं। इस बात का डिस्प्यूट है कि जो बजट है, जिन मदों पर खर्च करना है, उसके ऊपर 9 पार्षद कहते हैं कि इस पर इतना खर्चा किया जाये और चेयरमैन कहता है कि इतना किया जाय। इस बात के ऊपर डिस्प्यूट है इसलिए बजट पास नहीं होता। बोर्ड वहां पर है और बोर्ड के रहते हुए किन प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार उसके अन्दर अपना हस्तक्षेप कर रही है। एक जनतांत्रिक संस्था है, स्वशाषी संस्था है और उसके सदस्य बोर्ड के रूप में उसको पास करना चाहते हैं। मीटिंग बुलाकर के उसको फेस नहीं करते, बहुमत का आदर नहीं करते और वह आपके पास भेज देते हैं और आप उसको पास कर देंगे। यह इस तरह संस्था का संचालन करना, यह जनतन्त्र नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बहुमत कहता है बजट ऐसे पारित कीजिये। अल्पमत कहता है कि नहीं। अकेले चेयरमैन की वजह से

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आप बजट पास कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हो ? आप लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बोर्ड की मीटिंग यदि चैयरमेन नहीं बुलाता है तो मैम्बर को अधिकार है। वह 1/3 मेम्बर लिख कर दे दें, बोर्ड की मीटिंग हो जायेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जो आप चाह रहे हैं, यह नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सरकार को बाध्य करें कि वह बोर्ड भंग हो जाये, तो ऐसे कैसे हो जायेगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप एक-एक करके बोलिये। क्या कहना चाह रहे हैं आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अव्यवस्था आपने फैला रखी है। बोर्ड नहीं चलने देते। वहां पर लड़ाई लड़ा रखी है। बोर्ड नहीं चले इसकी व्यवस्था करवा रखी है। वे मैम्बर आपस में लड़ें, इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : यह गलत बात है। नहीं, नहीं, यह कोई बात नहीं है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। बोर्ड बहुमत के अन्दर है, फिर कौनसी व्यवस्था कर रखी है ? (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : सफाई, प्रकाश आदि का सवाल है, यदि बोर्ड नहीं करे इस प्रकार की व्यवस्था तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि राज्य सरकार वह सारा देगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालाल देवपुरा साहब बोलना चाहते हैं। एक मिनट बिराजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, साधारण सी बात है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर बात है। बोर्ड बना हुआ है (व्यवधान) मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप ठहरिये, बीच में मत बोलिये। बोर्ड बना हुआ है, अध्यक्ष है, बोर्ड के सदस्य हैं, बोर्ड डीफेक्ट नहीं है। बोर्ड जो बना हुआ है, तो न तो अविश्वास प्रस्ताव पास होने देते हो, न आप कोई दूसरा रिजोलूशन उन्हें लेने देते हो। बोर्ड की मीटिंग आप होने नहीं देते और फिर बोर्ड के काम को आप अपने आप ले लेते हो। ऐसा है तो माननीय मंत्री महोदय, आप में हिम्मत होनी चाहिए कि बोर्ड को आप भंग कर दीजिये, भंग करके नये चुनाव करवा दीजिये। जब आप जानते हैं कि बोर्ड काम नहीं कर रहा है, और आपके अनुसार अध्यक्ष को काम करने नहीं दिया जाता। मैम्बर्स एक बात चाहते हैं और अध्यक्ष दूसरी बात चाहता है, तो अध्यक्ष के हाथ में कठपुतली बनकर के बोर्ड चलवायेंगे क्या ? यह कौनसा तरीका है ? कौनसे नियम में लिखा हुआ है ? बोर्ड अगर फंक्शन नहीं कर रहा है, बोर्ड किसी भी कारण से फंक्शन नहीं कर सकता है तो आप बोर्ड को भंग कर दीजिये और नये चुनाव म्युनिसिपैलिटी के करवायें। तब तो ठीक बात होगी अन्यथा तो यह जो आप कर रहे हो, सब मनमानी और धांधली कर रहे हो, केवल अपने अध्यक्ष को बचाने के

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लिए आप सब कुछ कर रहे हो और उसी के माध्यम से आप काम चलाकर के अपना वहां पर असर जमाने की कोशिश करना चाहते हैं। यह डेमोक्रेट सेटअप में इस तरह का राजनीतिक लाभ लेने का अधिकार किसी भी दल को नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की अनियमितता नहीं करें। यह अनियमितता नहीं है, यह असंवैधानिकता है।

(3.00 म.प.)

यह इर्रेगुलरिटी है और यह किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।

श्री नत्थीसिंह : माननीय मंत्रीजी बता दें कि कौनसे नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की है। प्रोविजन्स क्या हैं ? किन परिस्थितियों में अधिकार है ? वह परिस्थितियां थीं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं, व्यास जी ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात तो यह कि मंत्रीजी ने कहा मैटर सब-ज्यूडिस है, इससे उनकी जो एकाउण्टेबिलिटी है इस हाउस के प्रति, वह कम नहीं होती है। मैटर सीधा सीधा यह है कि आपने यह पावर्स किस ला के तहत एक्सरसाइज की हैं, वह आप पढ़कर सुना दीजिए। सदन लगातार पूछ रहा है। इसका सीधा जवाब आ जाये मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह गुलाबपुरा नगरपालिका का ही प्रश्न नहीं है, टोडारायसिंह में भी यही स्थिति है। सरकार का यह रवैया बड़ा खराब है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां क्या हुआ ? टोडारायसिंह में अविश्वास प्रस्ताव लाये, वहां अविश्वास प्रस्ताव फैल हुआ.... (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपको व्यवस्था नहीं सम्भालने देंगे। आप इनको अंकुश में नहीं रख सकते हैं। (व्यवधान)....इनका दबाव क्या है आपके ऊपर ? यह कार्यवाही को ठीक ढंग से नहीं चलने देना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : टोडारायसिंह में बहुत अच्छी नगरपालिका चल रही थी। टोडारायसिंह के एक्स-चैयरमेन ने जो गड़बड़ी की है, उस पर वह एक्शन लेना चाहते थे इसलिए वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह अविश्वास प्रस्ताव गिरा, गुलाबपुरा में भी अविश्वास प्रस्ताव गिरा। मैं पूछना चाहता हूं कि गुलाबपुरा में आप नगरपालिका को क्यों बंद कराना चाहते हैं ? कानून में कोई प्रावधान नहीं है। किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे बंद कर दें ?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप इन पर अंकुश नहीं रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के पास कोई जवाब नहीं है।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका की सफाई का सवाल था,

(श्री मदनलाल सैनी)

मजदूरों के वेतन का सवाल था और नगर-पालिकाओं के ऊपर कार्य व्यवस्था का सवाल था....(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप शान्त हों तो जवाब दिलाऊं। आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : यदि बजट पास नहीं किया जाता तो क्या जनता को नारकीय जीवन व्यतीत करने देते ?....(व्यवधान)....दूसरी तरफ मैं यह भी....(व्यवधान)....दूसरी स्थिति में यहां की जनता को इस स्थिति में छोड़ दें। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि यदि नगरपालिका में अव्यवस्था हो रही है तो बजट के अभाव में मजदूरों को बिना वेतन के नहीं छोड़ा जाय ? बिजली पानी की व्यवस्था वह करे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदनलाल सैनी : बिजली पानी की व्यवस्था करने और दूसरी व्यवस्था करने के लिए यदि सरकार बीच में आकर बजट पास करती है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं, व्यास जी ? आप बोलिए...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह किस नियम के तहत बजट पास किया है ? (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने मजदूरों के वेतन के लिए, वहां पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए, नगर पालिका में सफाई व्यवस्था के लिए यह जो बजट पास किया है, यह गलत नहीं किया है। (व्यवधान)....वास्तव में आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपको एक्ट की जानकारी नहीं। आप बताना नहीं चाहते हैं।

श्री मदनलाल सैनी : मंत्रीजी तो जवाब देने को तैयार हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बतायें कि बिना शिकायत के कैसे बोर्ड को भंग करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : बोर्ड को भंग कीजिए....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप नियम बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : परसादीलालजी, बैठिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह बतायें कि किस नियम के तहत भंग करेंगे। आपके मांग करने से भंग करेंगे। आप तो कल कह देंगे राजस्थान विधान सभा को भंग कर दो।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीरजी। आप बिराजें। आप भी बिराजें। माननीय रतनारामजी, बिराजिए।

माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी नगरपालिका में इस प्रकार का वातावरण है कि वहां बजट पास नहीं हो सकता है, बजट बोर्ड में आवे और वह पास नहीं हो तो जो प्रोसिडिंग्स पास करने की हैं वह सरकार के पास जाती हैं....(व्यवधान)....बात सुनिए पहले आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सैक्शन पहले क्यों नहीं पढ़ते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिए । सुन लीजिए । माननीय व्यासजी, सुनिए पहले आप। आपका आरोप था कि सरकार जवाब नहीं देती है। सरकार जवाब देती है तो आप सुनते क्यों नहीं हैं ? आप सुनिए पहले, I will not allow it, पहले आपको बोलने दीजिए, फिर बोलेंगे आप। जवाब आने दीजिए।

माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यहां जब बजट पास नहीं हो और यह प्रस्ताव आये कि बजट पास नहीं, यह जब सरकार के पास आयेगा तो सरकार को यह पावर है कि जो नगरपालिका ने प्रस्ताव दिया है, पास किया है अगर वह ठीक नहीं है तो उसको अमेण्ड कर सकते हैं। इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो प्रस्ताव पास नहीं करने का है कि बजट पास नहीं किया जाय जब सरकार के पास आयेगा तो सरकार को राइट है कि उसको अमेण्ड करके पास कर सकती है।

उसके तहत हमने यह आदेश दिया है और ज्यादा बहस इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि यह मामला सब-जूडिस है और इसकी चर्चा में भाग लेने का लाभ नहीं है। हमको यह अधिकार है कि अगर कोई बोर्ड अपना बजट अपने किसी विवाद के कारण पास नहीं करती है और प्रस्ताव करती है जो भी कार्यवाही होगी यह नगरपालिका के पक्ष में सरकार उचित समझती है तो बदल सकती है, वह हमने बदलकर बजट पास करा। यह कोर्ट में पेण्डिंग है वहां जो होगा तय हो जायेगा।

दूसरा और सुन लीजिए। आपने कहा कि उन्होंने जो काम किया, ठीक नहीं किया और उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसकी जांच करा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री हीरालाल देवपुरा : किस लॉ में अधिकार है, यह बतायें। यह नहीं बताया।

श्री भंवरलाल शर्मा : म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में है।

श्री हीरालाल देवपुरा : क्लाज कौन सा है, पढ़ें। कोई प्रस्ताव बोर्ड में पास नहीं हो, कोई प्रस्ताव बोर्ड में गिर जाये.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मैं इस पर चर्चा समाप्त करता हूं। श्री बुलाकीदास कल्ला....(व्यवधान) जनरल डिबेट का मैटर नहीं है। (व्यवधान) Hon. Member who has raised the call attention motion is satisfied Now I willnot. allow. Start your call attention motion.

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जिन प्रोविजन्स का हवाला दिया है वह "एक्स" सेक्शन में इनकोरपोरेट है। वह पढ़कर नहीं सुनाया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चर्चा समाप्त कर चुका है। I have closed the topic.

श्री सुरेन्द्र व्यास : कृपया एक मिनिट सुनिए।

श्री उपाध्यक्ष : कहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेण्ट को पावर है कि....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : माननीय मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को नगरपालिका से प्रेम है तो वार्ड मेम्बर बनाकर वहां भिजवा दीजिए इनको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटी का रिजोलूशन सरकार पब्लिक इण्ट्रेस्ट में नहीं पावे....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कितने दिन बहस चलेगी ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : या गवर्नमेण्ट की प्रोनाउंस पोलिसी में रिजोलूशन को अमेण्ड, आल्टर, रिपील कर सकती है। यह नहीं कि बजट पास करे but that does not mean.

श्री उपाध्यक्ष : यह लॉ की बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लॉ की बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो म्यूनिसिपैलिटी को डिजाल्व करो फिर बजट पास करो। यों म्यूनिसिपैलिटी का बजट पास नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो माननीय बुलाकीदास कल्ला। अपनी बात कह चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनिए। मैं एक बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या कह रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह पोलिटिकल डिस-ओनेस्टी है। भंवरलालजी, इसको समझने की चेष्टा कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : नो। नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके नो कहने से क्या होता है ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई पाइंट आफ ऑर्डर नहीं है। This is no point of order.

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल आपके खिलाफ चार्ज है। You have acted in an immoral manner. You have acted in a dishonest manner.

श्री भंवरलाल शर्मा : नो, I refuge the charge.

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल आपके खिलाफ चार्ज है।

श्री भंवरलाल शर्मा : I refuge the charge.

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : इतना बढ़िया काम किया उस अध्यक्ष ने....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : There is no end to it.

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सदस्य स्वयं डिसचार्ज हो गये चार्ज लगाकर।

श्री देवेन्द्र सिंह : जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : जांच का मतलब कह दिया जांच करायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : शीघ्रातिशीघ्र।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर पास होंगे आपके खिलाफ।

कोलायत, गजनेर, सावा, चूरू, पोकरण, फलौदी की जलोत्थान सिंचाई योजनाएं

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत कोलायत, गजनेर, सावा, चूरू, पोकरण, फलौदी लिफ्ट के निर्माण कार्य को मूल योजना में और प्रस्तावित योजना में हेराफेरी करने व इस योजना को बीच में ही कुछ मिथ्या रिपोर्ट्स के आधार पर बंद करने के बारे में माननीय इंदिरा गांधी नहर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय इंदिरा गांधी नहर मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य बुलाकी दासजी कल्ला एवं अन्य 5 सदस्यों ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा हैं, उस विषय में वर्णित यह बात सही है कि पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर मरूस्थलीय क्षेत्र हैं, जो अकाल से पीड़ित है और पेयजल एवं चारे का हमेशा वहां अभाव बना रहता है। अब इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से जलागमन हुआ है और स्थिति बदलती जा रही हैं। माननीय सदस्यों ने लिफ्ट स्कीमों को घटाने और बदलने का षड़यंत्र करने जैसा आरोप प्रस्ताव में लगाया है जो कि सही नहीं है। संलग्न तालिका में लिफ्ट स्कीम का वर्षवार खर्चा दिखाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि वर्ष 1986–87 से बराबर इन लिफ्ट स्कीमों की प्रगति हो रही है और वर्ष 1991–92 तक कुल खर्च लगभग 40 करोड़ रुपया हो चुका है और लगभग 50 किलोमीटर मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली बन चुकी है। केवल वर्ष 1989–90 में प्रगति में कुछ कमी आई थी जिसका कारण यह था कि तत्कालीन राज्य सरकार के लिये निर्णयानुसार वर्ष 1988 में सिंचित क्षेत्र विकास, राजस्थान भू–जल विभाग एवं वाटर वर्क्स द्वारा एक हार्ड–पाइण्ट के सम्बन्ध में भूगर्भीय सर्वे कराया जा रहा था और उस हार्डपाइण्ट के दुष्प्रभाव की सम्भावना से चिन्ता व्यक्त की जा रही थी। कुछ अनिश्चितता की स्थिति बन गई थी। इसी के फलस्वरूप अध्ययन होने के कार्य की प्रगति में कमी आई थी।

वर्ष 1987 के 941.24 करोड़ रुपये के संशोधित तख्मीने के अनुसार 5 लिफ्ट

(श्री भंवरलाल शर्मा)

योजना 60 मीटर लिफ्ट तथा बांगड़सर 10 मीटर लिफ्ट तक की स्वीकृति की गई जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:—

क्र. सं.	अनुमानित लागत	डिस्चार्ज (क्यूसेक्स)	लिफ्ट नहर की लम्बाई	पानी की गहराई	सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर)
सावा लिफ्ट	97.58 करोड़	25.22	109.50किमी.	3.80मी.	97.49
गजनेर	50.36	12.66	32.10	2.95मी.	49.537
कोलायत	74.66	19.80	31.4	3.45मी.	77.756
बांगड़सर	5.13	2.15	10.5	1.50मी.	8.500 है.
फलौदी	48.42	14.46	32.0	3.10	56.750
पोकरण	23.76	5.82	26.0	2.20	22.700 है.

(3.12 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

इसी प्रकार उपरोक्त स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार पोकरण लिफ्ट के अलावा सभी 5 लिफ्ट योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अगस्त, 1992 तक निम्न कार्य पूर्ण हो चुका है। माननीय सभापति महोदय, लाईनिंग कार्य की प्रगति अगस्त, 1992 तक है। सावा में 21.86, गजनेर में 4.53, कोलायत में 14.35, बागड़सर में 5.87 तथा फलौदी में 3.35, कुल 49.96 किमी. लाईनिंग की प्रगति है।

वर्ष 1992–93 में इन योजनाओं के लिये लगभग 17 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है जिसमें से अगस्त, 1992 तक 5.74 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। इस राशि का पूरा उपयोग कर लिया जायेगा।

पूर्व में हार्डपाइण्ट के जो अध्ययन कराये गये और उसके नतीजे जो आये, उनके विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रस्तावित मात्रा में सिंचाई करने से केवल हार्डपाइण्ट की मौजूदगी के कारण सेम पैदा होने की समस्या नहीं है पर अन्य कारणों से जैसे अत्यधिक मात्रा में पानी का रिसाव, सिंचाई एवं अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में जल का प्रयोग, खराब सिंचाई प्रबन्ध से सेम की समस्या पैदा हो सकती है। इस प्रकार के क्षेत्र चिन्हित करना अभी सम्भव नहीं हुआ है और जैसे-जैसे इस प्रकार की समस्या खड़ी होगी, उसका आंकलन एवं कारणों की उसी समय जांच करके समुचित उपाय किये जायेंगे। अब हार्ड पाइण्ट के कारण लिफ्ट नहर के निर्माण में कोई बाधा नहीं है। 1981 में स्वीकृत योजना के अनुसार कार्य प्रगति पर है। इस लिफ्ट नहर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बल्कि पूरे इन्दिरा गांधी नहर पर बचे हुए कार्यों के लिये धनराशि मुख्य समस्या है जिसके लिये अधिकाधिक प्रयास किये जा रहे हैं।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, इसी विषय पर माननीय विधायक श्री कल्लाजी द्वारा प्रश्न पूछे गये हैं। नियम 295 के तहत 26-2-92 को प्रस्ताव था, इसका उत्तर भी मैं दे चुका हूं। आज जो उत्तर दिया है, शायद वह सेम ही है। इसी तरह इन्होंने हार्डपाइण्ट, वाटर लॉगिंग के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था, 10-2-92 में निर्धारित नहीं हुआ था पर उसका उत्तर भी मैं दे चुका हूं। इसी विषय पर माननीय कल्लाजी ने लिफ्ट के पूर्व निर्धारित के संबंध में प्रश्न 6-2-92 को पूछा था, वह भी लग नहीं पाया था। उसका भी उत्तर मैं दे चुका हूं। इसी प्रकार 24-3-92 को निर्धारित जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, उसका भी उत्तर मैं दे चुका हूं। इसलिये कोई भी हार्डपाइण्ट की समस्या और किसी प्रकार का बन्द हुआ है, यह बात नहीं कह सकते। अगर वर्षवार लाइनिंग का कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहते हों तो बता दूंगा पर लाइनिंग का 1990-91, 91-92 और 92-93 में जितना, कल्ला साहब, हुआ है, आप पीछे के साल उठा के देख लीजिये, शायद नहीं हुआ है। प्रगति 1987-88 और 1989-90 में थोड़ी कम थी। इसका कारण मैं बता चुका।

अब कोई भी लिफ्ट हम बन्द नहीं करने जा रहे हैं। किसी भी लिफ्ट को हम बन्द नहीं कर रहे हैं और विधिवत चालू रखी जायेगी, न उसमें तरोड़ मरोड़ कर रहे हैं। इसलिये इस तरीके से आप राजनीतिक लाभ अगर उठाना चाहें और एक भ्रांति फैलाना चाहें तो यह बात अलग है, बाकी किसी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री बुलाकीदासजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर मन्त्रीजी ने अभी कोलायत, गजनेर, सावा, चूरू, पोकरण और फलौदी लिफ्ट के बारे में जो बयान दिया है, इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक बातें सदन में रखना चाहता हूं। यह बात सही है कि हमारे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर और आगे सीकर, झुंझुनूं तक का इलाका, इसमें जोधपुर, पाली और नागौर भी शामिल है, एरिड जोन में आता है जो वर्षों से अकालग्रस्त और अकाल प्रभावित क्षेत्र है। अभी भी हमारे कोडमदेसर, छावनी, गजनेर के आगे के गांव 50 किमी. के एरिया में लगातार इस छठे वर्ष में भी, 50 स्के. किलोमीटर में ऐसा क्षेत्र है जहां बरसात नहीं हुई। गजनेर भरा हुआ है, कोलायत भरा हुआ है लेकिन इस एरिया में अभी भी बरसात की कमी है। ऐसी परिस्थितियों में वर्षों से जो अकाल पीड़ित, अभावग्रस्त लोग हैं, उनके हितों को ध्यान रखते हुए और राजस्थान की इस बन्जर भूमि को सिंचित क्षेत्र की भूमि में परिवर्तित करने के लिये हमारे राष्ट्र भारत के निर्माता पं. जवाहर लाल नेहरू ने इण्डस वाटर ट्रीटी करके इन्दिरा गांधी नहर के माध्यम से रावी-व्यास नदी का पानी हमको इस राजस्थान को दिया और इसके माध्यम से रेगि-

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

स्तान को सिंचित क्षेत्र में विकसित करने का प्रयास किया।

मुझे कहते हुए अफसोस होता है, आप राजनीतिक बात करते हो, 1977 से 1980 के बीच में जनता सरकार ने फैसला किया, कैबीनेट ने कि इन लिफ्ट का निर्माण नहीं कराया जाय। उसके बाद सन् 1987 में कांग्रेस के शासन के वक्त में संशोधित तख्मीने के अनुसार 6 लिफ्ट योजनाएं जो 931.24 करोड़ की लागत की थीं, आपने स्वयं ने अपने जवाब में कहा है, यह जवाब आपका है 6 मार्च, 1992 का, हम लोगों ने मन्जूर की थीं और मन्जूर करने के बाद 27-11-91 को इन्दिरा गांधी नहर मण्डल की 138वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वेफकोस की रिपोर्ट जब तक प्राप्त नहीं हो, मुख्य नहर के कार्यों को जहां तक छेड़ रखा है, उसी को पूरा किया जाय और आगे का काम बन्द कर दिया जाय।

प्लानिंग एण्ड कोर्डिनेशन कमेटी ने भी इसके बारे में सहमति दी। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस 138–वीं मीटिंग के बाद क्या बोर्ड ने दुबारा मीटिंग की और मीटिंग करके यह निर्णय लिया कि मूल प्रस्तावित योजना जो कंवरसैन जी ने, हरिसिंहजी चौधरी ने और अन्य अनेक वरिष्ठ इंजीनियर्स ने, जो देश के जाने-माने इंजीनियर्स थे, जिन्होंने इस क्षेत्र का पूरा सर्वेक्षण करने के बाद इस क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स लागू करने की बात कही थी, उसको अण्डर-ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के मिथ्या प्रतिवेदन के आधार पर बन्द करने का निर्णय ले लिया? क्या आपने बोर्ड की मीटिंग में दुबारा यह निर्णय लिया कि मूल प्रस्तावित योजना के अनुसार इन लिफ्ट स्कीम्स को बनाया जाएगा?

मैं दूसरा पाइन्ट यह उठाना चाहता हूं कि जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट्स आई, उनके बारे में इन्दिरा गांधी नहर मन्त्रीजी गौर करें—As per report of March, 1989, इसमें जो गजनेर लिफ्ट है, इसके बारे में यह कहा है कि—Upto 36 mt. depth there is sand coarse or fine grain and gravel etc. जबकि—As per report of July, 1991, 0 to 12 mt. sand and silt.

दूसरा below 2 mt. clay and gravel.

उसके बाद तीसरे में, नोखा गांव की यह रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, 36 to 38 mt. clay, 38 mt. to 49 mt. sand.

उसके बाद कोडमदेसर—0 to 5.5 mt sand, 5.5 mt. to 11.5 mt. clay and concere with sand. 11.5 to 23 mt. sand with concere and gravel.

यह 89 की रिपोर्ट कोडमदेसर की, उसके मुकाबले में जो जुलाई, 1991 में रिपोर्ट आई है, सभापति महोदय, उसमें लिखा है कि—धोंधासर प्याऊ—0 to 23 mt. sand, medium fine grain and concere lying layer.

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

यह 1989 की रिपोर्ट है और 1991 जुलाई की जो रिपोर्ट है, उसमें—0 to 1.5 mt. sand and silt.

II—1.5 to 3 mt. clay concere and gravel.

उसके बाद में—सोबासर—0 to 20 mt. sand.

यह 1989 की रिपोर्ट है और जुलाई, 1990–91 में—0 to 1.5 mt. sand and silt. Below 1.5 mt. rock.

सभापति महोदय, 1989 की रिपोर्ट में 36 मीटर, 38 मीटर और 23–23 मीटर तक सेंड है वहां जुलाई की रिपोर्ट में डेढ़ मीटर पर कंकर और हार्ड पाइण्ट बताकर पश्चिमी राजस्थान के लोगों के साथ एक तरीके से हेरा-फेरी की जा रही है, पश्चिमी राजस्थान के लोगों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट—United States Deparment of the Interior Bureau of Reclamtion Drainage Manual.

इसकी रिपोर्ट में हार्डपाइण्ट के बारे में कुछ बातें कही हैं, उनको मैं कोट करना चाहता हूं—"Identifying the barrier zone by definition as used by the Bureau of Reclamation.–A barrier zone is a layer which has a hydrolic conductivity 1/5th or less of the weighted hydrolic conductivity of the strata above it,. Although this is a somewhat arbitrary standard, it has worked satisfactorily in practice."

सभापति महोदय, जो गजनेर लिफ्ट के सम्बन्ध में भू-जल विभाग की रिपोर्ट द्वारा जो विस्तृत अध्ययन किया गया इसका विवरण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1 से 3 दिनांक 25-10-1991 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सर्वे एवं अन्वेक्षण वृत्त, बीकानेर—मुख्य अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया था कि भू-जल विभाग द्वारा गजनेर लिफ्ट के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट निम्नलिखित कारणों से गलत प्रतीत होती है। भू-जल विभाग द्वारा गजनेर लिफ्ट के सम्बन्ध में दी रिपोर्ट क्रमशः मार्च, 1989 और जुलाई, 1991 में दी गई थीं और जिसका मैंने 4 गांवों का अभी कम्परेटिव स्टेटमेंट आपको पढ़कर बताया। इन दोनों रिपोर्ट्स में भूमि से नीचे की परतों का साइल स्ट्रेटा में विरोधाभास हैं। मार्च, 1989 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार 20 मीटर की गहराई तक की परतें जल रिसाव की क्षमता रखती हैं, अर्थात् 20 मीटर की गहराई तक हार्डपाइण्ट नहीं है तथा जुलाई, 1991 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार 88 प्रतिशत क्षेत्र में 3 मीटर की गहराई तक हार्डपाइण्ट होना बतलाया गया है। ब्यूरो ऑफ री-क्लेमेशन, अमेरिका के ड्रेनेज मैनुअल द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार अगर किसी परत की जल रिसाव क्षमता, हाइड्रोलिक कण्डेक्टिविटी 1/5 से कम हो तो नीचे वाली परत हार्ड पाइण्ट मानी जाती है। भू-जल विभाग द्वारा गजनेर

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

लिफ्ट के नहरी क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में 15 स्थानों पर भूमि की परतों की हाइड्रोलिक कण्डेक्टिविटी का सर्वे किया गया था और उसकी जल रिसाव क्षमता नापी गई। हार्ड पाइण्ट की ऊपर दी गई परिभाषा के अन्तर्गत अध्ययन करने पर 15 स्थानों में से किसी भी स्थान पर जल रिसाव की क्षमता देखते हुए 9 मीटर की गहराई तक जल रिसाव की प्राब्लम नहीं है। ड्रेनेज मैनुअल के अनुसार गजनेर लिफ्ट के सिंचित क्षेत्र में कहीं भी 9 मीटर की गहराई तक हार्ड-पाइण्ट नहीं है। परन्तु फिर भी कालान्तर में यदि किसी क्षेत्र में वाटर लोगिंग हो जाता है इस क्षेत्र। तो ड्रेनेज बनाकर पानी की निकासी मुख्य लिफ्ट नहर में की जा सकती है क्योंकि लिफ्ट नहर अप-स्ट्रीम का सिंचित क्षेत्र नीचे लेवल पर रहता है।

सभापति महोदय, यह सारी चीजें मैंने सरकारी रिकार्ड के आधार पर आपके समक्ष रखी हैं। जहां इतना बड़ा विरोधाभास हो, 36 मीटर तक, 23–23 मीटर तक, 9–9 मीटर तक जहां सैंड हो और मैं समझता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर मन्त्रीजी इस क्षेत्र का दौरा करके कभी आए हों तो उन्होंने देखा होगा कि हमारे यहां तो जहां भूमि के सामान्य तल से 15-15 मीटर ऊंचे रेत के टीबे बने हुए हैं वहां पर आपने 2 मीटर पर हार्ड पॉइण्ट बता कर, और इस स्कीम से जहां 3 लाख 12 हजार हैक्टेयर में खेती होने वाली है, जहां के लोग अकाल को मिटाने वाले हैं, लोग सिंचित क्षेत्र विकास करके चरागाह विकास करने वाले हैं, लैण्ड बैंक लागू कर चरागाह का विकास करके हम कैटल बेस्ड इकोनोमी को विकसित कर सकते हैं, वहां आप अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के मिथ्या प्रतिवेदन के आधार पर इन लिफ्टस को नहीं बनाने का निर्णय करके आप राजनीतिक भेदभाव कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं ? हमने तो आते ही इस कोलायत गजनेर लिफ्ट को शुरू किया था। इसके बाद हमें 6 महीने का समय मिला था, क्योंकि उसके बाद इत्तफाक से सरकार आपके पास आ गई।

सभापति महोदय, आपको इस सम्बन्ध में सदन को विश्वास दिलाना चाहिए कि इन लिफ्ट्स को मूल प्रस्तावित योजना के अनुसार पूरा किया जाएगा। इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड की 138वीं बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को बोर्ड ने वापस बदल दिया है। इस योजना को आप कितने वर्ष में पूरा कर देंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं।

आपने 29-3-1990 को मैसर्स रेडीकोन इण्डिया लिमिटेड, लाजपत नगर, दिल्ली की है, यह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, इनको सभी लिफ्ट स्कीम्स पर बनने वाले पम्पिंग स्टेशनंस का आंकन, स्पेसिफिकेशन और इनकी निविदाओं के प्रपत्र बनाने का काम दिया है। उसके लिये 6 लाख 65 हजार रुपये की राशि भी इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड द्वारा दी गई। क्या इसके काम पूरे आपके पास आ जायेंगे ? यह तखमीना बन चुका है। इनके हैडवर्क्स के जो डिजाइन आपके पास आये हैं, क्या उनको बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है ? यह कब तक हैड वर्क्स का काम स्वीकृत

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हो जायेगा ? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से सुजानगढ़, लाड़नूं, रतनगढ़ को पानी पहुंचाने के लिये स्कीम्स बनी थी, हालांकि उसको प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव नहीं किया लेकिन क्या आपने नये सिरे से इस क्षेत्र में पानी देने के लिये कोई स्कीम बनाई है ? इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बजट एलोकेशन में भी आपने भेदभाव किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार आपने इन 6 लिफ्टों के लिये, किस-किस लिफ्ट के लिये कितना-कितना बजट एलोकेशन किया है ? आठवीं पंचवर्षीय योजना में लिफ्टवार आप मुझे बतायें कि आप इन लिफ्ट्स को आठवीं पंचवर्षीय योजना के रिमेनिंग पीरियड़ में कितने-कितने रुपये देंगे ? कोलायत को कितना देंगे, गजनेर को कितना देंगे, पोकरण, बांगड़सर और साहबा चूरू लिफ्ट को आप कितना-कितना पैसा देंगे ?

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य अभियंता का कार्यालय बीकानेर था और उसके अन्तर्गत दो एडीशनल चीफ इंजीनियर काम कर रहे हैं, आपने जैसलमेर में एक चीफ इंजीनियर बना दिया, इससे क्या चाहते हैं आप ? बीकानेर की इम्पार्टेन्स खतम करना चाहते हैं ? एक तरफ आपके मंत्री बीकानेर में जाकर कहते हैं कि हम बीकानेर को गोद लेंगे और बीकानेर में एक दो जो हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं, उनको आप वहां ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि नहर बोर्ड का कार्यालय आपने जयपुर में रख रखा है, इसका क्या उपयोग है ? इन्दिरा गांधी नहर का कार्यालय बीकानेर में है और छोटे छोटे टेण्डर्स बोर्ड आफिस में आते हैं। सरकार से कोई काम हो, हालांकि सरकार से बहुत कम काम पड़ता है, इन्दिरा गांधी नगर बोर्ड के चेयरमेन यहां आकर सरकार से बात करके जा सकते हैं। आप इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड का आफिस बीकानेर रखिये तब जाकर काम में गति आयेगी। आज इन्दिरा गांधी नहर, जो मुख्य नहर है, उसमें रेत भरी हुई है, वनस्पति उगी हुई है, बीड्स आई हुई है। उनको निकालने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? इसी तरीके से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की इन लिफ्ट स्कीमों को कब तक बनाने का मानस रखते हैं। आपने बताया कि आप अगले चार वर्ष में, पांच वर्ष में, केवल मुख्य नहरों को कम्पलीट करने की बात नहीं है, मंत्रीजी आप यह बताये कि इसका जो इरिगेशन सिस्टम है उनके माइनर्स, सब माइनर्स और उनकी जो सब-ब्रान्चेज हैं, उनको आप कब कम्पलीट करवा देंगे ? और इसके लिये बजट एलोकेशन आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया ?

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप मीणा। बहुत विस्तार से तो हो गया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत सूक्ष्म कहूंगा।....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मीणाजी, मेरी बात सुनिये। बहुत विस्तार से बात आ चुकी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने बोलना शुरू नहीं किया, उससे पहले ही विस्तार से

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बात आ गई। आप मुझे बोलने तो दीजिये। कम से कम दो शब्द कहने दीजिये....(व्यवधान) इतनी देर में तो मैं बोल लेता।

श्री सभापति : मेरा निवेदन तो सुन लीजिये। मैं आपको बता दूं, बात आ चुकी है, और प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है, आप डाइल्यूट मत कर देना कहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं बोला नहीं फिर पहले ही आप कह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर का मसला है उस पर बोलने तो दीजिये। आप पहली बार यहां विराजे हो और हमको देखते ही आपको एकदम गुस्सा आ जाये, बोलने का अवसर नहीं दें और पहले यह कहने लग गये कि यह मत कर देना वह मत कर देना।....(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं तो आपके हित में कह रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे हित में मैं कह रहा हूं। आज सत्र का आखरी दिन है। मुझे बोलने दीजिये।

माननीय सभापति महोदय स्व. इन्दिरा गांधीजी के नाम पर यह इन्दिरा गांधी नहर योजना जो चल रही है, वैसे तो पश्चिमी राजस्थान के सम्बन्ध में इस नहर का महत्व है लेकिन ऐसी बात नहीं है, सारे राजस्थान के लोग वहां जाकर बसे हैं, उनके काम में भी यह नहर आ रही है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उधर अकाल पीड़ित होते हुये भी, पानी की भयंकर समस्या होते हुये भी इसमें भेदभाव किया गया और इस योजना, जो जलोत्थान स्थाई योजना है, अकाल पीड़ित क्षेत्रों में पड़ती है, इनके कार्यों को रोक दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिस प्रकार का भेदभाव बरता गया है....

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं बीच में पूछ लूं....

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको तसल्ली नहीं रहती है....(व्यवधान) आप मंत्री हो, आपका कर्तव्य है सुनने का।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बताइये तो सही, कार्य कहां रुक गया है ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री महोदय, तसल्ली रखिये।

श्री सभापति : माननीय मीणाजी, आपको पूरा अवसर दिया जायेगा बात सुन लीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री महोदय, अनुशासन से काम करें, सदन किस प्रकार से चलना चाहिये....(व्यवधान) पाइन्ट आफ आॅर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, काम बिल्कुल बन्द पड़ा हुआ है। मैं खुद कोलायत, गजनेर लिफ्ट का दौरा करके आया हूं। गजनेर लिफ्ट और कोलायत लिफ्ट में कहीं पर भी काम नहीं चल रहा है। मैं अभी बीस रोज पहले दौरा करके आया हूं। आप क्या बात करते हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : पाइन्ट आफ आर्डर। मैं पाइन्ट आफ आर्डर के माध्यम से आसन से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय सदस्य जब वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं, बात कह रहे हैं तब मंत्री महोदय सीधे सीधे लड़ने को उतारू है। एक अजीब दृष्य इस सदन में उपस्थित होता है, सभापति महोदय, आप....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह हमारा अधिकार है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : कृपया विषय पर आइये। आप बिराजिये, हरिसिंहजी

श्री रामस्वरूप मीणा : इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के काम को माननीय मंत्री महोदय ने भेदभाव करके रोक दिया है। मैं इस बात का सदन के सामने आरोप लगाता हूं। प्यासे को प्यास जब लगती है तो वह यह नहीं देखता कि कौनसी पार्टी का है। चाहे कोई भी पार्टी का शासन हो लेकिन प्यासे की प्यास तो बुझ जानी चाहिये। अकाल पीड़ित क्षेत्र है और इस नहर के कार्य को आपने रोका है, इससे बड़ी +++ की बात और क्या हो सकती है हमारे लिये ? यह मेरा, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है और आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं ? आप तो हमेशा लड़ने को तैयार हैं। आप जाकर नहर के कार्य को क्यों नहीं करवाते हैं ? इसमें पता लगेगा आपकी शक्ति का हमसे लड़ने में क्या पता लगेगा ? यह आपको बिल्कुल गलतफहमी हो रही है। कल आपको इधर भी बैठना पड़ सकता है इसलिये आप इस बात पर मत जाओ कि आपको उधर ही बैठना है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से तीन-चार प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जबाब मेरे को दिलवा दो। माननीय सभापति महोदय, कार्य भूतल विभाग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भी रोक दिया गया है। इस क्षेत्र की भूमि समतल है। काश्तकार वर्षों से वहां पर प्यासे मर रहे हैं ऐसे प्रभावग्रस्त क्षेत्र में नहर चालू होने से पीने को पानी मिलेगा, इन चारागाहों का विकास होगा और अकाल से छुटकारा मिलेगा। गत एक वर्ष में कितनी-कितनी लम्बाई-चौड़ाई की लिफ्ट आपने बनाई है ? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सीधा प्रश्न है कि आपने गत एक वर्ष में कितनी लम्बाई और चौड़ाई की लिफ्टें बनाई हैं। एक प्रश्न यह है, दूसरा मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि इन लिफ्टों को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? तीसरा मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, रतनगढ़, लाडनूं, सुजानगढ़ को इन्दिरा गांधी नहर का पानी दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा ? मेरा चौथा प्रश्न यह है कि देरी से योजनाओं की क्रियान्विति हेतु जिम्मेदार कौन है ? माननीय सभापति महोदय, यह मेरा चौथा प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, सब प्रश्नों का जवाब दिलवाइयेगा मंत्री महोदय से। माननीय सभापति महोदय, मैं पांचवा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, क्या ऐसे दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैंने 6 प्रश्न किये हैं और मैं मंत्री महोदय

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

से निवेदन करना चाहूंगा, कि आप छओं प्रश्नों का जवाब दें और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत जो लोगों को पानी देने के लिये, अकालग्रस्त क्षेत्र हैं, अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये और इसके साथ साथ वहां बीहड़, जंगल, पेड़ लगाने के लिये इस योजना को बनाया गया है। उस जमीन में पैदावार करने के लिए तथा जिस गांव के नाम से इस योजना को बनाया गया है, उन गांवों को आप पानी क्यों नहीं दे रहे हो ? आप केवल इस भेद-भाव से कि कांग्रेस ने इसको चलाया था, कांग्रेस ने सारी योजनाएं बनाई है तो कांग्रेस का तो 40 साल शासन रहा है और कांग्रेस तो फिर शासन में आयेगी ? इस कांग्रेस के चक्कर को आप छोड़ो, आप तो अपना नाम करो। जो भी योजनाएं बंद हुई हैं, मंत्री महोदय, उन सारी योजनाओं को चालू कराइये। काश्तकार आपकी जय बोलेंगे, आपका नाम अमर रहेगा, इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़ो। पार्टीबाजी के चक्करों के पहले तो काश्तकारों की भलाई का काम करो, पूरे राजस्थान में अमर हो आप। सभापति महोदय, अगर आपने किसी प्रकार का भेदभाव काश्तकारों के साथ में किया तो समय किसी पार्टी को नहीं देखता है। इसलिए आप भेदभाव नहीं बरतना और उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इस लिफ्ट योजना को....

श्री सभापति : धन्यवाद। विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : जिन दोषी अधिकारियों ने इस योजना को लेट किया है, जिन्होंने पैसा नहीं देने दिया है उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करोगे, यह बतावें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अंत में यही कहता हुआ, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय प्रकाश बैरवा (अनुपस्थित), माननीय चम्पालाल जैन (अनुपस्थित)। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (इं.गा.न.प. मंत्री) : कोई भी नहीं है। यह तो कल्ला जी ने दस्तखत कराये हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय शिवजीराम मीणा (अनुपस्थित) श्री ईश्वर लाल सैनी (अनुपस्थित) प्रोफेसर केदार।

श्री केदार नाथ शर्मा : माननीय सभापति जी, कल्ला जी का यह इलूजन है कि जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वह लिफ्ट इरिगेशन का नाम का विरोध कर रहे हैं। यह कतई नहीं है। यह सारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स अकाल बैल्ट के इलाके के लिए है कि वहां लिफ्ट इरिगेशन से पानी पहुंचाया जाय और सिंचाई हो, पशुधन वहां पर कायम रहे, लोग आबाद हों। किसी को इसमें एतराज नहीं है....

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था बनाये रखें, माननीय सदस्य।

श्री सम्पत सिंह : ये सब वे हैं जो टीप-टीप कर पास होते थे। (व्यवधान)

श्री केदार नाथ शर्मा : सभापति महोदय, इसलिए माननीय कल्ला साहब जो बीकानेर से आए हैं....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ये मंत्री जी वहां बैठकर क्या कर रहे हैं ? वे देखो। देखियेगा आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया बात तो करें परन्तु ऐसे बात करो जिससे दूसरों को व्यवधान नहीं हो।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मंत्रीजी बैठे हैं वहां।

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री केदार नाथ शर्मा : सभापति महोदय, तो हमारी ओर से किसी प्रकार का आब्जेक्शन किसी बात का नहीं है। केवल एक बात में पूछना चाहता हूं कि आपके पास फाइनल रिपोर्ट प्रोजेक्ट की आ गई। तीन लाख एकड़ जमीन के आसपास इरिगेट करो। क्यों भैया ? और 3 क्यूसेक्स का प्रपोजल किया है और 80 में आपने इन्टेन्सिटी आफ वाटर तय किया है। यह फाइनल रिपोर्ट है और इस फाइनल रिपोर्ट में कहा गया है कि चाहे हार्ड पाइण्ट 20 प्रतिशत हो चाहे 80 प्रतिशत हो, हम लिफ्ट इरिगेशन के काम जुलाई में करेंगे। यह भी फाइनल रिपोर्ट है। शक किस बात का है, फाइनल रिपोर्ट बैक डोर से नहीं ली, अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से ली है। हम उतने एक्सपर्ट नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पिछली बार तो 15 करोड़ रुपया खर्च किया और अब 17 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हो, यह कब तक सारा प्रोजेक्ट पूरा हो जायेगा सिवाय पोकरण के ? 5 लिफ्ट सिंचाई का काम है। 5 लिफ्ट सिंचाई का काम आपने शुरू कर दिया, कुछ आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट के आंकड़े दिये हैं, मैं समझता हूं जैसे हालात हैं कि 2 साल में कुछ काम आपने किया है इसलिए हमारे दिमाग में ये चीजें कभी नहीं आती कि जो हार्ड पाइण्ट 80 प्रतिशत है वहां माननीय कल्ला जी, 3 क्यूसेक्स पानी इस्तेमाल नहीं होता। यह साइन्टिफिक कॉज हैं। वहां डेढ़ क्यूसेक्स पानी होगा। वह पानी अगर और इस्तेमाल कर दोगे, हमारा इसमें कोई एतराज नहीं और आखिर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की टाइम टू टाइम मोनेटरिंग हो, एग्जामिनेशन हो, इसका री-वेल्यूएशन हो ताकि-उस पानी का ज्यादा से ज्यादा ओप्टिमम इस्तेमाल कर सकें। हमारा यह मकसद है और आपने सारे प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वाटर लेवल में फर्क है, डिस्पेरिटी है, उसके बारे में आपने कमेटी नियुक्त कर दी। वह टर्म्स आफ रेफरेंस किया है इस कमेटी ने, वह कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। एक यह भी सवाल है कि क्योंकि सभापति महोदय, आई.जी.एन.पी. पूरा पानी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फर्स्ट फेज, सैकण्ड फेज शुरू हो गया। अब वह पानी वापस जाता है। पंजाब इस्तेमाल कर लेता है। यह ठीक है अभी तो हरियाणा इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो पानी हमें मिल रहा है। यदि हरियाणा इस्तेमाल करेगा पानी तो आपके पास कम हो जायेगा। यह पानी 5–10 साल में जो आपके पास सरप्लस था, उस अधिक पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर पाये। वह पानी अगर हमारे इलाके में जाता तो और प्रोडक्शन होता, लोगों को फायदा मिलता, सरकार को टैक्स मिलता। इसमें एतराज किसको है, इसलिए आपका यह सोच बहुत गलत है। हमारी ओर से कोई हेजिटेशन नहीं, कोई एतराज नहीं है।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

आप लिफ्ट इरिगेशन के फुल फोर्म में चले जाइये, कुछ काम है और यहां हार्ड पैन 80 प्रतिशत है। यहां पानी कम इस्तेमाल होगा। उस पानी का कहीं और इस्तेमाल हो, सभापति महोदय, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय इंदिरा गांधी नहर मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि पहले मैं जबाब में बता चुका, मेरे और कल्ला जी के बीच में शायद कोई सोच का ही फर्क होगा, वरना कोई विरोधाभास नहीं है। जो बात कल्ला जी कह रहे हैं, वह तो मैं पहले ही बता चुका और जैसा प्रश्न है ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट का, आपने बताया कि मार्च 1989 में दूसरी रिपोर्ट दे दी और जुलाई, 1991 में दूसरी रिपोर्ट दे दी और बोर्ड की 138वीं बैठक का आपने जो हवाला दिया, उसके बाद में 22.4.92 को बोर्ड की मीटिंग के जरिये निर्णय लिया जा चुका है और उसमें यह तय किया जा चुका है कि किसी भी लिफ्ट कैनाल को बंद किसी भी सूरत में नहीं किया जायेग, सीधी सीधी बात है।

दूसरा, जैसा इन मूल स्कीमों को तोड़ने-मरोड़ने करने की बात है, जिस प्रकार 1987 में बनाई थी, उस एरिये में अगर वाटर अलाउंस कम होता है, एरिया बढ़ेगा ही, एरिया घटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है और जो मूल प्रस्ताव आपने बनाया था, वैसा ही प्रस्ताव है। संयोग से जिस भेदभाव के बारे में माननीय मीणा साहब कह रहे थे, अभी शायद वे हैं नहीं और वे मैन कैनाल की पूछ रहे थे या लिफ्ट कैनाल के बारे में पूछ रहे थे, शायद उनको तो पता ही नहीं था, आपने खड़ा कर दिया दस्तखत कराके, तो सीधी-सीधी बात है कि जहां तक योजना को पूरा करने का प्रश्न है, आपको पहले भी दे चुका हूं कि यह योजना सन् 2004 तक, अगर फण्ड्स इसी प्रकार उपलब्ध होते रहे तो वाटर कोर्सेज सहित सभी 6 लिफ्टें पूरी हो जावेगी। जहां तक 52 सब-लिफ्ट्स का प्रश्न है, ये छोटी लिफ्टें हैं। इसमें 5.87 बन गई, और बांगड़सर लिफ्ट का काम प्रगति पर है। इसमें कम खर्चा है इसलिये इस लिफ्ट को जल्दी से जल्दी बना लिया जायेगा। जिस-जिस प्रकार की जो लाइनिंग हुई इस वर्षों में, अगर आप वर्षवार चाहें, लाइनिंग का चार्ट मेरे पास में नहीं है, कितना-कितना खर्चा हुआ है, मैं वर्ष-वार आपको बता देता हूं। मैं यह बात कह सकता हूं कि 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में बहुत अच्छी प्रगति हुई है; 1988-89 और 1989-90 को छोड़कर और जहां तक हैड वर्क्स को पूरा करने का प्रश्न है, इसमें रेडिकोन कंसल्टेशन को दिया हुआ है जो यह पंपिंग स्टेशन वगैरह की डिजाइन का काम कर रहा है। जो जो भी पंपिंग स्टेशन को शुरू करना हो, उसके अनुसार समयावधि है उसके अन्दर यह कार्य करवा दिया जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : वहां हैड वर्क्स को कंट्रोल करने की बात कही।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिये। पहले थोड़ा संयम से लिखते चले जाइये। बाद में उनसे पूछ लेना प्रश्न। सिलसिलेवार चीज आ रही है तो बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं।

श्री भंवर लाल शर्मा : सभापति महोदय, अगर किसी प्रकार से कल्लाजी को शक और संदेह हो क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि चार प्रश्नों द्वारा तथा 295 की मार्फत इनकी तमाम बातों का जवाब दे चुका हूं और जब-जब भी इन्होंने पूछा, वह ही जवाब मिला है, तो सरकार का इरादा नहीं है कि किसी लिफ्ट कैनाल को बंद किया जाय या गजनेर लिफ्ट को बंद करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गजनेर लिफ्ट में पिछले साल कितना काम हुआ और कोलायत लिफ्ट में कितना काम हुआ। मैं खर्चों के बारे में बता रहा हूं।

श्री केदार नाथ शर्मा : कल बीकानेर जायेंगे, इसलिए गजनेर और बीकानेर का बता दो।

श्री भंवर लाल शर्मा : ये 3/85 तक का बता रहा हूं। साहवा में 6.99, गजनेर 1.88, कोलायत 6.85, बांगड़सर 0, पोकरण 2.40, फलोदी 2.95।

और फिर 1985-86 में साहवा 43.75, गजनेर 2.78, कोलायत 3.49, बांगड़सर 0, फलौदी 28.10, पोकरण 1.9।

और 1986–87 में साहवा 165.44, गजनेर 3.28, कोलायत 11.13, बांगड़सर 0, फलौदी 22.34, पोकरण 0.73।

1987–88 में साहवा 409.38, गजनेर 0.07, कोलायत, .58, बांगड़सर 0, फलौदी 163.10।

इसी प्रकार 1988-89 में साहवा 375.57, गजनेर 10.10, कोलायत 6.99, 1988-89 में बांगड़सर का काम शुरू हुआ 2.34।

और फलौदी में 103.97, पोकरण में निल और, 1989–90 में माननीय सभापति महोदय, साहवा में 228.61, गजनेर में 38.21, कोलायत में 29.95 और बांगड़सर में 0.5 और फलौदी में 59.39 और पोकरण में निल।

जहां 1990–91 का प्रश्न आता है तो 1989–90 में जहां साहवा का 228.61 था वह, 1990–91 में बढ़कर 408.62 हो गया। इसी प्रकार गजनेर में 38.21 था, आप भेदभाव की बात कर रहे हैं वहां 145.80 दिया है 1990–9 में। इसी प्रकार कोलायत में 29.95। 1989–90 में तो आपकी सरकार थी हमने इसमें 160 लाख दिया है। इसी प्रकार बांगड़सर में 0.8 था उसमें हमने 26.92 दिया है। 1990-91 में। इसी प्रकार फलौदी में जहां 59.39 था उसमें 130.48 लाख रुपए दिए हैं। इसी प्रकार 1991–92 में साहवा लिफ्ट में 728.34 लाख रुपए, गजनेर में 166.19 लाख और कोलायत में 247.63 और बांगड़सर में 161.12, फलौदी में 111.23 दिया है। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय 1992–93 में 10.15 लाख साहवा में, 3.6 गजनेर में, 1.48 कोलायत में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह दुबारा बोलिए।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह मैं दे दूंगा आपको, उपलब्ध करा दूंगा 1992–93 में साहवा में 10.15 करोड़, गजनेर में 3.6

(श्री भंवर लाल शर्मा)

करोड़, कोलायत में 1.48 करोड़, बांगड़सर में .69 और फलौदी में .36। इसी प्रकार 1992–93 में 8/92 तक जो प्रगति हुई है जो पैसा खर्च हुआ है उसमें 293.11 लाख रुपए साहवा पर, 102.56 गजनेर पर खर्च हुआ है, कोलायत में 125.75 बांगड़सर में 53.28 खर्च हुआ है, फलौदी में 68 लाख रुपया खर्च हुआ है।

इसी प्रकार लाइनिंग का काम जहां 1989–90 में जितना कमजोर था जो साहवा में 4.40 किलोमीटर था वह 90–91 में 5.25 हुआ। 1991–92 में 8.56 हुआ, इसी प्रकार 3/92 तक 18.21 हुआ। अब तक साहवा का 21.86 किलोमीटर लाइनिंग का कार्य हुआ है। इसी प्रकार गजनेर का 89–90 में लाइनिंग का बिलकुल कार्य नहीं हुआ था वो 90–91 में 1.25 और 91–92 में 1.90 और 3/92 तक 3.15 का कार्य हुआ है केवल हम 4.53 गजनेर का कार्य कर पाये हैं। इसी प्रकार कोलायत में 54.33 किलोमीटर का लाइनिंग का कार्य कर पाये हैं। 89–90 में कोलायत में कोई जीरो किलोमीटर का शुरू नहीं हुआ था और 90–91 में हमने 5 किलोमीटर किया है और 91–92 में 7.90 और 3/92 तक 12.90 इस प्रकार 14.35 किलोमीटर किया है। इसी प्रकार बांगड़सर लिफ्ट है उसमें भी लाइनिंग का जो कार्य है वह हमारे समय में 90–91 में शुरू कराया है। एक किलोमीटर लाइन उस समय शुरू हुई और 3.90 की 91–92 में हुई। इसी प्रकार कुल 5.87 किलोमीटर लाइनिंग हुई है। इसी प्रकार फलौदी में भी लाइनिंग जीरो किलोमीटर थी वह 90–91 में 0.50, 91–92 में 2.85 और 3/92 तक 3.35 हुई। जहां आप कहते हैं प्रगति धीमी है इन वर्षों में कार्य हुए हैं।

अब मैं आपको दुबारा यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी तरह से कार्य को धीमी गति से नहीं चलने दिया जायेगा और इस प्रकार जो पैसा मिला है उसका अच्छा उपयोग करके लिफ्टों को ठीक ढंग से चलायेंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे कुछ प्रश्न करने हैं, मेरा राइट है।

श्री सभापति : माननीय कल्ला जी, आप बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, अभी माननीय इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी ने बड़े तरीके से यह बताने की कोशिश की जैसे इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। हमारे वक्त में तो दो-तीन महीने का समय था....

श्री सभापति : कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वह ज्यादा बढ़िया होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं, जो इन्होंने बात कही है उसका खण्डन करना मेरा राइट है। इन्होंने जो बातें बताई हैं वो सही नहीं है। हम लोगों के वक्त में यह काम शुरू हुआ, उस वक्त 2–3 महीने थे। अब आप कह रहे हैं बजट लोकेशन में आपने भेदभाव किया है। आप एक लिफ्ट को दे रहे हैं 10 करोड़ 15 लाख, एक लिफ्ट को दे रहे हैं, 31 लाख। यानि आप 21 लाख फलौदी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

लिफ्ट को दे रहे हैं, 69 लाख पोकरण को दे रहे हैं, गजनेर को 3.6 और 1.48 करोड़ आप कोलायत को दे रहे हैं, और एक लिफ्ट को आप 15 लाख दे रहे हैं। यह भेदभाव नहीं है ? सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं....

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : माननीय कल्ला जी आपने अपने टाइम में क्या किया था ? सारा का सारा पैसा....(व्यवधान).... यह हमारे जिले में लगा रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने इन लिफ्टों को शुरू किया था और आपकी गवर्नमेंट ने 77–78 में कैबिनेट डिसीजन लेकर इनको बंद करने का निर्णय लिया। क्या बात करते हैं आप ?

दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने वर्ष 1991–92 व 1992–93 के बजट लोकेशन की बात की, इसमें कोलायत और गजनेर लिफ्टों में और साहवा लिफ्ट में कितना-कितना बजट लेप्स हुआ ? इस बारे में आप जानकारी दें। आपने बजट लोकेशन की जानकारी दे दी। वास्तव में काम क्या हुआ ? आज कोलायत लिफ्ट बंद पड़ी है, गजनेर लिफ्ट बंद पड़ी है और साहवा (चूरू) लिफ्ट का काम अभी इन दिनों में बंद पड़ा है। तो, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, बजट अलोकेशन करना एक अलग बात है लेकिन जो फिजिकल टार्गेट्स आपने रखे थे उन टार्गेट्स को प्राप्त करने में आप असफल रहे हैं।

दूसरी बात, आपने स्वयं ने यह कहा है कि आप 2004 तक इन लिफ्टों को पूरा करेंगे। यह अलादीन का चिराग या बीरबल की खिचड़ी की तरह यदि आप करेंगे तो ये नहरें 900 करोड़ की जगह 2000 करोड़ रुपये में भी नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आज 241.50 किलोमीटर की जो मुख्य नहरें हैं इन लिफ्टों की और उसके साथ-साथ जो माइनर व सब-माइनर ब्रांचेज हैं इनको आप 5 साल तक पूरा कीजिए केन्द्रीय सरकार के माध्यम से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में और बार्डर एरिया डवलपमेंट में। अभी प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष प्रणव मुखर्जी ने कहा है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सहयोग दिया जायेगा। आपके पास पूरे साधन हैं, आप स्कीम्स बनाकर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास जायें हम भी सहयोग देंगे। सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए इन लिफ्ट स्कीम्स को पूरा किया जाय। एक तरफ राजस्थान के मुख्य मंत्री कहते हैं कि मेरे पास अकाल को सुकाल में बदलने के लिए कोई भी योजना आयेगी तो मैं उसको मंजूरी दूंगा। इससे बड़ी क्या योजना होगी ? इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए आप अकाल में तो 5–500 करोड़ रुपये कई बार स्टेट को बचाने के लिए खर्च कर देते हो लेकिन इन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम को जिससे कम से कम 1000 से ऊपर गांवों को पानी मिलेगा और साथ ही साथ यहां पर चारागाह का विकास होगा, 3.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती होगी, इन स्कीम्स को क्या आप 5–7 वर्ष में कम्पलीट करने का विचार रखते हैं ? और जो बजट लेप्स हुआ है, उसके लिए किसी की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जहां कल्लाजी कह रहे हैं कि बजट लेप्स हुआ है तो मैं कहना चाहूंगा किसी प्रकार का कोई बजट लेप्स नहीं हुआ है। जहां तक पूरा होने का प्रश्न है, 2004 नहीं, हम तो जल्दी ही पूरा कर देंगे। कल्लाजी सहयोग करें, भारत सरकार से पैसा दिलायें। मैं विशेष तौर से प्लानिंग कमीशन के मैम्बर और वाटर रिसोर्सेज के सचिव जो पिछले 2-3 महीनों में आये थे, उनको स्थिति दिखाने के बाद राजस्थान सरकार ने उनसे 50 लाख रुपये मांगे जबकि प्लानिंग कमीशन ने 52 लाख रुपये दिए हैं....

कई माननीय सदस्य : 52 करोड़।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, 52 करोड़, सॉरी।....(व्यवधान)....इसी प्रकार सिंचाई मंत्रियों की जो मीटिंग थी, उसमें मुख्य मंत्रीजी ने प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन हैं मुखर्जी साहब उनको राजस्थान आने के लिए और इन्दिरा गांधी कैनाल को देखने के लिए अनुरोध किया है और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि 3 दिन के लिए इस लिफ्ट कैनाल और राजस्थान में आकर इस सारी स्कीम्स को देखेंगे और मैं राजस्थान आऊंगा....(व्यवधान)....।

श्री सभापति : बात तो खत्म हो जाने दीजिए।

(4.00 म. प.)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है कि गजनेर लिफ्ट का पैसा लेप्स नहीं हुआ है, आप मुझे बतायें कि 1991–92 में और 1990–91 में आपने गजनेर लिफ्ट में कितना बजट एलोकेशन किया था और उस पर वास्तव में कितना पैसा खर्च हुआ है ? आपके पास आंकड़े ही नहीं है। आप बुखार में हैं, इसलिए अभी तो यहां पर कोई बात नहीं है लेकिन यह बात सही है कि गजनेर लिफ्ट का पैसा लैप्स हुआ है और....

श्री भंवरलाल शर्मा : और दे देंगे, और दे देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि यह जो पैसा लैप्स हुआ है, इस वर्ष में और अगले वर्षों में उसकी पूर्ति करेंगे और इन कोलायत-गजनेर लिफ्टों, साहवा-चूरू लिफ्टों, पोकरण और फलौदी लिफ्टों को आप एक टाइमबाउण्ड प्रोग्राम बनाकर पांच सात साल में पूरा करेंगे।

श्री जगमालसिंह यादव : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री जितेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, बीकानेर से निर्वाचित माननीय सदस्य के कथन में विरोधाभास है। एक तरफ तो आप फरमा रहे हैं कि फलौदी और पोकरण लिफ्ट जल्दी कम्पलीट हो, दूसरी तरफ जैसलमेर में नव सृजित मुख्य अभियंता के पद का आप विरोध कर रहे थे अपने भाषण में। हालांकि बीकानेर से खेंचकर पद नहीं लाया गया है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : चीफ इन्जिनियर से कोई विरोध थोड़े ही होता है....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप उनको तो बोल

(श्री सभापति)

लेने दीजिए कम से कम, उनकी बात तो समाप्त होने दीजिए, आप बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं, कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जैसलमेर में उसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री सभापति : उनको भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, हमारा काल अटेन्शन मोशन है....

श्री जितेन्द्र सिंह : आपके कथन में विरोधाभास है।

श्री सभापति : सही है, बिल्कुल ठीक। प्रश्न तो कोई भी पूछ सकते हैं न। आप बिराजिए। चर्चा समाप्त हुई।

माननीय श्री जगमालसिंह यादव एवं श्री सम्पत सिंह, सदस्य, विधान सभा मैसर्स एसोसियेटेड लाइम स्टोन लिमिटेड जिला चित्तौड़गढ़ के बारे में माननीय खनिज राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

एसोसियेटेड लाइम स्टोन लिमिटेड, जिला चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत मैसर्स एसोसियेटेड लाइम स्टोन लिमिटेड जिला चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में खनिज राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री जगमालसिंह यादव एवं श्री सम्पतसिंह जी द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मैं निम्न जवाब प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय, एसोसियेटेड लाइम स्टोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 1983 में निगम के सम्मुख श्री ए.एन. राजपुरोहित, जिनके नाम पर खनन पट्टा था, के जरिये लाइम स्टोन की लीज में ज्वाइंट सैक्टर में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को खनिज करने का प्रस्ताव किया। इसे स्वीकार करते हुए मार्च, 1985 में ज्वाइंट सैक्टर में एग्रीमेंट किया गया जिसके फलस्वरूप एसोसियेटेड लाइम स्टोन कम्पनी लिमिटेड की स्थापना हुई। कम्पनी की स्थापना के समय श्री एस.के. सिंह इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर थे। उनके हटने के पश्चात् श्री तेजकिशन रैना को मैनेजिंग डाइरेक्टर बनाया गया। 7 अप्रेल, 1991 को कम्पनी द्वारा रोहित बोहरा इस कम्पनी का डाइरेक्टर बनाया गया व इसके रजिस्टर्ड ऑफिस को वसुन्धरा, टौंक रोड़ से ए–4, गोलीमार गार्डन स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इस बोर्ड के कार्यवाही विवरण की सत्यता के बारे में विवाद है। श्री तेजकिशन रैना द्वारा दिनांक 14.7.91 को बजाज नगर थाने में मुकदमा नं. 173 सन्, 91 अन्तर्गत धारा 406, 467, 468, 471, 120 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कराया गया। इस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया। दिनांक 20.9.91 को अशोक नगर थाने में

(श्री कालूलाल गुर्जर)

दो मुकदमे दर्ज किये गये। मुकदमा नं. 285 सन् 1991 अन्तर्गत धारा 332, 353 भारतीय दण्ड संहिता श्री ओमप्रकाश शर्मा, उप प्रबन्धक (विपणन), राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम ने 20.9.91 को जरिये डाक श्री एन.डी. खन्ना आर.एस.एम.डी.सी. के पत्र के साथ थाना अशोक नगर में दर्ज कराया। दूसरा मुकदमा नं. 286 सन्, 91 अन्तर्गत धारा 354, 509 भारतीय दण्ड संहिता तेजकिशन रैना द्वारा कराया गया। दोनों मुकदमों में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया। इन तीनों मामलों में सी.आई.डी. द्वारा पुनः अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान के पूर्व परिणाम की प्रति, अनुसंधान के मध्य में देना उपयुक्त नहीं होगा। चूंकि निगम के अधिकारियों के बारे में शिकायतें आ रही थी, अतः निगम द्वारा इस सम्बन्ध में एक उच्चाधिकारी को जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया व विस्तृत जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है। पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी। इसी बीच कम्पनी के कुछ अंशधारियों द्वारा यह मामला कम्पनी लॉ बोर्ड, जो कि कम्पनी के मामलात में एक सक्षम प्राधिकरण है, के समक्ष ले जाया गया। कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा पारित किये गये अन्तरिम आदेश के अनुसार निगम द्वारा लगाई गई अंश पूंजी ज्वाइंट सैक्टर एग्रीमेंट की तयशुदा ब्याज दर के साथ मय ब्याज निगम को प्राप्त हो गई है। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध कुछ अन्य अंशधारियों द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की गई है, जहां मामला वर्तमान समय में विचाराधीन है।

श्री सभापति : माननीय श्री जगमाल सिंहजी।

चर्चा समाप्त हुई।

माननीय श्री कृष्णकुमार गोयल, उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1987–88, 1988–89 व 1989–90 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र प्रतिवेदन

राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1987-88, 88-89 व 89-90 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1987-88, 1988-89 व 1989-90 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल देवपुरा, सभापति, जनलेखा समिति (1992-93), समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति 1992-93 का 82वां प्रतिवेदन

श्री हीरालाल देवपुरा (सभापति जनलेखा समिति) : सभापति महोदय, मैं, सभापति, 1992-93 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में

(श्री हीरालाल देवपुरा)

समाविष्ट योजना संगठन विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1984-85 के अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या—3.4 व 6.2, वर्ष 1985-86 के अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 3.9, 6.3 व 6.4 तथा वर्ष 1986-87 के अंकेक्षण अनुच्छेद सख्या 3.1 व 6.3 पर समिति का 82वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री चुन्नीलाल गरासिया, सभापति, अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति 1992-93 एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1992-93 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री चुन्नीलाल गरासिया (सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति) : सभापति महोदय, मैं, सभापति, अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति 1992-93 अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1984-85 (सप्तम विधान सभा) के षष्ठम प्रतिवेदन में समाविष्ट राज्य प्रशासनिक सेवा एवं शासन सचिवालय सेवा में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण विषयक सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति 1992-93 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी।

महिला एवं बाल कल्याण समिति, 1992-93 का प्रथम प्रतिवेदन

श्रीमती तारा भण्डारी (सभापति, महिला एवं बाल कल्याण समिति) : सभापति महोदय, मैं, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति 1992-93 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : सभापति महोदय, मैं ग्राम पंचायत मुख्यालय गम्भीरा (जिला बूंदी) के लिए 2 किलोमीटर सम्पर्क सड़क निर्माण करवाई जाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, मैं जिला बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी की रोकथाम हेतु पुलिस चौकी स्थापित करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की विभिन्न ढाणियों में पेयजल व्यवस्था बाबत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, मैं ग्राम जोधपुरा, पंचायत समिति बैराठ तहसील कोटपूतली में अस्पताल खुलवाये

(श्री रामकरण सिंह)

जाने बाबत छह व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल जी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

विधायी कार्य

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह बिल काफी बड़ा है और मैं यह समझता हूं कि इस पर पूरे ढंग से विचार होकर इसको पारित किया जाये। इसलिए मेरा यह संशोधन भी है, जो मैंने प्रस्तुत किया है और....

(4.10 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

माननीय सदस्यों को मिल गया है और माननीय सदस्य श्री महावीर प्रसाद जी एवं अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह प्रस्ताव किया है कि इस पर विचार करने के लिए पहले इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाये। इसको प्रवर समिति में भेजने से लाभ मिलेगा और वहां विचार होकर इस सदन में यह आ जायेगा।

अतः यह मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। माननीय सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, हम लोग जब कोई प्रस्ताव या मोशन देते हैं कि किसी भी विधेयक को प्रवर समिति के निर्दिष्ट किया जाये तो हम सूची के लिए इसलिए लिखते हैं कि हम जानते हैं हमारे इस मोशन को एक्सेप्ट नहीं किया जायेगा। मंत्री जी जब इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं तो सदस्यों की नामावली को उन्हें साथ देना चाहिए। The speaker will not wait for the Government and the Minister-in-charge.

श्री अध्यक्ष : आ गयी है। वह है मेरे पास।

श्री परसराम मदेरणा : तो फिर आप इस लिस्ट को पढ़ दीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति के निर्दिष्ट कर दिया जाये जो कि अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में पेश करे ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 पर प्रवर समिति का गठन

सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

(श्री अध्यक्ष)

श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मन्त्री, सभापति

श्री ओमप्रकाश गुप्ता, श्री पूनमचन्द विश्नोई, श्री परसराम मदेरणा, श्री प्रद्युम्नसिंह, प्रो. श्री केदारनाथ शर्मा, श्री राजेन्द्र गहलोत, श्री अर्जुनदास मदान, श्री कालीचरण सराफ, श्री राजपालसिंह, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, प्रो. सांवरलाल, श्री गुलाम मुस्तफा खान, श्रीमती तारा भण्डारी और श्री शांतिलाल—यह 15 हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 27वें वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1990-91) पर विचार।

प्रतिवेदन पर विचार
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पथ परिवहन निगम के 27वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का 27वां प्रतिवेदन जिसमें सन् 90-91 के लेखे-जोखे हैं आज सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जितने बोर्ड और निगम हैं वह सब घाटे की अर्थव्यवस्था के तहत चल रहे हैं और मन्त्रीजी जब-जब उनमें हस्तक्षेप करते हैं तो उनकी आटोनामी सामने आ जाती है और इस सदन में डिसकशन करने का बहुत कम अवसर मिलता है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस निगम का एक वार्षिक प्रतिवेदन यहां विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया है ताकि उस निगम की कार्यप्रणाली में निगम द्वारा जो जन-सेवायें की जा रही हैं वह और घाटे या लाभ का विवरण इस पवित्र सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता तक पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय, आलोच्य वर्ष जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं, वह घाटे की व्यवस्था का वर्ष है। उसमें निगम को घाटा हुआ और जो घाटा हुआ, उसके अनेक कारण भी उसमें थे। आपकी जो रिपोर्ट है, अध्यक्ष महोदय, उसमें सबसे प्रमुख कारण हर जगह इन्होंने जो दिया है, उसमें यह भी बताया है कि लम्बे समय तक निगम में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह सब घाटा हमें उठाना पड़ा। यह तो एक मूल कारण है ही, इसको मैं स्वीकार करता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में होगा कि राजस्थान के समाचार पत्रों के माध्यम से एक विवाद उठ खड़ा हुआ था और वह विवाद था निगम की तीन फाइलों के सम्बन्ध में। वह तीनों फाइलें इसी आलोच्य वर्ष से सम्बन्धित हैं जिसमें राजस्थान यातायात विभाग के भूतपूर्व मन्त्री, जो तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, और निगम के तत्कालीन चैयरमेन के बीच यह विवाद था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन फाइलें निगम की क्रमशः एक चैसिस खरीद के संबंध में थी जिसमें यह था कि टाटा की जगह लीलैण्ड का ही चैसिस निगम क्यों खरीदता है। मन्त्री जी ने, अध्यक्ष महोदय, खुले में आरोप लगाया था चैयरमेन के ऊपर कि ली-लैण्ड से 40 हजार रुपया प्रति चैसिस कमीशन लिया

(श्री हरिसिंह)

जा रहा है और 1600 चैसिस खरीदने की एक योजना बनाकर चेयरमेन उनके सामने गये। तत्कालीन मन्त्री ने मुख्य मन्त्री से अनुरोध किया कि आप इसके लिए एक कमेटी नियुक्त कर दें कि टाटा की चैसिस अच्छी है या ली-लैण्ड की अच्छी है और यह तय हो जाये। अध्यक्ष महोदय अफसोस इस बात का है कि वही कमेटी, निगम के एक्सपर्ट्स की, टेकनीशियन्स की, पहले तो वह टाटा के चैसिस की प्रशंसा करती है कि हर तरह से टाटा का चैसिस बहुत अच्छा है और बाद में वही कमेटी ली-लैण्ड के चैसिस की प्रशंसा करती है। दोनों प्रकार के जो प्रतिवेदन दिये गये हैं और जो सिफारिशें की गयी हैं वह आज भी निगम के कार्यालय में मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी फाइल भी रबड़ खरीद के घोटाले की है। मैं आपसे यहां पर अनुरोध करना चाहूंगा कि निगम के बाईलाज् में यह प्रावीजन है कि निगम का चैयरमेन या एम. डी. या जनरल मेनेजर के परिवारजनों की कोई फर्म है तो उससे निगम कोई लेन-देन नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर की एक फर्म जिसके तत्कालीन चैयरमेन श्री कावड़िया से नजदीकी के सम्बन्ध थे, सुनने में आया है कि उनकी निजी पार्टनरशिप भी उसमें चलती थी, 5 मीट्रिक टन कच्चा रबड़ बिना किसी प्रकार के टैण्डर आमन्त्रित किये उदयपुर से ही निगम के एक ट्रक में लदवा कर अजमेर भिजवा दी गयी। अजमेर पर उन ट्रकों को रोके रखा। मन्त्री महोदय ने निर्देश दिये कि उन ट्रकों को अन्दर प्रवेश नहीं होने दिया जाये और उसके बाद में जो निगम के अध्यक्ष थे उन्होंने व्यक्तिशः हस्तक्षेप करके ट्रकों को अन्दर लिया। पिछले वर्ष यही रबड़ जो 37 रुपये प्रति किलो के दर के हिसाब से खरीदा गया था उदयपुर की फर्म को 5 रुपये प्रति किलो एक्स्ट्रा पैसा देकर बिना किसी प्रकार के टैन्डर इन्वाइट किये उन्होंने अपने परिजनों को लाभ पहुंचाया और निगम को 40 लाख रुपये का घाटा हुआ।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी विवाद से सम्बन्धित जो फाइल थी, वह बाडी बिल्डर्स की थी। बाडी बनाने वाली दो फर्में एच. एन. शर्मा एण्ड सन्स और महेन्द्रा। एच. एन. शर्मा एण्ड सन्स को 50 बसेज के चैसिस दिये गये थे जिसमें से 15 का उन्होंने निर्माण कर दिया और बाकी जो चैसिस रहा उनका निर्माण वह नहीं कर पाये। अब यह तो निगम और उनके बीच की बात है लेकिन 50 लाख के ऊपर उस फर्म के ऊपर पैनल्टी थी, उसको माफ किया गया। कौन-से कारण से निगम ने वह पैनल्टी वापिस ली? कौन-सी व्यवस्था थी? अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रा की भी इसी प्रकार की हालत थी। तत्कालीन जो एम. डी. थे, मि. आर. एन. मीणा, उन्होंने महेन्द्रा की बाडी को खुलवाया और खुलवाने के बाद उन्होंने अपना नोट लिखा कि यह बाडी बिलकुल अनफिट है और सब प्रकार से इसमें घटिया किस्म का सामान लगाया गया है। उन्होंने फाइल पर इस फर्म को ब्लेकलिस्ट करने के निर्देश दिये और 92 हजार रुपया उसकी बाडी के निर्माण से सम्बन्धित था वह 92 हजार रुपया उसका काट लिया। अध्यक्ष महोदय, इसी फर्म पर 13 लाख रुपये की पैनल्टी

(श्री हरिसिंह)

इम्पोज की गयी और श्री आर. एन. मीणा के जाते ही वही महेन्द्रा फिर दुबारा ईमानदार, गंगाजल से निकलकर सामने आ गया और फिर बोर्ड ने अपना निर्णय चेन्ज कर दिया। आज उसी महेन्द्रा से 300 बाडी का निर्माण करवाया गया है। जहां एक तरफ उसको ब्लेक-लिस्टेड किया गया था और उसी महेन्द्रा कम्पनी से आज 300 बॉडियों का निर्माण करवाया गया। यही नहीं, पुरानी बसों के चैसिस पर अब निगम ने जो बॉडियां बनाने का निर्णय और दिया है उसमें 50 बॉडियां बनाने का निर्णय, सवा लाख रुपये प्रति बॉडी आफर था उनका और पता नहीं किन कारणों से डेढ़ लाख रुपये प्रति बॉडी के हिसाब से वह बसें निगम द्वारा सुपुर्द कर दी गयी। अध्यक्ष महोदय, यह पब्लिक के पैसे के साथ में इससे बड़ा खिलवाड़ और कोई दूसरा नहीं हो सकता।

मैं आपके माध्यम से, मन्त्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारी मन्त्रीजी बेइन्तेहा शरीफ आदमी हैं और इसके साथ मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि निगम में जो वर्तमान प्रबन्ध निदेशक हैं, एम. डी. हैं, वह भी शरीफ हैं लेकिन जो काकस वहां पर अधिकारियों का बना हुआ है वह, चाहे वह लेखा विभाग के हों, चाहे दूसरे विभाग के, उनकी छंटनी नहीं हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस चैयरमेन को, यहां जब विरोधी दल के नेता बैठते थे, ढेर सारे उन पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये और उनकी जांच हुई और दोषी पाये जाने के बावजूद भी, मैं आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी के कहने से और उनको, कोरानीजी को फिर दोबारा बोर्ड का चैयरमेन बना दिया गया और फिर घोटाले हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह घोटालों की परम्परा यहीं खतम नहीं होती..(व्यवधान).. यह घोटालों की परम्परा यहीं खतम नहीं होती, ली-लैण्ड की बदस्तूर खरीद चालू है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मेरे पास, अध्यक्ष महोदय, 1988-89 की एक रिपोर्ट है बोर्ड की और वह है पट्टे की खरीद के सम्बन्ध में, 60 लाख–70 लाख रुपये ....(व्यवधान)....

श्री जगन्नाथ वर्मा : आपकी सरकार में तो घाटा किया ही था, घाटा रोडवेज ने, ध्यान है क्या आपको....(व्यवधान)....पूर्व सरकार ने कहा क्या रोडवेज को....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं हमारे ही राज को तो कोस रहा हूं, हुजूर। आपके राज में तो आये ही नहीं अभी, आप नाराज क्यों हो रहे हो ? समझ नहीं पा रहे हैं मैं कह रहा हूं जिसको... (व्यवधान)...आप अटेंटेवली सुनिये....(व्यवधान)....मैं 1988-89 की बात कर रहा हूं ताकि माननीय सदस्य के पेट में दर्द नहीं हो। यह कांग्रेस की राज की बात है।

अध्यक्ष महोदय, 1988-89 में निगम ने कमानी और पट्टे 70 लाख रुपये के खरीदे, अध्यक्ष महोदय, 1989-90 में यह 70-71 के घाटे का कारण क्यों है, यह मैं प्रतिपादित करना चाह रहा हूं। वही कमानी

(श्री हरिसिंह)

और पट्टे अगले वर्ष में 1989-90 में एक करोड़ 61 लाख रुपये के खरीदे गये और वह भी एक पर्टिकूलर फर्म से, जमुना फर्म से और उसका कारण था, निगम के कर्मचारियों ने बहुत ऊंचा कमीशन लिया मुझे अफसोस है इस बात का अध्यक्ष महोदय, इस सदन को सूचित करते हुए मुझे तकलीफ हो रही है कि यह खरीद पूरी की पूरी फरवरी, और मार्च, के महीने में की गयी जिस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह इसका टोटल बैलेंस आगे आया और वह 70-71 के घाटे का एक प्रमुख कारण बना।

अध्यक्ष महोदय, जिस रबर की मैं पूर्व में बात कर चुका हूं, टायर रिट्रेडिंग का काम हुआ, गरम सिस्टम से, हॉट सिस्टम और उनका एवरेज जो रिपोर्ट आयी है वह मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए तकलीफ है कि उस रिट्रेडिंग के बाद में उनकी जो टायर की लाइफ थी वह 95 हजार किलोमीटर की बनी, इससे ऊंची नहीं आयी जबकि 1989-90 में निगम ने एक सर्वे करवाया जिसके मुताबिक आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, मद्रास और विशेषकर के जीवा ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उनका सबका सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर सही ढंग से रबर का उपयोग किया जाय टायर की रिट्रेडिंग में तो टायर की लाइफ एक लाख 55 हजार किलोमीटर तक बन सकती है और उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ कार्यालय के उपयोग के लिए ही है, मेरे पास किसी प्रकार से आ गयी, लेकिन इस रिपोर्ट में, जो 1989-90 की है, लिखा हुआ है कि इसके अनुरूप अगर काम किया जाय तो निगम को सिर्फ टायरों के आइटम में एक करोड़ रुपये की बचत होगी। तकलीफ इस बात की है, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो रिपोर्ट है यह रद्दी की टोकरी में डाल दी गयी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, वह खेल आज भी हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं मैं विशेष समय आपका नहीं लेना चाहता, अभी मैं जिन कमानियों और पट्टों की बात कर रहा हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि निगम को होश आया, ली-लैण्ड कम्पनी से कमानी और पट्टे खरीदना शुरू कर दिया। उनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ली-लैण्ड कम्पनी अपने कमानी और पट्टे नहीं बनाती। लीलैण्ड कम्पनी यह कमानी और पट्टे खरीदती है ऑटोपिन इंडिया से और ऑटोपिन इंडिया इनकी रेगुलर कांट्रेक्ट पर है। अगर निगम सीधा-सीधा ऑटोपिन इंडिया से यह माल खरीदता तो 40 प्रतिशत की बचत होती लेकिन यह लीलैण्ड की मार्फत से खरीदे गये हैं। इसकी 40 प्रतिशत अबाऊ रेट्स देनी पड़ी है, और इस प्रकार निगम को 25–30 लाख रुपये का सीधा-साधा नुकसान पहुंचाया है और कमीशन की राशि जो उनका एजेण्ट आया है, कोई मिस्टर साह है और निगम के कर्मचारी के बीच में चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज तक इनके एकाउण्ट सेक्शन ने किसी प्रकार का कहीं कोई एतराज नहीं लिया कि यह पेमेण्ट किस प्रकार से हो रहे हैं ? चाहे वह हव डम्स का मामला हो,

(श्री हरिसिंह)

चाहे वह दूसरे प्रकार की और परचेज का मामला हो, कहीं कोई उसमें एतराज नहीं लिया। उसका कारण है, मैं, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करूं, राजकीय रूल्स के मुताबिक, अगर एक कर्मचारी अपने विभाग से किसी निगम में या बोर्ड में जा रहा है डेपुटेशन पर तो उसकी अवधि 3 लास हो सकती है, 4 साल हो सकती है, 5 साल हो सकती है। उसके दो रिंग और मिल सकते हैं, 6 साल हो सकती है लेकिन तीसरी बार नहीं मिलती। यहां पर निगम में एक डिप्टी चेयरमेन बैठे हुए हैं, जनरल मैनेजर एकाउण्ट्स में, कोई मैडम हैं, अध्यक्ष महोदय, साढ़े आठ साल हो गये, दो बार ट्रांसफर हो गये और 2 बार कैंसिल हो गये और लाइजनिंग का काम करते हैं अधिकारियों और दुकानदारों के बीच में और क्यों नहीं उसको आज तक उठाया गया ? निगम की एकाउण्ट सेक्शन में एक–एक कुर्सी पर पुराने घाघ लोग बैठे हुए हैं। उनको हटा कर ईमानदार लोगों को अगर पद स्थापित किया जाय तो निगम को घाटे से निकाला जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि महिन्द्रा का 13 लाख रुपये जो काटे गये थे, आज बोर्ड ने निर्णय किया और वह 13 लाख रुपये उनको वापिस दिये

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

13 लाख रुपये क्यों तो पैनल्टी लगाई ? क्या अपराध था महिन्द्रा का ? और आज क्या गुण अब महिन्द्रा में पैदा हो गया कि उसके 13 लाख रुपये वापिस करने का निर्णय किया गया ? और दूसरी बात है कि फाइल पर, आपकी आर्डर शीट पर नोट हो चुका है, अध्यक्ष महोदय, कि 92 हजार रुपये जिस बॉडी को घटिया कह कर जिस बॉडी के काटे थे, उस 92 हजार का भी आज पेमेण्ट किया जा रहा है। आज मेरे बोलने के बाद रुक जाय यह दूसरी बात है।

अध्यक्ष महोदय, आपने घण्टी बजा दी है, मैं विशेष समय नहीं लूंगा लेकिन आपके मार्फत मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सदन की एक कमेटी बनाई जाय और सदन की कमेटी को जिसमें 5 साल के इस पूरे मामले को, प्रकरण को, जो घपले हुए हैं, जो मैंने चार्जेज लगाये हैं, अगर आवश्यकता हो तो मैं, अध्यक्ष महोदय, यह थोड़ा–सा निवेदन कर दूं, यह मेरी नहीं है, कमल का निशान है और यह रिपोर्ट आयी है 51, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम से, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान कार्यालय से और यहीं के भारतीय जनता पार्टी के युवा जनता मोर्चा का जो उपाध्यक्ष है, उसने यह पेश की है शिकायत और मुख्यमंत्री के नाम है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस शिकायत पर आज तक कोई गौर नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह शिकायत उपर्युक्त कार्यवाही के लिए मंत्रीजी को सुपुर्द करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कर दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं इसके साथ साथ ही निगम में जो 35 प्रतिशत किराया बढ़ा कर के जो मुनाफा अर्जित किया है, प्रबन्धन में कोई सुधार हुआ है और निगम जो प्रॉफिट में आया है, उसके लिए निश्चित रूप से निगम के कर्मचारी और सरकार को मैं साधुवाद पेश करता हूं अपनी तरफ से।

(श्री हरिसिंह)

इसके साथ ही, जहां से मेरा सम्बन्धित है, हिण्डौन निगम की, अध्यक्ष महोदय, बहुत बुरी हालत है। मैं बार बार–यहां प्रबन्ध निदेशक महोदय से मिला। पहले तो एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, राजस्थान में एक सी. एम., आज रोडवेज में पूरे 40 सी.एम. कर दिये हैं। 39 तो रोडवेज के और एक राजस्थान सरकार का। अब सी. एम. बनने के बाद उनकी हालत बहुत वैसी हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त अफसोस है इस बात का, दो साल से 29 बसें हिण्डौन डिपो में चल रही हैं ऐसी जिनकी खिड़कियों के शीशे नहीं हैं। बरसात भी, सर्दी भी और तपती हुई लू भी, वह सब उनको झेलना पड़ता है और उन्होंने 35 प्रतिशत किराया बढ़ा दिया। मेरे सामने एम.डी. ने यह निर्देश दिये थे उनको कि इनके शीशे चढ़ा दो और यहां सी. एम. आकर असत्य बोल गये कि शीशे चढ़ा दिये गये हैं और शीशे सवारियों ने दोबारा तोड़ दिये। अध्यक्ष महोदय, बहुत तकलीफ होती है जब जन–प्रतिनिधियों की भी बातें ध्यान से नहीं सुनी जाती। मैं आप से साफ तौर से कह रहा हूं कि कोई भी निगम का कर्मचारी उन बसों में मुझे बैठ कर दिखा दे। बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम में वह किसी भी काम की नहीं हैं। अगर उन पर शीशे नहीं चढ़ सकते हैं तो उनको कैन्सिल करके और वापस भेज देना चाहिए इनके डिपों में।

मैं इतना ही कह कर आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आर.एस.आर टी.सी. के 27वें वार्षिक प्रतिवेदन 1990–91 पर सदन चर्चा कर रहा है। प्रथमतः अध्यक्ष महोदय, मैं समस्त निगम परिवार को इस बात के लिये मुबारकवाद देना चाहता हूं कि 1964 से लगाकर आज तक न केवल उन्होंने राजस्थान के समस्त कीर्तिमान तोड़े बल्कि गत वर्ष 91–92 में आर.एस.आर. टी.सी. ने जितने कार्पोरेशन हैं, जितने ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन या स्टेट रोडवेज हैं, हिन्दुस्तान के समस्त रिकार्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया कीर्तिमान किया, पिछला बकाया जो टैक्स का 26 करोड़ था उन सबका चुकारा करने के बाद जो नेट मुनाफा बचा वह 14 करोड़ रुपया बचा, अपने आप में एक मिसाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहस सी चल पड़ी थी देश में कि आटोनामस बाडी, कार्पोरेशन इत्यादि एक भार हैं इस देश पर, उनकी कार्य-प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण है, एक तरह से नौकरशाह और सफेद हाथियों को पालने के अड्डे, बन गये हैं। इस सब मिसाल से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने आपको अलग करते हुए यह सिद्ध किया कि कार्पोरेशन में भी अगर ईमानदारी, लगन और सही व्यवस्था से काम किया जाय तो ऐसा कोई कार्पोरेशन नहीं जिसको मुनाफे में नहीं लाया जा सकता हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ यह मुनाफा किन परिस्थितियों में आया, आप और सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात को जानता है कि राजस्थान राज्य

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पथ परिवहन निगम किन परिस्थितियों में काम कर रहा है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि वह मेरे जमाने में आया। मेरे जमाने से पहले भी बहुत बढ़िया और काबिल मंत्री रहे और मेरे बाद भी अब रहे, अब भी रोडवेज मुनाफे में आ रहा है। यह नहीं कि मैं था तब ही आया, पूरा श्रेय मैं मैनेजमेंट को देना चाहता हूं और उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में आप सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कार्पोरेशन को चलाना कितना कठिन काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह न केवल मुनाफ की बात है, मैं यह भी अर्ज करना चाह रहा हूं कि डीजल को, ईंधन को बचाने के लिये जिस तरह के प्रयास भारत सरकार के स्तर पर हो रहे हैं, उसमें भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने न केवल मुनाफा कमाया बल्कि तेल की खपत में भी सबसे अच्छी औसत आयी है वह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आयी है। यह परिस्थितियों में आयी है जब कि राजस्थान के रोड्स की जो स्थिति है उनसे माननीय सदस्य मेरे ख्याल से सभी परिचित हैं। उन परिस्थितियों में तेल में सबसे अच्छी औसत लाकर जो दूसरा काम किया, मैं पुनः उस बात के लिये समस्त निगम परिवार को मुबारकवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुनाफा इन परिस्थितियों में आया है। पहली समस्या, निगम में हालात यह है कि आज राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 80 लाख रुपया प्रतिमाह उन लोगों को वेतन भुगतान कर रहा है जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा से या तो पृथक कर दिये गये थे, और वह दुबारा किसी भी कानूनी सहारे से, हाई कोर्ट या जुडिशियरी के आदेश से वापस आ गये। उनके निकाले जाने के बाद पूर्व में जो मैनेजमेंट था उन्होंने नयी भर्ती की, 4-5 हजार के, लगभग नये कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की भर्ती करने के बाद वह लोग हाई कोर्ट के आदेश से सब वापस आ गये। निगम में जो पांच हजार की भर्ती की वह, पांच हजार चूंकि परमानेंट हो गये इसलिए निगम से उनको निकाला जाना कठिन है और वह चूंकि हाई कोर्ट के आदेश से आये, हाई कोर्ट के आदेश अगर निगम नहीं माने तो कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट फेस करे। इस परिस्थिति में जहां 80 लाख रुपया पर-मंथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम खाली बैठे इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर रहा है जिनसे हम कोई काम नहीं लेते, यह 80 लाख का अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही क्लेण्डस्टाइन आपरेशन की चर्चा कई बार इस सदन में भी आपके समक्ष हुई। दोनों तरफ से माननीय सदस्यों आये दिन इस बात की परेशानी से सदन को और सरकार को अवगत कराते रहते हैं। आज आप चले जाइये पोलोविक्ट्री के आसपास, मैं कल इधर से निकला, पोलोविक्ट्री के आसपास से, माननीय मंत्री महोदय, सैंकड़ों बसें बेरोक टोक तरीके से राजस्थान रोडवेज के, निगम के, सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड के बाहर खुलेआम इस तरह के बोर्ड लगाकर प्रत्येक ट्रांसपोर्टर ने पान की जहां थड़ी है वहां एक लिस्ट लगा रखी है, बंगलौर, जोधपुर, उदयपुर और दिल्ली। ऐसी बात नहीं है कि ट्रांसपोर्ट विभाग उनको रोकने का प्रयास नहीं करता। माननीय अध्यक्ष

(श्री जगमाल सिंह यादव)

महोदय, इनको रोकने में कई तरह की परेशानियां हैं, कानूनी परेशानियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैण्ट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट में एक प्रावधान रखा गया है कि जितनी बार बसें अपराध करेंगी या परमिट के वायोलेशन होंगे उतना ही जुर्माना बढ़ता चला जायगा। यहां के ट्रांसपोर्टर्स हाई कोर्ट में गये। राजस्थान हाई कोर्ट का एक निर्णय आ गया, आप किसी भी कीमत पर यह कितने ही अपराध करते चले जायं, एक हजार से ज्यादा की पैनल्टी नहीं करें। अब चूंकि जुडीशियरी का मामला है, इसलिये इस पर मेरी टीका टिप्पणी करना और सदन की टीका टिप्पणी करना कोई अच्छी बात नहीं है। वह फैसला भी दुर्भाग्य से फाइनल स्टेज पर आज से कोई 6 महीने पहले सरकार के खिलाफ हो गया। अब स्थिति यह हुई कि जयपुर से एक डीलक्स बस जिसको चार हजार रुपये पर-ट्रिप के बचते हो और जितने भी ट्रांसपोर्ट के आफिसर्स हैं, सबको चैलेन्ज करती हुई उनके सामने से निकल जाय, जिसको पांच हजार उदयपुर से आने और जाने पर बचेंगे तो एक अपराध पर कानूनन एक बार ही जुर्माना कर सकते हैं, वह अगर डी.टी.ओ. आर.टी.ओ. एनफोर्समेंट लॉ जो भी स्टाफ है इस राजस्थान सरकार का, उसके सामने से चैलेन्ज करके निकल जाय तो एक हजार रुपये की रसीद कटा लेगी, जुर्माना नहीं कर सकेंगे और वह यात्री बस उदयपुर से जायेगी और आ जायेगी, चार हजार, तीन हजार उसको फिर भी नेट बच जाते हैं। इस तरह कानून में भी बहुत सी खामियां हैं जिससे राजस्थान रोडवेज को आये दिन इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मैंने कुछ दिन पहले भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्री का एक बयान पढ़ा। जिस मीटिंग में गृह मंत्री महोदय, आप भी अभी शिरकत करके आये हैं. उसमें भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्री ने एक बयान जारी किया कि राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में आने वाला जितना क्षेत्र है, उन सब में जो भी मुख्य-मुख्य हैडक्वार्टर हैं, पंचायत समिति हैडक्वार्टर है या मुख्य-मुख्य जो कस्बे हैं, उन सबको दिल्ली पर आबादी का भार कम करने के लिये दिल्ली से आने और दिल्ली से जाने के लिये बस सर्विस से जोड़ दिया जायेगा। उसमें यह भी लिखा है कि एन.सी.आर. बस के परमिट दिये जायेंगे, राष्ट्रीय परमिट जो दिल्ली देगी, उन सबका रंग भी एक जैसा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिस्थितियां अर्ज करना चाहता हूं, निगम अधिकारी बैठे हैं, यातायात मंत्रीजी, आप भी इस बात को नोट कर लें, अगर यह परिस्थिति आ गयी तो आपके जयपुर का यह हिस्सा अलवर, कोटपूतली और भरतपुर, आपका आधार तो सारा समाप्त हो हो जायेगा। एक तरफ आप क्लेण्डस्टाइन आपरेशन से वैसे ही जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत सरकार एक नया क्लेण्डस्टाइन आपरेशन आपके सिर पर डालने जा रही है। जब हर घंटे में प्राइवेट बसों को आप परमिट दे देंगे तो निगम की बसें चूंकि पूरी मुनाफे की दृष्टि से नहीं चलती हैं, यह जन सेवा के आधार पर भी चलती हैं, बहुत सी डीलक्स बसें और आर्डिनरी बसें जो ज्यादा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

किराया ले रही हैं, लेकिन आप उस ज्यादा किराये को नहीं ले रहे हैं, आप जनहित को भी ध्यान में रखते हैं तो इस कम्पीटिशन के हिसाब से तीन चार जिलों पर जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है, यह सारा ध्वस्त हो जायेगा। मेरी आपको राय है, आप मजबूती से भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री को यह बात कहें, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को यह बात कहें कि जो हमारे परमिट देने की बात है या तो आप रोडवेज से ऐसी व्यवस्था करवाइये कि वह परमिट देकर उठाये और हमको परमिट दें तो रोडवेज अपनी बसें चलायें क्योंकि जो अच्छे रूट होंगे दिल्ली जाने वाले, पेइंग, जिनसे अर्न होता है वह रूट तो प्राइवेट वालों के पास चले जायेंगे, बी क्लास और सी. क्लास के रूट्स पर अपनी बसों को बजाते घुमाओ तो आने वाले इस खतरे से मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी आप भारत सरकार को सख्ती से लिखें कि अगर हमारे आर. एस. आर. टी. सी. के बढ़ते हुए हौसलों को इन सब कारणों से तोड़ा गया तो हमको इससे भारी नुकसान होगा जिसके खामियाजे को हम पूरा नहीं कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल बार-बार इस सदन में आता है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाएं अच्छी नहीं हैं। उनके नम्बर अच्छे नहीं हैं इसलिये निजीकरण कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे से यह बात कहना चाहता हूं कि निहित स्वार्थ वाले लोग इस आर. एस. आर. टी. सी. के मुकाबले में जिनके अपने वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं वह आये दिन सदन में मांग करते हैं कि सब निजीकरण कर दिया जाय निजीकरण कर दिया जाय। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, अगर निजीकरण किया गया तो अंधा बांटे रेवड़ी और अपने को ही दे, इन वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाले लोगों के हाथ में यह सारे परमिट जायेंगे, उद्योगपतियों के हाथ में सारे परमिट जायेंगे जिससे मोनोपोली उनकी बढ़ेगी और रोडवेज इन परिस्थितियों में किसी कीमत पर भी नहीं चलेगा। इसलिये मेरी दूसरी राय माननीय यातायात मंत्रीजी को यह है कि इस राष्ट्रीयकरण के मामले में जिस तरह से आपने देखा, रोडवेज ने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि कोई कार्पोरेशन काम करने की अगर क्षमता रखता है और सरकार अगर उसको को आप रेट नहीं करे बल्कि विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर दे तो आप क्या उम्मीद करेंगे? जहां पहली बार हिन्दुस्तान में किसी कार्पोरेशन ने आपको मुनाफा लाकर दिखाया है, उस कार्पोरेशन के हौंसले बढ़ाये जाने के लिये चाहे आपको ज्यादा पैसों का इन्तजाम करना पड़े, सरकार चाहे निगम को और ज्यादा पैसा दे, इन परिस्थितियों के लिये, आप निजीकरण का सवाल कम से कम खयाल में भी नहीं लायेंगे, स्वप्न में भी नहीं लायेंगे क्योंकि इससे अनएम्प्लायमेंट भी बढ़ेगा, जन सुविधाएं भी कम होंगी और एक कार्पोरेशन जो दिनों-दिन आगे बढ़ रहा है उसके बढ़ते हुए चरण भी पीछे हटेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही नहीं, मैं पक्ष में ही नहीं विपक्ष में भी एक बात कहना चाहता हूं। अभी ए. जी. की

(श्री जगमाल सिंह यादव)

रिपोर्ट 1990–91 की छपी है । इसको देखने से साफ जाहिर होता है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा न केवल स्वयं से कुछ चूक हुई बल्कि जान बूझ कर भी निगम को घाटा पहुंचाने की कोशिश की गयी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, ए. जी. की रिपोर्ट में यह लिखा है चार जो मोटे रीजन्स बताये, इन आधार पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को एक करोड़ 38 लाख का घाटा पहुंचाया गया है । पहला मद इन्होंने लिखा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ए. जी. की रिपोर्ट में, राजस्थान पथ परिवहन निगम में 52 सीटर बसें थीं, माननीय यातायात मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनको घटाकर 43 सीटर करने की आपको क्या जरूरत थी ? हिन्दुस्तान के दूसरी स्टेट रोडवेज जो हैं, दूसरे ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन जो हैं, उन सब की बसें जब 52 सीटर हैं, 43 सीटर आप इस विभाग में करके क्या करना चाहे रहे हैं ? इससे नेट जो आपको नुकसान हुआ, वह ए. जी. की रिपोर्ट में भी ताईद किया है और मेरी स्वयं की भी राय यही है, आपको एक करोड़ दो लाख का नुकसान उठाना पड़ा केवल इस बात के लिये । चेसिस आपका वह, बाडी बनाने का खर्चा आपका वह, कंजम्प्शन कास्ट आपकी टोटल यह, लागत खर्चा केवल आपका यह, उसमें केवल आपने नौ सीटें कम कर दीं । आपने नौ सीटें कम कर दीं जो उसी बस में बन सकती थीं । इसलिये राजस्थान की सरकार को एक वर्ष में 1990–91 में इस मद में केवल इस टूट से एक करोड़ 2 लाख का नुकसान उठाना पड़ा ।

दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि ऊंची दरों पर बॉडी बनाने का जो काम किया, जो आर. एस. आर. टी. सी. ने ठेका दिया 1990–91 में, उसमें 10 लाख का नुकसान आपको उठाना पड़ा । सन् 85 से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य हूं । अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह सवाल पिछले पांच सालों में आता रहा है । अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि बसें भी आपकी आ गई, बसें बनकर भी तैयार हो गई, केवल आपके मैनेजमैण्ट की लापरवाही से उन आगारों को वह बसें सही समय पर अलाट नहीं कर सके । यह जो बसें आपकी बनकर आयीं, उनका सही समय पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, इस मद में ए. जी. की रिपोर्ट में ही लिखा है कि आपने 16 लाख 58 हजार रुपये का नुकसान उठाया । जो बसें बनकर आ गई, जो आपके आगार में खड़ी हो गई, आपके आफिस में खड़ी हो गई, उनको केवल अलाटमैण्ट करने की नेग्लीजेंसी की वजह से आपने 16 लाख 58 हजार रुपये का नुकसान उठाया । अध्यक्ष महोदय, ऊंची दरों का टैण्डर देने से इस मद में है 9 लाख 10 हजार ।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, एक बात की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं । राजस्थान की जनता से मुनाफा आपको निगम कमाकर दे रहा है । लेकिन चूंकि अब आपका मुनाफा आ गया, आपकी वित्तीय स्थिति भी ठीक हो गई, आज आपने बसों की स्थिति भी देखी ? आपकी बसों की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, यह आपने अगर ए. जी. की रिपोर्ट पढ़ी हो तो उसमें साफ स्थिति है । अगर अपनी शर्तों के अनुसार कि इतने किलोमीटर की

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दूरी तय करने के बाद या सात साल के बाद, जो भी पहले होगा, उस बस को उस रूट से हटा दिया जायेगा। आपने इसकी रिपोर्ट को देखा ? चौंकाने वाले तथ्य हैं। 50 पर्सेण्ट के लगभग आपकी वह दशा चल रही है जो आपकी शर्तों के मुताबिक डिसक्वालीफाई हो गई। आप देखेंगे। 1988-89 में बेड़े में 3119 बसें थी, जिनमें से 1335 बसें बाहर हो गई थी आपकी शर्तों के मुताबिक तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसें बचीं काबिले चलने लायक ? 1784 पूरे राजस्थान में। इसी तरह से 1989-90 में बेड़े में 3006 बसें थी कुल और उनमें से आपके पास 1020 बसें ऐसी थीं जो माडल कंडीशन के आधार पर आपकी शर्तों के हिसाब से रोड़ से हट जानी चाहिए थी। उस स्थिति में आपके पास केवल 1982 बसें बची। 1990-91 में 3147 कुल बसें रोड पर आपकी थीं, बेड़े में शामिल थी और 1052 बसें बची पूरे राजस्थान में। तो इन परिस्थितियों में जब चूंकि आपको किराया बढ़ोतरी करने के लिए राजस्थान की जनता सहयोग करती है, (समय समाप्ति सूचक घण्टी) दूसरी तरफ से भी आपको सब तरह से सहयोग करती है इन कार्पोरेशंस को, जो अब तक इस साल से पहले जो नुकसान में था, उन सबको भी राजस्थान की जनता झेल रही थी, फिर इस तरह की सुविधा आप राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा मुहैया करा रहे हैं। इसलिए मैं यह सलाह दे रहा हूं यातायात मंत्रीजी को राजस्थान के लोगों को भी अच्छी और द्रुतगामी सेवायें चाहिए। इसलिए जो माडल कंडीशन में बाहर हो गई हैं, सात साल से ज्यादा जिन बसों की एज हो गई है, जो चलने के काबिल नहीं है, आप निगम को पैसे दीजिए, निगम आपको और कमाकर देगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। ए.जी. की रिपोर्ट में एक मामला साफ तरह से छपा है। निगम ने बसें परचेज की। 20 बसों का कांट्रैक्ट जो हुआ और यह शर्तें भी तय हुई। अशोक लीलेन्ड लिमिटेड से अप्रैल, 1989 में लीलेण्ड हीरो इंजन वाली चीता 2203 व्हील बसेज इन्होंने परचेज कीं। शर्तों के मुताबिक अलवर से इनको उठाकर देनी थी वह बसें और अलवर से नहीं देकर जब पेमेण्ट किया गया निगम के द्वारा तो मद्रास का जो ट्रांसपोर्टेशन व्यय था 4728, यह एक लाख रुपये के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से उनको चुकता कर दिये गये। यदि आपके एग्रीमैण्ट में यह साफ तय था कि अलवर से बस उठायेंगे तो मद्रास का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपने क्यों दे दिया ?

इसी तरह से दूसरी मिसाल आप देखें। राजस्थान सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया और सैल्स टैक्स में कमी की, 10 पर्सेण्ट से घटाकर 6 पर्सेण्ट। यह 18 जनवरी, 1990 को सरकार ने घोषणा की कि सैल्स टैक्स 10 पर्सेण्ट से घटाकर 6 पर्सेण्ट कर दिया और, अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे इसमें कि 18 जनवरी को बसें परचेज करने का आदेश दिया जा रहा है और जो सैल्स टैक्स जो कम किया था, निगम ने वह 6 पर्सेण्ट सैल्स टैक्स के आधार पर नहीं बल्कि 10 पर्सेण्ट टैक्स से भुगतान कर दिया। जब उस कम्पनी को लिखा गया कि हमने 18 तारीख को जो बसें खरीदी हैं, 18

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जनवरी, 1990 को, उनका सैल्स टैक्स 6 पर्सेण्ट हमको चुकता करना है और हमने गलती से आपको यह पेमेण्ट कर दिया तो कन्सर्न लिखती है कि अब चूंकि चैसिस बढ़ गये, 5 जनवरी, 1990 को, अध्यक्ष महोदय, आप देखिये 18 जनवरी, 1990 को सैल्स टैक्स कम करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, 18 जनवरी, 1990 को बसों के आदेश दिये गये, 6 पर्सेण्ट की जगह 4 पर्सेण्ट का ज्यादा भुगतान कर दिया और फिर जब लिखा गया, ऐतराज आया, सरकार की तरफ से ऐतराज लगाया गया और लिखा निगम ने तो कन्सर्न ने लिखा, लीलेण्ड वालों ने कि हमने 5 जनवरी से कीमत बढ़ा दी, इसलिए आपका बढ़ा हुआ जो सैल्स टैक्स का पैसा है, वह हम बढ़ी हुई कीमत में लगा देंगे। तो जब आपने बसें परचेज की, निश्चित तरीके से संविदा की होगी, एग्रीमैण्ट किया होगा। जिस रेट पर हुआ उससे आपने बसें परचेज कर ली होंगी। तो वह पैसा भी इन्होंने बट्टे खाते में 4 लाख 58 हजार रुपये डाल दिये।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, बारह बाडी बनाने की बात आयी। यह सवाल बार बार उठा कि अगर बाडी बनाने का काम राजस्थान में ही दिया जायेगा तो राजस्थान को सैल्स टैक्स की आमद होगी, कई तरह के तर्क हैं। इस आधार पर बंगलौर की एक कन्सर्न ने बाडी बनाने के लिए सबसे कम का टैण्डर दिया है कि मैं सबसे कम रेट पर यह बाडी बनाकर दूंगा और वह टैण्डर था 1 लाख 29 हजार 8 सौ रुपये का। उसके टैण्डर को यह कहते हुए निरस्त कर दिया, अध्यक्ष महोदय, कि चूंकि इसके सुपरवीजन में, इसके निरीक्षण में बंगलौर आने जाने में इतना खर्च हो जायेगा और हम इनको देख भी नहीं पायेंगे क्योंकि हम वहां कोई इंजीनियर या स्टाफ परमानेन्ट तरीके से बैठा नहीं सकते और पता नहीं बॉडी कैसी बन जाये इसलिए उसका निरीक्षण प्रोपर तरीके से नहीं होगा, इसलिए बंगलौर की इस कन्सर्न को बाडी बनाने का यह काम नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद आप देखेंगे कि अभी जब बॉडी बनकर आयी तो आपने जमशेदपुर में वैगन्स और दूसरी कन्सर्न्स को दे दिया। वह किस आधार पर दे दिया ? आप बंगलौर में तो निरीक्षण नहीं कर सकते थे, जहां 1 लाख 29 हजार 8 सौ में बाडी बनाने का मिनीमम टैन्डर था और फिर आपने जमशेदपुर की जो कन्सर्न से बॉडी बनवायी, उसका निरीक्षण कैसे किया ? और इस बात की क्या गारण्टी है कि आपका स्टाफ वहां रहा ? अध्यक्ष महोदय, मैं इस राय के खिलाफ नहीं हूं कि राजस्थान में बॉडी बने। अगर राजस्थान में बाडी बनेंगी तो हमारे कारीगरों को भी काम मिलेगा और राजस्थान सरकार को सैल्स टैक्स भी मिलेगा, उसका सुपरवीजन और निरीक्षण और उसके काम की पुख्ता तरीके से जानकारी बहुत अच्छे ढंग से मिल सकेगी लेकिन एक ही बात पर दो पैमाने अख्तियार कर लिये कि मिनिमम टैण्डर बंगलोर का है, उसको तो आप दें नहीं और यह ए.जी. की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ऐसे कौनसे कारण थे कि बंगलौर की एक कम्पनी को 1 लाख 29 हजार में टैण्डर नहीं दिये गये और फिर जब आपने जमशेदपुर में दिये दूसरे साल तो यह शर्तें आपने हटा दी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा समय स्वयं ही नहीं ले रहा हूं, मैं पुनः इस बात के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में जो कुछ अनियमितताएं हैं, उनके लिए यातायात मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और साथ ही पुनः मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि न केवल पिछले साल बल्कि इस साल भी आर.एस. आर.टी.सी. जिस तरह से रिकार्ड तोड़ मुनाफा कमाती जा रही है। इसके निजीकरण करने में, क्लेन्डेस्टाइन आपरेशन रोकने में सरकार को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। प्राइवेट आपरेटर्स को ज्यादा छूट देकर इनके रूट जो बढ़िया है, वह नहीं छीनने चाहिए। वहां उनको परमिट नहीं देना चाहिए और एन.सी.आर. में जिस तरह से भारत सरकार हमसे अलवर, भरतपुर और कोटपूतली के डिपो मांग रही है कि हर घण्टे में बसें चला दी जायें, इस पर मुख्य मंत्रीजी आपके स्तर की बात है, आप बाकायदा भारत सरकार से कहें कि जो निगम मुनाफे में आया है, मैं उसको नुकसान नहीं देना चाहता और अगर उनको देने भी हैं परमिट तो घण्टे भर बाद ही चलवाइये, आप निगम से चलवाइये। निगम सक्षम है इस बात के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा है कि समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

प्रतिवेदन पर विचार
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 27वें वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1990–91) पर विचार

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बाबत चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह माना कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को आपने एक स्वायत्तशासी संस्था बना रखा है लेकिन स्वायत्ता के नाम पर अनियमितताओं की छूट नहीं दी जा सकती, स्वायत्ता के नाम पर भ्रष्टाचार की छूट नहीं दी जा सकती। स्वायत्ता केवल इस मायने में है कि वह अपना प्रशासन, अपना कामकाज राजस्थान विधान सभा द्वारा बनाये गये कायदे कानून और खुद के द्वारा तय किये गये स्टेट्यूटस् के आधार पर चलाये। लेकिन क्या विधान सभा द्वारा बनाये गये नियम और कायदे कानूनों की राजस्थान पथ परिवहन निगम स्वायत्ता के नाम पर अनदेखी कर सकता है ? अपने आदेशों और निर्देशों में इसकी छूट, मैं समझता हूं कि नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, हमने पिछली 22 तारीख को भी जब यहां राजस्थान पथ परिवहन निगम की चर्चा हो रही थी, मैंने

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

दो बातों की तरफ यातायात मंत्रीजी का ध्यान दिलाया था। एक, डिप्टी मैनेजर पद के लिए डी.पी.सी. के बारे में कि डिप्टी मैनेजर के आठ पद 30 तारीख को सृजित किये गये और उन पदों के लिए डी.पी.सी. पद सृजन से दो दिन पूर्व 28 तारीख को ही कर ली गई। क्या उनको ख्वाब आ रहा था, उनके पास कोई ज्योतिष विद्या थी, या उनको पता था कि यह होने जा रहा है? और हाईकोर्ट में जब वह गये और हाई कोर्ट ने उस डी.पी.सी. को क्वेश करने के निर्देश दिये, उसके बावजूद भी इन्होंने आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया। कंटेम्प्ट का केस चल रहा है। माननीय यातायात मंत्रीजी भी इससे सहमत हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अब उसमें कोई व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना और किसी प्रकार से उस व्यक्ति को जिसके रिश्तेदार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अफसर हैं, उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह किया गया है। आज मैं अपेक्षा करता हूं कि आप उत्तर में इसको पेश करके और इसमें इफस् एण्ड बट्स कि यह ग्रेज्युएट नहीं है इसलिये यह किया गया है। जब विभागीय पदोन्नति की जाती है तो उसमें सीनियरिटी देखी जाती है, इसमें क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। क्वालिफिकेशन इन्टरव्यू के अन्दर देखी जाती है। तो एक तो मैंने आपको यह कहा था। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रोडवेज का सिंधी कैम्प सैन्ट्रल बस स्टैण्ड है। उसके मुख्य प्रबन्धक द्वारा 1740 क्रमांक से एक आदेश निकला था जिसमें विधायकों के हस्ताक्षर आफिसर से प्रमाणित करवाने के बाद ही टिकट जारी करने की बात कही गयी थी। आपने इसकी जांच भी करवा ली है, महीना, सवा महीना हो गया लेकिन आज तक उस गैर कानूनी आदेश निकालने वाले अधिकारी के खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं चाहता हूं इस संबंध में भी आप अपनी बात कहें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े जोर से यहां चर्चा की गयी कि राजस्थान रोडवेज ने 14 करोड़ जमा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं माननीय यातायात मंत्री से जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों का बकाया वेतन कितना है जो आपको भुगतान करना है जिसके संबंध में आपने न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा है? अगर आज स्टे वेकेट हो जाता है तो आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा, उसको निकाल कर जरा अपना मुनाफा बतायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किताब देखने में बड़ी सुन्दर और आकर्षक लग रही है। यह मैंने नहीं, राजस्थान विधान सभा ने नहीं, राजस्थान पथ परिवहन निगम ने छपायी है। इसका यह पृष्ठ–प्रगति है एक नजर में। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अवलोकन करेंगे, इन्होंने 89–90 और 90–91 का तुलनात्मक अध्ययन इसमें बताया है। इन्होंने 89-90 में बताया है, सम्भागीय कार्यालय 8 थे, आगार कार्यालय 39 थे; कर्मचारी 24 हजार 48 थे और 90–91 में कहते है सम्भागीय कार्यालय 8 ही रहे, आगार कार्यालय 39 ही रहे, कर्मचारी 23 हजार 356 हो गये, कर्मचारी घट गये; यात्री वाहन बढ़े, 3059 की बजाय 3249 हुए, वाहनों की संख्या 2764 से बढ़ कर 2898 हुई, मार्ग 1676 से बढ़ कर 1771

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हुए, मार्ग की दूरी 2 लाख 52 हजार 22 किलोमीटर से बढ़ कर 2 लाख 73 हजार 489 हुई और प्रति वाहन दैनिक औसत तौल घटा प्रति दिन। विनियोजित पूंजी बढ़ी, 1989 में और 90 में, यह थी 13 हजार 586.87 और इसमें हो गयी 18 हजार 275.14 लाख और आय आपकी बढ़ी और व्यय घटा उसके बाद भी आपको नुकसान हुआ। 1989-90 में आपका लाभ है, कुल आय है 16 हजार 92.73 लाख और 90-91 में हो रही है 14,089.27 लाख। यानी वाहनों की संख्या बढ़ रही है, आपके किलोमीटर की दूरी बढ़ रही है, आपकी सारी चीजें, आपके व्यय कम हो रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको घाटा हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। इसके क्या कारण है ? माननीय यातायात मंत्रीजी, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस संबंध में भी आप सोचें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी पुस्तिका में इन्होंने टायरों का विवरण दिया। टायर खरीदें। उसके जो रीजल्ट रहे समर्थिग पैटर्न और रिपेटर्न पर उसमें प्रीमियर मोदी स्टोन, एम.आर.एफ. सिएट, गुडइयर, मोदी, डनलप, अपोलो, जे.के.के. रीजल्ट तो औसत से ठीक रहे लेकिन इनचैक और विक्रांत के रीजल्ट औसत से भी नीचे रहे, बिल्कुल पूअर रहे। इतना ही नहीं, उसके बाद इन्होंने प्रति टायर औसत निकाली केसिंग लाइफ है, नाइलोन टायर की, 1990-91 में विक्रांत का रीजल्ट बड़ा खराब रहा और उसके बावजूद भी आप उसी को खरीदते चले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कहावत तो यह है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है लेकिन राजस्थान पथ परिवहन निगम छाछ को भी गर्म करके पी रहा है दूध से जलने के बाद।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, पद बढ़ा देने से व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता। आपने पद बढ़ा दिये। एग्ज्युक्टिव डाइरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन), एग्ज्युक्टिव डाइरेक्टर (ट्रान्सपोर्ट) जनरल मैनेजर के भी आपने एस. टी. वी. से, पी. आर. ओ. स्टोर वगैरह के कई पद बढ़ा दिये लेकिन रोडवेज की व्यवस्था के अन्दर जितना अपेक्षाकृत सुधार होना चाहिये था, वह सुधार हो नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय, समय कम है और आज अन्तिम दिन है इसलिये ज्यादा लम्बी बातें नहीं करके मैं माननीय यातायात मन्त्रीजी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। माननीय यातायात मन्त्री महोदय, रोडवेज की बॉडी निर्माण के नाम पर रोडवेज के अधिकारी भारत भ्रमण कर रहे है, कोई शिमला जा रहा है, कोई जम्मू-कश्मीर जा रहा है, कोई पूना जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है। मैं आज आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज बॉडी के निर्माण के बारे में यहां स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये कि राजस्थान रोडवेज बसों की बॉडी राजस्थान राज्य में ही बनवाएगी किसी दूसरे राज्य में बनाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

दूसरा, रिपेयरिंग के कल-पुर्जे खरीदने का एक प्रोवीजन यह है कि या तो सैण्ट्रल स्टोर परचेज डिपार्टमेण्ट जो फाइनेंस डिपार्टमेण्ट का एक डिपार्टमेण्ट है उससे रेट

(श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद)

कान्ट्रेक्ट ग्रौर ट्रेड मार्का तय हो जाता है कि हम इस ट्रेड मार्का की इस रेट पर चीज खरीदेंगे या एक परचेज कमेटी बन जाती है। तो दो ही परचेजिंग के तरीके होते हैं। राजस्थान रोडवेज ने जो ट्रेड मार्का तय कर लिया उसका एन. ग्रो. सी. कौन दें ? जो ग्रापने दुकान देखी कि हमको ग्राई. एस.ग्राई. मार्का की चीज लेनी है तो वह दुकानदार एन. ग्रो. सी. दे कि मेरे यहां नहीं है तब तो ग्राप दूसरी जगह से खरीद सकते हैं लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं यातायात मन्त्रीजी को कि रोडवेज के ग्रधिकारी ने स्वयं ने एन. ग्रो. सी. दे दिया कि यहां पुर्जे उपलब्ध नहीं है ग्रौर दूसरी मन चाही दुकान से खरीद लिये। ग्रापको इसकी जांच करवानी चाहिये। इसमें लाखों रुपये का घोटाला हुग्रा है।

एक सुझाव मैं ग्रापको यह देना चाहूंगा कि जो लीकेज हो रहा है, पहले ग्रापने एक

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मापदण्ड तय कर लिया कि इस रूट के ऊपर हमारी इतनी ग्राय होनी चाहिये, उससे ज्यादा होने पर ग्राप कण्डक्टर को कुछ प्रतिशत कमीशन दें। तो यह योजना ग्राखिर क्यों बन्द कर दी गयी ? इसके क्या परिणाम रहे ? इससे कण्डक्टर को यह बढ़ावा मिलता था कि हम ग्रगर ज्यादा पैसा कमा कर देंगे तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा हमको भी मिलेगा।

मैं यह भी ग्रापको कहना चाहता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, कि विधायकों के साथ एक व्यक्ति को राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा करने की छूट है ग्रौर रेलवे में दो की छूट है 1–2 की छूट है। राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस में भी विधायकों के साथ 1–2, दो व्यक्तियों को यात्रा करने की छूट देनी चाहिये। ग्रध्यक्ष महोदय, रोडवेज के ग्रधिकारी ग्रौर कर्मचारी उनके स्टाफ को तो फ्री यात्रा की सुविधा है। प्रोटोकाल में जो विधायक चीफ सेक्रेटरी से पहले, उसकी धर्म पत्नी ग्रौर उसका बच्चा ग्रगर साथ यात्रा करे तो उसको एक टिकट लेना पड़ता है। उसकी फेमिली का भी ग्रापको पास देना चाहिये। इसके साथ ही मैं ग्रापके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पूर्व विधायक हैं उनको ग्रकेले यात्रा करने की छूट तो ग्रापने दे रखी है लेकिन उसमें ग्रधिकांश वृद्धावस्था भोग रहे हैं। उनके साथ जरूरी हैं कि एक व्यक्ति ग्रौर हो तो उनके साथ भी ग्रापको एक सहायक की इजाजत देनी चाहिये।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जयपुर से गंगानगर बस चलती है। माननीय हेतराम जी ग्रौर माननीय प्रोफेसर साहब यहां बैठे हुए हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापको सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड के ग्रासपास की जगह, स्टेशन रोड़ पर ग्राप देखेंगे, कितने प्राइवेट भोजनालय हैं, संतोष भोजनालय या दाल बाटी के, उन सब जगह पर बैनर लग रहे हैं कि जयपुर से गंगानगर, ग्रहमदाबाद प्राइवेट बसें ले जाती हैं। राजस्थान रोड़वेज बस का किराया ज्यादा है ग्रौर जो प्राइवेट बस डिलक्स कोच जाते हैं उसका किराया कम है। गंगानगर की जो प्राइवेट बस जाती है, वह ग्रोवर लोड रहती

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

है, उसमें पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है और जो राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस जाती है, वह खाली जाती है, पूरी सवारियां भी नहीं होती। आखिर इसके कारण क्या हैं। या तो उन सबसे रोड़वेज के लोग मिले हुए हैं या आपने किराया इसलिए ज्यादा रखा है कि कम किराये पर प्राईवेट बसें वाले जो हैं वे लाभ करें। तो या तो आपको किराया बराबर करना चाहिए या आपको उनको बन्द करना चाहिए।

(5.00 म. प.)

एक दो सुझाव और दे रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, इन अवैध वाहनों को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अन्तिम सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि पहले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो बसें चल रहीं थी वे वीडियो कोचेज थी। उसमें पिक्चर दिखाते हुए ले जाते। किन्हीं भी कारणों से, दुर्घटना होती थी, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता; उनको उनमें से हटा दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय यातायात मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि वे कलर टी. वी. और वी. सी. आर. और वी. सी. पी. कहां है ? क्या उनको आपकी राजस्थान परिवहन निगम ने नीलाम कर दिया ? और यदि नीलाम किया तो किस राशि पर; किस मूल्य पर किया। यह मैं समझता हूं, आप उत्तर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर, 1964 को इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई थी कि राजस्थान में बढ़ती हुई जनसंख्या और निजी बसों के मालिकों द्वारा बड़ी अनियमित सेवाएं, यही कारण थे जिनके चलते इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और रोडवेज निगम की स्थापना की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न यह उठता है कि क्या राजस्थान पथ परिवहन निगम इस राजस्थान राज्य की जनता की मूलभूत जो उसकी आवश्यकताएं थीं, अपेक्षाएं थीं, उनको पूरी कर सका ? इस सवाल का जवाब सीधा-सा यह है कि वह उसमें असफल रहा। उसके कारणों में यह भी कहा जा सकता है कि सरकार के पास उतने साधन उपलब्ध नहीं थे, यह भी कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता की वजह से, रोड़वेज के कर्मचारियों में व्याप्त रोष से समय-समय पर स्ट्राइक्स होती रही। कुछ भी कारण रहे हों लेकिन राज्य की जनता इस निगम से यह अपेक्षा रखती है कि सरकार द्वारा जो खर्चा राष्ट्रीयकृत उसकी योजनाओं के लिए किया जाता है, उसका समुचित लाभ उसे मिले वह उस बारे में कतई नहीं सोचना चाहता कि इनके पीछे क्या कारण है। इसके लिए मैं रोड़वेज प्रशासन को दोषी नहीं ठहराकर के, उनसे यह उम्मीद करता हूं कि इसे वे आलोचना के रूप में नहीं ले, बल्कि सकारात्मक रूप में ले कि आखिर ऐसे कौन-से कारण हैं जिनके चलते आपके विभाग में यह अनुशासनहीनता व्याप्त हुई है और जिसके चलते आपको यह लोसेज हो रहा है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस रोडवेज के जो कण्डक्टर हैं, उनके व्यवहार के बारे में आप विचार करेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे कि उनका व्यवहार आम यात्रियों के साथ अच्छा नहीं है। इसके लिए इन्होंने स्थानान्तरण का एक दण्ड तय कर रखा है कि उनका स्थानान्तरण करके दण्डित कर देंगे लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे उन कण्डक्टर्स को दोषी ठहरा दे, यह बात कतई गलत है। आज बसों की जो हालत है, बसेज में जिस तरह से पैसेन्जर्स बैठते हैं, ऊपर नीचे जो सवारियां बैठती हैं, उस सारे मसले को देखते हुए जो कण्डक्टर्स हैं उसकी भी विवशता हो जाती है और कई बार वह अपना आपा खो देता है। आपा खोने में छोटी-मोटी अनुशासनहीनता हो जाती है और उसका दण्ड उसको इस तरह से दिया जाता है। जो आदमी सीकर में काम कर रहा है उसका स्थानान्तरण जैसलमेर किया जाता है, बाड़मेर किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि साधारण सा वेतन पाने वाला जो कण्डक्टर है, जो कर्मचारी है, जो अपने जिले में अपने छोटे-मोटे परिवार का गुजारा करता है, उसका स्थानान्तरण इस तरह से दूर दराज किये जाने से न केवल वह....

श्री अध्यक्ष : आप उदाहरण दे दीजिये। कोई ऐसा हो तो बता दीजिये मंत्रीजी को।

श्री राजेन्द्र पारीक : बहुत से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिशः किसी के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूं लेकिन यह जनरल बात है। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वह कर्मचारी अपनी ड्यूटी के बारे में इतना लापरवाह हो जाता है कि वह दूर दराज जहां उसका स्थानान्तरण किया गया है, वह अपनी ड्यूटी वहां पूरी नहीं दे पाता है। और जहां वह ड्यूटी दे रहा था, उसको वहां से वैसे मुक्त कर दिया गया है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस पर यदि रोडवेज प्रशासन इस तरह से विचार करें कि उसको कम से कम उस जिले में रहने दिया जाये। यह सुनिश्चित करें। इससे उसकी जो अनुशासनहीनता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। थोड़ा सा सिम्पेथाइज करके उसको अपने जिले में रहने दिया जाये जिससे वह अपने परिवार की देखभाल भी कर सके और रोडवेज प्रशासन को अपनी सही सेवाएं दे सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रोडवेज ने अच्छी खासी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया, लेकिन जितना खर्चा रोडवेज पर जो सरकार द्वारा किया गया है उसके अनुपात में उतना नहीं हो पाया आज रोडवेज की आप के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को एक सजेशन के रूप में बात कहना चाहूंगा कि अपन है, उस कण्डक्टर पर सारा का सारा जिम्मा डालते हैं कि यदि यात्री बिना टिकट पाया गया तो सारा का सारा जिम्मा कण्डक्टर का होगा और कण्डक्टर उसके लिए दण्डित होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्यों न सरकार और यह रोडवेज निगम पैसेन्जर्स फाल्ट कर दे।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पैसेन्जर्स की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना टिकट स्वयं लेकर बैठे। इससे एक ओर जो कण्डक्टर ऊपर से पैसा कमाने की बात सोचता है, रास्ते चलते उसको आपके फ्लाईगंस्क्वेड वाले रोककर के कण्डक्टर से नीचे के नीचे लेन-देन की जो बात करते हैं, एक तरफ उस पर रोक लगेगी और दूसरी तरफ जब पैसेन्जर्स की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि तुमने यदि टिकट नहीं लिया तो तुम पर स्वयं पर जुर्माना होगा। आज केवल कण्डक्टर्स पर यह भार डालते हैं और अपना बचाव कर लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे निश्चित बात आप यह मानिये कि पैसेन्जर्स फाल्ट जब हम करेंगे....

श्री अध्यक्ष : बोर्ड लगा हुआ है।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, उस बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, होना ही यह चाहिए, निगम की यह पॉलिसी होनी चाहिए कि वह पैसेन्जर्स फाल्ट को ही वरीयता दें। पैसेन्जर्स अपने आप समझेगा और अपना टिकट लेकर के बैठेगा। कोई नहीं मारने वाली बात है।

इसी तरह से अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि राजस्थान रोडवेज ने 9 सीटें कम करके रोडवेज को घाटा पहुंचा, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस रोडवेज निगम को इस मामले में दोषी ठहराता हूं। उसने न केवल भ्रष्टाचार का ही काम कर दिया। इन्होंने सीटें इसलिए कम नहीं की थी कि रोडवेज को घाटा लगे बल्कि इन्होंने इसलिए कम की थी कि इसको सरकार को जो टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ रहा था उसका इसको बचाव हो गया। जब स्वयं सरकार का एक निगम इस तरह से जो अपनी सीटें कम करके राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचा रहा है, इससे किस बात को बढ़वा मिलेगा? प्राइवेट बसेज यदि इस तरह की कार्यवाही करते हैं कि टूल बॉक्स पर एक छोटा सा गद्दा लगा के उस पर सवारियां बिठाता है तो उससे तो हम पैसा लेने की बात करते हैं, उसको तो हम इस रूप में लेते हैं कि तुमने अधिकृत ज्यादा सवारियां ढ़ो ली इसलिए तुम पर यह पेनल्टी इंपोज करते हैं और दूसरी तरह का निगम ने स्वयं यह तय कर दिया कि आगे कोई सवारियां नहीं बैठेंगी, हमने टूल बॉक्स बना दिया और टूल बॉक्स पर सवारियां ढ़ोते रहते हैं। आज जो घाटे की बात की जा रही है कि सीट कम करके घाटा हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, घाटा तो तब हो जब रोडवेज में केवल नीचे सवारियां बैठे। यहां तो हालत यह है कि 60 नीचे और 100 ऊपर। उसके बाद भी घाटा। माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर रोक लगनी चाहिए और राज्य सरकार को इस बात को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि निगम को यह छूट कतई नहीं दी जानी चाहिए कि वह सीट कम करके राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाये और उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा कि निजी बस मालिकों से अनुबन्ध पर ली गई बसेज के मुकाबले रोडवेज की जो स्वयं की बसे हैं, उनकी औसत आय कितना परसेण्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय आज हम रोडवेज

(श्री राजेन्द्र पारीक)

के आय-व्यय विवरण के आंकड़ों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रति यात्री औसत आय जहां 1988–89 में 6.15 पैसा, 1989–90 में 6.74 और 1990–91 में 7.39

इसकी दैनिक औसत आय प्रति वाहन की 1988–89 में 1401, 1989–90 में 1511 और 1990–91 में 1623 औसत आय प्रति किलोमीटर हैं 1988-89 में 9.17, 1989-90 10.13, 1990-91 में 11.32 लेकिन इसके मुकाबले जो सचालन में आय है 1990-91 में कमी हुई है, वह गौर फरमायें। 1988-89 में 14346.33, 1989-90 में 15593.45 व 1990-91 में 13774.64। एक तरफ प्रति सीट की आय में वृद्धि हो रही है, प्रति वाहन की आय में वृद्धि हो रही है। तो क्या कारण है कि इसमें लोसेज हो रहे हैं ? यह गौर किये जाने का विषय है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : टाइम हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : थोड़ा सा है।

जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो वह व्यक्तिश: हो या रोवेडज की बसेज की समय की पाबन्दी हो, इस मामले में बड़ी गिरावट आयी है। इसके लिये भी पर्सेण्टेज में दिखाया गया है। 1989-90 में 93 प्रतिशत, 1990-91 में 92 प्रतिशत और आगमन के समय में 1988-89 में 96 प्रतिशत और 1990-91 में 95 प्रतिशत, इसमें भी गिरावट आयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम रोड़वेज की सेवाओं की बात करते हैं तो हर आदमी रोड़वेज से यह उम्मीद करता है कि उसको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराये।

अधिक बात न कहते हुए मैं रोड़वेज प्रशासन का ध्यान, मंत्री महोदय, आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में जो केन्द्रीय बस स्टेण्ड पर डिपो है, उसमें परम्परा बन गयी है कि लोग अपने बोर्ड लगाने के लालच में लायन्स क्लब का बहुत अच्छा पीतल का लिखवा दिया, ग्रेनाइट जड़वा दिये और ठण्डे पानी की व्यवस्था कर दी लेकिन रोड़वेज प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यह देखे कि हमें पानी भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मैं आपकी व्यक्तिगत जानकारी में लाना चाह रहा हूं कि जयपुर का जो केन्द्रीय डिपो है, वह बनाया तो बहुत सुन्दर है लेकिन पीने के नाम पर एक बूंद पानी उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि मैं इस रोड़वेज की बसेज से काफी यात्रा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम जो राज्य सरकार का है, गृह मंत्रीजी के पास रोडवेज और होम, दोनों डिपार्टमेण्ट है उसके बाद भी आप स्वयं कार से यात्रा करते हुए देखेंगे कि दुनिया भर के बोर्ड लगे हुए है, यहां से यहां और यहां से यहां एक तरफ तो फ्लाइंग स्क्वेड की बात की जाती है और रास्ते से चलकर 50-100 किलोमीटर दूर जाकर बस को रोकते हैं और उससे बात करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि राज्य सरकार उन बसों को वहां नहीं रोकती जहां से स्टार्ट हो रही है ? इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। समय से 4 मिनट ज्यादा ले चुके हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : दो मिनट से अधिक नहीं। थोड़ा सा ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों जिस तरह से तुगलकी फरमान इस राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने किये हैं कि बस बाहर निकली बाहर निकलते ही फ्लाईंग स्क्वेड सा बना दिया, एक कि यहां बसेज चैकिंग होगी। बाहर से बसें जा रही हैं, जहां से निकली वहां चैक होगी। आप इससे क्या समझते हैं ? एक तो वैसे ही समय पर नहीं चलते उसके बावजूद डायरेक्ट बसें हैं, डीलक्स बसें हैं, एक्सप्रेस बसेज हैं, 15-20 मिनट तक उन यात्रियों को खड़ा रखा जाता है केवल इस बात के लिये कि यहां चैकिंग होगी। तो इसको बंद करिये। थोड़ा ध्यान रखें।

आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 14 करोड़ का मुनाफा जो बताया गया कि रोडवेज ने शुद्ध लाभ लिया है, मेरा निवेदन है कि मेरे कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो बतायें। यह यह शुद्ध लाभ है या मुनाफा है तो मैं बधाई देती हूं लेकिन ऐसा नहीं है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से दें। निगम के कर्मचारियों ने इजराहों का भुगतान करने के बाद कितना पैसा बचेगा ? क्या निगम में इस देनदारी पर स्टे है ? अगर यह सारा कर्जा चुका दिया जाय, जो कर्मचारियों को पैसा देना है तो बचत कितनी होगी ? मंत्री महोदय जब उत्तर दें तब बतायेंगे।

मान्यवर, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि 90-91 में केन्द्रीय कार्यशाला में पुराने वाहनों को और पुराने सामान को कितने में बेचा गया ? क्या इसकी बचत को भी लाभ में जोड़ा गया है।

मान्यवर मैं यह भी जानकारी करना चाहूंगी कि जो बसें 90-91 में नयी बसें मार्ग पर लगाई हैं, उनकी संख्या कितनी है ? मैं यह जानना चाहूंगी कि कितनी बसें बनने के लिए दी इन दिनों में 90-91 और 91-92 में ? क्या आपको सही समय पर उतनी बसें मिली यदि नहीं मिली तो आपको कितना नुकसान हुआ ? उसके विरूद्ध आपने इनका भुगतान किया, जो समय पर बस नहीं दी ? आपको थोड़ा बहुत पैसा देना था, उसके विरुद्ध 1 करोड़ 14 लाख का भुगतान किया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से दें। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी 1990 अप्रेल में जब चुनाव नहीं हुए थे, 700 परिचालकों की छटनी की गयी। जब यहां पर रिपोर्ट ली गयी तब रेश्यो बताया 1.42 का और अभी बहुत कम पर रेश्यो चला रहे है। आपने जिन परिचालकों की जो छुट्टी दी, उनकी आजीविका का कोई चिन्तन नहीं किया।

(5.16 म.प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करता चाहूंगी कि 277

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दिन की हड़ताल के बाद आमरण अनशन पर दो आदमी थे। मुख्यमंत्रीजी उस समय विपक्ष के नेता थे, उन्होंने आश्वासन देकर उनकी भूख-हड़ताल तुड़वायी थी। यह चित्र मेरे पास मुख्यमंत्री के हड़ताल तुड़वाने के अवसर का है। मैं पूछना करना चाहूंगी कि कितनी बसें बिना परिचालकों के चल रही हैं? अगर परिचालक होते उन बसों पर और बीच में टिकट काटने की सुविधा होती तो कितना लाभ हमारी रोड़वेज को मिल सकता था? मैं यह भी निवेदन चाहूंगी कि जिन रूट्स पर, मार्ग पर रोडवेज की बसें चलती हैं उन्हीं मार्गों पर आल इंडिया परमिट की बसें चलवा रखी हैं उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कितना नुकसान आप वर्तमान में इस व्यवस्था को दे रहे हैं? अगर आपको बसें मिल जाती तो गंगानगर में जहां आप एक बस भेजते हैं, वहां तीन बसें भेजी जा सकती थी। बीकानेर के इलाके में आप कम बसें भेजते हैं, झालावाड़ में कम भेजते हैं। मैं निवेदन करूं कि दूरदराज के लोग जो सुविधा चाहते हैं, उन पर नये मार्ग खोलते तो आप लोगों की सेवा कर सकते थे। जिस प्रकार से वर्तमान में निगम कार्य कर रहा है, मैं उस कार्य पद्धति को उचित नहीं मानती हूं। बिना कण्डक्टर के कहीं बस देखी है? कल रात को आगरा से आयी हूं। रास्ते में एक व्यक्ति बोला कि मुझे ले लो। ड्राइवर ने कहा, मेरे पास कण्डक्टर नहीं है जो आपका टिकट बना दे। उसने कहा मेरे घर पर कोई मर गया है जयपुर में, मुझे वहां जाना है। लेकिन उसे ड्राइवर कैसे बैठाता, उसे छोड़ दिया। मुझे सामने का अनुभव नहीं था मैं केवल बात करती थी। बाड़मेर-जोधपुर की तरफ आप बिना परिचालकों के बसें चल रही हैं, मैं समझती हूं कि यह स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप कमीशन देकर बसें चला रहे हैं, मेरे साथियों ने सिफारिश की होगी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप उन्हीं को बस रुकवाकर बैठा लेतीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कैसे बैठा लेती? मैं बस चलाने वाली थोड़े थी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बसों की स्थिति खराब है। अभी जगमाल सिंह जी बता रहे थे कि 7 वर्ष में बस कण्डम हो जाती है। अगर नयी बस चलती तो कितना अच्छा होता लेकिन नयी नहीं चलाकर कण्डम बसें चला रखी हैं। हार्न बजे या नहीं बजे, पूरी बॉडी बजती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सीट और पर्दे की स्थिति खराब है। यात्री तो पैसा देकर जाता है और आप बसों का किराया बराबर बढ़ाये जा रहे हैं बिना सुविधाओं के बस स्टेण्डों की हालत देखो तो खराब।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इन यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की ओर आपका ध्यान नहीं है, केवल कोर्ट की स्थिति सम्भालने की तरफ आपका ध्यान है। जिन मामलों में आप लोग ठीक समय पर कर्मचारियों को भुगतान नहीं करते हैं, उनकी पदोन्नति नहीं करते है, उनको जो देय है, वह नहीं देते हैं तो वह कोर्ट में जाते हैं और वह ठाठ से जीतकर आते हैं। उन पर आप स्टे लेते हैं। क्या यह स्थिति अच्छी मानी जा सकती है? मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बसों की सुविधा बढ़ायी जाय, बसें ज्यादा बढ़ायी जाय और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बस के रूट्स बढ़े। उन मार्गों पर जहां पर राजस्थान परिवहन निगम की बसें ही चलती हैं, वह बसें ही चलनी चाहिये। आप दो तरह की पद्धतियों को लेकर चल रहे हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक तो निजी बस सर्विस चलती है और एक आपकी बसें हैं। निजी बस सर्विस अच्छी है, आपकी बस सर्विस खराब है। वे ज्यादा सुविधापूर्ण हैं, आपकी असुविधापूर्ण है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वे कम पैसे लेती हैं और ठीक टाइम पर पहुंचाती हैं और आप पैसा भी ज्यादा लेते हैं, उनको टाइम पर नहीं पहुंचाते और असुविधा भी पैदा करते हैं। मैं इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सिफारिश कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि परिवहन निगम की बसों में यह सब सुविधा हो, तत्परताएं ये हों जिस प्रकार की होनी चाहिये। मैं तो बिल्कुल भी निजी क्षेत्र को देने की हामी नहीं करती।

आपने रीजनल मैनेजर्स को हटा दिया और जो मैनेजर्स थे, आगार प्रबन्धक, उनको सारा काम सौंप दिया। वे केवल आगार का काम देखते हैं, पूरे रीजन का काम नहीं देख सकते। इसकी ओर किसी की निगाह नहीं गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस बस सुविधा को सुचारू और सम्पन्न आप करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या क्या कहना चाह रही हैं, मेरी समझ में नहीं बैठा। अगर रीजनल मैनेजर को हटा दिया और उसको सक्षम कर दिया तो उसमें कौनसा अपराध कर दिया ?

श्री सभापति : उनको ऐतराज है। उनको बोलने दीजिये। उनको ऐतराज है इस बात पर।

श्री जगमाल सिंह यादव : केवल कंडक्टर को सस्पैंड करने और बहाल करने का काम करता था। अगर तोड़ दिया तो बहुत बढ़िया बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, बसें कैसे ठीक समय पर पहुंचेगी, कहां चलेगीं, रूट की क्या स्थिति है, कितनी वहां अपेक्षाएं हो सकती हैं, वह सारा काम करता था। मान्यवर, मैं आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगी, न आपने जो

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सुझाव दिये हैं, उनको कोई तरजीह देती हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मैं चाहती हूं कि अपने प्रदेश में बसें अच्छी चलें, बस सुविधापूर्ण ढंग से चलें, बस समय पर पहुंचे और रूट्स नये खोले जाय।

मैं चाहूंगी कि जिनको छंटनी करके निकाल दिया, आपके परमानेंट थे, उनको आपने कैसे छटनी कर दिया ? उनके मामले में आप सोच ही नहीं रहे। 700 आदमी आपके ऐसे बेकार पड़े घूम रहे हैं। आपको जरा भी दर्द नहीं है। आप क्या इस मामले में कहना चाहते हैं ?

मैं कहना चाहूंगी कि जो खिड़की पर टिकट काटता है, वह आपने परिचालक को कर दिया। आपने उनकी छुट्टियों का ध्यान नहीं रखा। कितनी कम सुविधा परिचालकों की बढ़ाई है। मेरा निवेदन यह है कि इन सारे मामलों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

को सारे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए रोडवेज का जो आप यहां पर कह रहे हैं कि विशुद्ध लाभ है, मैं कह रही हूं कि देनदारी निपटा कर आपके पास कितना बचेगा। वह सारा आप जवाब दें।

श्री सभापति : श्री रतना राम चौधरी।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, आज राजस्थान पथ परिवहन निगम पर जो चर्चा हो रही है, उसमें मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो काफी चर्चा की, उस पर नहीं बोलकर के हमारे जालोर जिले में जो निगम की बसों की अव्यवस्था है, उनके बारे में, सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे परिवहन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बाड़मेर से जो बसें चलती हैं, वे सुन्दा माता आकर रुक जाती हैं रात भर वे बसें वहां पड़ी रहती हैं। उनको करीब 20 किलोमीटर दूर जो पंचायत समिति जसवन्तपुरा है, वहां तक चलाई जाय तो रोडवेज को ज्यादा फायदा होगा और आने जाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। ऐसी अव्यवस्था है कि एक रूट पर 10-10 गाड़ियां 10-15 मिनट में एक दूसरे के पीछे दौड़ती रहती हैं। परन्तु ऐसे कई जो महत्वपूर्ण रूट हैं, उन पर 4-5 घण्टे में एक भी बस नहीं चलती हैं। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है, माननीय मन्त्रीजी, कि जिला हैडक्वार्टर पर परिवहन विभाग की एक कमेटी जिलाधीश की अध्यक्षता में जन-प्रतिनिधियों की बनाई जाय जिससे जिले का टाइमटेबल, रोडवेज का समय और अन्य प्रकार की अव्यवस्था के बारे में ज्यादा उपयोगी सुझाव दे सकते हैं जिसमें रोडवेज कर्मचारी भी होंगे। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिला हैडक्वार्टर पर तमाम राजस्थान में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जन-प्रतिनिधियों की समिति बनाई जाय।

दूसरे रोडवेज की जो लम्बे रूट हैं, उन पर अच्छी कण्डिशन वाली बसें चलाई जायं और छोटे रूट्स पर अगर पुरानी बस चलाते हो तो कोई बात नहीं है। परन्तु लम्बे रूट पर ऐसी बसें चलती हैं कि बस में बैठा हुआ यात्री यह महसूस करता है कि हम समय पर हमारे गांव पहुंच सकेंगे या नहीं, खड़खड़ाती बस, शीशे टूटे हुए और जर्जर, अगर सावधानी से नहीं चले तो जो सड़कें टूटी हुई हैं उससे लोगों को कहीं खरोंच नहीं लग जाय, जिससे बड़ी भारी चोट भी पहुंच सकती है। ऐसी व्यवस्था पर भी निगम को पूरा ध्यान देना चाहिये।

सिरोही से, माउण्ट आबू से, आबू रोड से, सांचोर से अनेक प्रकार की ढेर-सी बसें सुन्दा माता आती हैं, वहां अड्डा बन जाता है। वहां लोग, मुझे कहना तो नहीं चाहिये, दारू पीते हैं, वहां कई तरह की रंगरेलियां होती हैं। इसलिये बसों को ज्यादा एक जगह नहीं रखकर के अलग डिपो में अलग तरह से व्यवस्था होनी चाहिये।

रानीवाड़ा में हमारा बस स्टेशन भी नहीं है। रानीवाड़ा में बस को ठहराने की कोई जगह नहीं है। पहले एक प्राइवेट व्यक्ति

(श्री रतना राम चौधरी)

ने रोडवेज की बसों को ठहराने की कोई छोटी-सी व्यवस्था की थी। वहां ठहराने से हमारे रोडवेज को बहुत ही घाटा हुआ। इसलिये रोडवेज को ऐसी जगह पर ठहराना चाहिये जिससे रोडवेज को ज्यादा लाभ मिले क्योंकि गलत जगह पर खड़ी करने से प्राइवेट जो टैक्सीयां चलती हैं, उनमें ज्यादा-तर सवारियां चली जाती हैं और रोडवेज की बसें रोड पर खाली दौड़ती रहती हैं। इसलिये पुराने वाला जो प्राइवेट व्यक्ति ने बस को ठहराने के लिये जो बनाकर के दिया था, उनको वहां खड़ा नहीं किया जाय और अलग से ठीक तरह से कोई व्यवस्था करके अविलम्ब रोडवेज का रानीवाड़ा में बस स्टेशन बनाने की तरफ माननीय परिवहन मन्त्रीजी इस ओर ध्यान देकर व्यवस्था करेंगे। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, एक अक्टूबर, 1964 को इस राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी और इस प्रदेश के अन्दर सस्ती, सुलभ और समन्वित सड़क परिवहन सेवाएं हम यात्रियों को दे सकें, इस उद्देश्य को लेकर इस निगम की स्थापना की गई थी।

मुख्य मन्त्रीजी यहां बैठे हुए हैं, 1990 में जब वे मुख्य मन्त्री बने तब रजत जयन्ती वर्ष था लेकिन वे तो रजत जयन्ती वर्ष नहीं मना सके क्योंकि तब लम्बी हड़ताल चली थी, 70 दिन हड़ताल चली थी। औद्योगिक विवाद के कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबन्धक और श्रमिकों के बीच में जो मधुर सम्बन्ध होने चाहिये, वे नहीं थे। इस बात का यह सबूत है।

माननीय सभापति महोदय, सस्ती, सुलभ और समन्वित सेवा का उद्देश्य लेकर इस निगम की स्थापना हुई थी लेकिन सबसे पहले तो मैं सफाई को ही लूंगा। सफाई का आलम यह है कि जहां से, स्टार्टिंग पाइण्ट से बस चलती है, इविन इन जयपुर, वहां केवल डीलक्स और सेमी-डीलक्स की बात तो आप छोड़ दीजिए बाकी जो साधारण बसें हैं उनमें 6-6 इंच गर्द मूंगफली के छिलके और सब तरह की गन्दगी उनमें पड़ी हुई रहती है। सब तरह की गन्दगी। मैं कहती हूं कि इतना सब खर्चा होने के बाद भी सफाई की तरफ निगम के प्रबन्धकों का ध्यान क्यों नहीं जाता है ? हालाकि मैं तो उन लोगों में से हूं कि जब बस में जाती हूं तो सबसे पहले कहती हूं कि इसे पहले साफ करो और उसके बाद बस में लोग बैठेंगे। उसके बाद भी सफाई की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं, हालांकि इस बात को यहां पर पहले कह दिया गया है, निगम का उद्देश्य था कि इस प्रदेश के अन्दर सड़क मार्गों का शत-प्रतिशत राष्ट्रीयकरण करने का। इसने अपनी रजत जयन्ती मना लेने के बाद, रजत जयन्ती तो नहीं मना सके लेकिन 25 वर्ष पूरे होने के बाद भी हम अब तक 29.90 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण करके उनके ऊपर अपनी यह परिवहन की बसें चला रहे हैं। मैं कहती हूं कि न आप सस्ती, सुलभ और समन्वित सेवाएं दे पाये, न आप

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य लेकर जो चले थे वह कर पाये ।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने, जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने भी और उधर से बोलने वाले सदस्य भी कह रहे थे कि पिछले वर्ष में हमने 12 करोड़ का मुनाफा कमाया । यह जो प्रतिवेदन आज सदन के सामने रखा गया है, माननीय सभापति महोदय, यह तो 1990-91 का है और 1990–91 के प्रतिवेदन पर जब यहां पर चर्चा हो रही है तो इसमें 1209 लाख रुपये का घाटा है । यह जो 1209 लाख रुपये का घाटा हैं, इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि जहां सफाई नहीं हुई है वहां समय की पाबन्दी भी नहीं है । समय की पाबन्दी स्टार्ट होते समय भी नहीं है, रवाना होते समय भी नहीं है और आगमन होते समय भी नहीं है। वर्ष 1989-90 के अन्दर जो समय की पाबन्दी थी रवाना होने में और वापस आगमन में उसके प्रतिशत में भी घटोतरी हुई है । यह इनके स्वयं के आंकड़े बोल रहे हैं। 1989–90 के अन्दर समय की पाबन्दी का प्रस्थान करते समय जो 93 प्रतिशत था वह 1990–91 में घट कर 92 प्रतिशत रह गई और आगमन बसें, आने वाली बसें जो 1989–90 में 96 प्रतिशत था वह 1990–91 में घट कर 95 प्रतिशत रह गई। इस प्रकार से न केवल समय की पाबन्दी की इन्हें चिन्ता नहीं है बल्कि कुल वाहन औसत संख्या आफ रोड वह प्रतिशत भी 1989–90 के मुकाबले 1990–91 में बढ़ गया । औसत दौड़ तो आपकी घट गई और औसत वाहन आफ रोड जो हैं, वह बढ़ गए। वर्ष 1989-90 में यदि प्रत्येक वाहन रोजाना 281 किलोमीटर चलता था तो 1990-91 में वह वाहन 271 किलोमीटर चला है । प्रतिदिन यात्रियों को लाने-ले-जाने की संख्या भी घट गई 1990-91 में, हालांकि आबादी बहुत अधिक बढ़ गई, संख्या भी बसों की बढ़ गई लेकिन यात्रियों की संख्या जो है वह घट गई। उसका मतलब यह है कि या तो प्राइवेट बसेज में लोग जाने लगे या दूसरे रोड़वेज की बसें चलती हैं उनमें लोग जाने लग गए। जैसे दिल्ली की, दूसरे प्रदेशों की रोडवेज की जो बसें चलती हैं, हरियाणा रोड़वेज चलती है, दिल्ली की भी चलती हैं या फिर प्राइवेट बसेज में जाने लग गए या दूसरे कारपोरेशन की बसेज में जाने लग गए । तभी तो आपकी यात्रियों की संख्या घट गई ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि यद्यपि 1989-90 के मुकाबले में 1990–91 के अन्दर कुल जो पूंजी का नियोजन था, वह तो बढ़ा 1989–90 में 13,586.87 लाख था वह बढ़ कर 18,275.14 लाख हो गया लेकिन प्रति किलोमीटर आय 1989-90 में 554 थी, वह बढ़ी हुई तो है 613 लेकिन यह बढ़ती है किराया बढ़ाने से। 1990-91 में किराया 30 प्रतिशत, एकदम 30 प्रतिशत बढ़ाया था, सेमी-डीलक्स और डीलक्स में तो 31 पाइण्ट समथिंग बढ़ाया है । इसलिए यह जो किराया बढ़ाया है, उसके बाद भी प्रति किलोमीटर आय कम हुई है ।

1989-90 के अन्दर आय जहां 554

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

थीं और लागत 553 ही थीं वहां 1990-91 में आय तो 613 प्रति किलोमीटर हो गई लेकिन 613 प्रति किलोमीटर पर पैसा होना चाहिए लेकिन लागत हो गई 666। इसका मतलब यह है कि 53 पैसे प्रति किलोमीटर लागत बढ़ गई। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, 1988–89 में हानि, 1989–90 में हानि और 1990–91 में हानि। 1992 का जिक्र मैं इसलिए नहीं करूंगी, क्योंकि प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है 1991 के। इसलिए लगातार हानि रोडवेज को उठानी पड़ रही है।

इस बारे में मैं निवेदन कर रही थी, वैसे तो किसी भी उद्योग के अन्दर, यह भी एक तरह से उद्योग ही है, श्रमिकों और प्रबन्धकों के अच्छे और मधुर सम्बन्ध होने चाहिए लेकिन यह औद्योगिक विवाद तो चला ही है लेकिन इसके अलावा श्रमिकों के कल्याण के लिए भी जो एक्टिविटीज चलाई जानी चाहिए, वह जिस तरीके से चलाई जानी चाहिए वह परिवहन निगम में नहीं चलाई जा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे पत्र-पत्रिकाएं रखना, वाचनालय, पीने के पानी की कोई व्यवस्था हो, कण्डेक्टर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए रेस्ट रूम हो, खेल–कूद आदि कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। लेकिन आपको बड़ा ताज्जुब होगा यह जानकर कि केवल श्रमिकों के लिए एक आगार के पीछे दवाइयां खरीदने का जो प्रावधान है, वह यदि किसी ने देखा हो, जो इस प्रगति प्रतिवेदन में दिया है, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि एक आगार के पीछे 30 रुपये महीने की दवाई का प्रावधान है। मुझे आप बताइए, दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं पिछले दो-ढाई महीने से, उनमें 30 रुपये एक आगार, एक डिपो में। उस डिपो में एक्सिडेंट्स भी होते हैं, और भी कई तरह की बातें होती हैं उसके अन्दर 30 रुपये का प्रावधान मैं समझती हूं कि यह बड़ी नाकाफी है। इसलिए इस प्रावधान को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि 1990–91 के प्रतिवेदन में 25.01 लाख रुपये निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाने का प्रावधान है और यात्री सुविधाओं के लिए इसमें कितना पैसा है, बड़ा ताज्जुब होगा सदन को...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं 5 मिनट भी नही बोली हूं। मुझे अपनी बात तो कम्प्लीट करने दीजिये।

श्री सभापति : पूरा कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने घंटी बजाकर मेरी सिक्वेंस तोड़ दी। मैं तो 2–3 मिनट में समाप्त कर दूंगी।

श्री सभापति ; मैंने शीघ्र समाप्त करने का संकेत दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं वैसे ही कर देती लेकिन आपने मेरी सिक्वेंस तोड़ दी।

आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं यात्री सुविधाओं की बात कर रही हूं? मैं कह रही हूं कि निर्माण कार्यों के लिए निगम ने 25.08 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा और यात्रियों की सुविधाओं के लिए

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

केवल 2.54 लाख, यह नेगलीजेबल है। यह जब एक तरफ अपने उद्देश्य में इस बात को कहते हैं कि सस्ती, सुलभ और समन्वित यात्री सेवाएं लोगों को दे सकें, उस हालत में निर्माण कार्यों पर इतना खर्चा करके यात्री सुविधाओं पर कम खर्च किया जाए, मैं समझती हूं कि यह उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, वैसे तो निगम ने कहा है कि उन्होंने कुछ वर्गों को रियायती यात्रा सुविधायें दे रखी हैं और कुछ को जैसे विधायकों को, स्वाधीनता सेनानियों को उनको जैसे कहना चाहिये मुफ्त में, हां पत्रकारों को भी (व्यवधान) एक ही बात है चाहे असेम्बली देती हो, आप पैसा तो नहीं देते हो, केवल फार्म भर करके देते हो, पत्रकारों को इनको आप देते हैं। कुछ लोगों को रियायती दर पर भी देते हैं। इन रियायती दर पर देने वालों में जैसे विद्यार्थी वर्ग है, मेरे बात समझ में आती है, कर्मचारी वर्ग है, कैन्सर के रोगी हैं, अपंग हैं, युद्ध में शहीदों के लिये विधवाओं एवं उनके अवयस्क बच्चों को रियायती सुविधायें हैं। पहली बात तो यह है कि युद्ध में शहीद हुये लोगों की विधवाओं को इस सुविधा की जानकारी ही नहीं है। पहली बात तो उन्होंने बना ही नहीं रखे हैं। मैं यह जानना चाहती हूं आपसे, मंत्रीजी, मुझे बतायेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी वर्ग, यह व्यापारिक प्रतिष्ठानों कौनसे जिनमें कार्यरत कर्मचारी को भी यह रियायती सुविधा दी गई है, मैं यह जानना चाहती हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि यह व्यापारिक प्रतिष्ठान कौनसे हैं? जिनको यह रियायती सुविधा दे रखी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करते हुये कि इस बार जो हमने 1990–91 का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, इसमें 1209 लाख का घाटा है, न समय पर आपकी बसें चली हैं, न बसें समय पर आपकी आई हैं, न कर्मचारियों को किसी प्रकार की श्रम कल्याण की सुविधायें प्रदान की है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता हैं। इसको लाभ में लाने की, अगली बार जैसा आप कह रहे हैं, सब चर्चा करेंगे, कि लाभ में आप कैसे लाये और कैसे नहीं लाये लेकिन मैं इस बात के लिये भी आगाह करती हूं कि चूंकि डीजल के और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई इसलिये फिर आप यात्री किराया बढ़ायेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी क्या राय है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी राय है कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। मैं यह राय दूंगी आपको कि बढ़ाया जाये ? मैं इतनी बेवकूफ हूं जो कहूंगी कि बढ़ायें ?

मैं यह निवेदन कर रही थी कि यदि आप किराया बढ़ा कर मुनाफे में आने की बात सोचते हैं तो मैं समझती हूं कि यह जन कल्याणकारी राज्य है और इस प्रकार से यह जो निगम घाटे में हैं, उन निगमों में सुधार की आवश्यकता है और इसमें सुधार कीजिये।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज राज्य

(श्री बंशीलाल पटवा)

परिवहन निगम के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है और कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। जब से परिवहन निगम की स्थापना की गई थी निरन्तर यह निगम घाटे में चलता आ रहा है। ताजा स्थितियों में प्रोफिट अर्जित किया, यह एक अच्छी शुरूआत है लेकिन पिछले लम्बे अन्तराल में घाटे की व्यवस्था क्यों चली, घाटा क्यों हुआ, समय समय पर निगम के अधिकारियों ने समीक्षा भी की लेकिन गहराई में जायेंगे तो पता चलेगा कि चाहे कोई भी निगम हो, कोई भी सैक्टर हो, उसमें व्यवस्थायें जब तक काम्पीटेन्ट नहीं हैं, सक्षम नहीं है, समय-समय पर यदि मोनीटरिंग नहीं होता है, सुपरवीजन ठीक नहीं होता है तो वह व्यवस्था ठीक नहीं चल सकती और ठीक से नहीं चल सकती तो घाटे की एक दिशा धारण कर लेती है। राज्य परिवहन निगम में जो निरन्तर घाटे की व्यवस्था बनी रही, उसके पीछे कई कारण रहे होंगे और उन कारणों के पीछे यदि आप गहराई से जायेंगे तो कई बार इसी तरह की स्थितियां थीं। लीकेज बढ़ते गये और इसके साथ–साथ जो सुपरवीजन और मोनीटरिंग होना चाहिये, वह बराबर नहीं हो सका। ताजा स्थितियों में सुधार की शुरूआत हुई, उसके पीछे कारण तो और भी कई रहे होंगे जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि देनदारियों और लेनदारियों का भी लेखा–जोखा लिया जाये। सारी स्थितियां हो सकती हैं, देनदारियां इतनी नहीं हैं फिर भी चूंकि परिवहन निगम जो प्रोफिट में आया है इसके लिये मैं निगम के अधिकारियों को और कर्मचारियों को बधाई प्रेषित करता हूं। पिछले काल में जब हमने निगम की स्थापना की, मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया, जिन उद्देश्यों को लेकर, जिस नीति को लेकर, जिन भावनाओं को लेकर जनता के हित में हमने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बसें चलाई, उस समय बड़ा विराध हुआ और हम लोगों ने भी विरोध किया लेकिन आज हमको गहराई से विचार करना पड़ेगा कि निगम को यदि प्रोफिट में लाना है तो हमको समीक्षा करनी पड़ेगी। पिछले अन्तराल में जो व्यवस्थायें थी उनकी भी समीक्षा करनी पड़ेगी। आगे जाकर हम किस तरह सुधार कर सकते हैं, इसकी भी हमको शुरूआत करनी पड़ेगी। आज जो डीलक्स बसें हैं, उसमें तो सुविधायें हैं लेकिन जो छोटे मार्गों पर बसें चलती हैं, इन बसों की स्थिति यह है कि हॉर्न तो नहीं बजता लेकिन बाकी बाडी का सब कुछ बोलता है। ऐसी स्थिति है बसों की, कुछ डिलक्स बसें ऐसी भी हैं जिन पर रंग-रोगन तो करवा दिया लेकिन अन्दर बैठने की व्यवस्थायें ठीक से नहीं है। तो यह सारी स्थितियां देखनी पड़ेगी और निगम को मेरे अपने हिसाब से, मेरे अपने विचार से जो प्रोफिट के मार्ग हैं, बड़े मार्ग हैं, उन पर विचार करते हुये हम उन पर बसें चलायें और इसके साथ-साथ छोटे जो मार्ग हैं उनको यदि हम निजी क्षेत्रों में दें, क्योंकि आज छोटे मार्गों पर जो बसें चलती हैं, दूसरे स्टेट्स में आप गुजरात चले जाओ, आज वहां राज्य परिवहन निगम की बसें छोटे छोटे गांवों में जाती है और पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ वहां पर और स्थिति है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की ओर से सुविधा देना चाहते हैं तो छोटे मार्गों पर, आखिर में जो छोटे कस्बे

(श्री बंशीलाल पटवा)

पड़ते हैं वहां पर हम यात्रियों की दृष्टि से हम सुविधायें नहीं बढ़ायेंगे तो निगम की दृष्टि से यह सेवा, जो हम जनहित में विचार करते हैं. निरर्थक साबित होगी। इसके साथ लीकेज की भी बात है। लीकेज काफी कम किये गये हैं और लीकेज काफी बन्द करने के कारण ही, मैं सोचता हूं, काफी प्रोफिट में आये और इसके साथ साथ और भी कई सुधार करने की आवश्यकता है जैसे रोड़वेज के बस डिपो जितने भी बने हुये हैं वहां पर आज भी, बड़े आप सिंधी कैम्प को छोड़ दीजिये जयपुर के या अजमेर के बस डिपो को छोड़ दीजिये, बाकी जगह के डिपो पर आप चले जाइये, कूड़ा–कचरा पड़ा हुआ है, मवेशी घुसे हुये हैं उसके आजू–बाजू निगम की जो जमीनें फालतू पड़ी हुई हैं वहां पर दुकानें बना करके लोगों को दे सकते हैं, सुविधायें बढा सकते हैं, निगम को आमदनी हो सकती है, इस तरह का विचार किया जा सकता है। इसके साथ–साथ छोटे–छोटे मार्गों पर आज हम बसें नहीं चलाते है और अनआथोराइज्ड बसें चलती हैं जिसके कारण भी निगम को घाटा हुआ है लेकिन वह लीकेज भी बन्द किया गया और इसके लिये भी एक अभियान चलाया गया। यह एक अच्छी शुरूआत है। अनआथोराइज्ड मेटाडोर और बसें जो चलती हैं, उनको रोका गया जिसके कारण भी निगम को लाभ हुआ लेकिन छोटे गांवों से, जैसे मांडलगढ़ कोई बस जाती है तो रास्ते में टांडा पड़ता है, आकोला रास्ते में पडता है, रुपायेली रास्ते में पड़ता है, इस तरह के कई अर्बन एरिया के जो रूट्स हैं जिन पर छोटे छोटे गांव हैं, या तो हम उनमें सुविधायें बढ़ायें या सुविधायें नहीं बढ़ायें तो टैम्पो और आटो को हम छूट दें, वह बाकायता परमीशन ले ट्रान्सपोर्ट आथेरिटी से और ट्रान्सपोर्ट विभाग में अपना टैक्स दे। तो जन सुविधाओं का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। बसों में सुधार करना चाहिये और इसके साथ-साथ छोटे–मोटे और भी सुधार हैं, उसकी दृष्टि से सोचते हुये आमदनी के जरिये किस तरह से बढ़ सकते हैं, हम यह विचार करें। मैं इस पक्ष का हूं कि हम सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र में भी बसें चलायें, कोई एतराज की बात नहीं है लेकिन जो निगम का काम है, वह निगम करे और बाकी जन सुविधा की दृष्टि से जो छोटे-छोटे रूट्स हैं, उस पर हम विचार करें। जन सुविधा की दृष्टि से आटो चल सकती है, आटो चलायें और टेम्पो चल सकता है, उनको हम परमिट दे, टैक्स लें ताकि कम से कम वह लीकेज तो बन्द हो और जनहित की दृष्टि से हम ख्याल करें।

इसके साथ–साथ केवल यह सोचें कि अनधिकृत बसें चल रही हैं, मेटाडोर चल रही हैं, इनके बन्द करने से हम निगम को तो लाभ दे देंगे लेकिन इससे जन सुविधाओं में भी कमी होगी तो इसका भी हम यथार्थता के आधार पर विचार करें। यदि यह विचार नहीं करते हैं तो जन सुविधाओं में कमी होगी और जैसा कि अभी कहा गया है कि टैक्स बढ़ाने वाली बात है, पिछले समय में टैक्स बढ़ाया गया, डीजल के भाव बढ़ेंगे तो टैक्स बढ़ेगा: बसों का किराया बढ़ेगा। डीजल के भाव बढ़ेंगे तो मेरठ से जो गुड़ आएगा, वह भी महंगा मिलेगा। तेल तो तिलों से ही निकलेगा, घाणी–लाठ से नहीं निकलने वाला....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री बंशीलाल पटवा)

मेरा यह निवेदन है कि अच्छाई-बुराई एक दूसरे की पूरक हो सकती है लेकिन बुराई को किस तरह से हम निगम में मिनिमाइज कर सकते हैं, जन सुविधा किस तरह से दे सकते हैं। बड़े रूट्स पर फायदा हो तो उनका उपयोग हम निगम के हित में किस तरह से कर सकते हैं। छोटे रूट्स को निजी क्षेत्र को किस तरह से दे सकते हैं। इन गहराइयों पर विचार करते हुए एक बार यदि हम सुधार करना चाहते हैं तो दूसरी स्टेट्स से हमको कम्पेरिजन करना चाहिये क्योंकि दूसरी स्टेट में, जैसे गुजरात में बसों की सर्विस सबसे अच्छी है और इसके साथ साथ मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि राजस्थान रोडवेज में निगम की जितनी भी बसें है, उनमें अकोमोडेशन ज्यादा है। अच्छी बनी हुई है। आज हरियाणा में चले जाइये। हरियाणा की बसें जो यहां से चलती हैं उसमें सुविधा जरूर मिलेगी लेकिन हरियाणा में यदि आप देखेंगे तो वहां की बसों की जो बोडी बनी हुई है वह ज्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, अकोमोडेशन भी नहीं है। इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं कि 45 सीट्स क्यों कर दी? 52 सीट होनी चाहिये। आज मान लो, निगम का टैक्स कम लगता है, लोगों को सुविधा ज्यादा बढ़ सकती है तो 52 से 45 करने में कोई एतराज नहीं है। इससे निगम को कोई घाटा होने वाला नहीं है, लोगों की सुविधा बढ़ेगी।

इस दृष्टि से छोटे-छोटे सुधार किये जा रहे हैं, उनकी हमको तारीफ करनी चाहिये और जहां बुराई हो, उसकी आलोचना करने में भी हमको कोताही नहीं बरतनी चाहिये लेकिन जो इस तरह के मामले हैं उनकी समुचित रूप से समीक्षा करें, दूसरे स्टेट्स से भी हम कम्पेरिजन करें।

बस अड्डों के ऊपर हम सुविधाएं बढ़ाये, वहां साफ-सफाई की व्यवस्था करें और लोगों को यात्रा की दृष्टि से जो भी सुविधाएं हो, हम मुहैया करायें और इसके साथ साथ बस अड्डों के ऊपर जितनी भी लैण्ड खाली पड़ी हैं उसका हम उपयोग करें। मैंने कई तरह के बस अड्डे देखें हैं जहां पर सफाई की दृष्टि से लोकल डिपो मैनेजर कोई तवज्जो नहीं देता है और वहां पर यात्रियों को बड़ी जलालत की नीति का सामना करना पड़ता है। तो निगम इस दृष्टि से सुधार करें कि आमदनी किस तरह से बढ़ सकती है और जो पिछले काल में घाटा हुआ है, उसके पीछे कई कारण ऐसे रहे हैं। व्यक्ति जो भी हो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा निवेदन है, कोई भी सैक्टर हो, व्यक्ति का बड़ा असर होता है और यदि आपने व्यक्ति ढंग का लगा दिया तो वह सारी अव्यवस्थाएं ठीक कर सकता है और वह अव्यवस्थाओं को ठीक करके निगम को लाभ में लायेगा। पिछले काल में इस तरह की स्थितियां रही हैं। मैं बता दूं, मान लो उदयपुर से दिल्ली के लिए कंडक्टर जा रहा है तो डिपो मैनेजर कहता था उस समय कि व्हिस्की की दो बोतल ले आना, मौजे की जोड़ियां ले आना। तो फिर तेल तो तिलों में से निकलता है, घाणी-लाठा में से नहीं निकलेगा। इस तरह की लीकेज सबसे ज्यादा है और उन लीकेज को मौजूदा स्थिति में

(श्री वंशीलाल पटवा)

बंद किया गया है तो इस सरकार की आज हम सबको तारीफ करनी चाहिये, निगम के जो अधिकारी हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिये और अव्यवस्थाएं यदि कोई भी हों, उसकी आलोचना करने में भी कोताही नहीं बरतनी चाहिये क्योंकि निगम एक व्यापारी की दुकान है और बनिये की दुकान है। हम इसको किस तरह से लाभ में ला सकते है, बड़े रूट्स पर बसें चला करके लाभ में ला सकते हैं तो विचार करना चाहिये, निजी क्षेत्र में छोटे रूटस की बसें चलाने में यदि सरकार को लाभ होता है और जन सुविधाएं बढ़ती हैं तो मेरे ख्याल से इस तरह की कारगर व्यवस्थाओं पर विचार करना चाहिये और समय समय पर निगम के बारे में समीक्षा करते रहना चाहिये। मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा सदन में कि हम यथार्थता पर आधारित समुचित रूप से दूसरे स्टेट्स से कम्पेरिजन करते हुए इसको लाभ में अधिकाधिक किस तरह से ला सकते हैं, यह प्रयत्न हम करें। यह बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के 27वें प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है। काफी माननीय सदस्य काफी मुद्दों पर बोल चुके हैं। चूंकि आप समय कम देंगे, इसलिये आज निगम में जिस तरह से बहुत सी अनियमितताएं हो रही हैं, रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में किस तरह से बोर्ड ने संविधान के, सरकार के और विधान सभा के द्वारा बनाये कानूनों की खुली धज्जियां उड़ाई हैं, मैं उन्हीं के सम्बन्ध में अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरी में जहां डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वहां डिपार्टमेन्टल प्रमोशन होते हैं। सभापति महोदय, दिनांक 28.11.87 को बोर्ड ने डी.पी.सी. की। डी.पी.सी. में 38 लोगों की सूची निकाली कि जिनका प्रमोशन किया गया। जहां 30 वेकेन्सीज थीं, वहां 38 की सूची निकाली कि निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमोट किया जाता है। ट्रैफिक इंसपेक्टर और असिस्टेंट डिपो मैनेजर। असिस्टेंट डिपो मैनेजर का प्रमोशन होना था डिपो मैनेजर के लिए। दिनांक 2.12.87 को लिस्ट पब्लिश हो गई। जब लिस्ट पब्लिश हुई थी उस समय जिस तरह से बोर्ड के लोगों ने, उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने जिस तरह से आर्बिट्रेटरी तौर पर किया, फेवरेटिज्म किया और जिस तरह से गलत तरीके से प्रमोशन किया, कुछ लोग जिनका राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन इम्प्लायज सर्विस रेगुलेशन, 1965 की धारा 117 में जो रूल्स डिफाइन हैं, उनके आधार पर जब प्रमोशन नहीं हुआ तो वे लोग कोर्ट में चले गये। कोर्ट ने 3.7.90 को पहली हीयरिंग में एक आर्डर पास कर दिया कि यह गलत तरीके से प्रमोशन हुए हैं और सभापति महोदय, कोर्ट ने रूलिंग दी है कि—

"I am therefore of the considered opinion that selections made by the Recruitment Board/D. P. C. of the respondent Corporation on November 28, 1987 for the

(श्री जुबेर खान)

post of Depot Manager have not been done in accordance with the Regulations, 1965 and suffer from discrimination and arbitrariness and, therefore, are violative of Art. 14 & 16 of the Constitution. The order dated December 2, 1987 which was issued on the basis of the above mentioned selections made by the D. P. C. are, therefore, quashed and set aside. However, the persons selected and promoted on the post of Depot Manager shall continue to hold their posts for the period of four months from the date of this order within which period the respondent No. 1 i. e. the Corporation, shall hold fresh selections and give promotions strictly in accordance with Regulations, 1965. Such promotions shall be given w. e. f. December 2, 1987 with all consequential benefits."

ग्रौर इसके लिए 4 महीने का समय दे दिया क्योंकि बोर्ड के वकील ने समय मांगा था कि हमें समय चाहिये दुबारा डी. पी. सी. करने के लिए क्योंकि लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, नोटिसेज निकालने पड़ेगें इसलिए हमें इसके लिए 4 महीने चाहिये ग्रौर कोर्ट ने 4 महीने का समय दे दिया। सभापति महोदय, बोर्ड ने जिन लोगों को गलत तरीके से प्रमोशन कर दिया था, वे लोग डबल बैंच में गये ग्रौर डबल बैंच ने दिनांक 11-4-91 को उसी जजमेंट का वापस ग्रोनस कर दिया जो बैंच ने दिया था, यह कहकर कि यह जजमेंट हुग्रा है वह सही है, इसको एज इट इज रखा जाय। उसके बाद क्या होता है कि सीधे से कोर्ट के ग्रादेश को मानकर उस लिस्ट को क्वैश कर नये प्रमोशन करने चाहिये थे। उसके बाद बोर्ड ने 4 महीने तक इसका कोई काग्निजेंस नहीं लिया ग्रौर 7 महीने बाद कन्टेम्प्ट ग्राफ कोर्ट किया गया।

सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी राजस्थान विधान सभा में यह मामला उठाया था 3/92 में, तब ग्रध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि कुछ लोगों के केसेज चल रहे हैं जोधपुर हाई कोर्ट में इसलिए मैटर इज सबजूडिस, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। ग्राज तमाम कोर्ट से केसेज फाइनल हो चुके हैं, जोधपुर से भी ग्रौर जयपुर से भी। उसके बाद, सभापति महोदय, क्या होता है कि इन्होंने एक नई तरकीब निकाली। इन्होंने जिन लोगों को गलत प्रमोशन दे दिया था, जिनको ये लाभ पहुंचाना चाहते थे ग्रौर जिन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना चाहते थे, उन लोगों के साथ में एक चाल की ग्रौर इन्होंने एक नया ग्रार्डर पास किया कि हम प्रमोशन पर रिटन एक्जामिनेशन लेंगे जो कि ग्राज तक कभी नहीं हुग्रा था।

(6.00 सायं)

ग्रौर कोर्ट ने क्लीयर किया था कि 87 में जो डी. पी. सी. की है उसी ग्राधार पर डी. पी. सी. इन ग्रकोरडेंस विद दी रेगुलेशन, 1965 कीजिये। फिर उन्होंने एक नई

(श्री जुबेर खान)

चाल चलाई कि एक्जामिनेशन लेंगे क्योंकि गलत शुरूआत कर चुके हैं। सभापति महोदय, इन्होंने जो एक्जामिनेशन लेने की बात की, उसके खिलाफ लोग फिर कोर्ट में गए। कोर्ट ने फिर इनको स्टे दे दिया कि अब आप इसमें एक्जामिनेशन तो नहीं लगा सकते, आपको प्रमोशन्स उसी आधार पर करने पड़ेंगे। व डी. पी. सी. की मीटिंग जो दिसम्बर, 87 में की है उसी आधार पर करना चाहिए। कोर्ट ने इनके एक्जामिनेशन के सर्कुलर्स को स्टे कर दिया। उसके बाद में क्या होता है, सभापति महोदय, कि इन्होंने 2–3–92 को जो प्रमोशन लिस्ट थी, क्योंकि वहां से भी इनका कोर्ट का होता, 2–3–92 की लिस्ट को इन्होंने निरस्त कर दिया कि जो दिसम्बर, 87 में प्रमोशन हुए थे उन्हें सेट असाइड कर दिया। उसके बाद में क्या होता है कि जो लोग लिस्ट में थे, इनके चहेते अधिकारी थे, जिनको गलत तरीके से प्रमोशन दिया गया था वे लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने उनकी अपील डिसमिस कर दी कि आपकी अपील में कुछ नहीं है। आप लोगों का गलत तरीके से प्रमोशन हुआ है। वहां भी बोर्ड को कोर्ट से मात खानी पड़ी और उसके बाद, सभापति महोदय, कोर्ट क्यों गये ? इनकी तो नीयत खराब हो चुकी थी। बाद में इन्होंने कि 24-8-92 को जो डी. पी. सी. की थी उसमें एक नई चीज लगा दी कि अब हम ग्रेजुएट होंगे उन्हीं को प्रमोशन देंगे जबकि इस तरह का पहले कोई प्रावधान नहीं था। 24-8-92 को एक्ज्यूक्यूटिव डाइरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन) जो ट्रांसफर की वजह से आफ्टरनून में रिलीव होने वाले थे उन्होंने फोरनून में लिस्ट फाइनलाइज की क्योंकि उस अधिकारी ने कुछ लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना चाहा था और पहुंचाया। उनके क्या उद्देश्य रहे यह मैं सदन में नहीं कहना चाहता। उसके बाद में, सभापति महोदय, 8-9-92 को इन्होंने जब नए एक्ज्यूजेक्यूटिव डाइरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन) आ गए तो एक और दूसरी डी. पी. सी. की मीटिंग बुलाई, उसको थोड़ा लिगलाइज करने के लिए और 10-9-92 को इन्होंने फाइनल लिस्ट निकाल दी। जिसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि जो ग्रेजुएट होंगे उन्हीं को हम लेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यह क्लीयर गाइडेंस हैं कि आप किस तरह से प्रमोशन देंगे। इनके यहां बुकिंग ऑफिसर क्लर्क से होते हैं जिनका कि ये प्रमोशन करते हैं। उसमें क्लीयर दिया है कि 66 पर्सेन्ट प्रमोशन से होंगे, उनके लिए कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होती। उसके बाद में स्टेशन इंचार्ज और असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनेंगे, उसके बाद में जब वे थ्रू प्रमोशन असिस्टेंट डिपो मैनेजर होंगे तो उसके लिए 75 पर्सेन्ट सीट तो रिजर्व होगी प्रमोशन के लिए और 25 पर्सेन्ट लेंगे डाइरेक्ट। तो उसमें भी क्लीयर कहा है कि जो प्रमोशन होंगे डिपार्टमेंटली, उनके लिए क्वालिफिकेशन है स्टेशन मास्टर होना चाहिए या असिस्टेंट ट्रैफिक इन्स्पेक्टर होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए व 28 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। जब ये प्रमोशन से आ गए तो आप कहते हैं कि असिस्टेंट डिपो मैनेजर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर से जो डिपो मैनेजर के प्रमोशन होंगे वो 100 पर्सेन्ट होंगे। जब 100 पर्सेन्ट प्रमोशन से यह पोस्ट भर रहे

(श्री जुबेर खान)

हैं और इसमें क्वालिफिकेशन है for promotion from the department itself कि असिस्टेंट डिपो मैनेजर हो या ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो, with three years experience and with the 30 years of age. अब सभापति महोदय, आप यह देख लीजिए कि किस तरह से कोर्ट का इन्होंने मजाक उड़ाया। आज कोर्ट ऑफ कन्टेम्प्ट चल रहा है। आपके अधिकारी, यहां तक एम.डी. साहब वहां मौजूद होते हैं और कहा जा रहा है कि कोर्ट ने निर्णय ले लिया और डिसीजन सुनाना बाकी है और बार-बार इन्हें वार्निंग दी जाती है कि हम चीफ सेक्रेटरी को भी सजा दे चुके हैं कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट में, आपको भी देंगे। सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके आधार पर ये गलत तरीके से प्रमोशन लगातार अलग-अलग तरीके से किये जा रहे हैं ?

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब मैटर कोर्ट में था तो एक-दो अधिकारी ऐसे भी थे जो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कोर्ट की तो ये मानेंगे नहीं, ये तो सिफारिश या रिश्वत मांगेंगे। तो जब कोर्ट में मैटर था तो इन्होंने 2 व्यक्तियों का प्रमोशन करके 29.6.88 को डी.पी.सी- करके डिपो मैनेजर बनाया। आप यह देखिये कि किस तरह से इन्होंने रूल्स एण्ड रेगुलेशंस का मजाक उड़ाया है। 13.7.92 को इन्होंने आर्डर निकाले हैं।

'The Service Recruitment Board shall recommend the names to the appointing authority for appointment or promotion post after considering the cases of all persons included in the eligibility list and interviewing such of them as the Recruitment Board may deem necessary.

और उसमें क्लॉज था 117 (एफ) उसमें इन्होंने कहा 'of the said regulation is deleted. इन्होंने जो 1965 के रूल्स एण्ड रेगुलेशंस थे प्रमोशन के उनको सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेषों को नुकसान पहुंचाने के लिए या कुछ व्यक्ति विशेषों को फायदा पहुंचाने के लिए ये रूल्स बनाये। इसके बाद में सभापति महोदय, 7.9.92 को फिर एक आदेश आता है। उसमें कहते हैं, रिजोल्व करते हैं,

'It was resolved to fix the qualification for promotion to the post of Depot Manager from the post of A.D.M & T.I. as Graduate in Arts, Commerce, Science from a recognised Universty alongwith other recruitments for promotion.' तो इसके बाद इन्होंने यह तरीका निकाला और, सभापति महोदय, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो दिसम्बर, 87 में प्रमोशन लिस्ट साया की थी, क्या उसमें कोई व्यक्ति ग्रेजुएट से कम नहीं था ? उसमें मैट्रिक और सैकण्डरी के लोगों को प्रमोट किया गया था और आज जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग 20-20, 30-30 साल से सर्विस कर रहे हैं, उनको ये ग्रेजुएशन का आधार लगाकर हटाना चाहते हैं। मेरा यह मानना है कि इसमें कुछ ऐसे 2-4 व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता।

(श्री जुबेर खान)

यह हमारा सौभाग्य है कि सभापति महोदय पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और आपसे भी ये पीड़ित लोग मिले हैं। मैं आपसे सदन के माध्यम से मांग करूंगा, सभापति महोदय, कि आप तमाम प्रकरण को पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी में मंगवाइये और जांच कराइये और जो भी दोषी अधिकारी हैं, उनको सजा दीजिए क्योंकि रूल्स का वायोलेशन करते हैं।

सभापति महोदय, मैंने इसी सत्र में 131 का प्रस्ताव लगाया था उसमें बोर्ड ने जवाब दिया हैं कि "मैटर सब ज्युडिस है। सब ज्युडिस कौनसा है? आपके ऊपर कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है उसको क्या सब ज्युडिस मानते हो? कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, उसमें यह तय होगा कि आपने कोर्ट की अवमानना की है या नहीं की है। अगर की है तो आपको सजा मिलेगी। इसमें सब-ज्युडिस कहां से आ गया? इसमें प्रमोशन का आधार कहां आ गया? जब भी बोर्ड सिंगल बेंच में गया, डबल बेंच में गया, आपके चहेते अधिकारी गए जो डिजर्व नहीं करते हुए भी You have promoted them and they went to the Court. उनकी अपील कोर्ट ने क्लीयरली डिसमिस कर दी, रिट डिसमिस कर दी, खारिज कर दी। अब ये क्या चाहते हैं?

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर इस सदन में जो फुलप्रूफ केस हो जाय, जिसमें पता चल जाय कि स्वार्थी लोगों ने पक्षपात किया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, फेवरेटिज्म किया है तो उन लोगों के खिलाफ अगर यह पवित्र सदन भी पाबन्दी नहीं लगा सकता है, माननीय न्यायालय भी नहीं लगा सकते हैं तो फिर कौनसी लगाम होगी? जो स्वायत्तशासी बोर्ड हैं राजस्थान सरकार के, राजस्थान की जनता के उन पर कौनसी लगाम लगाई जायेगी?

सभापति महोदय, मंत्री महोदय तो आज बैठे हुए नहीं हैं, उनकी जगह कैलाशजी मेघवाल यहां डेप्यूट हैं, मैं चाहूंगा आप देखें कि मंत्रिमण्डल स्तर पर कोई मिलीभगत नहीं है, आप इसकी थोरोली जांच करायें। जो लोग पीड़ित हैं, जो इफेक्टेड पार्टीज़ हैं, उनको आप बुलाइये और आमने-सामने करके बैठाइये और आप निर्णय कीजिए कि उनके साथ अन्याय हुआ या नहीं। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

कुछ लोग हैं इसमें। फिर भी माननीय सदस्य बहुत कह रहे हैं कि नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड के सब अधिकारियों को मालूम है, मंत्री महोदय को मालूम है और कितने हो रिप्रजेन्टेशन मैंने दिये हैं और झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य, आपने भी दिये होंगे लेकिन आज तक इसका कोई काग्नीजेंस नहीं लिया गया।

सभापति महोदय, इससे हटकर एक मेरा निवेदन है कि आज जयपुर सिटी में जो सिटी बसें चल रही हैं, इनमें काफी भीड़ रहती है...

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय सदस्य, काफी समय हो गया।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, एक मिनट। खास तौर से खातीपुरा से और

(श्री जुबेर खान)

इधर से बसें चलती हैं, महारानी कालेज के सामने से लड़कियां लटकी हुई जाती हैं। मेरा यहां एक निवेदन है और सुझाव है आपके माध्यम से कि उनमें दो–चार–पांच सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करा दी जाय, वरना तो जिस तरह की घटनाएं वहां होती रहती हैं; जिस तरह से लटकी हुई चलती रहती हैं, यह जो बसें हैं इनको लिमिट में चलाने की व्यवस्था सरकार करे या बोर्ड करे या ट्रेफिक विभाग करे क्योंकि जिस तरह से एम.आई. रोड आदि पर रेस करते हैं ड्राइवर, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं।

मैं यही कहना चाहता था और, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, यह प्रमोशन केस में जो बंगलिंग की गई है डिपार्टमेंट द्वारा या बोर्ड द्वारा, अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई और पीड़ित लोगों को न्याय नहीं दिलाया गया और फेवरेटिज्म और जो करप्शन उन्होंने फैला रखा है, उसको नहीं रोका गया तो यह एक बहुत ही कलंक का दिन होगा विधान सभा के लिए कि यहां जो बात प्रूव हो जाय, उस पर कोई एक्शन नहीं हो। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी इसको सीरियसली दिखवाए और जो न्यायोचित हों, वह करें। यही मैं कहना चाहता हूं धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : डाक्टर चन्द्रभान।

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : सभापति महोदय, मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। विधान सभा का सत्र समाप्त हो रहा है, माननीय सदस्य मेरे से बोल रहे हैं कि मन में आ रही है, इसलिए बोल रहा हूं। ....(व्यवधान) कविता क्या सुनानी है, यह तो बड़ों के बोल हैं। पुराने जमाने में रामायण में क्या लिखा हुआ है—रघुकुल रीत सदा चली आई, मुख्य मंत्रीजी–नाराज मत होना, मैं निवेदन करता हूं पहले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाये पर वचन न जाई। तो महात्मा कहते हैं कि भाई–

लख चौरासी भटक्त भोला,
नसन चोला पाया रे,
कभी तो मन में सोच लिया कर,
क्यों दुनिया में आया रे।

तो इसलिए मैं आपको कविता सुनाता हूं। पंचों में परमात्मा, रघुकुल रीत सदा चली आई कि मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, आजकल तो दिन में पचास बार झूठ बोले जाते हैं। पंचों में परमात्मा; आपके लिए नहीं कहता हूं मैं, पुराने जमाने की बातें हैं यह, कलजुग की—

पंचों में परमात्मा, क्यों बोले तू झूठ,
और झूठ बोले फल ओ मिले,
सो जाती जड़िया–वूढ़ अमरापुर की
आस नहीं, तू चाहे नरक का कुड,

सकल धर्म न छोड़कर, झूठ बताय दे
ढूंढ।
पंचायत पाले पड़ी तो पहली भी का
पांत,

औरां न शिक्षा करे, धक्का खाये आप।

तो जमाना आ गया और यह दो-ढ़ाई साल की बात है। तो महात्मा क्या कह रहे थे–रेल पर कहता हूं—

(श्री मोहनलाल बैरूपाल)

गोकुल गाड़ी चल रही, सीटी दे
रही टेम,
टिकट बाबू खटखट करे, तू समझे
क्या एम।
गाड़ी से सिग्नल लग्यो, बैठे तो
झट बैठ,
अंहीं–टेम की क्यों फंसे, कैसे
पहुंचे खेत।

दो–ढाई साल से मुख्य मंत्रीजी, काम करना है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर मौका चला जायेगा। तो गोकुल गाड़ी चल रही, सीटी दे रही टेम और टिकट बाबू खटखट करे, तू समझे क्या एम। गाड़ी से सिग्नल लग्यो, बैठे तो झट बैठ और अंहीं, टेम सूं क्या फंसे सभापति महोदय, और

टेम सूं गया टिकट नहीं मिले, चाहे
बाबू राखी प्रेम।
गोकुल गाड़ी चल रही, सीटी दे
रही टेम।

जय हिन्द।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : सभापति महोदय, जब भी किसी निगम और बोर्ड की चर्चा होती है तो राज्य सरकार घाटे की रट लगाना शुरू कर देती है। आज राजस्थान राज्य पथ परिवहन के जिस प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है उसमें भी घाटा रहा अन्य वक्ताओं ने, माननीय सदस्यों ने विस्तार से इस पर चर्चा की है। सभापति महोदय, घाटे की पूर्ति होनी चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि उसका निगम या बोर्ड घाटे में चले लेकिन इससे पहले यह तो ध्यान में रखना ही चाहिए कि जिस संस्था को हम लोग खड़ा कर रहे हैं या जिस निगम को हमने शुरू किया है उसके पीछे भावना क्या है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को शुरू करने के पीछे साफ तौर से राजस्थान सरकार की यह मंशा रही कि प्रदेश के नागरिकों को सस्ती और सुविधाजनक यात्री सेवाएं मिले और इसके अलावा प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। यह सही है कि निगम में जिस तरह से एक व्यवस्था के तहत, एक सिस्टम के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, वह नहीं हुआ। बहुत हौच-पोच, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बड़ी अनियमितताएं हैं और आज निगम में घाटे की यह भी एक बड़ी वजह है कि इसमें समय-समय पर जो एम्पलाइज रखे गये, उनके चलते भी निगम घाटे में रहा। मैं आपके सामने, जो इस प्रतिवेदन में भी है कि निगम के पास 1990–91 में कुल मिलाकर वाहनों की संख्या 3249 थी जिनमें से जो वाहन संचालित किये जा रहे थे उनकी संख्या 2805 थी और निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या थी 23356. यदि कर्मचारियों और बसों का अनुपात देखा जाय तो एक बस के ऊपर 8.06 कर्मचारी सफर कर रहे हैं। एक–दो राज्य ही ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों और बसों के बीच में इतना बड़ा अनुपात है। यदि यह अनुपात पांच और छह के बीच रहता है तो निगम की स्थिति अच्छी रहती है। सभापति महोदय, इसमें भी कहना चाहूंगा कि पूरे परिवहन मंत्रालय में राजस्थान में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या तीन फिगर में है, चार फिगर में नहीं है। 945 या 960 है और 2800 बसों को रेगुलेट करने के लिए रोडवेज के पास जो

(डा. चन्द्रभान)

प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी संख्या 3645 है। इतना बड़ा प्रशासनिक खर्चा हो रहा है। यहां पर चेयरमैन साहब बैठे हैं, मंत्रीजी नहीं बैठे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बैठा हूं।

डा. चन्द्रभान : मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं और मंत्रीजी की जगह माननीय मेघवाल जी नोट कर रहे हैं। इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा, सरकार को भी, चेयरमैन साहब और एम.डी. साहब को कि इन्होंने, अभी कोई कह रहे थे कि सम्भागों की संख्या घट गई और कई अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या घट गई, इन्होंने जो डिप्टी जनरल मैनेजर की फिजूल की पोस्ट थी उसको अबोलिश किया और इसके साथ में निगम के प्रशासनिक ढांचे का भी विकेन्द्रीकरण किया जिससे कि रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स हुई और उसका लाभ निगम को मिला है। सेवाओं में भी थोड़ा-बहुत सुधार उससे हुआ। लेकिन इसके साथ ही जो कार्यशालाओं को आपने बंद कर दिया उससे बसों की स्थिति में कहना चाहिए, सुधार होने के बजाय नुकसान हुआ। दूसरा, आपने जो यह विकेन्द्रीकरण किया और जिलों पर यह छोड़ दिया दिया कि जितना ज्यादा आप मुनाफा लेंगे, उतना ज्यादा आपके यहां के कर्मचारियों को इन्सेन्टिव मिलेगा। इसके चलते, सभापति महोदय, जैसा तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बसें तीन हजार थीं और मॉडल कन्डीशन को देखा जाय तो 1907 और 1700 के लगभग 89-90, 90-91 में थी। मैं कहना चाहता हूं कि माडल कन्डीशन नहीं है। जो बसें किसी भी सूरत में सड़क पर नहीं चल सकती थी, जिलों के जो डिपोज हैं, लाभ कमाने की दृष्टि से उन्होंने उन बसों को सड़क के ऊपर छोड़ दिया, लोगों की जान लेने के लिए, उसके चलते अवैध वाहनों का जो व्यापार राजस्थान में चल रहा है और रोडवेज की जो पुरानी कण्डम बसें हैं, लाभ कमाने की दृष्टि से सड़कों पर आ गई, चूंकि सरकार नई बसों की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं थी, उसके चलते परिवहन निगम की बसों के और अन्य जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या में बढोतरी हुई जो एक दुखद बात है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी कार्यशालाओं को मजबूत करिये।

यह मैंने पहले भी कहा कि नियोजन सही नहीं हुआ, कई लोग नॉन मैट्रिक, नॉन आई.टी.आई., नॉन टेक्नीकल लोग वहां पर अच्छे-अच्छे पदों पर बैठे हैं। उनको निकालना सम्भव नहीं है और मैं उनको निकाले जाने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन आगे जो भी भर्ती हो उसमें टैक्नीकली साउण्ड लोगों को लिया जाना चाहिए और कार्यशालाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।

जहां तक माडल कन्डीशन का सवाल है, मैं सभापति महोदय, मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, जब आप प्राइवेट बसेज को रोडवेज के बैनर के नीचे चलाने के लिए कान्ट्रेक्ट पर लेते हैं तब तो आप तरह-तरह की शर्तें लगाते हैं और आपकी 72-73-74 के माडल की बसों को चलाते हो, जो आपको नहीं चलानी चाहिए, मोटर परिवहन कानून के तहत भी नहीं चलानी चाहिए। इसके

(डा. चन्द्रभान)

चलते रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं और जनता को असुविधा भी होती है।

सभापति महोदय, जब पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है निजीकरण का, मैं निजीकरण के पक्ष में नहीं हूं और मैं कहना चाहूंगा कि निजीकरण की आवश्यकता भी नहीं है। सवाल यह है कि निगम अपनी नीतियों में थोड़ा परिवर्तन करे। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने भी पहले सुझाव रखे थे और वर्तमान में जो चेयरमैन हैं, उनको भी मैंने कहा था कि आपकी बसों का पर-किलोमीटर आपरेशन का कास्ट कितना आता है ? आप उसमें से आधा रुपया भी, यदि 6.66 या 6.70 आपका है और 3.35 प्रति किलो मीटर प्राइवेट वालों को नहीं देना चाह रहे हैं। आप प्राइवेट बसों को लेना चाहते हैं। पहले एक बार यह दरें बढ़ाई तो करीब 150-200 प्राइवेट बसें जो अच्छी कन्डीशन की थीं रोडवेज के बेनर में चलीं। काण्ट्रेक्ट पर आज भी चल रही हैं। आप उनके लिए अच्छी दरें फिक्स कीजिए, प्राइवेट आपरेटर्स आपके आयेंगे।

दूसरा, मंत्रीजी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी इच्छाशक्ति को थोड़ा बढ़ाइये। यह अवैध वाहनों की जो बात कह रहे हैं, कानून में तो आपने परिवर्तन किया है लेकिन केवल कानून में परिवर्तन करने से काम नहीं चलेगा। यह हकीकत है कि राजस्थान में रेल मार्गों का विकास नहीं हुआ, इसलिए रेल सेवायें नहीं बढ़ीं और इस कारण से सड़क परिवहन के ऊपर ज्यादा दबाव है लेकिन इसके साथ ही यह भी मैं कहना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वह कानूनी अड़चन है। सरकार में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, मंत्री और अधिकारी लोगों की यदि इच्छाशक्ति हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि एकदम समाप्त किया जायेगा लेकिन इसको रोका जा सकता है। इसके लिए कोई अड़चन नहीं है कि आप इसको नहीं रोक सकते लेकिन इसके साथ में आपको जनता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए आपको प्राइवेट बस आपरेटर्स को अच्छे किराये की दरें देनी चाहिए, अपने बैनर के नीचे उनको चलाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार बसों की व्यवस्था करे। आगे आने वाली पचवर्षीय योजना में आप कितनी बसों के लिए पैसा रखना चाहते हैं ? 183 करोड़ रुपया आप रखना चाहते हैं और जनता की डिमाण्ड को ध्यान में रखते हुए यह धन बहुत कम पड़ेगा। इसमें केन्द्र से भी आपको धन मिलेगा, हुडको से भी मिलेगा और अन्य संस्थाओं से भी आपको धन मिलेगा। तो राजस्थान सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि पुरानी बसों को हटाना है और नयी बसों को ज्यादा जोड़ना है तो फिर धन की व्यवस्था, सभापति महोदय, ज्यादा करनी चाहिए।

बसों में सफाई की बात पर माननीय मंत्रीजी आपसे मैं पूछना चाहता हूं। मुझे भी प्रसन्नता हुई कि आपने कहा कि बसों में धूम्रपान वर्जित है, महिलाओं के लिए 6 सीटें आपने आरक्षित कीं लेकिन यह धूम्रपान वर्जित है आप कई बसों में लिखवा ही

(डा. चन्द्रभान)

नहीं पाये हैं। आप महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कीजिए। सीटों के ऊपर लिखवा तक नहीं पाये हैं और ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स सब बीड़ी सिगरेट पीते हैं। वह क्या मना करेंगे दूसरे लोगों को ?

तो, सभापति महोदय, आज आपने एक अच्छी शुरूआत की है, उसको इम्पलीमैन्ट करने का प्रयास भी आपके अधिकारियों को करना चाहिए। आपने 10 करोड़ रुपया केवल आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में नये निर्माण के लिए रखा है। कैसे बस स्टेण्ड बनेंगे, कितने बस स्टेण्डों की आवश्यकता होगी, आप का यह सिंधी कैम्प का बस स्टेण्ड है यह भी अब छोटा पड़ने लग गया है। जयपुर में तो 3 बस स्टेण्ड होने चाहिए, यह भी मैं मांग करना चाहूंगा और जिला स्तर पर अच्छे बस स्टेण्ड होने चाहिए और उनमें सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं ज्यादा निवेदन तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है लेकिन मैं, माननीय सभापति महोदय, एक बात जरूर कहना चाहूंगा अंत में कि यहां पर एक बहुत जोरों से प्रचार किया जा रहा है। चेयरमैन साहब ने सब जगह टेलीविजन और रेडियो के बारे में भी कहा और यहां पर राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के लाभ कमाने की दृष्टि से उसकी कार्यकुशलता पर बड़े जोरों से सदन में भी प्रशंसा की गयी। निगम लाभ में आये यह हम लोगों की इच्छा है, कामना है लेकिन, सभापति महोदय, जैसा अभी भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बातों से काम नहीं चलता, डीजल का दाम बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप विरोध पक्ष में रहे हो....

श्री बंशीलाल पटवा : पिछले काल में जो किराया बढ़ा उसको कह रहा था। जब डीजल के भाव बढ़ते हैं तो फिर इनके भी भाव बढ़ेंगे। पिछले काल में बढ़े हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : कब बढ़े हैं ? सभापति महोदय, मैं यह कहना नहीं चाहता, मुख्य मंत्री जी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। यह बात सही है कि 90–91 रोडवेज के लिए बड़ी मुश्किल का साल था क्योंकि मण्डल कमीशन के खिलाफ हड़ताल, खाड़ी का युद्ध, इस कारण से दो बार दाम बढ़े। आखिर मैंने तो किराया नहीं बढ़ाया और किराया बढ़ाना सरकार की मजबूरी हो सकती है लेकिन जब आप विरोध में रहते हैं तब यह तर्क नहीं देते हैं और सत्ता पक्ष में आप यह तर्क देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि किराया कभी नहीं बढ़ाना चाहिए लेकिन मैं आपके समक्ष जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। सभापति महोदय, कभी भी राजस्थान में 31 प्रतिशत किराया एक साथ नहीं बढ़ा और वह भी साधारण बसों का 30.6 प्रतिशत, एक्सप्रेस बसों का 30 प्रतिशत और डीलक्स बसों का 29.6 प्रतिशत और यदि राउण्ड फिगर में जाते हैं तो 31 प्रतिशत बढ़ा है तो, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 12 करोड़ 9 लाख 41 हजार का घाटा था 1990-91 में और 1991-92 में कह रहे हैं कि 13 करोड़ 41 लाख का लाभ हो गया। यह जो

(डा. चन्द्रभान)

31 प्रतिशत किराया बढ़ा है उससे राजस्थान की जनता पर 42 करोड़ का भार राजस्थान की सरकार ने लादा था। यह 17 करोड़ रुपया कहां गया ? यह मैं पूछना चाहता हूं। आज, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि फिर 10 करोड़ रुपये का भार इनके ऊपर पड़ेगा। 42 करोड़ का पहले डाला और लाभ केवल 13 करोड़ का। 13 और 12 याने 25 का हिसाब तो है लेकिन 17 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है और 10 करोड़ का भार बढ़ गया। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आप किराया नहीं बढ़ायेंगे तो चूंकि आपकी तो नीति यही है कि किराया बढ़ाने से निगम लाभ में आता है, यदि आप विद्युत मण्डल की दरें बढ़ाते हैं तो मण्डल लाभ में आता है। आप

(6.25 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरे काम भी करें। कार्यकुशलता बढ़ायें, फिजूलखर्ची और लीकेज रोकने का काम करें, अवैध संचालन को रोकने का काम करें, रोडवेज की जो बसें हैं इनकी कार्यशाला में अच्छी व्यवस्था करने का काम करें, फिजूल के खर्चों को कम करें, प्राइवेट बसों को लाओ जिसकी आवश्यकता है। इससे आपकी रोडवेज की इनकम बढ़ेगी लेकिन किराया बढ़ाने की बात है तो यह सरकार का जन-विरोधी कदम है। यह तो कोई भी कर सकता है कि यहां पर 10 रुपया बढ़ा है तो आप 15 रुपया बढ़ा दो, लाभ में आ जायेंगे लेकिन दूसरी वैकल्पिक, दूसरे रास्ते आपको अपनाने चाहिए। यह जनसेवा के लिए है, यह जनता के लिए निगम बना है। यह सोशियल वेलफेयर स्टेट है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए जनता की सेवा के लिए मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अब तो आपने किराया 30 प्रतिशत बढ़ा दिया और आपने दो, चार, पांच साल तक का आगे का इन्तजाम कर लिया। अबकी बार तो आप किराया बढ़ायेंगे नहीं और किराया बढ़ायेंगे तो जनता सहन भी नहीं करेगी, मैं यह कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह लाभ तो किराया बढ़ाने से हुआ है। इसमें कोई कार्यकुशलता एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है। आगे के लिए व्यवस्था की जाये कि निगम लाभ में आये लेकिन निगम में कार्यकुशलता बढ़े, निगम में बसों की संख्या बढ़नी चाहिए, प्राइवेट बस आपरेटर्स को इनसेन्टिव देकर उनकी बसें लेनी चाहिए और जो भ्रष्टाचार और लीकेज है, बसों की स्थिति अच्छी नहीं है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी चर्चा हो रही थी कि 14 करोड़ का रोडवेज ने जो पैसा प्राप्त किया, वह केवल कार्यकुशलता के कारण से नहीं है। यह कहना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में जो उद्योग घाटे में गए, 42 कार्पोरेशन और यू.आई.टी. सारे मिलाकर हैं। यह जिन कारणों से घाटे में गए, यह सरकार आने के बाद एक कमेटी बैठी और कमेटी ने यह तय किया कि किन किन कारणों से कौन-कौन सा उद्योग घाटे में जा रहा है और बन्द करने की स्थिति में आ रहा है। तो

(श्री मदनलाल सैनी)

बन्द करने की स्थिति आ रही है उसके ऊपर गहन अध्ययन करने के बाद सारे डिपार्टमेन्ट्स में यह तय किया गया, वहां नीतियां बनाई गई कि फिजूलखर्ची कम करनी चाहिए, अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और यह सारी व्यवस्थायें करने के बाद राजस्थान रोडवेज में ही नहीं और भी जो उद्योग हैं धीरे धीरे लाभ में आ रहे हैं इस सरकार की सही नीतियां के कारण से और उसी का परिणाम है कि राजस्थान रोडवेज 14 करोड़ के लाभ में चल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना तो करनी चाहिए, हमारी कमियों को बताना भी चाहिए और यदि विपक्ष यह कहने लग जायेगा कि सारे काम हम ठीक ही करते हैं तो जनता में किस बात को लेकर वह जायेंगे। इसलिए मैं जो उनकी चर्चायें हैं, जो उन्होंने कहा है, उसको सुधार की दृष्टि से विभागों को लेना चाहिए। आलोचनाओं में भी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, जो 14 करोड़ का लाभ अर्जित हुआ है उससे अगली बार उनकी सावधानी और सतर्कता के कारण से अत्यधिक लाभ और भी बढ़ सकता है। इसलिए विपक्ष की ओर से जो सुझाव आये हैं, वह और भी अच्छे सुझाव हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बसों की जो स्थिति है, आज उसमें काफी सुधार की जरूरत है। सर्दियों का समय आ रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि खिड़कियां कई बार बन्द नहीं होती और खिड़कियां लगी हुई नहीं रहती। आप उस समय की कल्पना करिये जब पूरी रात किसी को सफर करना हो और उस समय यदि खिड़की बसों में लगी हुई नहीं हो या बन्द नहीं होती हो और बरसात के समय बरसात का पानी अन्दर आता हो, उस समय क्या स्थिति होगी ?

यही स्थिति नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी कई वार रोडवेज की बसें जब सड़क पर चलती हैं तो कोई भी एक्सीडेण्ट हो सकता हैं। छोटे-बड़े एक्सीडेण्ट हो सकते हैं। उस समय तुरन्त साधारण मरहम-पट्टी की जरूरत पड़ सकती है। रोडवेज ने एक फर्स्ट-एड बॉक्स तो लगा रखा है लेकिन वह खाली रहता है। शिकायत पुस्तिका का प्रावधान है जिसमें जनता को अपने सुझाव और शिकायत देनी चाहिए। यदि कहीं कोई शिकायत की बात लिखना चाहे तो रोडवेज के डिपो पर तो वह शिकायत नहीं कर सकेगा। इसलिए नहीं कर सकेगा कि कर्मचारियों के बीच में, अधिक कर्मचारियों के बीच में एक यात्री अपनी बात नहीं कह सकता। यदि वह बस में शिकायत करता है और गलत बात है तो यात्रियों के कारण से शायद वह कोई बात कह सकता है। मेरा यह कहना नहीं कि उसको दण्ड देना ही चाहिए लेकिन आपके सामने एक प्रवृत्ति आयेगी कि बस में किस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जिस प्रवृत्ति को यात्री ठीक नहीं समझते, वह प्रवृत्ति कण्डक्टर की हो सकती है, वह प्रवृत्ति ड्राइवर की हो सकती है, आपके पास सुझाव और शिकायतें नहीं आ सकेंगी, उपाध्यक्ष महोदय, तो फिर सुधार करने की गुंजाइश कम हो जायेगी। इसलिए मेरा यह भी

(श्री मदनलाल सैनी)

कहना है कि या तो शिकायत पुस्तिका की बात को हटाना चाहिए, वरना शिकायत पुस्तिका की और व्यवस्था होनी चाहिए। बस में ही व्यवस्था होनी चाहिए तो ज्यादा ठीक रहेगी।

मेरा यह भी कहना है, मैं निजीकरण के पक्ष में नहीं हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा रोडवेज का कर्मचारी आज गड़बड़ करता है तो सीधे जनता के लोग एक 15 पैसे का पोस्टकार्ड अधिकारियों के नाम लिखते हैं और उस पर कार्यवाही हो जाती है और कार्यवाही होने के कारण से दण्ड मिलता है लेकिन प्राइवेट बसों पर यदि आपरेटर्स बदमाशी करेंगे और कण्डक्टर और ड्राइवर बदमाशी करेंगे यात्री के साथ, उसकी कोई कार्यवाही नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और जो निजीकरण की बात आती है, तो 10-15-20 किलोमीटर से लम्बा निजीकरण नहीं होना चाहिए।

(6.33 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

प्राइवेट बसों की हालत जो गांव में चलती हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी हालत नहीं है। तो, मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह निजीकरण ठीक नहीं है। पिछले समय में राजस्थान में बसों का, जिस प्रकार मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है उस पर भी विचार करना चाहिए। लम्बे रूट का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए तो उससे और भी ज्यादा लाभ होंगे।

मान्यवर, आज एम. एल. एज. के बारे में इसी हाउस में चर्चा हुई थी कि चार एम. एल. एज. चले गये तो वह किस प्रकार से बैठेंगे, उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज दो एम. एल. एज. की वहां सीट रहती है। एक आदेश भी निकला था कि एम. एल. ए अपनी आइडेंटिटी वैरिफाई करायेगा कि वह एम. एल. ए. है या नहीं, वह लिखवा कर लेगा। इस प्रकार के जो आदेश निकले, वह आदेश विथड्रा हो गये इसके लिए तो रोडवेज के अधिकारियों की सतर्कता अच्छी बात रही लेकिन फिर भी यह समस्या कहीं-कहीं आ सकती है। प्राइवेट बसों में विधायक की सीट कहां है और कौन-सी सीट है, ऐसा कोई इंगित नहीं है। कई बार माननीय विधायक जो प्राइवेट बसें, जो राजस्थान रोडवेज के साथ अटैच की हुई हैं, उन बसों में यात्रा करते होंगे, उनको ध्यान आता होगा, कई बार झगड़ा होता है सह यात्री के साथ। कई यात्री ऐसे भी होते हैं जो उठना नहीं चाहते, उठते नहीं। कण्डक्टर भी पशोपेश में रहता है कि किस प्रकार से उठे। अतः उन सीटों पर भी मार्क रहना चाहिए कि यह विधायकों की सीट है।

मान्यवर, यहां अवैध संचालन हो रहा है, बड़े-बड़े मार्गों पर तथा 8-10 किलोमीटर तक अवैध लाइसेंस लेकर, परमिट लेकर चल सकेंगे लेकिन आज रोडवेज को और भी अधिक लाभ हो सकता है यदि अवैध संचालन को रोक दिया जाय। अवैध संचालन वाले, मान्यवर, ऐसे लोग हैं जिनके पास परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है। एक उदाहरण देना चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) झुंझुनूं जिले का। वहां पर

(श्री मदनलाल सैनी)

ऐसी बसें रोज चलती हैं जिनके कारण से बड़ा घाटा होता है। मान्यवर, एक्सपेरिमेण्ट किया गया था झुंझुनूं जिले में, एक समय इन बसों को बन्द करने की कोशिश की गयी और आमदनी बढ़ गयी। तो इन बसों की चैकिंग होनी चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है, मान्यवर, कि आज जो असन्तोष है, कर्मचारियों में भी असन्तोष है, उनके साथ एग्रीमेण्ट होने चाहिए। उनकी मांग आयेंगी, आप मांग नहीं मान सकते लेकिन टेबिल पर बैठ कर उनके साथ चर्चा करिये, कनविन्स करिये और कनविन्स करने के बाद कुछ बातें, हो सकता है वह आपको समझा सकें, जो बात तय हो जाय, उन सब बातों को स्वीकार करना चाहिए।

आज रोडवेज का कण्डक्टर अकेला गाड़ी में चलता है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। उसके साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था की हमको चिन्ता करनी चाहिए। साथ ही एक बात और भी है कि रोडवेज के किसी कण्डक्टर के साथ छोटी-सी घटना घट गयी कि सिन्धी कैम्प से लेकर झोटवाड़ा तक बसें जाम हो गयीं। यात्रियों को इसके कारण से कितनी असुविधा होती हैं, इसके बारे में भी चिन्तन करना चाहिए। यह रोडवेज का भी काम है और हम, जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनका भी काम है कि किस प्रकार से हम इन सब बातों को ठीक करेंगे। (समय-समाप्ति–सूचक–घण्टी)

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रोडवेज के लोग, हमारे ड्राइवर और कण्डक्टर पीछे बस खड़ी रखेंगे, आगे वाली निजी बस भर जायेगी और बाद में चलेंगे। मान्यवर, हमारे कर्मचारियों की साजिश के कारण से भी यह चल रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि परिचालकों की, 615 परिचालकों की छटनी की गयी और उनको हमने यहां पर आश्वासन दिया था। उनमें एस. सी, एस. टी. के परिचालकों को तो रख लिया गया, थोड़े-से, कुछ परिचालक ही अब ऐसे रहे हैं जिनको और लिया गया, तो हमने यहां विधान सभा में उन लोगों को जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन की पूर्ति भी हो जायेगी। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिहजी।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलो।

व्यवस्था का प्रश्न
मन्त्रियां एवं विधायकों के वेतन आदि बढ़ाने सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, अभी बिल नम्बर 34, 1992, "दी राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज (अमेण्डमेण्ट) बिल, 1992, बिल नम्बर 35, 1992, "दी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफीसर्स एण्ड मेम्बर्स इमाल्यूमेण्ट्स एण्ड पेंशन) (अमेण्डमेण्ट) बिल, 1992 सर्कुलेट किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन करना है कि हर बार होता यह आया है कि जब विधान सभा का अन्तिम दिन होता है

(श्री यदुनाथ सिंह)

श्रौर वह भी जब विधान सभा की कार्यवाही खतम होने वाली होती है, उस समय विधान सभा में इन बिलों को पास किया जाता है। इससे, अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों के बारे में जनता में बहुत बुरा मैसेज जाता है। यह जाता है कि इस पर बहस नहीं की गयी। मैम्बर्स ने गुपचुप में अपने इमाल्यूमेण्ट्स बढ़ा लिये। हमारी बहुत किरकिरी होती है। अध्यक्ष महोदय, बेहतर तो यह होता कि विधान सभा के सत्र के बीच में हम इन बिलों को लाते। मैं यह मांग करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस पर खुली बहस होनी चाहिए कि मैम्बर्स को क्या जरूरत है, क्या नहीं है। इस बदनामी से बचने के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस बिल को अभी पेश करें, मूव करें श्रौर इस पर खुली चर्चा हो ताकि जनता के बीच में जो मैम्बर्स की, इस सदन की भावना है वह भावनायें जायं श्रौर हमारे प्रति जनता में जो यह एक भावना फैलती है कि अंधा बांटे रेवड़ी श्रौर अपने आप अपना काम कर रहे हैं, इस भावना को हम बहस करके खुले मुद्दे से हम जनता के सामने अपना खुला हिसाब श्रौर खुले तर्क के आधार पर रखना चाहते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इस बिल को तुरन्त ले लिया जाय श्रौर इस पर खुली बहस होनी चाहिए। यह गुपचुप पास कर दिया, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, इस प्रकार की परम्परा को हमें बदलना चाहिए। मेरा यही निवेदन है कि आप मुख्य मन्त्रीजी से आग्रह करें कि वे इस बिल को पेश करें श्रौर इस पर खुली चर्चा के लिए हमें मौका दें।

नियम का निलम्बन

प्रक्रिया के नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को अभी प्रस्तुत किया जाय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस दृष्टि से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 306 के अन्तर्गत प्रक्रिया के नियम 66 के परन्तुक को निलम्बित किया जा कर मुझे यह विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

नियम निलम्बित किया जाता है।

श्री रामनारायण विश्नोई, कृषि मन्त्री, कम्पनीय अधिनियम, 1958 की धारा 619 (ए) की उपधारा 3 के भाग (ब) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988–89 सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्ड्रस्टीज कारपोरेशन लिमिटेड का 20वां वार्षिक (1988–89) प्रतिवेदन एवं लेखें

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीय अधिनियम 1958 की धारा 619 (ए) की उपधारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 20वां

(श्री रामनारायण विश्नोई)

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988–89 सदन की मेज पर रखता हूं ।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर: स्थापन राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) वधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992. प्रभारी मंत्री-जी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करता हूं ।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करता हूं ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ।

अनेक माननीय सदस्य : दोनों का एक साथ ही करा दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बोलना चाहते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : एक साथ रख दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साथ ही। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों विचारार्थ रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, वह भी रख दीजिये।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 1992

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जनता जब हमको चुन कर भेजती है तो जनता की अपेक्षाएं होती हैं कि हम जो भी जनता की समस्याएं हैं उनके निराकरण के मामलों को न सिर्फ विधान सभा में उठायेंगे बल्कि विधान सभा के बाहर भी उनके हर दुख, तकलीफ में हम सहयोगी और सहायक बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो विधायक की आज भूमिका है, जब विधान-सभाओं का निर्माण हुआ, उन भूमिकाओं से बहुत भिन्न भूमिका है। उस समय विधायक का कार्य यही था कि देश आजाद हुआ, विधान सभाएं बनीं उन विधान सभाओं में राज्य के कल्याण के लिये विभिन्न विधेयक और कानून बनाने का काम चला। आज मुख्य तौर पर सभी विषयों पर कानून और विधेयक बन चुके हैं, उनमें संशोधन समय-समय पर आते रहते हैं उन पर बहस होती है। इसलिए आज विधायक की भूमिका विधायी कार्य के बाहर बढ़कर बहुत बड़ी भूमिका है। अध्यक्ष महोदय, आज जन प्रतिनिधि से जनता अपेक्षा करती है कि वह विधान सभा में तो उनके पक्ष को सुचारू रूप से रखे ही साथ ही साथ वह उनके प्रतिनिधि के रूप में सारी समस्याओं को, उसकी बीमारी से लेकर हारी तक, सड़क, स्कूल विकास से लगाकर, करप्शन से लगाकर पुलिस की कार्यवाही से लगाकर, हर विषय पर विधायक से वह अपेक्षा रखती है कि वह हमारी सहायता करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर प्रजातंत्र को कायम रखना है, प्रजातंत्र को मजबूत करना है तो हमें ऐसी व्यवस्था

(श्री यदुनाथ सिंह)

करनी होगी कि विधायक बहुत इण्टीग्रिटी का आदमी हो और बहुत बढ़िया तरीके से फंक्शन कर सके, उसको वह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं उन हिप्पोक्रेट लोगों में से नहीं हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो मना कर दें की नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरी मान्यता है कि विधायक को इतनी सुविधाएं इतना वेतन मिलना चाहिए कि वह खुले रूप से, पूरी आजादी से, पूरी सुविधाओं के साथ जनता की सेवा में अपना पूरा योगदान दे सके।

अध्यक्ष महोदय, मिलता क्या है विधायक को ? आप स्वयं विधायक हैं, आपका लम्बा राजनीतिक जीवन है, आप स्वयं जानते हैं कि सुबह से शाम तक विधायक अगर उसका निर्वाचन क्षेत्र नजदीक है तो यहां जयपुर में उसका दो सौ आदमियों से रोज परिचय होता है। उनकी सेवा करनी पड़ती है। उनको चाय भी पिलायेगा, खाना भी खिलायेगा, टेलीफोन भी करेगा। जब हमारे घर पर आदमी आता है तो उनकी हर सेवा करने का विधायक का फर्ज होता है और वह हम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, विधायक को मिलता क्या है। 1500 रु. सैलेरी, 2750 रुपये स्थायी भत्ता, 625 रुपये पोस्टेज का खर्चा 1250 रुपये टेलीफोन के। इसके अलावा विधायक को आप देते क्या हैं ? 5120 रुपये प्रति माह विधायक को आप पूरी मिलाकर तनख्वाह देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, विधायक के खर्चे लीजिए। मोटे-मोटे रूप में बताता हूं, अगर विधायक से फंक्शन कराना चाहते हैं, वह पूरी तरह सेवा कर सके, अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके तो विधायक को पूरी तरह से वैलपेड रखना प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए, अच्छी फंक्शनिंग के लिए बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आप देखिए जो विधायक है, उसको सात दिन कान्स्टीट्यूएंसी में दौरा करना जरूरी होगा, अगर वह जनता से सम्पर्क रखना चाहता है, उनकी समस्या का समाधान करना चाहता है उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। पांच सौ रुपये रोज में आज जीप किराये पर मिलती है। पांच सौ रुपये रोज में सात दिन भी वह विधायक अपने क्षेत्र का दौरा करता है तो 3500 रुपये जीप के किराये का उसका खर्चा होगा, निश्चित तौर पर। अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन, मैं मेरा टेलीफोन बिल ही बताता हूं आपको इस साल के। जनवरी-फरवरी में मेरा बिल था 6280 रुपये, मार्च-अप्रेल में 5760 रुपये, मई-जून में था 6420 रुपये, जुलाई-अगस्त में था 7340 रुपये। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे पास समस्यायें लेकर राजस्थान भर के आदमी आते हैं, कोई भरतपुर के कलक्टर से काम है, सड़क के निर्माण का काम है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो आदमी हमारे पास अपने दुख तकलीफ को लेकर अपने क्षेत्र से आता है, तो हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम उस बारे में उन अधिकारियों से बात करके उस समस्या का निदान कराने का काम करें। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, एवरेज तीन हजार रुपया महीना टेलीफोन का खर्चा, अगर विधायक को फंक्शन करना है ढंग से तो मिनिमम

(श्री यदुनाथ सिंह)

खर्चा तीन हजार रुपये महीने का विधायक का टेलीफोन का होता है।

अध्यक्ष महोदय, आप लीजिए पोस्टेज, आप देते हैं 625 रुपया। मेरी मैं बताता हूं, एवरेज तीन चिट्ठी मैं निकालता हूं। विधायक के पास जो भी चिट्ठी आती है, उसका जवाब देने का हर विधायक का कर्तव्य है और वह देना चाहिए। उसमें जो समस्यायें लिखी हैं, संबंधित अधिकारी को, सरकार को, जहां भी, उसके बारे में हमें लिखना चाहिए और मैं लगातार लिखता हूं। टाइप भी कराता हूं, फोटोस्टेट भी करानी होती है और समय समय पर विकास के बारे में जो पत्रावलियां चिट्ठियां चलती हैं वह भी मैं लिखने का काम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ओन–एन–एवरेज मेरा खर्चा 1200 रुपये पोस्टेज का, डाक का आता है।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे हम किसी विकास के काम के लिए, डवलपमेण्ट के काम के लिए, लोगों की तकलीफ के लिए मंत्री महोदय के पास जाते हैं। हम सेक्रेके-रियट जाते हैं अन्य कार्यालयों में जाते हैं 10 दिन भी, 15 दिन भी आप एवरेज लगायें तो एक बार भी विधायक जायेगा तो 50 रुपये रोज का उसका टेम्पू का खर्चा होगा। अध्यक्ष महोदय, 750 रुपये महीने का विधायक का यह खर्चा है। उस विधायक को जाना ही पड़ेगा।

तो यह एवरेज खर्चा विधायक का होता है। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे बाकी विधायक कहीं आता जाता है, उसके साथ में एक आदमी चलता फिरता है। एक हजार रुपये महीने का और खर्चा, अध्यक्ष महोदय, आप लगाइये।

इस प्रकार आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, विधायक का जो महीने का खर्चा है, वह है 12950 रुपये। मैंने मोटा मोटा खर्चा बताया है। खाना पीना अलग जोड़ोगे तो है। खाना पीना भी मैंने जोड़ा है साहब। अगर तीस चाय रोज पिलाता हूं मैं तो 900 रुपये महीने का खर्चा आता है। 1 रुपया चाय का हिसाब लगाते हैं तो। मैं दस आदमियों को खाना भी एवरेज खिलाता हूं घर पर। 5 रुपये की एक डाइट होती है अध्यक्ष महोदय, 1500 रुपये महीने का मेस खाने का खर्चा लोगों के लिए घर पर होता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, 12500 रुपया खर्च होता है और मिलता 5125 रुपये। मेरे घर में गुंजाइश है, मैं ले आता हूं परन्तु मेरे घर वाले भी अब मेरे को आंख दिखाने लगे हैं, दो महीने से। अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, मेरे फादर ने कह दिया कि 12 साल से चरा रहा हूं। गेहूं की बोरियां नहीं दी हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं। घर पर कोई काम करते नहीं हैं, घर का कोई काम हम देखते नहीं हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं कि कोई बिजनस हम करते नहीं हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, विधायक को अगर सही मायने में उसकी क्षमता का पूरा उपयोग करना है, उसको हमें बैलपेड रखना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, विधायक के पास आज स्टेनो नहीं। विधायक के पास स्टेनो होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, बिजली, पानी का हमको देते हैं पांच सौ रुपये महीने। अध्यक्ष महोदय, यहां आपके सेक्रेटेरिएट में ही देख

(श्री यदुनाथ सिंह)

लीजिए मेरे खिलाफ रिकबरी इस साल की, पांच हजार से ऊपर बिजली, पानी की एक्सट्रा रिकबरी हैं। मैं कोई फैक्टरी तो घर में चलाता नहीं हूं। दो कूलर, पंखे और यही चलते हैं घर में। तो पांच हजार रुपये की तो मेरी जनवरी से लगाकर अब तक रिकबरी है। सचिव महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि इसकी आसान किश्त कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हों, उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं, उसकी छवि को अच्छा रखना चाहते हैं, वह गलत रास्ते न अपनाये ऐसा बनाना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह टुकड़ों में मत बढ़ाये। साढ़े सात सौ रुपये आपने आज बढ़ा दिये, लेकिन महंगाई कहां पहुंच गई, खर्च के लेवल कहां पहुंच गये ? इसलिए मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको और बढ़ाया जाये और इसमें किसी प्रकार की आप कोताही न करें, क्योंकि विधायक की पूरी क्षमता का उपयोग अगर आपको लेना है और जनता की सेवा करानी है, तो मैं चाहूंगा कि विधायक को 10-12 हजार रुपये प्रति महीने मिलने चाहिये....

श्री अध्यक्ष : अभी कितने बढ़े हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : साढ़े सात सौ रुपये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी बढ़ाया कितना है ?

श्री यदुनाथ सिंह : साढ़े सात सौ।

श्री अध्यक्ष : और आपके घाटा कितना है ?

श्री यदुनाथ सिंह : घाटा है मेरा 8 हजार। आप हिसाब देख लीजिए, आप कोई भी हिसाब लगा दीजिए। कोई भी विधायक बता दे उसमें। हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूं, नहीं, साहब नहीं लेंगे, अकाल है, यह है, वह है। कितना खर्चा है ? अध्यक्ष महोदय, यह घाटा ही है। अध्यक्ष महोदय, आपने बढ़ाये रेल्वे के कूपन। रेल्वे ने किराया बढ़ा दिया कितना ? नदबई मेरी कांस्टीट्वेन्सी है। 20 हजार रुपये के कूपन आप दे रहे हैं। मैं सात बार भी अगर मेरी कांसटीट्युएंसी में जाऊं रेल से....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की मंशा आज का कार्य पूरा होने तक समय बढ़ाने की है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयकों पर विचार

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि एम.एल.एज.

(श्री यदुनाथ सिंह)

के टेलीफोन की आप एक लिमिट बांध दें। इतने काल तक टेलीफोन काल फ्री। ट्रंक-काल करेगा तो अपनी जेब से देगा। स्टेनो की एक व्यवस्था करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भागते फिरते हैं, बच्चों की खुशामद करते हैं हम लोग कि जा बेटा, करा ला टाइप, तेरे हाथ जोड़ें। दस रुपये वह मारता है उसमें से कि पापा पैट्रोल खत्म हो गया, यह हो गया। खूब मारता है। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति है। रेल्वे कूपन आपने पांच हजार के बढ़ाये। कैसे पार पड़ेगी? मेरी कांस्टीट्वेंसी की मैं एक छोटी सी नजीर देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : किराया कितना बढ़ा है?

श्री यदुनाथ सिंह : पांच हजार रुपये के कूपन बढ़ाये है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, किराया कितना बढ़ा है?

श्री यदुनाथ सिंह : किराया तो अब ड्योढ़ा हो गया। अध्यक्ष महोदय, 60 परसेण्ट किराया बढ़ा है, और बढ़ेगा और जिस तरह की चालें चली जा रही हैं, उससे किराया तो और बढ़ेगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्वेंसी में सात दिन भी जाऊं 130 रुपये किराया लगता है। महीने में सात दिन भी जाऊं तो मेरे साल भर में 16 हजार रुपये के कूपन तो नदबई आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं। मैं और राजस्थान में कहां जाऊं? कैसे जाऊं? दिल्ली भी जाऊं तो कितना किराया लगता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रपोर्शन में रेल्वे का किराया बढ़ा है, उस प्रपोर्शन में किराया भी बढ़ना चाहिए।

मैं चाहूंगा कि इस पर और भी माननीय सदस्य खुले दिमाग से अपने विचार व्यक्त करें। जनता में जो यह मैसेज जाता है कि बढ़ा लिया और कितना बढ़ा लिया, आपके एक्सचैकर पर खर्चा आया है 34 लाख रुपये। हल्ला मच जायेगा करोड़ों खा गये, करोड़ों बढ़ा लिये; इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इसको बार बार करने के बजाय हमें व्यवस्था यह करनी चाहिए, अब, अध्यक्ष महोदय, 25 हजार का फर्नीचर है हमारा, 10 हजार का तो एक सोफासेट ही है, यानि आप घर को फर्निश करके दीजिए। कोई भी फालतू चीज मेरे घर में नहीं है। आपने मेरे को दो बैडरूम का मकान दे रखा है। मेरे 72 हजार रुपये का फर्नीचर आज लगा हुआ है, घर से लगा रखा है वह अलग है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, उसका किराया कटता है, मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि उसका फर्निश घर होना चाहिए। उसको मकान दे रहे हो तो रोजाना की टूट फूट भी खत्म हो गई। पी.डब्ल्यू.डी. का भी चक्कर खत्म होगा कि यह इश्यू हो रहे हैं, वह हो रहे हैं। खराब हो तो वहीं मैन्टिनैंस हो जाये। इसलिए इस पर विचार करके, आप कहो तो मैं मूव कर दूं गवर्नमैण्ट को शर्म लगती हो तो? इसको एक साथ ही बढ़ा देना चाहिए ताकि बार-बार न करना पड़े।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदस्यों के वेतन बढ़ाने का यह बिल पेश किया, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक ही

(श्री परसादीलाल मीणा)

निवेदन करना चाहूंगा कि बेहतर होता, आप हमारा कांस्टीट्यूएंसी अलाउंस नहीं बढ़ाते, सेलेरी नहीं बढ़ाते परन्तु, आप हमारी सुविधाएं बढ़ाये। जैसे माननीय सदस्य ने कहा टेलीफोन। हमारे एक एक महिने में दो–दो, डेढ़–डेढ़ हजार का टेलीफोन का बिल आ जाता है। कांस्टीट्यूएंसी अलाउंस आप 1500 रुपये देते हैं। मुख्य मंत्रीजी आपने अभी डेढ़ महीने तक गर्मियों में राजस्व अभियान चलाया। उसमें एम. एल. ए. गये। मैं सात साल से एम. एल. ए. हूं, परन्तु एक दिन का भी मैंने टी. ए., डी. ए. कहीं आज तक नहीं लिया है। अब गाड़ी ले जाओ आप। आपके अधिकारी गाड़ियों में ले जाते नहीं कि एम.एल.ए. आयेगा तो और कोई फंदेबाजी होगी, मतलब हम जो करना चाहेंगे, वह नहीं होगा। इसलिए वह एम.एल.ए. को अवाइड करके जाना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरह से जो हमको कांस्टीट्यूएंसी देते हैं, आप एक महीने इस कांस्टीट्यूएंसी अलाउंस को बंद कर दीजिए और हमको महीने में 10 दिन या 15 दिन कांस्टीट्यूएंसी के दौरे के लिए गाड़ी दीजिए। अब इसका हल्ला हो जायेगा कि एम.एल.ए. ने इतना बढ़ा लिया, अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, मेरा आपसे निवेदन है कि आपके एम.एल.एज. के क्वार्टर हैं, वहां पर न आपका कोई नौकर है, न कोई सफाई कर्मचारी है। एम.एल.ए. खुद ही तो सफाई करे, आने वाले को खुद ही चाय पिलाये, एम.एल.ए. लैट्रीन बाथरूम की सफाई भी खुद ही करे। अब एम.एल.ए. के पास पैसा नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं। मैं खुद लैट्रीन, बाथरूम की सफाई करता हूं जब गंदे हो जाते हैं। मैं खुद झाडू लगाता हूं, जब क्वार्टर गंदे हो जाते हैं। कौन कहां से नौकर रखे? तो आप इसकी फैसीलिटीज, जैसे गवर्नमैण्ट होस्टल में आपके सफाई कर्मचारी रहते थे, वह सब कुछ ही आपने हटा लिये एम.एल.एज. से। अब टेलीफोन की बात, अब हल्ला हो जायेगा कि इतनी फैसीलिटी बढ़ा दी, इतना किराया बढ़ा लिया, टेलीफोन के 1989 के बाद चौगुने दाम हो गये। जयपुर में एक टेलीफोन करो, उसके आपके दो रुपये लगेंगे। कांस्टीट्यूएंसी के 10 आदमी आ गये, उन्होंने दस जगह टेलीफोन कर लिये। कांस्टीट्यूएंसी वालों को, मुख्य मंत्रीजी, कोई एम.एम.ए. मना नहीं कर सकता है कि आप काल यहां से मत करो, आप कहीं भी मत करो। इस तरह से जो एम.एल.एज. के प्रति जनता की अपेक्षा है कि एम.एल.एज. को फ्री टेलीफोन मिलते हैं। कांस्टीट्यूएंसी वाले कभी नहीं कहते हैं कि आपके चार्ज लगता है, कांस्टीट्यूएंसी वाले यह मानते हैं कि एम.एल.ए. का टेलीफोन तो गवर्नमैण्ट का टेलीफोन है, तो कहीं से भी आयेगा तो चलो, एम.एल.एज. के यहां से टेलीफोन करेंगे। उसको कहीं जयपुर में करना होगा, दौसा करना होगा।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह तनख्वाह मत बढ़ाओ, बेहतर हो कि आप सुविधाएं बढ़ाओ कि एम.एल.एज. के लिए एक टाइपिस्ट हो। अब कांस्टीट्यूएंसी में हम जायेंगे, एम.एल.ए. को बैठने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। एम.एल.ए. कहां बैठे? तहसील में बैठे, पंचायत समिति में बैठे, कहां बैठे? लोग आखिर उससे कहां मिलेंगे? अध्यक्ष महोदय, आप एक टाइपिस्ट दो या हमारे यहां विधायक नगर और

(श्री परसादीलाल मीणा)

विधायकपुरी है तो दो दो टाइपिस्ट आप एक जगह बैठा दो तो हम अपने लैटर तो टाइप करा लें, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे। यह सही है कि एम.एल.ए. को आप लोग इतना पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन यह सारा पैसा टेलीफोन में खर्च होता है, पोस्टेज में खर्च हो जाता है, रोज विधान सभा आने में खर्च हो जाता है। एम.एल.ए. के पास बचता क्या है ? मेरा तो यह निवेदन है कि आप सुविधाएं दें। आपके फ्लेट की कौन सफाई करेगा ? वहां एम. एल. ए. सफाई करे, या नौकर रखे तो पांच सौ रुपया तो नौकर ही ले जाये। कम से कम डेली वेजेज का रखें तो पांच सौ रुपये महीने या हजार रुपये महीने तो नौकर ही ले जाये। इसलिये एम. एल. ए. को खुद को सफाई करनी पड़ती है। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप वेतन और भत्ते नहीं बढ़ाकर एम. एल. ए. को ऐसी फैसीलिटीज दें। आपने फर्नीचर की सीमा बांध दी। आज 10 हजार रुपये का एक सोफा होता है, 10 हजार का डबलबैड आता है, आपके पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी इसकी मनमानी रेट लेते हैं। वैल फर्निशड आप उनको बंगला दीजिए, आपको देना है तो। हम नजदीक वाले एम. एल. एज. की तो यह परेशानी है कि रोज 10-15-20 आदमी कांस्टीट्यूएंसी के आ जाते हैं।

(7.00 रात्रि)

उनको चाय पिलाओ, उनके इधर उधर के काम काज करवाने के लिये उनके साथ जाये। अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा नहीं लगता कि किसी आफिस में उनको लेकर जाय, 15 आदमियों को और वे हमारा किराया दें। तो वह किराया एम.एल.ए. को देना पड़ता है कि आप चलिये हमारे साथ, एम.एल.एज. खुद किराया देता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की फैसेलिटी, यह वेतन 750 या कितना बढ़ाया आपने इसके बजाय सुविधा बढ़ाये। आप टाइपिस्ट दें एम.एल.एज. को, काम-काज में गति आयेगी, स्टेनो दे जिससे काम काज में एम.एल.एज. को सुविधा बढ़ेगी। कई एम. एल एज. ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पढ़ नहीं सकते, उनके काम में आसानी हो जाय।

तो आपसे निवेदन है कि आप फैसेलिटी की तरफ ध्यान ज्यादा दें, मुख्य मंत्रीजी। टेलीफोन के बहुत ज्यादा पैसे बढ़ गये। आप देखेंगे कि 1989 के बाद टेलीफोन के दाम हर साल, हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। आज जयपुर में एक लोकल टेलीफोन करें तो दो रुपये लगते हैं। आप लोकल, जयपुर को तो फ्री कर दें कि लोकल का जितना भी आयेगा गवर्नमैण्ट भरेगी या बाहर का इतना मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि बेहतर हो कि जो मुख्य मंत्रीजी बिल लाये हैं, उसकी जगह आप और फेसेलिटीज एम.एल. एज. को दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन साहब।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय अध्यक्षजी, मैं स्वयं भी इसी विचारधारा का हूं कि जो कुछ भी टोटल इमोल्यूमेंट्स लेते हैं या जो कुछ भी परिलब्धियां हमको प्राप्त होती हैं, यदि आप उसका विवेचन करें, मैं यह मानता हूं कि जो कुछ हमको मिलता है खर्चा उससे कहीं ज्यादा

(श्री अर्जुनदास मदान)

है। मेरा तो आपसे केवल मात्र इतना ही आग्रह है कि जैसे आपने गवर्नमैण्ट एम्प्लायज के साथ एक प्राइस इन्डेक्स के साथ बांध दिया, महंगाई के साथ बांध दिया, जैसे पिछले साल 71 पर्सेण्ट दिया, अब सैण्ट्रल गवर्नमैण्ट ने 83 पर्सेण्ट कर दी, परन्तु आप हर बार बिल लाते हैं, लोगों के पास बाहर बातें पहुंचती हैं और लोग यह समझते हैं कि विधायक लोग बैठ कर अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। मेरा तो इस बारे में सबसे पहला निवेदन आपसे इतना है कि आप प्रति वर्ष दो साल हो या तीन साल बाद बढ़ाने की व्यवस्था नहीं करें तो उपयुक्त होगा। केवल मात्र आप यह बांध दीजियेगा कि जैसे राजकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अपने आप बढ़ोतरी होती है, ज्यों ज्यों महंगाई बढ़ती है उनका पर्सेण्टेज बढ़ता चला जाता है, इसी तरह एम.एल.एज.,एम.पी., मिनिस्टर का बढ़ाते चले जाय ताकि लोगों की नजर में नहीं पड़े, लोगों के ध्यान में नहीं आवे और उसके बाद जो कुछ लोगों को दूसरों को मिलता है विधायक को भी मिले। मान्यवर, आपसे इतना निवेदन करता हूं कि आज विधायक बनने के बाद मैं व्यक्तिगत जीवन में यदि कभी अपना आंकलन करता हूं तो ऐसा महसूस करता हूं कि जो कुछ हमको मिलता है धर्म ईमान से कोई सोचे तो मैं समझता हूं कि साढ़े सात हजार महंगाई मिला कर पौने तीन हजार या तीन हजार रोटी खाने के लिये मिलता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिये, मैं अपना बिल तो नहीं लाया लेकिन मैं आपको पूरी अपनी ईमानदारी के साथ निवेदन कर रहा हूं कि कोटा नगर में रह कर मेरे टेलीफोन का खर्चा साढे पांच हजार छह हजार रुपये आता है जो दो महीने का आता है। तो आप मान लीजिये कि ढाई-पौने तीन हजार रुपये महीने का खर्चा है और आप देते हैं साढ़े बारह सौ रुपये। साढ़े बारह सौ आपने दे दिया और यदि तीन हजार मेरे खर्च हो गये तो मुझे मिला क्या? मैं तो केवल मात्र इतना ही निवेदन करता हूं कि जो कुछ आपने दिया, बाहर लोगों की ऐसी परिकल्पना है कि विधायक बहुत बड़ा आदमी हो गया समाज में। लोग आते हैं तो उनकी खातिर करनी पड़ती है, लोग आते हैं तो उनको रखना भी पड़ता है। उसका काम हो या नहीं हो, मैंने अगर टेलीफोन के ऊपर अंगुली घुमा दी और मान लीजिये उसके काम करने के लिये मैंने पहले इन्क्वायरी से नम्बर पूछा और फिर इन्क्वायरी के बाद नम्बर मिलाया और यदि वह आदमी नहीं मिला, दूसरी बार और तीसरी बार मैंने टेलीफोन किया। आने वाले व्यक्ति का काम होता कि नहीं होता, मेरे तीन रुपये खर्च हो जाते हैं। अब स्थिति यह हो जाती है ऐसा लगता है कि किसी लड़की का नाम रख दिया लक्ष्मीबाई और उससे पूछा लक्ष्मीबाई, तू क्या करती है तो कहती है कि साहब मैं गोबर थेपती हूं। तो मैं तो अभी जब आप पूछ रहे थे, मैं तो ऐसा सोच रहा था, जैसे आपने पूछा कि मैं सदन से जानना चाहता हूं कि टाइम बढ़ा दिया जाय, टाइम की अनुमति ली तो मैं तो यह सोचता था कि आप पैसे बढ़ाने के बारे में आप सब से प्रस्ताव मांग रहे हैं। मैं यह तो मानता हूं चाहे कोई आदमी बोले, मान्यवर, कई आदमी बोलते हैं, कई आदमी नहीं बोलते हैं, लेकिन विश्वास कीजिये,

(श्री अर्जुन दास मदान)

यदि मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर सकता तो ऐसा मत सोचिये कि मैं उसको महसूस नहीं करता। हम सब इन्सान हैं, हर अनुकूलता का, प्रतिकूलता का हमारे जीवन के ऊपर असर पड़ता है, परिस्थितियां हमको भी मोड़ती हैं। अब जब आप विधायक से यह चाहते हैं कि वह ईमानदारी से काम करें, लोगों के साथ कोई रिश्वतखोरी नहीं करें, अपने धर्म ईमान से अपने दायित्व कर्त्तव्यों का निर्वहन करें तो उसको कम से कम इतना तो दीजिये कि वह ईमानदार बन सके।

गाड़ी के बारे में मैं आपसे निवेदन करता हूं। अभी आपने दो हजार से ढाई हजार कर दिया। इस बारे में आपसे निवेदन है कि आप तय कर लीजिये कि इतने किलोमीटर के ऊपर विधायकों को मिलेगा। क्या होता है 1500 पर दो हजार, दो हजार के ढाई हजार। यह लोगों को लगता है कि 500 इनके बढ़ गये। आप यह तय कर ले कि 10 हजार किलोमीटर या 20-25 हजार जितना भी हो, जैसे 20 हजार पिछली बार था उस ऊपर आप तय कर लें 20 हजार में कितने किलोमीटर एक विधायक जा सकता था, आज उतनी यात्रा अगर वह करें तो कितने रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। अगर उस वक्त 20 हजार का खर्चा, आज मेरा 25 हजार हो जाता है तो आपने तो 5 हजार ही बढ़ाये हैं लेकिन मेरा बढ़ा तो कुछ नहीं। वह वापस इस जेब से निकल कर दूसरे की जेब में चला गया। तो मैं केवल मात्र, मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जैसे महंगाई का आप देख लें, इसको इन्डेक्स के साथ जोड़ दें, यात्रा भत्ता किलोमीटर के साथ जोड़ दें, टेलीफोन को भी आप जोड़ दें कि टेलीफोन पर भी बढ़ता चला जायेगा अपने आप।

हम लोगों के बारे में आपसे केवल मात्र इतना ही निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि संजीदगी से, ईमानदारी से विधायक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सके और भली प्रकार अपने उत्तर दायित्वों को निभा सकें, जो लोग आते हैं उनकी खातिर भी कर सकें ताकि वह अपना सही जीवन बिता सके। इन्ही शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बिल का अनुमोदन करने के लिये नहीं, खड़ी हुई हूं, मैं यह कहने के लिये खड़ी हुई हूं कि यह बहुत गलत परम्परा है कि एक ही साथ पहले मंत्री का संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत किया जाय और उसके साथ-साथ राजस्थान विधान सभा के अफसरों के, सदस्यों के परिलब्धियां और पेन्शन विधेयक यहां पर पेश किये जाय। एक साथ मंत्रियों ने अपने वेतन बढ़ाये हैं 1500 रुपये महीने और विधायकों को दिये है 750 रुपये महीने के। मैं यह नहीं कहती कि आप 750 रुपये बढ़ाये या नहीं बढ़ाये लेकिन यह परम्परा गलत है कि जो करने वाले हैं वह तो अपना सब कुछ कर लें और बाकी खैरात बांट देते हैं हमें यूं करने के लिये कि हमारा बिल तुम पास कर दो, लो खैरात देते हैं 750 रुपये की।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह गलत परम्परा है और इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह बिल अलग अलग आना चाहिये था। यदि मंत्रियों को अपना वेतन संशोधन करवाना था, बढ़वाना था तो लाते और उसके बाद यदि बिल लाना था विधान सभा के सदस्यों का, आफिसरों का तो उसे रखते। पहले अपना रखा 1500 रुपये बढ़ाये और उसके बाद खैरात बांटी। इसलिये मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि इन दोनों बिलों को आप अस्वीकार कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विधायकों....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्रियों को फ्री टेलीफोन है, गाड़ियां मुफ्त की है, दो दो गाड़ियां है, मर्जी आये जहां टेलीफोन करो, बाहर करो या चाहे कुछ भी करो और दूसरी तरफ खैरात बांट रहे हैं। नहीं चाहिये आपकी खैरात हमें और अपना बिल वापस ले लें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विधायकों की जैसी दयनीय स्थिति है····(व्यवधान)····सुन तो लें मेरी बात को, बाद में आप अपनी बात कहना। इसलिये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, चाहे विधान सभा का सत्र हो और चाहे समितियों की बैठकें हो, जब हम उक्त बैठकों में आते हैं और बैठक की समापन पर हम एक तरफ खड़े यह प्रतीक्षा करते रहते है कि कब अधिकारी महोदय की कार जाये और उसके बाद हम आटो रिक्शा या रिक्शा तलाश करें। अधिकारी आते हैं मीटिंग में और बाहर आये और कार में बैठकर रवाना हो गये और हम आटो तलाश करते हैं। कैसे ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं होगी ? यह जा रहा है +++ की तरह रिक्शे में बैठकर। अध्यक्ष महोदय, आप तनख्वाह बढ़ाये या नहीं बढ़ाये, विधायकों के लिए राजस्थान सरकार ने नियम बना दिये थे कि पंचायत समिति की गाड़ी विधायक चाहे तो ले लेगा। पंचायत समिति की गाड़ी आज तक नहीं मिलती है। इसलिए मांग करना चाहूंगा कि आप जिला पूल की गाडी विधायक को सुलभ करायें। हम जब दौरे पर जाते हैं, एक दिन का खर्चा एक गाड़ी पर यदुनाथ सिंह तो पांच सौ कहते हैं, हो सकता है उनके यहां सड़कें हों पांच सौ में पड़ता होगा, झुंझुनूं में रेत के टीले हैं, फोर बाई फोर की गाड़ी चाहिए उसके बिना गांवों में नहीं जा सकते हैं। एक हजार खर्चा पड़ता है। गाड़ी का किराया, तेल और दूसरे खर्च अगर पांच दिन सात दिन भी जाओगे तो इतना पैसा कहां से लायें अगर आप चाहते हैं कि विधायक ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ पूरा करें विधायी कार्यों को यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

मैं कहना चाहता हूं कि 1989-90 में जब हम इस सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये टेलीफोन 50 पैसे में होता था, पब्लिक बूथ में भी करते तो पचास पैसे का सिक्का डालना पड़ता था अब सवा रुपया कर दिया है और एक सीमा उसके बाद 2 रुपए। एक नया कानून बनाया है कि तीन

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद)

मिनट से ज्यादा बात करोगे तो डबल चार्जेज लगेंगे। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे कहना चाहता हूं कि ग्राप ढाई सौ रुपया टेलीफोन का बढ़ाने जा रहे हैं। टेलीफोन पर जिस ग्रनुपात में रेट बढ़ी है, उसमें एक हाथ से दे रहे हैं व दूसरे हाथ से ले रहे हैं। जिस ग्रनुपात में रेट बढ़ी है, उस ग्रनुपात में तो टेलीफोन के पैसा बढ़ाने चाहिए।

पोस्टेज का सवाल है, पहले 35 पैसे का एक लिफाफा ग्राता था तब ग्राप 500 देते थे फिर 50 में ग्राने लगा तो ग्रापने 625 कर दिये फिर ग्राज 1 रुपया में ग्राता है तो ग्राप इसके ग्रन्दर वृद्धि नहीं कर रहे हैं। जिस ग्रनुपात में बढ़ाना चाहिए।

ग्राज हमने एक स्टेनो रखा है 400 रुपया तो उसको पार्ट टाइम का देते हैं। टाइप मशीन हमारी, कार्बन कागज हमारे ग्रौर उसके बाद भी चार सौ में काम नहीं करता। खर्चा कैसे चलेगा ? एक तो गाड़ी की व्यवस्था हो जाय, लोकल काल फ्री हो जाय, टेलीफोन की स्थिति यह है कि बिना 4 फोन किये मन्त्री नहीं मिलता ग्रौर बिना 6 फोन किये कोई ग्रधिकारी नहीं मिलता। ग्रधिकारियों के नम्बर बदल गये, पुराना नम्बर करते हैं, फिर 197 नम्बर लगाते हैं उसके बाद नम्बर मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग को चाहिए था कि बदले नम्बर की सूची भिजवाते। यह जबरदस्ती का खर्चा हमारे सिर पर हो रहा है। तो कम से कम यह होना चाहिए कि लोकल काल की संख्या निर्धारित कर दें। जिला पूल की गाड़ी सुलभ करा दें ग्रौर एक स्टेनो विधायक को दे दें तो वह ग्रपने कार्य को भलीभांति ग्रंजाम दे सकता है।

ग्रध्यक्ष महोदय, एक बात ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रियों के बढ़ान का सदस्य विरोध कर रहे थे, माननीय भंवरलालजी शर्मा हमारे स्वायत्त शासन मन्त्री हैं, उन्होंने गाड़ी नहीं ले रखी है, ग्राप उनको 500 रुपये कन्वेन्स ग्रलाउंस देते हैं। 500 में तो ड्राइवर भी नहीं ग्राता है। एक हजार से कम में ड्राइवर नहीं मिलता है। ग्रध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि मन्त्रियों के बारे में बात कह दी। शांतिलालजी चपलोत मेरे बराबर रहते हैं, मैं एक बार जब उन के घर पर गया तो वह स्वयं ग्रपने कपड़ों पर प्रेस कर रहे थे। ग्रगर किसी विधायक को विश्वास नहीं हो तो जाकर देख ले। मैं निवेदन कर रहा था कि कैसे खर्चा चलता है यह तो ग्राप बता दीजिए। ग्राज सारा खर्चा जैसे यदुनाथसिंहजी ने जोड़कर बताया, यह बात सही है उससे कम में खर्चा नहीं चल सकता है। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापको सुनकर ग्राश्चर्य होगा मैं सदन के ग्रन्दर यह बात कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा विधायक हूं दूसरों की मैं नहीं जानता, जिसका विधायक बनने के बाद तीन बार मेरे घर का टेलीफोन नोन-पेमेण्ट के कारण कटा है। तीन बार कटा है ग्रौर पैनल्टी जमा कराके टेलीफोन जुड़वाया है, मेरे भाइयों से पैसा लेकर। पहले मेरे पिताजी मदद करते थे....

श्री ग्रध्यक्ष : एक मिनिट, मैने यह स्टेटमेण्ट इसलिए मंगाया है क्योंकि श्रीमती सुमित्राजी ने कहा कुल मिलाकर माननीय सदस्य का एक हजार बढ़ाया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 750 बढ़ाया है।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : अध्यक्ष महोदय, भेदभाव तो मत करिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। मेरी सुन तो लीजिए। 500 रुपये सैलेरी में, 250 रुपए एलाउंस और 250 रुपए मेडिकल रिम्बर्समेण्ट पर।

एक माननीय सदस्य : यह एक्स-मेम्बर्स का है। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह टेलीफोन का 250 बढ़ाया है, इसके रूल्स हैं अलग से। उसमें टेलीफोन का 250 बढ़ाया है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है मैं समझ गया। 250 रुपए टेलीफोन का (व्यवधान) सुन तो लीजिए। मन्त्रियों का बढ़ा है। मुख्य मन्त्री का एक हजार है, मन्त्रीगणों का 1 हजार है, राज्य मन्त्रियों का 750 है, उप मन्त्री का 500 है संसदीय सचिव का 500 है। सम्चुअरी अलाउंस है यह अलग से है। (व्यवधान) आपको सम्चुअरी अलाउंस नहीं मिलता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 1500 बढ़े, यह सही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : बहुत बड़ा अन्तर नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 750 और 1500 डबल तो हो गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप एक तो टेलीफोन काल की संख्या निर्धारित करके विधायकों को सुविधा दें, दूसरी बात विधायक अपने क्षेत्र में जायें तो पंचायत समिति के बजाय जिला पूल से उसको जीप मिले और तीसरा, स्टेनो टाइपिस्ट मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मेरा तीन बार टेलीफोन कटा पैसा जमा नहीं कराने की वजह से। आज हम यह बाट जोहते रहते हैं कि कब हमें तनख्वाह मिलेगी। पहले मेरे पिताजी सहायता करते थे अब वह रिटायर हो गये। आज हमारी स्थिति खराब हो गयी है, हर महीने हम कर्जदार होते चले जा रहे हैं। हम कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ सुविधाएं तो दो जो विधायक को चाहिए। हमारे निर्वाचन क्षेत्र से लोग आते हैं उनको कहें कि आटोरिक्शा लेकर आओ ? गाड़ी में बैठाकर ले जाना पड़ता है, आटो में जावें तो उसका पैसा हम को देना पड़ता है। मन्त्रियों को सत्कार भत्ता आप देते हैं तो जो हमारे पास यहां आते हैं, हमारी बेटी की सगाई में शादी में आ रहे हैं ? हमारे पास जनता पब्लिक काम के लिए आती है, उसको चाय पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ भी जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मन्त्री टेलीफोन करते हैं तो राज कार्य के लिए करते हैं और हम तेल और दाल के भाव पूछने के लिए फोन करते हैं। हमें जो टेलीफोन करना पड़ता है वह भी जनता के काम के लिए करते हैं। अगर यह विधायकों को सुविधा मिलती है तो अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अपने अध्यक्षकाल में विधायकों

(श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद)

को कुछ सुविधाएं दिलाने का कार्यक्रम शुरू किया है चाहे विधायक कक्ष का निर्माण कराया हो, चाहे मेटाडोर खरीदी हो, चाहे और उसकी सुविधाएं दी हो। एक बात मैं ग्रापके माध्यम से ग्रौर कहना चाहूंगा मेरे जैसे नये चुनकर ग्राये विधायक हैं ग्राज राजस्थान ग्रावासन मण्डल को प्राथमिकता के ग्राधार पर सदस्यों को मकान देता है उसका पंजीयन बन्द तक किया हुग्रा है। ग्राप राजस्थान सरकार को निर्देश दें कि वह 2 अक्टूबर से, गांधी जयन्ती से कम से कम हाउसिंग बोर्ड को मकान का रजिस्ट्रेशन तो शुरू करावे ताकि हम मकान का रजिस्ट्रेशन करा सकें।

श्री सम्पतसिंह : परसों ही लाटरी निकली है।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो लाटरी कहां से निकली ?

श्री जगतसिंह दायमा : माननीय सदस्य 20 किलोमीटर मिलेगा ग्रगर लेंगे तो।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : कहीं मिले, ग्राप यहां दिलाना चाहते हैं क्या ?

श्री जगतसिंह दायमा : जगमालसिंह ग्रौर सम्पतसिंह से पूछ लो, क्या हाल हो रहा है।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : कहीं मिले। मकान तो मिलेगा ग्राप मत लेग्रो, ग्राप ग्राज सरेण्डर कर दो। करो सरेण्डर। कहीं भी मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने यह स्थिति बना गयी है कि टेलीफोन की रेट बढ़ गयी, रेल्वे का किराया बढ़ गया, रेल्वे कूपन की बात है हम जेब में तो रखते नहीं। ग्रपने यहां उत्तर-प्रदेश जैसी स्थिति तो कर नहीं रखी है कि विधायक के जो रेल्वे के कूपन बचें जायं उसका ग्रमाउण्ट उसके खाते में जमा हो जाय। ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। वह विधायक जो कन्ज्यूम करेगा वही तो काम में लेंगे बाकी तो 10 प्रतिशत पैसा काटकर ग्रापको मिल जाता है। वह वापस एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं जो कूपन दे रहे हैं भारत सरकार के रेल्वे के किराये के तहत वापस देते हैं, पिछले दो साल में 60 प्रतिशत किराया बढ़ा है उसके हिसाब से 20 हजार से 32 हजार तो ग्रपने ग्राप ही हो जाता है ग्रौर ग्राप 20 हजार से 25 हजार कर रहे हैं। मैं ग्रापके माध्यम से यह ग्रपील करना चाहता हूं कि इसको बढाया जाना चाहिए ग्रौर विधायक सही तरीके से ग्रपने काम को चला सके, जनता की ज्यादा सेवा कर सके, यह सुविधा मुहैया करनी चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप नहीं बोल रहे हैं। ग्राप बोलेंगे ? बोलिए।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ग्रध्यक्ष महोदय, इस बिल पर मैं भी ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा, मेरे पूर्व जो विधायक बोल रहे थे, उन्होंने विधायक के मन की पीड़ा व्यक्त की है। एक विधायक किस तरह से ग्रपने क्षेत्र के लोगों के लिए ग्रपने ग्रापको मेनेज करता है, ग्रगर वास्तव में सेन्सीटिव होकर सारे विधायकों की पीड़ाग्रो को समझकर सरकार के सामने रखेंगे ग्रौर

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

सुविधा को बढ़ायेंगे, पैसे कितने बढ़ायें उससे मतलब नहीं, वास्तव में विधायक यह चाहते हैं कि सुविधाएं बढ़ायें। तो वास्तव में यह इतनी जो राशि बढ़ाई है, उससे भी सम्भव नहीं है। मेरा तो आग्रह है, जैसे मैं उदयपुर का विधायक हूं, अगर पांच बार भी महीने में आना-जाना करूंगा तो मेरे तो केवल उदयपुर आने-जाने में साल भर के 48 हजार रुपये होते हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि गुजरात में जो माननीय सदस्य हैं, अगर अपने प्रांत में घूमते हैं तो वे रेल में अन-लिमिटेड घूम सकते हैं। जैसे हमारे यहां रोडवेज मे कोई लिमिटेशन नहीं है तो मैं चाहूंगा कि सरकार यहां हमारे माननीय सदस्यों को राजस्थान में रेल में कहीं भी घूमता है तो उसका लिमिटेशन खत्म कर देना चाहिए और यह जो रेल्वे कूपन बढ़ाये हैं वह अगर अपने राज्य, प्रांत से बाहर जाता है तो इनका उसके लिए उपयोग हो। मैं यह भी इस विषय में आप से सरकार से संशोधन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य इसमें डोमेस्टिक के बजाय इण्टरनेशनल में कहीं जाना चाहता है तो इसका उपयोग इसमें किया जाये क्योंकि लिमिट तो आपने बांध रखी है, इसके ऊपर का खर्च अगर माननीय सदस्य वहन करके किसी कार्य में या फंक्शन में जाता है तो मैं समझता हूं, इसमें इन सुविधाओं को इन्क्लूड करना चाहिए।

अभी जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि क्षेत्रों में जाते हैं, कन्वेन्स की किस तरह से समस्या आती है। पंचायत समिति में जीप मिलता है 7 दिन, इस तरह की सरकार ने सूचना निकाली है लेकिन वास्तव में इसका क्रियान्वन नहीं हुआ है। एक माननीय सदस्य अगर मीटिंग में उसमें जिला अधिकारियों के बीच में जाता है, तो मीटिंग के बाद उसके दिल से पूछा जाये कि तेरे क्या हाल है। सारे अधिकारी गाड़ियों में बैठकर जाते हैं, वह एक मजनू की तरह वहां खड़ा रहता है कि कोई आये और मेरे को बिठाकर के ले जाये या वह टैम्पू के चक्कर में वहां खड़ा रहेगा। तो वास्तव में यह एक आत्मिक पीड़ा है, उस पीड़ा को समझा जाये कि जो दो लाख का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के क्या हाल हैं। इसलिए मेरी एडवाइज है कि इस तरह की मीटिंग में भी साधन का उपयोग हो तो वास्तव में एक सदस्य के लिए बहुत बड़ी देन होगी। पूर्व में भी हमारे माननीय सदस्य ने आपसे आग्रह किया था कि माननीय सदस्यों को जीप के लिए इण्टरेस्ट फ्री लोन दिया जाये ताकि अपने क्षेत्र में अपनी उस जीप का उपयोग कर सके और आसान किश्तों में इसका जो मूल्य है उसकी रिकवरी की जाये।

यह भी मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है, जैसे कि मकानों का पहले माननीय जितने पुराने सदस्य हैं, उनको हाउसिंग बोर्ड की तरह से अलाटमेण्ट किया गया लेकिन जितने नये सदस्य चुनकर आये हैं, उनके आवंटन के लिए सरकार ने कोई नई नीति निर्धारित नहीं की जिससे वह अपना वहां बुकिंग करा सके। इसलिए मेरा आग्रह है कि नये सदस्य जो चुनकर के आये हैं उनके लिये भी अपने क्षेत्र में या जयपुर में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक बुकिंग चालू की जाये जिसमें इण्टरेस्ट फ्री एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट पर मकान मिले। अगर आप आम जनता की तरह अगर उसका इण्टरेस्ट लगाते

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

हैं तो कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जो उस स्तर पर जो मकान मिलता है उसकी किश्तें चुका सके। क्योंकि मेरे को स्वयं को भी अलॉट हुआ लेकिन अभी तक मेरे को जो डिमाण्ड नोटिस इश्यू हुआ उसका पैसा जमा नहीं करा पाया। इसलिए यह जो पीड़ा है सारे माननीय सदस्यों की है।

अत: मैं आग्रह करता हूं कि इस तरह से पैसा न बढ़ाकर के सुविधाएं बढ़ाई जाये, ताकि आम जनता की किसी तरह की आपत्ति के पात्र भी नहीं बनेंगे और सारे माननीय सदस्य जनता की सेवा कर सकेंगे। धन्यवाद। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : देवेन्द्र सिंह जी।

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस बिल का विरोध करता हूं और विरोध इसलिए करता हूं कि माननीय अभी यदुनाथ सिंह जी ने अपना सारा घर का खर्चा बताया, हो सकता हैं इससे कोई कम करता हो और कोई इससे ज्यादा करता हो लेकिन हम सब लोग यहां पर ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई सरकार से बहुत बड़ी मेहरबानी हम चाह रहे हों। हर माननीय सदस्य जानता है कि जब वह विधायक बनकर आते हैं तो उनकी क्या ड्यूटीज रहेगी, उसको क्या सेलेरी, क्या अलाउन्सेर्ज मिलेंगे। उसके बाद में भी हम लाखों रुपये खर्च करके इस विधान सभा में आते हैं। आते इसलिए है कि हम जनता की सेवा कर सकें और जो कुछ हमको फेसेलिटीज मिलती है उसके माध्यम से सुचारू रूप से अपना काम चला सकें। मैं बहुत विस्तार से आपसे निवेदन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज मैम्बर आफ पार्लियामेण्ट के मुकाबले में राजस्थान की विधान सभा के सदस्य की ज्यादा ड्यूटीज हैं। उसको अधिक खर्चा करना पड़ता है, अधिक दौरा करना पड़ता है, अधिक टेलीफोन का खर्चा करना पड़ता है। उसके निर्वाचन क्षेत्र के जितने लोग उसके घर पर आते हैं, एम. पी. के घर नहीं जाते हैं। मैं आपसे एक ही वाक्य में निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुविधाएं एम. पी. को है, वह सुविधाएं हमको दिला दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपके हजार रुपये। मैं विरोध करता हूं हजार रुपये का, हजार रुपये देकर के आप क्या करना चाहते हैं? हमारा मुंह बन्द करना चाहते हो? इससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है और हमको किसी ने कसम नहीं खिलाई थी कि आप विधान सभा में जाओ ताकि आपका पैसा बढ़ेगा।

मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारे हजार रुपये बढ़ाएंगे, सारे अखबार कल एडीटोरियल में लिखेंगे कि विधायकों ने अपनी सुविधाएं बढ़ा ली, तनख्वाह बढ़ा ली। इन अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया, बोनस मिल रहा है, इनको यह सब मिल रहा है यह कोई नहीं लिखता। कोई नहीं लिखता इनकी आज की तारीख में लेकिन आज आप हजार रुपये बढ़ाएंगे, 500 रुपये कूपन के बढ़ाएंगे तो कल सारे अखबार कहेंगे। मैं, हम हमारे क्षेत्रों में जाएंगे तब एम. एल. ए. क्या कहेंगे कि आपने 10 रोज तक विधान सभा इसलिए बुलाई कि आपके हजार रुपये और बढ़वाने थे?

(श्री देवेन्द्र सिंह).

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत गम्भीरता से सरकार इस पर विचार करे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बैठकर के बात करे और ये हजार रुपये के बजाय जो फेसिलिटीज हम दे सकते हैं, एम. एल. ए. को वह दे। जैसे अभी यहां पर कहा गया आप फ्री टेलीफोन की सुविधा दीजिये। गाड़ी के बारे में हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने यह आर्डर निकाला है कि हर एम. पी. को 10 रोज अपने जिले में गाड़ी पूल की दी जाएगी एम. पी. को आज की तारीख में पूल से महीने में 10 रोज गाड़ी मिलती है। यह शिवचरण जी माथुर की गवर्नमेण्ट ने आर्डर निकाला। आज जब भी एम. पी. जाता है, उसके स्टेशन पर गाड़ी मिलती है पूल की और वह उसमें जाता है। हम एम. एल. ए. लोग जब जाते हैं, या तो आप घर की गाड़ी मंगवाओ या जैसा अभी इन्होंने कहा कि अफसर तो बैठे, इतनी भी गर्ज अफसर में नहीं है आज की तारीख में, हमारे टाइम में तो थी कि कोई अफसर देखे बगैर बिठाये ले जावे, उस गाड़ी को पकड़ कर खड़ी कर देते, लेकिन आज यह स्थिति है कि हमारे को नहीं बिठाते आपके एम. एल. ए. भी सड़क पर रोते फिरते हैं, कोई उनको बिठाता ही नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि यह पावर है अधिकारी को, अकेला गाड़ी में बैठकर जाता है। यदि आपका जन प्रतिनिधि उनके साथ जायेगा तो 10 प्रोबलम दिखायेगा और आज वही हो रहा है। आज अलॉटमेंट के लिए एस. डी. ओ. जाता है तो एम. एल. ए. को नहीं ले जाता है। आज बी. डी. ओ. दौरे पर जाता है तो एम. एल. ए. को नहीं ले जायेगा। आज पंचायत समिति है। आज कोई उस पंचायत समिति को देखने वाला नहीं है। हालात यह है कि आज पंचायत समितियों का भार है हमारे ऊपर, सरपंच का भार हमारे पर, विधायक का भार हमारे पर है ही और एम. पी. साहब भी कभी-कभी आवे और कहे कि दौरा करना है, साथ चलो तो ही गाड़ी हमारे साथ चल जाए। तो यह स्थिति आज की तारीख में है।

इसलिए मैं इन हजार रुपयों का विरोध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठकर के इन सुविधाओं को बढ़ायें तो हमारा सम्मान बढ़ेगा उससे। आज एक अधिकारी तो जा रहा है गाड़ी में और हमारा एम. एल. ए. उतर रहा है बस में और वहां पर दोनों मिल रहे हैं और वापस बैठकर अधिकारी तो गाड़ी में जायेगा और एम. एल. ए. खड़ा है वहां बस के इन्तजार में। इससे ज्यादा अस्वाभिमान की बात क्या हो सकती है? माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बन्द कीजिये इस हजार रुपये को, विथड्रा कीजिये इस बिल को और जितनी फेसिलिटीज आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइये। हमको कुछ नहीं चाहिए आपका पैसा, आप हजार रुपये और कम कर दे इसमें से। हमको 5 हजार रुपये देते हैं उसको और कम कर दो लेकिन यह फेसिलिटीज हमारे को मिलनी चाहिए और सम्मान हमको मिलना चाहिए। अधिकारियों के मुकाबले में सम्मान हमको मिलना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, बोलिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आपने जो हमारा यह भत्ता बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसमें मंत्रियों को आप इतना भत्ता दे रहे हैं हमें उससे कम क्यों ? इसलिए मैं सुमित्रा सिंह जी की बात की ताइद करती हूं कि इस तरीके से जो आप खैरात बांट रहे हो, हमको ऐसी खैरात नहीं चाहिए। मंत्रियों को जितनी आप सुविधाएं देते हैं उतनी अगर आप हर एम. एल. ए. को देकर के देखे, मंत्रियों से ज्यादा एम. एल. ए. काम करता है, एम. एल. ए. तो पैदल घूमता रहता है और मंत्री गाड़ी में घूमते हैं, मंत्री तो यहां से वहां तक भी चलना पसन्द नहीं करते हैं और एम. एल. ए. मारा-मारा अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर घूमता है और काम इनसे ज्यादा करने की क्षमता रखता है।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक महिला होने के नाते छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आपने यह किया है मगर इसके बारे में, महिलाओं के बारे में भी सोचिये। महिलाएं कहां-कहां तक घूमती फिरती हैं, उनकी गाड़ी की व्यवस्था करवाइये ताकि महिलाओं को काम करने में सुविधा आ सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहती हूं, इस बात को आप जरा गम्भीरता से लीजिये कि महिलाओं के लिए भी एक अलग से भत्ते की व्यवस्था करिये क्योंकि महिलाओं को प्रसूति की स्थिति से गुजरना होता है, उसके लिए भी आपको विचार करना चाहिए।

हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसी भी महिलाएं आयें। तो उन्हें इतनी भी सुविधा देनी पड़ेगी। इसलिये आपको इस पर जरूर विचार करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी तो महिलाओं की बात के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इनके ऊपर आप ध्यान देकर उनका भत्ता बढ़ावें।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

डा. जितेन्द्र सिंह : मेरा एक सुझाव है कि महिलाओं को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना चाहिये ताकि वे राजनीति में अधिक से अधिक आकर राष्ट्र की सेवा करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। हम सब जानते हैं, कि विधायकों का किस प्रकार का दायित्व है और एक विधायक का कैसा स्थान है। साथ ही माननीय विधायकों को कई प्रकार के विशेषाधिकार भी हैं। जनता और यह राजस्थान विधान सभा भी यह अपेक्षा करती है कि माननीय सदस्य सरकार पर नियंत्रण रखें, प्रशासन पर नियन्त्रण रखें और सारी जनता को न्याय मिले, इस प्रकार की कार्यवाही करें हम सब जानते हैं कि विधायी कार्य हमारा है लेकिन जैसा नदबई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज हर व्यक्ति यदि कोई नाली का निर्माण कार्य कराता है तो वह यह अपेक्षा करता है कि यह विधायक करवाये, कहीं पर लाइट नहीं आ रही है तो यह अपेक्षा करता है कि इसके लिये विधायक व्यवस्था करेगा आज इस प्रकार की मांग

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

और शहर में यह अपेक्षा की गई है। यह कोई नहीं जानता कि माननीय सदस्य केवल राजस्थान विधान सभा में जाकर विधायी कार्य करेगा, कोई बिल और बजट पास करके आयेगा लेकिन माननीय विधायक के बारे में यह कहा जाता है कि वह हमारे गांव में आये, हमारे यहां खाद की व्यवस्था नहीं है तो खाद की व्यवस्था करवाये, तेल की व्यवस्था नहीं है तो तेल की व्यवस्था करवाये और उसको ऋण की आवश्यकता है तो वह काम करे। इस प्रकार की सारी व्यवस्था है।

हमारी व्यवस्था में भी यह है, प्रोटोकोल में भी है कि राजस्थान विधान सभा का कहीं का कोई माननीय सदस्य हों, उनका स्थान चीफ सैक्रेटरी के ऊपर है। जिस प्रकार की माननीय सदस्यों ने व्यथा व्यक्त की है, उनसे मैं सहमति व्यक्त करते हुए कि आज पंचायत समिति का बी. डी. ओ. या आर. एस. ई. बी. का जूनियर इंजीनियर या उसका लाइनमैन, कलक्टर या चीफ सैक्रेटरी की बात तो केवल हम किताबों में तो कह सकते हैं, जब यहां पर कमेटी की मीटिंग होती है तो हम शासनाध्यक्षों पर नियन्त्रण रखते हैं और उसको शपथ दिलाकर काम करने के लिये बाध्य करते हैं क्योंकि यह अपेक्षा की गई है कि एक माननीय सदस्य को जन प्रतिनिधि होने के नाते विधायी कार्य करना होता है, जनता का कार्य करना होता है, इसलिये उसको विशेषाधिकार भी है, विशेषाधिकार भी है और प्रोटोकोल में उसका स्थान भी है और उसको नियन्त्रित करने की कार्यवाही भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की उसकी दशा कर रखी है, मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की हमको फैसिलिटी दें, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का भत्ता दिया जाय लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि माननीय सदस्यों को अपने कर्तव्यों और ड्यूटी को, फंक्शन को पूरा करने के लिये पूरा अवसर उपलब्ध होना चाहिये। यदि हमें वे अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं तो अन्याय करेंगे जनता के बारे में और हम जन-प्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। आज जिस प्रकार किसी भी कर्मचारी को सारी फैसिलिटी हैं, हमको कोई फैसिलिटी है ? कर्मचारी को उसका दायित्व पूरा करने के लिये जीप प्रोवाइड करते हैं, उसको टेलीफोन प्रोवाइड करते हैं, उसके कार्यालय पर किसी प्रकार का कोई खर्चा होता है, वह प्रोवाइड करते हैं, स्टेशनरी है, वह प्रोवाइड करते हैं। मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं और हम सब जानते हैं कि कोई भी माननीय सदस्य, एक्सेप्शन की बात तो मैं नहीं कर सकता लेकिन वह अपना 24 घण्टा जनता के प्रति समर्पित रहता है और उसके बाद यह महसूस करते हैं और कई बार इधर-उधर होने की कोशिश करते हैं कि यह खर्चा मैं कहां से करूंगा। आज मैंने देखा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय के यहां 100 लोग ऊपर बैठे थे।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का विधायक का कर्त्तव्य और दायित्व है, उससे जनता की भी अपेक्षा है, सरकार की भी यह अपेक्षा है और राजस्थान विधान सभा की भी यह अपेक्षा है कि वह अपना दायित्व को पूरा करें। इसलिये मेरा निवे-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दन यह है कि उसको दायित्व को पूरा करने के लिये चाहे वह स्टेनो की आवश्यकता है, चाहे टाइपराइटर की आवश्यकता हो, चीफ सैक्रेटरी के ऊपर रहने वाला एक विधायक झाडू निकाल रहा है' कई लोग तो हंस रहे हैं, कई मिलने वाले आते हैं, उनको वह बैठा नहीं सकता। ऐसी स्थिति आपने कर रखी है।

तो यह कोई फैसिलिटी नहीं चाहिये, न कोई भत्ता चाहिये लेकिन विधायक का जो स्टेट्स है उसको मैनटेन करने के लिये, अपने कर्तव्य और दायित्व को पूरा करने के लिये यह सारी आवश्यकताएं हैं, वे चाहिये। यदि हम यह समझते हैं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है या उसको जनता से किसी प्रकार का नहीं करना चाहिये तो किसी प्रकार की वह नहीं है। लेकिन इसमें कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये कि वह पत्राचार करें, चाहे कहीं सेक्रेटेरिएट जाना पड़े, जिस प्रकार का अधिकारी अपना आफिस मैनटेन करता है और मूव करने की उसको पूरी स्वतंत्रता है, गाड़ी और कर्मचारी सब उपलब्ध हैं, उसी प्रकार माननीय सदस्य को गाड़ी, टेलीफोन और पत्राचार के लिये कर्मचारी स्टेनो वगैरह सब उपलब्ध होने चाहिये जिससे वह अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुविधाओं के बारे में जो बात रखी है, यह बात सही है कि इस 500 और हजार रुपये से माननीय सदस्यों को सभी सुविधाएं पूरी हों, यह सम्भव नहीं है। मैं तो एक मुख्य बात करूंगा आपके मार्फत कि आज हमारे सभी माननीय सदस्यों की यह हालत है कि जो कुछ मिल रहा है उससे तो महीने का पूरा खर्चा भी नहीं चलता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना भी थी कि प्रत्येक एम.एल.ए. को कम से कम लोन पर एक जीप मिल जाय चाहे वह कम ब्याज पर या बिना ब्याज के हो। हम कम से कम उस जीप से अपने क्षेत्र में घूम सकते हैं और पूरे पांच साल में उस जीप का लोन हम चुका सकते हैं। इसलिये अगर जीप की सुविधा हो तो हम दूरदराज के क्षेत्र में जो गांव हैं, बहुत लम्बा–चौड़ा क्षेत्र होता है, उसमें सबसे सम्पर्क करने में हमको सुविधा मिल सकती है। तो यह बात भी अगर रख दें, लोन से हमको जीप मिलने की सुविधा मिल जाय तो उससे अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं।

मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि टेलीफोन का इतना खर्च बढ़ गया है कि यह पूरी तनख्वाह तो टेलीफोन के खर्च में निकल जाती है। इसलिये इसके टेलीफोन भत्ते को ज्यादा बढ़ाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह बात तो रिपीट नहीं करूंगा जो यहां आ चुकी है परन्तु संक्षिप्त में 2–3 बातें निवेदन करूंगा। जहां तक सवाल यह है कि हमको सवेरे कान्स्टीट्यूएंसी के आदमी 6 बजे आकर जगाते हैं और रात को 12 बजे सुलाकर के जाते हैं। रास्ते चलते हुए रात को 12 बजे घंटी बजा देते

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हैं कि इस तरफ से जा रहे थे, अब जयपुर आकर के रुक गये हैं, आपके ही यहां पर रूकेंगे तो उनको खाना खिलाना है, या जिस प्रकार का काम लेकर के आये हैं, वह करने का है, वह सब तो आपस में तय किया है उनकी सेवा करने के लिये। अब मेरा तो निवेदन है कि हमारा ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन और पत्राचार का कुछ घटाइये-बढ़ाइये मत, हमें तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेज हैं, बाकायदा बिल हमसे ले लीजियेगा, हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेज इन तीन चीजों का दे दीजियेगा। उसके अन्दर हम कोई एक पैसा भी ज्यादा नहीं चाहते हैं। एक तो बात मुझे यह निवेदन करनी थी।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करने की है कि दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के देश से आप मालूम करवा लीजियेगा, जो हाई-एस्ट सिविल सर्वेण्ट है, उससे विधायक की जो तनख्वाह है, वह कम से कम तीन गुणी है। आप यदि चाहें तो मेरे पास मौजूद है जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका में यहां तक कि उनको यह भी सुविधा है कि वे कोई भी किताब खरीदना चाहें तो वह किताब विधान सभा के एक्सपेंसेज से खरीद सकते हैं। सवेरे-सवेरे मेरे पास एक क्वेश्चन लेकर के आ जाते हैं कि साहब, मेरी जमीन के मामले में यह हो गया। अब मेरे पास वह एक्ट नहीं है। तो लाइये साहब, एक्ट अभी। बाजार से खरीद लाये। मैंने लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मंगाया, सीलिंग एक्ट मंगाया, 450 रुपये खर्च हो गये और जाते जाते वे सज्जन साथ भी ले गये। तो यह सब बातें अभी हो रही हैं। इस तरह की स्थिति.... (व्यवधान) सुनिये। सुनिये।

श्री अध्यक्ष : ले जाने वाला जरूर वकील होगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आज जो हम लोग—(व्यवधान).... । कृपया सुनिए। आज जो इस प्रकार की बात हमारे यहां पर विधायकों को नाममात्र को पैसा दे दीजिएगा यह हमारी मानसिकता का, मानसिक रुग्णता का, हिपोक्रेसी का बहुत साक्षात परिचायक है। समाज के अन्दर इस प्रकार की कुछ लुप्त भावना है कि एम.एल. ए. तो कहीं न कहीं से अपना खर्चा ले लेता है, जब तक हम अपनी इस मानसिक रुग्णता को समाप्त करके, शुद्ध भावना से नहीं सोचेंगे तब तक स्वच्छता राजनीतिक वातावरण में नहीं ला सकेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्दजी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज की चर्चा सुनकर थोड़ा दुःख हुआ। जो आज मंत्रियों के भत्ते तनख्वाहें और परिलाभ में बढ़ोतरी की हैं, हमारी भी है। मंत्रियों में और हमारे में फर्क यह है कि हम वैसे उनसे ऊपर हैं, वह सरकारी कर्मचारी हैं और हम निर्णय करते हैं, इस प्रान्त के हम कर्ताधर्ता हैं। हम कोई व्यवसाय से नहीं आए हैं इसलिए हम यह कहें कि हमारी यह जरूरत है, यह जरूरत नहीं है। हम मांगें कि हमारा इतना खर्चा है, फला होता है, यह हमको शोभा नहीं देता है। होना यह चाहिए भविष्य में भी, ठीक है कि हमारी परिस्थितियां हैं और जो मंत्रिमण्डल में है वह हमारे में ही से हैं, हमारी क्या कठिनाइयां हैं, क्या दुविधाएं हैं, किन परिस्थितियों में हम काम करते हैं,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उनसे वह अच्छी तरह से परिचित हैं। हम यहां पर मांगें कि हमारा यह है और यह हमको लिखना चाहिए, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल उपयुक्त नहीं है। आइन्दा ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरे भी हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह या उनके भत्ते बढ़ाने का प्रश्न हो चाहे मंत्रियों के बढ़ाने का प्रश्न हो, हमको उनके साथ इस तरह से बिल नहीं लाना चाहिए। उनके तो हम भाग्य विधाता हैं। वह एक तरह से हमारे अधीन हैं, लेकिन हम किसी के अधीन नहीं हैं और न हम इसको व्यवसाय समझकर यहां पर आए हैं लेकिन आखिर हम भी सांसारिक हैं, यह तो है नहीं कि हम यूं ही काम चला लें, साधु तो है नहीं। इसलिए हम मांगें उसके बजाय कोई तरीका होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम बैठ कर तय कर लें और उसके बाद में बिना किसी चर्चा के, बिना किसी मांग के जो हमारे लिए किया जाना है वह किया जाना चाहिए। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

जो नोबल प्रोफेशन हैं जैसे पुराने जमाने में डाक्टर, प्रोफेसर और वकील पैसा मांगते नहीं थे, उनके पीछे एक जेब होती थी, उसमें चुपचाप डाल दिया करते थे। (व्यवधान)....नहीं, यह हकीकत है, गांवों में आज भी पीछे जेब होती है और वह भी चांदी के सिक्के या नोट नहीं डाले जाते थे, हमेशा सोने के सिक्के चुप–चाप डाले जाते थे। इसी तरह से हमारा भी नोबल प्रोफेशन हैं, सेवा के लिए हम आए हैं। लेकिन आखिर जैसा कहा कि हम कोई साधु–सन्यासी तो हैं नहीं कि हमारी कोई जरूरत नहीं हो। इसलिए बैठकर कोई व्यवस्था होनी चाहिए उसके हिसाब से तय कर लें और कभी भी दूसरों के साथ या मंत्रियों के साथ हमारा लाभ तय नहीं होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमालसिंह यादव।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं, माननीय मुख्य मंत्रीजी और संसदीय कार्य मंत्री जी सदन की भावना तो देख ही रहे हैं, इसमें कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बहस चालू की है वह यथार्थ पर टिकी हुई है। इसलिए उस पर बहुत ज्यादा मदवार बताना कि हमारे इस मद में यह खर्चा होता है, उस मद पर यह खर्चा होता है, इसका मैं औचित्य नहीं मानता लेकिन इतना जरूर है कि अभी एक साल–दो साल पहले भारत के शहरों का जो सर्वे हुआ था, उसमें एक बात साफ सामने आई कि जयपुर भारत का सबसे महंगा शहर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो हमको व्यवस्था, सुविधा और वेतन के नाम पर जो कुछ भी मिलता था तो शायद यह माना जाता था कि असेम्बली का जब सैशन चलता है तो अपनी ड्यूटीज के लिए, अपनी राय देने के लिए, बिल पास करने और विधायी कार्य निपटाने के लिए सदस्य यहां आते हैं। अब वह स्थिति बिलकुल विपरीत हो गई है और परिस्थितियां भी बदल गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखते होंगे कि आपने 15 दिन तो कमेटीज के रख दिए हैं। अगर यह मानते हैं कि हम केवल सैशन के दौरान ही यहाँ पर रहते हैं और

(श्री जगमाल सिंह यादव)

बाकी अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं, तो यह ठीक है, इतना कोई कम नहीं है लेकिन आप प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो कमेटी के मेम्बर के रूप में भी हमको अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं। तो 15 दिन हमको जयपुर में रहना पड़ता है। एक दिन पहले आना पड़ता है और एक दिन बाद में जाना पड़ता है, 17 दिन हो गए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सत्र के आपके दिन अब कम हो गए हैं और जैसा कि 100 दिन सत्र चलना चाहिए लेकिन अब 60 दिन या 70 दिन चलता होगा, तो 6 दिन औसतन महीने का सत्र का भी आ जाता है। 6 और 17, 23 दिन तो हमको जयपुर में ही स्टे करना ही पड़ता है। कानून में आपने चाहे कुछ भी लिख दिया लेकिन यह तय है कि 17 दिन हम जयपुर में रहते हैं।

यह भी सही है, अध्यक्ष महोदय, सारे विकास के काम पहले कलक्टर साहब सड़क मंजूर कर देते थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या तहसील में नाजिम को जो अधिकार होते थे, वह अधिकार धीरे-धीरे सारे सैन्ट्रलाइज्ड हो गए, वह जयपुर में हुए हों या चाहे वह हैड आफ दी डिपार्टमेंट के पास हुए हों। उन सब विकास के कामों के लिए हमको सचिवालय के भी बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, मेरी सड़क रह गई, मेरा फला काम रह गया। इन सब कामों में जो ड्यूटीज उन दिनों में देनी पड़ती है, उनमें और चैंजेज हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसा श्री विश्नोई साहब ने कहा कि सांसारिक आदमी तो हम हैं ही, व्यवसाय इसलिए नहीं हो सकता, अध्यक्ष महोदय, कि हम जीवन-यापन के लिए ड्यूटी निभाने जितना ही मांग रहे हैं कि हमारा पेट भर जाए और हम जयपुर में टिके रह जायं। हम केवल यही तो मांग रहे हैं, हम यह तो मांग कर नहीं रहे हैं कि साहब इतना बढ़ा दें कि कुछ हमारे लिए बच जाय ताकि व्यवसाय चला लें। हम केवल इतना ही मांग रहे हैं कि ड्यूटीज अच्छी तरह से निभा लें और जीवनयापन इस जयपुर में हो जाए और हमको कुछ बचे भी नहीं, इतनी राहत हमको दे दें। उसमें मुख्य मंत्रीजी को पहले ही खड़े होकर कह देना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, मैं मिसाल के तौर बताना चाहता हूं कि कलक्टर आज जिले में बहुत सी कमेटियों के चेयरमेन हैं, 36 संस्थाओं के चेयरमेन होते हैं कलेक्टर साहब। जन-अभाव अभियोग की कभी मीटिंग, कभी डी.आर.डी.ए. की मीटिंग, कभी दूसरी मीटिंग। अध्यक्ष महोदय, आप भी पिछले सालों में यहां विपक्ष के सदस्य रहे हैं। बहुत से काम हमारे वहां पर निपटते हैं। डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में भाग लेने के लिए बहुत से माननीय सदस्य जयपुर से जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जाते हैं। हमको कोई टी.ए.डी.ए. मिलता नहीं। सरकारी कर्मचारी अगर 8 किलोमीटर दूर जाएगा पंचायत समिति के दफ्तर से, पटवारी सहित व्यवस्थापक अपना डी.ए. क्लेम कर देते हैं। 8 किलोमीटर दूर जाने पर और, अध्यक्ष महोदय, हम तो 400 किलोमीटर जाते हैं। क्या सरकार ने कभी सोचा कि हमारे जितने विकास की गतिविधियां हैं, यूनिट हमने जिले को बना दिया हमारी सारी गतिविधियों को संचालित करने का, अगर नहीं जायं तो फिर सड़क पास नहीं होगी, कहीं पानी की समस्या हमारी अटकी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

रह जाएगी। इसलिए आप उस मीटिंग में यह भी कर दें, मुख्य मंत्रीजी, हमको अगर अपनी ड्यूटी निभानी है तो हम तो मजबूर हैं, अगर आप यह भी शर्त लगा दें कि एक दिन कलक्टर के यहां डी.आर.डी.ए. की मीटिंग अटैन्ड की तो 100 रुपये जुर्माना होगा तो हम 100 रुपये जुर्माना देकर भी कलक्टर की मीटिंग में जाएंगे। आप तो भत्ते की बात करते हैं। मेरा कहना यह है कि कलक्टर को आपने इतना पावरफुल बना दिया, सारे विकास के काम वहां से होते हैं, तो हम कैसे नहीं जाएंगे ? हम जयपुर से जीप लेकर जायं, चाहे रेल से जायं, चाहे बस से जायं, किसी भी तरह से जायं अगर हमारी कमेटी चल रही है तो हम बस से सफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डी.ए. उसमें कट जाएगा। क्या करें, 100-150 का नुकसान हमको हो ही गया और फिर बस से आएंगे या रेल से आएंगे या जीप से आएंगे। हमारे 10 चक्कर तो जिले के हो जाते हैं, जिला हैड-क्वार्टर के हो जाते हैं उसकी भी आप हमको कोई सुविधा नहीं देते हैं।

कुछ ऐसे सुझाव, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देना चाह रहा हूं इस मामले में–जैसे मिसाल के तौर पर जिनके निजी मकान है उनके लिए आपने एक व्यवस्था की है कि एक्चुअल खर्चा होगा है या मेक्सिमम 500 रुपये। मुख्य मंत्रीजी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा 36 रुपये का पानी का इस बार पहली बार बिल आया है। मानसरोवर में मैं रहता हूं और अगर जीप से मैं वह बिल असेम्बली देने आ गया तो 60 रुपये का मेरा डीजल लग जाएगा और 36 रुपये का आपने मेरे बिल का भुगतान किया। इसी तरह से बिजली के बिल की बात है, हम आये महीने विधान सभा में बिजली के बिल के भुगतान की बात करते हैं। इसलिए इसमें लम्प-सम 500 की जगह 450 कर दीजिए, बढ़ाने की बात नहीं करता....(व्यवधान)...शायद आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, आप साल भर में कर लें मेरे पास पैसा नहीं है तो असेम्बली में आकर करूंगा। प्रैक्टिकल बात तो यह है एक साल में होता होगा, मेरे पास नहीं है और बिल कट रहा है तो मैं तो असेम्बली में जमा कराने आऊंगा। 500 की जगह 450 करें चाहे उसको बढ़ाए या बिजली और नल के 500 ही रहने दें, 500 की बजाय लम्प-सम हमको कर दीजिए, चाहे हमारा 800 का आ रहा है हम भुगतान कर देंगे। पैसे का अतिरिक्त भार पड़ा नहीं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं 25 हजार के कूपन्स मुख्य मंत्रीजी आपने रखे हैं। मैं उसके विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, 25 हजार रखें या 20 हजार के रखें और चाहे 30 हजार इसको रखें जैसी कि सदन की भावना है लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, आपने कह दिया कि एक साथ प्लेन में जायं, चाहे रेल में जायं, 3 ही आदमी जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं किन 2 बच्चों को घर पर छोड़कर जाऊंगा ? मेरा निवेदन है कि यू.पी. और बिहार की कमेटियां यहां आती हैं, आपने भी देखा होगा। आप अध्यक्ष भी रहे हैं कमेटीज के, जो यू.पी. और बिहार की और जितने सूबों की कमेटीज हमारे यहां आई हैं, मैं एस्टिमेट कमेटी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

में भी था और आज भी हूं, उन सब की राय यह थी कि हमारे यहां अपने स्टेट में रेल्वे से घूमने का जितना भी खर्चा होता है, वह सारे कूपन्स विधान सभा से हमको इश्यू होते हैं और जो बाहर हम घूमने जाते हैं उसकी हमारी लिमिट है। यू.पी. और बिहार की जो लिमिट है वह हमसे 3 गुणा अधिक है। उन्होंने एक बात और कही कि जो भी हमारी लिमिट है, हमारा परिवार है चाहे उसको हम एक महीने में खर्च कर लें और चाहे साल भर में खर्च कर लें। आप 25 हजार रखें हमको कोई एतराज नहीं है लेकिन इतना प्रावधान कर दिया जाय कि परिवार जो उसका है, आप ज्यादा से ज्यादा परिवार की सीमा बांध दें। पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 तो जा रहे हैं, और किसी के स्यानी बेटी है तो उस स्यानी बेटी को किस के घर पर छोड़ जाय और 2 का उपयोग करने चला जाय। मेरा आपसे निवेदन यह है कि 25 हजार आपने रखे हैं, मैं बढ़ाने की बात नहीं करता हूं, आपको जो उचित लगे वह रखें लेकिन इसमें एक संशोधन कर दें कि परिवार यात्रा कर सकता है। आपने परिवार को भी बांट कर 2 इकाई कर दिया।

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करूं, जब हम मेडिकल बिल बनाते हैं तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इलाज तो करा लिया डॉक्टर से, स्लिप तो बन वाली तिजारा और वह स्लिप बना करके हम फिर बिल बनायें, फिर डॉक्टर के पास जायें कि डॉक्टर साहब देखना जरा आपने हमको यह इलाज लिखा था, फिर वह उसको अटेस्ट करे। इतने हम वाउचर बनाते हैं, अगर उन बिलों को बनाने लगें तो रोज के आठ आठ आने की दवाई के दो, दो रुपये की दवाई के तो इतनी बड़ी पोथी बन जाती है जो हमारे बस का है नहीं। स्टेनो, पी.ए., लिपिक हमको दे नहीं रखा जो हम उन बिलों को बनवा लें। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई विशेष परिस्थिति हो, आप चाहें तो उन विशेष परिस्थितियों में किसी माननीय सदस्य को ज्यादा रिलीज कर दें, किसी का कोई बड़ा इलाज करवाना हो, दूसरी बात हो वरना मेरी राय यह है कि मेडीकल बिल बनाने हमारे बस का नहीं है। आप उसको लम-सम में जो भी कम दें, ज्यादा दें, मेरा यह अनुरोध नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मेरे ख्याल से 25 फीसदी लोग बिल बनाने में रुचि नहीं लेते और अगर कोई लेगा तो वह कहेगा उस डॉक्टर से कि मेरी तो पर्ची खो गई, पांच सौ की दवाई ली थी, पांच सौ की बना दो। तो फिर उस डॉक्टर के नोहरे खाता डोले या उस बिल की पर्ची का हम ऐसा इतिहास बना करके रखें जैसा कि विधान सभा की कार्यवाही का रखते हैं और लाइब्रेरी का रखते हैं। तो मुख्य मंत्रीजी मेरा निवेदन केवल इतना सा ही है कि विशेष परिस्थितियों में आप ज्यादा छूट दे दें परन्तु कि लम्पसम आप इस मेडीकल बिल को वेतन में जोड़ने का कष्ट करें।

एक निवेदन और करना है मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी इसके भुगतभोगी है, फर्नीचर की आपने बीस हजार की लिमिट बना रखी है। मैं इसमें भी यही चाहता हूं कि आप बीस हजार का फर्नीचर

(श्री जगमाल सिंह यादव)

मत दो हमको, 18 का कर दो या 19 का कर दो। कौन नहीं जानता कि जो सामान हमको मार्केट में सौ रुपये का मिलता है, पी. डब्ल्यू. डी. जो हमको रेट लगाती है वह दो सौ रुपये लगाती है। तो इसमें कम से कम 60-70 फीसदी कमीशन तो आपका पी. डब्ल्यू. डी. खा जाता है। या तो पांच साल के लिये जो माननीय सदस्य आये, उनको आप भत्ते के रूप में दे दो वह अपने आप जोड़ ले या ऐसी स्थिति करो कि जो पेमेण्ट लाकर दे, बीस हजार तो आपको देना है, उसका इन्ट्रेस्ट लगाना है जो भी व्यवस्था करनी है हमको दो। सामान 10 हजार का नहीं मिला प्रेक्टिकल तरीके से और पेमेण्ट हो रहा है बीस और पच्चीस हजार का। तो जितना सफेद हाथी पी. डब्ल्यू. डी. आफिस में बैठा है परचेजिग की कमीशन के लिये इस कमीशन का सिस्टम तोड़ो। एम. एल. एज. का चाहे आप सौ रुपये भत्ता जोड़ दो, उसमें आप फनिश्ड मकान दे दो। हमको जितना भी लगे दस हजार में, आप उस मकान को फनिश्ड कर दो।

तो मेरी यही राय है कि यह छोटे-छोटे जो मैंने सुझाव दिये है उससे अतिरिक्त भार भी सरकार पर नहीं पड़ेगा। और इससे एम. एल. एज. की बहुत-सी जरूरतें भी पूरी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि मैं जनता के धन का ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी का मतलब यह होता है कि जो धन है जनता का, उसका सदुपयोग हो परन्तु मुख्य मन्त्रीजी सदुपयोग से आगे बढ़ कर कन्जूसी की श्रेणी में आते चले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज जैसा माननीय विश्नोईजी ने कहा कि यहां पर सदस्यों के पैसे बढ़ाने पर चर्चा हो, यह एक दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में तो चाहिये यह कि सदन के नेता, विपक्ष के नेता और सब पार्टियों के नेता मिल बैठ करके जो तय कर लें वही पर्याप्त है क्योंकि कल अखबारों में आयेगी कि यह कानून बनाने वाले हैं इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली। जब-जब मंहगाई बढ़ती है लोगों के महगाई भत्ते अपने आप बढ़ते चले जाते हैं उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। आज हम कोई मुख्य मन्त्रीजी से पैसा नहीं मांग रहे हैं। हमारा आज स्टेटस क्या है? वैसे तो प्रोटोकाल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है लेकिन जब हम अलाटमेंट की कमेटी में मोटरसाइकिल पर बैठ करके गांव में जाते हैं तो सारे धूल में हो जाते है और तहसीलदार जाता है जीप में, बी. डी. ओ. जाता है जीप में। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार आपने स्वयं ने कहा था कि मैं पंचायत समितियों में सूचना भिजवाऊंगा कि एम. एल. एज. को जीप की व्यवस्था हो। किस एम. एल. ए. ने जीप की व्यवस्था का लाभ उठाया है आज दिन तक? क्या इससे एम. एल. ए. का स्टेटस बढ़ता है?

मुझे तो एक बात और मालूम पड़ी। अभी तक मुझे पता ही नहीं था, आज विश्नोईजी ने कहा कि हम मन्त्री से भी बड़े हैं क्योंकि मैं यह नहीं समझ पाता था कि लोग हमको बड़ा आदमी क्यों समझते हैं। जो हमारी कांस्टीट्यूएंसी का व्यक्ति हमको पान खिलाता था आज हमसे यह आशा करता है

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

कि पान हम खिलायें उसे, जो पहले खर्चा वह किया करता था आज वह हमसे आशा करता है कि उस पर खर्चा हम करें। हमारे रिश्तेदार आते हैं जयपुर में, तो काम के काम करवाते हैं और हमारे यहां आकर ठहर करके जाते हैं। हम एक दाल से रोटी खाते हैं लेकिन उनको पता है कि यह एम. एल. ए. हैं, बहुत बड़ी चीज है कोई, उनके लिये दो सब्जी मंगानी पड़ती है।

आप कुल मिलाकर हमारा, मुख्य मन्त्रीजी खर्चा देखें और आप जानते हैं लेकिन आप ज्यादा समय विरोधी दल के नेता रहे हैं और मीन मेख बहुत निकाली हैं इसलिये डरते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आज जो लोग नहीं बोल रहे हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनसे मैंने चर्चा की है और जो दुखी हैं, जिनका खर्चा नहीं चल रहा है। यह बात सही है, जो माहिर आजाद साहब ने कहा था कि कइयों के टेलीफोन कटते हैं इसलिये कि वह पैसा नहीं चुका सकता। आप क्या दे रहे हैं? मैंने एक पत्रिका पढ़ी, विधायकों को कितनी सुविधा मिलती है मकान मिलता है। काहे के लिये मकान? हम एम. एल. ए. बन कर आये हैं तो कहीं न कहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या हमने अपना मकान किराये पर दे रखा है? मकान तो आपने दे दिया। पहले नगरपालिका का हरिजन हमारे बाहर झाड़ू निकालता था, वह भी आपने विथड्रा कर लिया। उसको सौ रुपये हमको देना पड़ते हैं। हम तो मन्त्री से भी ऊंचे हो गये और हमारी कांस्टीट्यूएंसी का आदमी आता हैं तो हमको झाड़ू निकालते हुये देखता है। क्या हम दो सौ रुपये झाड़ू निकालने वाले को देंगे? तो हम कोई पैसा नहीं मांग रहे, अध्यक्ष महोदय, हमारा स्टेटस बढ़ाना आपका कर्त्तव्य है। एक आफिसर मुझको कहने लगे, मैं एक बार एक की जीप मांग कर ले गया तो वह कहने लगे कि आप अच्छे नहीं लगे जीप में; मैंने कहा क्यों, तो बोले आप मोटरसाइकिल पर अच्छे लगते हो। हमसे तो यह आशा की जाती है कि हम मोटर साइकिल पर ही अच्छे लगें लेकिन हमारा स्टेटस तो बढ़ाइये। हम अलाटमेंट की कमेटी में धूल खाते हुये जाते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था तो कीजिये। चाहे आप तनख्वाह भी कम कर दें, परन्तु हमारी सुविधायें बढ़ाइये। हम सुविधा मांग रहे हैं पैसा नहीं मांग रहे इसलिये कि हमारी कार्यक्षमता बढ़े। आज आपके पास तो सारी चीजें नोट होती हैं, किसी की कोई शिकायत होगी, हमको तो शायत पता नहीं होगा लेकिन आपके पास इन्फोरमेशन होती है, कौन एम. एल. ए. है जिसकी पूरी जानकारी आपको नहीं है। तो आपको यह तो पता होगा कि एम. एल. ए. के घर पर दिन भर में कितने आदमी आते हैं। जिन्होंने हमारे लिये जान लगाई चुनाव मे जिताने के लिये, क्या हम उसको चाय नहीं पिलायेंगे और उसमें से क्या कुछ परसेन्टेज में ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको काफी पिलायेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य मन्त्री जी जैसा करते हैं, वैसा क्यों नहीं करते हैं? हजार आदमी आये, मत पिलाइये चाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी तो अपना निर्वाचन

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

क्षेत्र बदल लेते हैं हर बार इसलिये उनका तो काम चल जाता है। यह तो निर्वाचन क्षेत्र बदल लेते हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज हम बहस इस बात पर नहीं कर रहे कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिये कि नहीं बढ़नी चाहिये, हमारा मुद्दा है कि हमारी सुविधायें बढ़नी चाहिये जिससे हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि हो। मैं मुख्य मन्त्री जी आपके खजाने से पैसा नहीं मांग रहा, आज हम मोटर साइकिल से जाते हैं या बस से जाते हैं, हम आपसे मांग नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि हमें कर्जा ही दिलवा दो जीप के लिये। सस्ते ब्याज पर और स्टेट्स में मिल रहा है तो आप क्यों नहीं हमको दिला रहे ? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी एफीसियेन्सी बढ़े ? एफीसियेन्सी बढ़ेगी तो जनता की सेवा होगी। कई कहते हैं कि एम. एल. एज. अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, यही तो कानून बनाने वाले हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी एफीशियेन्सी बढ़ जायेगी तो आप तंग करना शुरू कर दोगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा कहना यह है कि यह हिप्पोक्रेसी है, कोई कहता है कि साहब आप तो जनता की सेवा के लिये आये हैं, आपको मालूम नहीं था क्या कि आपको खर्चे की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई पूंजीपति एम. एल. ए. बन कर आयेगा, साधारण हैसियत का आदमी एम. एल. ए. बन कर आये, उसमें जनता की सेवा करने की भावना है, तो सुविधायें देने का अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : एम. एल. ए. बनने के बाद कोई नौकरी नहीं देता कि यह एम.एल. ए. रहा हुआ है। यह काम की नौकरी नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : और स्टेटस एम. एल. ए. का ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एम. एल. ए. का जो स्टेटस होना चाहिये उसके लिये सुविधायें चाहिये, पैसा नहीं चाहिये। इसमें कोई प्रपन्च या पाखण्ड की बात नहीं है। हम चाहते तो हैं लेकिन कहना नहीं चाहते। मुख्य मन्त्री जी को कितनी बार हमने कहा होगा कि आप कुछ सुविधायें बढ़ाइये, कुछ सुविधायें बढ़ाइये, जवाब हमको मिलता है कि मैं तो ट्रस्टी हूं, पैसा नहीं खर्च करूंगा। जरूरत के हिसाब से पैसा खर्च नहीं करना कन्जूसी की श्रेणी में आता है, ट्रस्टी की श्रेणी में नहीं आता, मुख्य मन्त्री जी।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जनता की सेवा हेतु जनता के प्रतिनिधि को सुविधाएं दें। सुविधाओं के नाम पर टेलीफोन, जीप या जो भी सुविधाएं आप दें, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये और गलत बात यदि कोई नहीं होती है तो उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुल मिलाकर 700–750 रुपये बढ़ाये, चर्चा तो इस पर भी होगी। सुविधाएं थोड़ी ज्यादा बढ़ा दें आप, तो मैं समझता हूं कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। यह जनता का पैसा जनता की सुविधा के लिए जनता की भलाई के काम आ रहा है। इसलिए मेरा तो यह

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

निवेदन है कि आप इस पर जरा विचार करें तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि 40 वर्षों की अवधि में एक-दो बार को छोड़कर इस प्रकार के विधेयक पर पहली बार खुली चर्चा हुई....(व्यवधान) मैं ऐसा समझता हूं यदि जानकर भी करवाई है तो बहुत अच्छा किया। कम से कम आपकी भावनाओं की और आपकी समस्याओं की तो जानकारी मिल गई....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने अपनी समस्याओं का उल्लेख किया है। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाय, इसका उपाय भी बताया है।

यह सब जानते हैं कि जब 1952 में पहली विधान सभा बनी तो उस समय साढ़े बारह रुपये प्रतिदिन का भत्ता मिलता था और 150 रुपया वेतन मिलता था। न कोई मकान था, न कोई गाड़ी की व्यवस्था थी....

श्री चन्दनमल बैद : एम. एल. ए. होस्टल था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल एम. एल. ए. होस्टल में एक-एक कमरा हमको मिला हुआ था और 1952 में मैं तो विधायक था। गवर्नमेंट होस्टल से पैदल चलकर विधान सभा आते थे और विधान सभा से पैदल चलकर ही वापस जाते थे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब उसमें इम्प्रूवमेंट कर देंगे। बैलगाड़ी दे देंगे आपको। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कल जैसे 12.30 बजे विधान सभा छूटी, अगर पैदल जाते तो सुबह तक तो पहुंच ही जाते लेकिन वापस कब तक आते ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। जनता की अपेक्षाएं भी हमसे बहुत बढ़ी हैं, इसमें भी कोई इन्कार नहीं है लेकिन जनता से हमारा सम्पर्क नहीं टूटे, इसकी मुझे भी चिन्ता है और आपको भी चिन्ता है। यह सम्पर्क किस प्रकार से जीवित रहे ? तो जनता की जिस प्रकार की स्थिति है, उसी प्रकार की स्थिति के अन्दर अगर हम रहेंगे तो जनता का ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा....

एक माननीय सदस्य : तब तो 750 रुपये सही बढ़ाये हैं। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह :....सी. एम. साइकिल पर चलते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कम से कम ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिये जिससे आपकी जनता से दूरी बढ़े और उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया है उन समस्याओं से मैं भी परिचित हूं। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाय, इस बारे में कई बार कई विधान सभाओं में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और लोक सभा में चर्चा, सब जगह हुई है। एक तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि कई राज्य विधान सभाओं में वेतन और भत्ते, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, उन दोनों में समान व्यवस्था नहीं है। इस कारण जब भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो कोई कहता है बिहार की नकल करो, कोई कहता है बंगाल की नकल करो, कोई कहता है यू. पी. की नकल करो, कोई कहता है हरियाणा की नकल करो। तो उचित तो यह होगा, अध्यक्ष महोदय, जैसे अब की बार आपने यह सम्मेलन आयोजित किया, कम से कम इस बात की व्यवस्था जरूर करें कि लोक सभा और विधान सभा इन दोनों के सदस्यों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाय और अखिल भारतीय स्तर पर उसके नोर्म्स, मिनिमम और मेक्सिमम क्या हों, उसकी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें एक छोटी सी बात की जा सकती है कि आप एक हाउस की कमेटी बना दीजिये, जो समय-समय पर इस पर विचार करती रहे और वह जो सुझाव दें, सरकार उनको मान लें। यह पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में हाउस की कमेटी बनी हुई है। यहां भी हाउस की एक कमेटी बन सकती है जो समय-समय पर इस पर रिव्यू करें, रिकमण्डेशन भेजे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस कमेटी के प्रस्ताव कई बार इस सम्बन्ध में आते हैं लेकिन इस समस्या का समाधान सदा के लिए किस प्रकार से हो, इसका औचित्य इसी में होगा कि अखिल भारतीय स्तर के ऊपर इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाय कि विधायकों के वेतन में और भत्ता में एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई विशेष अन्तर नहीं रहे और मैंने इसी दृष्टि से कहा है कि मिनिमम और मेक्सिमम, ये दो चीजें अगर तय हो जाती हैं तो उन पेरामीटर्स के बीच में समय-समय पर वेतन और भत्ते बढ़ाये जा सकते हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : हरियाणा इतना सा है, यहां से भरतपुर और धौलपुर चले जाओ, यह यूनिफोर्मिटी कैसे हो सकती है ? जब राजस्थान का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, केरल इतना सा है यह यूनिफोर्मिटी कैसे कर देंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह बिल्कुल सही है, लेकिन हरियाणा छोटा सा है यह बात सही है लेकिन मध्य प्रदेश अपने से बड़ा है यह भी बात सही है तो इसलिए क्षेत्रफल के....

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : केरल की असेम्बली कांस्टिट्एंसी मेरे क्षेत्र की पंचायत के क्षेत्रफल के बराबर है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बिल्कुल सही है कि एक जैसलमेर जिले में पूरे केरल का राज्य आ जाता है। यह कोई मापदण्ड नहीं है। मैं यह कह रहा हूं, कि इसमें जो चर्चा का विषय बनता है बार-बार कि अपने वेतन भत्ते बढ़ा लिये विधान सभा में, वह चर्चा का विषय यदि समाप्त करना है तो इसके कुछ पैरामीटर्स हमको तय करने पड़ेंगे और पैरामीटर्स एक विधान सभा तय नहीं कर सकती। अखिल भारतीय स्तर पर इसके कुछ पैरामीटर्स हमको बनाने पड़ेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

निवेदन किया कि जैसा आपने अध्यक्ष, मुख्य मंत्री, लीडर आफ दी अपोजिशन, का सम्मेलन बुलाया है, उन सबको राजस्थान में आमंत्रित कर लें और इस विषय पर आप किसी न किसी रूप में विचार करके कोई निर्णय पर पहुंच जाय।

अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने फर्नीचर की समस्या, मकान की समस्या, ट्रांसपोर्ट की समस्या, ये सब बातें रखी हैं। मैं इस सम्बन्ध में आप लोगों से सलाह करके विचार करूंगा कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। मेरी तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं होगी, मैं समस्या का समाधान करने की चेष्टा करूंगा। अध्यक्ष महोदय....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, 6 महीने के लिए उन्होंने बचा लिये थे बजट सेशन में के। अब कह रहे हैं 6 महीने बाद और वापस 6 महीने बचाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये, इस समय तो कोई इतनी जल्दी संशोधन नहीं हो सकता, आप आपत्ति करेंगे...;

श्री मोहम्मद माहिर आजाद :... तभी कर देना, बिल्कुल वापस ले लो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह सही है, माननीय सदस्य माहिर आजाद साहब बोल रहे थे कि आज से 6 महीने पहले जब विधान सभा का अधिवेशन हुआ था, उसी समय इस प्रकार का प्रारूप बना था और उस समय ही यह पारित हो जाता तो 6 महीने में दूसरी किश्त के अन्दर कोई न कोई नई बात आती लेकिन हमारी भूल हुई कि हम उस समय इसको पारित नहीं कर सके और आज यह जो पारित हो रहा है, वह तो पारित करवा दो, और फिर बाकी....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : पेश ही नहीं कर सके। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, वापस ले लो आप। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे पास। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि विड्ड्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप तो दोनों बिलों को विदड्रा कर लो, कोई औचित्य ही नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लेकिन सदन की परम्परा के अनुसार अपन चलें कि इसके ऊपर वोट, डिवीजन, इस प्रकार की कोई बात नहीं हो। जो कुछ किया है, उसको तो स्वीकार करो और भविष्य में क्या करना है इसके लिए विचार करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की है.... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप तो दोनों बिलों को विदड्रा करो। हमको कोई पैसा नहीं चाहिये। एक विधायक को अपना विधायी कार्य सम्पन्न करने के लिए क्या

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

सुविधाएं चाहिये, आप 2 महीने, 6 महीने बाद में चर्चा करने की बात की है, बाद में कर देना।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह ठीक है। माननीय नत्थी सिंह जी कह रहे थे या एक माननीय सदस्य बीच में बोल रहे थे कि हम तो कमेटी में रिक्शा में बैठकर आते हैं और बाकी के अफसर बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते हैं। लेकिन आपको यह अहसास होगा कि रिक्शा में बैठकर आता है वह चेयरमैन है और अफसर उसको जवाब दे रहे हैं। वो रिक्शा में बैठा हुआ आदमी उसका एक्स्प्लेनेशन कॉल कर रहा है। वो रिक्शा में बैठे हुए आदमी के सामने....(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तर्क तो आप पक्ष में भी दे सकते हैं और विपक्ष में भी दे सकते हैं। यह तर्क की भावना नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह तो सदन की भावना का सवाल है। हम सुविधायें मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं। सुविधाओं पर आप विचार करें।

श्री कालीचरण सराफ : हम तो साहब, सुविधा भी नहीं मांगते। आप जीप लेने के लिए कर्जा तो दे दीजिए हम पेमेंट करेंगे। बिना ब्याज के कर्जा दे दीजिए और हमारे से प्रतिमाह ले लीजिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मध्यप्रदेश सरकार ने दिया है जीप के लिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जहां तक माननीय सदस्य जीप की बात कह रहे हैं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से बात करूंगा, आर्मी के डिस्पोजल की गाड़ियां आपको मिल जाय। लेकिन गाड़ियों के लिए कर्जा देने की बात है तो अपन अलग से बैठकर बात कर लेंगे और गाड़ियों के लिए इन्ट-रेस्ट फ्री लोन देने की आवश्यकता हुई, मुझे जानकारी है कई स्टेट्स में इस प्रकार का दिया गया है, उन सब चीजों का अध्ययन कर लें और अध्ययन करने के बाद में सदन का आदेश होगा, विश्नोई साहब ने कह दिया हम सबसे बड़े हैं तो आपका आदेश होगा तो मैं कहां जाऊंगा, मुझे उस आदेश की पालना करनी पड़ेगी। इसलिए इसमें तो यही उचित होगा कि जो दोनों बिल पेश किए हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अमेण्डमेंट मूव करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब रहने दो।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं, यह तो आपको वापस लेना पड़ेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम नहीं मानेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, नहीं, आज तो क्षमा कर दो। जो कुछ इन्होंने थोड़ा-बहुत दिया है, आइंदा नहीं करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपने जो सदन की कमेटी का प्रस्ताव रखा है, अध्यक्ष महोदय को अधिकार दे दिया जाय सदन की कमेटी बनाने का।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सदन की कमेटी की बात मैंने नहीं कही।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : किसने कही ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने अखिल भारतीय स्तर पर इस पर विचार करने के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो माननीय विश्नोई जी ने कहा था कि चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, एक कमेटी बनाई जाय जो इस पर समय–समय पर विचार कर लें। अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दे दिया जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि इस विषय पर कोई चर्चा हो तो डरना भी नहीं चाहिए। जिस आत्मविश्वास के साथ आपने बात कही है, मैं समझता हूं इस पर कोई लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई इसकी चर्चा करे, आलोचना करे इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि आत्मविश्वास के साथ हम बोलेंगे तो चर्चा से हमें किसी भी समय भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए इन्हीं शब्दों में अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिए हैं उन सबको मैंने नोट कर लिया है....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : नोट कहां कर लिया है ? यों ही चक्कर देते हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : और जैसा विश्नोई साहब ने कहा कि हम तो आदेश के पालक हैं, हाउस का जिस समय आदेश आयेगा उस आदेश के पहले अपन विचार–पूर्वक कोई तैयारी कर लें इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक पारित किया जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो दोनों बिलों को जनमत जानने हेतु परिचालित कर दो।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय. सदन की भावना से आप भी वाकिफ हो गए और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी वाकिफ हो गए और जिन-जिन पार्टियों के जो–जो लोग बोल रहे हैं ऐतराज किसी का नहीं हुआ तो आप इन बिलों को वापस लें। जो भी हमारी सुविधायें हैं जो हमें ड्यूटीज निभाने के लिए आवश्यक हैं उन सबके लिए सबने कहा। तो मुख्य मंत्री जी, आप तो अकेले रह गए। आप तो परास्त हो गए हाउस में। अध्यक्ष महोदय, वैधानिक प्रश्न है। जब पार्टी के सदस्य भी आपके साथ नहीं हैं और विपक्ष भी नहीं है तो इन हालात में या तो आप सदन की अवमानना कर रहे हैं या सदन के आदेशों को डिसओबे कर रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा निवेदन है कि इसको विवाद का विषय न बनायें, नहीं तो और बुरा लगेगा।

विधेयकों का पारण

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) (विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

मंत्रीजी। चर्चा चालू है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब बन्द करो।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, जवाब दो।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने राजस्थान रोडवेज....

श्री अध्यक्ष : आज राष्ट्रगान होगा। इसलिए कृपया बैठे रहिए एडजोर्न से पहले।

श्री दिग्विजय सिंह : राजस्थान रोडवेज के वर्ष 1990–91 के प्रतिवेतन पर विचार रखें....

अनेक माननीय सदस्य : ऐसे ही मान लिया हमने।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं, ठीक है, बिराजिए। एक मिनट बैठिए। कृपया माननीय सदस्य खड़े हो जायेंगे।

(तदनन्तर सदन ने राष्ट्र गान किया)

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंग।
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा।
तब शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे
गाये तव जय गाथा
जन गन मंगल दायक जय हे
भारत भाग्य विधाता,
जय हे। जय हे। जय हे।
जय, जय, जय, जय हे।

अनेक माननीय सदस्य : भारत माता की-जय हो। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐतराज है कि यहां सदन में टेप रिकार्डर नहीं चलाना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : इसमें क्या हो गया ?

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, बिराजिए।

सूचना
नवीं विधान सभा के सातवें सत्र में सम्पादित कार्य

इस सत्र की 10 बैठकें हुई हैं जिनमें जो काम आपने किया है वह मैं आपको बता देता हूं। कुल विधेयक 26 आये, जिनमें 23 पारित हुए, 2 प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये गये, एक विधेयक वापस लिया। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1992-93 पर विचार और पारण हुआ। अतिरेक मांगें 1984-85 पर विचार एवं पारण हुआ।

समितियों के प्रतिवेदनों में जनलेखा समिति 1992-93 के 12 प्रतिवेदन उपस्थापित हुए। राजकीय उपक्रम समिति के 2 प्रतिवेदन उपस्थापित हुए। महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति 1991-93 का एक प्रतिवेदन, अनुसूचित जाति कल्याण समिति का एक प्रतिवेदन, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 1992-93 का एक प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ।

कुल तारांकित प्रश्न 714 आये जिनमें 248 लगे। कुल अतारांकित प्रश्न 762 आये जिनमें 350 लगे। सूचीबद्ध प्रश्नों में तारांकित प्रश्नों में कुल 82 सदस्यों ने भाग लिया। अतारांकित में 70 ने। सदन में चर्चा में आये प्रश्न 56। सदन में आये प्रश्नों में कुल 71 सदस्यों ने भाग लिया। लोक महत्व के प्रश्नों में कुल 30 सदस्यों ने भाग लिया।

आधे घण्टे की चर्चा एक प्राप्त हुई जो अस्वीकार हुई। अल्प सूचना प्रश्न प्राप्त हुए 8 जिनमें 5 अस्वीकार हुए। 2 तारांकित में स्वीकार किये गए, एक पर चर्चा हुई।

अध्यक्ष के निर्देश संख्या 5 में 5 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें 4 स्वीकृत हुई, एक अस्वीकार की गई।

अस्वीकार किए गए तारांकित व अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न 41 अस्वीकार किए गए व अतारांकित 50 अस्वीकार किए गए।

प्रक्रिया नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव में कुल सूचनाएं 63 आई जिनमें 54 सरकार को भेजी गई। इनमें 35 का उत्तर आया और 19 का उत्तर आना शेष है। अस्वीकृत 63। 6 सदस्यों ने बोलने में भाग लिया।

नियम 119 के अंतर्गत 3 प्रस्ताव आए जिनमें 2 सरकार को प्रेषित हुए। दोनों का जवाब मिला, 2 अस्वीकृत हुए, एक पर विचार हुआ।

प्रक्रिया नियम 127 सामान्य लोक हित के विषय पर प्राप्त प्रस्ताव 8। 6 सरकार को प्रेषित हुए जिसमें 4 का जवाब आया, 2 का उत्तर शेष है, 2 अस्वीकृत, निर्णयाधीन 4, 2 पर सदन में वक्तव्य हुए।

प्रक्रिया नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 150 आए। 134 सरकार को भेजे गए जिनमें 82 में सरकार का उत्तर

(श्री अध्यक्ष)

आया, 52 में उत्तर आना शेष है, 15 अस्वीकृत किए गए। सदन में दिए गए वक्तव्य के लिए कुल 18 लगे व 32 सदस्यों ने भाग लिया।

प्रक्रिया के नियम 157-158 के अन्तर्गत आये प्रस्ताव –4

एक प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ, तीन निर्णयाधीन हैं।

प्रकिया के नियम 273 के अन्तर्गत सूचना मिली–3

सरकार को प्रेषित–2

सरकार से प्राप्त उत्तर–2

अस्वीकृत–1, दो सदस्यों ने भाग लिया।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचना आई–149

सरकार को प्रेषित–143, सरकार से प्राप्त उत्तर–29

उत्तर प्राप्त होना शेष–114, अस्वीकृत–6, 113 सदस्यों ने भाग लिया।

श्री रामसिंह बिश्नोई : यह तो पहले पढ़ लेते, जन-गण-मन से पहले। आइन्दा तो आप ध्यान रखना इसका।

श्री अध्यक्ष : हां। मंत्री द्वारा वक्तव्य, सूचनाएं चार आईं और चार पर वक्तव्य हुए–54 सदस्यों ने उनमें भाग लिया।

पैट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस, डीजल की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा हुई जिसमें 27 सदस्यों ने भाग लिया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 8.21 बजे अनिश्चतकाल के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 279 का प्रपत्र

उक्त कार्यादेश के तहत अब तक (माह अगस्त–92 तक) निम्नलिखित कार्य किया जा चुका है :—

1. नसीराबाद बाईपास के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है एवं 15,30,836/–का भुगतान भी किया जा चुका है।

2. बाईपास नसीराबाद पर 6 किमी. जंगल सफाई का कार्य किया जा चुका है एवं 5.25 किमी. में मिट्टी का कार्य आंशिक रूप से किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 2 किमी. में वेलास्ट का कार्य प्रगति पर है।

3. कुल 27 नं. पुलियाओं का निर्माण कार्य हो चुका है जिसमें 17 पुलियाएं वाई-पास पर हैं।

4. मैन रोड पर सड़क सुदृढीकरण हेतु डामरीकरण कार्य किमी. 28/0 से 31/0 में आंशिक तौर पर (एल.सी. कार्य 28/0 से 31/0 एवं बी.एम. का कार्य 28/0 से 30/0 किमी. 30/0 से 31/0) बांई तरफ 30/0 से 30/500 दायीं तरफ) किया जा चुका है।

236

परिशिष्ठ—2

तारांकित प्रश्न संख्या 74 की सूची

परिशिष्ट–क

शिक्षा सत्र 91–92 एवं 92–93 में तृतीय भाषा जिन विद्यालयों में खोली गई उनकी सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	भाषा	अतिरिक्त/ तृतीय	कक्षा स्तर
1	2	3	4	5
1991–92				
1.	रा.उ.प्रा.वि., वार्ड नं. 19 सवाई माधोपुर	उर्दू	तृतीय	उच्च. प्राथ.
2.	” वार्ड नं. 2 सवाईमाधोपुर	उर्दू	तृतीय	”
3.	” जोगबाड़ी, धौलपुर	उर्दू	तृतीय	”
4.	” किरवाड़ी, धौलपुर	उर्दू	तृतीय	”
5.	” गिनाणी, पंवासर (बीकानेर)	उर्दू	तृतीय	”
6.	” नायकों का वास, (बीकानेर)	उर्दू	तृतीय	”
7.	” जसोलाई, बीकानेर	उर्दू	तृतीय	”
8.	” प्रताप बस्ती, बीकानेर	उर्दू	तृतीय	”
9.	” सूरजपोल, बांसवाड़ा	उर्दू	तृतीय	”
10.	” नई आबादी, बांसवाड़ा	उर्दू	तृतीय	”
11.	प्रा.वि., नई आबादी, बांसवाड़ा	उर्दू	अतिरिक्त	प्राथमिक
12.	गणेशीराम झंवर मा.वि., सुजानगढ़ (चूरू)	उर्दू	तृतीय	माध्यमिक
13.	राज.मा.वि., हनुमानगढ़ जं.	पंजाबी	तृतीय	”
14.	” नौरंगदेसर (श्री गंगानगर)	पंजाबी	तृतीय	”
15.	रा.सी.उ.मा.वि., मालारामपुर (श्रीगंगानगर)	पंजाबी	ऐच्छिक	उ.माध्य.
16.	” निवाई (टौंक)	उर्दू	ऐच्छिक	”
17.	टैगोर बाल निकेतन मा.वि., टौंक	उर्दू	तृतीय	माध्यमिक
18.	रा.मा.वि , मण्डी, जोधपुर	उर्दू	तृतीय	”
19.	रा.बा.मा.वि., गिनाणी (नागौर)	उर्दू	तृतीय	”
20.	रा.बा.मा.वि., संबलपुर (सीकर)	उर्दू	तृतीय	”

1	2	3	4	5
21.	रा.सी.उ.मा.वि., सुनेल (झालावाड़)	उर्दू	ऐच्छिक	उच्च माध्य.
22.	रा.बा.उ.प्रा.वि., गंगापुर (स.मा.)	उर्दू	तृतीय	उच्च प्राथ.
23.	रा.उ.प्रा.वि., करौली (स.मा.)	उर्दू	तृतीय	,,
24.	रा.मा.वि., लाखेरी (बून्दी)	उर्दू	ऐच्छिक	उच्च माध्य.
25.	रा.बा.सी.उ.मा.वि., सवाईमाधोपुर	उर्दू	ऐच्छिक	,,
26.	रा.उ.प्रा.वि., रामपुरावास, बीकानेर	उर्दू	तृतीय	उ. मा.
	1992–93			
1.	रा.उ.प्रा.वि., आबू रोड (सिरोही)	गुजराती	तृतीय	उच्च प्राथ.
2.	,, रामसर (अजमेर)	उर्दू	तृतीय	,,
3.	,, बासनी नागौर	उर्दू	तृतीय	,,
4.	,, जिनकुदेवी (लाडनूं), नागौर	उर्दू	तृतीय	,,
5.	रा.सी.उ.मा.वि., सांभरलेक (जयपुर)	उर्दू	ऐच्छिक	उच्च मा.
6.	रा.बा.मा.वि., किस्तूरबा (उदयपुर)	उर्दू	तृतीय	माध्यमिक
7.	रा.सी.उ.मा.वि., वायतू (बाड़मेर)	गुजराती	ऐच्छिक	उच्च माध्य.
8.	रा.मा.वि., 12 जीबी (श्रीगंगानगर)	पंजाबी	तृतीय	माध्यमिक
9.	रा.मा.वि., विधाशाला, जोधपुर	उर्दू	तृतीय	,,
10.	रा.बा.वि., केसरदेवी, लाडनूं (नागौर)	उर्दू	तृतीय	,,
11.	रा.बा.मा.वि., मकराना (नागौर)	उर्दू	तृतीय	,,
12.	रा.मा.वि., नौगांवा (अलवर)	पंजाबी	तृतीय	,,

क्रमांक : शिविरा/भा.अ./22602/88 दिनांक 4.10.88

भारतीय संविधान की धारा 350 अ में भाषायी अल्पसंख्यकों को दिये गये सुरक्षणों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में निर्देश :

1. **प्रवेश प्रार्थना पत्र :** प्रवेश प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त कालम्स जोड़े जावें—

(1) छात्र को किस अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा दिलाना चाहते हैं (उर्दू, सिन्धी, पंजाबी व गुजराती)

(2) अल्पसंख्यक भाषा जो कि छात्र अतिरिक्त/तृतीय भाषा अथवा ऐच्छिक भाषा के रूप में पढ़ना चाहेगा।

(देखें निदेशालय का परिपत्र : शिविरा/भा.अ./22667/75 दिनांक 9-6-76 एवं क्रमांक : शिविरा/भा.अ./22630/130/78 दिनांक 14-9-78)

2. **अग्रिम पंजीयन रजिस्टर :** भाषायी अल्पसंख्यकों के छात्र/छात्राओं से प्रवेश प्रार्थना–पत्र में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने से सम्बन्धित बिन्दु की पूर्ति अवश्य करा लें। प्रवेश–पत्रों के आधार पर अग्रिम पंजीयन रजिस्टर में इन्द्राज कर लें।

अग्रिम पंजीयन रजिस्टर का प्रारूप

क्र. सं.	छात्र का नाम	पिता या संरक्षक का नाम	कक्षा	प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा का नाम		उ.प्रा., मा. व उ.मा. स्तर पर		पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर
				माध्यम	अतिरिक्त विषय	तृतीय भाषा	ऐच्छिक विषय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(देखें निदेशालय के परिपत्र संख्या : ईडीबी/सेक/एफ/22753/66 दिनाक 20-11-66, शिविरा/मा/ई/22419/विशेष/70–71 दिनांक 13-10-70, शिविरा/भा.अ./22674/76 दिनांक 13-9-76 एवं शिविरा/भा.अ./22690/83–84 दिनांक 30-12-83)

3. **विषय प्रारम्भ करना :** प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षक की व्यवस्था के लिए 10 : 40 का सूत्र लागू है। इसके अनुसार एक कक्षा में कम से कम 10 या विद्यालय में 40 विद्यार्थियों का होना आवश्यक है।

अतिरिक्त विषय, तृतीय भाषा व ऐच्छिक विषय की व्यवस्था के लिए भी 10 : 40 का सूत्र लागू है जिसके अनुसार एक कक्षा में कम से कम 10 एवं विद्यालय में 40 छात्र अल्पसंख्य भाषा के विद्यार्थी होना आवश्यक है।

माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा दिये जाने के लिये 15 : 60 का सूत्र लागू हैं। इसके अनुसार अन्तिम चार कक्षाओं में जिसमें शिक्षा दी जाती है कम से कम 60 छात्र और प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र होने आवश्यक है।

अग्रिम पंजीयन रजिस्टर के आंकड़ों के आधार पर ही विषय प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जावे। यह कार्यवाही प्रत्येक शिक्षा सत्र में 15 जुलाई से पूर्व हो जानी चाहिये।

4. **विषय प्रारम्भ करने का अधिकार** : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक में अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम/तृतीय भाषा विषय प्रारम्भ करने के अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा) को दिये गये हैं। जिन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) नहीं है वहां पर उपनिदेशक (महिला) को ये अधिकार दिये हुए हैं। कक्षा 9 एवं 10 में निदेशालय एवं 11 व 12 में राज्य सरकार द्वारा विषय प्रारम्भ करने के लिए प्रार्थन–पत्र (संलग्न प्रारूप में) संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंषा सहित, जिला शिक्षा अधिकारी (भाषायी अल्प संख्यक), शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को भेजना चाहिये।

5. **अन्तरस्कूलीय समारोह** : शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर छात्रों का अन्तर्स्कूलीय संमायोजन किया जावे ताकि अल्प संख्यक भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा से किसी आवेदक को जो कि स्कूल में पंजीकृत किया हुआ हो, इस आधार पर इन्कार न किया जावे कि नया वर्ग/खोलने के लिये ऐसे आवेदकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। बड़े शहरों व कस्बों में इस बात का अवश्य ध्यान रखा जावे कि किसी विद्यार्थी को अपने घर से अधिक दूर के विद्यालय में न जाना पड़े।

6. **अध्यापक** : शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए अध्यापकों और छात्रों की संख्या सहित जो शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध थी, किसी भी हालत में बिना निदेशालय की विशिष्ट स्वीकृति के बिना आवेदन न की जावे। यदि किसी अध्यापक का स्थानान्तरण किया जावे तो उसके स्थान पर उसी अल्पसंख्यक भाषा का अध्यापक साथ ही लगाया जावे जिस भाषा के अध्यापक का स्थानान्तरण किया गया हो। पदोन्नति की स्थिति में रिक्त पद तत्काल उसी अल्पसंख्यक भाषा के अध्यापक से भरा जावे जिस भाषा के अध्यापक की पदोन्नति हुई हो। किसी भी हालत में अल्पसंख्यक भाषा के अध्यापक का पद सामान्य अध्यापक द्वारा नहीं भरा जावे। जिन पदों पर अल्पसंख्यक भाषा के अध्यापकों के स्थान पर सामान्य अध्यापक कार्य कर रहे हों उन पर अल्पसंख्यक भाषा के अध्यापक हो लगाये जावे, और सामान्य अध्यापकों को हटाकर अन्यत्र रिक्त पदों पर भेजा जावे।

7. **पाठ्य–पुस्तकें** : कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य-पुस्तकें राज. राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल प्रकाशित करता है। सत्र समाप्त होते ही दिनांक : 20.5.88 तक सभी जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा) व वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी

(छात्रा) अपने जिलों में अल्पसंख्यक भाषाओं की पुस्तकों की सम्भावित मांग जिला शिक्षा अधिकारी (भाषायी अल्पसंख्यक), शिक्षा निदेशालय को भिजवा दें ताकि जिले के पाठ्यपुस्तक मण्डल डिपो पर पुस्तकों की पूर्ति कराई जा सकें। अतः अपने-अपने जिले के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यपकों/प्रधानाध्यापिकाओं को निर्देश भेज दें कि वे अपने विद्यालय के छात्रों के लिये अल्पसंख्यक भाषाओं की पुस्तकें पाठ्य-पुस्तक मण्डल के डिपो से प्राप्त कर लें। किसी प्रकार का अभाव होने पर सचिव, पाठ्य-पुस्तक मण्डल को पत्र लिखें एवं एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी (भा.अ.), निदेशालय को भेज दें।

8. **निरीक्षण** : निदेशालय के परिपत्र क्रमांक : शिविरा/भा.अ./22603 दिनांक 24.7.78 के द्वारा अल्पसंख्यक भाषा के अवद्ध विद्यालय निरीक्षकों को निम्नलिखित जिलों के जि.शि.अ. (छात्र) के कार्यालयों में समायोजन द्वारा पदस्थापित करने हेतु निर्देश दिये गये थे :—

1. **उर्दू भाषा** : जयपुर–द्वितीय, टौंक, अजमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनूं, उदयपुर एवं कोटा।

2. **सिन्धी भाषा** : अजमेर, जोधपुर, जयपुर–प्रथम, कोटा।

3. **पंजाबी भाषा** : श्रीगंगानगर

जिन जिलों में अभी तक समायोजन द्वारा अल्पसंख्यक भाषाओं के अवर उप जि. शि. अ. को पदस्थापित नहीं किया है वहां शीघ्र ही कार्यवाही की जावे और निदेशालय को सूचित किया जावे।

जिन प्राथमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषा का शिक्षण हो रहा है उन बालक/बालिका विद्यालयों के निरीक्षण सम्बन्धित भाषा के अवर उप जि. शि. अ. करेंगे।

उच्च प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण सम्बन्धित उप जि.शि.अ./वरिष्ठ उप जि.शि.अ. (छात्रा)/अति. जि.शि.अ./जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा) उपनिदेशक (महिला) करेंगे। अल्पसंख्यक भाषा के विद्यालयों के निरीक्षण के समय वे अपने साथ अल्पसंख्यक भाषा का एक अध्यापक अवश्य ले जावें जो निरीक्षण के समय उनकी सहायता करेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा), वरिष्ठ उप जि.शि.अ. (छात्रा) अपने-अपने जिलों में अल्पसख्यक भाषा के विद्यालयों का दलीय निरीक्षण (पैनल इन्सपेक्शन) भी करायेंगे।

100 विद्यालयों से ऊपर होने पर	....	....	10 प्रतिशत
51–100 " " "	....	....	10 विद्यालय
26–50 " " "	....	....	8 विद्यालय
16–25 " " "	....	....	6 विद्यालय
6–15 " " "	....	....	5 विद्यालय
1–5 " " "	....	....	सभी विद्यालय.

निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशालय में जिला शिक्षा अधिकारी (भाषायी अल्पसंख्यक) को भेजी जावे। निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप संलग्न हैं।

9. **पुस्तकालय**: सभी अल्पसंख्यक भाषा के विद्यालयों के पुस्तकालय में छात्रों के स्तरानुकूल अल्पसंख्यक भाषा की उपयोगी पुस्तकें खरीदी जावे। छात्र/छात्राओं को उन्हें पढ़ने के लिये प्रेरित किया जावे। अल्पसंख्यक भाषा से सम्बन्धित पत्र–पत्रिकायें भी अवश्य ही मंगवायी जावे।

10. **मदरसे व मकतब** : अपने–अपने क्षेत्र के मदरसे व मकतब में विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान की शिक्षा भी दिलाये जाने के लिये इन संस्थाओं के संचालकों को प्रेरित किया जावे ताकि मदरसों व मकतबों की शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त बालक/बालिकाओं को अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने में कठिनाई न हो और शैक्षिक दृष्टि से वे अन्य छात्रों के बराबर हो सकें।

11. **जिला स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सूचनाओं का संधारण** : भारतीय संविधान की धारा 350 अ के अनुसार भारत के भाषायी अल्पसंख्यों को कुछ प्रदान किये गये हैं। सुरक्षणों की क्रियान्विति की रिपोर्ट भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के उपायुक्त द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। तदुपरान्त उसे राष्ट्रपति को भेंट किया जाता है। अतः भाषायी अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित सही सूचना का संधारण एवं निदेशालय के पत्रों का उत्तर बिना विलंब के दिया जाना आवश्यक है। इस कार्य के लिये एक लिपिक को लगाया जावे। यदि कार्यालय में संगणक/सांख्यिकी निरीक्षक का पद हो तो उसे भाषायी अल्पसंख्यकों की सूचना से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिये जिम्मेवार बनाया जावे। किसी एक अवर उप जि.शि.अ./उप.जि.शि.अ. को भाषायी अल्पसंख्यकों की शिक्षा की क्रियान्विति, आंकड़ों का संकलन एवं पत्र–व्यवहार के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सौंपी जावे। जिस अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जावे उसका नाम जिला शिक्षा अधिकारी (भाषायी अल्पसंख्यक) को ही भेजी जावे।

ह./–
(ललित के. पंवार)
निदेशक, प्राथमिक एवं माध्य. शिक्षा, राज. बीकानेर

(242)

परिशिष्ठ 3

तारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची

क्र. सं.	जिला	आई.टी.आई.	मिनी आई.टी.आई.	
			टाडा	माडा
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1. अजमेर	—	—
		2. (महिला) अजमेर	—	—
2.	जयपुर	3. जयपुर	—	—
		4. (महिला) जयपुर	—	—
		5. शाहपुरा	—	—
		6. कोटपूतली	—	—
3.	कोटा	7. कोटा	—	—
		8. (महिला) कोटा	—	—
4.	उदयपुर	9. उदयपुर	1. सराड़ा	1. भिण्डर
		10. (महिला) उदयपुर	2. सलूम्बर	2. गोगुन्दा
		11. खेरवाड़ा	3. झाड़ोल	—
			4. कोटड़ा	—
			5. दरियावाद	—
			6. आसपुर	—
5.	जोधपुर	12. जोधपुर	—	—
		13. (महिला) जोधपुर	—	—
6.	बीकानेर	14. बीकानेर	—	—
		15. (महिला) बीकानेर	—	—
7.	अलवर	16. अलवर	—	—
		17. (महिला) अलवर	—	—
		18. भिवाड़ी	—	—

1	2	3	4	5
8.	भरतपुर	19. भरतपुर	—	—
		20. बयाना	—	—
		21. कामां	—	—
9.	भीलवाड़ा	22. भीलवाड़ा	—	3. जहाजपुर
		23. (महिला) भीलवाड़ा	—	—
		24. गंगापुर	—	—
		25. गुलाबपुरा	—	—
		26. शाहपुरा	—	—
		27. माण्डलगढ़	—	—
10.	नागौर	28. नागौर	—	—
		29. कुचामन सिटी	—	—
11.	पाली	30. पाली	—	4. फालना
		31. सोजत सिटी	—	—
12.	श्रीगंगानगर	32. श्रीगंगानगर	—	—
		33. अनूपगढ़	—	—
		34. हनुमानगढ़	—	—
13.	झुंझुनू	35. खेतड़ी	—	—
		36. चिड़ावा	—	—
14.	चूरू	37. रतनगढ़	—	—
15.	सीकर	38. सीकर	—	—
16.	बांसवाड़ा	39. बांसवाड़ा	7. कुशलगढ़	—
			8. बागीदौरा	—
			9. गढ़ी	—
17.	बाड़मेर	40. बाड़मेर	—	—
		41. बालोतरा	—	—
18.	बूंदी	42. बूंदी	—	5. तालेड़ा
		43. लाखेरी	—	—

1	2	3	4	5
19.	डूंगरपुर	44. डूंगरपुर	10. सीमलवाड़ा	—
		45. सागवाड़ा	11. माण्डों की पाल	—
20.	चित्तौड़गढ़	46. प्रतापगढ़	12. अरनोद	6. चित्तौड़गढ़
		47. कपासन	—	—
21.	सिरोही	48. सिरोही	—	7. पिण्डवाड़ा
		49. आबूरोड़	—	—
		50. शिवगंज	—	—
22.	जालौर	51. जालौर	—	—
23.	टौंक	52. टौंक	—	—
24.	जैसलमेर	53. जैसलमेर	—	—
25.	झालावाड़	54. झालावाड़	—	8. अकलेरा
26.	सवाईमाधोपुर	55. करौली	—	9. गंगापुरसिटी
27.	धौलपुर	56. धौलपुर	—	—
28.	दौसा	57. दौसा	—	—
29.	राजसमन्द	58. श्रीनाथद्वारा	—	—
30.	बारां	—	—	10. बारां

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 281 की सूची

गत दो वर्षों में धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सूरतगढ़, मांडलगढ़, बरसिंगसर एवं पलाना परियोजनाओं की प्रगति :—

उपरोक्त परियोजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है :—

(1) धौलपुर तापीय परियोजना (3 × 250 मेगावाट)

माह दिसम्बर, 1984 में उक्त परियोजना का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था परन्तु परियोजना की स्वीकृति अभी तक अपेक्षित है। राजस्थान सरकार इस योजना की स्वीकृति कराने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। केन्द्र सरकार के सचिव स्तर दल ने धौलपुर क्षेत्र का माह जून, 1990 में दौरा किया तथा मोरोली-विछिया रोड पर स्थित राजस्थान एक्सप्लोजिव एण्ड केमिकल्स लि. के पास स्थल को बेहतर पाया। अतः उपरोक्त स्थल के लिए 3 × 250 मेगावाट प्रारम्भिक क्षमता की संशोधित रिपोर्ट बनाकर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रेषित की गई। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चाही गई अतिरिक्त सूचनाएँ भी समय समय पर उनको प्रेषित की गई तथा उनके सुझाव के अनुसार क्षेत्र की पर्यावरण अध्ययन रिपोर्ट भी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को अप्रैल, 1991 में प्रेषित कर दी गई है। पर्यावरण अध्ययन रिपोर्ट पर चाहे गये स्पष्टीकरण भी उन्हें दे दिये गये हैं।

पर्यावरण की स्वीकृति के सम्बंध में दिनांक 24.6.1991 तथा दिनांक 26.9.91 को पर्यावरण मंत्रालय में समिति की बैठक हुई जिसमें इस परियोजना को स्वीकृत करने के बजाय अन्य मुद्दे उठाये गये जिनका उत्तर/निराकरण पहले ही कर दिया गया था। इन मुद्दों का पुनः निराकरण करने के पश्चात् भी स्वीकृति न मिलने पर माननीय प्रधान मंत्रीजी का ध्यान अ.शा. पत्र दिनांक 24.7.1991 एवं 31.8.1991 के द्वारा इस सम्बन्ध में आकर्षित कर जल्दी से स्वीकृति दिलाने की पेशकश की गई। माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 25.9.1991 के पत्र द्वारा इस परियोजना को एक माह में वांछित सुरक्षात्मक उपाय सहित स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त भी स्वीकृति न मिलने पर पुनः माननीय प्रधान मंत्रीजी को दिनांक 29.10.1991 के पत्र द्वारा स्वीकृति दिलवाने के बारे में लिखा गया। इस बीच पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने पुनः परियोजना स्थल का निरीक्षण करने के लिए प्रस्ताव किया। इस पर पर्यावरण राज्य मंत्री से व्यक्तिगत स्तर पर बात की जिसने दिनांक 20.11.91 को अपने स्तर पर बैठक बुलाकर निर्णय लेने के बारे में कहा। अन्ततः पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने 10/11.12.1991 को परियोजना परिस्थल

का निरीक्षण किया जिसके दौरान पूर्व में उच्च स्तरीय समिति द्वारा चुने गये स्थल एवं अपने स्तर पर बाडी रोड पर एक अन्य स्थल का भी निरिक्षण किया एवं अतिरिक्त सूचनाऐं भी मांगी जो कि अधिकांश मौके पर ही उपलब्ध करा दी गई। अप्रेल, 1992 में एन.आर.एल.सी. लखनऊ के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि पर्यावरण मंत्रालय ने उनको इस परियोजना से ताज महल पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन करने को कहा एवं इस बारे में जो सूचना मांगी गई जो उन्हें उपलब्ध करादी गई, जिस पर जुलाई, 1992 में लखनऊ में बैठक हुई। बैठक में जो मुद्दे उठाये गये उनका संतोषजनक जबाब देने के उपरान्त भी परियोजना की स्वीकृति में विलम्ब को देखते हुये 7 अगस्त, 1992 को बैठक हुई तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि वन विहार तथा चम्बल सेन्चुरी पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में ढील बरतने तथा केवल ताजमहल पर पड़ने वाले कु-प्रभवों को कम करना ही मुख्य मुद्दा माना जावे तथा अन्य वैकल्पिक स्थल की जांच कर पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत करें। यह भी निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के संस्कृति सचिव के तत्वाधान में पुरातत्व विभाग तथा राज्य सरकार के विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर मत-भेदों को कम किया जावे। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने पत्र दिनांक 24.8.1992 के द्वारा जो सूचना मांगी गई वे उन्हें प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(2) सूरतगढ़ तापीय परियोजना (2×250 मेगावाट)

श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना (प्रथम चरण की क्षमता 2 × 250 मेगावाट) सूरतगढ़ से लगभग 26 किलोमीटर दूर इन्दिरा गांधी नहर के बायें किनारे पर स्थापित करने हेतु योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत विद्युत प्रसारण तन्त्र को शामिल करते हुये तथा निर्माण अवधि के ब्याज सहित 1403.15 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन वर्ष 1996-97 में किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में विद्युत की कमी को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत मण्डल ने इस परियोजना का क्रियान्वयन द्रुतगति से किये जाने हेतु प्रारम्भिक कार्यों को वर्ष 1991–92 में ही अपने हाथ में ले लिया था। विद्युत गृह की स्थापना हेतु भूमि का चयन कर कन्टूर सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। भूमि अवाप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिगृहण की अधिसूचना प्रसारित की जा चुकी है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही जारी है।

तापीय परियोजनाओं के डिजाइन तथा उपकरण के क्रय हेतु अलग से थर्मल डिजाइन निदेशालय को जयपुर में स्थापना की जा चुकी है। तापीय परियोजना के लिये अपेक्षित अधिकारियों, अभियन्ताओं और कर्मचारियों की सूरतगढ एवं जयपुर में नियुक्ति की जा चुकी है। इस विद्युत गृह से उत्पादित विद्युत के प्रवाह हेतु प्रसारण

लाइनों के निर्माण तथा सूरतगढ़ एवं रतनगढ़ में सब स्टेशन के निर्माणार्थ एक प्रसारण वृत्त भी सूरतगढ़ में स्थापित किया जा चुका है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को परियोजना की प्रथम इकाई के बायलर व टरबाइन-जनरेटर की आपूर्ति हेतु 15 करोड़ रुपये की धनराशि माह मार्च, 1992 में अग्रिम रूप से दी जा चुकी है, जिससे की बायलर व टरबाइन जनरेटर का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके। साथ ही अप्रैल, 92 माह में परियोजना के लिए कन्सलटेंट की की नियुक्ति की जा चुकी है।

परियोजना स्थल तक आवश्यक उपकरण एवं कोयला पहुंचाने हेतु बिरदवाल रेल्वे स्टेशन से 15 कि.मी. की दूरी की बड़ी लाइन हेतु अग्रिम धन राशि का आंशिक रूप से भुगतान किया जा चुका है। परियोजना की जल आपूर्ति हेतु इन्दिरा गांधी नहर से 60 क्यूसेक पानी पूर्व में ही आरक्षित कर लिया गया है।

परियोजना के प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष वित्तीय सहायता हेतु विचाराधीन है। वित्तीय सहायता की स्वीकृति में समय लगने से परियोजना के क्रियान्वयन में देरी की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत मण्डल ने परियोजना की प्रथम इकाई का निर्माण राज्य के स्वयं के संसाधनों से ही पूर्ण करवाये जाने का निर्णय लिया है। परियोजना के लिए आवश्यक सामान की सूची एवं स्पेसीफिकेशन तैयार कर क्रय प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

(3) चित्तौड़गढ़ तापीय विद्युत परियोजना (1 × 500 मे. वा.)

इस परियोजना का कार्य राज्य सरकार ने अप्रैल, 1988 से निजी क्षेत्र की कम्पनी मै. सेन्चुरी टैक्सटाइल इंड. लि. बम्बई को सौंपा गया है। उन्होंने इस परियोजना का प्रतिवेदन नवम्बर, 1991 में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया। जिसे राज्य सरकार ने 26.2.92 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु भेज दिया है।

(4) मांडलगढ़ तापीय विद्युत परियोजना

इस परियोजना का प्रतिवेदन 210 मे. वा. के तीन इकाइयों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 1984 में स्वीकृति हेतु भेजा गया था। किन्तु उन्होने मार्च, 89 में इसको वापिस लौटा दिया एवं यह सुझाव दिया कि इस परियोजना को तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए 210 मे.वा. की 4–5 इकाईयों वाला बड़ा विद्युत गृह का प्रतिवेदन बनाकर भेजें।

चूंकि चित्तौडगढ़ में 1 × 500 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु मैसर्स सेन्चुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं, अतः उक्त परियोजना के अनुमोदन/टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् ही माण्डलगढ विद्युत परियोजना के प्रस्ताव पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणी के अनुरूप आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) **बरसिंगसर तापीय विद्युत परियोजना** (2×120 **मेगावाट**) :

इस परियोजना का कार्य मै. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन को सौंपा गया था तथा इस परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार ने 23.4.1991 को प्रदान कर दी थी। पर्याप्त धन के अभाव में इस योजना की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही। अतः भारत सरकार ने इस परियोजना को निजी क्षेत्र में देने की संभावनाओं को पता लगाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव दिया जिसके तहत राज्य सरकार मै. कोलमैन एण्ड असोसिएटस से विचार विमर्श कर रही है।

(6) **पलाना तापीय विद्युत परियोजना** (2×60 **मेगावाट**) :

इस परियोजना का कार्य भी 2.11.1987 के एम.ओ.यू. के तहत मै. नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन को सौंपा गया था किन्तु इस परियोजना के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। अतः भारत सरकार ने राज्य सरकार को सितम्बर, 1991 में इस कार्य को राजकीय/सार्वजनिक क्षेत्र में कराने की स्वीकृति दी है। इसके तहत परियोजना प्रतिवेदन के पुनर्मूल्यांकन का कार्य मै. नेवेली से करवाया जा रहा है। अब इस परियोजना को भी निजी क्षेत्र में ही दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जो अन्य विद्युत परियोजनाएँ राज्य में क्रियान्वित की जा रही हैं वह निम्न प्रकार है :—

(क) स्वीकृत योजनाएँ	लक्ष्य
1. कोटा तापीय विद्युत परियोजना तृतीय चरण	1×210 मे. वा 1993–94
2. रामगढ गैस विद्युत परियोजना	1×3 मे. वा. 1993–94 (विद्युत उत्पादन ओ. एन. जी. सी. एवं गैल द्वारा गैस उपलब्ध करवाये जाने पर निर्भर करेगा)।

लघु पन विद्युत परियोजनाएँ :			लक्ष्य
3.	मांगरोल	3 × 2 मेगावाट	1992–93
4.	आर.एम.सी. माही–1	2 × 0.4 मेगावाट	1992–93
5.	पगल–1	1 × 1.5 मेगावाट	1994–95
6.	चारणवाला	1 × 1.2 मेगावाट	1993–94
7.	बिरसलपुर	1 × 0.535 मेगावाट	आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक
8.	इटावा	1 × 0.5 मेगावाट	

परिशिष्ट—5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17 सितम्बर, 1992)

निर्वाचन क्षेत्र अटरू में एनिकट/पुलियाओं का निर्माण कार्य

30. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अटरू विधान सभा क्षेत्र में रिछन्दा व चरडाना ग्राम पंचायतों तथा लट्टी व लवानियां ग्राम पंचायतों (सांगोद) के अन्तर्गत छोटे-छोटे एनीकट/पुलियाओं का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो ये कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत से कब-कब बनाये गये ?

(2) उक्त पुलियाओं का कितना कार्य पूर्ण हो गया है, अपूर्ण है ? अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

(3) एनीकट या पुलियाओं हेतु कितनी राशि की स्वीकृति दी गई तथा उसमें से कितनी राशि व्यय हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। अटरू विधान सभा क्षेत्र में रिछंदा व बरडाना ग्राम पंचायतों तथा लटूरी (लटूटी) व लवानियां ग्राम पंचायतों में छोटी-छोटी पुलियाओं का कार्य करवाया गया है तथा एनीकट निर्माण का कोई कार्य नहीं करवाया गया है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'अ" पर संलग्न है।

(2) पुलिया भरनिया, किशनपुरा, कोटडा, डूंगरपुर एवं जिठानी के कार्य पूर्ण हैं। पुलिया भौंरा, अरडाना एवं देवरानी के कार्य अपूर्ण हैं। इन तीनों पुलियाओं के अपूर्ण कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष (92-93) में पूर्ण करा लिया जायेगा।

(3) पुलियाओं हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय का विववण परिशिष्ट-"अ" पर प्रस्तुत है।

अटरू विधान सभा क्षेत्र में छोटी—छोटी पुलियाओं के निर्माण कार्य की स्थिति

क्र. सं.	कार्य का नाम मय ग्राम	ग्राम पंचायत	वर्ष	स्वीकृत राशि (रु.)	व्यय राशि (रु.)	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
बारां: —							
1.	पुलिया झरनिया	रिछंदा	89–90	10000	10023	पूर्ण)	
2.	पुलिया किशनपुरा	रिछंदा	90–91	20000	23896	पूर्ण)	वर्ष 1992–93 में
3.	पुलिया भौंरा	रिछंदा	90–91	40000	30259	अपूर्ण)	पूर्ण करा दिया
4.	पुलियाँ अरडाना	चराडाना	90–91	5000	3672	अपूर्ण)	जायेगा।
कोटा :—							
5.	पुलिया कोटडा	लवानिया	89–90	4230	4284	पूर्ण)	
6.	पुलिया डूंगरपुर	लटूरी	89–90,90–91	1000	16000	पूर्ण)	वित्तीय वर्ष 1992–
7.	पुलिया जिढ़ानी	लटूरी	90–91	15000	15000	पूर्ण)	93 में पूर्ण करा
8.	पुलिया देवरानी	लटूरी	90–91	98552	71176	अपूर्ण)	दिया जायेगा।

वक्फ बोर्ड कोटा की भूमि

283. **श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा पूर्व में वक्फ बोर्ड की जमीन जो चम्बल गार्डन कोटा के स्थान पर व उसके आस-पास स्थित थी के बदले दूसरी जमीन आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड, कोटा की कितनी जमीन ली गई थी व कितनी जमीन उसके बदले में दूसरे स्थान पर आवंटित की गई ? ली गई जमीन लेने व देने के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वक्फ बोर्ड, कोटा द्वारा उपरोक्त जमीन के बदले कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है ?

(3) वक्फ बोर्ड द्वारा कितनी-कितनी जमीन किस-किस को किस-किस भाव में किस नियम के तहत तथा किसके आदेश से बेची ? विक्रय के दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस प्रकार से भूमि बेचान व वक्फ बोर्ड द्वारा अनधिकृत रूप से जमीन पर अतिक्रमण करना न्याय संगत व नियमानुसार उचित है ? यदि नहीं, तो क्या वक्फ बोर्ड अपने द्वारा किया हुआ अतिक्रमण हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चम्बल गार्डन के स्थान पर स्थित वक्फ भूमि 1,88,880 वर्ग फीट के बदले में यू. आई. टी. कोटा व वक्फ कमेटी कोटा के आपसी समझौते के अनुसार ईदगाह के सामने 36,000 वर्ग फीट व चम्बल गार्डन के सामने (रेन की तलाई के पास) 1,34, 880 वर्ग फीट भूमि आवंटित की गई। आदेश व मुहायदों की प्रतियां प्रस्तुत है।

(2) प्रश्न नम्बर 1 के जवाब में अंकित भूमि पर वक्फ कमेटी कोटा का कब्जा है।

(3) जी नहीं। वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ की कोई भी भूमि किसी भी शख्स को बेचान नहीं की गई है।

(4) जी नहीं। वक्फ बोर्ड द्वारा न तो वक्फ की भूमि बेची गई है और ना ही अनाधिकृत रूप से किसी भी भूमि पर कब्जा किया गया है।

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :— दिनांक :—12 नवम्बर, 1973

आवंटन आदेश

दिनांक 5–10–73 को हुयी न्यास मण्डल की 36वीं बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 2 के अन्तर्गत चम्बल उद्यान नगर विकास न्यास के उपयोग आ गयी 1,88,800 वर्ग फुट मुस्लिम वक्फ की भूमि के एवज में निम्न आवंटन पत्र जारी किया जाता है :—

(अ) किशोरपुरा ईदगाह के समीप ईदगाह व किशोरपुरा आशापाला रोड को मौके पर अंकित संलग्न नक्शे के अनुसार 36,000 वर्ग फुट भूमि उक्त मुस्लिम वक्फ की जो 54,000 वर्ग फुट भूमि चम्बल उद्यान में आ गयी थी उसके एवज में आवंटित की जाती है। उक्त 30,000 वर्ग फुट भूमि बस्ती के सम्मुख होने से चम्बल उद्यान में 54,000 वर्ग फुट आई हुई भूमि के समान मूल्य को मानकर न्यास तथा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के मध्य दिनांक 6–10–73 को हुये तफसीया नामे के अन्तर्गत यह आवंटन किया जा रहा है।

(ब) इस आवंटन के पश्चात् शेष रही 1,34,880 वर्ग फुट भूमि जो चम्बल उद्यान में काम आ गई है उसके एवज में बराबर रकवा रेन की तलाई के कब्रिस्तान से लगा हुआ संलग्न नक्शे के अनुसार आवंटित किया जाता है।

इस प्रकार चम्बल उद्यान में आ गयी 1,88,880 वर्ग फुट भूमि के रकवे का हिसाब वर्तमान आवंटन द्वारा बराबर कर दिया गया है। दिनांक 5–10–73 के न्यास मण्डल के प्रस्ताव एवं उसके अनुसार दिनांक 6–10–73 को तफसीया नामा की पालना कर दी गयी है जो प्रस्ताव तथा तफसीया नामा वर्तमान आवंटन को नियन्त्रित करेगा। आवंटन पत्र के साथ कब्जे की कार्यवाही भी पूर्ण कर दी गयी है।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा।

क्रमांक :–7965–69

दिनांक :–12 नवम्बर, 73

प्रतिलिपि :–

1—श्री शहर काजी साहब, कोटा।

2—श्री सचिव, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, हवा महल, जयपुर।

3—श्री सचिव महोदय, नगर आयोजना विभाग, राज. जयपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7964 दिनांक 12–11–73 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4—श्री अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास, कोटा।

5—अधि. अभियन्ता, नगर विकास न्यास, कोटा।

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

तफसीया नामा जो नगर विकास न्यास कोटा तथा मुस्लिम समाज के मध्य सम्पन्न किया गया।

आज दिनांक 6–10–73 को नीचे हस्ताक्षर करने वालों के पांच निम्नलिखित आपसी फैसला किया गया।

मुस्लिम समाज की ओर से बतौर नुमायंदा काजी शहर श्री अनवार अहमद साहब तथा श्री अब्दुल कादर साहब भूतपूर्व वार्ड मैम्बर लाडपुरा कामरेड अब्दुल हमीद, मोहम्मद अकबर मिस्त्री, मोहम्मद यामीन एडवोकेट, नेता अब्दुल गफूर, हाजी अहसानजी,

मुस्ताक अहमद, गुलाम मोमन उद्दीन एवं अब्दुल रजाक, एवं नगर विकास न्यास कोटा की ओर से मुताबाक निर्णय मीटिंग मैम्बरान साहब यू. आई. टी. दिनांक 5–10–1973 श्री सचिव एवं अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, कोटा तफसिया बाहमी करने के सक्षम है।

चूंकि मुस्लिम वक्फ जायदाद अमर निवास (गिरेव यार्ड किशोरपुरा व मकबरा काजियान आइटम नं. 36 जो राजस्थान राज्य पत्र दिनांक 8 सितम्बर 66 में दर्ज है) की भूमि में से 1,88,880 वर्ग फुट भूमि गोविन्द उद्यान (चम्बल नदी के किनारे) में आ गई है। को उक्त बगीचा जो शहर के लिये उपयोगी है, लेना आवश्यक है इसके बजाय दूसरी जमीन मुस्लिम समाज को दी जाना तय किया जाता है जिसे मुस्लिम समाज ही रजामन्द है। अतः बाहमी यह तय किया जाता है कि सारा जो 1,88,880 वर्ग फुट भूमि के बदले 54000 वर्ग फुट ईदगाह किशोरपुरे के पास 1,34,880 वर्ग फुट भूमि रेन की तलाई के पास देना तय किया है जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1. भूमि जो ईदगाह के करीब है वह ईदगाह से दक्षिण की ओर ईदगाह किशोरपुरा लाडपुरा की सड़क में 36000 वर्ग फुट की भूमि है जिसको मुस्लिम समाज को दी जाने की कार्यवाही बहुत अर्से से राजस्थान सरकार के विचार अधीन है यह भूमि मुस्लिम समाज के लिये अतियन्त उपयोगी है और जिसको अध्यक्ष ने 25 पैसे वर्ग फुट की दर से कीमत पर देना तय किया था अब यह जमीन 54000 वर्ग फुट जमीन के एवज 36000 वर्ग फुट भूमि बिला कीमत मुस्लिम समाज को दिया जाना तय हुआ है। इस भूमि को नगर विकास न्यास मुस्लिम समाज को मुस्तकिल कराने का जिम्मेदार होगा।

2. इस प्रकार 54000 वर्ग फुट भूमि को देने के बाद 1,34,880 वर्ग फुट भूमि रेन की तलाई में जो (बाद सड़क व उसके पश्चिम में है न्यास मुस्लिम समाज की होगी। यह भूमि रेन की तलाई का गिरेव यार्ड रेन की तलाई 945 × 650 वर्ग फुट के नाम से राजस्थान राज्य पत्र सितम्बर 8,1966 के आइटम नम्बर 27 में दर्ज है। इस भूमि के अदला बदली में निम्नलिखित हस्ताक्षर करना होगा तथा न्यास मुस्लिम समाज का पूरा सहयोग है तथा रहेगा।

सचिव नगर विकास न्यास, कोटा ने आज आश्वासन दिया है कि वह तथा श्री जिलाधीश एवं अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा को इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही जानना जरूरी होगी यहां पर तथा जयपुर जाकर मुस्तवी से करा देंगे। इस समझौते के प्रति निम्न हस्ताक्षरकर्ता कभी उजर नहीं करेंगे। तथा जैसा ऊपर लिखा गया है उसमें जाप्ते की कार्यवाही जो होगी वह दोनों पक्ष एक दूसरों को सहयोग करके पूरा

करेंगे। इस कार्यवाही के मुकम्मिल होने में किसी प्रकार की देरी न हो यह दोनों पक्षों की ओर से तय हुआ है।

सचिव नगर विकास न्यास कोटा उक्त भूमियों की मुन्तकली व कब्जा देना मुस्लिम समाज को दिनांक 17-10-73 तक देना तय किया गया है।

ईदगाह किशोरपुरा के पास दी जाने वाली भूमि 36000 वर्ग फुट भूमि को सीमा बन्दी मुसलिम समाज करने को स्वतन्त्र है।

अतः उक्त जो जाने वालों भूमियों व कब्जा पाये मानचित्र नगर विकास न्यास कोटा, काजी श्री अनवर अहमद साहब को दिनांक 17-10-73 तक सुपुर्द कर देंगे।

सचिव,
नगर विकास न्यास, कोटा

इस वाहमो समझौते को नकलें जाप्ते की कार्यवाही कराने हेतु श्री जिलाधीश एवं अध्यक्ष कोटा, श्री सचिव मुसलिम वक्फ जयपुर, श्री सचिव नगर यह आयोजना विभाग राजस्थान जयपुर, श्री मुख्य नगर नियोजक राजस्थान जयपुर तथा श्री राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर, सचिव नगर विकास न्यास कोटा व काजी साहब कोटा को सचिव, नगर विकास न्यास कोटा भेजेंगे। जिससे कि जो भी जाप्ते को कार्यवाही हो उससे पूरी हो सके। सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा ने सूचित किया है कि उन्होंने सचिव नगर आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर तथा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर से जयपुर आकर सम्पर्क कर लिया है। उन्हें जो भी एतराज थे उन्हें दफा कर दिया है।

दिनांक 1-10-1973
हस्ताक्षर
नगर विकास न्यास, कोटा

1. हस्ताक्षर
   सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा
2. हस्ताक्षर
   अधि. अभियंता, नगर विकास न्यास, कोटा

हस्ताक्षर
मुसलिम समाज की ओर से

1. ह./-
2. ह./-
3. ह./-
4. ह./-
5. ह./-
6. ह./-
7. ह./-
8. ह./-
9. ह./-
10. ह./-

No. 7115–18 Dated 17-10-73

Copy delivered to :–

1. Shaher qazi Sahib.
2. Secretary, Muslim waqf, Jaipur through Shaher Qazi Sahib.
3. Collector & Chairman, U. I. T., Kota.
4. One copy for record

Sd–

Secretary, Urban Improvement Trust, Kota.

तारांकित प्रश्न संख्या 284 (स्थगित)

सांचोर सामुदायिक केन्द्र व चिकित्सालय में डाक्टर्स के रिक्त पद

285. श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचोर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालोर जिले के सांचोर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सालय में डाक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) इन पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति कब की गई और कब-कब किस सर्जन या डाक्टर ने कार्यभार सम्भाला ? क्या वह अभी भी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जालोर जिले के सांचोर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के 6 पद निम्न प्रकार स्वीकृत हैं—

कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसिन)	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
वरिष्ठ चि: अधिकारी	2

इनके अतिरिक्त सांचोर पोस्टमार्टम सेन्टर में निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं—

कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	1
कुल	6

(2) उक्त पदों पर चिकित्सकों की स्थिति निम्न प्रकार से है—

1–क. वि. मेडीसिन–डा. आर. एल. मोदी अगस्त, 1989 से।

2–क. वि. सर्जरी–रिक्त।

3–वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–डा. दीपक श्रीवास्तव, 3/92 से।

4–वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–डा. (श्रीमती) सन्तोष मोदी–23–1–87 से।

5–कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)–डा. भारती जैन, जनवरी, 91 को पद स्थापित, पर कार्यभार सम्भालने के तुरन्त बाद से अनुपस्थित।

6–कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)–डा. एस. एल थरेजा (चिकित्सा अधिकारी) 8–4–92 को पद के विरुद्ध पदस्थापित पर 9–4–92 से अनुपस्थित।

जो पद किसी चिकित्सक के पद स्थापन के अभाव में या फिर अनुपस्थिति से रिक्त चल रहे हैं–उन्हें यथाशीघ्र भर दिया जायेगा।

रेवदर में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

286. श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो क्या सिरोही जिले के अनुसूचित जाति क्षेत्र रेवदर में कहां-कहां और कब तक तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वित्तीय साधनों के अभाव में नये आई. टी. आई. खोलने का अभी कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं।

ग्राम ढोक (चोहटन) का विद्य तीकरण

287. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ढोक पं. स. चोहटन (बाड़मेर) को 1980 में जलदाय की लाइन से विद्युतिकृत किया गया था ?

(2) क्या वर्तमान समय में ओ. ए. स्कीम के अन्तर्गत 11 के. वी. लाइन लगाने का प्रावधान रखा है ?

(3) क्या उक्त ग्राम को पूर्ण विद्युतिकरण करने की अनुमानित योजना तैयार की जाकर उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु भेजी गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रतिवर्ष दो बार उस गांव में विरात्रा माता के मेले का आयोजन भी किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस गांव को पूर्ण विद्युतिकृत करके अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक विद्युतिकरण विरात्रा मंदिर तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, वर्तमान में चल रही ग्रामीण विद्युतिकरण योजना चोहटन में ग्राम ढोक के लिये अलग से 11 के. वी. लाइन का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) ग्राम ढोक पूर्व में विद्युतिकृत घोषित है। इस ग्राम में अनु. जाति एवं अनु. जन जाति की बस्तियों के विद्युतिकरण हेतु एक स्कीम बनाई गई थी परन्तु यह स्कीम जांच के अनुसार तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं पाई गई। अतः इसे ग्रामीण विद्युतिकरण निगम से स्वीकृत नहीं कराया जा सका।

(4) जी हां। ग्राम ढोक पूर्व में ही विद्युतिकृत घोषित है। अनुसूचित जाति व जन जाति की बस्तियों के नियमानुसार स्वीकृत होने के पश्चात् ही वहां विद्युती-

(ऊर्जा मंत्री)

करण सम्बन्धित कार्य किया जाता है। विराग्रा मन्दिर या उसके आस-पास के क्षेत्र में पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही तकनीकी साध्यता व नियमानुसार लाइन खेंचकर कनेक्शन देने की कार्यवाही संभव हो सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल पम्प्स वितरण

288. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डी. आर. डी. ए. योजनान्तर्गत वितरित किए जाने वाले डीजल पम्पस वितरण अब एग्रो इण्डस्ट्रीज के माध्यम से ही किये जावेंगे? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि एग्रो इण्डस्ट्रीज के एकाधिकार होने से कृषक किसी अन्य कम्पनी का आई. एस. आई. मार्का पम्प सेट नहीं खरीद सकता? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, पूर्व में ऐसा निर्णय लिया गया था। किन्तु इस निर्णय का विरोध विभिन्न जन-प्रतिनिधियों एवं माननीय, विधायकों द्वारा किए जाने के परिणामस्वरूप इस पर पुनः विचार किया जा रहा है।

(2) इस विषय में अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है। अतः इस समय यह सम्भावना उत्पन्न नहीं हुई है।

बाल श्रमिकों का निरीक्षण

289. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाड़पुरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स के विभाग में बाल श्रमिकों की जांच के लिए कोई निरीक्षक नियुक्त है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षक ने आज तक कोई कारखाना मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के क्रम में कोई चालान अदालत में पेश किया है? यदि किया तो ऐसे कितने मामले हैं और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, एक "बाल निरीक्षक" नियुक्त है। साथ ही सभी क्षेत्रीय निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स भी बाल श्रमिकों की जांच करते हैं।

(2) पूरे राजस्थान में केवल एक ही स्वास्थ्य निरीक्षक अर्थात निरीक्षक कारखाना (मेडीकल) नियुक्त है, जो कि डाक्टर है, जिसका मुख्य कार्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर सलाह देना है, लेकिन कारखाना एवं बायलर्स विभाग के क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित 46 चालान गत तीन वर्षों में पेश किये गये हैं।

जैसलमेर के चिकित्सालय में जनरेटिंग सेट की स्थापना

290. **श्री जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जितेन्द्र सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के मुख्य चिकित्सालय में जनरेटिंग सेट नहीं लगा हुआ है ? यदि हां, तो यह जनरेटिंग सेट लगाने के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही कर कब तक इसे लगवा दिया जावेगा ?

(2) इस चिकित्सालय में कुल कितने चिकित्सकों के रिक्त पद हैं ? रिक्त पद कब तक भर दिए जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि तीस बैड की क्षमता वाला हाल सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो यह कब तक बनकर पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । दिसम्बर, 1992 तक जनरेटिंग सेट लगा दिया जावेगा ।

(2) चिकित्सकों के तीन पद रिक्त हैं :
1. वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग) 1 पद
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन) 1 पद
3. कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) 1 पद

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार रिक्त पदों को भरना संभव होगा ।

(3) जैसलमेर में 150 बैड का चिकित्सालय स्वीकृत है । स्वीकृत बैड संख्या के अनुसार स्थानाभाव को देखते हुये 30 बैड की क्षमता वाले हाल की औपचारिक स्वीकृति विचाराधीन है । यथा शीघ्र स्वीकृति जारी करवाकर इस हाल को पूर्ण करा दिया जावेगा ।

भरतपुर जिले में सरसों बीज का वितरण

291. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कई तिलहन सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को सरसों का बीज दिया था जो उगा नहीं और सदस्यों की फसल नष्ट हो गई ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले विधान सभा सत्र में यह मामला उठाये जाने पर राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या खराब बीज के कारण किसानों की फसल में हुए नुकसान की एवज राज्य सरकार द्वारा किसानों को कोई मुआवजा राशि दी गई ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कुल 286.5 क्विं बीज टी. 59, आधार बीज टी. 59, प्रमाणित बीज, पूसा बोर्ड प्रमाणित तथा आर. एच. 30 प्रमाणित बीज का तिलहन उत्पादन सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण किया गया था । काश्तकारों के पास अवशेष बीज, सरसों टी. 59 के तीन नमूनें, पूसा बोर्ड

(कृषि मंत्री)

का एक नमूना, और आर. एच. 30 के दो नमूनें लेकर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर टी. 59 सरसों नमूनें की अंकुरण क्षमता 89 प्रतिशत, 94 प्रतिशत, 87 प्रतिशत, पूसा बोर्ड के नमूनें की अंकुरण क्षमता 87 प्रतिशत और आर. एच. 30 के नमूनें की अंकुरण क्षमता 94 प्रतिशत और 89 प्रतिशत है। प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सप्लाई किये गये बीज की अंकुरण क्षमता सही है।

(2) जी हां, जांच कराई गई, जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। बीज निरीक्षक, भरतपुर द्वारा पूर्व में एवं दल द्वारा अवशेष बीज के नमूने जो लिये गये उनकी अंकुरण क्षमता प्रयोगशाला द्वारा जांच करने पर सही पाई गई। अतः बीज के खराब सिद्ध न होने के कारण किसानों को कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कंवरसेन लिफ्ट नहर

292. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कंवरसेन लिफ्ट नहर में पिछले वर्ष से लगभग 13 हजार एकड़ पानी सरप्लस है ?

(2) क्या यह सही है कि लगभग 13 हजार एकड़ पानी का उपयोग किसानों के हित में करने हेतु इस पूरी लिफ्ट पर लगभग 50 हजार एकड़ से भी ऊपर भूमि का सर्वे जारी है।

(3) अब तक की जाने वाली सर्वे, नहर की कौन-कौन सी बुर्जी (आर. डी.) से की जा रही है और अब तक इस सर्वे से क्या नतीजे सामने आये हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस सरप्लस पानी के उपयोग निर्धारण हेतु एक कमेटी बनी है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी है और इस विषय के चिन्तन हेतु कब-कब बैठकें कहां-कहां की ? क्या इस निर्धारण (फैसले) में नहर से जुड़े काश्तकारों, किसानों एवं जनप्रतिनिधियों से भी राय एवं चर्चा की गई थी ? यदि हां, तो कब किससे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) अब तक कहां-कहां कंवरसेन लिफ्ट नहर पर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर्स आदि स्वीकृत किये गये हैं, अथवा विचाराधीन हैं और निर्धारण के बाद कितना पानी अभी शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां पिछले वर्ष तक स्वीकृत चक प्लानों के अनुसार कंवर सैन लिफ्ट नहर पर 1,26,814 एकड़ सिंचित क्षेत्र के प्रावधान की तुलना में 1,13,645 एकड़ क्षेत्र ही उपलब्ध था।

(2) जी हां, पानी का उपयोग करने हेतु लगभग 57600 एकड़ क्षेत्र का सर्वे कार्य शुरू किया गया था जिसमें से 40600 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

जा चुका है। तथा करीब 17000 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(3) वर्तमान में सर्वेक्षण कार्य निम्न स्थलों पर किया जा रहा है :—

1. मोखमपुरा माईनर बुर्जी 205-210 बाई ओर
2. भाडेरा माईनर का अन्तिम छोर पर विस्तार
3. खारा–कानासर माईनर बुर्जी 459.500 बाई ओर
4. बुर्जी 117 लिफ्ट नहर की बाई ओर

(ब) 40600 एकड़ क्षेत्र में पूर्ण किये गये सर्वेक्षण के आधार पर 16,990 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा का प्रसार सम्भावित है। (विवरण प्रपत्र "क" में संलग्न है) 17000 एकड़ क्षेत्र में जिसमें सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, सिंचाई योग्य भूमि का आंकलन अभी किया जाना शेष है।

(4) जी नहीं। प्रथम चरण में शेष रहे एवं नये प्रस्तावित कार्यों के अनुमोदन हेतु नहर मण्डल द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सदस्य निम्नानुसार हैं :—

1. आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, इगानप. बीकानेर, अध्यक्ष
2. मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर, सदस्य
3. मुख्य अभियंता, सि.क्षे.वि.इगानप., बीकानेर, सदस्य
4. मुख्य अभियंता, सिचाई, हनुमानगढ़ सदस्य।
5. मुख्य लेखाधिकारी, इंगानप.; बीकानेर
6. मुख्य लेखाधिकारी, सि.क्षे. विकास, इंगानप., बीकानेर

ये समिति समय-समय पर बैठकें करके प्रथम चरण के शेष कार्यों के बारे में समीक्षा करती हैं व भविष्य के लिए इन बचे कार्यों की अनुमानित लागत का आंकलन करती हैं। इस समीक्षा में सभी सम्बन्धित मुख्य अभियंता सुधार के उपयुक्त सुझाव रखते है, जिनमें जनता व जन प्रतिनिधि वगैरह के सुझावों का भी समावेश रहता है।

(5) उपरोक्तानुसार लगभग 13169 एकड़ क्षेत्रफल में सिंचित सुविधा देने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर समिति द्वारा बैठक में समीक्षा कर ली गई है। अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।

क्र.सं.	नाम माईनर	बुर्जी जहां से निकलेगी	सिंचित क्षेत्र
1.	मालेर माइनर बुर्जी	64.700 लिफ्ट नहर (आर)	2286 एकड़
2.	मीरचन्द वाला माइनर	बुर्जी 75.500 (एल)	4326 "

1	2	3	4
3.	फलेजी माइनर का विस्तार	बुर्जी फुलेजी माइनर की टेल	1320 एकड़
4.	रामबाग माइनर	बुर्जी 145 (एल) लिफ्ट नहर	2108 "
5.	बंधा माइनर	बुर्जी 394 (एल) लिफ्ट नहर	1275 "
6.	सीधा मोगा	बुर्जी 83,500 ग्रार	437 "
7.	चक फुलेजी बुर्जी–25	फुलेजी माइनर बुर्जी–25	746 "
8.	विभिन्न चकों में ग्रांशिक रूप से		761 "
		योग	13169

प्रस्तावित क्षेत्रों को शामिल करना व इस लिफ्ट नहर पर कुल कितना सिंचित क्षेत्र ग्रन्तिम रूप से रखना है यह मामला विभाग में विचाराधीन है ।

सर्वे की गई माइनर व मोघों का विवरण ।

(40,000 एकड़ क्षेत्र के ग्र`तर्गत)

क्र.सं.	बुर्जी	नाम माइनर/मोघा	जी.सी.ए. एकड़ में	सी.सी.ए. एकड़ में
1.	394 एस.	बन्धा माइनर	1954	1274
2.	75.000	एल.एम.सी, माइनर	11500	4352
3.	64.700 ग्रार.	मालेर माइनर	5025	2311
4.	145,500 एल.	रामबाग माइनर	6000	2187
5.	117,575 एल.	मिठरिया माइनर	3000	340
6.	—	फूलेजी माइनर का विस्तार	1500	1398
7.	82,500 ग्रार	(चक जोड) नया मोगा)	1600	485
8.	381,500 ग्रार	(नया मोघा)	594	227
9.	384 ग्रार	(नया मोघा)	600	450

1	2	3	4	5
10.	390.500 आर	नया मोघा	452	375
11.	190.500 एल	नया मोघा	175	76
12.	99.000 एल	–डू–	1500	—
13.	459.300 एल	–डू–	782	734
14.	420.600 आर	–डू–	585	444
15.	397 आर	–डू–	1234	557
16.	450.150 आर	–डू–	453	250
17.	25.00 पी एच एम	–डू– (फूलेजी माईनर)	2562	859
18.	—	भिन्न भिन्न चकों में अनकमाण्ड से कमाण्ड घोषित क्षेत्र	1084	671
योग		—	40600 एकड़	16990 एकड़

ह./–

Executive Engineer IGNP. Lift
Dam–4 Loon-Karansar

कनबाई-डबायचा (खेरवाड़ा) सड़क

293. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में कनवई से डबायचा एवं ऋषभदेव से गडावत सड़कों का डामरीकरण करने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई थी ? यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ किया गया और कब बन्द किया गया ? कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों सड़कों की स्वीकृति राशि लेप्स हो गई ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि लेप्स हुई ?

उत्तर

(1) जी हां । खैरवाड़ा तहसील में कनवई डबायच सड़क पर 30 जिला 30 काम में 4 किमी. डामरीकरण की स्वीकृति दिनांक 31.12.91 को दी गई थी । कार्य 13.1.92 को प्रारम्भ किया गया तथा कार्य 3 किमी. में पूर्ण हो गया । शेष प्रगति पर हैं ।

ऋषभदेव से गडावल सड़क की स्वीकृति 2 किमी. लम्बाई में डामरीकरण हेतु दिनांक 31.12.91 को दी गई तथा कार्य 16.1.92 को प्रारम्भ हुआ । 1.9 किमी. लम्बाई में कार्य हो गया है । शेष कार्य प्रगति पर है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। उक्त दोनों कार्यों की स्वीकृत राशि जिलाधीश, उदयपुर द्वारा सा. नि. विभाग में जमा करवा दी है एवं पूर्ण जमा राशि का उपयोग किया जायेगा।

जोला एनीकट सवाई माधोपुर का निर्माण

294. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि अधिकारी जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण स. मा. द्वारा उलियाना, खवा, खाण्डोज व जौला तहसील सवाई माधोपुर में वर्ष 1991–92 व 1992–93 में क्या-क्या कार्य करवाये एवं उन कार्यों पर कितना धन खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य ग्रामीण सोसाइटी के माध्यम से कराये गये हैं ? यदि हां, तो उलियाना, खवा, खाण्डोज के वाटर शेडों का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया, सत्यापन की क्या रिपोर्ट रही, कितने गड्डे व ट्रेंच मौके पर मिले ?

(3) क्या यह सही है कि जौला एनीकट दो मीटर ऊंचाई का बनाया जाना निर्धारित था ? यदि हां, तो उक्त एनीकट को एक मीटर ऊंचा क्यों बनाया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) उक्त कार्य किस कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किस सहायक व अधिशाषी अभियन्ता की देखरेख में करवाया गया ?

उत्तर

(1) उलियाना जलग्रहण क्षेत्र जिसमें ग्राम उलियाना, खवा, खाण्डोज शामिल हैं। इस जल ग्रहण क्षेत्र में भूसंरक्षण कार्य कृषि उत्पादन कार्य, नर्सरी स्थापना आदि का कार्य तथा ग्राम जोला एनीकट निर्माण का कार्य कराया गया। जिसमें क्रमशः 13.46 लाख रुपये एवं जोला एनीकट पर 1.516 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। जिसका विवरण वर्षवार/कार्यवार परिशिष्ट–1 पर है।

(2) उलियाना, खवा, खाण्डोज ग्राम उलियाना जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से ही स्वीकृत है। इस जलग्रहण क्षेत्र में कार्य यूजर्स कमेटी के माध्यम से कराये गये एवं इन कार्यों का माप शत प्रतिशत कनिष्ठ अभियंता द्वारा लिया गया एवं जिसका प्रमाणीकरण कृषि अधिकारी द्वारा किया गया। इस जलग्रहण क्षेत्र में अगस्त, 92 तक कुल 235 खड्डें एवं 250 हैक्टर क्षेत्र में ट्रेंच, पौधे एवं घास लगाने हेतु युजर्स कमेटी द्वारा खुदवाये गये, जिसका सत्यापन विभागीय मापदण्डानुसार 10 से 30 प्रतिशत कृषि अधिकारी, जल ग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण, सवाई माधोपुर द्वारा किया गया।

(3) कार्य हेतु पूर्ण लागत की राशि डी.आर.डी.ए., सवाई माधोपुर से प्राप्त ना होने के कारण एनीकट को फिलहाल 1 मीटर ऊँचा ही बनाया गया है। शेष राशि डी.आर.डी.ए., सवाई माधोपुर से प्राप्त होते ही एनीकट पूरा करवा दिया जायेगा।

(265) 264

(कृषि मंत्री)

(4) जोला एनीकट का निर्माण निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की देखरेख में कराया गया :—

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी मय पद	अवधि
1.	श्री एन.के. सिंह, कनिष्ठ अभियंता	फरवरी, 90 से 22.2.91 तक
2.	श्री प्रदीप कुमार गौड़, क. अभियंता	31.8.91 से अब तक
3.	श्री आर.सी. सिंह, सहायक अभियंता	कार्य प्रारम्भ दिनांक 16.5.92 तक
4.	श्री जे.डी. मित्तल ,, ,,	18.5.92 से 27.5.92
5.	श्री जे.पी. सिहल ,, ,,	28.5.92 से 15.6.92
6.	श्री श्याम लाल माथुर, अधिशाषी अभियंता	कार्य प्रारम्भ से मार्च, 91 तक
7.	श्री आर.एन. भटनागर, अधिशाषी अभियंता।	अप्रेल, 91 से अब तक

वर्षवार/कार्यवार राशि का ब्यौरा

क्र. सं. गांव का नाम	योजना	कार्य खर्च की गई राशि (लाखों में) 90–91	91–92	92–93	योग
1. उलियाना, खावा, खाण्डोज (उलियाना वाटरशेड)	राष्ट्र जल ग्रहण यो.				
	सर्वे.	—	0.38	—	0.38
	भू. सं. कार्य	—	7.02	5.62	12.64
	उत्पादन कार्य	—	0.17	0.08	0.25
	नर्सरी स्थापना	—	0.02	—	0.02
	प्रशिक्षण	—	0.04	—	0.04
	स्थापना	—	—	0.13	0.13
	योग :—	—	7.63	5.83	13.46
2. जोला (जोला एनीकट)	निर्बन्ध योजना ऐनीकट निर्माण	0.77	0.334	0.412	1.516

इन्दिरा गांधी नहर वितरिकाओं में पानी की बाराबन्दी

295. **श्री रामस्वरूप मेघवाल** : (रायसिंह नगर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की विभिन्न वितरिकाओं में पानी की बाराबन्दी के सम्बन्ध में विभागीय अभियन्ताओं की सी. ए. डी. कमीश्नर की अध्यक्षता में दिनांक 3-10-91 को बैठक हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन जन प्रतिनिधि उपस्थित थे ? यदि नहीं, तो जन प्रतिनिधियों को नहीं बुलाये जाने के क्या कारण रहे ?

(2) उक्त बैठक में बाराबन्दी के सम्बन्ध में क्या-क्या निर्णय लिये गये थे ? निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 13-10-91 के पश्चात् प्रत्येक नहर को कितने-कितने दिन बन्द रखा ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 3-10-91 को सी. ए. डी. कमीश्नर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी।

कोई जन प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य नहीं है।

(2) प्रति संलग्न है।

(3) जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मार्च, 1992 तक दो ग्रुप एक साथ चलने से प्रत्येक नहर आठ दिन चली एवं फिर बन्द रही।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

तहसील रेलमगरा व राजसमन्द के ग्रामों में पुलिया निर्माण

296. **श्री शांतिलाल** (राजसमन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बनास नदी पर रेलमगरा तहसील के ग्राम कुरज एवं राजसमन्द तहसील के ग्राम एमडी के पास पुलियाओं का कब निर्माण हुआ तथा निर्माण कार्य में कितना-कितना व्यय हुआ था ?

(2) उक्त पुलिया निर्माण के पश्चात् कब-कब क्षतिग्रस्त हुई तथा प्रत्येक बार मरम्मत में कितना-कितना व्यय हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन अवरुद्ध हुआ है ? यदि हां, तो इनका पुनर्निमाण कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले के रेलमगरा तहसील के गांव कुरज के पास बनास नदी पर पलश काजवे का निर्माण वर्ष 1967–68 में हुआ जिस पर 1.50 लाख रुपये व्यय हुआ। इसके पश्चात् इस पुलिया को वर्ष 1981–82 में वेटेंड काजवे में परिवर्तित किया गया है। इस पर 4.52 लाख रुपये व्यय हुआ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

राजसमन्द तहसील के गांव एमडी के पास बनास नदी पर फ्लश काजवे का निर्माण वर्ष 1969–70 में हुआ था एवं जिसकी लागत 1.00 लाख रुपये थी।

(2) इन पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने का विवरण निम्न प्रकार है :—

कुरज पुलिया			एम. डी. पुलिया		
क्षतिग्रस्त वर्ष	मरम्मत व्यय (लाखों में)	वर्ष	क्षतिग्रस्त वर्ष	मरम्मत व्यय (लाखों में)	वर्ष
1973 अतिवृष्टि	0.50	1973	1973	0.56	1973
1985 ,,	1.47	1983	1983	1.25	1983
1990 ,,	4.54	1990	1990	1.05	1990
1991 ,,	1.01	1991	1991	1.50	1991

(3) उपरोक्त दोनों पुलियाओं के ऊपर 2 फिट से 3 फिट पानी बह रहा है जिसके कारण रास्ता रुका हुआ है। व्यवधान का कारण पुलिया क्षतिग्रस्त होना नहीं है।

ग्राम मोडकिया (जोधपुर) का विद्युतिकरण

297. **श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी):** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या ग्राम मोडकिया ग्राम पंचायत टेपू पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर को वर्ष 1989–90 में बिजलीकरण हेतु लिया गया था ?

(2) क्या इस गांव को बिजली की मुख्य लाइन से जोड़ दिया गया, वहां ट्रांसफारमर भी लगा दिया गया, लोगों से फाइलें भरवाई गई उनसे रुपये भी भरवा लिये गये एवं बिजली के खम्भे भी खड़े कर दिये गये थे ?

(3) क्या पिछले सालभर से काम ठप्प पड़ा है और लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे ?

(4) यदि हां, तो यह गैर कानूनी कार्यवाही क्यों की जा रही है और इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

(5) इस कार्य पर वर्तमान तक बिजली बोर्ड का कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(6) इस गांव के लोगों को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम मोडकिया पंचायत टेपू पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर को वर्ष 1988–89 में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत दिनांक 31-1-89 को विद्युतिकृत किया गया था।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। कनेक्शन देने की कार्यवाही जारी है, लेकिन गत वर्ष उक्त ग्राम में जिन आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा थी उन्हें आपसी झगड़े के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके।

(4) घरेलू कनेक्शन आपसी झगड़े के कारण नहीं दिये जा सके इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(5) ग्राम मोडकिया को विद्युतिकृत करने एवं कनेक्शन दिये जाने में लगभग 1.50 लाख रुपया बिजली बोर्ड का व्यय हो चुका है।

(6) उक्त ग्राम के लम्बित आवेदको को जिन्होंने मांग पत्र की राशि एवं वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करली हैं उन्हें कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही जारी है।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कार्य

298. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत में कितना-कितना पैसा जवाहर रोजगार योजना का किस-किस पंचायत के खाते में जमा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चालू वर्ष में कितना-कितना पैसा किस-किस कार्य में किस-किस पंचायत ने खर्च किया है ?

(3) इस योजना का पैसा खर्च नही करने के क्या कारण हैं तथा की गई मनमानी से सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का क्या सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना का निम्न प्रकार पैसा जमा है। जिसकी सूची परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है।

(2) चालू वर्ष में जिस-जिस कार्य में जितना-जितना पैसा जिन-जिन पंचायतों ने खर्च किया है। जिसकी सूची परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत है।

(3) (अ) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति सपोटरा 45 पंचायतों में विभक्त है। इस विधान सभा क्षेत्र में डॉग क्षेत्र है जो दूर-दराज में स्थित है, तथा पंचायत समिति मुख्यालय सपोटरा से 140 कि. मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां स्वीकृत पदों के हिसाब से प्रशासक एवं पदेन ग्रुप सचिव कार्यरत नहीं थे। इस क्षेत्र की 45 पंचायतों में केवल 17 प्रशासक ही कार्यरत रहे है। पंचायत समिति स्तर पर हर समय-समय पर कार्य कराने की हिदायतें देने के बावजूद भी प्रशासकों द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं कराया जा सका।

(ब) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति सपोटरा के अतिरिक्त

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

पंचायत समिति करौली की 3 पंचायतें आती हैं। इन पंचायतों को आबंटित पूर्व वर्षों की अधिकांश पैसा उपयोग कर लिया गया है केवल ग्राम पंचायत अलेवा का 17418 रुपये व लोहरी का 10176 रुपये 1-4-92 को अवशेष रहा है। किन्तु 92-93 में आबंटित राशि को बैंकों द्वारा माह जुलाई में हस्तांतरित करने से वर्षांत के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका है, जिसे अब शीघ्र ही उपयोग में लाया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

मिलावटी तेल प्रकरण, चौमूं

299. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

चौमूं मिलावटी तेल प्रकरण की किस अधिकारी से जांच कराई गई थी तथा उससे क्या तथ्य सामने आये ? उसमें कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

चौमूं मिलावटी तेल प्रकरण की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वारा कराई गई थी, जिसमें दोषी कर्मचारी श्री महेश भट्टाचार्य, श्री के. सी. वर्मा खाद्य निरीक्षकों को विभाग के आदेश क्रमांक ई.32/खाद्यनि./92/731 दिनांक 25-7-92 द्वारा निलम्बित कर राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर चार्जशीट जारी की जा चुकी है। इसी क्रम में श्री रामगोपाल शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक, कालाडेरा को विभाग के आदेश क्रमांक ई-32/स्वा.नि./92/809 दिनांक 14-8-92 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। श्री रामगोपाल शर्मा के विरुद्ध प्राथमिक जांच संयुक्त निदेशक (जोन) जयपुर द्वारा की जा रही है।

गुढ़ामालानी का 33 के. वी. सब स्टेशन

300. श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) भीनमाल (जिला जालौर) से 32 के. वी. ए. की कितनी और कौन-कौन सी लाइनें निकलती हैं ?

(2) बाड़मेर जिले का गुढ़ामलानी स्थित 33 के. वी. ए. या सब-स्टेशन कौन-सी लाइन से विद्युत प्राप्त करता है ? इस लाइन पर अन्य कौन-कौन से 33 के. वी. ए. के सब-स्टेशन जुड़े हैं ?

(3) क्या यह सही है कि गुढ़ामलानी को दासपा (जिला जालौर) 33 के. वी. ए. लाइन से जोड़ा गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

उत्तर

(1) भीनमाल जिला जालौर से 33 के. वी. की निम्नांकित छः लाइनें खेंची हुई हैं :--

(ऊर्जा मन्त्री)

1. भीनमाल—रामसीन

2. भीनमाल—दांसपा

3. भीनमाल—रानीवाड़ा

4. भीनमाल—सांचोर

5. भीनमाल—धुमरिया

6. भीनमाल—पुनासा

(2) बाड़मेर जिले के ग्राम गुढ़ामालानी में स्थित 33 के. वी. सब-स्टेशन को विद्युत प्रदाय 33 के. वी. लाइन भीनमाल धुमरियां द्वारा की जाती है। वर्तमान में इस फीडर पर गुढ़ामालानी 33 के. वी. बस स्टेशन के अतिरिक्त जुजाणी एवं धुमरिया सब स्टेशन भी जुड़े हुये हैं।

(3) जी नहीं, गुढ़ामालानी 33 के. वी. सब स्टेशन को विद्युत प्रदाय भीनमाल-धुमरियां 33 के. वी. लाइन द्वारा की जाती है।

ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों का स्थायीकरण

301. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारी स्थायी हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें स्थायी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या उक्त कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन्हें पेंशन सुविधा देने का विचार रखती है ?

(3) क्या उक्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक इनको राज्य कर्मचारी के समान दर्जा दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार इन्हें स्थाई करने का कोई विचार नहीं रखती है।

(2) उक्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य कई सुविधाएं राज्य कर्मचारियों के समान उपलब्ध हैं। उक्त कर्मचारियों के सेवा नियमों में पेंशन के स्थान पर सी. पी. एफ. का प्रावधान होने के कारण इन्हें पेंशन देय नहीं है। राज्य सरकार इन्हें पेंशन देने का विचार नहीं रखती है।

(3) जी नहीं। उक्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिये जाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

नोहर के चिकित्सालय में रिक्त पद

302. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नोहर (गंगानगर) के सरकारी अस्पताल में कितने पद चिकित्सकों एवं अन्य प्रकार के स्वीकृत हैं ?

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

(2) उपरोक्त पदों में से कितने पद कब से क्यों रिक्त पड़े हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिये जाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नोहर (श्री गंगानगर) के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों व अन्य के स्वीकृत पदों की सूची संलग्न है।

(2) रिक्त पदों का विवरण भाग "ख" की सूची में उल्लेखित है।

रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें निर्धारित योग्यता धारक अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा पदोन्नति कर दिए जाने पर भरा जाना सम्भव होगा।

राजकीय चिकित्सालय नोहर में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं	कारण
1	2	3	4	5	6	7
चिकित्सा पक्ष						
1.	क.वि. (शल्य)	1	1	—	—	
2.	क.वि. औषधि	1	1	—	—	
3.	व.चि.अ.	1	1	—	—	
4.	चि.अ.	1	—	1	15.8.92	योग्य
5.	मै.न. श्रेणी–1	2	1	1	6/90	अभ्यर्थी
6.	मै.न.श्रेणी–2	5	5	—	—	उपलब्ध न
7.	प्रसाविका	1	1	—	—	होने के
8.	एक्सरे टैक्नी.	1	—	1	1.10.90	कारण
9.	व. लि.	1	1	—	—	
10.	वार्ड ब्वाय	5	5	—	—	
प. क. पक्ष						
1.	क.वि. (स्त्रीरोग)	1	1	—	—	
2.	क.वि. (शिशुरोग)	1	1	—	—	
3.	एल.एच.वी.	1	1	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
4.	स्टाफ नर्स	1	—	1	5/90	—
5.	ले. टैक्नी.	1	1	—	—	पदोन्नति न
6.	व. लि.	1	—	1	—	होने के कारण
7.	वा.चा.	1	1	—	—	योग्य अभ्यर्थी
8.	प्रसाविका	2	—	2	7/90	उपलब्ध न
9.	वार्ड ब्वाय	3	2	1	8/90	होने के कारण

शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में विद्युत् लाइन

303. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा में आवासन मण्डल की कालोनी शास्त्री नगर (विस्तार) में कितने बिजली के खम्बे लगाये गये तथा उनको एक लाइन में क्यों नहीं लगाये ?

(2) कितने मकानों के ऊपर से बिजली के तार जा रहे हैं इनसे किसी भी दुर्घटना हो जाने पर उसका जिम्मेदार कौन होगा ?

(3) बिजली लाइन सही नहीं लगाई जाने के क्या कारण रहे है ?

(4) सुधार की दृष्टि से अब क्या किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा शहर में स्थित आवासन मण्डल की कालोनी शास्त्री नगर विस्तार योजना में तब तक अनुमानित 155 बिजली के खम्भे लगाये गये हैं। लाइन का विस्तार कार्य आवासन मण्डल द्वारा दिये गये ले–आउट के अनुसार किया गया है।

(2) निर्मित मकानों के ऊपर होकर विद्युत मण्डल लाइन नहीं खेंचता है वरन् भवन मालिक लाईन के नीचे मकान निर्माण करवा लेते हैं। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये इस प्रकार कराये गये निर्माण में यदि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिये भवन मालिक स्वयं जिम्मेदार है।

(3) उक्त आवासन मण्डल की कालोनी शास्त्री नगर विस्तार योजना में आवासन मण्डल द्वारा दिये गये ले–आउट के अनुसार ही लाइन का कार्य किया गया है।

(4) पूर्व में खींची गई विद्युत लाइन के नीचे यदि किसी भी भवन मालिक ने अपने भवन का निर्माण कार्य उक्त नियमों का उल्लघन करते हुए करवा लिया है तो

(ऊर्जा मंत्री)

तकनीकी दृष्टि से साध्य होने पर संबंधित व्यक्ति/संस्थान के खर्चे पर विद्युत मण्डल द्वारा ऐसी लाइनों को शिफ्ट कर दिया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र चूरू में सड़क निर्माण

304. **श्री राजपाल सिंह शेखावत** (बनीपार्क) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में वर्ष 1992–93 के दौरान कौन कौनसी नई सड़कों का निर्माण व मरम्मत प्रस्तावित है ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र चूरू में किन-किन महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य बजट वर्ष 1992–93 के दौरान प्रस्तावित है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान बजट वर्ष 1992–93 के दौरान चूरू सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है ? इस राशि में से चूरू विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर कितना खर्च किया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में सा.नि.वि. के अन्तर्गत वर्ष 1992–93 में सड़कों के निर्माण हेतु एक नई सड़क की स्वीकृति दी गई है। पूर्व के वर्षों में स्वीकृति सड़कें, जिनका कि वर्ष 1992–93 में निर्माण करवाना है, का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है तथा वर्ष 1992–93 में जो सड़कें मरम्मत हेतु प्रस्तावित हैं उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" में दर्शाया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चूरू में वर्ष 1992–93 में सड़कों के निर्माण कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ग" में दर्शाया गया है तथा मरम्मत कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "घ" में दर्शाया गया है।

(3) चूरू जिले में बजट वर्ष 1992–93 में सड़कों के निर्माण कार्य हेतु रुपये 95.00 लाख तथा मरम्मत कार्यों के लिए 327.50 लाख रुपये आवंटित किये गये है। इस राशि में से विधान सभा क्षेत्र चूरू में क्रमशः 69.50 लाख रुपये व 82.36 लाख रुपये है। पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत नये निर्माण कार्यों पर चूरू विधान सभा क्षेत्र में रुपये 15.59 लाख तथा मरम्मत कार्यों पर रुपये 23.12 लाख का वर्तमान वित्त वर्ष में (अगस्त 1992 तक) किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट "ग" तथा "घ" में दर्शाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

274

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 387 का विवरण

सवाईमाधोपुर जिले में वर्ष 90–91 व 91–92 में सड़कों एवं पुलियाओं पर आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्रम संख्या	आबंटित राशि का मद	वर्ष 90–91 में आबंटित राशि	वर्ष 90–91 में व्यय राशि	वर्ष 91–92 में आबंटित राशि	वर्ष 91–92 व्यय राशि
1.	2053 निर्बन्ध योजना	—	—	33.50	34.30
2.	3054 सड़क व पुल	242.90	242.91	301.00	301.27
3.	3475 एन.आर.वाई.	—	—	10.25	7.36
	109 नेहरू रोजगार योजना				
4.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	63.50	63.20	86.58	85.01
5.	ग्रामीण सडकें	—	—	6.70	6.76
6.	डाकू उन्मूलन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण	43.00	42.55	117.50	136.26
7.	भू.आ. अवार्ड	1.57	2.16	1.60	1.59
8.	शहरी सडकें	—	—	3.00	2.98
9.	8443–सिविल डिपोजिट जवाहर रोजगार योजना	6.00	4.11	1.89	1.89

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 90 से जून, 92 तक बनाई गई सड़कों व पुलों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	योजना जिसमें स्वीकृत की गई	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 90 से अब तक विभिन्न योजनाओं में सड़क एवं पुलियाओं के कार्य की स्थिति	
					संवेदक/विभाग द्वारा निर्माण	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मूंडिया से घोलेटा वाया नागल मोरड़ा कमालपुरा सड़क	5054 सड़क एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम एवं ग्रामीण सड़कें	23.5	56.85	1. जोन "अ" कि.मी. 0/0 से 10/0 मैसर्स सिंघल बिल्डर्स, भरतपुर 2. जोन "ब" कि.मी. 10/0 से 24/0 श्री कपूर चंद सिंघल संवेदक, भरतपुर। 3. इस सड़क पर आने वाली पुलियाओं का कार्य मैसर्स बालाजी कन्स्ट्र-	उक्त आवंटित कार्यों में से कुल 19.5 कि.मी. सड़क का कार्य वर्ष 90 से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है शेष 4 कि. मी. सड़क निर्माण कार्य भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर

1	2	3	4	5	6	7
					क्शन कम्पनी, सांकरवाड़ा द्वारा	ही शुरू करना संभव हो सकेगा जिसकी कार्यवाही प्रगति में है।
2.	गुढ़ाचन्द्रजी लालसर गढ़मोरा गढखेड़ा, तलावद–अलूदा–नादौती सड़क	5054–सड़क एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम एवं ग्रामीण सड़कें	12.4	31.50	चार कि.मी. डामर व एक पुलिया का निर्माण मैसर्स लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, गंगापुरसिटी	कार्य वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति तक पूर्ण है।
3.	करीरी से बौंल सड़क	,,	4.00	10.00	कार्य श्री कैलाश चंद गर्ग, संवेदक बयाना द्वारा मार्च, 92 से शुरू किया है।	उक्त कार्य की स्वीकृति वर्ष 91–92 में प्राप्त हुई है तथा अब तक 1.5 कि. मी. मेटल सड़क पूर्ण की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
4.	सम्पर्क सड़क खेड़ी	2053 निबंध राशि योजना	5.5	5.5	श्री नानूराम संवेदक महुवा	दोनों सड़कों की स्वीकृति वर्ष 91–92 में प्राप्त हुई थी एवं कार्य पूर्ण हो चुका है
5.	सम्पर्क सड़क चिरावड़ा	"	1.0	1.0	श्री रमेश चंद जैन, गंगापुर सिटी	
6.	नगर पालिका टोडाभीम की सड़क का डामरीकरण	नेहरू रोजगार योजना	—	0.75	सा.नि.वि. उपखंड टोडाभीम द्वारा	नगर पालिक टोडाभीम को सड़क का डामरीकरण का कार्य 1.00 कि.मी. में ।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 388 की सूची

सवाई माधोपुर के गांवों की सूची जिनकी आबादी 1000 से अधिक है तथा जिन्हें विश्व बैंक की सहायता से प्रथम फेज में सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है :—

क्रम संख्या	गांव का नाम
1.	बुडगर
2.	रघुवंशी
3.	माकनपुर
4.	नंगला मीना
5.	लहघरा
6.	रानोली
7.	बरखेड़ा
8.	ढांह
9.	नोहडा
10.	केसरा घोरोरा
11.	बाजोली
12.	जटवारा कलां
13.	लोखाड़ा

परिशिष्ठ--8

अतारांकित प्रश्न संख्या 396 की सूची

नागौर शहर में नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत एवम पुर्नउद्धार
की स्वीकृतियों एवम कराये गये कार्य का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक एवम दिनांक	स्वीकृत राशि	स्वीकृति के विरूद्ध नगर पालिका नागौर एवम स्थानीय विधायक की सलाह के अनुसार कराये गये कार्यों का विवरण
1	2	3	4	5
(1)	नागौर नगर पालिका क्षेत्र की सड़क की मरम्मत एवम पुर्न-उद्धार का कार्य	F. 2(4)PW/AS/90 दिनांक 24-1-90	10.00 लाख	(i) राजकीय चिकित्सालय से बंशीवाला का मन्दिर वाया नया दरवाजा, लोहियों का चौक (ii) नकास गेट से दांती बाजार (iii) गांधी चौक से अजमेरी गेट (iv) गांधी चौक से तिगरी बाजार (v) नया दरवाजा से माही दरवाजा (vi) गांधी चौक से दिल्ली दरवाजा (vii) कुमारी दरवाजा से मानासार

1	2	3	4	5
(2)	नागौर नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों का पुर्न-उद्धार	F. 2(54)PW/As/90/ डी-596 दि. 3/9/90	5.00 लाख	(i) माही गेट से सेठ श्री रामदेव जी पित्ती की पोल तक (ii) माहीगेट से मच्छियों का चौक वाया लोहियों का चौक (iii) रामकिशन कल्ला के मकान से इन्दिरा कालोनी वाया धर्म कांटा व सैनिक स्तम्भ (iv) फकीरों के चौक से (दिल्ली दरवाजा) खत्रीपुरा चौक
(3)	नागौर नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत एवम पुर्न-उद्धार का कार्य	F. 2(50)/PW/AS/90 D. 201/ दिनांक 29/4/91	5.00 लाख	(i) किले की ढाल मील स्टेण्ड से मोहम्मद हनीफ के घर तक वाया नेहरू युवा केन्द्र (ii) रामकरण खाती के मकान से जुगल किशोर वकील के मकान तक वाया भ्रष्टाचार विशेषक कार्यालय (iii) पुलिस स्टेशन से रेल्वे स्टेशन (iv)) रेल्वे स्टेशन से बासनी फाटक सैनिक विश्राम गृह

प्रतिलिपि पत्रांक एफ 28(23) सां/स्थानि/नरोयो/91/8/8198 दिनांक 10-5-91 प्रेषक उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर प्रेषिति मुख्य अभियन्ता (पथ-1) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।

विषय—प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति।

राज्य की 168 नगर परिषद/पालिका क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़क के निर्माण, मरम्मत सुधार कार्य हेतु संलग्न सूची के विवरणानुसार अंकित राशियों की सीमा तक रुपये 284-30 लाख (रुपये दो करोड़ चार लाख तीस हजार) मात्र के व्यय की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा निर्देशानुसार प्रदान की जाती है।

यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पन्न किया जावेगा, जिसका व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष से वहन होगा। इस बजट शीर्षक से फिलहाल रु. 1.35 करोड़ (एक करोड़ तीस लाख) मात्र तक की राशि ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आहरित की जा सकेगी :—

3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

109–नेहरू रोजगार योजना हेतु सहायतार्थ अनुदान/अंशदान सहायता आदि

(II)–शहरी रोजगार मजदूरी योजना (क्र. यो.)

उक्त राशि निम्न शर्तों के अनुसार व्यय की जावेगी :—

1. यह राशि संबंधित नगर परिषद/नगर पालिकाओं के नाम नेहरू रोजगार योजना के अन्तगर्त अनुदान स्वरूप लिखी जावेगी।

2. राशि का व्यय नेहरू रोजगार योजना की क्रियान्वित हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों व मानदण्डों के अनुसार ही किया जावेगा जो मुख्य रूप से विभाग द्वारा जारी पुस्तक "नेहरू रोजगार योजना" में अंकित है।

3. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व्यय का मासिक मानचित्र निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जावेगा।

4. राशि का उपयोग दिनांक 30-9-91 तक किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र नगरपालिका/वाइज स्थानीय निकाय विभाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरों से भेजे जायेगें।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की अनुविभागीय पत्रावली सं. 1208 दिनांक 1-5-91 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 12(329) अनु–2/91 दिनांक 10-5-91

प्रतिलिपि मय संलग्न सूची के निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जाती है :—

1. अति. मुख्य अभियंता सा. नि. वि. संभाग

2. अधिक्षण अभियंता सा. नि. वि. वृत्त

3. अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. विभाग, डीडवाना।

4. निजी सहायक मुख्य अभियंता (पथ–1) अधिक्षण अभियंता पीएण्डएम–1/11 सांख्यिकी शाखा/प्रशासनिक सहायक/अधीक्षक (पथ) बजट लिपिक/क्रम्पाइलेशन लिपिक/संबंधित लिपिक मुख्य अभियंता कार्यालय, सा.नि.वि., जयपुर।

इस स्वीकृति के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही तकमीना माहवारी लेखा आदि प्रस्तुत करते समय सदैव जोब नम्बर जो प्रत्येक कार्य के आगे दिखाये गये हैं अवश्य अंकित करें। स्वीकृति में प्रतिशत व्यय सम्मिलित है। कार्य समाप्ति होने पर संबंधित विभाग तथा इस कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में कार्य समाप्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। आगामी 2/3 सीमा तक व्यय किया जावे।

ह./–

संलग्न : —उपरोक्तानुसार। मुख्य अभियंता (पथ–I)

वर्ष 1991–92 में नगर परिषद/पालिका क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत सुधार के निर्माण कार्य (जिला मुख्यालय के अतिरिक्त)

क्र. सं.	नगर परिषद/पालिका का नाम	राशि लाखों में	जोब नम्बर
1	2	3	4
	जिला–नागौर		
121.	लाडनूं	2–00	289/3475/ओडी/केरायो क्र. यो./91–92
122.	मेड़ता सिटी	2–00	290/ ,, ,,

1	2	3	4
123.	कुचामन सिटी	2–00	291/3475/ग्रोडी/केरायो क्र यो./91–92
124.	डीडवाना	1–50	292/ ,, ,,
155.	मकराना	2–50	293/ ,, ,,
126.	परबतसर	1–00	294/ ,, ,,
127.	नावां	0–75	295/ ,, ,,
128.	कुचेरा	0–75	296/ ,, ,,
129.	मुडंवा	0–60	297/ ,, ,,
		13–10	

परिशिष्ठ—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 398 की सूची

1.	बेलागंरी	15.	भूतगांव
2.	वराल	16.	माण्डवाडा
3.	चडूवाल	17.	गोल
4.	अएगोर	18.	गोयली
5.	नवारा	19.	मांडवा
6.	मीरपुर	20.	राजपुरा
7.	तेलपीखेडा	21.	बाल्दा
8.	धान्ता	22.	रोवाड़ा
9.	माकरोडा	23.	आल्पा
10.	जेला	24.	केराल
11.	अमलारी	25.	जुबलीगंज
12.	सनपुर	26.	बादला
13.	देलदर	27.	रुखाडा
14.	मनोरा	28.	बांदाणा

परिशिष्ठ—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 402 की सूची

"पिछले दो साल में श्री गंगानगर (जिला क्षय निवारण केन्द्र, गंगानगर) में निम्न औषधियां वितरित की गई 1990-91, 91-92

क्र. सं.	दवाईयों का नाम	भारत सरकार द्वारा सप्लाई	निदेशालय द्वारा सप्लाई	अन्य जगह से प्राप्त	खरीदी गई	कुल संख्या	लगभग कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इन्जे. स्टेपटोमाईसीन 0.75 ग्राम	1,25,000	60,000	—	—	1,85,000	5,55,000
2.	टेब. इथिमिबिटोल 400 एम.जी.	—	48,000	—	—	48,000	33,600
3.	टेब. इथिमिबिटोल, 800 एम.जी.	2,71,500	27,000	—	3,000	3,01,500	4,22,100
4.	टेब. इथिमिबिटोल 200 एम.जी.	21,000	—	—	—	21,000	7,300
5.	टेब. आईसोनेक्स, 100 एम.जी.	1,00,000	1,00,000	—	—	2,00,000	18,000

285

(286)

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	टेब. कोम्बीनेशन (आईसोनेक्स 75 एम.जी.+ थोजटाजोन 37.5 एम.जी.)	1,00,000	—	—	—	2,00,000	15,000
7.	केप. रीफामिसीन 450 एम.जी.	—	21,500	—	—	21,500	84,000
8.	टेब. आईसोनेक्स 300 एम.जी.	2,00,000	—	90,000 (टीबीसी भीलवाडा से)	—	2,90,000	46,500
9.	टेब. पेराजीनामाइड	—	15,000	—	—	15,000	22,500
10.	टेब. थेजटाजोन 50 एम. जी.	—	50,000	—	—	50,000	7,500
						योग :—	12,11,500

नोट—भारत सरकार एवं निदेशालय द्वारा जो औषधियां सप्लाई ।

परिशिष्ट–11

अतरांकित प्रश्न संख्या 405 की सूची

ग्रामों की जिलेवार सूची जिनमें मेवात् विकास बोर्ड के माध्यम से वर्ष 90–91 से वर्ष 92–93 तक कार्य स्वीकृत किये गये।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जनसंख्या	क्र. सं.	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1.	2.	3.	1.	2.	3.
		जिला—अलवर			
1.	नंगलीमेघा	1021	2.	पलखडी	716
3.	छागलकी	358	4.	न्याणा	616
5.	खिदरपुर	847	6.	जिन्दोली	3067
7.	फाहरी	675	8.	खुडियाना	1724
9.	बेरला	1228	10.	हेबाहेडा	1610
11.	ब्रिहसिंहपुरा	447	12.	सिरमोली	1791
13.	तरवाला	1055	14.	रवानपुर अहीर	1268
15.	तिनकीरुडी	1028	16.	शामदा	1923
17.	मुण्डावर	3987	18.	दारोदा	1100
19.	रामनगर	401	20.	इसरोता	524
21.	बढ़नगढी	121	22.	रेटा	920
23.	घाटला	1097	24.	पडीसल	436
25.	झाडोली	441	26.	बरवाडा	151
27.	धुलपुरी	593	28.	टीकरीमोड	285
29.	लीलामंडी	1062	30.	खेडी	913
31.	हुरसाना	3455	32.	सायपुर पारवर	453
33.	हमीराका	1847	34.	विरामपुर	1053
35.	मायापुर	618	36.	कैलगांव	1092
37.	मंजरीकलां	767	38.	मानका	1475

1.	2.	3.	1.	2.	3.
39.	तिशरिया	1037	40.	सीरावास	338
41.	श्राडापाडा	597	42.	देसूला	1571
43.	खेडली सैयद	1200	44.	नंगला चारण	484
45.	गुंढपुर	1229	46.	श्रामेट	615
47.	रघुनाथगढ़	1664	48.	चोरोटी इस्तमुरार	1038
49.	खूंटेटा कलां	740			

जिला : भरतपुर

1.	कोरेर	3050	2.	बरौली	2018
3.	खेरली नगर	551	4.	मूंढोली	808
5.	कनवाड़ा	1395	6.	कदमरवण्डी	4
7.	पालतू	550	8.	मूंढेरा	1597
9.	निगोही	1399	10.	विलोंद	3100
11.	झिरी	643	12.	रांफ	1428
13.	तरोडर	1637	14.	मातुकि	839
15.	श्रादि बद्रीनाथ	189	16.	सीकरी	7406
17.	बजीर खेड़ी	177	18.	श्रकाता	1991
19.	सुन्हेरा	1681	20.	गुडगांव	796
21.	श्रधम	481	22.	मूसैपुर	1224
23.	जलालपुर	1219	24.	खोहरी	3627
25.	पुछारी	642	26.	श्माम घाट	220

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 410 की सूची

विधान सभा/अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

विशिष्ठ योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रुप—5)

क्रमांकः–एफ–14(8)482/वियोसं/वायोगैस/92 जयपुर, दिनांक : 26-9-92

सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :– विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या–24/पं. म. द्वारा श्री अमृत लाल परमार, विधायक (5)

प्रसंग :– आपके पत्रांक–906/प्र. शा./वि. स./8. दिनांक 17-9-92 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में बायोगैस योजनान्तर्गत पाली जिले से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या–24/पं. म./द्वारा श्री अमृत लाल परमार, विधायक (5) द्वारा पूछे गये प्रश्नों के जवाब 35 प्रतियों में तैयार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(35 प्रतियां)

भवदीय,

ह./–

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

(1) निजी सचिव, मुख्य मन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

(2) निजी सचिव, मन्त्री महोदय/राज्य मन्त्री महोदय, वि. यो. एवं ए. ग्रा. वि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(3) निजी सचिव, पंचायत मन्त्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

(4) निजी सचिव, सचिव, वि. यो. एवं ए. ग्रा. वि. विभाग, सचिवालय, जयपुर।

(5) निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वि. यो. एवं ए. ग्रा. वि. विभाग, जयपुर।

(6) प्रवर शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को उनके पत्रांक–एफ–41 (55) विसप्र/91/565, दिनांक 17-9-92 के सन्दर्भ में।

(7) उप शासन सचिव (प्रथम) वि. यो. एवं ए. ग्रा. वि. विभाग, जयपुर।

(8) कार्मिक एवं प्रशांसनिक सुधार विभाग, सचिवालय, जयपुर।

(9) चैंजिग सैक्शन, सचिवालय, जयपुर।

(10) अनुभागाधिकारी, (ग्रुप–1) वि. यो. एवं ए. ग्रा. वि. विभाग, जयपुर।

(11) रक्षित पत्रावली।

ह./–

उप शासन सचिव

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 411 की सूची

स्वीकृति क्रमांक 6873–6957 दिनांक 6–2–90 से जारी विद्यालय भवन एवं कमरे निर्माण की सूची :—

क्रम सं.	पंचायत समिति	कार्य का नाम	कमरों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	पाली	रा.मा.वि. हेवाती	2	1.07
2.	,,	रा.मा.वि. खैरवा	2	1.07
			योग :—	2.14
3.	मा.जं.	रा.मा.वि. वोपारी	3	1.42
4.	,,	,, देवली (ग्राउवा)	3	1.42
5.	,,	,, जाडन	3	1.42
6.	,,	,, मांडा	3	1.42
7.	,,	,, जोजावर	3	1.42
8.	,,	,, सारण	2	1.07
9.	,,	,, सोरियारी	2	1.07
10.	,,	,, शेखावास	3	1.42
			योग :—	10.66
11.	सोजत	रा.मा.वि. केलवाद	3	1.42
12.	,,	,, चाडवास	3	1.42
13.	,,	,, सियाट	3	1.42
14.	,,	,, गुड़ाकलां	1	0.51
15.	,,	,, सांडिया	3	1.42
			योग :—	6.19

1	2	3	4	5
16.	रानी	रा.मा.वि. रानीगांव	3	1.42
17.	,,	,, खिमेल	2	1.07
18.	,,	,, जवाली	3	1.42
			योग :—	3.91
19.	जैतारण	रा.मा.वि. कुड़की	3	1.42
20.	,,	,, डिगरना	3	1.42
21.	,,	,, गरणिया	3	1.42
22.	,,	,, आनन्दपुर कालु	3	1.42
23.	,,	,, आगेवा	3	1.42
			योग :—	7.10
24.	रायपुर	रा.मा.वि. झूठप	2	1.07
25.	,,	,, देवलीकलां	3	1.42
26.	,,	,, बर	1	0.51
27.	,,	,, सेन्दड़ा	3	1.42
28.	,,	,, कोटकिराणा	2	1.07
29.	,,	,, गिरी	2	1.07
30.	,,	,, काणुजा	2	1.07
			योग :—	7.63
31.	सुमेरपुर	रा.मा.वि. ढोला	3	1.42
32.	,,	,, चाणोद	2	1.07

1	2	3	4	2
33.	सुमेरपुर	रा.मा.वि., ढोला बांकली	3	1.42
34.	,,	,, पावा	3	1.42
			योग :—	5.33
35.	बाली	रा.मा.वि. कोटबालियां	2	1.07
36.	,,	,, बीजापुर	3	1.42
			योग :—	2.49

महायोग :—45.45 लाख

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 420 की सूची

नागौर वृत्त में उपखण्डवार 31.3.92 के पूर्व में कृषकों द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि का विवरण 1.4.92 से 31.8.92 तक कृषि कनेक्शन दिये गये का विवरण तथा शेष रहे कृषि कनेक्शनों का विवरण।

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम	31 मार्च, 92 से पूर्व के कृषि कनेक्शन की संख्या जिनको कनेक्शन नहीं दिया जा सका।	अप्रेल, 92 से अगस्त, 92 तक किये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या	31.8.92 को शेष रहे कृषि कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	सहायक अभि. (पवस) मेड़तासिटी	100	24	76
2.	,, (ग्रावि) मेड़तासिटी	143	56	87
3.	,, (पवस) डेगाना	168	62	106
4.	,, ,, डीडवाना	55	52	3
5.	,, ,, लाडनूं	31	17	14
6.	,, ,, न	198	51	147

1	2	3	4	5
7.	सहायक अभि. (पवस) मूण्डवा	204	35	169
8.	,, (ग्रामीण) मकराना	37	15	22
9.	,, (पवस) कुचामनसिटी	196	74	122
10.	,, ,, परबतसर	113	105	8
11.	,, ,, नावांसिटी	102	27	75
	योग—	1347	518	829

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 422 की सूची

बांसवाडा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मार्च, 92 के अन्त में विद्युतीकरण हेतु शेष रहे ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
	पंचायत समिति कुशलगढ़	
	ग्रा. वि. नि. योजना में स्वीकृत ग्राम	
1.	उमर झोंका	23/5/363
2.	कडवाली खुर्द	384
3.	अभालिया मल	380
4.	सींगला कुण्डी	378
5.	सेमलपुरा	394
6.	जूनापानी	388
7.	कडवाली कलां	385
8.	मतवाला का खेड़ा	386
9.	बादुपुरा	395
10.	दोरबडिया	393
11.	कुकरीपाड़ा	396
12.	हल्दुपाडा	350
13.	भवेदा	349
14.	अन्दोक	372
15.	खेडा	370
16.	कन्डियां	215
17.	भोराज	348
18.	खूटां	217
19.	तलाई पाड़ा	216
20.	बिजलपुर	221
21.	उमर झोंकां	222
22.	बालाचूना	223
23.	फेरा डूंगरी	212
24.	हवारुन्दी	358
25.	खेडा पाडा	346
26.	सुन्दरी पाड़ा	347
27.	उदयगढ़ कालाखेत	230
28.	गोरचा बतरा	274
29.	भवानों की तोरी	357
30.	गरड़ खोड़ा	277
31.	सेमलदा	292
32.	भूरीपाडा	345
33.	काजल पाड़ा	204
34.	भीमगढ़	148
35.	रतनमाल	225
36.	सीम सगरा	279
	पं. सं. सज्जनगढ़	
	ग्रा. वि. नि. योजना में स्वीकृत ग्राम	
37.	बेटु धुलिया	23/5/46
38.	शंभूपुरा	59
39.	गणेशपुरा	49
40.	खूंटा चतरा	58
41.	खूंटा रतनी	57
42.	समलसेर	50
43.	कालाखेत	56
44.	कुंभपुरा	55
45.	झलकिया	54

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
46.	मरखेमजी	53	73.	बोर भटोर	91
47.	महूरूया नाथा	52	74.	मगरदा खतेला साथ	101
48.	मेयावत	34	75.	सोमजी पाड़ा	134
49.	मेराना	33	76.	चित्तौड़ा खालसा	136
50.	सेमल खेड़ा	32	77.	कडाईमाल	137
51.	मण्डली मोटी	30	78.	चित्तौड़ा माफी	138
52.	मण्डली नानि	29	79.	भाट खेड़ी	139
53.	बिजलपुर हालिया	22	80.	घोती की टोडी	143
54.	भील कुंग्रा	26	81.	सरसिया पाड़ा	144
55.	महरूड्या बज्जा	19	82.	गारिय की टोडी	166
56.	गोदावरा मानजी	28	83.	छोटिया	248
57.	सेवानिया	2	84.	तलाई पाड़ा	249
58.	भूरघाटी	15	85.	भीम खोरा	250
59.	ग्रम्बा	14	86.	भोराजजुती	319
60.	जीराकोट	12	87.	भोराजा नाई	320
61.	हेजाभोगजी	17	88.	सालोन	321
62.	हेजा भावजी	11	89.	घोरवाडा	322
63.	गरडिया	1	90.	चक घोरवाडा	323
64.	जोगरीमाता	76	91	गूंदी कलां	326
65.	भामरी	77	92.	गूंदी खुर्द	327
66.	खाण्डी देरी	79	93.	ईमली झरन	329
67.	पडला बरकिया	78	94.	बोर कुण्डा	331
68.	लाडेला	23/5/75	95.	चोरा खुर्द	332
69.	पडला कतारा	83	96.	साथ सेरा खुर्द	333
70.	बाला सिन्दुर	82	97.	साथ सेरा कलाँ	334
ग्रस्वीकृत ग्राम			98.	कोई डवेबन	336
71.	झागोला	23/5/8	99.	हिम्मतगढ़	337
72.	चानावाला	9	100.	फूलपुरी	340

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 423 की सूची

रिपेयर कराये गये वितरण ट्रान्सफार्मरों का वृत्तवार विवरण

क्र.सं.	वृत्त का नाम	दिनांक 1.1.1988 से 31.3.1988	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (अगस्त, 92 तक)
1.	अजमेर	69	568	266	194	174	145
2.	अलवर	138	637	458	847	809	426
3.	भीलवाड़ा	88	171	221	208	237	89
4.	बीकानेर	39	304	178	201	243	112
5.	जयपुर जिला–वृत्त	55	633	835	723	1052	583
6.	जोधपुर	93	855	1112	1690	1097	513
7.	झुंझुनूं	79	392	373	530	436	238
8.	कोटा	82	536	459	670	801	273
9.	सवाई माधोपुर	79	199	405	459	410	139
10.	सीकर	78	483	491	758	652	386
11.	उदयपुर	60	498	469	720	593	252
12.	हनुमानगढ़	—	—	65	273	340	160
13.	नागौर	—	—	402	458	694	322
14.	पाली	—	—	—	—	458	111

परिशिष्ट "ब"

जनवरी, 1988 से अगस्त, 1992 तक रिपेयर कराये गये ट्रान्सफार्मरों पर व्यय की गई राशि (रुपये लाखों में)

क्र.सं.	फर्म का नाम	1/88 से 3/88	1988–89	1899–90	1990–91	1991-92	4/92 से 8/92	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मै. महेश्वरी इलेक्ट्रिक सीकर	5.55	19.18	13.36	24.51	16.06	8.42	87.08
2.	मै. फतेहपुरिया विद्युत उद्योग, जयपुर ।	4.61	22.86	13.11	10.95	11.06	4.70	67.29
3.	मै. भूतोरिया ट्रान्सफार्मर एण्ड परिटीफायर्स निवाई ।	4.27	15.04	21.01	34.78	45.79	25.61	146.50
4.	मै. जयपुर ट्रान्सफार्मर एण्ड इलेकिट्रकल्स, जयपुर ।	7.75	26.01	32.80	33.04	28.62	5.27	132.49
5.	मै. पी. के. इंडस्ट्रीज, उदयपुर	1.29	0.99	9.07	8.02	7.76	—	27.13
6.	मै. कोटसन इलेक्टिकल्स, अलवर	1.09	11.19	12.09	11.96	15.71	9.89	61.93
7.	मै. उत्तम भारत इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर ।	7.32	21.38	19.55	31.16	54.12	20.45	153.98
8.	मै. इण्डियन ट्रान्सफार्मरस एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर ।	11.36	50.18	78.64	83.58	28.00	24.14	275.90
9.	मै. नेशनल इलेक्ट्रिकल्स इक्युपमेंट कारपोरेशन, जयपुर ।	2.50	32.02	25.47	19.08	41.50	27.80	148.37

(300)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	मै. राजस्थान ट्रान्सफार्मर एण्ड स्वीच गियर, जयपुर ।	5.95	40.94	57.32	121.52	112.63	29.90	368.26
11.	मै. शक्ति रिविन्डर्स, कोटा	3.81	14.69	23.84	36.25	27.51	5.55	111.65
12.	मै. विकास एन्टरप्राईजेज, जयपुर	1.47	13.54	23.29	27.37	17.20	14.84	97.71
13.	मै. नोशैन ट्रान्सफार्म, प्रा. लि. उदयपुर ।	1.84	18.85	31.58	41.44	51.32	18.79	163.81
14.	मै. ईस्ट इण्डिया उद्योग, गाज़ियाबाद ।	—	59.03	54.29	10.13	9.76	5.84	139.05
15.	मै. वैस्टन ट्रान्सफ़ार्मर एण्ड इक्युपमेन्ट भरतपुर ।	—	3.69	5.33	5.28	4.59	1.88	20.77
16.	मै. मिश्रा इण्डस्ट्रीज, सीकर ।	—	0.49	11.91	18.26	8.82	4.59	44.07
17.	मैं. बीकानेर ट्रान्सफार्मर उद्योग, बीकानेर ।	—	—	3.68	25.48	48.13	19.73	97.02
18.	मै. पावर इंजिनियर्स, (जयपुर) जोधपुर ।	—	—	9.71	39.25	30.62	7.29	86.87
19.	मै. सांखला उद्योग, जोधपुर ।	—	—	2.25	54.09	55.13	7.59	119.06
20.	मै. इण्डस्ट्रिज पावर इक्युपमेन्ट, जयपुर	—	—	5.22	11.00	9.97	5.73	31.92
21.	मै. अनूपम उद्योग सीकर	—	—	—	—	14.15	10.44	24.59
22.	मै. इलेक्ट्रा (जयपुर) जयपुर	—	—	—	—	3.55	—	3.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	मै. दीपक ट्रान्सफार्मर, जयपुर	—	—	—	—	2.06	1.98	4.04
24.	मैं. श्री–ट्रान्सफार्मरस, जयपुर	—	—	—	—	3.92	8.14	12.06
25.	मै. पतसर ट्रान्सफार्मस एण्ड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर।	—	—	—	—	2.15	7.13	9.28
26.	मै. दिनेश (प्रा.) लि. सांगानेर	—	—	—	—	0.77	3.96	4.73
27.	मै. अरिहन्त ट्रान्सफार्मस एण्ड इलेक्ट्रि-कल्स, जयपुर।	—	—	—	—	—	2.62	2.62
28.	मै. राहुल ट्रान्सफार्मर, कोटा	—	—	—	—	—	0.69	0.69
29.	मै. श्री इलेक्ट्रिकल्स, भीलवाड़ा	—	—	—	—	—	0.86	0.86
	योग—	58.81	350.08	453.52	646.15	650.90	283.83	2443.29

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 427 की सूची

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में गत तीन वर्षों (1989-90 से 1991-92) में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत एवं विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण का दिनांक
पंचायत समिति निम्बाहेड़ा			
1.	नवाबपुरा	21/7/6	31/1/91
2.	फूटवाल	42	सितम्बर, 1989
3.	श्रीनगर	163	नवम्बर, 1990
4.	अजोता	161	31/1/91
5.	लक्ष्मीपुरा	160	,,
6.	धारेश्वर	162	31/3/91
7.	बेनीपुरिया खुर्द	115	,,
8.	बेनीपुरिया कलां	116	,,
9.	भुवानिया खेडी	152	,,
10.	डालू का खेडा	117	जून, 1991
11.	सेमलिया	157	,,
12.	अनूपपुरा	141	जुलाई, 1991
13.	पानगढ़	144	विद्युतीकरण हेतु 92-93 के फेज प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया।
पंचायत समिति छोटी सादड़ी			
1.	ईंटों का तालाब	21/8/90	जून, 1989

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण का दिनांक
पंचायत समिति छोटी सादड़ी			
2.	कांकरा	57	अक्टूबर, 1989
3.	बूरा	87	जून ,,
4.	पीली खेड़ा	58	अक्टूबर ,,
5.	पातिया	89	31/1/91
6.	हरमाड़ा की रेल	88	,,
7.	नेगड़िया	52	दिसम्बर, 1989
8.	हरीसिंह का खेडा	51	नवम्बर, 1990
9.	कर्णपुरा खुर्द	55	जनवरी ,,
10.	उदयपुरा खुर्द	62	दिसम्बर, 1989
11.	लबाना खेडा	72	,, ,,
12.	धानपुर	76	अक्टूबर, 1989
13.	कीटखेडा	138	अगस्त, 1991
14.	महेदा रेल	85	जून ,,
15.	चीरवा	80	दिसम्बर ,,

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 429 की सूची

जयपुर जिला न्यास क्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की सूचना।

क्र. सं. न्यायालय का नाम	तीन वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित मुकदमात की सं.		कुल लम्बित मुकदमात की संख्या		विचाराधीन मुकदमात का प्रतिशत	
	दी.	फौज.	दी.	फौ.	दी.	फौज.
1 2	3	4	5	6	7	8
1. डी.जे. जयपुर जिला	230	24	685	209	33.57%	11.48%
2. ए.डी.जे. जयपुर जिला	818	114	2676	387	30.36%	29.45%
3. ए.डी.जे. सांभरलेक	51	51	235	158	21.70%	32.77%
4. ए.डी.जे. कोटपूतली	72	21	156	107	36.15%	39.62%
5. सीजे एण्ड एसीजेएम, जयपुर	475	264	981	957	48.41%	27.58%
6. सीजे एण्ड एसीजेएम शाहपुरा	357	1333	676	2728	52.81%	48.86%
7. सीजे एण्ड एसजेएम कोटपूतली	—	—	382	1130	—	—
8. सीजे एण्ड एसीजे.एम, सांभर	154	849	508	1428	30.31%	59.45%
9. एसीजेएम नं. 1, जयपुर	125	389	222	728	56.20%	53.43%
10. एसीजेएम नं. 2, जयपुर	140	351	286	1000	48.95%	35.10%
11. एसीजेएम (एसपीई) केसेज, जयपुर जिला	—	44	—	98	—	—
12. एम.जे.एम. जयपुर जिला	120	412	881	467	13.62%	88.22%

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	एम.जे एम. कोटपूतली	102	176	379	792	26.92%	22.22%
14.	मुन्सिफ, सांभरलेक	327	439	1320	1308	24.77%	33.56%
15.	मुन्सिफ, चौमू	231	940	504	1934	45.83%	48.60%
16.	मुन्सिफ, दूदू	14	670	211	1236	6.63%	54.20%
17.	मुन्सिफ, बस्सी	55	—	130	161	42.30%	—
18.	ए.एम.जे.एम. नं. 1, जयपुर जिला।	83	232	620	648	13.38%	35.80%
19.	एम.जे.एम. नं. 2, जयपुर जिला।	112	278	410	795	27.31%	34.96%
20.	एम.जे.एम. नं. 3, जयपुर जिला।	—	719	—	156	—	—
21.	ए.एम.जे.एम. नं. 4, जयपुर जिला।	—	457	—	838	—	—
22.	ए.एम.जे.एम. नं. 5, जयपुर जिला।	—	190	—	837	—	—
23.	ए.एम.जे.एम, कोटपूतली	101	271	146	682	69.17%	39.73%
24.	जे.एम. नं. 2 (मोबाइल) जयपुर जिला, जयपुर।	—	11	—	1074	—	—

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 432 की सूची

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक एफ 13(5)11/मबाविवि/85-86/59160 जयपुर, दिनांक 27-11-90

प्रेषक :—

शासन उप सचिव,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :—

निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

विषय :—14 नवीन बाल विकास परियोजनाओं के खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान की स्वीकृति संख्या एफ 13(5)(11) मबाविवि/85-86/3738 दिनांक 24-1-90 के अनुसरण में तृतीय चरण में शेष बच रही सभी निम्न 14 पंचायत समितियों में बाल विकास परियोजनायें खोलने की राज्यपाल-महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :—

क्र. सं.	पंचायत समिति	जिला
1.	अराई	अजमेर
2.	कठूमर	अलवर
3.	उमरैन	अलवर
4.	शाहपुरा	भीलवाड़ा

क्र. सं.	पंचायत समिति	जिला
5.	राशिम	चित्तौड़गढ़
6.	रतननगर	चूरू
7.	बसेड़ी	धौलपुर
8.	कोटपूतली	जयपुर
9.	फागी	जयपुर
10.	झुन्झुनू	झुन्झुनू
11.	बिलाड़ा	जोधपुर
12.	चेचट	कोटा
13.	टोडारायसिंह	टोंक
14.	सायला	जालौर

यह स्वीकृति वित्तीय (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 3691 दिनांक 23-11-90 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीया,

ह./–

उप शासन सचिव,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय—बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर

क्रमांक/बा.वि.प.अल./संस्था/90–91/2195 दिनांक 27–3–91

कार्यालय आदेश

पंचायत समिति क्षेत्र उमरेण में बाल विकास परियोजना प्रारम्भ होने के कारण जो गांव शहर से लगते हुये थे, और बाल विकास परियोजना अलवर द्वारा इनमें आंगनबाड़ी केन्द्र सचालित थे, उन गांवों में अब बाल विकास परियोजना उमरेण में एक 2 केन्द्र स्वीकृत हुये है। अतः निम्न गांवों के उसके नाम के सम्मुख लिखित केन्द्रों को बा.वि.प. उमरैण में मय कार्यकर्ता/सहायिकाऐ हस्तांतरित किया जाता है। ये केन्द्र दिनांक 23-3-91 से बाल विकास परियोजना उमरैण के अधीन कार्य करेंगे।

केन्द्रों पर उपलब्ध समस्त सामग्री जो बाल विकास परियोजना, अलवर से सम्ब-है, केन्द्रों से व्यापक ले ली जावें तथा बाल विकास परियोजना उमरेण द्वारा केन्द्रों पर सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी।

ह./-
बाल विकास परियोजना, अधिकारी,
महिला और बाल विकास विभाग,
अलवर

क्रमांक/गांव का नाम	केन्द्र का कोड नं.	कार्यरत कार्यकर्ता/सहायिका का नाम
1. दिवाकरी	27	1. श्रीमती मैना देवी, कार्यकर्ता
		2. ,, भगवती, सहायिका
2. रूपवास	18	1. श्रीमती रमा गुप्ता, कार्यकर्ता
		2. ,, कमला, सहायिका
3. बेलाका	36	1. श्रीमती सन्तोष शर्मा, कार्यकर्ता
		2. ,, छोटी, सहायिका
4. घोली दूब	74	1. श्रीमती चन्द्रकला यादव, कार्यकर्ता
		2. ,, बर्तन देवी, सहायिका

ह./-
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
महिला और बाल विकास विभाग,
अलवर

क्रमांक बा.वि.प./अल./सामान्य/90–91/2196–2205 दिनांक 27–3–91
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भरतपुर।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, उमरैण, उक्त केन्द्रों पर सामान सप्लाई करें।
4. उपरस्त महिला पर्यवेक्षक हीराबास, गालिब सैयद, रूपवास, अलवर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त कोड नं. 27,18,36,74 का चार्ज हस्तान्तरण करा देवें तथा अलवर शहरी क्षेत्र में, फतहसिंह गुम्मज, बिराई, नंगलीकोता के पीछे के क्षेत्र तथा रूपवास चुंगी नाका के पास वाले क्षेत्रों में महिला पर्यवेक्षक सर्वे कर के चार केन्द्र खोलने हेतु उपयुक्त मकान आदि तलाश करके रिपोर्ट करें।

ह./-
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास, विभाग,
अलवर।

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 75 की सूची

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(प्रशासनिक सुधार अनु. 3)

क्रमांक प. 5(8) ए.आर.3/86 जयपुर, दिनांक 17-4-1986

आज्ञा

बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति और पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अधिकारियों की एक निदेशन समिति (कमेटी आफ डाइरेक्शन) गठित करते हैं :—

1.	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
3.	शासन सचिव, विशिष्ट योजना संगठन, राज. जयपुर।	सदस्य
4.	शासन सचिव, कृषि उत्पादन, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
5.	शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
6.	शासन सचिव, सिंचाई, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
7.	शासन सचिव, सार्व. निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
8.	सचिव एवं अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
9.	मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
10.	श्री वी.आई. राजगोपाल, सलाहकार (राज.) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड।	सदस्य
11.	शासन विशिष्ट सचिव एवं निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर	सदस्य सचिव।

समिति बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेगी तथा समिति की बैठक एक माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

उपरोक्त समिति का कार्य निरन्तर चलने वाला होने के कारण यह समिति स्थाई होगी।

आज्ञा से,
ह.
(ए. एल. वेदी)
उप शासन सचिव।

परिशिष्ट—21

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अजमेर शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

अजमेर राजस्थान की ही नहीं वरन् देश की प्रमुख ऐतिहासिक व धर्मस्थली हैं। यहां हर धर्म के लोग बहुत बड़ी संख्या में ख्वाजा साहब की दरगाह एवं तीर्थराज पुष्कर दर्शन हेतु काफी बडी संख्या में प्रतिदिन आते रहते है। लेकिन यहां उन्हें ट्रेफिक यातायात द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाने की वजह से समस्याओं से जूझना पड़ता है इनमें से एक मुख्य समस्या हैं। ट्रेफिक पुलिस व गृह यातायात विभाग की बद इन्तजामी, इनकी इस अवस्था से पर्यटक, यात्री जायरीन ही नहीं अजमेर की आम जनता भी काफी दुखी है इस संदर्भ में, मैं राज्य सरकार का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अजमेर शहर में कई मुख्य चौराहे हैं उन चौराहों पर ट्रेफिक लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है और जहां एक दो स्थान पर लगी है वहां रखरखाव के अभाव में आये दिन खराब होती रहती है। जनता इसलिये भी बहुत परेशान है कि मुख्य चौराहों पर ट्रेफिक पुलिस की समुचित व्यवस्था नहीं है।

प्रशासन द्वारा जगह-जगह पर पार्किंग स्थल बनाये गये हैं। लेकिन ट्रेफिक पुलिस द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिये जाने कारण शहर में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था अस्तव्यस्त है। इससे शहर के ट्रेफिक पर विपरीत असर पड़ा है और दुर्घटना होने की सम्भावनायें बनी रहती है।

इसी प्रकार शहर की व्यस्त सड़कों पर आवारा पशु घूमते रहते हैं और जहां चाहते है वहां झुंड बनाकर बैठे रहते है जो काफी अव्यवस्था फैलाते है।

शहर में चलने वाली मिनी बसों व लम्बे टेम्पों ने ट्रेफिक दुर्दशा में चार चांद लगा रखे है न तो इनकी स्पीड कन्ट्रोल पर कोई ध्यान देता है और सभी वाहनों में सवारियां भेंड़ बकरियों की तरह भरी रहती हैं। ट्रेफिक वाले सब कुछ देखकर भी पता नहीं क्यों आंखें मून्दे रहते है। उक्त वाहन शहर के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है जिसकी ट्रान्सपोर्ट अधिकारियों पर समय-समय पर चैकिंग करने का जुम्मा हैं लेकिन वो अकर्मण्य बने हुये है। इसी प्रकार थ्री व्हीलर में प्रशासन द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी किराया मीटर नहीं चल रहें है जिससे यात्रियों व जनता को बहुत असुविधा हो रही हैं।

माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि अजमेर के महत्व को देखते हुये उक्त व्यवस्था को विशेष ध्यान देकर व्यवस्थित करायें ताकि जनता, पर्यटक व यात्री के कष्ट का निराकरण हो सके।

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम में बजट, 1990–91 में किये गये संशोधन

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने अपने 1990–91 के परिवर्तित बजट भाषण के पैरा 126 में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम में धारा 5 (क) भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 1.4.1960 से संशोधित करने का प्रस्ताव करने पर सदन को यह विश्वास दिलाया था कि उस भूतलक्षी प्रभाव से धारा 5 (क) में संशोधन करने के पीछे राज्य सरकार की मुख्य रूप से यह भावना थी कि उच्चतम न्यायालय के गुड इयर इंडिया लिमिटेड के निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का प्रत्यर्पण (रिफण्ड) देना पड़ सकता था। अतः भूतलक्षी प्रभाव के संशोधन से उसे रोका जा सकें अतः इस संशोधित धारा 5 (क) की वजह से भिन्न-भिन्न संशयों को दूर करने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने परिपत्र संख्या एफ 4 (32)/जीआर–4/90 दि. 27.6.90 जारी किया है परन्तु इस परिपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि उस परिपत्र के जारी करने के दिनांक 27.6.90 तक लम्बित कर निर्धारित मामलों व भविष्य में कर निर्धारण के मामलों पर संशोधित धारा 5 (क) प्रभावित होगी।

माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के दिये गये आश्वासन का भावार्थ यह था कि 1.4.90 से जबकि संशोधित धारा 5 (क) भूतलक्षी प्रभाव से लाई गई थी उससे पहले जो भी ऐसे मामले जो कि पुरानी धारा 5 (क) के अन्तर्गत अपंजीकृत व्यक्तियों से राज्य के अन्दर कोई भी वस्तु सिवाय "घोषित माल" (डिकिलियर्स गुडस) के अन्तर्राज्यीय बिक्री करने पर उन पर केवल राज्य सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर ही देय होता था। परन्तु अब उक्त लिखित परिपत्र दिनांक 27.6.90 के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग 1.4.90 से पूर्व में किये गये अपंजीकृत व्यक्तियों से खरीदे हुये माल पर उनकी अन्तर्राज्यीय बिक्री करने पर केन्द्रीय बिक्री कर के अलावा धारा 5 (क) के अन्तर्गत क्रय कर भी वसूल कर रहा है। अतः ऐसे कई एक मामलों में अजमेर में पुनः कर निर्धारण किया गया है अतः राजस्थान में अन्यत्र भी ऐसे व्यापारियों से केन्द्रीय बिक्री कर के अलावा क्रय कर का भार डाला जा सकता है। क्या मुख्यमन्त्री महोदय अपने उक्त बजट भाषण के पैरा संख्या 126 के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग को यह निर्देश देने का विश्वास दिलायेंगे कि 1.4.90 से पूर्व में सभी वस्तुएं जो कि अपंजीकृत व्यक्तियों से खरीद की जाकर अन्तर्राज्यीय व्यापार में बेची गयी हैं परन्तु जिनका कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण 1.4.90 के बाद होना है उन पर क्रय कर नहीं लिया जायेगा।

क्या मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि इस आश्वासन के पश्चात ये कर निर्धारण जो सम्पूरित किये जा चुके है उन्हें भी राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत पुनः क्रय कर उद्ग्रहित किये जाने हेतु पुनः खोला जा

सकता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रचलित परिपत्र क्रमांक एफ–4 (32) एफडी/जीआर–4/90 दि. 27.6.90 के प्रकाश में जो नीचे उद्धरित किया जाता है मेरे विचार से पुन: नहीं खोला जा सकता—

"The past assessed cases with respect to levy of Purchase Tax shall not be reopened and no such additional demand would be created which could not have been created under the provisions of the old Section 5-A."

अतः आशा करता हूं कि उक्त मामले में वाणिज्य कर विभाग को इस दिशा में निर्देश देकर राज्य परिपत्र के द्वारा संशोधन का स्पष्टीकरण निकलवाने के आदेश प्रदान करेंगे ताकि विभाग द्वारा की जाने वाली धारा 12 के अन्तर्गत पुन: कर निर्धारण की अवैधानिक कार्यवाही को रोका जा सके।

(श्री अमृतलाल परमार)

बाली में बांध, नहर, एनीकट तालाबों की मरम्मत

मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली में बांध, नहर, एनीकट तालाब रिपेयर मरम्मत करने हेतु जो सरकार द्वारा राशि दी गई थी, उसमें वास्तव में उस राशि का सही उपयोग नहीं किया गया, नहीं तकनीकी के आधार पर राशि खर्च की गई। मुझे ऐसी इतला मिली की इसमें भ्रष्टाचार है तथा जितनी राशि खर्च की गई। वह नहीं की गई तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व सरकार द्वारा लघु बांध, एनीकट बनाये गये थे जो एक ही वर्षा में टूट गये थे। उनकी जांच कराई जावें तथा मौजूदा सरकार जनता के हित के लिये इन लघु बांधों व एनिकटों को कब तक रिपेयर करायेगी तथा जिन्होंने भ्रष्ट तरीके अपनाए हैं उनके खिलाफ सरकार अविलम्ब जांच करावे एवम् बाली गांव में पूर्व सरकार के प्रभारी श्री रघुनाथ जी परिहार मुख्य सचेतक द्वारा 1.80 एक लाख अस्सी हजार रुपये खर्च कर बाली का तालाब ठीक कराया गया। आज मुझे व बाली की जनता को महसूस हो रहा है कि पैसे पानी में गये कारण जिस प्रकार से तालाब का कार्य किया गया उसमें साफ जाहिर होता की भ्रष्ट कार्य हुआ हैं तालाब ठीक नहीं किया था तब तो पानी ठहरता भी था परन्तु रिपेयर होने के बाद तो पानी ठहरता ही नहीं है आगे पानी निकल आता है व पूरा तालाब 2,3 महिनों में सूख जाएगा। बाली में मूक प्राणियों के एक मात्र स्रोत पानी पीने के लिये यही तालाब है। अतः मेरी मांग है कि इसकी सी. बी. आई. द्वारा जांच कराई जावें एवम् भ्रष्ट कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावें। तथा तालाब को वापस अविलम्ब ठीक कराया जावें। मैं मन्त्री महोदय से जवाब चाहूंगा कि क्या इसकी अविलम्ब जांच करायेंगे तथा वापस तालाब को इसी साल में ठीक करायेंगे। क्या कृपया सदन में जवाब देंगे तो अति उत्तम रहेगा।

(श्री घासीलाल चोपड़ा)

बीसलपुर प्रोजेक्ट की नहरों का गलत सर्वे

माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह पिछले कई सालों से बीसलपुर निर्माणाधीन है तथा उसी प्रोजेक्ट में कैनाल डिविजन भी अलग से है उसी कैनाल डिविजन के अधिकारियों आपा-धापी में जल्दबाजी में सर्वे किया गया जिससे 308 के लेवल से ही सर्वे किया जिससे 306 लेविल के काफी गांव सिचाई से वंचित रह गये जबकि स्टेट स्तर पर रिव्यू कमेटी की मिटिंग दिनांक 21.2.92 को हुई थी जिससे यह तय हुआ था कि 311 के लेविल तक का पानी तो पी. डब्ल्यू. डी. के लिये रिजर्व रखा जावें व ऊपर का पानी सिंचाई के लिये दिया जावेगा। अगर लेविल 311 के ऊपर का पानी ही सिंचाई हेतु दिया जाना था तो 308 लेविल से नहरों का क्यों सर्वे किया गया जिससे काफी गांव सिंचाई से वंचित रह जावेंगे। मुख्य अभियन्ता बीसलपुर प्रोजेक्ट (जयपुर) द्वारा पत्र संख्या टी. 194/सी. ई. बी. स. ल./92 दिनांक 15.1.92 में अधिक्षण अभियन्ता नहर वृत देवली को लिखा गया कि नहरों का लेवल है पूर्व में 308 था उसे 311 लेवल रखा जावे तथा माह अगस्त, 1992 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में केन्द्र ने भी ऐतराज किया है। अत: माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से श्री सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन है कि पूर्व में जो नहरों का 308 लेवल सर्वे बिना सोचे समझे किया था उसे निरस्त करवाकर पुनः 311 लेवल से नहरों का सर्वे करवाया जाकर वंचित रहे गांवों की भी सिंचाई हो सकें।

(श्री अमृतलाल परमार)

बाली विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व डामरीकरण

मैंने सत्र छठवां में तारांकित प्रश्न में जिक्र किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर क्षेत्र पिछड़ी जाति-भील, मीणा, बनवासियों, राईकों का है जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र हैं आजादी के बाद रोड के नाम से कांग्रेस शासन में नगण्य मात्र कार्य हुआ है, हुआ भी तो कच्चे-रोड कमजोर रपटे बनी जो आज से 10 साल पहले ही टूट चुकी थी व रोड भी प्राय: समाप्त हो गया था। इस सरकार में अभी अकाल राहत में बहुत ही सराहनीय कार्य मेरे क्षेत्र में करायें। मैंने पूर्व सत्र में भी मेरे क्षेत्र बाली का जिक्र किया था तब उस उक्त पूरी पी. डब्ल्यू. डी. की टीम जिसमें सारे ओफिसर थे व उस एरिये का अवलोकन भी किया था, महसूस किया था कि वास्तव में इस क्षेत्र की स्थिति खराब है तथा कार्य होने चाहिये उसके तहत कार्य प्रारम्भ भी हुए है।

परन्तु जब तक पूरे कार्य रोड, पुलिये, रपटे, डामरीकरण रोड नहीं बनेंगे तो अभी किये कार्य वापस समाप्त हो जाएगे। अतः मेरी मांग हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली में दांतीवाडा रोड जो अधूरा पड़ा है व बीच में पुलिये व रपटे बाकी है उसे अविलम्ब पूरा किया जावें। हर साल इस रोड पर बारिश में रास्ता अवरुद्ध होने के कारण कोई न कोई हादसा होता ही हैं।

इसी प्रकार खुडाका गांव से धणीगांव का अधूरा रोड, पुलिये, रपटें, तथा नाणा से भीमाना बनवासी क्षेत्र में रोड के बीच में पुलिये रपटें, एवम् बीजापुर से गोरिया पंचायत भान तक व जोटिया हैण्डपम्प से नीचला गोरिया पर रपटें पुलियें, व डामरीकरण रोड अविलम्ब कराये जावें। ताकि बारिश में पहाड़ी जाति की जनता को कोर्ट, कचहरी, पेशिया पर नहीं पहुंच सकती जिससे उन्हें आर्थिक व शारीरिक कष्ट व जेल यातनाए भोगनी न पड़ें।

मेरी मांग है कि सरकार यह कार्य कब तक हाथ में लेगी व कार्य के प्रति क्या सोच रही है सदन में बताया जावें। ———

(श्री बिरधाराम चौधरी)

मकराना के सहायक खनिज अभियन्ता द्वारा मनमानी

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है। मकराना मार्बल विश्व विख्यात है। मार्बल की खानों में कई हजारों की तादाद में मजदूर मजदूरी करते है एवं सरकार को भी मार्बल से करोड़ों की राशि रायल्टी के रूप में प्राप्त होती है। फिर भी खनिज विभाग मकराना व मार्बल उद्योग को विकसित करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है, जिससे खान मालिकों को कोई नई तकनीक भी नहीं मिल रही है इतना ही नहीं खनिज विभाग के अभियन्ता व कर्मचारी खान मालिकों को परेशान करते रहते हैं। खानों का आवंटन बरद्ध राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स 1986 व मेटलाफेरस माइन्स रेग्यूलेशन 1961 के अनुसार करना मेरे एक तारांकित प्रश्न में बताया है। मकराना की बहुत-सी खानें बहुत ही पुरानी हैं जो सड़कों व रेल्वे लाइन व बस्ती के पहले की हैं एवं कई बाद की हैं। जिनसे खान मालिक व मजदूर कमाकर खाते हैं लेकिन खनिज विभाग मनमाने तौर पर जिस खान को चाहे खालसा घोषित कर देते हैं जिसको चाहे नहीं करते है, पूर्णतया पक्षपात करते हैं। कई खानें लागतों तक ही खालसा करते है। कई खान मालिकों व मजदूरों को बेरोजगार करने के लिए मनमानी तौर से रेल्वे लाइन के पास स्थित खानों को बन्द कर रहे है एवं कर भी दिया है।

अतः खानों को बन्द कर देने से, खालसा करने से खान मालिक व मजदूर बेरोजगार हो गये हैं एवं सरकार को भी करोड़ों की हानि हो रही है। अतः मनमाने तौर से खाने बन्द कराने को रोका जावें। यह लोक महत्व का कार्य हैं। ———

(श्री मदन दिलावर)

कोटा की कृषि उपज मण्डी में व्याप्त भ्रष्टाचार

कोटा कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव श्री तेजसिंह कालवी द्वारा ठेकेदार श्री शम्भूराम चौधरी को निम्न शर्तों पर सफाई का ठेका दिया था :—

(1) ट्रेक्टर ट्रोली ड्राइवर व डीजल ऑयल स्वयं ठेकेदार का होगा।

(2) प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक कार्य करना होगा।

(3) ट्रेक्टर के साथ 6 सफाई कर्मचारी मय गैंती, फावड़ा व तगारी सहित ठेकेदार (यानी स्वयं) के होंगे।

(4) 6 ट्रोली कचरा प्रतिदिन उठाना होगा तथा यह कार्य दिवस एक माह का होगा।

(5) कचरा मण्डी प्रांगण से बाहर फेंकना होगा।

(6) उपरोक्त शर्तोंनुसार कार्य करने पर ही 580/—रु. प्रतिदिन देय होगा। तथा इस कार्य की देख-रेख व रिपोर्ट देने हेतु श्री नरेशसिंह चौकीदार को आदेश क्रमांक 94—99 दिनांक 16/4/92 को पाबन्द किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय एक चौकीदार द्वारा बड़ी ही ईमानदारी से अपने कार्य को अन्जाम दिया तथा पूरी रिपोर्ट सचिव श्री तेजसिंह को दी जो रिसीव्ड रजिस्टर में क्रमांक 240 दिनांक 19/5/92 को इन्द्राज किया गया जिसको सचिव ने 19/5/92 को संस्थापन शाखा को स्वयं के हस्ताक्षर से मार्क किया।

परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय ठेकेदार को भुगतान चौकीदार के गणनानुसार नहीं करके उसकी रिपोर्ट फाड़कर स्वयं ने अपनी इच्छा से 17,300/—रु. दिनांक 29/5/92 चैक सं. 78210 बैंक ऑफ राजस्थान एरोड्राम सर्किल के द्वारा भुगतान किया।

जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय नरेशसिंह की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 54 ट्रोली ही कचरा एक माह में मण्डी प्रांगण के बाहर 18/4/92 से 18/5/92 तक फैंका गया। जिसका भुगतान 5,219/—रु. बनता है। यदि सदन चाहेगा तो मैं चौकीदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सदन में पेश कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रकार छोटे से कार्य में ही तेजसिंह द्वारा 12,000/—रु. लगभग का चूना कृषि उपज मण्डी समिति को लगाया। अतः इसको निलम्बित किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीनाथ गौतम क. लि., जो कार्यरत बांरा है परन्तु प्रतिनियुक्ति कृषि विपणन विभाग कार्यालय कोटा में दिनांक 24-8-92 से कोटा है इसका पिछला इतिहास बहुत ही खराब है। उसी ही आधार पर जांच करने पर श्री गौत्तम के खिलाफ श्री निदेशक महोदय के आदेश निकृवि/जांच/ के–70/32298 दिनांक 26/6/91 द्वारा श्री गौत्तम के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया था। परंतु अभी तक गौत्तम ने पैसे के बल पर कोई कार्यवाही नहीं होने दी। इस विषय को मैं सदन में दूसरी बार उठा रहा हूं, इस प्रकार इस भ्रष्ट सचिव द्वारा जैसे रामप्रकाश सक्सैना वरिष्ठ लिपिक को रिलीव नहीं किया तथा लाभचन्द शर्मा वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण गंगापुर हो चुका है उसको भी प्रतिनियुक्ति सहायक निदेशक कार्यालय में रख रखा है। क्योंकि यह सचिव की दूध देती गाय है। वर्तमान में सचिव के पास सहायक निदेशक का भी अतिरिक्त चार्ज है, तथा इसका स्थानान्तरण हुए लगभग 3 माह हो गये परन्तु अभी तक यह रिलीव नहीं हुए क्योंकि यह रिलीव नहीं होना चाहते। क्योंकि खून मुंह लग चुका है।

अतः सचिव के खिलाफ अतिशीघ्र कार्यवाही करें तथा श्री लाभचन्द शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, श्री रामप्रकाश सक्सैना वरिष्ठ लिपिक, तथा श्री श्रीनाथ गौत्तम कनिष्ठ लिपिक को भी तुरन्त सम्बन्धित मण्डियों में भेजा जावे, तथा तेजसिह कालवी को भी शीघ्र रिलीव किया जावे ताकि कृषि उपज मण्डी कोटा को इस भ्रष्टाचारी से बचाया जा सके।

————

(श्री मदन दिलावर)

मनोहर थाना में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर चिकित्सा

उपरोक्त नियम में निवेदन है कि मनोहरथाना कस्बे में दो वर्ष से बंगाली डाक्टर के नाम से चिकित्सा करने वाला व्यक्ति जो अपने आपको बंगलादेश से आया हुआ बताता है, गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

वास्तव में यह व्यक्ति कहां का है? क्या नाम है? कुछ पता नहीं चलता है। और न ही इसकी दुकान का कोई बोर्ड है। किसी मरीज की पर्ची पर हस्ताक्षर भी नहीं करता है, इसके पास इलाज कराये मरीज ठीक नहीं होते, हालत बिगड़ने पर इधर-उधर दौड़ते है तब पता चलता है।

इसी बीच पुलिस व चिकित्सा विभाग को इसके बारे में शिकायत की गयी थी तब इस व्यक्ति ने अपना नाम डॉ. आनन्दकुमार विश्वास बताकर इन्डियन कौन्सिल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिशियन कलकत्ता (R.M.P) रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर होने का अस्पष्ट प्रमाण पत्र जो दिस. 1988 है व रजि. नं. 8487 लगाता है जो कि अस्पष्ट है।

स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा ज्ञात करने पर इसी व्यक्ति ने दूसरे नाम का रजिस्ट्रेशन दिया जिसमें नाम शंकरकुमार विश्वास रजि. नं. 9233 तथा यह 21 मार्च 1991 को जारी होना लगता है। इस सर्टिफिकेट में न तो पिता का नाम और न ही गांव का पता है। पता नहीं कि यह व्यक्ति कहां का है।

इस व्यक्ति की गतिविधियां भी संदिग्ध लगती है हर तीसरे दिन में पता नहीं कहां से अपरिचित चेहरे इसके पास आते रहते है फिर पता भी नहीं चलता कहां चले जाते है। कभी कभी कोई व्यक्ति आता है पता पूछता है तब यदि उससे पूछो कि कहां से आये हो तो गोलमाल बात करके टाल देते हैं। अतः इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति की समय रहते जांच करके भविष्य में होने वाली अनहोनी को रोका जाय।

(श्री हजारी लाल)

दयाल बाग एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, आगरा द्वारा प्रदत्त उपाधियों को मान्यता

दिनांक 5.3.91 को जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया है ये कि राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि विभिन्न जिला नियोजन अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा दयालबाग एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूट आगरा एवं अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उपाधियों की मान्यता के बारे में समय समय पर शंका प्रकट की जाती रही है। एवं इन उपाधियों की मान्यता के बारे में राज्य सरकार से पत्र व्यवहार कर स्पष्टीकरण चाहा जाता रहा है एवं इन उपाधि-धारियों को परेशानी उठानी पड़ती है एवं शिक्षा विभाग में इसको नियुक्तियां नहीं दी जाती है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 26/4/52 सी. एस. दिनांक 30.9.1952 जो बाद के उसके पत्र क्रमांक 6/7/1962 संख्या सी. दि. 4-7-1962 द्वारा संशोधन किया गया था, के अन्तर्गत भारत सरकार ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि उन समस्त विश्वविद्यालयों की जो कि केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किये गये है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट की धारा 3 (1953) के द्वारा भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान घोषित किये गये हैं उसके द्वारा प्रदत्त उपलब्धियां नियमित रूप से नियोजन के दृष्टिकोण से मान्य होगी। इस प्रकार अब विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उपाधियों डिग्री/(डिप्लोमा) की मान्यता के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से कोई आदेश प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु गैर शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस फैसले के अन्तर्गत जो डिग्री धारी है एवं डिप्लोमाधारी है उन बेरोजगार युवकों को भी आप नियुक्तियां देने की व्यवस्था करवाये अब तक इनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही है एवं हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो रहा है।

(श्री मदनलाल सैनी)

अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आवंटित भूखण्ड का कब्जा नहीं देने

अनुसूचित जाति के सदस्य श्री परसादी लाल को नाहरी के नाका में वर्ष 1971 में यू.आई.टी. जयपुर ने कच्ची बस्तियों का सर्वे किया था जिसके आधार पर प्रार्थी को भूखण्ड संख्या बी-4 आवंटित हुआ था।

(1) आवंटन के आधार पर उसके कब्जे में पश्चिमी पड़ौसी की जो जमीन थी वह परसादी लाल ने खाली कर दी थी एवं पूर्वी पड़ौसी श्री फतेहचन्द पुत्र बद्रीप्रसाद (जिसने भू-खण्ड संख्या बी-3 आवंटन होकर कब्जा मिल चुका) के कब्जे में प्रार्थी की कुछ जमीन थी, उसने कहा था कि कुछ दिनों में कब्जा दे दूंगा लेकिन कब्जा देने के बजाय फतेहचन्द के परिवार के लोग कहते हैं कि रुपये ले जाओ और भाग जाओ वरना मारेंगे।

(2) सन् 1981 में फतेहसिंह ने सर्वे वालों से मिलकर परसादी की जमीन पर सर्वे लगवा लिया और प्राधिकरण एवं प्रार्थी दोनों के खिलाफ दावा कर दिया लेकिन हार गये।

(3) माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने फैसले में लिखा है कि प्राधिकरण नोटिस देकर फतेहसिंह के लड़के को जो अधिकारी है, बेदखल कर लिया जावे।

(4) फतेहसिंह को जयपुर विकास प्राधिकरण ने भूखण्ड संख्या बी-4 पर से 15 दिवस में अनाधिकृत कब्जा खाली कर प्रार्थी को कब्जा संभलाने के निर्देश, आदेश संख्या 145 दि. 19-06-85 को सहायक आयुक्त (क.ब.) द्वारा दिये जा चुके हैं, परन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तथा पुरातन काल से चली परिपाटी के अनुसार संवर्णों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार की सीमायें आज इस हद तक चली आ रही हैं कि पिछले तेरह वर्षों के संघर्ष का परिणाम असफलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला।

प्रार्थी ने जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अनेक पत्र दिए लेकिन कब्जा दिलाना तो दूर रहा अपितु प्रार्थी को अनेक प्रकार से तंग किया जा रहा है। मैं माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि क्या वे शीघ्र प्रार्थी को उसके भू-खण्ड का कब्जा दिलाने की कार्यवाही करेंगे।

(श्री मदनलाल सैनी)

श्री पोकरराम माली निवासी दागला (जैतारण) की भूमि को हड़पने की नीयत से हमला

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम दागला जिला पाली के पोकर-राम पुत्र पानाराम माली निवासी दागला की कब्जा कास्त शुदा जमीन खसरा नम्बर 248/206 रकबा 140/3 बिस्वा जमीन क अवैध रूप से हड़पने की नियत से ग्राम भेमीया तहसील रायपुर के लगभग 250 सहस्त्र हमलावारों ने 29.7.92 को हमला कर पोकरराम को डरा धमकाकर एवं मारपीट कर खाली कागजों पर अंगूठे लगवाये तथा पोकर व उसके भाइयों के कुओं पर स्थित 3 इंजनों को तोड़कर कुए में डाल दिया व कुओं को मिट्टी से पाट दिया तथा इन काश्तकारों को घर छोड़कर भागने पर मजबूर किया। जिससे काश्तकारों को हजारों रुपये का नुकसान हुआ, सभी कुए पाटने से काश्तकार मिर्ची कपास की फसल लेने से वंचित रह गये। इस मामले से उत्पन्न स्थिति तथा तनाव के कारण जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक पाली ने घटना स्थल का निरीक्षण कर ग्राम में अस्थाई पुलिस चौकी तैनात की। इस प्रकरण के सम्बन्ध में पीड़ित बोकर ने रायपुर पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 87/92 सर्व करवाई तथा 46 आरोपीयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मगर पुलिस द्वारा आज तक आरोपियों के विरुद्ध अदालत में चालान पेश नहीं किया गया है। तथा न ही पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार का संरक्षण या मुआवजा प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। इस सम्पूर्ण प्रकरण की जड़ धार्मिक भावनाएँ भड़काने से की गई हैं, तथा ये परिवार आज भी भयभीत हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि अभियुक्तों के विरूद्ध कब तक न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा कब तक गरीब पीड़ित काश्तकारों को प्रशासन द्वारा मुआबजा दे दिया जायेगा। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिये प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

(श्री मदनलाल सैनी)

महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर के प्राचार्य द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

राधाकृष्ण शास्त्री, प्राचार्य संस्कृत महाविद्यालय के विरुद्ध फर्जी अंक तालिका एवं फर्जी डिग्री के आधार पर निरन्तर 3–3 पदोन्नतियां लेने के सम्बन्ध में विभागीय जांच विचाराधीन थी। उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग द्वारा जांच की गयी कि क्या वास्तव में राधाकृष्ण शास्त्री ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा (बिहार) की ओर से आयोजित प्राचीनाचार्य (धर्मशास्त्र) की 1971 में जयपुर

केन्द्र से आयोजित परीक्षा में कुल 203 अंक प्राप्त पर परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में जांच के लिए आवश्यक था कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय में उपरोक्त तथ्यों (प्रश्नों) की सही जानकारी के लिए सरकार की ओर से कोई भी सक्षम अधिकारी जाकर सारी स्थिति की जानकारी लेकर जांच अधिकारी को प्रस्तुत करता अथवा पत्र व्यवहार के माध्यम से सही तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता ताकि तथ्यों के निर्धारण में सहायता मिलती और जांच कार्य निष्पक्ष हो जाता। इस जांच को इस आधार पर समाप्त कर दी गयी कि कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्व विद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक डा. वीर चन्द्र राय के पत्र संख्या एफ/संस्था/गो./125/91 दिनांक 29.3.91 के द्वारा उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–3) राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर को सत्यापन करते हुए लिखा कि छात्र राधा कृष्ण शर्मा (शास्त्री) पिता का नाम श्री शिव करण शर्मा क्रमांक 472 केन्द्र जयपुर से सन 1971 की प्राचीनाचार्य की परीक्षा में धर्मशास्त्र विषय में कुल 203 अंक प्राप्त कर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। इस पर निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र सं. नि.सं.शि./गो./18/दिनांक 14.9.90 के प्रत्योत्तर में उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग में अपने पत्र सं. एफ 16(53) शिक्षा–3/90 दिनांक 5.6.91 को लिखा कि "श्री राधाकृष्ण शास्त्री के प्रमाण पत्रों की जांच श्री कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्व विद्यालय द्वारा करायी गयी उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर विचाराधीन जांच समाप्त की जाती है।" और शास्त्री के विरूद्ध लम्बी जांच समाप्त कर दी गयी। इससे प्रभावित व्यक्ति डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ने सही एवं नये प्राप्त तथ्यों के आधार पर शास्त्री की पदोन्नतियों को एवं जांच समाप्ति को अवैध बताते हुए अपने अभीभाषक विष्णु कांत शर्मा के माध्यम से कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्व विद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव को अपने पत्र संख्या बी.के.एस./1992 के फरवरी/4 दिनांक 28.2.92 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर सही तथ्यों की जानकारी चाही कि :–

"यह कि आपके विश्वविद्यालय की 1971 वर्षीय परीक्षा में जयपुर परीक्षा केन्द्र से श्री राधा कृष्ण शर्मा आत्मज श्री शिवकरण शर्मा ने रोल नं. 472 द्वारा शास्त्र विषय लेकर प्राचीनाचार्य परीक्षा दी थी। उक्त परीक्षा की आप द्वारा जारी तीन अंक तालिकाऐं श्री शर्मा के सेवा रिकार्ड में उपलब्ध है, दिनांक 24.8.71, दिनांक 24.10.71, तथा दिनांक 1.6.90। इन अंक तालिकाओं में अन्तर है तथा एक में श्री शर्मा अनुत्तीर्ण भी है इस परीक्षा की उपाधी 27.7.83 की जारी की गयी है जिसमें श्री शर्मा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है, यह उपाधी-पत्र कुल सचिव/परीक्षा नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित है। कृपया अपने रिकार्ड से यह सत्यापित करने का कष्ट करें कि यह व्यक्ति उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण। स्थानीय दैनिक पत्र में प्रकाशित सूचना भी

प्रेषित है । पत्र प्राप्ति के दस दिन में यदि आपका उत्तर नहीं मिला तो इसे फर्जी माना जावेगा ।"

इस पत्र के उत्तर में डा. वीर चन्द्र राय, नियन्त्रक, श्री कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्व विद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा ने विश्वविद्यालय की ओर से मुद्रित एवं मुद्रांकित प्रपत्र संख्या 0003073/88 एवं पत्रांक—दरभंगा/गो. 82/92 दिनांक 21·4·92 के द्वारा डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र के अधिवक्ता श्री विष्णु कान्त शर्मा को संबोधित करते हुए अवगत कराया कि :—

"आपके क्रमांक वी के एस/92/फरवरी/4/दिनांक 29·1·92 के संदर्भ में सूचनीय हैं कि उक्त पत्र के साथ संलग्न लब्धांक पत्र एवं प्रमाण-पत्र की छाया प्रतियों की जांच अभिलेख से की गई है । जांच के उपरांत पाया गया कि 1971 वर्षीय धर्मशास्त्र विषय के प्रधीनाचार्य द्वितीय खण्ड की परीक्षा में (केन्द्र जयपुर, क्रमांक 472) छात्र-राधाकृष्ण शर्मा, पितृ नाम शिवकरण शर्मा, कुल 112 अंक प्राप्त कर अनुत्तीर्ण है, क्यों श्री शर्मा (क्रमांक 641/71/) एतद विषयक आचार्य प्रथम खण्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं ।

इन दो पत्रों के कारण यह मामला इतने गंभीर अपराधिक वृत्ति व्यक्ति का हो गया है कि सही तथ्यों की जानकारी के लिए इस प्रकरण की जांच सी.आई.डी./अथवा सी.बी आई. से करायी जाय ताकि सही तथ्य सामने आ सकें । इस पत्र के साथ में राजस्थान सरकार के दोनों पत्र जिनके आधार पर जांच समाप्त की एवं अधिवक्ता विष्णु कान्त शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर द्वारा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्व विद्यालय को भेजे गये नोटिस एवं नोटिस के उत्तर में दरभंगा विश्व विद्यालय से प्राप्त पत्र की प्रतियां एवं डुप्लीकेट अंक तालिका की प्रति संलग्न कर निवेदन करता हूं कि राधा कृष्ण शास्त्री को अविलम्ब निलम्बित किया जाय तथा इस संपूर्ण षडयन्त्र में सम्मिलित समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को भी दण्डित किया जाय ।

———

(श्री घासी लाल चोपड़ा)

ग्राम झाड़ल (अजीतगढ़) में अनुसूचित जाति के लोगों से मारपीट

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम झाडली प.स. खंडेला जिला सीकर में श्री योगेन्द्रसिंह नरूका पूर्व सरपंच व उनके साथी नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह ने भूमि की हड़पो माफिया ग्रुप चला रखा है तथा पुलिस ने उनको संरक्षण दे रखा है तथा उक्त लोग गरीब अनुसूचित जाति अन्य कमजोर वर्ग के साथ फौजदारी करके मारपीट करके भूमि हड़पते हैं जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है : —

झाडली में कार्यरत सरकारी अस्पताल में डाक्टर के साथ श्री योगेन्द्रसिंह, भूतपूर्व सरपंच व उसके गिरोह ने मारपीट की जिसकी एफ.आई.आर. थोई थाने में दर्ज हुई। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, मजबूरन डाक्टर को दबाव में आकर राजीनामा करना पड़ा।

भूतपूर्व सरपंच व उसके गिरोह ने दिनांक 6-6-92 को रतनलाल रैगर की थड़ी उल्टी करदी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। भगवाना खाती की लकड़ियां व अन्य सामान नाले में फैंक दिया और नाई की थड़ी तोड़ दी। इसकी तरफ से मुकदमा नम्बर 162/92 थाना थोई में दर्ज हुआ। पुलिस ने दबाव में कोई कार्यवाही नहीं की। वर्तमान में उक्त फाइल भूतपूर्व सरपंच ने सी.आई.डी. में ट्रांसफर करवादी।

श्री हनुमान कुम्हार के साथ राजपूतों ने मारपीट की, मुकदमा दर्ज हुआ, परन्तु पुलिस ने घर पर वाका नहीं होना मानकर एफ.आर. दे दी।

दिनांक 2-8-92 को छोटूराम को पुलिस उठाकर ले गयी व उसके साथ मारपीट की बिना किसी अपराध के तथा उक्त गिरोह की शाह से। जनता के दबाव से उसे दूसरे दिन छोड़ा गया। छोटूराम ने इस पर न्यायालय ने इस्तगासा दायर की तथा कोर्ट ने इस्तगासा को पुलिस को जांचकर रिपोर्ट करने को भेजा। परन्तु पुलिस ने कई दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब दर्ज किया है।

दिनांक 9–9–92 को सुबह 6.30 बजे छोटूराम को उसकी चाय की थड़ी से पुलिस ने शराब के झूठे मुकदमें में गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 229/92 दर्ज किया, जिसकी शिकायत गांव वालों ने पुलिस अधीक्षक, सीकर से की तो एस.पी. साहब ने तफतीश उप पुलिस अधीक्षक, सीकर को देदी। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई।

दिनांक 13–9–92 को रात 9–9.30 बजे करीब मोहनसिंह राजपूत व उसके साथियों ने भगवाना खाती के घर पर पत्थर, गाली-गलोच किया व उससे हाथा पाई कर उसके कपड़े फाड़ दिये। योगेन्द्रसिंह जीप से आया व मोहनसिंह को अपने साथ बैठाकर ले गया। दिनांक 14–9–92 को प्रात: काल भगवाना खाती व गांव के 5–7 व्यक्तियों ने थोई थाने पर जाकर रिपोर्ट दी परन्तु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

श्री योगेन्द्रसिंह व उसके गिरोह ने पुलिस से मिलकर थोई थाने में 13/13-9-92 की रात में घर में घुस कर अपने साथ मारपीट करने को 8 व्यक्तियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मु.न. 253/92 दर्ज कर उक्त झूटे मुकदमें में पुलिस ने दिनांक 14–9–92 को व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया व 7 दिन का रिमाण्ड लिया।

श्री योगेन्द्र को मेडिकल रिपोर्ट हाथ की अंगुलियों व पैर के टकनें पर चोट

आना बताया है मामूली । जो धारा 323 का अपराध बनता है । परन्तु पुलिस ने मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया है ।

पुलिस ने 14–9–92 को उक्त मुकदमें 3 जीपे व 1 मोटर साइकिल जब्त की है और जब्त की है और जब्त जीपों में से एक जीप में से 17–9–92 को एक कुल्हाडी थाने पर बरामदगी दिखा दी ।

यह सारा मामला उक्त भूमि व वही निर्माणाधीन सार्वजनिक भवन पर योगेन्द्र नरेन्द्र एवं उनके गिरोह के कब्जा करने की नियत से किया जा रहा है । थानेदार व डी.आई.जी. का परोक्ष एवं अपरोक्ष सहयोग है ।

श्री योगेन्द्रसिंह नरूका, भूतपूर्व सरपंच, श्री माधोपुर बार एसोसियेशन का सदस्य है उसने उक्त षडयंत्र के बाद बार को गलत तथ्य देकर बार की साधारण सभा में इस मुकदमें में शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग के साथ ही प्रशासन को वकीलों की सुरक्षा के लिए चेतावनी भी दी गई । इसके दूसरे दिन बार को इस मामले में षडयंत्र की जानकारी होने पर दुबारा साधारण सभा बुलाकर पहले के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को अपने निर्णय से अवगत भी करवा दिया ।

इस प्रकार भूतपूर्व सरपंच ने भूदाराम हत्याकाण्ड के नामजद आरोपियों के साथ मिलकर बार एसोसिएशन के माध्यम से पुलिस व प्रशासन को प्रभावित करना चाहा । भूदाराम हत्याकाण्ड एक नामजद आरोपी ने पहले भी उक्त हत्याकाण्ड के गवाहों पर इसी तरह का एक फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर बार एसोसियशन को बरगलाकर फायदा उठाना चाहा था ।

इस मामले में जातिवादी व स्वार्थी राजनेताओं के संरक्षण के साथ ही थानेदार, एस.पी. व डी.आई.जी. रेंज का भी आचरण संदिग्ध रहा है । विशेष रूप से थानेदार का । अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि उपरोक्त मामले में निष्पक्ष अधिकारी से जांच करवाकर मुलजिमान को गिरफ्तार करवाये ताकि उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति व कमजोर तबके के लोगों को शांति मिल सके ।

(श्री हेमराज मीणा)

जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियमों का उल्लंघन कर आरक्षित पदों पर साधारण श्रेणी के व्यक्तियों की नियुक्ति

कुलपति मेहता ने कुलपति का पद सम्भालते ही आरक्षित पदों पर अपने चहेतों को नियमों के विरुद्ध नियुक्तियां दीं । जून, 1991 से कुलपति ने एक आरक्षित पद पर

श्री महावीर चन्द्र को उप कुल सचिव बनाया। इसी प्रकार सहायक कुल सचिव के आरक्षित पदों पर भी साधारण श्रेणी के व्यक्तियों को नियुक्तियां दीं। इस प्रकार कुलपति ने आरक्षित पदों को खुल्ले चयन से भरने की बजाय आन्तरिक व्यक्तियों को ही इन पदों को भर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के हकों को छीना है। इसी प्रकार कई अन्य पदों जैसे लाइब्रेरियन आदि के आरक्षित पदों पर साधारण श्रेणी के व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गई। आरक्षण के नियमों का विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार उल्लंघन करता रहा है उसी में एक कड़ी हाल ही में जोड़ी गई जब एक सहायक लाइब्रेरियन के आरक्षित पद पर श्री आर. के. नाथावत को नियुक्त किया गया। सहायक लाइब्रेरियन के चयन की सिफारिशों सिंडीकेट ने 1990 में स्वीकार कर एक व्यक्ति को नियुक्ति दे दी हालांकि उस वक्त भी वह पद आरक्षित था। फिर उसी पैनल में दूसरे नाम वाले श्री नाथावत को 15 जनवरी, 1992 को एक आदेश द्वारा 1990 से सहायक लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त किया गया। जबकि यह पद जो सरकार द्वारा अगस्त, 1990 में स्वीकृत हुआ तथा रोस्टर के अनुसार आरक्षित था।

शिक्षकों के पदों को भरने में तो आरक्षण की पूरी धज्जियां उड़ाई गई। कई प्रकार के शिक्षकों के पदों को भरने हेतु विज्ञापन संख्या 95/91–92 पिछले वर्ष सितम्बर, 1991 में निकाला गया। इस विज्ञापन में अलग-अलग पदों की श्रेणी व संख्या दर्शायी गई लेकिन रोस्टर के अनुसार आरक्षित पदों की भी साधारण श्रेणी में विज्ञापित किया। उदाहरणार्थ हिन्दी, इतिहास, दर्शन शास्त्र एवं व्यवसाय वित्त व अर्थ विभागों के प्रोफेसर के पदों को साधारण श्रेणी में विज्ञापित किया गया। जबकि ये पद रोस्टर के अनुसार आरक्षित होने चाहिये थे। इन पदों पर चयन कर नियुक्तियां भी दे दी गई है। यह सब कुलपति मेहता ने अपने कुनबे के श्री सुशील, जे. ललवाणी को व्यवसाय वित्त व अर्थ विभाग में प्रोफेसर बनाने के लिए किया। ज्ञात रहे सन् 1990 में विज्ञापन संख्या 95/91–92 के तहत यह पद आरक्षित ही विज्ञापित किया गया था। लेकिन तब किसी कारण से चयन नहीं हो सके थे। प्रोफेसर मेहता की श्री ललवाणी में इतनी दिलचस्पी थी यह और भी पुख्ता हो जाता है कि कुलपति ने इस चयन में विषय के विशेषज्ञ के रूप में ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम विश्वविद्यालय एकेडेमिक काउन्सिल द्वारा निर्धारित पैनल में ही नहीं है। इसी प्रकार कई विभागों में व्याख्याताओं के आरक्षित पदों, को साधारण श्रेणी में विज्ञापित किया गया। वनस्पति शास्त्र में चार पद साधारण, एक पद जनजाति के विज्ञापित किया। जबकि रोस्टर के मुताबिक यह तीन साधारण, एक अनुसूचित जाति तथा एक जनजाति का होना चाहिये था। इसी प्रकार विधि विभाग विज्ञापति किया गया जबकि बैकलॉग के नियमानुसार सभी पद आरक्षित होने चाहिये थे। व्यवसाय वित्त व अर्थ में भी सभी पदों को आरक्षित घोषित करना चाहिये था। लेकिन विज्ञापन निकलने के बाद जहां सभी पद आरक्षित श्रेणी में आ रहे थे जहां कोरिजन्डम 7 सितम्बर, 1991 के

द्वारा एक-एक साधारण श्रेणी का पद उन विभागों में विज्ञापित कर दिया गया। जबकि वहां स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार ऐसा करना सरासर गलत निर्णय था। ऐसा इसलिए किया गया जिससे साधारण श्रेणी के लोग इन विभागों में आवेदन फार्म भर सकें तथा कुलपति जिनको लेना चाहे वह आसानी से हो जाय। ऐसे विषय हैं संस्कृत, भौतिक शास्त्र, तथा व्यवसाय वित्त, एवं अर्थ जिनमें पहले कोई साधारण श्रेणी का पद खाली नहीं दिखाया गया। प्रोफेसर बी. आर. मेहता के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावे। इनको अनियमितता करने की वजह से इन्होंने से भी त्याग पत्र दिया है।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने पिछले सत्र में तीन माह में बैकलॉग भरने का आश्वासन दिया था। भारत सरकार ने भी जो अधिकारी आरक्षण का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है।

प्रश्न लोक महत्व का है चर्चा के लिए समय दिया जावे?

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में पर्याप्त मात्रा में राशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति

बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर सीमावर्ती जिले हैं। इन सीमावर्ती जिलों में राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु भारत केप्रधानमन्त्री श्री पी. वी. नरसिम्हारावजी ने राशन सामग्री विशेष तौर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

पिछले 5 वर्षों में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के अधिकांश भागों से निरन्तर अकाल की छाया के कारण अथवा अभावग्रस्त जिले होने के कारण स्थानीय मोटे अनाज की भी भारी कमी रही है। इन जिलों में सिंचाई के साधनों के अभाव तथा विद्युत की कमी के कारण कारखानों का अभाव है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है जिसके कारण यहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अधिकांश लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं, जिसके कारण खुले बाजार से गेहूं तथा अन्य राशन सामग्री खरीदने के लिए उनके पास क्रय शक्ति का अभाव है। इन परिस्थितियों के होते हुए बीकानेर शहर तथा जैसलमेर एवं बाड़मेर जिला मुख्यालयों पर जो राशन सामग्री उपलब्ध करायी गयी है, वह भारत सरकार के दिए गए निर्देशों के विपरीत है।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को समय-समय पर गेहूं का कोटा आवंटित किया, उसके मुकाबले में राज्य सरकार आवंटित गेहूं को पूरी मात्रा में नहीं उठा पायी। दूसरी ओर जिलों में जो गेहूं राज्य सरकार ने आवंटित किया, वह जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाया। बीकानेर शहर में गत 6 माह में प्रति इकाई 5 किलो गेहूं वितरित किया गया और कहीं-कहीं तो कुछ वार्डों में दो-दो, तीन-तीन महीने से एक किलो गेहूं भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसी स्थिति की जानकारी बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लोगों से मिली है।

गत 6 माह में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में प्रति यूनिट कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं की आपूर्ति की गयी, इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

राशन की दुकानों में अनेक वस्तुएं जैसे चावल, कपड़ा नहीं मिलता हैं, केरोसीन की आपूर्ति भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण सीमावर्ती जिलों में भारी रोष व्याप्त है। राशन दुकानों में चीनी, गेहूं दो-दो, तीन-तीन से न मिलने तथा गेहूं की मात्रा प्रति इकाई बीकानेर शहर में 5 किलो प्रति इकाई भी बराबर सभी को न मिलने से बीकानेर शहर में विशेष रूप से रोष व्याप्त है। जबकि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 10 किलो प्रति इकाई सीमावर्ती जिलों में गेहूं राशन के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

आशा है राज्य सरकार 10 किलो प्रति इकाई गेहूं वितरित करने तथा अन्य राशन सामग्री की समुचित वितरण की माकूल व्यवस्था करेगी।

क्या राज्य सरकार ने 5 किलो प्रति इकाई गेहूं वितरित करने के निर्देश दिये थे ? यदि नहीं तो किसके आदेश से बीकानेर शहर में एवं बाड़मेर तथा जैसलमेर में 10 किलो प्रति इकाई गेहूं की जगह केवल 5 किलो लाईसेंस का प्रति इकाई गेहूं वितरित किये गये।

(श्री हजारीलाल)

राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा के दौरान एक छात्र की उत्तर पुस्तिका गायब

आप कृपया मेरे द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अल्प सूचना प्रश्न सं. 1 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसको लिस्टेड नहीं किये जाने के कारण आप कृपया नियम–295 के अन्तर्गत नोटिस स्वीकार करके जवाब मंगवाने का कष्ट करें :—

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा के दौरान छात्र राजीव तलवार की माह जुलाई, 91 में आयोजित परीक्षा केन्द्र गुरूनानक भवन संस्थान आदर्शनगर शिक्षा विभाग जयपुर से मूल उत्तर पुस्तिका गायब/गुम हो गई थी। क्या उक्त उत्तर पुस्तिका शिक्षा विभाग के अधिकारी के पुत्र की थी ? उत्तरपुस्तिका परीक्षा हेतु निर्धारित समय के दौरान गुम/गायब हो गई थी ? परीक्षा केन्द्र पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को व्यवस्थापक गुरूनानक भवन संस्थान जयपुर द्वारा कोई सूचना यथासमय नहीं दी गई थी ? आदर्शनगर पुलिस स्टेशन को कितने बजे व किस तिथि को उत्तरपुस्तिका गुम हो जाने की सूचना दी गई ? परीक्षा केन्द्र पर तैनात पुलिसकर्मियों को उत्तरपुस्तिका गुम/गायब हो जाने की सूचना व्यवस्थापक द्वारा नहीं दिये जाने के काफी विलम्ब से आदर्शनगर पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया ?

(2) क्या उत्तरपुस्तिका व्यवस्थापक की लापरवाही, प्रशासनिक अक्षमता, अपने पद का दायित्व का वहन करने में असफल रहने के कारण गायब या गुम हुई ? उत्तरपुस्तिका राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा की गायब/गुम होना अत्यंत ही गम्भीर, बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है ? तो सरकार द्वारा क्या उक्त अधिकारी को निलम्बित किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई ? गुरूनानक भवन संस्थान के 70 प्रतिशत स्टाफ को क्यों नहीं बदला गया ? परीक्षा केन्द्र भविष्य के लिए समाप्त क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? हां तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं कारण सहित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(प्रो. सांवर लाल)

अजमेर जिले में भू–संशोधन लागू किया जाना

यह तो सब किसान भाईयों को मालूम है कि सरकार ने अभी-अभी जो विभिन्न राजस्व अभियानों द्वारा काम चलाऊ जमाबन्दी बनाई है, उसी आधार पर बन्दोबस्त विभाग से पर्चे ग्रामों में बांटे गये उसमें कई त्रुटियां हैं जिसको दूर नहीं किया जा सका है। बड़े दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि राज्य सरकार ने अजमेर की राजस्व रिकार्ड सन्बन्धी समस्या के लिये आंख बन्द कर रही है और केवल नाजानकार अफसरों के सुझाव से यह काम चलाऊ जमाबन्दी बनाई है जो कतई मौके के अनुसार सही नहीं है जिसकी पड़ताल किसी भी ग्राम में की जा सकती है।

खालसा के अलावा आधे भाग में ईस्तपरारदारी व जागीर प्रथा प्रचलित है, जागीर क्षेत्र मुगलों के समय से ही दरगाह ख्वाजा साहेब को 17 ग्राम तथा एक दो ग्राम नाथद्वारा मन्दिर व कुछ ग्राम या कुछ हिस्से निजी जागीर में दिये थे, खालसा क्षेत्र में से बाकी क्षेत्र में उस वक्त की सरकार ने पर्मानेन्ट रेवेन्यू फारमस कायम किये जो उस वक्त की सरकार को सीधा राजस्व देते थे, अपने किसानों से मनमाना लगान लेते थे, इन्हीं को ईस्तपरारदार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का सेटलमेन्ट कभी नहीं हुआ था। ईस्तपरारदार खालियानाक में काश्तकारों से फसल लाटा–बांटा द्वारा अपना हिस्सा 1/2, 1/3, 1/4 वसूल करते थे लेकिन घास का कोई बांटा या लांटा नहीं था। कुछ जिन्सों की नपती पर निकोडी भी लेते थे जैसे, मिर्च, कपास, जीरा, आदि बाकी का बांटा–लाटा ही खलियान में लेते।

इस तरह से इस जिले में खालसा व इस्तमरारी व जागीर की बरसात पर निर्भर रहने वाली 75% फीसदी भूमि के मौके के अनुसार खेत पमूद दोनों नक्शों में 1941–42 व 1951–52 में नहीं दर्शाये गये और न इनके राजस्व रेकार्ड ही तैयार किये गये। (1) खालसा में शामलात देह के खेत में यह सभी रकबा दर्ज हुआ और इस्तमरारीव जारीर में मालिक के खाते में दर्ज रह गया जो मध्यस्थ उन्मूलन, शामलात होने पर सिवाय चक में दर्ज हो गये, 1990 में राजस्थान काश्तकारी कानून इस जिले में लागू किया गया। अजमेर के राजस्थान में विलीन खत्म होने पर उस वक्त रेवेन्यु रेकार्ड न होने इसकी धारा 15 बी का फायदा नहीं मिला 1959 में जमीदारी, बिस्वदारी उन्मूलन लागू किया उसका भी फायदा नहीं मिला। इस जिले में खास कर इस्तमरारी व जागीर में बहुत अर्से तक चोसाला जमाबन्दीया भी नहीं बनाई गई थी। इस जिले 75% रकबे के काबिज पुश्तैनी काश्तकारों पर जब राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मुकदमें चलाये गये तो काश्तकारों में हाहाकार मचा, तब तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया जी का इस जिले के दौरे के समय जन प्रतिनिधियों ने उनका ध्यान इस 75% रकबे के गलत रेकार्ड की तरफ दिलाया श्री सुखाडिया ने तत्कालीन जिलाधीश अनिल वोरदिया से इसके समाधान के लिये आदेश दिये थे, जिलाधीश ने इस जिले के विभिन्न दतारे के ग्रामों में मौके पर ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों के साथ रेवेन्यु कैम्प रखे तथा अमीन द्वारा ऐसे इस्तमरारी ग्राम देवलिया कलां, रामसर, भगवानपुरा, सुरसुरा के रेकार्ड की जांच की और पड़त रकबे में काश्तकारों के बिना मौके के अनुसार पमूद करा कर रेकार्ड तैयार करने के बाद अगस्त, 1969 में जिला परिषद में एक बैठक तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री रामकिशोर जी व्यास की अध्यक्षता में बुलाई इसमें राजस्व सचिव श्री वराया एवं सैटलमेन्ट कमिश्नर श्री रामानिर्जन सिंह को भी बुलाया। जन प्रतिनिधियों के अलावा और किसानों की समस्या की जानकारी दी इस कमेटी ने एक समिति चैयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यु की अध्यक्षता में गठित की जिसमें राजस्व सचिव, सेटलमेन्ट कमिश्नर व जिलाधीश को मैम्बर सचिव बनाया। इस कमेटी ने राज्य सरकार को सिफारिश की कि अजमेर जिले

में भू सर्वेक्षण एवं भू–अभिलेख कार्यक्रम राजस्व अधिनियम की धारा 106 व 107 के तहत यह कार्य किया गया।

राज्य सरकार ने 16 फरवरी, 1970 में इस कमेटी की सिफारिश पर अजमेर जिले के लिये भू–सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख कार्यक्रम स्वीकृत किया गया तथा इसकी अधिसूचना राजस्व अधिनियम की धारा 106 व 107 के तहत जारी की गई तथा मौजूदा जिले के राजस्व कर्मचारियों के अलावा करीब 90 अमीन, 18 निरीक्षक, 8 नायब तहसीलदारों, चार अतिरिक्त तहसीलदार, चार उप खण्ड अधिकारियों के पद स्वीकृत किये गये तथा उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को, सहायक लैण्ड रेकार्ड आफीसर के अधिकार भी दिये गये। जिले के सभी 976 ग्रामों के नोटिस, रकबा, बरारी, खसरे, पर्चे तैयार कर बांटे गये, इस काम को करने के लिये जिलाधीश ने विभिन्न काश्तकारी कानूनों जैसे अजमेर रेगुलेशन II 1877, अजमेर काश्तकारी कानून 1950, मध्यस्थ उन्मूलन कानून 1959, शामलात उन्मूलन सन् 1960 के प्रावधानों को दर्शाते हुए करीब 27 आदेश कर्मचारियों के मार्ग दर्शन हेतु प्रसारित किये गये थे। और इन पर्चों की मौके पर मजमें आम में तस्दीक किये गये थे, उसके बाद जमाबन्दी बनाई गई, इस कार्यक्रम के साथ साथ राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन, खासकर अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को तथा ग्राम की चरागाह की सीमांकन आबादी का विस्तार, आखरी खलियान व शमशान, कब्रिस्तान की भूमि भी पैमूद कर रेकार्ड में असल दरामद किया गया। भूमिहीन व्यक्तियों को मौके पर भूमि 1970 के नियमों के तहत भूमि आवंटित व कब्जा मौके पर दिया गया और रेकार्ड में इन्द्रजात किये गये। यह सम्पूर्ण कार्य सन् 1972 तक पूरा हो गया था और इसके बनाने में 25 लाख रुपये राज्य सरकार के खर्च हुए थे, इस कार्य के सम्पादन कराने वाले जिलाधीश का पास बुकें, पुराना लगान लगवा कर विवरण भरने के पूर्व उनका स्थानान्तरण हो गया था, नये जिलाधीश को इस कार्य की महत्ता व अजमेर की समस्याओं की ठीक जानकारी न होने पर अभिलेख लैण्ड आफीसर (श्री गुमान सिंह) जिसकी मेरिट की अपील का फैसला सुप्रीम कोर्ट से वापस पुनः अवलोकन के लिये आया था उसकी अपनी नाजानकारी की वजह से 106 व 107 के तहत बनाये गये रेकार्ड में लगान बढोतरी कर रेन्ट रेट्स बढ़ाकर राज्य सरकारों को भेज दी थी जिसकी मन्जूरी नहीं दी गई और पुराना लगान लगाने के आदेश दिये गये थे। इस वजह से इस जमाबन्दी में लगान नहीं लगने से पास बुकें नहीं बंटी, इसी भू–संशोधन की जमाबन्दी के आधार पर गश्त गिरदावरी व कृषकों को लाखों रुपये से ऋण विभिन्न बैंकों से दिये गये थे और उस भूमि में काश्तकारों ने कुए, नाडा आदि तामीर कर पम्प सैट, बिजली, डीजल इंजिन लगा लिये।

सन् 1972 के बाद से आज तक इस जिले के 976 ग्रामों में आज तक चौसाला जमाबन्दी नहीं बनाई गई, इसलिए विभिन्न तरह के नामान्तरण फौती,

बेचान, अदालतों के निर्णयों का भी अमल दरामद नहीं किया गया। सन् 1984 में एक नाजानकार सैटलमेन्ट आफीसर के अजमेर कानून की नाजानकारी की वजह से और अपनी सेवाकाल बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने राज्य सरकार को यह लिखा कि भू-संशोधन में गलत खातेदारी दे दी गई, जैसे रास्ता, चरागाह, आदि में। राज्य सरकार ने बजाय मौके पर किसी ग्राम में जाँच करने के अजमेर सर्किट हाउस में बैठकर उस आफीसर की बात मानकर यह आदेश दे दिया कि भू-सर्वेक्षण से पूर्व 1969 की बिना तस्दीक शुदा जमाबन्दी को आधार मानकर नियमन, आवंटन के जरिये काम चलाऊ जमाबन्दी बनाकर सैटलमैन्ट विभाग को दी जाए, यह काम चलाऊ जमाबन्दी विभिन्न राजस्व अभिलेखों से बनाई गई है, बिना किसी लिखित हिदायत के बनाई है और किसानों की मौके पर बहुत लुटाई हुई है। और अभी भी सही नहीं बनी है, अब सरकार इसी को आधार मानकर राजस्व अभियान चला रही है जो केवल धोखा होगा।

यह राज्य सरकार अगर इस जिले की समस्याओं को सुलझाना ही चाहती है तो उसको तुरन्त सन् 1972 में बनाई गई जमाबन्दी को आज तक सही करते हुए यानि 1972 के बाद के जिन्हें भी आवंटन, नियमन फौती, बेचान, अदालत के निर्णयों को समावेश करते हुए इसे तैयार कर फिर राजस्व अभियान इसके आधार पर बनावे न कि सन् 1969 की बिना तस्दीक शुदा जमा बन्दी जिसमें 75% रकबे का इन्द्राज ही नहीं है। उसको आधा माने।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

बस्सी (जयपुर) के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजकीय सी. उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी (जयपुर) में तीन वर्ष पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष (द्वितीय वेतन श्रृंखला) का पद श्रीमती उर्मिलाधीर पुस्तकालयाध्यक्ष का स्थानान्तरण जयपुर में करने के कारण बजट में से समाप्त कर दिया गया। इस सम्बन्ध में श्री निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया किन्तु अभी तक उक्त विद्यालय के बजट में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद का प्रावधान नहीं किया गया।

पुस्तकालयाध्यक्ष के पद का राज्य के सभी सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बजट में प्रावधान है। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी (जयपुर) में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं होने के कारण छात्र पुस्तकालय के उपयोग से वंचित है, जबकि पुस्तकालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही इस विद्यालय में गणित विषय की भी बार बार मांग करने के उपरान्त आज तक विषय नहीं खोलने से यहां के छात्रों को 35 किलोमीटर पार कर जयपुर अध्ययन करने

आते हैं। अतः गणित विषय को भी स्वीकार कराने का कष्ट करें, तथा इनके अलावा उक्त विद्यालय में विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायकों के पदों का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जबकि सभी सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बजट में प्रयोगशाला सहायकों के पद-प्रति विषय एक पद का प्रावधान है। प्रयोगशाला सहायकों के अभाव में विज्ञान वर्ग के छात्रों के प्रायोगिक कार्य में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी (जयपुर) के बजट में एक पद पुस्तकालयाध्यक्ष (द्वितीय वेतन श्रृंखला) तथा तीन पद प्रयोगशाला सहायकों (एक पद भौतिक विज्ञान, एक पद रसायन विज्ञान, एक पद जीव विज्ञान) व गणित विषय भी स्वीकृत कर छात्रों को आने वाली परेशानी को दूर करने की कृपा करें।

(श्री बिरधाराम चौधरी)

मकराना कस्बे में पुलिस कण्ट्रोल रूम व बोरावड़ में पुलिस चौकी की स्थापना

उपरोक्त विषय में अग्रह है कि मकराना कस्बा व मकराना के नजदीक लगता ग्राम बोरावड दोनों की आबादी करीब एक लाख से अधिक है। जिसमें कानून व्यवस्था के हिसाब से एक संवेदनशील क्षेत्र है। मकराना में एक बार दंगा भी हो चुका है जिसकी सरकार जानकारी रखती है। मकराना कस्बा की स्थिति को देखते हुए मकराना में पुलिस कन्ट्रोल रूम होना आवश्यक है। मकराना के पास ही बोरावड़ ग्राम है जिसकी आबादी 20 हजार से अधिक है इसमें पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की जाती रही है जो निहायत जरूरी है। मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है। मकराना से मार्बल के रोजाना 500 ट्रकों का आना जाना होता है व औद्योगिक क्षेत्र होने से जीप, कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, ट्रेक्टरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा वाहन होने से यातायात पुलिस के अभाव में रास्ते अवरूद्ध हो जाते हैं। इसलिए यातायात पुलिस चौकी की स्थापना करना आवश्यक है।

अतः मकराना में पुलिस कन्ट्रोल रूम बोरावड़ पुलिस चौकी, यातायात पुलिस चौकी स्थापना हेतु राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना में पुलिस कण्ट्रोल रूम बोरावड में पुलिस चौकी मकराना में यातायात पुलिस की व्यवस्था करवाई जावे।

332

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को राजस्व की हानि

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत में आबकारी विभाग में अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपए की राज्य सरकार को दी जा रही राजस्व हानि की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग में शुरू से वर्ष 1990 तक पुरानी बकाया लगभग 6.75 करोड़ होना बताया जाता है एवं मात्र एक वर्ष 1991–92 में बकाया बढ़कर लगभग 17 करोड़ हो गई उसमें भी अकेले जयपुर संभाग में ठेके फेल होने तथा अधिकारियों की मिलीभगत से कम मूल्य पर पुन: ठेके देने से भारी राजस्व हानि हुई है। अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर की उपस्थिति में उनके संभाग में वर्ष 91–92 में धौलपुर में 2.00 करोड़, सवाईमाधोपुर में 1.50 करोड़, बयाना में 1 करोड़, चूरू में 1.00 करोड़ खेतड़ी, नवलगढ़ में 1.75 करोड़ तथा राजगढ़ में 50 लाख कुल 7.75 करोड़ की राजस्व हानि विभाग को दी गई है। यदि अधिकारी पूर्ण तत्परता से कार्य कर वसूली कार्यवाही करते तो इस प्रकार की बकाया रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की,हानि देकर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लाखों रुपए की हेरफेर की गई है जो जांच का विषय है।

माननीय अध्यक्ष जी मैं पिछले विधान सभा सत्र में भी विभाग की कार्यवाहियों के प्रति आवाज उठा रहा हूं किन्तु उसका परिणाम आज दिन तक नहीं निकला है। नियम विरुद्ध स्थलों पर 30.3.91 को जयपुर शहर में दुकानें मिलना, अंग्रेजी शराब की दुकानों पर 91–92 में प्रावधान नियमों में नहीं होने पर भी शिथिलता देकर भारी घपला करना तथा 20 डिग्री बुक औषधियों के निर्माण पर अवैध रूप से प्रतिबन्ध लगाने एवं बाहर की सुरा का सरे आम विक्रय कराने के साथ-साथ गम्भीर प्रकृति के आरोपी ठेकेदार को नियमों में होने के बावजूद भी ब्लेक लिस्ट कर अयोग्य नहीं करने के बारें में मेरे द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। अध्यक्ष महोदय यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि विभाग द्वारा उनका आज दिन तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। इसका एक मात्र कारण यह है कि आरोप स्वयं सिद्ध है तथा अधिकारी अपने बचाव का रास्ता देख रहे हैं। आबकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि (धारा 63 (1) एवं 74 (5)) यदि कोई गम्भीर प्रकृति का आरोप अनुज्ञाधारी पर हो तो वह ठेके लेने योग्य नहीं रहता। वर्ष 88–89 से 90–91 तक जयपुर में दो बार गम्भीर प्रकृति के अभियोग धारा 54 में दर्ज हुए तथा न्यायालय में चालान भी किन्तु सम्बन्धित व्यक्ति ब्लेक लिस्टेड नहीं हुए, कारण साफ है अधिकारी नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर स्थित अतिरिक्त आयुक्त राज्य सरकार करोड़ों रुपए की राजस्व हानि देते, नियम विरुद्ध दुकानें संचालित कराने, भारी हेरफेर करने तथा

कानून के विरुद्ध कार्यवाही अंजाम देने के दोषी है जो उनके पिछले कार्य-काल के दौरान की गई कार्यवाहियों से स्पष्ट है। मैं मांग करता हूं कि सरकार एक बार उक्त समस्त कार्यों एवं मेरे द्वारा पूर्व में उठाए गए तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय करें तो स्थिति स्वयं सिद्ध है किन्तु मेरी यह भी जानकारी में है कि ये अधिकारी अपनी भ्रष्टाचार की कमाई के बल पर अपना बीमा कराकर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय फिर भी सरकार से एक बार जांच कराने हेतु निर्देश जारी करें तो निश्चिय रूप से राज्य हित में ही होगा।

———

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

आबकारी विभाग में अधिकारियों का कथित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होना

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत में आबकारी विभाग में अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये की राज्य सरकार को दी जा रही राजस्व हानि की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग में शुरू से वर्ष 1990 तक पुरानी बकाया लगभग 6.75 करोड़ होना बताया जाता है एवम् मात्र एक वर्ष 1991-92 में बकाया बढ़कर 17 करोड़ हो गयी, उसमें भी अकेले जयपुर संभाग में ठेके फेल होने तथा अधिकारियों की मिलीभगत से कम मूल्य पर पुनः ठेके देने से भारी राजस्व हानि हुयी है। अतिरिक्त आयुक्त जयपुर की उपस्थिति में उनके संभाग में वर्ष 1991-92 में धौलपुर में 2.00 करोड़, सवाईमाधोपुर, में 1.50 करोड़, बयाना में 1 करोड़, चूरू में 1.00 करोड़, खेतडी नवलगढ़ में 1.75 करोड़ तथा राजगढ़ में 50 लाख कुल 7.75 करोड़ की राजस्व हानि विभाग को दी गयी है। यदि अधिकारी पूर्ण तत्परता से कार्य कर वसूली कार्यवाही करते तो इस प्रकार की बकाया रहने की कोई गुन्जाइस नहीं थी, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की हानि देकर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लाखों रुपये की हेरफेर की गयी हैं, जो जांच का विषय है।

माननीय अध्यक्ष जी पिछले विधान सभा सत्र में भी विभाग की कार्यवाहियों के प्रति माननीय सदस्यों द्वारा आवाज उठती रही है किन्तु उसका परिणाम आज दिन तक नहीं निकला है। नियम विरुद्ध स्थलों पर 30-7-91 को जयपुर शहर में दुकानें मिलना, अंग्रेजी शराब की दुकानों पर 91-92 में प्रावधान नियमों में नहीं होने पर भी शिथिलता देकर भारी घपला करना तथा 20 डिग्री प्रूफ औषधियों के निर्माण पर अवैध रूप से प्रतिबन्ध लगाने एवं बाहर की शुरा का सरे आम विक्रय कराने के साथ-साथ गम्भीर प्रकृति के आरोपी ठेकेदार को नियमों में होने के बावजूद भी ब्लेक लिस्ट कर अयोग्य नहीं करने के बारे में सदस्यों द्वारा गत सत्रों में प्रश्न पूछे गये थे। अध्यक्ष महोदय यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि विभाग द्वारा आज दिन तक कोई प्रत्युत्तर नहीं

दिया गया है । इसका एक मात्र कारण यह है कि आरोप स्वयं सिद्ध है तथा अधिकारी अपने बचाव का रास्ता देख रहे है । आबकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि (धारा) 63 (1) एवम् 74 (51) यदि कोई गम्भीर प्रकृति का आरोप अनुज्ञाधारी पर ही तो वह ठेके लेने योग्य नहीं रहता । वर्ष 88–89 से 90–91 तक जयपुर में दो बार गम्भीर प्रकृति के अभियोग धारा 54 में दर्ज हुये तथा न्यायालय में चालान भी किन्तु सम्बन्धि व्यक्ति ब्लेक लिस्टेड नहीं हुये, कारण साफ है अधिकारी नहीं चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर स्थित अतिरिक्त आयुक्त राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि देते, नियम विरुद्ध दुकाने संचालित कराने भारी हेरफेर करने तथा कानून के विरुद्ध कार्यवाही अन्जाम देने के दोषी है, जो उनके पिछले कार्य-काल के दौरान की गयी कार्यवाहियों से स्पष्ट है । मैं मांग करता हूं कि सरकार एक बार उक्त समस्त कार्यों एवम् मेरे द्वारा पूर्व में उठाये गये तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय करें, तो स्थिति स्वयं सिद्ध है, किन्तु मेरी वह भी जानकारी में है कि ये अधिकारी अपनी भ्रष्टाचार की कमाई के बल पर अपना बीमा कराकर बैठे है और आगे भी बैठा रहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय फिर भी सरकार से एक बार जांच कराने हेतु निर्देश जारी करें तो निश्चित रूप से राज्य और राजस्व के हित में होगा । विभाग में बैठे इन भ्रष्टाचारियों के गिरोह को तोड़ने के लिए शासन द्वारा भारी और निर्णायक प्रयासों की भारी आवश्यकता है । यह सब मिलजुल कर राज्य को करोड़ों रुपये की राजस्व की हानि कर रहे हैं तथा अपनी जेबें भर रहे हैं ।

(श्री मदन दिलावर)

कोटा के मूक बधिर विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन व पढ़ाई की समुचित व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय कोटा शहर में मूक बधिर शिक्षकों में पिछले विधान सभा सत्र से पूर्व भूख-हड़ताल पर बैठकर सरकार से मांग की थी कि हमारा कई महिनों से अटका वेतन भुगतान कराये तथा विद्यालय में हो रही घोर अनियमितताओं की जांच कर उचित कार्यवाही करें । परन्तु सरकार द्वारा उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । दिया भी कैसे जाता वह तो मूक बधिर शिक्षक गरीब इस संस्था के थे । उसमें ऐसा लगा कि प्रशासन सख्ती की भाषा ही समझता है ।

पिछले सत्र में मेरे नियम 295 के विशेष उल्लेख के तहत इसी प्रसंग में आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही एक माह के अन्दर ही शिक्षकों का भुगतान कर वापिस सेवा में से लिया जावेगा परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय वह आश्वासन मात्र फाइलों में खोकर रह गया । मूक बधिर शिक्षक भूख के मारे दम तोड़ने को

मजबूर है बच्चे छिन्न भिन्न हो गये । कई मूक बधिर शिक्षकों ने मुझ से कहा है हम ज्यादा भूखे नहीं मर सकते यदि हमें अब न्याय नहीं मिला तो तड़प, तड़प, कर मरने से तो अच्छा कि हम आत्महत्या कर ले और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भी शिक्षा मंत्री जी प्रशासन पर जूं नहीं रेंगे तो यह मूक बधिर शिक्षकों का दुर्भाग्य होगा ।

अतः मेरा करबद्ध निवेदन है कि शीघ्र शिक्षकों, कर्मचारियों, का वेतन भुगतान करें तथा विद्यालय को सरकार अपने कब्जे में लेकर पुनः उन्हीं शिक्षकों को सेवा में लें तथा पुनः उन छात्रों को, जो कहा भी हो, पूर्व में अध्ययनरत थे, ढूढकर उन्हें पढ़ाया जावें ।

(श्री मदन दिलावर)

कोटा कृषि उपज मण्डी के सचिव व अन्य कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं

माननीय अध्यक्ष महोदय कोटा कृषि उपज मण्डी के सचिव तेजसिंह द्वारा भ्रष्टाचार की थोड़ी सी झलक यहां प्रस्तुत कर रहा हूं :—

(1) श्री पन्नूलाल सफाई कर्मचारी जो दैनिक मजदूरी पर कृषि उपज मण्डी समिति में उसकी मां मरणोपरान्त (जो कर्मचारी थी) लगाया हुआ है। उससे 2000/- रुपये एठने की नीयत से कृ.उ.म.स. के पत्रांक 646-49 दिनांक 2.6.92 को लिखा गया कि "आपकी नियुक्ति अवधि तीन माह के लिए और बढाई जाती है।" परन्तु उसके तुरन्त बाद उसी दिन मात्र 15 मिनट बाद ही तेजसिंह द्वारा हस्ताक्षर युक्त मण्डी सचिव की हैसियत से दूसरा पत्र लिखा, जिसका पत्रांक 650 दिनांक 2.6.92 को दिया । उसमें लिखा है कि आपका कार्य सन्तोष जनक नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय एक तरफ तीन माह का समय बढ़ाना तथा दूसरी तरफ कार्य सन्तोष जनक नहीं बताकर सेवा समाप्ति की धमकी देकर मात्र 2000/- रु. ऐंठन था । जिसकी सफाई कर्मचारी ने लिखित में शिकायत की है ।

(2) श्री रमेशचंद शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अल्पवेतन भोगी कर्मचारी है, जिसका 5 माह में 5 बार स्थानान्तरण कर बेहद परेशान किया है क्योंकि यह सचिव को रिश्वत नहीं देना चाहता था । जबकि उससे कई बार मांगी गई तथा रिश्वत नहीं देने पर श्री शर्मा को कोटा से सुल्तानपुर लगाया गया । एक माह के लगभग बाद ही स्थानान्तरण मण्डी समिति के पत्रांक 3078-84 दिनांक 11·2·92 को निरस्त कर दिया गया । परन्तु उसके पश्चात् पत्रांक 376-81 दिनांक 28.4.92 को कोटा से मण्डाना स्थानान्तरण कर दिया गया परन्तु रिश्वत लेकर मात्र 15 दिन बाद ही पत्रांक

13.5.92 को कोटा कर दिया गया उसके लगभग 45 दिन बाद ही पत्रांक 945 दिनांक 3.7.92 द्वारा कोटा से सुल्तानपुर कर दिया गया। परन्तु 10 दिन पश्चात् ही पत्रांक 1026–30 दिनांक 13.7.92 को रिश्वत लेकर निरस्त कर दिया गया।

आप विचार कर सकते हैं कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को कितनी मानसिक वेदना हुई होगी। उसको रिश्वत मांगने की दृष्टि से ही परेशान किया गया हैं।

(3) निदेशक कृषि विपणन निदेशालय जयपुर के स्थाई आदेश पत्रांक निकृषि/पी. 2/169 म.स/89/3603–750 दिनांक 9.3.92 को आदेश प्रसारित किये गये थे कि चैक पोस्ट पर एक ही कर्मचारी को 3 माह से अधिक नहीं रखा जावे तथा नीलाम लिपिक को नीलामी कार्य हेतु 7 माह से अधिक नहीं रखने के निदेशालय के पत्रांक निकृषि/प–2/169 म.स/11345–511 दिनांक 13.3.91 को आदेश प्रसारित किये। उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए अभी एक वर्ष से अधिक श्री महावीर सिंह, सलीम मोहम्मद, सत्यनारायण हरगोविन्द, प्रीतमसिंह, दौलतसिंह बद्रीलाल, और गोपाल लाल को चैक-पोस्ट एवं नीलामी कार्य हेतु लगा रखा है क्योंकि यह सचिव को सोने का अंडा देने वाली मुर्गीया हैं।

(4) निदेशालय के पत्रांक निकृषि/जांच–70/32298 दिनांक 21.6.91 को श्रीनाथ गौतम कनिष्ठ लिपिक के भ्रष्ट आचरण के संबंध में सहायक निदेशक कोटा को लिखा गया था कि आप अपने पत्रांक 118 दिनांक 8.4.91 का अवलोकन कर अन्तिम जांच रिपोर्ट मांगते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया था। परन्तु निदेशालय के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही तो दूर उसका स्थानान्तरण कोटा से बांरा होने के पश्चात् इनाम बतौर अपने पास ही सहायक निदेशक कार्यालय कोटा में दिनांक 24.8 92 से प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है। इसने मण्डी समिति कार्यालय को एक वेश्यावृत्ति का अड्डा बना रखा है। जिसकी खबरें पिछले वर्ष कई अखबारों में छप चुकी है। मेरे विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 7/कृषि मंत्री/अता. द्वारा मदन दिलावर 104 के प्रश्न के जवाब में मुझे उत्तर दिया गया था कि दोषी कर्मचारी के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। परन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं करके भ्रष्टाचार को श्री तेजसिंह क.उ.म.स. कोटा बढ़ावा दे रहे हैं। क्या सदन में इसी प्रकार का आश्वासन देकर सदस्यों को गुमराह किया जाता है।

(5) मेरे विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के तहत जवाब दिया गया था कि मुरलीधर द्वारा गबन की गई 188 तोल पर्चियों का स्टेशनरी भाव से 770–00 रुपये जमा करने पर उसको माफ करना क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं है। जबकि जांच करने पर पाया गया था कि उसने गबन किया। उसने बिना मण्डी रिकार्ड में दिखाये ही ले जाने से उसने कितने व्यापारियों को बेचकर लाखों

रुपयों का गबन किया होगा । जबकि इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए था तथा वह अभी जेल की सीखचों में होना चाहिए था ।

अतः उक्त प्रकरण में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाकर वह अवैध रूप से वसूली राशि का पता लगाना चाहिए । केवल मात्र जवाब देने से काम चलने वाला कि विस्तृत जांच सम्भव नहीं है । मुझे आशा है कि शीघ्र जांच की जावेगी ।

(6) श्री राम प्रकाश सक्सेना वरिष्ठ लिपिक अन्ता में कार्यरत है परन्तु श्री तेजसिंह की कृपा से कोटा मण्डी में प्रतिनियुक्ति करवाकर विराजे हुए है । श्री सक्सेना के खिलाफ आडिट पैरा क्रमांक 13 (ख) 80–81 में 258 विक्रय पर्चिया कम पायी गई है जिसका मूल्य 2148/– रुपये है (केवल कागज का मूल्य) इसने यह भी उल्लेख किया है कि श्री सक्सेना स्टोरकीपर ने इन विक्रय पर्चियों का क्या किया तथा आडिट रिपोर्ट 258 विक्रय पर्चियों के दुरूपयोग व लाखों रुपये के मण्डी शुल्क की चोरी होनें की संभावना व्यक्त की गई है तथा आडिट रिपोर्ट में आडिट कार्य ने चार प्रश्न पूछे है उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया, न ही कोई इसके खिलाफ कार्यवाही की गई :—

1. 258 विक्रय पर्चियों के नम्बर क्या हैं ।

2. श्री रामप्रकाश सक्सेना, स्टोर कीपर द्वारा 258 विक्रय पर्चियों को किस किस व्यापारियों को कितनी कितनी राशि में बेची गई ?

3. बेची गई विक्रय पर्चियों से कितना मण्डी शुल्क वसूल किया गया । कितने लाख रुपये की मण्डी शुल्क चोरी हुई ।

4. श्री रामप्रकाश के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई । परन्तु इतना भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी भ्रष्ट मण्डी सचिव द्वारा इनाम बतौर उसकी प्रतिनियुक्ति कोटा में ही कर रखी है क्योंकि यह भ्रष्ट कर्मचारी अनैतिक तरीके से कमाकर मण्डी सचिव को मोटी रकम हर माह देते हैं ।

इसी प्रकार आडिट वर्ष 80-81 में श्रीनाथ, गौतम कनिष्ठ लिपिक एवं लाभचंद, वरिष्ठ लिपिक दोनों कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण का उल्लेख किया हुआ है । इन्होंने मात्र 6./' प्रतिशत ब्याज का लाभ लेने के लिए मकान ऋण रुपये 24000/– एवं 23000/– रु. ऋण लिया और बैंक में फिक्स डिपोजिट करवा दिया और मकान निर्माण के कोई कागजात कार्यालय में प्रस्तुत आज तक नहीं किये गये ।

आडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि 13 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जावें । तथा ऋण के दुरूपयोग करने की कठोर कार्यवाही की जावे ताकि इस प्रकार पुनरावृत्ति

नहीं हो। परन्तु आज तक इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। न ही 13 प्रतिशत ब्याज वसूल किया गया।

इस प्रकार ढील देना भ्रष्टाचार को बढावा देना है। उक्त भ्रष्ट आचरण की जानकारी के बावजूद भी इनकी प्रतिनियुक्ति कोटा मण्डी में ही कर रखी है।

अतः मेरी मांग है कि उक्त बिन्दुओं की जांचकर सख्त कार्यवाही कर दोषी लोगों को दण्डित किया जावे।

(श्री दयाराम परमार)

खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों के रिक्त पद

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के 6 माध्यमिक विद्यालय क्रमशः राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिलख, राजकीय मा. विद्यालय, कोलावाड़ा, राजकीय मा. विद्यालय जवास, राजकीय मा. विद्यालय नया गांव, राजकीय मा. विद्यालय, कनबई और राजकीय मा. विद्यालय पाटिया में गत 3 साल से लेकर 2 साल तक के समय से उक्त 6 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त चले आ रहे हैं। जिससे विद्यालयों में प्रशासन और अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रही है। और इन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 10 प्रतिशत से लेकर के 2.5 प्रतिशत रहता है।

मा. ....खैरवाड़ा तहसील आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं और उनके बच्चे विद्यालय में कई परेशानियों को उठाते हुए अध्ययन करने के लिए आते हैं।

और विद्यालय में सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं होने से उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है तो यह एक जनहित कारी सरकार की विफलता का द्योतक ही कहा जा सकता है।

उसी प्रकार सी. हायर सैकेण्डरी स्कूल खैरवाड़ा जो तहसील मुख्यालय का स्कूल है जहां पर 1300 छात्र–छात्राएं अध्ययन करते हैं उस विद्यालय में 14 विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के पद गत 3 साल से रिक्त है। और विज्ञान वर्ग में तो कोई व्याख्याता भेजा ही नहीं जाता है और यदि कोई भेजा भी जाता है तो वह स्कूल भी नहीं आता तो भी उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सीनियर हायर स्कूल में बायलोजी की व्याख्याता गत 2 साल से विद्यालय में नहीं आ रही है और उस विषय में पढ़ने वाले छात्रों का कोई भी भविष्य का मालिक नहीं है।

इसी तरह से सी. हायर सैकेण्डरी स्कूल बाबलवाड़ा में भी 10 विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के पद गत 2 वर्षों से रिक्त चले आ रहे हैं।

इस प्रकार के विद्यालयों में व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त होने से ग्रामीण छात्र–छात्राओं के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय पाटिया, मा. वि. कनबई, मा.वि. नया गांव, मा. वि. कोडगवाड़ा एवं मा.विद्यालय बिलख में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की तत्काल कार्यवाही की जाय।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

राजस्थान में शिक्षा का अंधकारमय भविष्य

मानव जीवन की पांच मूलभूत आवश्यकतायें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में शिक्षा का विशेष स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्वतः ही पिछड जाता है क्योंकि शिक्षा के अभाव में जाग्रति का प्रकाश समाज के अशिक्षित वर्ग को पहुंच नहीं पाता। दुर्भाग्यवश राजस्थान साक्षरता की दृष्टि में सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। अतएव यहां जन्म दर, मृत्यु दर एवं जनसंख्या में बढोतरी की दर सर्वाधिक है परन्तु इसकी तुलना में केरल राज्य देश में अनुमानित शत प्रतिशत साक्षर है और वहां उक्त दरें देश में सब से कम हैं। जनसंख्या की तीव्र बढोतरी की दर में निरन्तर कमी के फलस्वरूप वर्ष 2001 तक वहां शतप्रतिशत साक्षरता होते हुए भी 16.63 लाख विद्यार्थी कम हो जायेंगे जिनके अनुपात में 3,500 विद्यालय बंद एवं 50,000 अध्यापक कम करने पड़ेंगे जिससे राज्य कोष में 200 करोड रुपये की वार्षिक बचत होगी। इस तथ्य का विस्तृत विवरण देश के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक "दी टाइम्स ऑफ इंडिया" के दिल्ली संस्करण के दिनांक 1.9.92 के अंक में पृष्ठ 4 पर मुद्रण किया गया है जो संलग्न परिशिष्ट 1 के रूप में प्रस्तुत है। यह सब शिक्षा का चमत्कार है और शिक्षा ही समस्त प्रगति का द्वार व सफलता की कुंजी है, जिसकी राजस्थान में अवहेलना की जा रही है।

मैं इस पत्र के संलग्न परिशिष्ट 2 पर "राजस्थान पत्रिका" के जोधपुर संस्करण में इस वर्ष अगस्त व सितम्बर माह के अंकों में "भावी भारत की पौधशाला" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित 30 लेखों की शृंखला की फोटो प्रतिलिपियां आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे यह आंकलन किया जा सकता है कि निर्धन वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने वाले राजकीय विद्यालय कितनी भयावह, दयनीय एवं

नारकीय परिस्थितियों में कार्यरत है जिनको पढ कर पाठक की आत्मा रो उठती है। उदाहरणार्थ :—

लेख संख्या 9 में उल्लेख किया गया है कि "मेड़ती गेट प्राथमिक स्कूल अपने मूल स्थान से करीब एक किलोमीटर दूर राजमहल डिस्पेंसरी के समीप स्थित जैन श्रुताचार्य भवन में चलता है। इसी भवन में तीन अन्य स्कूल भी चलते है। इन में दो प्राथमिक (हाथीराम का ओडा तथा अल्प भाषा) स्कूलें व एक राजकीय अल्प भाषा माध्यमिक स्कूल चलती है। मेड़ती गेट और हाथीराम का ओडा प्राथमिक स्कूलों की हालत काफी दयनीय है।....वहां का दृश्य देखकर यह समझ में नहीं आता कि ऐसे अंधेरे में जहां बच्चे भी साफ नजर नहीं आते, इन बच्चों को अपनी किताब के अक्षर किस प्रकार दिखाई देते होंगे। इस स्कूल में आठ शिक्षक हैं जो 60 बच्चों को पढ़ाते हैं।""शिक्षा विभाग इस पूरे भवन का 375 रुपये प्रति माह किराया देता हैं। देश की भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाने की सरकार की मंशा पर यहां प्रश्न उठता है। वहीं एक साथ चार स्कूलें चलाने पर विभाग के शिक्षकों के वेतन व अन्य बातों के लिए जो खर्च करना पड़ता हैं उसकी सार्थकता यहां, नजर नहीं आती।

लेख संख्या 18 में वर्णित किया गया है कि "यहां एक प्रधानाध्यापक सहित आठ शिक्षक हैं जबकि बच्चे मात्र 40 है। यह संख्या शिक्षकों द्वारा बतायी गयी मगर आते कम ही है। पांचवी कक्षा में एक बस्ता पड़ा था और मेज पर रखा रजिस्टर में भी एक ही नाम दर्ज था।

लेख संख्या 21 में व्यक्त किया गया है कि "वर्तमान में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तीस बताई जाती है लेकिन रोजाना औसतन दस बच्चों से ज्यादा नहीं आते।....यह विद्यालय तो "ए" सेक्टर के मकान नम्बर 9 "मूदड़ा भवन" के पोर्च में ही चलता हैं। यह मकान विद्यालय की प्रधानाध्यापक श्रीमती फूलकंवर का है। प्रधानाध्यापिका सहित दो अध्यापिकाओं का स्टाफ नियुक्त है।

लेख संख्या 22 में चित्रण किया गया कि "आसपास का पूरा क्षेत्र गंदगी के कारण संडाध से भरा था। कमरे में बैठे प्रधानाध्यापक ने बताया कि ऐसे वातावरण में स्कूल चलानी पड़ रही है जिसमें कुछ पल बैठना भी मुश्किल है।....बच्चे गीली-गंदी खुली जमीन पर बिना दरी बैठने को मजबूर हैं, जिनसे इनका स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही हैं, बच्चों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इस विद्यालय में वर्तमान में पांच कक्षाओं में 52 बच्चे हैं।"

लेख संख्या 29 में प्रकट किया गया है कि "ब्रह्मपुरी स्कूल में आठ शिक्षिकायें है और यहां प्राय इतने ही बच्चे आते हैं।"

साधनों की अत्यंत कमी के बावजूद उनकी अपराधिक बरबादी अत्यन्त गम्भीर चिन्ता एवम् चिन्तन का विषय है। उचित भवनों के अभाव में विद्यालयों का चालू रखना अर्थात

नई पाठशालाओं का अंधाधुंध खोलना और नगण्य काम करने वाले शिक्षकों को करोड़ों रुपये वार्षिक वेतन प्रदान करने का कोई आर्थिक, प्रशासनिक व नैतिक औचित्य नहीं हैं। इस क्षेत्र में जोधपुर नगर कोई अपवाद नहीं है बल्कि राज्य के अन्य स्थानों की भी परिस्थिति इससे भिन्न नहीं है जो प्रशासन के लिए कलंक है और शासन द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण घोषणायें पाखण्ड प्रतीत होती है। संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लेखित 10 वर्ष की अवधि में प्रत्येक 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य का दायित्व मात्र मृगतृष्णा ही रह गई है।

उपरोक्त भयावह परिस्थिति का मूल कारण है राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों के लिए भूमि एवं भवनों की कमी। यदि विभागीय कोई दान दाता भवन के लिए राशि प्रदान करता है तो भूमि का पूर्ण अभाव है। यहां तक की नगरपालिका/परिषद/सुधार न्यास व आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में शिक्षण के लिए आरक्षित भूखण्ड राजकीय विद्यालय भवन हेतु शिक्षा विभाग के बजाय निजी क्षेत्र की व्यावसायिक संस्थाओं को अवैधानिक आधार पर नाम मात्र के मूल्य पर आवंटित कर दी जाती हैं जो ऊंची ट्यूशन फीस द्वारा समाज का भयंकर शोषण करती है और जहां का व्यय निर्धनता की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समाज के अनुमानित 50./' परिवारों की आर्थिक क्षमता से परे हैं।

मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार इस समय जोधपुर नगर परिषद सीमा में बालक एवं बालिकाओं के लिए कुल 131 प्राथमिक एवं 47 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं जिनमें 1,533 शिक्षकों द्वारा 26,231 विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा रहा है अर्थात एक शिक्षक मात्र औसतन 23.4 विद्यार्थियों को पढ़ाता है जो शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रति शिक्षक चालीस विद्यार्थियों के अनुपात से बहुत कम है। विद्यार्थियों की संख्या मात्र उपस्थिति पंजिका पर आधारित है जिसकी वास्तविकता इसमें भी कम है जो यकायक निरीक्षण से ही सत्यापन की जा सकती है। यदि इन विद्यालयों को आपस में पड़ौस के विद्यालयों में विलय किया जाय जिससे निर्धारित शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1 : 40 रखा जाय तो इस प्रकार Rationalisation से बिना वर्तमान विद्यार्थियों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़े 647 शिक्षक सरप्लस घोषित किये जा सकते हैं जिनका सदुपयोग अन्य विद्यालयों में किया जा सकता है। मेरे अनुमान में विभाग इस साथ प्रति शिक्षक वेतन, भत्ते इत्यादि पर चालीस हजार रुपये प्रति वर्ष व्यय करता है जिसके अनुसार उपरोक्त 647 सरप्लस शिक्षकों को अन्यत्र लगाने से प्रति वर्ष 2.588 करोड़ रुपये की विभाग को भी बचत हो सकती है जिनका पवित्र निवेश जोधपुर नगर के नये विद्यालय भवनों के निर्माण में बिना अतिरिक्त बजट प्रावधान किये किया जा सकता है। शिक्षा विभाग कोई धर्मार्थ संस्था नहीं है जो निर्धारित लक्ष्य से कार्य करने वाले शिक्षकों को पूरा वेतन प्रदान करे। उत्पादकता को वेतन से जोड़ना आधुनिक प्रबन्ध का आवश्यक अंग है।

दिनांक 26.12.81 को राजस्थान में कुख्यात राजस्थान भू राजस्व (नगरीय क्षेत्र में आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि आवंटन संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981, लागू होने के पश्चात इन नियमों के फलस्वरूप राजस्थान में आज तक नगरों में स्थित कृषि भूमि के भाव पचास गुना एवं आबादी भूमि के भाव पच्चीस गुना तक चढ़ गये जब कि थोक भावों का सूचकांक इस काल में लगभग दो गुना ही बढ़ा है जिससे मध्यम श्रेणी के लिये भी स्वयं का आवास होना एक स्वप्न बन गया हैं एवं निम्न आय के परिवार तो निजी आवास का सोच ही नहीं सकते। यह जन विरोधी कानून काले धन का जन्मदाता, भ्रष्टाचार का पोषक एवं निर्धनों का शोषक आवासहीनों के लिये अभिशाप बन गया है। भूमि के अवैध व्यवसायियों का राज्य पशासन पर गहरा प्रभव है जिसके बल पर वे अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु इस दिशा में कोई भी जनहिता का कार्यक्रम सफल नहीं होने देते। इस तथ्य का नग्न चित्रण राजस्थान के पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति मोहनलाल श्रीमाल ने अपने "गृह निर्माण समितियों की समानान्तर सरकार" शीर्षक के लेख में किया जो साप्ताहिकी "इतवारी पत्रिका" दिनांक 14.10.90 के अंक के पृष्ठ 3 व 4 पर प्रकाशित हुआ। इस लेख की फोटो प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट 3 पर आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत जिन भूखण्डों के पट्टे दिये गये हैं उनके लिये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भूखण्डों के उप विभाजन, पुनर्गठन एवं सुधार) नियम, 1975 के विपरीत मात्र संकडी सड़कें रखी गई हैं और खुले मैदान, उद्यान, विद्यालय, चिकित्सालय इत्यादि इन सुविधाओं हेतु कोई भूमि आरक्षित नहीं की गई है। अतएव इनमें निवास करने वाले नागरिक इन मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से सदैव के लिये वंचित हो जायेंगे क्योंकि उक्त 1981 के संपरिवर्तन के नियमों में इन सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं है। उदाहरणार्थ जोधपुर नगरीय क्षेत्र में अब तक 1981 के संपरिवर्तन नियमों के अनुमानित पचास हजार आवासीय भूखण्डों के पट्टे दिये गये हैं जिसमें उपरोक्त 1975 के उपविभाजन नियम 10 के अनुसार 7 व्यक्ति प्रति भूखण्ड की दर से कुल 3.5 लाख जनसंख्या भविष्य में निवास करेंगे जिनकी शिक्षा हेतु नीयम 14 के अन्तर्गत 230 नर्सरी, 87 प्राथमिक व 30 माध्यमिक विद्यालय हेतु प्रत्येक के लिए 1, 3 व 7 एकड क्षेत्रफल तक के भूखण्ड क्रमशः आरक्षित किये जाने चाहिये थे परन्तु दुर्भाग्यवश इस सुविधा एवं खुले मैदान, उद्यान, चिकित्सालय इत्यादि सुविधाओं हेतु नियम 13 व 15 के अनुसार एक भी भूखण्ड आरक्षित नहीं किया गया। इस अन्याय के परिणामस्वरूप वहां भविष्य में एक भी राजकीय विद्यालय हेतु भवन नहीं बन पायेगा जो जनता एवं प्रशासन के लिये अत्यन्त चिन्ता एवं चिन्तन का विषय है कि उपरोक्त संपरिवर्तन नियम 1981 के अन्तर्गत आवासीय बस्तियों के निवासी सदैव के लिये विद्यालय भवन के अभाव में राजकीय शिक्षण सुविधा से वंचित रह जायेंगे। राजस्थान के अन्य नगरों की भी यही परिस्थिति है।

अतीत को वर्तमान से जोड़े बिना भविष्य की रूपरेखा नहीं बन सकती अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर इस विश्व साक्षरता वर्ष में आपसे निम्न सुझावों पर गम्भीरता से विचार करने हेतु नम्र निवेदन करता हूं :—

1. जोधपुर नगर परिषद सीमा में कार्यरत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पड़ोस के विद्यालयों में आपस में विलय करके उनकी संख्या में कमी की जाय जिससे विभाग द्वारा निर्धारित प्रति शिक्षक चालीस विद्यार्थियों का अनुपात रहे एवं इस प्रकार RAI से प्रति वर्ष जो धनराशि की बचत हो उसका सदुपयोग नये विद्यालय भवनों के निर्माण में किया जाये। राजस्थान के अन्य स्थानों एवं शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी यह कार्यक्रम लागू किया जाये।

2. नगर पालिका/परिषद/सुधार न्यास व आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विद्यालय हेतु आरक्षित भू-खण्डों को भविष्य में अनिवार्यता के आधार पर राजकीय विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग को ही आवंटित किये जायें।

3. उपरोक्त संपरिवर्तन नियम 1981 में उपविभाजन नियम 1975 के अनुरूप विद्यालय सहित अन्य जन सुविधाओं के लिए अनिवार्य भूमि आरक्षित करने हेतु प्रावधान किया जाये।

———

(श्री रामनारायण वर्मा)

राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अपनाये जा रहे तरीकों से विश्वविद्यालय का माहौल खराब होने बावत

राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति डाक्टर श्री रामेश्वर शर्मा द्वारा अपनाये जा रहे तरीकों से विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता जा रहा है। पिछले दिनों सभ्रान्त घरानों की लड़कियों को विश्वविद्यालय परिसर में बेइज्जत करने सम्बन्धी घटनाएं अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं। पूर्व में गठित यशोदा समिति की रिपोर्ट को दबा दिया गया है तथा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों का विश्वविद्यालय सेवाओं में चयन नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या नगण्य है। उप कुल सचिवों के आरक्षित कोटे से भरे जाने वाले पदों पर योग्य उम्मीदवारों के होते हुए भी सामान्य कोटे से भर कर आरक्षित कोटे की श्रेणी में आने वाले आशार्थियों के लिए चयन समिति की बैठक बुलाने में अड़चनें पैदा की जा रही हैं। आदिवासी/हरिजन समुदाय के व्यक्तियों के चयन से रोकने के लिए राज्य सरकार

जानबूझ कर चयन समिति में प्रतिनिधि मनोनीत नहीं कर रही है। आरक्षित कोटे की एवज में नियुक्त उप कुल सचिवों की नियुक्ति अवधि के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करके उनको लगातार सेवा में रखकर कमजोर वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के गोपनीय प्रकोष्ठ की गोपनीयता भंग की जा रही है। साक्षात्कार में चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की चयन सूची जारी होने से पूर्व ही चयनित व्यक्तियों के नाम दिनांक 17 जनवरी, 1992 को राष्ट्रदूत नामक समाचार पत्र में छपे हैं। डाक्टर रामेश्वर शर्मा द्वारा नियम विरुद्ध उप कुल सचिव पदों पर आरक्षित कोटे की एवज में सामान्य कोटे से नियुक्त व्यक्तियों को कुलाधिपति जी के आदेश की एवं विश्वविद्यालय के गोपनीय कागजों की प्रतियां उपलब्ध करवाकर न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित किया है जिससे सरकार एवं विश्वविद्यालय की काफी राशि खर्च करनी पड़ी है। सहायक कुल सचिव के 9 पदों पर भी अनुसूचित जाति/जनजाति के कोटे की एवज में सामान्य कोटे से दी गई तदर्थ नियुक्तियों की एवज में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की अविलम्बनीय नियुक्ति की जाने की व्यवस्था की जावे। विश्वविद्यालय में कमजोर वर्ग के हितों के खिलाफ बरती जा रही भावना को समाप्त किया जाकर नौकरियों में बेगलाक तथा रिक्त स्थान इस वर्ग से भरे जावे।

कुलपति डाक्टर श्री रामेश्वर शर्मा सिंडीकेट की बैठक की कार्यवाही भी सही अंकित नहीं करवाते हैं।

अतः अनुरोध है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की मिलीभगत से कमजोर वर्ग के हितों के खिलाफ हो रहे मामलों पर ध्यान देकर उचित कार्यवाही की जावे तथा विश्वविद्यालय की हालत को ठीक करने के लिए समुचित ध्यान दिया जाकर वर्तमान कुलपति के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जावे।

(श्री प्रभुलाल पटेल)

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के काली-तीज बांध की नहरों की मरम्मत व अधूरे बांधों को पूर्ण किया जाना

मेरे सपोटरा क्षेत्र में काली तीज बांध सबसे बड़ा बांध है पानी की भराव क्षमता भी काफी है करीब-करीब आधे क्षेत्र के लिये अन्न व घास की पूर्ति करता है परन्तु कुछ वर्षों से इस बांध की नहरों का रख रखाव सही प्रकार नहीं हो रहा है प्राइवेट ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है। विभागीय कर्मचारी व ठेकेदार मिल करके नहरों में मामूली काम करवा कर पेमेण्ट उठा लिया करते हैं जिसके परिणामस्वरूप नहरें मैदान

बनी हुई अगर जगह टूट जाया करती है, पानी खेत तक नहीं पहुंच पाता है, प्रति पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाते हैं तथा फसल भी सूख कर बरबाद हो जाती है जिसका नुकसान पूरे क्षेत्र को उठाना पड़ता है इस वर्ष काली तीज बांध पूरा भरा हुआ है सही समय पर नहरों को साफ करवा दिया गया, टूट-फूट को सही करवा दिया गया तो इस क्षेत्र के किसानों की फसल को पानी की कोई कमी नहीं आयेगी इसलिए शीघ्र से शीघ्र काली तीज बांध की नहरों को लेबर से पूरी खुदवा कर दीपावली के बाद ही पानी चालू करवाने की व्यवस्था फरमाई जावे जिससे किसान अपनी सही समय पर फसल बो सकें तथा इस क्षेत्र के राहिर बांध व अतेवा बांध काफी समय से अधूरे पड़े हुये है सरकार का इन बांधों में आठ-आठ दस-दस लाख रुपया लग चुका है परन्तु अभी अधूरे पड़े जिनके वजह से इस क्षेत्र में बहुत बड़ा असन्तोष बढ़ रहा है तथा खर्च की गई राशि भी बरबाद हो रही है अतः इन दोनों बांधों को भी शीघ्र पूरा करवाया जाये जिसके किसानों को पेयजल व फसल की समस्या हल हो सके तथा सरकार की खर्च की गई राशि भी सुरक्षित रह सकें।

———

(श्री कन्हैयालाल)

जयपुर के थानों में महिलाओं के हाथ काटकर गहने चुराने की जांच

उक्त विषय में निवेदन है कि जिला जयपुर के विभिन्न थानों में दण्डित करवाने, मुकदमों में अभियुक्तों का पता नहीं चलने पर अपराध में अन्तिम प्रतिवेदन लापता मुल्जिम दिया जाकर जांच बन्द पड़ी हुई है। जिसके कारण इस प्रकार की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। गत सत्र में मैंने सदन में ग्राम भावनीथाना जमवारामगढ़ में एक अध्यापक की पत्नी के हाथ पांव काटकर गहने ले जाने की थाना जमवारामगढ़ व थाना चंदवाजी दोनों को मुल्जिम की नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा कर गिरफ्तार करने व दोनों थानों में करीब तीन महिने तक बैठाये रखकर मुल्जिम को निर्दोष साबित ही नहीं बल्कि सबूतों को भी नष्ट कर केस में एफ. आर. दे दी गयी थी जिसकी सदन में आने पर श्रीमान् गृह मन्त्री महोदय ने इसकी सी. आई. डी. (सी. बी.) को जांच दी जिसकी जांच एक उप अधीक्षक श्री हेतराम को जांच दी गयी जिसकी जांच से ग्रामवासी भी सन्तुष्ट थे। तथा हत्यारों का पता लगा कर ग्रामीणों के भरपूर सहयोग से गिरफ्तार कर हाथ पांवों के कड़े भी बरामद कर लिये। ये व्यक्ति वे ही है जिसे थाना जमवा रामगढ़ व थाना चंदवाजी द्वारा 3 महिने तक रखने के बाद निर्दोष साबित किया था। जांच कर्ता द्वारा हत्यारों को गिरफ्तार करने हेतु सी. आई. डी. सी. बी. के एस. पी. व आई. जी. महोदय से गिरफ्तार करने के आदेश तो एस. पी. सी. आई. डी. श्री पाटनी जी द्वारा जांच कर्ता से फाइल को लेकर जांच अन्य अधिकारी को देकर रफा-दफा करने की कोशिश की गयी जिसका पता चलने पर मैं ग्रामीणों के साथ

माननीय मुख्य मन्त्री से मिला तो मुख्य मन्त्री जी ने पुनः श्री हेतराम उप अधीक्षक पुलिस सी. आई. डी. सी. बी. को जांच वापस दी। लेकिन गिरफ्तारी के आदेश 10 दिन बाद देना क्या भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है। यह कि इस हत्यारों के साथ एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है इसमें सतर्कता बरतकर इसकी जांच के आदेश दे कि 10 दिन बाद हत्यारों को गिरफ्तार करने में कौन-सा दबाव था जिससे मुल्जिम को निर्दोष साबित करने के प्रयास थे। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शेष इसी प्रकार की और 10 हत्यायें की हैं उनकी जांच सी. आई. डी. से करवाने तथा सम्भव हो तो उनकी जांच श्री हेतराम मीणा उप अधीक्षक सी. आई. डी. सी. बी. को दी जावें। इससे मेरे क्षेत्र की निम्न केसों की तो जांच शीघ्र सी. आई. डी. से जांच के आदेश देवें। जिसमें मु. नं. 332/89 में ग्राम जटवाडा में थाना बस्सी में की गयी हत्या की व मु. नं. 307/91 थाना बस्सी ग्राम बिहारी पुरा में पति पत्नी की हत्या की व मु. नं. 317/91 थाना बस्सी तथा मु. नं. 319 दि. 5.1.91 थाना दौसा की जांच करवाने के आदेश देने की कृपा करें।

———

(श्री बिरधाराम चौधरी)

मकराना को अलग जिला बनाना

नागौर जिला क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के हिसाब से राज. राज्य में कई जिलों से बड़ा है एवं नागौर जिले में कुल 8 तहसीलें है एवं ग्यारह पंचायत समितियां हैं। नागौर जिले की कुल जनसंख्या करीब 23 लाख के करीब है। जिसमें 1/2 आबादी परबतसर, नावां, डीडवाना, लाडनूं चार तहसीलों की है एवं 1/2 आबादी नागौर जायल, डेगाना व मेड़ता तहसील की है। नागौर जिला मुख्यालय से चार तहसीलें, परबतसर, नावां, डीडवाना, लाडनूं की दूरी 100 कि. मी. से ज्यादा है एवं चारों तहसील मुख्यालय के अन्तिम छोर के ग्राम है उनकी दूरी 150 किमी. जिला मुख्यालय से दूर है जिस कारण से इन चारों तहसालों के अपने काम के लिए जाने आने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है एवं मजदूरी करता है उसका यदि जिला मुख्यालय पर कार्य हो तो उसको दो दिन आने-जाने में लगते हैं एवं 100 रुपये तक किराया तक लगता है इस वजह से एक मजदूर व्यक्ति जिला मुख्यालय को नहीं पहुंच सकते जबकि जिला स्तर के सारे अधिकारी मुख्यालय पर होने से नागौर जाना पड़ता है। इसलिए जनता ने बार-बार परबतसर, नावां, डीडवाना, लाडनूं के बीच में मकराना कस्बा पड़ता है उसमें अलग से परबतसर, नावां, डीडवाना, लाडनूं तहसीलों को मिलाकर मकराना जिला बनाने की मांग की जाती रही है। मकराना की जनसंख्या करीब 80 हजार के आस-पास है एवं जिला बनने की सुविधाएं भी है।

अतः जनता के हितों को देखते हुए परबतसर, नावां, डीडवाना, लाडनूं, तहसीलों को शामिल करते हुए मकराना को जिला बनाने आवश्यक है।

अतः यह लोक महत्व का विषय है अतः राज वि. प्र. एवं कार्य सं. नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि मकराना को अलग जिला बनाने की कार्यवाही करावें।

———

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जयपुर में दहेज हत्या काण्ड

मान्यवर

कीर्ति का विवाह इसी वर्ष 4 मई, 1992 को बरकत नगर में रहने वाले सत्येन्द्र शर्मा S/o श्याम सुन्दर ड्राफ्ट मैन के साथ हुआ था। ये 583 बरकत नगर में रहते हैं तथा कीर्ति के पिता 65, बरकत नगर में जयपुर में ही रहते है। ये जनगणना विभाग में उप निदेशक है। 30-4-92 को इन्होंने 51 हजार सगाई में दिया, ढेर सामान और सम्मान में लगा। अच्छी खासी 2000 आदमी की बारात में लगाया, घर की सजावट व आवश्यकता का सारा आधुनिक सामान भी दिया विदा में, जेवरों में अतिरिक्त 40 हजार रुपये फिर दिये।

चार महीने में कितनी ही बार कीर्ति की मां को बुलाया, जो मांगा देते रहे। कीर्ति को उक्त चार महीने में मां के घर नहीं भेजा, अकेले में बात नहीं करने दी और दबाव बनाये रखा। अभी दो सप्ताह पूर्व एक दिन कहा गया कि कीर्ति को ले जाओ, रात्रि में आठ बजे उसके पिता शमशेरसिंह शर्मा, कीर्ति के सुसराल गये, कीर्ति ने कहा वह फिर कभी आयेगी और 8.30 पर, उसके पिता वापिस आ गये। आधे घण्टे बाद ही कीर्ति को उसके पति, ननदोई आदि सीधा घर में लाये, पता नहीं उसको क्या खिलाया जब वह आई घबराहट में थी; पानी-पानी चिल्ला रही थी तभी उसकी जीभ बाहर निकल आई, घबराहट में उसे अस्पताल ले जाया गया वहां जाते ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उसे मृत घोषित कर दिया गया। पन्द्रह मिनिट में ऐसी सुन्दर सुशील पढ़ी-लिखी सुघड बहू को मार देने के बाद भी ससुर समधन पति को गिरफ्तार नहीं किया गया। शमशेरसिंह रोज पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। पति ने हेयर डायर कहते हैं दिखाने को मुंह से लगाया तब से भला चंगा घूम रहा है। अस्पताल में भर्ती बहाने भाग कर रिश्वत खिलाकर पड़ा है। यह दहेज हत्या का मामला है कृपया मुझे आज इस विषय पर बात रखने का मौका दें जिससे अपराधियों को दण्ड मिल सके।

———

(348)

(श्री टीकमचन्द कान्त)

जयपुर शहर में अवैध सुरा का विक्रय

महोदय,

सम्पूर्ण देश भर में पिछले वर्ष के दौरान जहरीली शराब एवं सुरा से मरने वालों की संख्या हजारों में है। पिछली दीपावली को दिल्ली में सुरा से मृतकों की संख्या सैकड़ों है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में शीर्षस्थ प्रशासन आबकारी, पुलिस एवं चिकित्सा के होते हुए भी सुभाष चौक, नाहरी का नाका, घाटगेट, रामगंज, शास्त्रीनगर के इलाके के लगभग सभी मेडिकल एवं जनरल स्टोरों में सुरा का विक्रय धडल्ले से हो रहा है। नियम यह है कि बिना डाक्टर की पर्ची के दवा नहीं दी जाए किन्तु 100 प्रतिशत अल्कोहल वाली सुरा प्रदेश के बाहर से निर्बाध रूप में आ रही है और बिक रही है। इसे रोकने में सरकारी मशीनरी पूरी तरह असफल है तथा हजारों लोगों की जान खतरे में है। आबकारी एवं पुलिस विभाग मूक दर्शक है।

अध्यक्ष महोदय पुलिस विभाग का एक और आश्चर्यजनक तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। यह तो सही है कि पुलिस गलत कार्यों को रोके किन्तु आजकल व्यवहार में पुलिस अपनी सुविधा एवं हितों के अनुसार कार्यवाही कर रही है। जयपुर सम्भाग के डी. आई. जी. के आदेश पर पिछले दिनों शराब की दुकानों पर जो ताण्डव मचा वह आश्चर्यजनक है। अधिकारी पिछले कई दिनों से तैनात है किन्तु ठेकेदार से किन्हीं बातों पर नाराज होने से उसके खिलाफ आदेश देते है कि दुकानें बन्द कर दो। यह सही है कि यदि कोई अवैध कार्यवाही हो तो उसे बन्द कर दिया जावें किन्तु पूरे सम्भाग में कार्यवाही न होकर मात्र ज़िला जयपुर में और वह भी किसी ग्रुप विशेष के विरुद्ध हो तो बात संदेहजनक होती है।

अध्यक्ष जी मैं यह जानना चाहूंगा कि अब से पिछले दो माह के दौरान पुलिस द्वारा कहां-कहां छापे शराब की दुकानों पर डाले गए एवं उनके क्या परिणाम रहे ? क्या ये छापे किसी एक ही समूह विशेष के विरुद्ध नहीं थे एवं क्या इस कार्यवाही से आबकारी राजस्व में बढ़ोतरी हुई यह सब जांच का विषय है कि एक ओर तो जयपुर शहर में ही अवैध सुरा की बिक्री धडल्ले से हो रही है तथा उस पर पुलिस भी आंख बन्द किए हुए है। आबकारी विभाग कि कर्त्तव्य निमूठ है तथा चिकित्सा विभाग मूक दर्शक तथा दूसरी ओर पुलिस विभाग ड्यूटी पेड माल को पकड़कर राजस्व की हानि कर रहा है।

अध्यक्ष जी मैं यह मांग करता हूं कि कृपया सरकार को निर्देश दें कि :—

(1) दुर्भावनापूर्ण तरीके से जयपुर सम्भाग में पुलिस कार्यवाही शराब की दुकानों पर किए जाने की न्यायिक जांच कराई जावें तथा दोषी को दण्डित किया जावें।

(2) आम आदमी की जिन्दगी की सुरक्षा करने हेतु सुरा की बिक्री को कानून बनाकर अविलम्ब अवैध करार दिया जावें ताकि लोग सम्भावित अनहोनी से सुरक्षा प्राप्त हो सकें।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

मोरसिम ग्राम के
सब सेन्टर की क्रमोन्नति

भीनमाल पंचायत समिति के दूरदराज के गांवों में चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं। उक्त पंचायत समिति के ग्राम मोरसिम की वर्तमान आबादी 10 हजार के करीब है। उक्त गांवों के चारों ओर नदियां होने से यह जिला मुख्यालय एवम् भीनमाल उप-खण्ड से बारिश में अलग-थलग पड़ जाता है। बारिश में गांव के चारों ओर पानी भरे रखने से कई तरह की बिमारियां फैलती हैं। इसके अलावा भी बड़ा गांव होने से वहां के नागरिकों को इलाज हेतु 15–20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मोरसिम के चारों ओर छोटे-छोटे गांव आये हुए हैं। वे भी चिकित्सा हेतु मोरसिम ही आते हैं लेकिन अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते।

वर्तमान में मोरसिम ग्राम में एक सब सेन्टर है जो चिकित्सा सुविधा एवम् मांग के हिसाब से अपर्याप्त है।

अतः मोरसिम ग्राम को सब-सेन्टर से मिनी पी.एस.सी. में क्रमोन्नत करने की ओर माननीय चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करता हूं कि इसे शीघ्र क्रमोन्नत करावें।

———

(श्री अमृतलाल परमार)

पुलियाओं का डामरीकरण

मैंने सत्र छठवां में तारांकित प्रश्न में जिक्र किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर क्षेत्र पिछड़ी जाति भील, मीणा, बनवासियों, राइकों का है जो पूरा पहाडी क्षेत्र है। आजादी के बाद रोड के नाम से कांग्रेस शासन में नगण्य मात्र कार्य हुआ है। हुआ भी तो कच्चे रोड कमजोर रपटे बनी जो आज से 10 साल पहिले ही टूट चुकी थी व रोड भी प्रायः समाप्त हो गया था। इस सरकार में अभी अकाल राहत में बहुत ही सराहनीय कार्य मेरे क्षेत्र में करावे। मैंने पूर्व सत्र में भी मेरे क्षेत्र वाली का जिक्र किया था तब उस वक्त पूरी पी. डब्लू. डी. की टीम जिनमें सारे आफिसर्स थे व उस एरिये का अवलोकन भी किया था, महसूस किया था कि वास्तव में इस क्षेत्र की स्थिति खराब है तथा कार्य होने चाहिये, उसके तहत कार्य प्रारम्भ भी हुए हैं।

परन्तु जब तक पूरे कार्य रोड, पुलिये, रपटें, डामरीकरण रोड नहीं बनेंगे तो अभी किये कार्य वापिस समाप्त हो जाएंगे। अतः मेरी मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दांतीवाडा रोड जो अधूरा पडा है व बीच में पुलिये व रपटे बाकी हैं उसे अविलम्ब

पूरा किया जावें। हर साल इस रोड पर बारिश में रास्ता अवरुद्ध होने के कारण कोई हादसा होता ही है।

इसी प्रकार पुलिये, रपटें, तथा नाणा से भीमाना वनवासी क्षेत्र में रोड के बीच में पुलिये रपटें, एवम् बीजापुर से गोरिया पंचायत भवन तक व कोटिया हैण्डपम्प से नीचला गोरिया पर रपटें पुलियें, व डामरीकरण रोड अविलम्ब कराये जायें। ताकि बारिश में पहाडी जाति की जनता कोर्ट, कचहरी, पेशीयों पर नहीं पहुच सकती जिससे उन्हें आर्थिक व शारीरिक कष्ट व जेल यातनाएं भोगनी न पड़ें।

मेरी मांग है कि सरकार यह कार्य तब तक हाथ में लेगी व कार्य के प्रति क्या सोच रही है, सदन में बताया जावे।

(श्री चम्पालाल जैन)

विद्युत विभाग में जन समस्या

(1) वर्तमान में कार्यरत सहायक अभियन्ता (वितरण विभाग) श्री डी.सी. खण्डेलवाल, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, ब्यावर में लगभग 6-7 वर्षों से कार्यरत हैं।

उक्त अभियन्ता के विरूद्ध अनेकानेक शिकायतें विभाग में विचाराधीन हैं।

उक्त अभियन्ता के विरूद्ध इनके कार्यकलाप की जनता द्वारा दी गई शिकायतों के आधार पर मैंने भी मण्डल को सूचित किया।

फिर भी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल किन्हीं अज्ञात कारणों से इन्हें ब्यावर में पदासीन रखे हुए हैं।

अतः इनके विरुद्ध जन शिकायतों, लोक समाचार में छपी शिकायतों व विभागीय शिकायतों के आधार पर इन्हें ब्यावर से अन्यत्र पदासीन किया जाय तथा की कार्यवाही से इस क्षेत्र का जन प्रतिनिधी होने के नाते मुझे भी अवगत कराया जावे।

(2) ब्यावर स्थित विद्युत वितरण विभाग के उपभोक्ताओं की संख्या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की परिधि सीमा को देखते हुए दो अतिरिक्त विद्युत वितरण उपखण्ड, सहायक अभियन्ता के पद को सृजित करने हेतु :—

(अ) सहायक अभियन्ता (वितरण) नगर उपखण्ड प्रथम

(ब) सहायक अभियन्ता (वितरण) जवाजा ग्राम उपखण्ड

(स) सहायक अभियन्ता (वितरण) नगर उपखण्ड द्वितीय

प्रार्थना की थी परन्तु मण्डल अधिकारियों व अभियन्ताओं ने जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा का आज तक कोई जवाब नहीं दिया।

इन प्रकरणों में लोकहित को ध्यान में रखते हुए जनहित में शीघ्र कार्यवाही का समय अवधिक में सम्पन्न कराने के लिए कार्यान्वयन के लिए आश्वासन दिया जावे व की गई पूर्ण कार्यवाही से अवगत करावें।

सधन्यवाद्।

पत्रों का सन्दर्भ जो विद्युत विभाग को लिखे गये। परन्तु जवाब आज तक नहीं मिला :—

1. स. 297 14 मार्च, 1990	2. स. 936–20 फरवरी, 1990
3. स. 937 20 नवम्बर 1990	4. 4 जनवरी, 1991
5. स. 2335 17 मार्च, 1991	6. 4822–30 जुलाई, 1991
7. स. 418 2 अगस्त, 1990	8. 476–20 अगस्त, 1990
9. स. 951 3 दिसम्बर, 1990	

———

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

रिक्त पदों की पूर्ति

सांचौर पंचायत समिति की 155 अध्यापकों के ब्लैक बोर्ड के पद 2 साल से रिक्त पड़े हैं यह उन प्राइमरी शालाओं के बच्चे बिना शिक्षा के भटक रहे हैं। एक तरफ हम शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु अभियान चला रखा, व किसी को अनपढ़ नहीं रहने देने का वचन दे रखा है व दूसरी तरफ पंचायत समिति सांचौर जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। उस क्षेत्र में 155 पदों को न भरना जनता के साथ खिलवाड़ है। प्राथमिक शालाओं के नियम बने हैं कि 60 विद्यार्थी की संख्या पर एक अध्यापक मगर बच्चों की संख्या बढ़ जाने के पश्चात् यहां तक की कई स्कूलों में 200 बच्चों से भी ज्यादा संख्या होते हुए एक अध्यापक ही तो है तो उन स्कूलों को कैसे चलाते है

जैसे एक ग्वाला 200 भेड़ों को अकेला चराने जाता उसी भांति प्राइमरी स्कूलों की दशा बनी है उसके बावजूद सरकार ने अध्यापकों की नियुक्तियों को बंद कर दी है जिससे शिक्षा के प्रचार का रास्ता कतई बन्द हो गया है जिससे जनता में सरकार के प्रति भयंकर आक्रोश पैदा हो गया है। अतः राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 की तरफ पंचायत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण कर निवेदन करता हूं कि पंचायत समिति के रिक्त अध्यापकों के पद भरने की व्यवस्था करावें व छात्रों की संख्या के अनुपात से अध्यापकों की नियुक्ति दिलाने की कृपा करावें।

(श्री चुन्नीलाल)

सिचाई खण्ड, सवाईमाधोपुर में गलत पदोन्नति

विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड सवाई माधोपुर के अन्तर्गत श्री नन्द किशोर मिस्त्री ने 5–7–71 को चौकीदार के पद पर कार्य करना प्रारम्भ किया और वर्ष 1971 में ही 1–11–71 को मैट के पद पर एवं 1–6–72 को मिस्त्री के पद पर अनियमित रूप से पदोन्नति करदी गई जिसके फलस्वरूप भूतपूर्व अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई वृत जयपुर ने इसकी पदोन्नति गलत मानते हुए वापस मैट के पद पर पदावन्नत कर दिया, किन्तु ये आज भी मिस्त्री के पद का वेतन उठा रहा है। इसी प्रकार श्री नन्द किशोर मिस्त्री के अन्य कई अनियमित कार्य जाल-साजी, धोखाधड़ी, कार्य के प्रति लापरवाही, के सामने आये हैं और विभाग ने इन प्रकरणों यथा :—

(1) श्री नन्द किशोर के विरुद्ध एक दस शिकायती बिन्दु जिला कलक्टर सवाई माधोपुर एवं सिंचाई विभाग के उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुए जिनकी विस्तृत जांच कराई गई, जांच अधिकारी सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड सवाई माधोपुर ने विस्तृत जांच कर उसके विरुद्ध पुलिस एवं विभागीय और भ्रष्टाचार निरोधक आदि से जांचें कराने हेतु अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड सवाई माधोपुर को पत्रांक 794 दिनांक 24–8–92 द्वारा लिखा था एवं कई मामलों में दोषी मानते हुए उसको सेवा से पृथक करने की सिफारिश की थी किन्तु अधिशाषी अभियन्ता व सिंचाई विभाग के अन्य अधिकारियों ने उसके प्रभाव में आकर कोई कार्यवाही नहीं की।

(2) श्री नन्द किशोर पर एक वर्ष में तीन पदोन्नति गलत लेने, अधिक आयु में नियुक्ति देने, परमानेन्ट के आदेश रद्द होते हुए भी विभाग को धोखे में रखकर 1300) रु. का अनियमित मकान किराया उठाने, कर्मचारियों से रिश्वत लेने, आफिस के रेकार्ड की फोटो कापियां करवाकर अन्य कार्यालयों में भेजना, सेवा पुस्तिका का गायब करना, कार्यालय के गोपनीय पत्रों को आफिस की फाइलों से चुराकर उनको सार्वजनिक तौर पर वितरण करना के अलावा अन्य गम्भीर आरोप भी सिद्ध हो चुके हैं जैसे नियुक्ति के समय सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लिमिटेड सवाई माधोपुर के

अधिशाषी अधिकारी श्री सीताराम कैदावत के फर्जी हस्ताक्षर करके नियुक्ति प्राप्त करना, स्वेच्छा से एवं आदतन ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, इसकी आदत है। अभी वर्षा काल में बन्ध आदलवाड़ा दिनांक 16–8–92 को खतरे में आ गया था इसकी ड्यूटी उस बान्ध पर थी मगर ये ड्यूटी पर नहीं था, गांव वालों ने सिंचाई चौकी का ताला तोड़कर खाली कट्टे बांध पर लगाये अन्यथा उसकी लापरवाही के कारण सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती थी एवं लाखों की धनहानि भी होती। इसने सवाई माधोपुर में जवाहर नगर (ए) में एक भव्य भवन एवं प्लाट अल्प आय होते हुए भी सेवाकाल के दौरान खरीदा है जबकि सेवा अवधि में ही इसने चार लड़के, लड़कियों की शादी करदी और स्वयं ने भी पहली पत्नी की मृत्यु पर दूसरी औरत रखली है।

इन सब मामलों में अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने के फलस्वरूप मैं आकर्षित आपका ध्यान विशेष उल्लेख में आकर्षित कर रहा हूं।